माला, खंड 38, अंक 14

शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2003
28 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 38 में अंक 11 से 14 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 38, चौदहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 14, गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2003/28 अग्रहायण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
सदस्यों द्वारा निवेदन	
भूटान से संचालित भारतीय विद्रोही गुटों के विरुद्ध कार्यवाही तथा असम और पश्चिम बंगाल में इसके परवर्ती प्रभाव के बारे में	3–5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261, 262, 264 और 265	6–33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 263 और 266 से 280	33–61
अतारांकित प्रश्न संख्या 2621 से 2846	62–321
सभा पटल पर रखे गये पत्र	321–354
राज्य सभा से संदेश	354–356, 489
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	357
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	357
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
(एक) ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन	357–358
(दो) अध्ययन दौरा प्रतिवेदन और की-गई-कार्यवाही विवरण	358
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
118वां प्रतिवेदन	358–359
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
118वां प्रतिवेदन	359
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पश्चिम बंगाल विशेषत: मुर्शिदाबाद और मालदा में नदियों के तटों पर लगातार हो रहे भूक्षरण से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	359–369
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	359, 361–364

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री अर्जुन चरण सेठी	359–361, 368–369
श्री मोइनुल हसन	365
श्री अधीर चौधरी	366
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	367
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—*वापस लिया गया*	369–373
भारतीय तार (संशोधन) संख्यांक 2 विधेयक—*पुर:स्थापित*	446–447
भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	447
श्री अरुण शौरी	447
नियम 193 के अधीन चर्चा	
हाल ही में हुआ स्टाम्प पेपर घोटाला	376–425, 426–433
श्री किरीट सोमैया	376–391
श्री शिवराज वि. पाटील	391–400
श्री हन्नान मोल्लाह	400–403
श्री चन्द्रकांत खैरे	403–408
श्री पी.एच. पांडियन	408–410
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	410–412
श्री अनादि साहू	412–415
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	415–419
श्रीमती रेणूका चौधरी	419–421
श्री जसवंत सिंह	421–425, 426–433
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
सभा के कार्य के बारे में	425–426
नियम 377 के अधीन मामले	433–442
(एक) गोंडा-बहराइच रेल लाइन को तिकूनिया लखीमपुर बार्डर तक बढ़ाये जाने और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री पद्मसेन चौधरी	433
(दो) हीराखंड एक्सप्रेस का मार्ग उड़ीसा में जगदलपुर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री अनादि साहू	434
(तीन) दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत फलुकनामा और गडवाल के बीच रेल लाइन को दोहरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	434

विषय		कॉलम
(चार)	मध्य प्रदेश के शाजापुर में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री थावरचन्द गेहलोत	435
(पांच)	मध्य प्रदेश में शिवनी जिले में वी.टी.एस. क्षमता बढ़ाए जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर मुर्रई और खावसा बार्डर पर मोबाइल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामनरेश त्रिपाठी	435
(छह)	ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाए जाने और नाबार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक को स्वायत्ता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी	435–436
(सात)	कर्नाटक में भयंकर सूखे की समस्या का सामना करने के लिए उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार	436–437
(आठ)	स्टरलाइट इंडस्ट्रीज द्वारा बाल्को के शेयरों की खरीद के संबंध में समझौते को रद्द किए जाने की आवश्यकता	
	डा. चरणदास महंत	437
(नौ)	नाबार्ड को प्रमुख शेयर होल्डिंग सहित शीर्षस्थ संस्था के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनरुद्धार और पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. मोहन	437–438
(दस)	दलितों के विरुद्ध जाति आधारित भेदभाव और अत्याचारों को रोकने के लिए कानून के वर्तमान उपबंधों को और कठोर बनाए जाने की आवश्यकता	
	डा. मन्दा जगन्नाथ	438–439
(ग्यारह)	महाराष्ट्र के मुदखेड और आदिलाबाद के बीच पुराने रेलवे ट्रैक को बदले जाने और मुदखेड और केवट के बीच आमान परिवर्तन कार्य को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री शिवाजी माने	439
(बारह)	तमिलनाडु में तंजावुर-तिरूवरूर-नागर रेल लाइन आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए.के.एस. विजयन	439–440
(तेरह)	खुर्दा और बोलंगीर को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत और खुर्दा से भुवनेश्वर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपरिपुल का निर्माण शुरू किए के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	440–441
(चौदह)	महाराष्ट्र के सतारा जिले की कराड तहसील में कृष्णा नदी पर खोडशी बांध के निर्माण को जल्द पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री श्रीनिवास पाटील	441
(पन्द्रह)	बंद उद्योगों की भूमि का अंतरण दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को किए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भान सिंह भौरा	441–442

विषय	कॉलम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
कैनकुन मैक्सिको में आयोजित विश्व व्यापार संगठन का पांचवां मंत्री स्तरीय सम्मेलन	442–446
वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक—*पारित*	448–451
विचार करने के लिए प्रस्ताव	448
श्री मधुसूदन मिस्त्री	448–449
श्री शत्रुघ्न सिन्हा	450
खंड 2 से 6 और 1	450
पारित करने के लिए प्रस्ताव	451
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक	451–465
विचार करने के लिए प्रस्ताव	451, 454
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	451, 454
श्रीमती सुषमा स्वराज	454, 462–464
श्री वरकला राधाकृष्णन	454–457
श्री हन्नान मोल्लाह	458
श्री रमेश चेन्नितला	458–461
डा. वी. सरोजा	461–462
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	462
खंड 2 से 4 और 1	464
पारित करने के लिए प्रस्ताव	465
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक	465–467
विचार करने के लिए प्रस्ताव	465
श्री हरिन पाठक	465
श्री रामजीलाल सुमन	466
खंड 2, 3 और 1	466
पारित करने के लिए प्रस्ताव	467
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुरःस्थापित*	467–468
(एक) संविधान संशोधन विधेयक (नए अनुच्छेद 371ङक का अन्तःस्थापन)	467–468
श्री रमेश चेन्नितला	467

विषय	कॉलम
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 103 आदि का संशोधन)	468
श्री जी.एम. बनातवाला	468
केरल उच्च न्यायालय (तिरूअनन्तपुरम में एक स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक—*वापस लिया गया*	468–489
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री कोडीकुनील सुरेश	468–473, 488–489
श्री वरकला राधाकृष्णन	473–476
श्री रमेश चेन्नितला	476–480
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	480–482
श्री वी.एस. शिवकुमार	482–484
श्री पी.सी. थामस	484–489
वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक	490–540
विचार करने के लिए प्रस्ताव	490
डा. वी. सरोजा	490–492, 533–540
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	492–497
श्री खारबेल स्वाइं	498–503
श्री अधीर चौधरी	503–505
श्री के.के. कलिअप्पन	505–508
श्री रमेश चेन्नितला	508–512
श्री माणिकराव होडल्या गावित	512–514
श्री भर्तृहरि महताब	515–520
श्री रामदास आठवले	521–522
श्री कोडीकुनील सुरेश	522
श्री वरकला राधाकृष्णन	523
श्री टी.आर. बालू	524–533

लोक सभा

शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2003/28 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठिये। पहले एक औबीचुअरी रेफरैंस है।

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों रानी ललिता राज्यलक्ष्मी और श्री महेन्द्र सिंह भाटी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

रानी ललिता राज्यलक्ष्मी 1957 से 1970 तक दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा की सदस्य थीं तथा उन्होंने क्रमश: हजारीबाग, औरंगाबाद और धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

रानी ललिता राज्यलक्ष्मी एक कुशल सासंद थीं। वह 1966 से 1967 तक याचिका समिति की सदस्य थीं।

रानी ललिता राज्यलक्ष्मी का राजघराने से संबंध होने के बावजूद वह लोक सेवा से जुड़ी रही।

उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए निरंतर कार्य किया तथा उन्होंने पर्दा और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में सक्रिय रूप से योगदान किया।

रानी ललिता राज्यलक्ष्मी ने अनेक देशों की यात्रा की।

रानी ललिता राज्यलक्ष्मी का निधन 86 वर्ष की आयु में 7 दिसम्बर, 2003 को पटना, बिहार में हुआ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी 1996 से 1997 तक ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री भाटी एक कुशल सांसद थे तथा वह 1996 और 1997 के दौरान वित्त संबंधी समिति के सदस्य थे।

श्री भाटी व्यवसाय से कृषक थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए तथा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए काफी प्रयास किया।

श्री भाटी एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे तथा वह सहकारिता आंदोलन से सम्बद्ध थे। उन्होंने बैजू किराया विक्रय कोआपरेटिव कमेटी लिमिटेड, बैजू, जिला बीकानेर के प्रेजीडेंट तथा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीकानेर एवं राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन के रूप में भी कार्य किया।

श्री भाटी, जिनकी खेलों के प्रति काफी रुचि थी, सादुल क्लब बीकानेर के सदस्य थे।

श्री भाटी ने अनेक देशों की यात्रा की। उन्होंने इन्डो-ग्वेन्जाऊ (चीन) फ्रैन्डशिप सोसायटी के तत्वावधान में शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में चीन, हांगकांग और थाईलैंड की यात्रा की।

श्री भाटी के असामयिक निधन से हम लोगों ने एक युवा और सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्त्ता खो दिया है।

श्री महेन्द्रसिंह भाटी का निधन 35 वर्ष की आयु में 12 दिसम्बर, 2003 को बीकानेर; राजस्थान में एक सड़क दुर्घटना में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोकसंतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत एकदम चौपट हो गई है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने, बहुत गंभीर मामले पर स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको सोमवार या मंगलवार को यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा और मंत्री महोदय से भी अनुरोध किया जाएगा कि वह यहां आएं और उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, इसे कालिंग अटैंशन में ले लीजिए। ...*(व्यवधान)* हम समर्थन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए ज्यादा समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे समझ सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.07 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

भूटान से संचालित भारतीय विद्रोही गुटों के विरुद्ध कार्यवाही तथा असम और पश्चिम बंगाल में इसके परवर्ती प्रभाव के बारे में

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्त राष्ट्र और संसद, सरकार द्वारा आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए भूटान सरकार को धन्यवाद और बधाई देगी ...*(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी थी। इसके साथ ही मैं विशेषरूप से क्षुब्ध और चिंतित हूं। निकाले गए आतंकवादी पिछली दो रातों में उत्तर बंगाल के पूरे क्षेत्र में फैलने शुरू हो गए हैं जहां कटाई का मौसम चल रहा है। वे वहां आश्रय पाने के लिए उन्हें आतंकित करेंगे। मैं महसूस करता हूं कि भूटान और नेपाल की महत्वपूर्ण सीमाओं पर, हिमालय की तलहटी पर उत्तर बंगाल के समस्त क्षेत्र की जनता भयभीत है। असम की सीमा से पश्चिम बंगाल का जिला यथा कूचबिहार लगा हुआ है। वे वहां भी शरण ले रहे हैं। इसलिए मैं आपसे केवल यह अपील करता हूं कि भारत सरकार विशेषरूप से उप प्रधानमंत्री एक वक्तव्य दें कि उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल की सरकारों को क्या अतिरिक्त अर्द्धसैनिक सहायता दी है।

अन्यथा, कल रात को मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सूचना मिली कि वे केवल फैल ही नहीं रहे हैं अपितु उन्होंने शांतिपूर्ण क्षेत्र के सभी लोगों को उलटा आतंकित करना शुरू कर दिया है। हम परेशानी महसूस कर रहे हैं। यह अति गंभीर मामला है...*(व्यवधान)* हम भूटान सरकार की सराहना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं देखता हूं कि सरकार को इस मामले में क्या कहना है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मुझे लगता है कि उप प्रधानमंत्री को भी भारत से आतंकवादियों को निकालने हेतु भूटान सरकार का तरीका अपनाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं देखता हूं कि क्या सरकार संसद में कोई वक्तव्य दे रही है या नहीं। मैं सरकार से पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कृपया मुझे एक मिनट दीजिए और मैं आपको बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपको सही समय पर बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: के.एल.ओ. और 'उल्फा' के लोग अब सिलीगुड़ी, कूचबिहार तथा रायगंज में शरण ले रहे हैं। मेरे सहयोगी, श्री शाहनवाज भी किशनगंज के हैं। आतंकवादी वहां फैल गए हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है। आसाम, वैस्ट बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में,

खासकर बंगलादेश के अंदर अब उनके कैम्प बन रहे हैं। वहां से उल्फा टैररिस्ट्स और दूसरे लोग सारे एरिया में औपरेट कर रहे हैं। सदन में इस बारे में सरकार की ओर से वक्तव्य आ जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं देखता हूं कि सरकार का क्या कहना है।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: भूटान गवर्नमैंट ने बहुत अच्छा काम किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैंने इस मुद्दे पर भी सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर कोई वाद-विवाद नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के पश्चात् मैं इस विषय को ले सकता हूं लेकिन अभी नहीं।

श्री अधीर चौधरी: मेरा तर्क यह है कि इस कठिन स्थिति का मुकाबला करने हेतु पश्चिम बंगाल की सरकार को पर्याप्त अतिरिक्त सुरक्षा बल प्रदान की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुद्दा एकदम सुस्पष्ट है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय की ओर सांसद साथियों ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं उप-प्रधान मंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, उनसे बात करूंगी और कहूंगी कि वे अपना वक्तव्य सदन में दें। वे वक्तव्य किस समय देंगे, यह उनकी सुविधा देखकर सदन के माध्यम से आपको बता दूंगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रश्न काल और स्थगन प्रस्ताव के निलंबन के लिए अन्य सूचनाएं अस्वीकृत कर दी हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा प्रश्न काल शुरू करेगी। प्रश्न संख्या 261—श्री रतन लाल कटारिया।

श्री रतन लाल कटारिया, आज आपका प्रश्न पहला प्रश्न है और आज आपका जन्मदिन है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सर, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने सब नोटिसेस रिजेक्ट कर दिए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: ठीक है, हम अपना विषय जीरो आवर में तो उठा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.11 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

आर्थिक सुधार

***261. श्री रतन लाल कटारिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में आर्थिक सुधार त्वरित गति से गरीबी उन्मूलन, उत्पादक रोजगार और स्वरोजगार हेतु बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों के सृजन तथा सामाजिक और क्षेत्रीय दोनों ही तरह के विकास में असन्तुलन को दूर करने में सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) देश में आगामी वर्षों में किए जाने वाले सुधारों हेतु कार्य सूची क्या है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ) आर्थिक विकास में तेजी लाने, और अधिक निवेशों को आसान बनाने, प्रतिस्पर्द्धा की भावना बढ़ाने, निर्धनता का स्तर कम करने, उच्चतर निजी पहल की अनुमति देने और

विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ और अधिक एकीकरण हासिल करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 1991 से आर्थिक सुधार के कई उपाय किए गए हैं। आर्थिक सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए नीतिगत लिखतों की, विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

देश में निर्धनता का अनुपात 1993-94 के बाद के पांच वर्षों के दौरान लगभग 10 प्रतिशत पायंट कम होकर वर्ष 1999-2000 में 26.1 प्रतिशत हो गया है। देश में अनुमानित कार्य बल (सामान्य स्थिति) 1993-94 में 374 मिलियन से बढ़ कर 1999-2000 में 397 हो गया है। विकास प्रक्रिया में असन्तुलनों के संबंध में, आंकड़े गत दशक के दौरान राज्य के घरेलू उत्पादों की वृद्धि दर में भिन्नता और केन्द्र के कई राज्यों में सामाजिक उपलब्धियों में असमानता को व्यक्त करते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, 2001 में दर्शाया गया है।

वर्ष 1991 का प्रारम्भिक सुधार पैकेज मुख्य रूप से उद्योग नियोजन नीति उपायों पर केन्द्रित था जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस समाप्त करना, विनियमन हटाना, व्यापार उदारीकरण और वित्तीय क्षेत्र के सुधार शामिल हैं। कृषि क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से इन सुधारों से लाभान्वित हुआ। दूसरे चरण के सुधारों में कृषि पर पृथक रूप से विशेष बल दिया गया। पहले से उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में प्रमुख कृषि उत्पादों के लेन-देन और संग्रहण पर प्रतिबंध हटाना, फार्म उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाना, कृषि जिंसों के वायदा व्यापार पर रोक हटाना और लघु क्षेत्र में विनिर्माण से एक बड़ी संख्या में कृषि उपकरणों का अनारक्षण शामिल हैं। सुधारों के लिए भावी कार्यसूची का व्यापक तौर पर उद्देश्य सुधार प्रक्रिया को विस्तृत और गहन बनाना है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र पर विशेष संकेन्द्रण, उपादान बाजारों में नम्यता को बढ़ावा देना, भौतिक और सामाजिक आधारभूत ढांचा क्षेत्रों में निवेशों में तेजी लाना और राजकोषीय समेकन को सुदृढ़ बनाना शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई दी है। इसलिए मेरी भी कुछ भावनाएं हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जब से आपने स्पीकर का कार्यभार संभाला है, आपने इस हाउस को इतना आर्डरली कंडक्ट किया है, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज मेरा बर्थ डे कहां है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सप्लीमेंट्री है या काम्पलीमेंट्री है?

श्री रतन लाल कटारिया: सर, मैं सप्लीमेंट्री पर ही आ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह तो काम्पलीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है।

...(व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: सर, मैं सप्लीमेंट्री पर ही आ रहा हूं। जब से मंत्री जी ने कार्यभार सम्भाला है, इनके समय में जो रिफार्म्स का प्रोसैस चला है, हमने आपके कार्यकाल में कम से कम पचास से ज्यादा भारत की अर्थ-व्यवस्था को रिफार्म्स की ओर ले जाने वाले बिल पास किए हैं, चाहे वह काम्पटीशन बिल हो, चाहे वह स्टाक्स रिएलाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन बिल हो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल हो या पावर अमेंडमेंट बिल हो या सीका का बिल हो। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज यद्यपि भारत ने सात प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ हासिल कर ली है, एग्रीकल्चर में 8 प्रतिशत ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्री भी 6 प्रतिशत ग्रोथ की दर से बढ़ रही है और सर्विस सैक्टर भी 7 प्रतिशत ग्रोथ की दर से बढ़ रहा है लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में बहुत से हिस्सों के अंदर आज भी करीब 22 करोड़ से ज्यादा लोग, ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक समय का भोजन मिलता है और महिलाओं में जो निरक्षरता है, विशेषकर अनुसूचित जाति और ट्राईबल महिलाओं में दस प्रतिशत से लेकर बीस प्रतिशत तक निरक्षरता व्याप्त है। मैं जानना चाहता हूं कि हैल्थ केअर सिस्टम, हाउसिंग और न्यूट्रिशंस के क्षेत्र में जो रिर्फाम्स हुए हैं, उनका कितना असर हुआ है तथा सरकार इस क्षेत्र में रिफार्म्स लागू करने के लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इन्होंने कहा है कि रिफार्म्स के कारण प्रगति समान नहीं हुई है, उसमें असमानता है और साथ ही एक आंकड़े का जिक्र किया कि करीब 22 करोड़ नागरिक हमारे देश में ऐसे हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं, जिनको दो जून का भोजन उपलब्ध नहीं होता है, उनके हाउसिंग इत्यादि के लिए सरकार क्या कर रही है, यह प्रश्न उन्होंने पूछा है। जैसा माननीय सदस्य को मालूम है कि पिछले साल प्रधान मंत्री जी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, उसमें रोजगार भी जुड़ा है और आहार भी जुड़ा है। उसकी घोषणा पिछले साल हुई थी और उसके परिणाम देखकर हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम को और बढ़ाये जाने की जरूरत है। जहां तक हाउसिंग का प्रश्न है। हाउसिंग के लिए अनेक सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। कई कार्यक्रम हाउसिंग से जुड़े हैं। शिक्षा से जुड़ा एक कार्यक्रम 'सर्व शिक्षा अभियान' चल रहा है और 'अन्त्योदय अन्न योजना'

सीधे इसी कारण पिछले साल लागू की गई थी ताकि उस अन्त्योदय अन्न योजना के तहत गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति को अन्न उपलब्ध हो सके।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में इन्वैस्टमेंट के क्षेत्र में कुल कितना निवेश हुआ है? जैसे अक्तूबर, 2002 तक 15,21,309 करोड़ रुपए का टोटल इन्वैस्टमेंट हुआ था, इसी तरह से पिछले साल कितना निवेश हुआ है? मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करें कि इसमें सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर की कितनी-कितनी भागीदारी है? जापान, चीन और भारत लगभग एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन वे देश आज हमसे बहुत आगे हैं। क्या कारण है कि साउथ कोरिया जैसा देश, जहां 1950 में पर-केपिटा इनकम हमारे देश से 50 गुना कम थी, लेकिन आज 18,000 यू.एस. डालर्स प्रति वर्ष है, वहीं भारत में पर केपिटा इनकम केवल 400 यू.एस. डालर्स प्रति वर्ष है। सन् 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र यानी विश्व शक्ति बनने जा रहा है, इसके लिए सरकार रिफार्म्स के क्षेत्र में क्या कदम उठाने जा रही है? जो सपना हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब ने देखा है और विजन-2020 का एसपिरेशन आदरणीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और एनडीए की सरकार ने लोगों के सामने रखा है, वह एसपिरेशन पूरा हो सके, इस दिशा में भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, फिर से विस्तृत प्रश्न किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: जवाब भी बहुत लम्बा हो सकता है।

श्री जसवंत सिंह: इसमें समूची अर्थ नीति के विश्लेषण की आवश्यकता होगी।

श्री मणिशंकर अय्यर: लगता है मक्खन का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है।

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य ने मोटे तौर पर पूछा है कि पिछले पांच वर्षों में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कितना इन्वैस्टमेंट हुआ है और यह भी कहा है कि क्यों कुछ देश हमसे आगे चले गए और हम उस रफ्तार से नहीं बढ़ सके। ये सब चर्चाओं के विषय हैं। आगामी सत्र में इन पर विस्तार से चर्चा होगी। विश्लेषण अपने आप में भिन्न प्रकार के होते हैं, उनके आधार पर संसद में इस तरह के प्रश्न का जवाब देना कठिन हो जाता है। कोई विशेष आंकड़ा यदि माननीय सदस्य को चाहिए तो हम पहुंचा देंगे।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो दावे किये हैं। पहला यह कि 1993 से 2000 के बीच हमारे कार्यबल का आकार बढ़ा है और यह 374 मिलियन से 397 मिलियन हो गया है और दूसरा यह कि इसी अवधि में निर्धनता अनुपात में 10 प्रतिशत की कमी आयी है। मेरा अनुपूरक प्रश्न इन दोनों दावों के बारे में है। माननीय मंत्री जी ने कार्यबल से संबंधित जो आंकडे दिये हैं यदि वे सही हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष 2000 तक प्रत्येक वर्ष हमारे कार्यबल में लगभग 30 लाख नये व्यक्ति शामिल हो रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभा में दावा किया था कि नये रोजगार सृजन की संख्या 30 लाख नहीं अपितु 84 लाख है। यहां वर्ष 2000 तक के आंकड़े दिये गये हैं, लेकिन वर्ष 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर केवल 4.4 प्रतिशत थी और वर्ष 2002-03 में यह घटकर 4.3 प्रतिशत रह गयी। इसलिए वर्ष 2000 के बाद वर्ष 2000 से पहले की तुलना में वृद्धि दर घटी है। इससे स्पष्ट है कि कार्यबल में कुल वृद्धि उस औसत से कम होगी जिसका तात्पर्य है कि 30 लाख से कम।

इस तथ्य के मद्देनजर माननीय वित्त मंत्री माननीय प्रधानमंत्री के इस दावे को कैसे उचित ठहरायेंगे कि कुल 84 लाख रोजगार सृजित हुए हैं जबकि इससे बेहतर समय में 30 लाख रोजगार सृजित होने के ही प्रमाण है।

दूसरी बात, जहां तक गरीबी अनुपात का संबंध है, इस सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े दिये गये हैं, उनमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है और मैं वर्ष 2000-2001 में सर्वेक्षण के पैरा 10.15 से यह उद्धृत करता हूं कि:

> ''इस राउन्ड में, अर्थात् 55वें राउन्ड में जिसके आधार पर ये आंकड़े दिये गये हैं।''
>
> ''एनएएसओ ने आंकड़ा संग्रह करने के उपायों और तरीकों में कुछ नवीनताएं विकसित की हैं जिसमें पूर्व के राउन्ड की तुलना में इस राउन्ड में किये गये गरीबी अनुमानों का तुलनात्मक पक्ष रखा गया है।''
>
> आगे इसमें कहा गया है:
>
> ''आंकड़ा संग्रह के उपाय में इन परिवर्तनों के कारण, इन अनुमानित आंकड़ों की गरीबी के पूर्व अनुमानों से तुलना नहीं की जा सकती।''

उस समय जब मैंने माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री से यह पूछा कि क्या उन्होंने इन आंकड़ों का तुलनात्मक

अध्ययन किया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका इरादा तुलनात्मक अध्ययन का है तथा उन्होंने कहा कि उनका इरादा ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे पास दो विसंगत आंकड़े हैं। वर्ष 1993-94 के आंकड़े दूसरे हैं और 1999-2000 के आंकड़े उससे एकदम अलग हैं। आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते जब तक आप इन दोनों की तुलना नहीं करते आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। पिछले वर्ष और इस वर्ष हमारे जन्म की तिथि यदि एक नहीं होती तो आप यह नहीं कह सकते कि श्री कटारिया कल की तुलना में आज एक वर्ष ज्यादा बड़े हैं।

इस मामले में क्या हुआ है कि सरकार ने आंकड़े एकत्रित करने का आधार ही बदल दिया है क्योंकि 1993-94 तक गरीबों से यह पूछा जाता था कि उन्होंने एक हफ्ता पहले क्या खाया था—इसे सात दिवसीय स्मृति अवधि कहा जाता था—लेकिन 55वें राउन्ड में उन्होंने तीस दिवसीय स्मृति अवधि का तरीका अपनाया है। अब गरीबों से यह पूछा जाता है कि आपने 30 दिन पहले क्या खाया था। इसी आधार पर आप इन दोनों के बीच तुलना कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी के इस दावे का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने 55वें राउन्ड के आंकड़ों के आधार पर यह बताया है कि अब गरीबी अनुपात 26 प्रतिशत है। लेकिन उन्होंने इसकी तुलना पूर्व राउन्ड के आंकड़े से इसलिए नहीं की क्योंकि वह आंकड़े सात दिवसीय स्मृति अवधि आधार पर एकत्रित किये गये थे जबकि ये आंकड़े तीस दिवसीय स्मृति आधार पर एकत्रित किये गये हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि श्री कटारिया के प्रश्न के प्रत्युत्तर में इन आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मेरे द्वारा कुछ वर्ष पूर्व पूछे गये अतारांकित प्रश्न के उत्तर स्वरूप सांख्यिकी मंत्री के उत्तर में तथा इस आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित बातों में, उन्होंने उन दोनों विधियों के बारे में नहीं बताया है। क्या यह सभा और देश को गुमराह करना नहीं है। मैं इन दोनों प्रश्नों पर सरकार का उत्तर चाहता हूं।

श्री जसवंत सिंह: अवश्य ही। महोदय, आम तौर पर केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है।

अध्यक्ष महोदय: वे एक ही प्रश्न के भाग 'क' और 'ख' हैं।

श्री जसवंत सिंह: यही तो मैं सोच रहा था। यद्यपि ये प्रश्न के भाग हैं लेकिन इसके पहले सदस्य महोदय ने काफी लंबी चौड़ी भूमिका बांधी है। वास्तव में ये दो बातें जानना चाहते हैं। पहली बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 84 लाख रोजगार सृजन की बात कही थी लेकिन इस बारे में जब विसंगत आंकड़े हैं तो उनके इस कथन का सत्य कैसे माना जाये। माननीय प्रधानमंत्री जी के आंकड़े पूरी तरह से ठीक हैं। कई अवसरों पर यह बताया जा चुका है कि ये आंकड़े एकदम ठीक हैं। इस संबंध में कही गई बातों में किसी तरह की कोई विसंगति नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, 30 लाख और 84 लाख के बीच कोई विसंगति कैसे नहीं है ...*(व्यवधान)* वह कैसे यह दावा कर सकते हैं। जब अनुपूरक मांगों की चर्चा के दौरान मैंने इस मामले को उठाया था। तब मुझे कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर आप माननीय मंत्री जी की बात सुनें।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मुझे उत्तर चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह इन दोनों प्रश्नों का मिलान करें। वह यह नहीं कह सकते कि इन दोनों आंकड़ों में कोई भिन्नता नहीं है। इसमें 54 लाख का बहुत बड़ा अंतर है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर, मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दें, यह सब आपकी समझ में आ जायेगा।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, माननीय मंत्री जी से उत्तर प्राप्त हो इसके लिए आप हस्तक्षेप करें। इन्होंने वाद-विवाद के समय इसका उत्तर नहीं दिया और अब प्रश्न काल के समय भी इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह: प्रश्न यह है कि इनके द्वारा उल्लिखित दोनों वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की अलग-अलग वृद्धि हुई है, इसलिए, जब सकल घरेलू उत्पाद की एक निश्चित हुई तो एक निश्चित आंकड़े का उल्लेख किया गया और जब कोई अलग आंकड़ा आ रहा हो तो उसका उल्लेख कैसे किया जा सकता है। यहां बताये गये आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है वह पूरी तरह से ठीक है और इतनी संख्या में ही कार्यबल बढ़ा है।

यहां जो दूसरा प्रश्न उठाया गया है वह गरीबी अनुमानों से संबंधित है। गरीबी अनुमानों से संबंधित कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किये जाते हैं। अब स्वयं संगठन ने भी परिवर्तित मानदंड की बात कही है। आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि यह परिवर्तित मानदंड क्या हैं, इसलिए माननीय सदस्य द्वारा यह कहना कि मैंने सभा को यह जानकारी न देकर गुमराह किया है, ठीक नहीं है। मैंने किसी भी तरह से सभा को गुमराह नहीं किया है। यहां पर मैंने सारे तथ्य और आंकड़े एनएसएसओ के तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: मैंने परिवर्तित मानदंड की नहीं, विसंगत आंकड़ों की बात कही है। ये दोनों अलग-अलग बाते हैं। ये दोनों आंकड़े अलग-अलग हैं इसलिए इनमें कोई तुलना नहीं हो सकती ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अब श्री पी.एच. पांडियन प्रश्न पूछेंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर: वह उनमें तुलना कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, यहां दिये गये उत्तर से यह बात पता चलती है कि 1993-94 तथा पंचवर्षीय योजनाओं में देश में गरीबी अनुपात में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आ रही है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आजादी के बाद से ही गरीबी अनुपात में क्या कोई कमी आयी है क्योंकि 40 वर्षों बाद भूमंडलीकरण और उदारीकरण के नये दौर के बाद यह कहा जा रहा है कि गरीबी अनुपात कम होकर 26 प्रतिशत हो गया है।

क्या वर्ष 1991 से पूर्व सरकार द्वारा कोई आर्थिक सुधार किए गए थे? यदि यह बात है तो गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर नहीं हुए होते। अमीर गरीब कब हुए तथा गरीब आज तक और गरीब होते चले गए हैं। सभा पटल पर रखे गए उत्तर के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्थिक सुधार वर्ष 1991 में आरंभ हुए थे। क्या कोई ऐसी आर्थिक नीति बनायी गई थी जिससे गरीब लोग अमीर बनते और अमीर लोग गरीबों के प्रति रुढ़िवादी बनते? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस उत्तर के अनुसार वर्ष 1947 से 1991 तक कोई प्रगति नहीं हुई।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मेरा यह निष्कर्ष नहीं था। यह कहना गलत होगा कि वर्ष 1947 से 1991 तक यह राष्ट्र निष्क्रिय रहा। यह सही नहीं है। तब विकास का नमूना बिल्कुल अलग था। निश्चित रूप से पहली योजना अवधि से ही-यह प्रथम प्रधान मंत्री का कार्यकाल था—गरीबी हटाने के लिए नीतियां बनाई गई थी। वह एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी, वह एक केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था था और उसमें राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग कुछ आवश्यक क्षेत्रों के विकास हेतु किया गया था। यह उनका समय था। समय के साथ यह विचार पुराना पड़ गया और तत्पश्चात् उस नीति में परिवर्तन किया गया।

वस्तुत: यह 1991 में शुरू नहीं हुआ अपितु उससे भी पहले शुरू हुआ था। आर्थिक सुधारों की पहल वास्तव में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी लेकिन वह बहुत प्रायोगिक स्तर पर हुआ था। इसके बाद स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने आर्थिक सुधारों के लिए कुछ शुरूआती कदम उठाए। वर्ष 1991 में देश के सामने एक गंभीर भुगतान संकट खड़ा हो गया और उस गंभीर भुगतान संकट के कारण उस दशक में आर्थिक सुधारों की बड़ी भारी आवश्यकता महसूस की गई व तदनुसार ऐसा ही किया गया।

अत: आज हम देश में यह देख रहे हैं कि गरीबी के कुल स्तर व पैमाने में कमी आई है जैसा कि किसी भी दशक या समयावधि में नहीं हुआ था। गत कई दशकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप यह हासिल हुआ है। ये प्रयास सतत् प्रयास हैं और इन्हें जारी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सरकार प्रयास करेगी और उससे अगली सरकार नहीं करेगी या एक वित्त मंत्री प्रयास करेगा व उससे अगला वित्त मंत्री प्रयास नहीं करेगा आदि। यह एक सतत् प्रक्रिया है वह यह ऐसे ही चलेगी।

राज्यों का भी एक पहलू है। एक व्यापक नीति के संदर्भ में केन्द्र सरकार या संघ सरकार एक सीमा तक मुद्दों को ले सकती है, उन्हें निर्देशित कर सकती है या उन मुद्दों पर अपना प्रभाव डाल सकती है। राज्यों तथा केन्द्र को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस देश में ही राज्यों के बीच विकास, असमानताओं तथा उनके स्तर के संदर्भ में हुआ छिटपुट कार्य देखते हैं। अत:, यह कई पहलुओं का सम्मिश्रण है।

पटसन उद्योग हेतु पैकेज

***262. श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग हेतु पूंजी निवेश पर 20 प्रतिशत की उच्च राजसहायता के एक पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा घोषित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देशी और विदेशी बाजार में व्यापक विपणन नेटवर्क सहित 'ज्यो टेक्सटाइल' के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जेएमडीसी) जो कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है, ने जुलाई, 2002 से पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जेएमडीसी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सितंबर, 2003 तक सामान्य रूप से पटसन मिलों द्वारा अधिप्राप्त की गई मशीनों/उपस्करों की लागत के 15% तक सब्सिडी सीमित की गई थी। तथापि, पटसन उपजाने वाले क्षेत्रों से संबंधित नये स्थानों पर जहां प्रसंस्करण सुविधाएं अपर्याप्त हैं, कम से कम तीन महीनों के लिए उप कर का भुगतान करने के बाद नई आधुनिक पटसन मशीनों की स्थापना करने के लिए 19 सितंबर, 2003 से सब्सिडी को बढ़ा कर 20% कर दिया गया है। तथापि, मशीनों और उपस्करों की लागत के 15% की दर से पूंजी सब्सिडी अभी पटसन के पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं वाले क्षेत्रों में मौजूदा एककों का आधुनिकीकरण करने के लिए स्वीकार्य है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार निम्नलिखित माध्यमों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैव वस्त्रों के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है:-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगोष्ठी (फरवरी, 2003 में कोलकाता में), जैव वस्त्रों और नए पटसन उत्पादों से संबंधित राष्ट्रीय संगोष्ठी (अगस्त, 2003 में नई दिल्ली में) जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(2) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजीरा), कोलकाता और पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईजेटी), कोलकाता जैसे अनुसंधान संस्थानों में जैव वस्त्रों का विकास करने के लिए अनुसंधान क्रियाकलापों को प्रायोजित करना।

(3) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में जैव वस्त्रों के विनिर्माण की सहभागिता को प्रोत्साहन देना और इम्मदाद देना।

(4) राष्ट्रीय ग्रामीण मार्ग विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की संयुक्त रूप से शुरू की गई प्रधान मंत्री की ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने में पटसन जैव वस्त्रों के प्रयोग के लिए विशिष्टियों का मानकीकरण करने के वास्ते प्रायोगिक ग्रामीण सड़क परियोजना प्रायोजित करना।

(5) संबंधित निर्माण एजेंसियों और विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों तथा केंद्रीय सरकार के अधीन विभिन्न संगठनों को पटसन जैव वस्त्रों को तकनीकी रूप से प्रस्तुत करना।

(6) इण्डियन जियोटेक्निकल सोसायटी, इण्डियन रोड कांग्रेस, केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड आदि द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भी पटसन जैव वस्त्र उत्पादों को प्रदर्शित करना।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि: ''तथापि 19 सितम्बर 2003 से पटसन उत्पादन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नए स्थानों पर नई आधुनिक जूट मिलों की स्थापना हेतु राजसहायता में वृद्धि कर इसे 10 प्रतिशत कर दिया गया है...'' महोदय, मैं इसके लिए रा.ज.ग. सरकार और हमारे युवा व उर्जावान वस्त्र मंत्री को पटसन उद्योग को इस कठिनाई से निकालने तथा इस उद्योग के लिए राजसहायता में वृद्धि करने कर बधाई देना चाहूंगा।

महोदय, मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह राज-सहायता पटसन उत्पादक इकाईयों को चलाने के लिए भी दी जाएगी या नहीं। यदि हां, तो क्या यह नए उद्योगों को दी जाने वाली दर पर ही दी जाएगी या नहीं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है। सरकार को यह ज्ञात है कि 'जिओ टैक्सटाइल' की विदेशों में भारी मांग है। सरकार द्वारा मूल्यानुसार निर्यात विपणन सहायता सूची में पटसन वस्त्रों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है जिससे कि उत्पादक और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पटसन उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए जूट उद्योग लगाने पर हमने सबसिडी को बढ़ाया है। सरकार जूट पर 15 परसैंट सबसिडी पहले से दे रही थी लेकिन कुछ महीने पहले हमने यह फैसला किया कि ऐसे क्षेत्र जहां जूट पैदा होता है लेकिन वहां जूट मिलें नहीं हैं, ऐसे जिलों में जूट मिल लगाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए, जूट मिल की स्थापना करने पर सरकार उनको 20 परसैंट की सबसिडी देगी। जहां तक माननीय सदस्य ने एक्सपोर्ट के बारे में पूछा है—हमारा पहले से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है। पहले जूट से खास तौर पर बोरियां बनती थी और उसी में जूट का उपयोग होता था लेकिन आजकल जूट का विविधीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। जूट से कई और चीजें बनने लगीं हैं इसलिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है।

श्री पी.एस. गढ़वी: अध्यक्ष महोदय, मैंने एग्जिस्टिंग यूनिट्स को एनहांस्ड सबसिडी देने के बारे में सवाल पूछा था।

[अनुवाद]

मंत्री जी को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि क्या वर्तमान इकाईयों को समान दर प्रदान की जाएगी। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि पटसन उद्योग विभिन्न रुकावटों के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। सरकार भी देश में नई पटसन मिलों की स्थापना को बढ़ावा नहीं दे रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा देश में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सहित नई पटसन मिलों की स्थापना, विशेषकर पश्चिम बंगाल से बाहर, किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दिया है कि जो एग्जिस्टिंग मिलें हैं, उनको सरकार पहले से 15 परसैंट की सबसिडी दे रही है। ऐसे जिले जहां जूट पैदा होता है लेकिन जूट मिलें नहीं हैं, वहां मिलों को बढ़ावा देने के लिए 15 परसैंट दी जाने वाली सबसिडी को बढ़ा कर 20 परसैंट किया है। जहां पहले से जूट मिलें हैं, वहां 15 परसैंट सबसिडी तो दी जाती है लेकिन वे अगर नई मिल लगाते हैं या एक्सपैंशन करते हैं तो उसका लाभ उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदय, आप अवश्य ही इस बात की प्रशंसा करेंगे कि पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। पूर्वी क्षेत्र में पटसन प्रमुख उद्योगों में से एक है। यह 40 लाख किसान परिवारों का सहायक है। यह प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय देश है; यह जैविक रूप से अपघटित होने वाला तथा पर्यावरण हितैषी है। सामान्यतया भारत में तथा विशेषकर पश्चिम बंगाल में अभी तक कितनी पटसन मिलों को रुग्ण घोषित किया गया है?

माननीय मंत्री जी आप इस बात को समझेंगे कि पटसन उद्योग रातों-रात गायब हो जाने वाले संचालकों की सैरगाह बन चुका है और दूसरी ओर बिचौलिए पटसन किसानों को ठग रहे हैं। इस वर्ष पटसन की कितनी खरीद हुई है, उन्हें इसके लिए क्या मूल्य दिया गया है और क्या दिया गया मूल्य पटसन की उत्पादन लागत के समतुल्य है?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मैं भी पटसन बैल्ट से आता हूं। चौधरी जी, दासमुंशी जी और मेरा क्षेत्र पटसन से जुड़ा है। जहां तक पटसन मिलों का सवाल है, देश में कुल 78 पटसन मिलें हैं जिन में से 61 वैस्ट बंगाल में हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में तीन-तीन और आंध्र प्रदेश में सात हैं। जहां तक पटसन के मीनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): मैंने पूछा है कि क्या जो एक इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है

[अनुवाद]

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा आप को किसी पुनरुद्धार पैकेज का प्रस्ताव किया है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: माननीय सदस्य ने सिक मिल्स के बारे में सवाल पूछा है, वह एनजीएमसी और बीआईसी की मिलों के बारे में है। माननीय सदस्य इसके लिए अलग से सवाल कर सकते हैं। इस सवाल का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि सरकार जूट की प्राइज तय करने के लिए किसानों की क्या मदद करती है—जूट कारपोरेशन आफ इंडिया ने पिछली बार की तुलना में इस बार रिकार्ड खरीद की है। इस बार हमारी सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पहले साल की तुलना में मीनिमम सपोर्ट प्राइज को भी बढ़ाया है।

श्री हन्नान मोल्लाह: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जूट मिल मालिकों ने जूट मजदूर यूनियनों के साथ कुछ समझौता और एग्रीमैंट किया था जिस मैं उनका डीए बढ़ाने की बात के अलावा बहुत सी दूसरी मांगें थी लेकिन एक साल से मिल मालिकों ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। जूट मिलों की 15 यूनियन्स के लोग इसके खिलाफ और अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर अगली 29 तारीख से हड़ताल पर जाने वाले हैं। जूट इंडस्ट्री को इससे बचाने के लिये सरकार के पास क्या कोई योजना है या नहीं? दूसरे, आज जूट इंडस्ट्री बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है जिसकी वजह प्लास्टिक सिंथैटिक्स है जबकि जूट प्रकृति के लिये ईको-फ्रैंडली है। इसे बढ़ाने के लिये देश के अंदर और देश के बाहर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जूट बैग्ज का इस्तेमाल करने में फायदा है, जूट पैकेजिंग एक्ट को ठीक ढंग से लागू करके प्लास्टिक के साथ कम्पीटीशन करके और जूट को बचाने के लिये सरकार के पास क्या योजना है? सरकार जो सहायता राशि दे रही है, वह सहायता राशि कितनी कम्पनियों ने आज तक इस्तेमाल की है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है कि जूट के लिये हम क्या सहायता दे रहे हैं। जहां तक मजदूरों का सवाल है, उसके लिये माननीय सदस्य अलग से प्रश्न कर सकते हैं कि मिल-मालिकों और मजदूरों के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ है।

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न किया कि जूट इंडस्ट्री में बहुत दिनों से ज्यादा काम नहीं हो पाया है, सरकार ने उसके लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं। जूट इंडस्ट्री से दो लाख 61 हजार कामगार और लगभग 40 लाख किसान परिवार जुड़े हुये हैं। उन्हें रोजगार देने से एक हजार करोड़ रुपये का पटसन का सामान निर्यात होने लगा है। हमारा निर्यात बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ा है। मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि पिछली बार के मुकाबले हमारा निर्यात बढ़ रहा है। माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार 15 प्रतिशत सब्सिडी देती थी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय क्या आप अभी उन्हें धनराशि के बारे में बता सकते हैं? सरकार द्वारा अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है? यदि अभी आपके पास वह आंकड़े नहीं हैं तो आप बाद में उन्हें भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह: मेरा सवाल था कि सरकार के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है और कितना इस्तेमाल हुआ है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, टैक्सटाइल इंडस्ट्री की मदद करने के लिये टैक्नौलौजी अपग्रेडेशन फंड का निर्माण किया गया है। आपको मालूम ही है कि पिछला बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्सटाइल बेस्ड प्रस्तुत किया था। उसके अंदर एक टफ स्कीम थी जिसमें मिलों के आधुनिकीकरण के लिये 5 परसेंट ब्याज में सब्सिडी दी गई है। उसका ब्याज 14 परसेंट है और उसमें अगर टैक्नौलौजी अपग्रेड करते हैं तो उसमें 5 परसेंट की सब्सिडी है। इस सामान के निर्यात के लिए जे.एम.डी.सी. 5 से 10 परसेंट सब्सिडी दे रही है। वाणिज्य मंत्रालय की शुल्क हकदारी पासबुक योजना के तहत 5 से 10 परसेंट तक शुल्क की वापसी का भी उनके फायदा होता है।

अध्यक्ष जी, पहले लोग यह समझते थे कि जूट से सिर्फ जूट बैग्स ही बन सकते हैं जिनका इस्तेमाल एफ.सी.आई. करती थी लेकिन अब जूट के विविधीकरण से कारपेट आदि भी बनते हैं, ब्रीफकेस भी बन रहे हैं, बैग्स और यहां तक कि खूबसूरत लेडीज पर्स भी बन रहे हैं। लंदन की बड़ी-बड़ी शाप्स पर कोलकाता (इंडिया) से यही सामान सप्लाई होकर जा रहा है। इस ओर सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। पटसन सेवा योजना के अलावा और बहुत सी योजनायें हम चला रहे हैं। मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि पिछले तीन सालों में जूट का एक्सपोर्ट 400 गुना से ज्यादा बढ़ा है। सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि सिर्फ चीनी, गेहूं के लिये ही बोरा न बने लेकिन जूट से और चीजें भी बनें। पूरी दुनिया और खासकर यूरोप के अंदर जूट का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यह बहुत ईको-फ्रेंडली है। आप कहीं पांच-तारा होटल में जायें तो वहां जो आपको अखबार मिलता है, उसमें भी जूट का उपयोग हो रहा है। हम चाहते हैं कि जूट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें ताकि किसानों को लाभ हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आपको आंकड़े भेज देंगे।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, जितना पैसा आज तक दिया गया है, जूट इंडस्ट्री को कितना पैसा दिया गया है, उस सबका लिखित जवाब माननीय सदस्य को मैं दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, प्रारम्भ में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की सबसे बड़ी पटसन मिल, नैशनल जूट मिल का राष्ट्रीयकरण किया था। दूसरे उन्होंने पटसन किसानों को समर्थन देने हेतु भारतीय जूट निगम का गठन किया था। तीसरे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने दो पैकेजों की घोषणा की थी।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य नहीं है कि जे.सी.आई. के किसानों से लाभकारी मूल्य पर पटसन खरीदने के कार्य को उन्होंने अपना नेटवर्क विस्तृत करने हेतु और कम किया है और आज तक पटसन किसान विशेषकर पटसन उत्पादक संकट में हैं। क्या वे हमें यह बताएंगे कि पहले जे.सी.आई. की कितनी इकाईया कार्यशील थीं और अब कितनी इकाईयां कार्यशील हैं?

यहां, मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे सभा को इस बारे में विश्वास में लें कि क्या यह सत्य नहीं है कि कृत्रिम रेशे बनाने वाली लाबी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशों व पर्यावरणीय निदेशों के विरुद्ध जाकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जिसमें एफ.सी.आई.; चीनी मिलों, सीमेंट कारखानों और अन्य द्वारा जूट के बोरों का उपयोग पूर्णतया बंद कर दिया गया है। क्या यह सत्य नहीं है कि पटसन के बोरों तथा बी.टी.-12 बोरों का बहुत कम उपयोग हो रहा है जिससे पटसन मिलें रुग्ण हो गई हैं? यदि हां, तो वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, यह सही नहीं है कि हमने जूट की खरीद में कोई कमी की है। मैं पहले भी अपने जवाब में कहा है कि इकाईयां कम हुई हैं, लेकिन जूट कारपोरेशन आफ इंडिया जो खरीद करता था, वह पहले से बढ़ी है। हमने उसे घटाया नहीं है। जितनी डिमांड होती है उसके आधार पर हम खरीद करते रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने यूनिटों के बारे में पूछा है कि गांवों में जो यूनिटें थीं, उनका संकुचन हो गया, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम—इस बैल्ट में जूट का उत्पादन होता है। बिहार में भी नार्थ बिहार और बंगाल में में ज्यादातर जहां से दासमुंशी जी आते हैं, उस नार्थ बंगाल की बैल्ट में जूट का उत्पादन ज्यादा होता है। मैं यह दावा कर सकता हूं कि जो यूनिटें पहले से बंद थीं, हमारी सरकार ने उन्हें खोलने का काम किया है। हमारी सरकार के समय एक भी यूनिट हमने बंद नहीं की है और हमने जूट खरीद को पहले से बढ़ाया है। मुझे प्रियदा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने यह भी कहा है कि जूट कारपोरेशन आफ इंडिया के लोग अगर हाट में जाएं, बंगाल और बिहार में हाट लगती है जहां किसान अपना जूट लेकर आते हैं, हमने उनसे कहा है कि उनके दरवाजे पर जाकर उनसे जूट खरीदने का काम करें। इस तरह से हम इसमें अच्छा काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 263—श्री ए. ब्रह्मनैया—अनुपस्थित।

चीनी की खपत और निर्यात

***264. †श्री प्रबोध पण्डा:**
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक किए गए चीनी के उत्पादन, खपत और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा चीनी के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत तीन चीनी मौसमों में प्रत्येक मौसम और वर्तमान पेराई मौसम 2003-2004 (31 अक्तूबर, 2003 तक) के दौरान चीनी के उत्पादन, चीनी की खपत तथा चीनी के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मात्रा लाख टन में)

चीनी मौसम	उत्पादन	खपत	निर्यात
2000-2001	185.10	162.00	9.87
2001-2002	184.96	167.48	10.94
2002-2003 (अनंतिम)	201.32	173.35	15.00
2003-2004 (अक्तूबर, 2003 तक) (अनंतिम)	1.61	13.14	0.36

(ख) चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(1) चीनी उद्योग को 11.9.1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। अब उद्यमी अपनी परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना करने तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार करने के लिए निवेश तथा प्रौद्योगिकी संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(2) लेवी की अनिवार्य प्रतिशतता 1.1.2000 से 40% से घटाकर 30%, 1.2.2001 से 30% से घटाकर 15% तथा 1.3.2002 से 15% से घटाकर 10% कर दी गई है। इससे चीनी फैक्ट्रियां खुले बाजार में खुली बिक्री के कोटे के अधीन अपेक्षाकृत अधिक चीनी बेच सकती हैं जिससे उन्हें अधिक धनराशि प्राप्त होगी।

(3) आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन, क्षमता के विस्तार, गन्ना विकास, अनुसंधान तथा विकास आदि के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(1) निर्यात के लिए निर्धारित चीनी को लेवी देयता से मुक्त कर दिया गया है।

(2) निर्यात के लिए निर्मुक्त की गई चीनी की मात्रा को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति के रूप में माना जाता है जिसका चीनी फैक्ट्रियों के खुली बिक्री की चीनी के स्टाक में समायोजन 18 माह की अवधि के बाद किया जाएगा।

(3) चीनी के निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य की 4% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

(4) 21 जून, 2002 से, चीनी फैक्ट्रियों को चीनी के निर्यात शिपमेंट्स पर हुए आंतरिक ढुलाई तथा माल भाड़ा खर्चों की 1000 रुपये प्रति टन (अधिकतम) की दर पर प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति दी गई है।

(5) 14 फरवरी, 2003 से चीनी फैक्ट्रियों को चीनी के निर्यात शिपमेंट्स पर हुई समुद्री भाड़े की हानि को 350 रुपये प्रति टन की दर पर निष्क्रिय करने की अनुमति दी गई है।

(6) 3 अक्तूबर, 2003 से चीनी के निर्यात शिपमेंट्स पर 500 रुपये प्रति टन की दर से हैंडलिंग और विपणन प्रभारों की अनुमति दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखे गए उत्तर को पढ़ा है। वर्ष 2003-04 के लिए रखे गए संबंधित आंकड़े पूरे नहीं हैं। वे अनंतिम हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से चीनी के आयात के संबंध में पूछना चाहता हूं। क्या विश्व व्यापार संगठन द्वारा लायी गई शर्तों के अनुसार चीनी के आयात पर कोई बाध्यताएं हैं? पाकिस्तान से कितनी चीनी आयात की जाती है? बी.पी.एल. तथा ए.पी.एल. दोनों के लिए हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु कितनी चीनी की आवश्यकता है? क्या भंडार पर्याप्त है या नहीं?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये थे, उनमें यह पूछा था कि पिछले तीन वर्ष में कितना उत्पादन, कितना कंजम्पशन और कितना एक्सपोर्ट हुआ है। मैं पहले निवेदन कर दूं कि उनके सवाल का जवाब हमने दिया है। आपने कहा है कि पीछले तीन वर्ष में इम्पोर्ट बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने तीन वर्षों का लेखा-जोखा मांगा है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2000-2001 में 185 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है, 162 लाख मीट्रिक टन कंजम्पशन हुआ है और 9.87 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ है। इसी तरह वर्ष 2001-2002 में 184.96 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है, 167.48 लाख मीट्रिक टन कंजम्पशन हुआ है और 10.94 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ है। इसी तरह से वर्ष 2002-2003 में 201.32 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है, जबकि कंजम्पशन 173.35 लाख मीट्रिक टन हुआ और एक्सपोर्ट 15 लाख मीट्रिक टन हुआ, यानि लगातार एक्सपोर्ट बढ़ा है, कंजम्पशन भी बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ा है। जो तीनों सवाल आपने पूछे थे, उनके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया। माननीय सदस्य ने कहा है कि चीनी का जो बफर स्टाक है, वह बहुत सफीशियेन्ट है। वह इतना ज्यादा है कि आज जो केन ग्रोअर्स हैं, चीनी उद्योग है, इस कारण से इस समय चीनी के दाम बहुत नीचे गिरे हुए हैं और उसमें बड़ा क्राइसेस है। पिछले वर्ष किसानों के जो ड्यूज हैं, उनका पेमेन्ट करने के लिए हमने 20 लाख टन बफर स्टाक बढ़ाया था। पंडाजी ने जो सवाल पूछा है और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं चाहता हूं कि इसी प्रश्न के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दूं चूंकि यह सत्र बहुत छोटा है और फिर समय नहीं मिलेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी एक महत्वपूर्ण घोषणा कर रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि: महोदय, मैं भी गन्ना क्षेत्र से आता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: मैं आपके लिए ही यह घोषणा कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

18 दिसम्बर 2002 से 17 दिसम्बर तक एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक बनाया गया था जिससे कि चीनी मिलों द्वारा सीधे किसानों को उनका केन प्रोक्योर करने के लिए 786 करोड़ रुपये दिये जा सकें। उसमें से 162 करोड़ रुपये शुगर डैवलपमैंट फंड में से तथा 374 करोड़ रुपये बैंकों से प्राप्त होने थे। चूंकि इस साल अभी 1.10.2003 तक चीनी मिलों के पास 103 लाख मीट्रिक टन स्टाक है तथा प्राइस फिर से गिरने लगे हैं, इसलिए मैं आज सदन में घोषणा करना

चाहता हूं कि इस 20 लाख मीट्रिक टन के बफर स्टाक की अवधि एक साल और बढ़ाई जाती है, यानी 17 दिसम्बर 2003 से 17 दिसम्बर 2004 तक बढ़ाई जाती है, जिससे पिछले साल की तरह, पुराने जो एरियर्स हैं, उनको चुकाने के लिए सीधे चीनी मिल कारखानों द्वारा किसानों तक पैसा पहुंचाने का काम हो सके। यह पैसा सीधे किसानों के पास जाए, इसके लिए मेरे मंत्रालय में एक मानीटरिंग कमेटी है जिसमें यह प्रिकाशन्स लिये गए हैं कि इस पैसे को प्राप्त करने के लिए चीनी मिलों द्वारा अलग से इसका बैंक्स में अकाउंट खुलवाएं अथवा केन कमिश्नर्स इनको सर्टिफाइ करें। मिल मालिकों ने इसका सीधा पैसा किसानों को देना है। माननीय सदस्य ने अच्छा सवाल किया इसलिए मैंने घोषणा की कि 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है जिससे 778 करोड़ रुपये सीधे किसानों को जाएगा।

श्री प्रबोध पण्डा: क्या चीनी का भाव भी गिरेगा?

श्री शीशराम सिंह रवि: मैं गन्ने के क्षेत्र से आता हूं। मुझे भी प्रश्न पूछने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पण्डा, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री प्रबोध पण्डा: मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है। मैंने माननीय मंत्री जी से आयात की स्थिति के बारे में पूछा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विश्व व्यापार संगठन द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार चीनी के आयात पर कोई बाध्यताएं हैं? क्या पाकिस्तान से चीनी का कोई आयात हुआ है?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, मैंने उसका उत्तर वाजिब तरीके से दिया है। मैं और विस्तार से बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर बहुत से प्रश्नकर्त्ता हैं। आप बहुत डीटेल में न जाएं।

श्री शरद यादव: माननीय सदस्य ने ठीक सवाल किया है। मैं थोड़ा बता देता हूं कि वर्ष 1999-2000 में .30 लाख मीट्रिक टन चीनी का एक्सपोर्ट हुआ था, यानी उसकी मनी वैल्यू 18 करोड़ रुपये थी जबकि 2000-2001 में 3.39 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ और उसकी मनी वैल्यू 3.30 करोड़ रुपये थी। *...(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पण्डा: इंपोर्ट का फिगर बताइए।

श्री शरद यादव: पिछले तीन वर्षों में बिल्कुल इंपोर्ट नहीं हुआ। यह पहले ही बात आप पूछ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री शीशराम सिंह रवि: अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)**

श्री प्रबोध पण्डा: अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य मिनिस्टर की तरफ से बोल रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पण्डा जी, उनका रिमार्क रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। मैंने उसे निकाल दिया है। श्री माणिकराव होडल्या गावित जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामचन्द्र पासवान: अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं बल्कि उनके सहयोगी उत्तर दे रहे हैं। यदि ऐसा है, तो मंत्री जी क्यों खड़े हैं? माननीय सदस्य को कहिए वे ही उत्तर दे दें और मंत्री जी बैठ जाएं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पासवानजी, उनका रिमार्क रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आप बैठिए। मैंने उनका रिमार्क रिकार्ड से निकाल दिया है।

श्री माणिकराव होडल्या गावित: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने चीनी के उत्पादन और खपत के तीन साल के आंकड़े दिए हैं। देश में जो उत्पादन हो रहा है, उसमें ज्यादातर उत्पादन महाराष्ट्र में कोआपरेटिव मिलों के माध्यम से हो रहा है। इस उत्पादन को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार के पास क्या कोई और उपाय हैं?

महोदय, मैंने प्रश्न के ''ख'' भाग में निर्यात के बारे में पूछा था। मंत्री जी ने बताया कि लेवी का परसेंटेज कम कर दिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन जो उन्होंने चीनी की खुली बिक्री के बारे में बताया है कि मिल वाले खुली चीनी मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए महाराष्ट्र की ज्यादातर कोआपरेटिव मिलों को भारत सरकार की परवानगी लेनी होती है जो उन्हें भारत सरकार की ओर से जल्दी नहीं मिलती है। इसके लिए उन्हें अनेक बार दिल्ली आना पड़ता है और फिर भी परवानगी नहीं मिलती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस संबंध में प्रक्रिया को सरल करेंगे, ताकि परवानगी जल्दी मिले। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार की ओर से दी जाती है, वह महाराष्ट्र की कोआपरेटिव मिलों को नहीं मिल पा रही है। महाराष्ट्र के बारे में तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। क्या वे इस बारे में भी ऐसी नीति बनाएंगे ताकि उन्हें यह सहायता शीघ्र मिल सके और *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री गावीत जी, प्रश्न शार्ट में पूछिए, नहीं तो मंत्री जी जवाब नहीं दे सकेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री माणिकराव होडल्या गावित: अध्यक्ष महोदय, मैं शार्ट में ही पूछ रहा हूं। विकास निधि से जो वित्तीय सहायता दी जाती है, क्या वह सहायता उन मिलों को एप्लीकेशन देने के बाद आसानी से मिल जाएगी और दूसरी बात यह कि चीनी निर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय उन्होंने बताएं हैं, उनमें से मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जो स्टाक होता है, उसे 18 महीने के बाद बेचने के लिए भारत सरकार परवानगी देती है, लेकिन यह 18 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है जिससे निर्यात में बहुत कठिनाई होती है। कोआपरेटिव मिलों को निर्यात करने में कठिनाई होती है, इसमें क्या आप या सरकार उनकी सहायता करेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गावीत जी, आपका प्रश्न पूरा हो गया।

श्री शरद यादव: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कई सवाल पूछे हैं। आप कहें, तो मैं सबके उत्तर दे दूं?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री माणिकराव होडल्या गावित: अध्यक्ष महोदय, जो मैंने अपने प्रश्न के ''ख'' भाग में पूछा है, वही पूछ रहा हूं। मैंने अनेक प्रश्न नहीं पूछे हैं।

श्री शरद यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय सदस्य से विनती है कि जो एस.डी.एफ. है, उसके जरिए चाहे कोआपरेटिव मिल हो, चाहे प्राइवेट मिल हो या चाहे पब्लिक सैक्टर की मिल हो, उन सभी को सहायता दी जाती है। उसमें बड़ी भारी एमाउंट है। जैसा मैंने अभी 20 मीट्रिक टन चीनी के बफर स्टाक को एक साल के लिए और बढ़ाया है, वैसे ही इससे निपटने के प्रयास किए जाते हैं। ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, वे सही हैं। मैं मानता हूं कि जो स्टाक है, वह ज्यादा है। हम उसका रिलीज मैकेनिज्म लाए हैं। यह इसलिए लाए हैं क्योंकि चीनी का उद्योग संकट में है और जब चीनी का उद्योग संकट में आएगा, तो उसका असर सबसे पहले किसान पर पड़ेगा। यह अकेला ऐसा उद्योग है, जो ग्रामीण इलाकों में लगा हुआ है और किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। इसमें कई तरह की बातें हैं, कई तरह की दिक्कते हैं। जो सवाल आपने किए हैं, वे ठीक हैं। इसमें कई तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान के प्रयास हम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, प्रश्नकर्ता बहुत हैं। समय कम है। कृपया शार्ट में उत्तर दीजिए। श्री शिवाजी माने।

श्री शिवाजी माने: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...*(व्यवधान)*

श्री माणिकराव होडल्या गावित: अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव मिलों को केन्द्र सरकार की परवागनी लेने के लिए दिल्ली आना पड़ता है और उसमें जो डिले होता है, उसे सरल करने के बारे में क्या सोच रहे हैं, यह भी मैंने पूछा है, इसका जवाब नहीं दिया है?

श्री शिवाजी माने: होडल्या गावित जी, मैं उसी के बारे में पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: माने जी, वही प्रश्न आप पूछिए।

श्री शिवाजी माने: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र की लगभग 24 चीनी मिलों को शुगर एक्सपोर्ट की परमीशन दी थी और उन्होंने एक्सपोर्ट करने की बजाय वह शुगर डामैस्टिक मार्केट में बेच दी, तो इन चीनी मिलों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की क्योंकि इससे केन्द्र सरकार को मिलनी वाली फारेन करेंसी भी नहीं मिली। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखिए माने जी, समय बहुत कम है। आप डायरैक्ट प्रश्न पूछिए।

श्री शरद यादव: आपने इम्पोर्ट के बारे में पूछा है या एक्सपोर्ट के बारे में पूछा है।

श्री शिवाजी माने: एक्सपोर्ट की शुगर डोमेस्टिक मार्केट में बेच दी गई है। ऐसी लगभग 24 शुगर फैक्ट्रियां महाराष्ट्र में हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उस पर कार्यवाही चल रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 265।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आठवले जी, मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है, आप बैठ जाइए। यह प्रश्न पूरा हो गया है, मैं दूसरे प्रश्न पर आ गया हूं। कृपया बैठिए। हमारे पास समय नहीं है, केवल दो मिनट बाकी हैं, मैं क्या कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपने विषय को किसी दूसरे माध्यम से सदन में उठाइए।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि

***265. श्री मोहन रावले:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य से कितने ऋण आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य के कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया और उन्हें कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन है, जिसके अंतर्गत वस्त्र इकाईयों के ऋण की पुनर्अदायगी पांच वर्षों से ज्यादा दो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान टीयूएफएस के अंतर्गत राज्यवार प्राप्त एवं संस्वीकृत आवेदन-पत्रों और जिन पर धनराशि वितरीत की गई उनकी संख्या निम्नलिखित के अनुसार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2000-2001 आवेदनों की सं.			2001-2002 आवेदनों की सं.			2002-2003 आवेदनों की सं.		
		प्राप्त.	संस्वी.	वित.	प्राप्त.	संस्वी.	वित.	प्राप्त.	संस्वी.	वित.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	19	14	14	9	9	4	2	2	2
2.	चण्डीगढ़	2	2	1	0	0	0	0	0	0
3.	दादर नगर हवेली	6	3	2	15	14	14	6	5	4
4.	दमन और दीव	3	3	3	5	5	4	3	2	1
5.	दिल्ली	7	7	3	14	15	14	11	4	7
6.	गुजरात	136	124	95	129	115	128	106	103	94
7.	हरियाणा	54	52	36	31	29	25	25	16	13
8.	हिमाचल प्रदेश	3	4	3	0	0	1	0	0	0
9.	कर्नाटक	24	21	23	17	15	8	11	9	15
10.	केरल	0	0	0	0	0	0	7	6	5
11.	मध्य प्रदेश	5	6	9	0	1	0	3	3	2
12.	महाराष्ट्र	28	18	15	30	29	27	95	88	63
13.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	1	1	1
14.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	1	1	1
15.	पंजाब	93	89	59	58	57	43	62	58	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	राजस्थान	95	53	54	17	28	20	25	31	40
17.	तमिलनाडु	226	205	161	134	116	105	124	116	104
18.	उत्तर प्रदेश	12	9	7	8	7	6	3	2	3
19.	पश्चिम बंगाल	6	6	9	5	4	2	9	9	8
	कुल	719	616	494	472	444	401	494	456	411

प्राप्त. - प्राप्त किए गए; संस्वी.-संस्वीकृत; वित.-वितरित

(ग) और (घ) चूंकि टीयूएफएस के अंतर्गत वस्त्र एककों के लिए ऋण पुनर्भुगतान की अवधि पहले से ही पांच वर्ष से अधिक है अत: अन्य किसी नई योजना के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो टैक्नोलाजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम सरकार ने निकाली है, *...(व्यवधान)* वह स्पीनिंग, विविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंट मेकिंग, काटन विविंग आदि को टैक्सटाइल सैक्टर में कवर करने के लिए है। आप जानते हैं कि ताइवान, साउथ-कोरिया, जापान, चाइना आदि टैक्सटाइल प्रड्यूसिंग कंट्री हैं। उनके कम्पीट करने के लिए क्या कोई स्कीम निकाली गई है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझ सकता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आधे घंटे की चर्चा इस विषय पर दूंगा, तब आप अपना प्रश्न उठाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कोई भी माननीय सदस्य नोटिस दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सोमवार या मंगलवार को यह चर्चा ली जा सकती है।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने यहां सब आंकड़े दिए हुए हैं, मैंने आपसे कहा कि स्पीनिंग *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रावले जी, केवल दो मिनट बाकी हैं, इसलिए आप सीधा प्रश्न पूछेंगे तभी सीधा उत्तर आएगा।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस स्कीम में स्पीनिंग के लिए ज्यादा राशि दी गयी है, पिछली बार आपने 5227 करोड़ रुपए दिए हैं। *...(व्यवधान)* इसमें से उन्हें कितना रुपया मिला है, यह पता नहीं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने चर्चा मंजूर की है।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: मैं जानता हूं कि वीविंग और प्रोसेसिंग सैक्टर, जिससे आपको वेल्यू एडीशन से ज्यादा पैसे मिलते हैं, उन्हें आप सब्सिडी क्यों नहीं देते, ज्यादा पैसे क्यों नहीं देते?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, जो टैक्नोलाजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है, उसके तहत इन सब योजनाओं हेतु हमारी तरफ से पैसा देने की योजना है। जो लोग एप्लाई करते हैं, ऋण मांगते हैं, उन्हीं को हम ऋण दे सकते हैं। अभी तक हमारे पास 2664 आवेदन-पत्र आए हैं, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए के करीब परियोजना की लागत है और ऋण की राशि 10,244 करोड़ रुपए थी। उसमें से हमने जो 14,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजना थी, उसे स्वीकृत किया है। हमने करीब 2029 आवेदनों को स्वीकार कर लिया है। हम जहां स्पीनिंग में आगे हैं, वहीं वीविंग क्षेत्र में अन्य देशों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि अगर वीविंग के लिए भी कोई आवेदन करता है तो उसे भी सरकार इसी योजना के तहत मदद करेगी। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: वेल्यू एक्सपोर्ट में वेल्यू एडीशन होता है तभी आपको गारमेंट सैक्टर से ज्यादा पैसा मिलता है। वैसे ही आप इसमें पैसा क्यों नहीं देते? *...(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अगर कोई मांगेगा तभी हम देंगे।

श्री मोहन रावले: महोदय, उन्होंने मांगा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहा है। हमारे महाराष्ट्र में 18 मिलें हैं, आपने कितनी एनटीसी मिलों को पैसा दिया है, यह बताइए? *...(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: पैकेज जा रहा है। *...(व्यवधान)* एनटीसी के लिए पूरा रिवाइवल पैकेज है। माननीय सदस्य भी एनटीसी मिलों से पूरी तरह प्रभावित रहते हैं। एनटीसी के लिए हमने पैसे मांगे ही नहीं हैं, जो फायदे में चलने वाली मिलें हैं, अगर वे अपना एक्सपेंशन करना चाहती हैं, *...(व्यवधान)* ये सब उनके लिए हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

*263. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-निष्पादक आस्तियों की स्थिति के संबंध में भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम की स्थिति क्या है;

(ख) क्या कई अन्य वित्तीय संस्थाएं भी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के संबंध में भारी संकट का सामना कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वित्तीय संस्था-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी वित्तीय संस्थाओं के प्रशासन की उच्च लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार आईएफसीआई लि. की कुल अनुपयोज्य आस्तियां 8382 करोड़ रुपए थीं।

(ख) और (ग) जी, हां। वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), आईएफसीआई लि., भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) की निवल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

संस्था	निवल एनपीए-2002-2003
आईडीबीआई	7330.00
आईएफसीआई लि.	4559.68
एक्जिम बैंक	184.00
सिडबी	472.71
आईआईबीआई	810.61*

*जून 2003 की स्थिति के अनुसार

(घ) ऐसी वित्तीय संस्थाओं के प्रशासन की लागत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम है।

विद्युतकरघा उद्योग में संकट

*266. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सूती धागे के मूल्य में वृद्धि के कारण विद्युतकरघा उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई विद्युतकरघा इकाईयों ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है और उनमें से कई बंद होने के कगार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो सूती धागे के मूल्य में वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या निर्यात कोटे को पुन: लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) विद्युतकरघा उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) विश्व कपास उत्पादन में गिरावट के फलस्वरूप कच्चे कपास की कीमतों में वृद्धि के कारण सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई है।

जबकि इसका असर विद्युतकरघा और हथकरघा उद्योगों में बुनकरों पर पड़ा है, आशा की जाती है कि यह असर अल्पकालीन होगी तब तक जब तक फैब्रिक कीमतों में वृद्धि अथवा यार्न कीमतों में फिर से गिरावट नहीं होती है। सरकार पूर्ति और मांग की बाजार शक्तियों को प्रभावित करने के लिए आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती है।

(ङ) और (च) सूती यार्न के निर्यात पर कोटा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई आर्थिक औचित्य नहीं है।

(छ) सरकार ने विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा उद्योग में विकास को सुकर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:-

(1) केन्द्र सरकार ने बेहतर कार्य-परिवेश तैयार करने तथा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए विद्युतकरघा समूह कार्यशाला के वास्ते सहायता तथा विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना प्रदान कर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के क्षेत्र को बढ़ाकर विद्युतकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय बजट 2003-04 में एक विद्युतकरघा पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज पूरी तरह लागू किया गया है।

(2) सरकार ने विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण शुरू किया है। इन सेवा केन्द्रों की स्थापना प्रशिक्षण, परीक्षण, परियोजना की तैयारी आदि की तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है।

(3) लघु विद्युतकरघा एकक नए डिजायन प्राप्त कर सके और उत्पाद विकास इनपुट्स द्वारा फैब्रिक का उन्नयन कर सकें इसके लिए कंप्यूटर साहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(4) विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों और 2.50 लाख अर्द्धस्वचालित और स्वचालित करघों को शामिल करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

(5) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे विद्युतकरघा मालिक या तो 20% पूंजी संबद्ध सब्सिडी लेकर या उसके द्वारा लिए गए ऋण पर 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर उधार पूंजी की लागत को घटा सकता है।

(6) शटलरहित करघों पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है और स्वदेशी स्वचालित करघों को उत्पाद शुल्क की छूट दे दी गई है। टीयूएफएस के तहत संस्थापित बुनाई मशीनरी पर 50% की दर पर बढ़े हुए ह्रास के लाभ दिए गए हैं।

(7) विद्युतकरघा निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युतकरघा निर्यात हकदारी (पीईई) कोटा की व्यवस्था की गई है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

*267. **श्री पी. कुमारासामी:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) क्या यह हिस्सेदारी अन्य एशियाई देशों की तुलना में अब भी बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और अक्तूबर, 2003-04 तक निर्यात किए गए कृषि उत्पादों का कुल मूल्य और मात्रा कितनी थी;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इससे कितनी निवल विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(च) कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने और विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) वर्ष 2001 के लिए डब्ल्यूटीओ आंकड़ों के अनुसार कृषि उत्पादों के विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 1% से थोड़ा अधिक है।

(ख) और (ग) वर्ष 2001 और 2002 के लिए प्रमुख एशियाई देशों के बारे में तुलनात्मक आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

देश	विश्व का %	
	2001	2002
1	2	3
बांग्लादेश	0.08	—
चीन	3.00	3.22

1	2	3
हांगकांग, चीन	0.90	0.83
भारत	1.13	—*
इंडोनेशिया	1.26	1.54
जापान	0.93	0.76
मलेशिया	1.29	1.53
मारीशस	0.07	0.08
पाकिस्तान	0.20	0.20
फिलीपीन्स	0.35	0.33
सिंगापुर	0.59	0.57
श्रीलंका	0.19	0.18
ताइपेई, चीन	0.58	0.59
थाइलैण्ड	2.17	1.98
कोरिया	0.71	0.68

(स्रोत: विश्व व्यापार संगठन, वेबसाइट; डब्ल्यूटीओ ओआरजी)
*आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि निर्यातकों (समुद्री उत्पादों को छोड़कर चाय, काफी, कपास तथा अरण्डी के तेल सहित) से अर्जित आय निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	कृषि निर्यात (करोड़ रुपए में)	मिलि. अमरीकी डालर
2001-2002	22,246	4,664
2002-2003	24,347	5,032
2003-04 (अप्रैल-अगस्त) (अ)	9,331	1,975
2002-03 (अप्रैल-अगस्त) (अ)	9,638	1,968

(अ: अनंतिम) (स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस)

(च) कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार वस्तु बोर्डों/प्राधिकरणों जैसी अपनी एजेंसियों के जरिए बुनियादी सुविधा के विकास, आधुनिक पैकेजिंग इकाइयों, गुणवत्ता एवं नियंत्रण, बाजार विकास तथा कृषि निर्यात जोनों के सृजन आदि के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता के रूप में अनेक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

अमरीकी बाजार को निर्यात

***268. श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या 2002 में कुल अमरीकी आयात में भारत का एक प्रतिशत हिस्सा रहा और अमरीकी बाजार को सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ता के रूप में अपनी स्थिति में सुधार करके भारत 22वें स्थान से 19वें स्थान पर आ गया;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002 की तुलना में 2001 के दौरान भारत द्वारा अमरीका को किया गया कुल निर्यात अमरीका द्वारा भारत को किए गए निर्यात की तुलना में कितना है;

(ग) क्या व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(ङ) अमरीकी बाजार में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की और क्या योजनाएं हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां। भारत ने वर्ष 2002 में कुल अमरीकी आयातों का 1.02% हिस्सा प्राप्त कर लिया था और वह अमरीकी बाजार को 19वां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता रहा था।

(ख) कैलेण्डर वर्ष 2001 और 2002 के दौरान भारत को अमरीकी निर्यातों की तुलना में अमरीका को हुए कुल भारतीय निर्यात निम्नानुसार हैं:-

(मिलियन अमरीकी डालर में)

	2001	2002	% परिवर्तन 02/01
अमरीका को भारतीय निर्यात	9,737.17	11,818.32	21.37
भारत को अमरीकी निर्यात	3,757.04	4,101.05	9.16

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) भारत-अमरीकी व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास करना सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्यत: अमरीका को भारत के निर्यातों का संवर्धन करने और अच्छी निर्यात संभावना वाले उत्पादों को अभिज्ञात करने के अलावा नये क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयास किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे नए और तेजी से उभरते हुए

क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सूचना एवं आंकड़ा आधार को सरल और कारगर बनाने के अलावा प्रमुख व्यापार प्रदर्शनियों और विशिष्ट व्यापार संवर्धन योजनाओं में भागीदारी के जरिए निर्यातों का संवर्धन भी किया जाता है। अमरीकी प्राधिकारियों के संपर्क से द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

कृषि व्यापार सुधार

*269. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यूरोपीय संगठन और अमरीका ने कृषि व्यापार सुधार हेतु एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की है जिससे बाधित विश्व व्यापार वार्ता को नई शक्ति मिल सकेगी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या अमरीका, यूरोपीय संगठन और कनाडा ने भी गैर-कृषि परियोजनाओं में प्रशुल्क कटौती के वैकल्पिक फार्मूले का सुझाव देते हुए विश्व व्यापार संगठन को संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सितम्बर में निर्धारित कानकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले 13 अगस्त, 2003 को यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका (यूएस) ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि करार के संबंध में वार्ताओं के लिए रूपरेखाओं के कार्य ढांचे के बारे में एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ईयू-यूएस के संयुक्त पाठ में डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी करार के तीन स्तंभों अर्थात् घरेलू सहायता, निर्यात प्रतिस्पर्धा और बाजार पहुंच पर प्रत्येक के लिए अपनी संबंधित संवदेनशीलताओं को शामिल किया था। इस प्रस्ताव में इन तीनों स्तंभों पर डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा वचनबद्धताओं की मात्रा नहीं बताई गई थी जिन्हें बाद की वार्ता के लिए छोड़ दिया गया था।

घरेलू सहायता के संबंध में प्रस्तावों का परिणाम वार्ता के लिए दोहा अधिदेश में निर्धारित व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कमियां करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बजाय कुल मिला कर अमेरिका के 2002 कृषि अधिनियम में अपनी संबंधित सहायता के अंतर्निहित स्तरों को बनाए रखने के लिए अमेरिका को तथा ईयू के 2003 के सामान्य कृषि नीति सुधार (सीएपी) को अपने सहायता स्तर बनाए रखने के लिए ईयू को अनुमति प्रदान करना हो सकता था।

निर्यात सब्सिडियों के संबंध में ईयू-यूएस के संयुक्त पाठ में केवल कुछ उत्पादों के लिए निर्यात सब्सिडियों को चरणबद्ध रूप से हटाने तक सीमित किया गया है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडियों में कटौती करने के प्रभावों में एक समानान्तरता का उल्लेख किया गया है जबकि वार्ता किए जाने वाले दोहा अधिदेश में सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडियों को चरणबद्ध रूप से हटाने की दृष्टि से कटौतियां करना आवश्यक है।

बाजार पहुंच वचनबद्धताओं के संबंध में ईयू-यूएस पाठ में विशेषत: विकासशील देशों से टैरिफों में अत्यधिक कटौतियां करने की आकांक्षा की गई थी जबकि उनके अपने संवेदनशील कृषि उत्पादों पर टैरिफों और रक्षोपायों के जरिए संरक्षण की व्यवस्था की गई थी।

(ग) और (घ) ईयू-यूएस के संयुक्त पाठ के स्वयंसेवी स्वरूप का होने को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों के प्रति विकासशील देशों से कड़ी प्रतिक्रिया हुई जिसके परिणामस्वरूप कृषि के संबंध में जी-20 गठबंधन का निर्माण हुआ। भारत ने कृषि के संबंध में जी-20 गठबंधन, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे शामिल हैं, के हिस्से के रूप में अन्य विकासशील देशों के साथ-साथ यह रुख अपनाया है कि विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र को उनके द्वारा सुधार की पेशकश से कृषि में वार्ताओं से संबंधित दोहा अधिदेश के उद्देश्य पूरे नहीं होते जिसमें व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कटौती करने, सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडियों को चरणबद्ध रूप से हटाने और बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार करने के लिए कहा गया है और इसके साथ यह सुनिश्चित किया गया है कि विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदकारी व्यवहार वार्ताओं के सभी घटकों का एक अभिन्न अंग है और विकासशील देश खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास अपनी विकास आवश्यकताओं का प्रभावशाली ढंग से ध्यान रख सकते हैं।

(ङ) और (च) अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा द्वारा प्रस्तुत संयुक्त प्रस्ताव में गैर-कृषि उत्पादों में टैरिफ कटौतियों के लिए एक वैकल्पिक फार्मूले का सुझाव दिया गया था जिससे विकासशील देशों की कटौती वचनबद्धताओं में वृद्धि करते हुए विकसित देशों की कटौती वचनबद्धताएं कम हो जाएंगी।

बैंकों में धोखाधड़ी

*270. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के भ्रष्ट कर्मचारियों के राज्यवार कितने मामले पकड़े गए; और

(ख) बैंकों से भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचित किया है कि उसने गत तीन वर्षों अर्थात् 2001, 2002 एवं 2003 (30.11.2003 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों की निम्नलिखित राज्य-वार संख्या दर्ज की है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001	2002	2003
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	10	14	18
असम	1	1	3
बिहार	3	1	3
चंडीगढ़	0	2	0
दिल्ली	7	16	12
गोवा	1	2	0
गुजरात	7	7	2
हरियाणा	0	1	6
हिमाचल प्रदेश	0	0	2
जम्मू एवं कश्मीर	2	1	1
झारखण्ड	1	4	6
कर्नाटक	7	16	12
केरल	5	12	13
मध्य प्रदेश	7	4	5
महाराष्ट्र	5	12	22
मणिपुर	1	1	1
उड़ीसा	6	4	5
पंजाब	2	5	8
राजस्थान	5	8	7
तमिलनाडु	14	20	25
उत्तर प्रदेश	5	15	10
उत्तरांचल	2	0	0
पश्चिम बंगाल	22	13	9

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को समय-समय पर सतर्कता व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा निवारक एवं निषेधात्मक उपाय प्रारंभ करने के अनुदेश दिए हैं। सतर्कता प्रणाली के कार्य की समीक्षा स्थल पर निरीक्षण के दौरान की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने पर्यवेक्षी उत्तरदायित्व के भाग के रूप में बैंकों को सामान्य धोखाधड़ी संभावित क्षेत्रों तथा बैंकों में कंप्यूटरीकृत वातावरण में धोखाधड़ियों सहित सभी धोखाधड़ियों की घटनाएं रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सलाह देता रहा है, जिनमें समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रणाली लागू करना; बैंकों में शीर्षस्थ स्तर पर आंतरिक निरीक्षण की कार्यप्रणाली एवं लेखा परीक्षा मशीनरी की निगरानी; कर्मचारियों की ड्यूटियों एवं दायित्वों का स्पष्ट सीमांकन; स्टाफ का आवधिक आवर्तन; शीघ्र अनुशासनिक कार्रवाई; भर्ती के समय उम्मीदवारों का गहन अनुवीक्षण; मित्रा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं।

कर अपवंचकों को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रानिक जाल

*271. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर अपवंचन को रोकने की वर्तमान प्रणाली पूर्णत: अप्रभावी है और इसके कालाधन पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कर अपवंचकों को पकड़ने के लिए एक इलेक्ट्रानिक जाल बिछाने का है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) कर अपवंचन को रोकने की वर्तमान प्रणाली को नवीनतम प्रौद्योगिकी की सहायता से सशक्त किया जा रहा है। वार्षिक सूचना विवरणी नामक तंत्र के माध्यम से आयकर विभाग में उच्च मूल्य के वित्तीय लेन-देन का एक डाटा बैंक स्थापित किया जा रहा है।

(घ) उच्च मूल्य के वित्तीय लेन-देन के ब्यौरे युक्त वार्षिक सूचना विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285**खक** के प्रावधानों के तहत दाखिल की जानी होगी। यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा।

अमरीका द्वारा समुद्री उत्पादों का आयात

*272. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या अमरीका ने समुद्री उत्पादों के आयात के संबंध में एक नई आयात नीति (पाटनरोधी अधिनियम) पारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति का भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यात और समुद्री उत्पाद उद्योग पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) उक्त प्रभाव से भारतीय समुद्री उत्पाद उद्योग को संरक्षण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बफर स्टाक मानदंड संबंधी समिति

*273. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बफर स्टाकिंग मानदंडों की सिफारिश करने हेतु पांचवें तकनीकी समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समूह के कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) क्या समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो समूह द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों के मद्देनजर बफर स्टाक नीति की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को बफर स्टाक के खाद्यान्नों के आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए खाद्यान्नों की बफर स्टाक रखने संबंधी नीति की सिफारिश करने के लिए सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अध्यक्षता में 19.3.2001 को बफर स्टाक रखने संबंधी नीति पर पांचवें तकनीकी समूह का गठन किया गया था। इस समूह का स्वरूप संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) पांचवें तकनीकी समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना के लिए बफर स्टाक रखने संबंधी नीति पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(छ) बफर स्टाक रखने संबंधी मानदण्डों को समग्र देश के लिए अंतिम रूप दिया जाता है। इन्हें राज्यवार/स्कीमवार अंतिम रूप नहीं दिया जाता है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए खाद्यान्नों की बफर स्टाक नीति संबंधी सिफारिश करने वाले 5वें तकनीकी संगठन का गठन

1.	सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (नीति), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	सदस्य
4.	प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम	सदस्य

5.	कृषि और सहकारिता विभाग का एक अधिकारी, जो अपर सचिव के रैंक से कम न हो	सदस्य
6.	एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के रैंक से कम न हो	सदस्य
7.	आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
8.	आर्थिक एवं सांख्यिकीय सलाहकार, आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि मंत्रालय	सदस्य
9.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया से एक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	आर्थिक सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, पंजाब सरकार	सदस्य
12.	सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, तमिलनाडु सरकार	सदस्य
13.	सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
14.	सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, असम सरकार	सदस्य
15.	सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
16.	प्रो. प्रेम एस. वशिष्ठ, निदेशक, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य
17.	डा. किरीट पारिख, अवकाशप्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी विकास और अनुसंधान संस्थान, जनरल वैद्य मार्ग, मुम्बई	सदस्य
18.	डा. भालचन्द्रा एल. मुंगेकर, कुलपति, बाम्बे विश्वविद्यालय, विद्या नगर, बाम्बे-100098	सदस्य
19.	प्रो. अभिजीत सेन, अर्थशास्त्र तथा आयोजना केन्द्र, सामाजिक विज्ञान भवन, जे.एन.यू., नई दिल्ली	सदस्य
20.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से एक प्रतिनिधि (नामित किया जाना है)	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	सदस्य-सचिव

वस्त्र क्षेत्र हेतु योजनाएं

*274. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार द्वारा देश में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई और कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये योजनाएं रोजगार सृजन करके अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों का भी ध्यान रखती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2003-2004 के दौरान अब तक इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) तैयार की गई और कार्यान्वित की गई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम तथा वर्ष 2003-2004 (बजट प्राक्कलन) के दौरान इसके लिए आवंटित योजनागत धनराशि निम्नलिखित है:-

क्षेत्र	आबंटित निधियां (करोड़ रुपए में)
1	2
हथकरघा	156.77

1	2
विद्युतकरघा	14.00
रेशम उत्पादन	92.68
हस्तशिल्प	103.55
ऊन व ऊनी वस्त्र	13.00
कपास प्रौद्योगिकी	30.00
अपैरल पार्क	22.00
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाएं	22.50
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	250.00

इन योजनाओं के तहत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि निधियां राज्य सरकारों और अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती हैं। वस्त्र क्षेत्र में तैयार और क्रियान्वित की जा रही योजनाएं तथा कार्यक्रम और विशेष रूप से हथकरघा, हस्तशिल्प, ऊन, रेशम उत्पादन और विद्युकरघा क्षेत्रों में योजनाएं रोजगार प्रधान हैं और ये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों की आय को बढ़ती हैं या तैयार करती हैं। ऐसा अनुमान है कि 10वीं योजना अवधि के अंत तक वस्त्र उद्योग में कुल रोजगार 40.15 मिलियन व्यक्ति हो जाएगा।

आर.आई.बी. का मोचन

***275. श्रीमती प्रभा राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा 1998 में जारी किए गए 'रिसर्जेंट इंडिया बांड्स' का मोचन 1 अक्तूबर, 2003 को होना था;

(ख) यदि हां, तो इन बांडों से कुल कितनी राशि एकत्र की गई तथा बांडों के मोचन के पश्चात् राशि के भुगतान की क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या हाल के महीनों में रुपए के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप सरकार की देयता में भारी कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने रिसर्जेंट इंडिया बांडों (आरआईबी) के माध्यम से 4.23 बिलियन अमरीकी डालर की समतुल्य राशि जुटाई थी। रिसर्जेंट इंडिया बांडों को अमरीकी डालर (यूएसडी), पौंड स्टर्लिंग (जीबीपी) तथा जर्मन मार्क (डीएम/यूरो) की जमाराशियों के क्रमश: 7.75 प्रतिशत, 8 प्रतिशत तथा 6.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर जुटाया गया। परिपक्वता पर, वापसी-अदायगी को विदेशी मुद्रा नामत: अमरीकी डालर, पौंड स्टर्लिंग, यूरो में जैसा भी मामला हो, किया जाना था। यदि धारक बांडों की परिपक्वता से पूर्व भारत का निवासी हो जाए तो उसके पास संपूर्ण मूलधन तथा उस पर देय ब्याज को किसी निवासी विदेशी मुद्रा लेखे में जमा विदेशी मुद्रा अथवा अप्रत्यावर्तनीय भारतीय रुपयों में प्राप्त करने का विकल्प था। उत्तरजीवी अथवा आदाता के भारत में निवासी बनने की स्थिति में संपूर्ण मूलधन तथा उस पर देय ब्याज राशि का अप्रत्यावर्तनीय भारतीय रुपयों में भुगतान किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2003-2004 के दौरान, जबकि अमरीकी डालर की तुलना में रुपये में मूल्य वृद्धि हुई है, वहीं इसमें पौंड स्टर्लिंग तथा यूरो मुद्राओं की तुलना में गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि रुपए की मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार की देनदारी में वास्तविक कमी का पता केवल वित्तीय वर्ष के अंत में ही चलेगा।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा लिया गया ऋण

***276. श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न स्रोतों से आज तक कितना ऋण लिया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुल कितने ब्याज का भुगतान किया गया;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने ऋण पर ब्याज के भार को कम करने हेतु पूंजी बाजार का दोहन करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न हेतु पारगमन/स्टाक बीमा की भी योजना बना रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम से भारतीय खाद्य निगम को कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारतीय खाद्य निगम की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में गठित बैंकों के एक समूह द्वारा पूर्ति की जाती है।

11.12.2003 की स्थिति के अनुसार नकद ऋण उपयोग (खाद्य खाता) 14,874 करोड़ रुपये था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज के कारण हुआ खर्च निम्नानुसार है:

2000-01	:	2,601.33 करोड़ रुपये
2001-02	:	3,298.14 करोड़ रुपये
2002-03	:	3,375.95 करोड़ रुपये

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने अपने प्रचालनों का वित्त पोषण करने के लिए वैकल्पिक स्रोत के रूप में बाजार से उधार लेने का प्रस्ताव तैयार किया है।

(ङ) और (च) जी, हां। यह प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में है।

[हिन्दी]

बिना लाइसेंस के कार्य करने वाले सहकारी बैंक

***277. श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से वैध लाइसेंस लिए बिना कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कितने सहकारी बैंक हैं;

(ग) क्या सरकार को इन बैंकों के संचालन में धनराशि के दुर्विनियोजन और अनियमितताओं के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कौन-कौन से बैंक हैं जिनसे गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) आरबीआई द्वारा ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश में 108 शहरी सहकारी बैंक, 17 राज्य सहकारी बैंक एवं 294 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस के बिना कार्य कर रहे हैं। इन बैंकों की राज्य-वार संख्या विवरण I में दी गई है। यद्यपि इन बैंकों के पास लाइसेंस नहीं हैं, तथापि उन्हें तब तक के लिए बैंकिंग परिचालन जारी रखने की अनुमति है, जब तक कि उनके लाइसेंस के आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्वीकृत नहीं कर दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण के दौरान, 91 शहरी सहकारी बैंकों में बड़ी अनियमितताएं पाई गई थीं। 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार ऐसे 22 शहरी सहकारी बैंकों, 21 राज्य सहकारी बैंकों और 290 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में धोखाधड़ियों और दुर्विनियोजन की सूचना दी गई थी। बड़ी अनियमितताओं में अंतर्ग्रस्त शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: विवरण II और III में दिए गए हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को निदेश दिया है कि वे धोखाधड़ियों/निधियों के दुर्विनियोजन के मामलों की सूचना जांचकर्त्ता एजेंसियों को दें या न्यायालयों में आपराधिक मामले दायर करें और निधियों के धोखाधड़ी पूर्ण लेनदेन और दुर्विनियोजन की घटना घटित होने पर/ध्यान में आने पर उसकी सूचना संबंधित सहकारी समिति के रजिस्ट्रार/भारतीय रिजर्व बैंक को तुरन्त दें। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि भेजने के अतिरिक्त आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को भी सूचित करता है। इसके अलावा, सहकारी समितियों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अनियमितताओं/कमियों को दूर करें और निर्धारित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करें तथा आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करें।

विवरण I

भारतीय रिजर्व बैंक से वैध लाइसेंस के बिना देश में कार्यरत सहकारी बैंकों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सहकारी बैंक	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	शहरी सहकारी बैंक
1	2	3	4	5
1.	अंड. एवं निको. द्वीप समूह	1	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	1	19	6

1	2	3	4	5
3.	असम	1	—	1
4.	बिहार	1	22	—
5.	चंडीगढ़	1	—	—
6.	छत्तीसगढ़	1	6	—
7.	गुजरात	—	15	29
8.	हरियाणा	—	16	—
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	—
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1	3	—
11.	झारखंड	—	7	—
12.	कर्नाटक	—	17	12
13.	केरल	—	4	5
14.	मध्य प्रदेश	1	34	3
15.	महाराष्ट्र	1	22	8
16.	मणिपुर	1	—	1
17.	मेघालय	—	—	2
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	—	1
19.	उड़ीसा	1	15	4
20.	पंजाब	—	12	4
21.	राजस्थान	1	26	1
22.	तमिलनाडु	—	17	10
23.	त्रिपुरा	1	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	1	42	7
25.	उत्तरांचल	—	4	—
26.	पश्चिम बंगाल	1	11	14
	कुल	17	294	108

विवरण II

अनियमितताओं में लिप्त पाए गए शहरी सहकारी बैंकों के राज्य-वार ब्यौरे (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	शहरी सहकारी बैंक का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	कमबम अर्बन कापरेटिव बैंक
2.		गूटी कापरेटिव अर्बन बैंक
3.		गूंटूर वीमेन कापरेटिव बैंक
4.		जामपेटा कापरेटिव अर्बन बैंक
5.		तेनाली कापरेटिव अर्बन बैंक
6.		उड़वकोण्डा कापरेटिव अर्बन बैंक
7.	असम	दी महाभैरव कापरेटिव अर्बन बैंक
8.	गुजरात	बड़ौदा डिस्ट्रीक्ट इंडस्ट्रीयल कापरेटिव बैंक
9.		बोरसाद नागरिक सहकारी बैंक
10.		जूनागढ़ विभाग्य नागरिक सहकारी बैंक
11.		कपडवंज कापरेटिव बैंक
12.		महिला सहकारी बैंक
13.		ओडे कापरेटिव अर्बन बैंक
14.		पोरबंदर कामर्शियल कापरेटिव बैंक
15.		श्री भारत कापरेटिव बैंक
16.		श्री कापरेटिव बैंक
17.		श्री धनधुका जनता सहकारी बैंक
18.		श्री घोघम्बा विभाग नागरिक सहकारी बैंक
19.		श्री कृष्णा सहकारी बैंक
20.		श्री महुवा नागरिक सहकारी बैंक
21.		श्री पार्श्वनाथ कापरेटिव बैंक
22.		श्री वीरपूर अर्बन सहकारी बैंक लि.
23.		श्री सर्वकूण्डला नागरिक सहकारी बैंक
24.		सोशल कापरेटिव बैंक अहमदाबाद
25.		टेक्सटाइल प्रोसेसर्स कापरेटिव बैंक लि.
26.		दी बोडेली अर्बन कापरेटिव बैंक
27.		दी जम्बूसर पीपल्स कापरेटिव बैंक
28.		दी नागरिक सहकारी बैंक लि.
29.		दी नागरिक सहकारी बैंक लि.
30.		दी पालनपुर पीपल्स कापरेटिव बैंक
31.		दी रजूला नागरिक सहकारी बैंक
32.		दी सिद्धपूर नागरिक सहकारी बैंक
33.		दी उमरेथ पीपल्स कापरेटिव बैंक
34.		दी वागोडिया अर्बन कापरेटिव बैंक
35.		उंझा नागरिक सहकारी बैंक लि.
36.		वाडनगर नागरिक सहकारी बैंक
37.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा अर्बन कापरेटिव बैंक
38.		शिमला अर्बन कापरेटिव बैंक
39.	कर्नाटक	अरसीकेरा अर्बन कापरेटिव बैंक
40.		बेलारी सौदारा अर्बन कापरेटिव बैंक
41.		हलियोल अर्बन कापरेटिव बैंक
42.		रायबाग अर्बन कापरेटिव बैंक
43.	केरल	नेम्पारा कापरेटिव बैंक
44.		दी अलेपी अर्बन कापरेटिव बैंक
45.		दी इरिनजलकूण्डा टाउन कापरेटिव बैंक
46.		दी करमना कापरेटिव बैंक
47.		वाडाकारा कापरेटिव बैंक
48.	मध्य प्रदेश	दी हिन्दू नागरिक सहकारी बैंक

1	2	3
49.	महाराष्ट्र	अप्पासाहेब बिरनाले सहकारी बैंक लि.
50.		सनमित्रा सहकारी बैंक मर्यादित
51.		दी कोरेगांव कापरेटिव पीपल्स बैंक लि.
52.		नासिक जिला सहकारी एवं परिषद कर्मचारी सहकारी बैंक
53.		दी प्रीमिअर आटोमोबाइल्स इम्प्लाइज कापरेटिव बैंक
54.		दी रजवाडे मंडल पीपल्स कापरेटिव बैंक
55.		वीटा अर्बन कापरेटिव बैंक
56.	मणिपुर	मोइरंग प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि.
57.	मेघालय	जोवाइ कापरेटिव अर्बन बैंक लि. जोवाइ
58.		शिलांग कापरेटिव अर्बन बैंक लि.
59.	उड़ीसा	बालासोर अर्बन कापरेटिव बैंक
60.		बारीपदा अर्बन कापरेटिव बैंक
61.		पार्लखेमुन्दी अर्बन कापरेटिव बैंक
62.		पुरी अर्बन कापरेटिव बैंक लि.
63.	पंजाब	कुराली अर्बन कापरेटिव बैंक लि.
64.		नकोदर हिन्दू अर्बन कापरेटिव बैंक
65.	राजस्थान	राजस्थान अर्बन कापरेटिव बैंक
66.	तमिलनाडु	मेलूर कापरेटिव बैंक
67.		दी अरकोट कापरेटिव अर्बन बैंक लि.
68.		दी बोदीनायकनूर कापरेटिव बैंक
69.		दी चिन्थाड्रीपेट कापरेटिव बैंक
70.		दी कोथागिरी कापरेटिव बैंक
71.		दी कुलीथालाई कापरेटिव बैंक
72.		दी पीपुल्स कापरेटिव बैंक
73.		वरगनेरी कापरेटिव बैंक
74.	उत्तर प्रदेश	510 आर्मी बेस वर्कशाप क्रेडिट कापरेटिव प्राइमरी बैंक
75.		लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ प्राइमरी कापरेटिव बैंक
76		आर्डिनेंस इक्वीपमेंट फैक्ट्री प्रारम्भिक सहकारी बैंक
77.		दी मेकनिकल डिपार्टमेंट प्राइमरी कापरेटिव बैंक
78.		उत्तर प्रदेश सिविल सेकरेटेरिएट प्राइमरी कापरेटिव बैंक
79.	पश्चिम बंगाल	बज बज नन्गी कापरेटिव बैंक
80.		इस्टर्न एंड नार्थ इस्ट फ्रंटियर रेलवे कापरेटिव बैंक
81.		नवद्वीप कापरेटिव बैंक
82.		नेशनल इन्श्योरेन्स इम्प्लाइज कापरेटिव क्रेडिट एंड बैंकिंग सोसाइटी
83.		दी ज्वाय नगर मोजिलपुर पीपुल्स कापरेटिव बैंक
84.		यूनियन कापरेटिव बैंक लि.
85.		एवीवी इम्प्लाइज कापरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड बैंक लि.
86.		धकुरिया कापरेटिव बैंक
87.		राणाघाट पीपुल्स बैंक लि.
88.		स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन
89.		दी बंकूरा टाउन कापरेटिव बैंक
90.		दी विष्णुपुर टाउन कापरेटिव बैंक
91.		वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाइ कापरेटिव थ्रीफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी

विवरण III

31.3.2003 की स्थिति के अनुसार अनियमितताओं में लिप्त राज्य सहकारी बैंकों एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सहकारी बैंक	मध्यवर्ती सहकारी बैंक
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	—
2.	आंध्र प्रदेश	1	20
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	—
4.	असम	1	1
5.	बिहार	—	23
6.	चंडीगढ़	—	—
7.	छत्तीसगढ़	—	6
8.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—
9.	दमन एवं दीव	—	—
10.	गोवा	1	—
11.	गुजरात	1	12
12.	हरियाणा	—	7
13.	हिमाचल प्रदेश	1	2
14.	जम्मू एवं कश्मीर	—	2
15.	झारखंड	—	—
16.	कर्नाटक	1	18
17.	केरल	1	8
18.	लक्षद्वीप	—	—
19.	मध्य प्रदेश	—	35
20.	महाराष्ट्र	1	31
21.	मणिपुर	1	—
22.	मेघालय	1	—
23.	मिजोरम	1	—
24.	नागालैण्ड	1	—
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	—
26.	उड़ीसा	1	9
27.	पांडिचेरी	—	—
28.	पंजाब	1	13
29.	राजस्थान	1	16
30.	सिक्किम	—	—
31.	तमिलनाडु	1	21
32.	त्रिपुरा	1	—
33.	उत्तर प्रदेश	—	42
34.	उत्तरांचल	—	9
35.	पश्चिम बंगाल	1	15
	कुल	21	290

नोट: नाबार्ड प्रधान कार्यालय के डाटा बैंक से लिप्त बैंक के नाम अलग से नहीं मिलते हैं।

[अनुवाद]

आयात-निर्यात बैंक

***278. श्री वाई.वी. राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात-निर्यात बैंक वर्तमान में भारतीय कंपनियों के बड़े निर्यात प्रस्तावों का वित्तपोषण करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आयात-निर्यात बैंक को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) भारतीय कंपनियों के बड़े निर्यात प्रस्तावों को वित्तपोषित करने के लिए निर्यात-आयात बैंक ही अकेली संस्था नहीं है। सभी बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं ऐसा कर सकती हैं।

(ग) और (घ) भारतीय निर्यात-आयात बैंक एक मुनाफा कमाने वाली संस्था है और इसलिए इसकी पुनर्संरचना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ऋण सहायता देने के लिए अलग-अलग मामलों में गारन्टी एवं 2.5% वार्षिक की दर पर ब्याज दर समकरण सहायता देने के लिए सहमत हो चुकी है।

औद्योगिक विकास

***279. श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान औद्योगिक विकास में गिरावट आयी है, जैसा कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान कम उत्पादन से कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा औद्योगिक विकास की इस गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जैसा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में दर्शाया गया है, समग्र औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से अक्तूबर, 2003 तक की प्राप्त सूचना के अनुसार, अप्रैल, 2003 से औद्योगिक उत्पादन में माहवार समग्र वृद्धि इस प्रकार थी: अप्रैल 2003 (4.2 प्रतिशत), मई 2003 (6.4 प्रतिशत), जून 2003 (6.7 प्रतिशत), जुलाई 2003 (6.6 प्रतिशत), अगस्त 2003 (5.5 प्रतिशत), सितम्बर 2003 (7.1 प्रतिशत) और अक्तूबर 2003 (5.4 प्रतिशत)। चालू वर्ष के पहले छ: महीनों के दौरान मुख्य क्षेत्रों और प्रयोग-आधारित वर्गीकरण की दृष्टि से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि निम्न प्रकार थी।

आईआईपी के अनुसार औद्योगिक उत्पादन की प्रतिशत में विकास दरें*

उद्योग समूह	भार (% में)	अप्रैल-सितम्बर 2002	अप्रैल-सितम्बर 2003
1	2	3	4
क्षेत्रीय			
खनन और उत्खनन	10.5	6.5	4.2
विनिर्माण	79.4	5.5	6.6
विद्युत	10.2	3.4	3.0
समग्र	**100.00**	**5.4**	**5.9**
प्रयोग-आधारित वर्गीकरण			
मूल वस्तुएं	35.6	4.9	4.6
पूंजीगत वस्तुएं	9.3	9.4	8.7
मध्यवर्ती वस्तुएं	26.5	1.9	4.7
उपभोक्ता वस्तुएं	28.7	8.2	8.3
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	5.4	-6.3	5.7
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	23.3	14.2	9.2

टिप्पणी* आईआईपी-औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार : 1993-94 = 100)

(ग) विगत वर्षों के दौरान सरकार ने औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक सुधार उपायों के जरिए आपूर्ति पक्ष की बाधाएं दूर करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों के साथ-साथ कराधान और व्यापार नीति संबंधी कई उपायों के माध्यम से भी मदद की गयी है।

अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सरकार ने कर दरों की बाहुल्यता एवं स्तर दोनों में कमी की है। अधिकतम सीमा शुल्कों को क्रमश: घटाकर 25 प्रतिशत तक कर दिया गया है साथ ही वस्त्र क्षेत्र, बागवानी, बिजली, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली अनेक पूंजीगत वस्तुओं पर भी शुल्कों में कटौती की गई है। मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करके भी सीमा शुल्कों में कटौती की गई है। यह भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर अपनी निविष्टियों के लिए अधिक प्रवेश की अनुमति देगा। उत्पाद शुल्क क्रियाविधि को भी बहुत सरल कर दिया गया है और इसे केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सिनवेट) की शुरूआत करके युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके फलस्वरूप अधिकांश मदों पर उत्पाद शुल्क कम हो गया है। वर्ष 2003-04 के बजट में भी वस्त्र क्षेत्र में अनेक मदों पर उत्पाद शुल्क की दरें भी घटाई गयी हैं। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) को इसके संचालन में अधिक लचीलापन के लिए उदार बनाया गया है।

इसके अलावा, वर्ष 2003-04 के बजट में अवसंरचनात्मक कार्यों पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे तथा बंदरगाह शामिल हैं। इससे औद्योगिक उत्पादों की व्यापक किस्मों के लिए मांग पर अनुकूल प्रभाव पड़ने

की आशा की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना प्रारंभ की है। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके लिए दसवीं योजना में 675 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा क्रियान्वित होगी। इस योजना का उद्देश्य चुनिंदा कार्यशील समूहों/स्थापनास्थलों में सरकारी-निजी, भागीदारी से बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराके घरेलू उद्योग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है। इन उपायों को भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा नीति दृष्टिकोण से पूरा किया गया है, जिसमें ब्याज दरों में कमी को वरीयता दी गई है, और अधिक ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता का प्रावधान किया गया है और निवेश मांग का समर्थन किया गया है।

[हिन्दी]

प्याज के निर्यात के संबंध में नीति

***280. श्री शिवाजी विठ्ठलराव काम्बले:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने प्याज के निर्यात के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति का देश में प्याज के मूल्य पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इससे किसानों को क्या-क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) वर्तमान एक्जिम नीति के अनुसार, प्याज का निर्यात किसी भी मात्रात्मक प्रतिबंध से मुक्त है और इसका निर्यात केवल भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विभाग संघ लि. (नेफेड) और अन्य राज्य व्यापार उद्यम (एसटीईएस) के माध्यम से किया जाता है। एक अन्दर-मंत्रालयी समीक्षा समिति (आईएमआरसी) समय-समय पर घरेलू बाजार में समग्र स्थिति की समीक्षा करती है।

(ग) और (घ) प्याज के कुल उत्पादन की तुलना में इस का निर्यात बहुत कम प्रतिशत में होने के कारण, उससे देश में प्याज की कीमतों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। 9 मई, 2003 से प्याज के निर्यातों पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध घटाने से निर्यातों की मात्रा में नियमित वृद्धि हुई है। इससे किसानों को और अधिक लाभकारी कीमत प्राप्त होने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

रूफीट उद्योग के विरुद्ध शिकायतें

2621. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.सी.ए. और सेबी को रूफीट उद्योग के लघु निवेशकों से उनकी सुरक्षा हेतु शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में डी.सी.ए. और सेबी द्वारा कोई जांच कराई गई; और

(घ) यदि हां, तो जांच की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी ने जमाराशि धारकों को ब्याज सहित परिपक्व जमाराशियां लौटाने में चूक की थी।

(ग) और (घ) कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी को उनके द्वारा बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार जमाराशियों के पुनर्भुगतान करने के निर्देश दिए। कम्पनी के यह अभ्यावेदन करने पर कि जबसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत बी.आई.एफ.आर. को एक सन्दर्भ भेजा गया है, आर्थिक संकट वाले मामलों के लिए जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने के उद्देश्य से उनके समुचित दिशानिर्देश प्राप्त करने के लिए कम्पनी को बी.आई.एफ.आर. से सम्पर्क करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, कम्पनी रजिस्ट्रार ने, कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा 31.7.2002 के आदेशों के गैर-अनुपालन के लिए, कम्पनी अधिनियम की धारा 58क (10) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की है।

आदिवासियों की भूमि

2622. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गैर-आदिवासी लोगों द्वारा आदिवासी लड़कियों से शादी करने, उनकी भूमि हड़पने और भूमि के अधिकार से आदिवासियों को वंचित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आदिवासी भूमि का गैर-आवासियों को हस्तांतरण प्रतिबंधित करने हेतु कोई कानून बनाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आदिवासियों की भूमि को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) ऐसा कोई विशिष्ट मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, ''भूमि'' राज्य का विषय होने के कारण अधिकांश राज्य सरकारों ने जनजातीय भूमि हस्तांतरण निवारक कानून बनाएं हैं। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 4601-4602/96 में भी जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर रोक को उचित ठहराया है। इस निर्णय के संगत अंशों को कड़े अनुपालन के लिए राज्यों को परिचालित कर दिया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को वेतन

2623. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 31 जनवरी, 2003 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किए गए आदेश पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए सभी स्थगन आदेशों की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचना दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे के पुनरीक्षण के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की धारा 17 के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल, 2002 के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कोई आदेश जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नमक का निर्यात

2624. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत से नमक का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में नमक का निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये नमक की मात्रा तथा इसका मूल्य क्रमश: नीचे दी गई तालिका के भाग ''क'' तथा ''ख'' में दिया गया है। नेपाल तथा भूटान को निर्यात की गई मात्रा से निर्यात प्राप्तियां रुपयों में हैं।

भारत से नमक का निर्यात

		2000	2001	2002	2003 (अक्तूबर तक)
क.	मात्रा (लाख टन में)	10.57	16.13	13.66	9.48
ख.	मूल्य (लाख रुपये में)				
	(1) नेपाल तथा भूटान के अलावा अन्य देशों को नमक के निर्यात पर अर्जित की गई विदेशी मुद्रा	5485.9	7219.4	5303.8	3134.7
	(2) नेपाल तथा भूटान	690.2	808.2	1043.6	579.2
	कुल	6176.1	8027.6	6347.4	3713.9

[अनुवाद]

आदिवासियों के लिए नई योजना

2625. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ''एक्सचेंज आफ विजिट्स बाई ट्राइबल्स'' नाम की नई केन्द्रीय योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो 31 सितम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने दौरे आयोजित किए गए;

(ग) 31 सितम्बर, 2003 तक योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी राशि स्वीकृत और व्यय की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभान्वितों की संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां। वर्ष 2001-02 के दौरान योजना शुरू की गई थी।

(ख) से (घ) 30 सितम्बर, 2003 तक की स्थिति संलग्न विवरण में है।

विवरण

क्र. सं.	वर्ष	राज्य/संगठन के दौरे	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपए में)	दलों/समूहों के दौरे हेतु	आदिवासी लाभान्वितों की संख्या
1.	2001-02	त्रिपुरा	1.29	1	10
2.	-तदैव-	मिजोरम	1.63	1	15
3.	-तदैव-	कर्नाटक	6.25	4	40
4.	-तदैव-	गुजरात	1.86	3	30
5.	2002-03*	मणिपुर	2.08	4	40
6.	-तदैव-	केरल	1.94	2	20
7.	-तदैव-	आंध्र प्रदेश	2.21	3	30
8.	-तदैव-	गुजरात	1.95	3	30
9.	-तदैव-	राजस्थान	18.73	23	300
		(1) एम.एल. वर्मा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर			
		(2) पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर			
10.	-तदैव-	त्रिपुरा	2.40	1	10
		कुल	40.34	45	525

*सितम्बर, 2003 तक।

सहकारी समितियों को बैंकिंग लाइसेंस

2626. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा है कि नाबार्ड (एन.ए.बी.ए.आर.डी.) द्वारा राज्य केन्द्रीय या प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में घोषित हुए बिना राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों को भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग लाइसेंस नहीं दे सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उन सहकारी समितियों का क्या होगा जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने 29 अक्तूबर, 2003 को दिए गए अपने हाल के निर्णय में यह माना है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 22 के अधीन अपनी शक्तियों के आधार पर किसी सहकारी बैंक को लाइसेंस तब तक मंजूर नहीं कर सकता, जब तक कि वह राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती सहकारी बैंक या प्राथमिक सहकारी बैंक न हो।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान 34 बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंसों की विधिमान्यता पर स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें इस मामले में आगे निर्देश देने का अनुरोध किया है और यह मामला अभी सुनवाई के लिए आना है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आवंटन

2627. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को और अधिक चीनी, चावल और गेहूं के आवंटन हेतु कुछ राज्य सरकारों विशेषकर बिहार सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) से (ग) सरकार को समय-समय पर अधिक चीनी, चावल और गेहूं का आवंटन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध प्राप्त होते हैं। इन अनुरोधों में अधिक आवंटन करने के कारणों का उल्लेख होता है और सरकार के मानदंडों तथा नीतियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

बिहार सरकार से अगस्त, 2003 में बाढ़-पीड़ितों के लिए 25000 टन चावल मुफ्त आवंटित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस पर संबंधित मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए कार्रवाई की गयी थी और निर्णय लिया गया था।

उपभोक्ताओं को नाबार्ड ऋण

2628. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सीधे उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करने हेतु कोई योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिसके लिए यह ऋण उपलब्ध होगा; और

(घ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्होंने वाणिज्यिक बैंकों के साथ सह-वित्तपोषण व्यवस्थाओं के तहत ग्राहकों को सहायता देने के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत अलग-अलग व्यक्तियों/निगमित निकाय/अन्य ग्राहकों को नई प्रौद्योगिकी और बड़े वित्तीय परिव्यय वाली उच्च तकनीकी की निर्यातोन्मुख कृषि परियोजनाओं के संवर्धन हेतु प्रत्यक्ष ऋण मंजूर किए जाएंगे। ये ऋण बागवानी, पशु पालन एवं डेरी, बागान, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, जैव-ऊर्जा, पुष्पोत्पादन क्षेत्रों आदि के विकास के लिए उपलब्ध होंगे।

(घ) यह योजना पहले ही शुरू कर दी गई है और नाबार्ड द्वारा अब तक बागान, पुष्पोत्पादन और एकीकृत जैव-कृषि के क्षेत्र में चार प्रस्ताव मंजूर कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

सांविधिक किताब में अधिनियम

2629. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सांविधिक किताब में कई ऐसे अधिनियम हैं जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे अधिनियमों की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) केंद्रीय सरकार ने विधियों में कमियों की समीक्षा करने तथा इन्हें ठीक करने के लिए प्रशासनिक विधि पुनर्विलोकन आयोग का गठन किया था। उक्त आयोग ने विभिन्न प्रवर्गों की ऐसी 1382 केंद्रीय विधियों का निरसन करने की सिफारिश की थी, जिनकी अप्रचलित विधियों के रूप में पहचान की गई है या जो बेकार हो गए हैं या जिनमें उपांतरण की आवश्यकता है। निरसन के लिए या अन्यथा सिफारिश की गई विधियों की संख्या निम्नानुसार है:-

1. 166 केंद्रीय अधिनियम (जिसके अंतर्गत 11 राष्ट्रीयकरण पूर्व अधिनियम और 20 विधिमान्यकरण अधिनियम भी है)।
2. 315 संशोधन अधिनियम।
3. 11 ब्रिटिश कानून जो अभी प्रवृत्त हैं।
4. 17 युद्धकालीन स्थायी अध्यादेश।
5. राज्य सरकारों द्वारा निरसन के लिए, राज्य विषयों से संबंधित 114 केंद्रीय अधिनियम।
6. संसद द्वारा पारित 700 विनियोग अधिनियम।
7. 35 पुनर्गठन अधिनियम।
8. उच्च न्यायालयों को लागू 12 विधियां।
9. 12 स्वीय विधियां।

निरसन के लिए सिफारिश किए गए 1382 अधिनियमों में से संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने 399 अधिनियमों को निरसित किया है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा 819 अधिनियमों को रखे जाने का विनिश्चय किया गया है। 115 अधिनियमों की बाबत केंद्रीय सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी है, क्योंकि ये अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-2) से संबंधित हैं। 166 केंद्रीय अधिनियमों की सूची में 4 अधिनियमों को दोहराया गया है। निरसित किए जाने के लिए अपेक्षित शेष 45 अधिनियम निरसन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सामान

2630. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003 के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब तक जब्त किए गए तस्करी के सामानों जैसे स्वापक, पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं, इलेक्ट्रानिक सामान, वन्य जीव उत्पाद, विदेशी (देशों के नाम सहित) औषधीय पाउडर, सोने के बिस्किट आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे जब्त किए गए सामानों को बेचने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी वस्तुओं को खरीदने हेतु विशिष्ट व्यक्तियों/संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्ष 2003 के दौरान, 30.11.2003 तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जब्त किए गए तस्करी के माल का मूल्य 7.75 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) अभिगृहीत/जब्त उपभोक्ता माल को सीमा शुल्क खुदरा दुकानों पर और एजेंसियों जैसे कि रक्षा कैंटीनों और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के जरिए भी विशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.)/संसद सदस्यों सहित जनता को बेचा जाता है। व्यापार संबंधी माल और बहुमूल्य रत्नों को सार्वजनिक नीलामी के जरिए और सोने को भारतीय स्टेट बैंक के जरिए बेचा जाता है।

तथापि, केवल वर्तमान संसद सदस्यों को ही सीमा शुल्क जब्तशुदा स्टाक से जहां है जैसा है के आधार पर और मौजूदा बाजार मूल्य पर हथियार/गोला-बारूद खरीदने की अनुमति है।

[अनुवाद]

विद्युत करघा सेवा केन्द्र

2631. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और विद्युत करघा सेवा केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए चयनित स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) स्थानों के चयन में क्या मानदंड अपनाए गए;

(घ) क्या ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी गई जहां रुग्ण वस्त्र मिलों के बंद होने के कारण मजदूर बेरोजगार हो गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और अधिक विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अमरीका को चाय का निर्यात

2632. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या न्यूयार्क में चाय बोर्ड कार्यालय ने ''आइस्ड टी'' के रूप में अमरीका में भारतीय चाय की खपत की अधिक संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान अमरीका को अब तक कितनी भारतीय चाय का निर्यात किया गया है;

(ग) इससे कितनी विदेश मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) अमरीका में भारतीय चाय को और लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए और उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) अमरीका मूल रूप से आइस्ड टी का बाजार है जहां 80% चाय की खपत आइस्ड टी के रूप में की जाती है। चाय बोर्ड के न्यूयार्क स्थित कार्यालय के साथ-साथ अन्य स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त सूचना से अमरीका में भारतीय चाय की खपत की उच्च संभावना का पता चलता है। भारत से अमरीका को इंस्टेंट चाय सहित चाय के निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है।

(ख) और (ग) अमरीका को भारतीय चाय के निर्यात तथा अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)
2001	6.18	92.83	19.67
2002	7.36	103.09	21.41
2003 (जन.-अक्तू.)	6.41	88.51	19.36
2002 (जन.-अक्तू.)	5.91	85.40	17.62

(घ) अमरीका में भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए चाय बोर्ड विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलाप कर रहा है, जिनमें अमरीका में चाय के बड़े क्रेताओं के साथ विचार-विमर्श, चाय के प्रमुख बाजारों के खुदरा व्यापारियों के साथ समन्वय, प्रमुख प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेना, भारतीय चाय के टेस्टिंग सत्र तथा व्यापार को आगे सुकर बनाने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना इत्यादि शामिल हैं। चाय बोर्ड अमरीका चाय परिषद्, जो कि एक संवर्धनात्मक निकाय है, का सदस्य भी है जिसका कार्य प्रचार अभियानों तथा शिक्षात्मक कार्यक्रमों के जरिए अन्य पेयों के मुकाबले चाय की एक पेय के रूप में खपत को बढ़ाना है।

कल्याणकारी योजनाओं के लिए विदेशी ऋण

2633. श्री के. येरननायडू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी ऋण का उचित उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(घ) ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि को व्यय नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्राप्त ऋणों का उचित उपयोग न किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) विदेशी सहायता अधिकांशत: परियोजना से जुड़ी होती है तथा किसी भी परियोजना हेतु स्वीकृत की गई सहायता राशि का उपयोग इस परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान

किया जाता रहा है। इसके परिणामस्वरूप, किसी भी समय कुछ न कुछ राशि अप्रयुक्त पड़ी रहती है जो कि उस सहायता के जारी रहने को प्रतिबिंबित करती है जिसका परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के साथ-साथ उपयोग किया जाएगा।

पूर्वोत्तर राज्यों से आयकर संग्रहण

2634. श्री अनन्त नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में आयकर आयुक्तालय के नाम और संख्या क्या हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन राज्यों में बड़ी संख्या में लोग और कार्पोरेट कार्यालय नियमित रूप से आयकर का भुगतान नहीं करते;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों में 50 लाख से अधिक बकाया मामलों की सूची क्या है;

(घ) उनके विरुद्ध बकाये का ब्यौरा क्या है और इन बकायों की तिथि क्या है; और

(ङ) उनसे आयकर संग्रह करने के क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क)

1. आयकर आयुक्त, शिलांग
2. आयकर आयुक्त, डिब्रूगढ़
3. आयकर आयुक्त, गुवाहाटी-1, गुवाहाटी
4. आयकर आयुक्त, गुवाहाटी-2, गुवाहाटी
5. आयकर आयुक्त, जोरहाट

(ख) जिन कम्पनियों और व्यष्टियों पर आयकर लगाया जाता है, वे नियमित रूप से कर का भुगतान कर रहे हैं। तथापि, कुछ कर-निर्धारितियों से कर की बकाया राशि देय है किन्तु कुल कर-निर्धारितियों की तुलना में यह संख्या अधिक नहीं है।

(ग) और (घ) प्रत्येक 50 लाख रु. से अधिक कुल बकाया राशि वाले मामलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ)1. उचित स्तरों पर सघन निगरानी।

2. (क) न्यायालय व्यादेश को रद्द कराने, (ख) अपीलों का तुरंत निपटान कराने, (ग) परिसंपत्तियों की कुर्की के जरिए संग्रहण कराने के लिए प्रयास किए गए।

3. दोषी और फरार कर-निर्धारितियों का पता लगाना और हस्तांतरित की गई परिसंपत्तियों का निर्धारण करना।

विवरण

मुख्य आयकर आयुक्त, गुवाहाटी क्षेत्र के मामले में शीर्ष बकाया मांग

क्र.सं.	कर निर्धारिती का नाम	कर-निर्धारण वर्ष/सकल मांग (लाख रु. में)			मांग वर्ष
1	2	3			4
1.	मै. बोंगईगांव रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लि.	नि.व. 1998-99 से	:	2197.95	2000-01
		नि.व. 2000-01 तक	:	1443.02	2002-03
		कुल	:	3640.97	
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद बोरा	नि.व. 1988-89 से	:	2019.79	1999-00 से
		नि.व. 1997-98 तक			2002-03 तक
3.	अरुणाचल प्रदेश फारेस्ट कार्पोरेशन लि.	नि.व. 1988-89 से	:	1354.08	2001-02 और
		1996-97 तक			2002-03
	मेघालय प्लाईवुड लिमिटेड	नि.व. 1980-81 से	:	1151.05	1991-92 और
		1996-97 तक			2000-01

1	2	3			4
4.	मै. जी.एन.बी. एंटरप्राइजिज एंड कं.	नि.व. 1992-93	:	164.94	1999-00 और
		नि.व. 1993-94	:	384.27	2001-02
		नि.व. 1994-95	:	51.09	
		नि.व. 1995-96	:	3.51	
		कुल	:	602.81	
5.	श्री पल्लव बोरदोलोई	नि.व. 1992-93	:	385.48	1999-00 और
		नि.व. 1993-94	:	200.72	2001-02
		नि.व. 1994-95	:	10.52	
		नि.व. 1995-96	:	1.14	
		कुल	:	597.86	
6.	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पो.		:	471.50	2002-03
7.	लाल थाना जुआ	नि.व. 1997-98	:	359.96	2002-03
		नि.व. 1998-99	:	59.76	
		कुल	:	419.72	
8.	श्रीमती इन्दिरा बोरा	नि.व. 1988-89			2001-02 और
		1989-90			2002-03
		1991-92 से 1994-95 तक और 1998-99	:	343.78	
9.	असम कम्पनी लिमिटेड	नि.व. 2000-01	:	83.12	2002-03
		नि.व. 1996-97	:	108.20	
		नि.व. 1991-92	:	39.61	
		कुल	:	230.93	
10.	मै. बी.आर. ट्रेडिंग एंड केमिकल्स	नि.व. 1993-94	:	261.04	2001-02
		नि.व. 1994-95	:	60.78	
		कुल	:	321.82	
11.	मै. राजा राम ब्रदर्स (प्रा.) लि.	नि.व. 1992-93	:	4.26	1999-00 और
		नि.व. 1993-94	:	20.56	2001-02
		नि.व. 1994-95	:	185.40	
		नि.व. 1997-98	:	4.24	
		कुल	:	214.46	

1	2	3		4	
12.	मै. नेफाम केमिकल्स लैबोरेटरीज प्रा. लि.	नि.व. 1991-92	:	4.98	2001-02
		नि.व. 1992-93	:	71.07	
		नि.व. 1993-94	:	42.38	
		नि.व. 1994-95	:	79.71	
		कुल	:	198.14	
13.	इस्टर्न माइनिंग एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज	नि.व. 1993-94 से 1995-96 तक	:	190.92	2001-02
14.	मै. प्राग बोसिमी सिन्थेटिक्स लि.	नि.व. 1992-93	:	185.37	2002-03
15.	मै. राजश्री पब्लिकेशन (प्रा.) लि.	नि.व. 1992-93	:	66.89	1999-00 और
		नि.व. 1993-94	:	70.49	2001-02
		नि.व. 1997-98	:	443.03	
		कुल	:	184.41	
16.	श्री यू.एन. गोगोई	नि.व. 1992-93	:	160.44	1999-00 और
		नि.व. 1993-94	:	0.06	2002-03
		नि.व. 1994-95	:	1.01	
		नि.व. 1995-96	:	0.58	
		नि.व. 1996-97	:	0.63	
		नि.व. 1997-98	:	0.70	
		नि.व. 1998-99	:	0.60	
		नि.व. 1999-00	:	0.35	
		कुल	:	164.37	
17.	तुलसी गोगोई	नि.व. 1988-89	:	154.86	1999-2000
18.	मेहताब हुसैन	नि.व. 1988-89 से 1992-93 तक	:	145.26	2000-01
19.	आशीष कुमार डे	ब्लाक नि.	:	121.42	2002-03
20.	श्री तारा प्रसाद दास	ब्लाक अवधि 1990-91 से 1999-00 तक	:	112.84	2002-03

1	2	3		4	
21.	श्रीमती अंजुमा शेख	ब्लाक अवधि 01.4.1990 से 20.7.2000 तक	:	109.15	2002-03
22.	तिलेस्वर बरुआ	नि.व. 1988-89 से 1990-91 तक	:	101.86	2000-01
23.	श्री जियाउद्दीन अहमद	नि.व.	:	92.82	
24.	शरत भराली	नि.व. 1993-94	:	92.07	
25.	श्री अरमान शेख	ब्लाक अवधि 1990-91 से 1999-00 तक	:	856.69	2002-03
26.	मै. गंगा बानी मर्केंटाइल एंड फाइनेंस प्रा. लि.	ब्लाक नि. 1988-89 से 1998-99 तक	:	84.10	2001-02
27.	श्री जे. सरमा पाठक	नि.व.	:	81.92	
28.	किटप्लाई इंडस्ट्रीज	नि.व. 1997-98 से 1999-00 तक	:	77.43	2001-02
29.	सुनील चन्द्र डे	ब्लाक नि.	:	77.01	2002-03
30.	एलेक्जेंडर एवीट थौरोज	ब्लाक नि.	:	73.01	
31.	श्री प्रबल शेख	ब्लाक नि. 1990-91 से 1999-00 तक	:	70.97	2002-03
32.	श्री जाय गोपाल साहा	नि.व. 1990-91 से 1996-97 तक	:	68.62	2000-01 और 2001-02
33.	बोगीधोला टी कम्पनी प्रा. लि.	नि.व. 1984-85 1985-86 और 1991-92	:	67.19	
34.	असम कार्बन प्रोडक्ट्स लि.	नि.व. 2000-01	:	66.13	2002-03
35.	मै. असम गवर्नमेंट मार्केटिंग कार्पोरेशन लि.	नि.व. 1985-86	:	1.18	1988-89
		नि.व. 1989-90	:	0.40	1991-92
		नि.व. 1992-93	:	30.23	1997-98
		नि.व. 1993-94	:	19.11	1999-00
		नि.व. 1996-97	:	15.16	2002-03
		कुल	:	66.08	

1	2	3		4	
36.	श्री परिमल कांति चंद	नि.व.	:	63.34	
37.	ज्योति एंटरप्राइज	नि.व. 1992-93 और नि.व. 1994-95	:	61.34	2002-03
38.	श्री बीरेन बोरा	नि.व. 1991-92 से 1993-94 तक	:	59.68	2002-03
39.	जुगल चन्द्र सैकिया	नि.वि.	:	59.60	
40.	असम साल्वैक्स (प्रा.) लि.	नि.व. 2000-01	:	55.00	
41.	मै. मैरी लश्कर	नि.व. 1999-00 से 2001-02	:	52.95	2002-03
42.	डी जे एंटरप्राइज	नि.व. 1995-96	:	51.56	2001-02
43.	जुगल सैकिया	नि.व. 1992-93	:	51.52	2002-03

न्यायिक सुधार

2635. श्रीमती रीना चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार व्यवस्था में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने और आपराधिक एवं सिविल मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायपालिका/न्यायिक प्रक्रिया में सुधार का सुझाव देने हेतु विशेष आयोग/समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन के लिए तारीख 9 मई, 2003 को संसद में संविधान (अठानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 पुर:स्थापित किया गया है। प्रस्तावित आयोग:

(1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिशें करेगा;

(2) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की सिफारिशें करेगा;

(3) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा न्यायाधीशों के लिए आचार-संहिता तैयार करेगा;

(4) स्वविवेक से या शिकायत पर या निर्देश किए जाने पर किसी न्यायाधीश के कदाचार के मामलों या उसे हटाए जाने की अपेक्षा करने वाले मामलों से भिन्न किसी अन्य विसामान्य व्यवहार के मामलों की जांच-पड़ताल करेगा और ऐसी जांच-पड़ताल के पश्चात् भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को इस संबंध में समुचित रूप से सलाह देगा।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयकर विवरणी

2636. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तरांचल में 44,642 गैर-सरकारी संगठन और न्यास पंजीकृत हैं लेकिन उनमें से केवल 694 ने ही आयकर विवरणी दाखिल की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा शेष गैर-सरकारी संगठनों का पता लगाने और उन्हें आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए बाध्य करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। 44,642 गैर-सरकारी संगठन, न्यास इत्यादि उत्तरांचल सरकार के पास पंजीकृत हैं। सोसायटी पंजीयक, उत्तरांचल से प्राप्त सूचना के आधार पर सिर्फ 2852 गैर-सरकारी संगठन, न्यास हैं जिनमें से 935 अपनी आय-विवरणी दाखिल कर रहे हैं।

(ख) उन गैर-सरकारी संगठनों/न्यासों को नोटिस/पत्र भेजे गए हैं जिन्होंने अपनी आय-विवरणी दाखिल नहीं की है।

अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियां

2637. श्री परसुराम माझी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वे कौन से राज्य हैं जहां ऐसे अनुसंधान कार्य शुरू किए गए हैं; और

(ग) उन राज्यों में अब तक राज्य-वार कितने लोगों को/शोधकर्त्ताओं को अनुसंधान कार्य सौंपा गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों का कार्यान्वयन केन्द्रीय प्रायोजित "अनुसंधान और प्रशिक्षण" योजना के अंतर्गत किया जाता है। मंत्रालय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टी.आर.आई.) के लिए राज्य सरकारों को 50:50 की समान भागीदारी के आधार पर निधियां निर्मुक्त करता है। ये जनजातीय अनुसंधान संस्थान अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, प्रचलित कानूनों का संहिताकरण करते हैं और इन्होंने जनजातीय शिल्पों के प्रदर्शन के लिए जनजातीय संग्रहालयों का गठन किया है। यह संस्थान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को नियोजन हेतु जानकारियां/सामग्री मुहैय्या कराने के कार्य में लगे हैं।

"जनजातीय विकास के विभिन्न पक्षों में अनुसंधान शिक्षावृत्ति देने हेतु योजना" के अंतर्गत जनजातीय विकास अध्ययन में डाक्टोरल और पोस्ट डाक्टोरल पाठ्यक्रम करने वाले अनुसंधान शोधकर्त्ताओं को अनुसंधान शिक्षावृत्ति की अदायगी हेतु राज्य सरकारों को 100% अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान वाले राज्यों और डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल पाठ्यक्रमों के लिए अनुसंधान शिक्षावृत्ति देने हेतु शोधकर्त्ताओं को सौंपे गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I पर दिया गया है।

मंत्रालय 'अखिल भारतीय या अन्तर्राज्यीय प्रकृति की समर्थित परियोजना' नामक योजना के अंतर्गत अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने, संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु, गैर-सरकारी अनुसंधान संगठनों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों को 100% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

जनजातीय विकास से संबंधित हाल के कार्यों हेतु पुस्तकों के प्रकाशन के लिए लेखकों को 30,000- रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने, संगोष्ठियों/कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों की राज्य-वार संख्या और स्थिति तथा जनजातीय विकास संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान वाले राज्यों के नाम	डाक्टोरल और पोस्ट डाक्टोरल पाठ्यक्रमों हेतु अनुसंधान शिक्षावृत्ति देने के लिए अनुसंधान कार्य सौंपे गए शोधकर्त्ताओं की संख्या		
		2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	5	1

1	2	3	4	5
2.	असम	1	1	—
3.	झारखंड	—	4	—
4.	गुजरात	1	—	—
5.	केरल	1	—	—
6.	मध्य प्रदेश	6	1	—
7.	महाराष्ट्र	1	—	—
8.	मणिपुर	—	1	—
9.	उड़ीसा	9	11	7
10.	राजस्थान	4	3	1
11.	तमिलनाडु	—	—	4
12.	त्रिपुरा	—	1	—
13.	उत्तर प्रदेश	—	1	—
14.	पश्चिम बंगाल	3	3	—
15.	हिमाचल प्रदेश*	1	2	—
16.	अरुणाचल प्रदेश*	—	1	1
17.	कर्नाटक*	—	1	—
18.	जम्मू व कश्मीर*	—	—	1
19.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह**	—	—	—
	जोड़	28	35	15

*कोई जनजातीय अनुसंधान संस्थान (ज.अ.सं.) नहीं है।

**100% केन्द्रीय हिस्से के अंतर्गत जनजातीय अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर वर्ष 2002-03 में स्थापित किया गया।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000-2001						2001-2002					
		अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन		सेमिनार/कार्यशाला		जनजातीय विकास से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन		अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन		सेमिनार/कार्यशाला		जनजातीय विकास से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन	
		संगठनों की संख्या	अध्ययनों की संख्या	संगठनों की संख्या	सेमिनारों की संख्या	लेखकों की संख्या	पुस्तकों की संख्या	संगठनों की संख्या	अध्ययनों की संख्या	संगठनों की संख्या	सेमिनारों की संख्या	लेखकों की संख्या	पुस्तकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—
2.	असम	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
4.	बिहार	—	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	—
5.	झारखंड	1	1	1	1	—	—	3	8	—	1	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—
12.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	उड़ीसा	—	—	8	8	—	—	5	14	5	5	—	1@
18.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1
19.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	तमिलनाडु	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—
23.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
24.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—		—	3	4	—	—	—	—
25.	दिल्ली	—	—	2	1	—	—	8	—	1	1	1	—
	जोड़	3	3	15	15	—	—	28	47	9	9	2	2

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-2003						2003-2004					
		अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन		सेमिनार/कार्यशाला		जनजातीय विकास से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन		अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन		सेमिनार/कार्यशाला		जनजातीय विकास से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन	
		संगठनों की संख्या	अध्ययनों की संख्या	संगठनों की संख्या	संगोष्ठियों की संख्या	लेखकों की संख्या	पुस्तकों की संख्या	संगठनों की संख्या	अध्ययनों की संख्या	संगठनों की संख्या	संगोष्ठियों की संख्या	लेखकों की संख्या	पुस्तकों की संख्या
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	2	7	3	3	—	—	—	—	3	3	—	—
2.	असम	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	झारखंड	1	11	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1*@
6.	गुजरात	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	कर्नाटक	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	केरल	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	3	6	2	5	—	—	—	—	4	4	—	—
12.	छत्तीसगढ़	—	12	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
13.	महाराष्ट्र	1	4	5	5	—	—	—	—	1	1	—	—
14.	मणिपुर	1	2	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—
15.	मेघालय	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	नागालैंड	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	उड़ीसा	11	18	8	11	—	—	1	1	9	9	—	—
18.	राजस्थान	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
19.	सिक्किम	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	तमिलनाडु	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	त्रिपुरा	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22.	उत्तर प्रदेश	3	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	उत्तरांचल	2	3	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1*@
24.	पश्चिम बंगाल	4	7	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	दिल्ली	21	1	13	5	—	—	—	—	4	3	1	—
	जोड़	63	93	45	46	—	—	1	1	24	25	2	3

टिप्पणी 1. संगठन का स्थान राज्य के सामने दर्शाया गया है।

2. कुछ संगठन अपने मूल स्थान के अलावा एक से अधिक राज्यों के लिए अध्ययन/संगोष्ठियां और कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं।

3. पुस्तकें एक से अधिक राज्यों से संबंधित हैं।

4. पुस्तकों के लेखक दिल्ली निवासी हैं।

डाकघर बचत नियमों में संशोधन

2638. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारी के आश्रित पारिवारिक सदस्य के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80डी.डी. के अंतर्गत छूट उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डाकघर (बचत) नियमों में संशोधन करने का है ताकि मंद बुद्धि आश्रित के नाम पर पीपीएफ खाता खोलने के लिए माता-पिता/अभिभावकों को समर्थ बनाने हेतु प्रावधान करने का है जिससे उन्हें छूट मिल सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। किसी व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किसी विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए उपगत किसी व्यय अथवा ऐसे आश्रित के हितार्थ किसी अनुमोदित बीमा योजना के तहत अदा की गई अथवा जमा की गई किसी भी राशि के लिए आयकर अधिनियम में 50,000 रुपये की कटौती का प्रावधान है। गंभीर रूप से विकलांग व्यक्ति के मामले में, 75,000 रुपये की कटौती की अनुमति दी गई है।

(ख) से (घ) लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) योजना में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यष्टि, अपनी ओर से अथवा किसी नाबालिग की ओर से जिसका वह अभिभावक है, लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) में अंशदान कर सकता है। इन प्रावधानों में मंद बुद्धि नाबालिग की ओर से अंशदान करने से वंचित नहीं किया गया है। इस योजना में अंशदान करने की पात्रता में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एन.जी. आधारित विस्फोटकों पर प्रतिबंध

2639. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री रमेश चेन्नितला:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उग्रवादी और नक्सली समूहों द्वारा बारूदी सुरंग तैयार करने का प्रमुख स्रोत एन.जी. आधारित विस्फोटक है;

(ख) यदि हां, तो अत्यधिक प्रभावित राज्य सरकारों विशेषकर आंध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार से एन.जी. आधारित विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाने और बारूदी सुरंग के खतरों को रोकने हेतु डिले इलेक्ट्रिक डेनोनेटर और शर्ट टाइप विस्फोटक शुरू करने का निवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, हां। ऐसी सूचना है कि बारूदी सुरंगे तैयार करने के लिए एन.जी. आधारित विस्फोटक उग्रवादियों और समाज-विरोधी तत्वों की पसंदीदा सामग्री है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एन.जी. आधारित विस्फोटकों पर रोक लगाने और डिले इलेक्ट्रिक डेटोनेटरों व स्लरी टाइप विस्फोटकों की शुरूआत किए जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है, ताकि बारूदी सुरंगों के खतरों को रोका जा सके।

(ग) से (ङ) सरकार ने एन.जी. आधारित विस्फोटकों को बंद करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने सिफारिश की है कि एन.जी. आधारित विस्फोटकों को क्रमिक रूप से तीन चरणों में, अप्रैल, 2002-अप्रैल, 2006 के बीच हटाया जाए। समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और सरकार द्वारा उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के अनुसरण में सरकार ने सभी राज्य सरकारों व उपयोगकर्त्ता मंत्रालयों को सलाह दी है कि वे एन.जी. आधारित विस्फोटकों की अपनी खपत को वर्ष 2004 तक घटाकर 50% करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। सरकार ने विस्फोटक अधिनियम की धारा 6.1(क) के तहत एक अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसमें, विस्फोटक विभाग तथा जिला प्राधिकरणों द्वारा एन.जी. आधारित विस्फोटकों को रखने व उनके उपयोग हेतु नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी गई है।

डिलेड एक्शन डेटोनेटर्स (धीमी क्रिया वाले डेटोनेटरों) की शुरूआत करने के मुद्दे की जांच, हाई एनर्जी मैटिरियल रिसर्च लेबोरेटरी (एच ई एम आर एल) तथा महानिदेशक खान सुरक्षा जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों के परामर्श से की गई थी। उपभोक्ताओं की जरूरतों तथा विनिर्माण संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए डेटोनेटर्स में समय की और देरी को व्यवहार्य नहीं पाया गया।

दिल्ली आयकर कार्यालय का स्थानान्तरण

2640. डा. रमेश चंद तोमर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996 के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में वैशाली आयकर भवन की खरीद हेतु भारी धनराशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भवन के नवीकरण पर कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं और नवीनतम उपकरण आदि भी लगाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली आयकर कार्यालय के अब तक वहां स्थानांतरण में विलम्ब करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में वैशाली आयकर भवन 20.00 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। 17.52 करोड़ रुपये का भुगतान 1997 में किया गया था तथा शेष 2.48 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान 2003 में किया गया।

(ग) जी, हां। सिविल एवं वैद्युत कार्यों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अप्रैल, 1999 से फरवरी, 2003 के बीच 16.80 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) आयकर विभाग को कम्प्यूटरीकृत किये जाने का कार्य अग्रिम चरण में है। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सभी आय-विवरणियों पर ए.एस.टी. साफ्टवेयर की सहायता से कम्प्यूटर पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए तथा साफ्टवेयर के परिचालन के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के पास दिनांक 20.10.2002 को 7.85 लाख रुपए की राशि जमा की गई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विभाग का अनुवर्तन के होते हुए भी वैशाली भवन को एक लीज लाइन के माध्यम से क्षेत्रीय कम्प्यूटर के साथ दिनांक 21.11.2003 को ही जोड़ा जा सका। इस समय, स्थल निर्माण एवं टर्मिनल बैंक में कम्प्यूटर प्रणाली को प्रतिष्ठापित करने का कार्य प्रगति पर है।

अनुसूचित जनजाति योजनाओं हेतु केन्द्र का हिस्सा जारी करना

2641. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अनुसूचित जनजाति योजनाएं क्रियान्वित करने हेतु वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए केन्द्र का हिस्सा जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) केन्द्र का हिस्सा समय पर जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र का हिस्सा जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजातीय योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को केन्द्र की हिस्सा इक्विटी निर्मुक्त नहीं करता है। तथापि, जनजातीय कार्य

मंत्रालय, राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को, इक्विटी पूंजी हेतु उनकी प्रदत्त शेयर पूंजी के अधिकतम 49% अंश तक निधियां निर्मुक्त करता है।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रशासनों को निधियां निर्मुक्त करता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002

2642. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बार काउंसिल आफ इंडिया ने विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(घ) क्या आम जनता के प्रमुख व्यक्तियों की राय और विचार हासिल किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार किया गया है किंतु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेप कर

2643. श्री अम्बरीश: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खेप कर लगाने हेतु राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्यों के मध्य मतों की भिन्नता के कारण, केन्द्र सरकार ने खेप कर लगाए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

टीडीएस वापसी प्रणाली

2644. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री रामशकल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली विकसित की है कि टी.डी.एस. और अन्य अग्रिम आयकर भुगतानों की धन वापसी बिना विलम्ब और उत्पीड़न के हो सके;

(ख) यदि हां, तो नई प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वापसी के चैक कुछ अधिकारियों द्वारा ही भुना लिए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) करदाताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए सरकार ने 9999 रुपये तक प्रतिदेय के मामलों में बैंकों को एडवाइस नोट अलग से भेजने की प्रणाली को समाप्त करके प्रतिदेयों को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। नई प्रणाली में सतत कम्प्यूटर लेखन सामग्री पर प्रतिदेयों की तैयारी भी विहित की गई है ताकि प्रतिदेयों को शीघ्रता से जारी किया जा सके तथा करदाताओं की शिकायतों को कम किया जा सके।

(ग) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आयात शुल्क में कमी

2645. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार अनेक मदों के मामले में आयात शुल्क में कमी कर रही है और स्थानीय लघु और मंझोली कम्पनियों को हानि पहुंचाकर भारतीय बाजारों में इनके प्रवेश की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार स्थानीय उद्योग की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार अनेक मदों के लिए आयात शुल्कों को कम कर रही है। दरों को युक्तिसंगत बनाना और सीमाशुल्क की उच्चतम दरों को कम करना देश में आर्थिक सुधार का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और इससे भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना है। सीमा शुल्क में कमी करने से उद्योग के लिए निविष्टियों पर भी सीमाशुल्क कम हो जाता है और इस प्रकार लघु तथा मध्यम उद्योगों सहित उद्योग के लिए लागतें कम हो जाती हैं।

जहां तक घरेलू उद्योग के संरक्षण का संबंध है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क के तंत्र उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग उन परिस्थितियों में होता है जब आयातों का सामान्य से कम मूल्य पर पाटन हो रहा हो अथवा जहां आयातों में हुई वृद्धि से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो।

विश्व बैंक रिपोर्ट

2646. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की सितम्बर, 2003 में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, सफाई और विद्युत जैसी सेवाएं गरीबों की पहुंच में नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और इस संबंध में विश्व बैंक को सही तस्वीर प्रस्तुत करने हेतु कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार बैंक की इस धारणा से सहमत नहीं है। भारत सरकार अपनी प्लान स्कीमों की सेवा-सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए लगातार अपने विगत अनुभवों का सहारा लेती है ताकि गरीबों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके।

एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969

2647. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 में संशोधन का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एल.आई.सी. द्वारा अधिग्रहीत परिसर

2648. श्री अजित कुमार पांजा:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रमुख शहर-वार विद्यमान परिसरों का अधिग्रहण किस ढंग से किया था;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ऐसे परिसर भारतीय जीवन बीमा निगम को दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने उन रिक्त परिसरों पर कब्जा कर लिया है जो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सरकारी परिसर माने जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे परिसरों पर पहले से किराएदार मौजूद थे जो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सरकारी परिसर माने जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो कितने परिसर किराए वाले थे और भारतीय जीवन बीमा निगम के पास कोलकाता शहर में कितने किराएदार हैं;

(च) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने ऐसे किराएदारों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही शुरू की है और इन किराएदारों के विरुद्ध कितने मामले लंबित हैं; और

(छ) उन अधिनियमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत कानूनी कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अनुसार पूर्ववर्ती बीमाकर्त्ताओं की परिसम्पत्तियां और देयताएं 1.9.1956 से निगम में निहित कर दी गई थी। इन परिसम्पत्तियों में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ववर्ती बीमाकर्त्ताओं की सम्पत्तियां शामिल थीं और देयताओं में कर्ज, देनदारियां इत्यादि शामिल थीं। इन परिस्थितियों में एलआईसी को 18.76 करोड़ रु. के अंकित मूल्य वाली 257 सम्पत्तियां विरासत में मिली। बकाया दावों से संबंधित अनुमानित देयता संबंधी देनदारी 9.41 करोड़ रु. की थी। इसके बाद से अपनी नियमित गतिविधियों के भाग के रूप में जीवन बीमा निगम निर्मित सम्पत्ति की खरीद अथवा भूमि पर निर्माण करके सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में लगा है।

(ग) और (घ) ये सम्पत्तियां दिनांक 1.9.1956 को "जहां है, जैसी है" की शर्त पर प्राप्त हुई थीं और यह बताना असंभव है कि क्या वे (आंशिक रूप से या पूरी तरह) खाली थीं या नहीं, क्योंकि एलआईसी द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। विरासत में प्राप्त परिसरों को एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सरकारी परिसर माना जाता है।

(ङ) कोलकाता में, एलआईसी के पास विरासत में प्राप्त 47 इमारतें हैं जिनमें 644 किराएदार हैं।

(च) और (छ) सरकारी परिसर (अप्राधिकृत दखलकार को हटाना) अधिनियम, 1971 के तहत कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं और दि. 30.9.2003 की स्थिति के अनुसार कोलकाता शहर सहित पूर्वी मंडल में सम्पदा अधिकारी/विभिन्न न्यायालयों के समक्ष कुल 92 मामले लम्बित पड़े हैं।

यूरोपीय संघ के बाजारों में कृषि वस्तुओं की पहुंच

2649. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि यूरोपीय संघ की सशक्त लाबी भारत में मानकों के यूरोपीय मानक लागू करने की आड़ में कीटनाशक की प्रतिशतता के नाम पर यूरोपीय बाजारों में हमारे कृषि उत्पादों और अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों की पहुंच को कम से कम करने का प्रयास कर रही है;

(ख) क्या यूरो संबंधी इन मानदंडों से भविष्य में चीनी, गेहूं, समुद्री उत्पादों, चाय और अन्य वस्तुओं का निर्यात खतरे में पड़ जाएगा;

(ग) क्या भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के संहिता मानदंड को स्वीकार करता है और यूरो मानदंडों आदि के लिए यूरोपीय संघ अथवा यूरोपीय लाबी के किसी समूह के दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) कीटनाशक अवशिष्ट की सीमाओं सहित यूरोपीय संघ (ईयू) के स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता (एसपीएस) मानक भारत सहित सभी देशों पर लागू होते हैं। अन्य निर्यातक देशों की तरह भारत द्वारा ईयू को किए जाने वाले अपने निर्यातों के मामले में ईयू के निर्धारित मानकों को पूरा करना अपेक्षित होगा।

(ग) और (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग के सदस्य के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानकों को स्वीकार करता है। उच्चतर एसपीएस मानकों के मुद्दों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे मानक ईयू देशों को भारत के निर्यातों के लिए बाजार पहुंच में बाधाएं न बन जाएं, उन्हें यूरोपीय संघ तथा ईयू सदस्य देशों के साथ उठाया जाता है।

प्रोन्नति नीति

2650. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को अनुच्छेद 16(4क) के संवैधानिक संशोधन और दिनांक 21 जनवरी, 2002 के अनुवर्ती डी.ओ.पी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/2001-स्थापना (घ) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उक्त परिपत्र 30 जनवरी, 1997 से भूतलक्षी प्रभाव से क्रियान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

ऋणदाता के दायित्व संबंधी विधान

2651. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऋणदाता के दायित्व संबंधी विधान बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऋणदाता के दायित्व हेतु वर्तमान उचित संव्यवहार संहिता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की वैधता संबंधी मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उधारकर्त्ताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति की सूचना देनी चाहिए। पावती पर्ची में वह समय सीमा दर्शाई जानी चाहिए जिसके अन्दर दो लाख रुपए तक के ऋण आवेदनों का निपटान किया जाएगा।
- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण आवेदनों की जांच उचित समयावधि के अन्दर करनी चाहिए। यदि अतिरिक्त ब्यौरे/दस्तावेज अपेक्षित हों, तो उन्हें उधारकर्त्ताओं को तुरन्त सूचित करना चाहिए।
- यदि दो लाख रुपए तक के ऋणों का अनुरोध करने वाले लघु उधारकर्त्ताओं के ऋण आवेदन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए हों, तो उन्हें आवेदन के अस्वीकृत किए जाने के मुख्य कारण/कारणों की सूचना आवेदक को निर्धारित समय के अन्दर लिखित रूप में देनी चाहिए।
- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्त्ताओं द्वारा ऋण आवेदनों का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाए। उन्हें उधारकर्त्ता की ऋण पात्रता के संबंध में सम्यक तत्परता के प्रतिस्थापन के रूप में मार्जिन और प्रतिभूति की शर्त का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से दो लाख रुपए तक के ऋणों के संबंध में संवितरण पश्चात् पर्यवेक्षण रचनात्मक होना चाहिए ताकि उधारकर्त्ता के समक्ष आने वाली ऋणदाता से जुड़ी वास्तविक कठिनाई का ध्यान रखा जा सके।
- करार के अधीन भुगतान को वापस मांगने/या कार्यनिष्पादन में तेजी लाने या अतिरिक्त प्रतिभूतियों की मांग करने का निर्णय लेने से पूर्व, ऋणदाताओं को उधारकर्त्ताओं को ऋण करार में यथा विनिर्दिष्ट सूचना देनी चाहिए या यदि ऋण करार में ऐसी कोई शर्त विद्यमान न हो तो उचित समय प्रदान करना चाहिए।
- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण का भुगतान प्राप्त हो जाने पर या ऋण की वसूली हो जाने पर सभी प्रतिभूतियां निर्मोचित कर देनी चाहिए, जो उधारकर्त्ता के विरुद्ध किसी दावे के लिए उनके किसी विधिसम्मत अधिकार या धारणाधिकार के अध्यधीन होगा। यदि समंजन के किसी अधिकार का प्रयोग किया जाना हो, तो उधारकर्त्ताओं को बाकी दावों के बारे में पूर्ण विवरणों और उन दस्तावेजों के साथ सूचना दी जानी चाहिए, जिनके अधीन ऋणदाता दावे का निपटान/भुगतान होने तक प्रतिभूतियों को अपने पास रखने के हकदार हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक पीठ द्वारा की जा रही है।

मोरपैन लेबोरेट्रीज लिमिटेड द्वारा संग्रहीत धन

2652. डा. बलिराम: क्या **वित्त मंत्री** मोरपैन लेबोरेट्रीज लिमिटेड द्वारा संग्रहीत धन के बारे में 22.8.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3867 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना के कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) जी, नहीं। सूचना संबंधित अभिकरणों से प्रतीक्षित है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र को ऋण

2653. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में मोटर वाहनों के समान निबंधन और शर्तों पर ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए कृषि क्षेत्र को ऋण देने के मुद्दे पर कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपस्करों में अधिकतम संभव छूट प्राप्त करने के लिए मैसर्स ट्रैक्टर एंड फार्म एक्विपमेंट्स मैन्यूफैक्चरर्स लि., मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि., मैसर्स एक्कोर्टस लि. तथा कुछ अन्यों के साथ समझौता किया है, ताकि ट्रैक्टर आदि की खरीद के लिए ऋण लेने वाले किसानों को यह लाभ मिल जाए। बाद में, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने अपने सदस्य बैंकों को सलाह दी कि वे फार्म उपस्कर विनिर्माताओं के साथ ऐसा ही समझौता करें, ताकि किसान बैंकों द्वारा मंजूर ऋणों से छूट प्राप्त कीमत पर इन्हें खरीद सकें।

भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक की प्रोन्नति

2654. श्री हरपाल सिंह साथी:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक की उच्च श्रेणी सहायक पद पर प्रोन्नति में पक्षपात और भाई-भतीजावाद के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक उच्च श्रेणी सहायक पद पर प्रोन्नति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की जाती है;

(ग) क्या सरकार/भारतीय जीवन बीमा निगम को साक्षात्कार की प्रथा समाप्त करने और सहायक की उच्च श्रेणी सहायक श्रेणी पद पर प्रोन्नति हेतु लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, शैक्षिक अर्हताओं और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्राप्त श्रेणी के आधार पर करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्हें कर्मचारियों से पदोन्नति न किए जाने के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) पांच वर्ष की सेवा सहायकों को या तो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है अथवा निर्धारित तकनीकी अर्हताएं प्राप्त करनी पड़ती हैं। अंतिम चरण प्रक्रिया में साक्षात्कार भी शामिल होता है।

(ग) जीवन बीमा निगम को सुझाव प्राप्त हुए हैं कि साक्षात्कार प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। जीवन बीमा निगम ने प्रस्ताव की जांच की है लेकिन वर्तमान प्रणाली को परिवर्तित करना वांछनीय नहीं समझा गया है।

(घ) जीवन बीमा निगम के पदोन्नति नियम सर्वत्र रूप से स्वीकार किए गए सिद्धान्तों पर आधारित हैं जिनमें योग्यता, वरिष्ठता, कार्यानुभव और व्यक्तित्व जांच जैसे विभिन्न कारकों पर यथोचित महत्व दिया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष औद्योगिक नीति

2655. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तरी भारत में कुछ अन्य राज्यों में विशेष औद्योगिक पैकेज देने से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम को हानि हुई है जिसका पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष औद्योगिक नीति पर गम्भीर रूप से असर पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के औद्योगिक और आर्थिक विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर के लिए अधिसूचित प्रोत्साहन पैकेजों में आयकर तथा उत्पाद शुल्क से छूट शामिल है, और इसमें पूंजी निवेश राजसहायता,

ब्याज राजसहायता तथा निवेश की गयी पूंजी पर 100 प्रतिशत बीमा भुगतान का प्रावधान है।

तथापि, उद्योगों के संवर्धन के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों हेतु अधिसूचित रियायती पैकेज के अंतर्गत आयकर से छूट, उत्पाद शुल्क में पूर्ण रूप से छूट तथा पूंजी निवेश राजसहायता के रूप में रियायतें/प्रोत्साहन दिए गए हैं। अत: हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के लिए पैकेज की अंतर्वस्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए दी गयी रियायतों की तुलना में काफी कम है।

सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक नीति अधिसूचना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन आरंभ किया है।

(ख) सरकार ने हाल ही में गुवाहाटी/छायगांव-पटगांव में 25 करोड़ रुपये की लागत से विकास केन्द्र मंजूर किया है जिसका उद्देश्य उद्योगों को सहारा देने के लिए अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार, सरकार ने सिक्किम राज्य के लिए भी अवसंरचना सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकास केन्द्र मंजूर किया है, केन्द्र सरकार इन विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए प्रत्येक को अनुदान के रूप में 15 करोड़ रुपये का योगदान देगी। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान परिवहन राजसहायता सहित जारी की गयी निधियों का विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले 5 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) में जारी की गयी निधियां

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	परिवहन राजसहायता योजना, 1971	केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 1997	केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 1997	केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 1997	विकास केन्द्र योजना, 1988
1998-99	30.03	—	—	—	5.48
1999-2000	35.32	—	—	—	8.00
2000-01	42.52*	2.00*	—	0.10#	9.95
2001-02	66.53 (65.83*+ 0.70**)	5.10*	1.25*	—	5.25
2002-03	94.97*	17.20*	2.00*	0.80#	19.00
कुल	269.37	24.30	3.25	0.90	47.68

*पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (एनईडीएफआई) को जारी की गयी निधियां।
**सिक्किम को जारी की गयी निधियां।
#राष्ट्रीय बीमा कंपनी को जारी की गयी निधियां।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु आवासीय स्कूल

2656. श्रीमती रानी नराह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास प्रत्येक राज्य में विशेषकर असम राज्य में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवासीय स्कूलों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छठी से बारहवीं कक्षा के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए असम सहित जनजातीय आबादी वाले राज्यों में 84 एकलव्य आदर्श आवासीय

स्कूलों की स्थापना के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्तियां की हैं। राज्यवार स्कूलों की संख्या और निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	स्कूलों की संख्या	निर्मुक्त कुल धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	6	17.70
2.	असम	2	2.00
3.	बिहार/झारखंड	4	10.00
4.	गुजरात	6	12.00
5.	हिमाचल प्रदेश	1	1.00
6.	जम्मू व कश्मीर	1	1.00
7.	कर्नाटक	3	8.0537
8.	केरल	2	4.20
9.	मध्य प्रदेश	9	17.0963
10.	महाराष्ट्र	4	4.00
11.	मणिपुर	3	6.25
12.	उड़ीसा	10	14.40
13.	राजस्थान	7	17.50
14.	सिक्किम	1	2.50
15.	तमिलनाडु	1	2.95
16.	त्रिपुरा	3	7.50
17.	उत्तर प्रदेश	1	2.50
18.	पश्चिम बंगाल	5	6.50
19.	अरुणाचल प्रदेश	1	1.00
20.	मेघालय	2	2.00
21.	मिजोरम	1	1.00
22.	नागालैंड	3	7.50
23.	छत्तीसगढ़	8	10.85
	कुल योग	84	159.50

पी.एच.सी.एस. का निर्माण

2657. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने कर्नाटक में पी.एच.सी. के निर्माण को सहायता देने हेतु रुचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो नाबार्ड की सहायता से कर्नाटक में कितने पी.एच.सी. निर्मित किए जाएंगे; और

(ग) नाबार्ड ने इस प्रयोजन के लिए कर्नाटक को कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कर्नाटक में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	आरआईडीएफ श्रृंखला	स्वीकृत प्राथमिक सेवा केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत निधियां (करोड़ रुपए)
2001-02	आरआईडीएफ-VII	1667	21.85
2002-03	आरआईडीएफ-VIII	94	19.78

काफी की खपत

2658. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या देश में काफी की घरेलू खपत को बढ़ाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या काफी की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए इसकी बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए वर्ष 2003-04 के दौरान विशेषकर कर्नाटक राज्य में कितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) काफी की घरेलू खपत को प्रोन्नत करने/बढ़ाने के लिए काफी बोर्ड 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहले ही एक योजना स्कीम अर्थात् काफी की घरेलू खपत के संवर्धन के

एकमात्र घटक से बाजार विकास कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत बोर्ड कई पहल कर रहा है जैसे:-

* महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सवों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।
* देश में संभावित स्थानों पर काफी उत्सव आयोजित करना।
* जनसंपर्क अभियानों के जरिए उद्यमशील व्यापक संवर्धन प्रयास।
* भिन्न-भिन्न स्थानों पर ''काफी शास्त्र'' पाठ्यक्रम आयोजित करके काफी की रोस्टिंग और ब्रीविंग के संबंध में गहन प्रशिक्षण प्रदान करना।
* देश में काफी की खपत की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए वार्षिक घरेलू बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण करना।

देश में काफी की खपत बढ़ाने के लिए बोर्ड ने 10वीं योजना अवधि के दौरान 14.10 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है जिसमें से 2 करोड़ रुपए चालू वर्ष के लिए निर्धारित किए गए हैं। काफी की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

बैंकों के सार्वजनिक निर्गम

2659. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों का बैंक-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने विगत तीन वर्षों में अपना सार्वजनिक निर्गम जारी किया;

(ख) क्या यह सभी निर्गम का अतिपूर्वक्रय हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कौन-कौन से अन्य बैंक निकट भविष्य में शेयर बाजार में अपने सार्वजनिक निर्गम लाने वाले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों ने वर्ष 2001, 2002 और 2003 को समाप्त वर्ष (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान अपने शेयरों के सार्वजनिक निर्गम जारी किए हैं। ये सभी निर्गम अत्यभिदत्त थे। बैंक-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	बैंक का नाम	गुणा (बाई टाइम्स) अत्यभिदत्त
1.	आंध्रा बैंक	2.56
2.	पंजाब नैशनल बैंक	4.28
3.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	5.06
4.	केनरा बैंक	1.83
5.	इलाहाबाद बैंक	3.55
6.	यूको बैंक	17.04
7.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6.00
8.	विजया बैंक	17.06

(घ) सरकार को बैंक आफ महाराष्ट्र, देना बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक नामक तीन बैंकों से सार्वजनिक निर्गम के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

गुजरात में सहकारी बैंक

2660. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के कई सहकारी बैंक निवेशकों की जमाराशि को लौटाने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश मामलों में, बीमा कम्पनियों ने सरकारी बैंकों को धन उपलब्ध कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में कितने जमाकर्त्ताओं को उपर्युक्त अवधि के दौरान बीमा कम्पनियों के माध्यम से धन अदा किया गया; और

(ङ) सरकार ने लघु निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में निजी बैंक

2661. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
डा. महेन्द्र सिंह पाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र में कितने बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में निजी बैंकों की स्थापना के कितने प्रस्ताव मंत्रालय के पास लम्बित हैं; और

(ग) इस बारे में अनुमति देने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) महाराष्ट्र राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र के 28 बैंक कार्यरत हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना करने के प्रस्तावों पर विचार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2002 में दो आवेदकों को सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान किया है और नए बैंकों के लिए नए आवेदनों पर उस तारीख से तीन वर्ष के बाद विचार करेगा।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश से संबंधित मार्ग निर्देशों का सारांश निम्नानुसार है:

- 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी।
- उसके परिचालन के प्रारंभ से निरंतर आधार पर 10 प्रतिशत का न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस उन बैंकों को जारी किए जाएंगे, जिनके द्वारा ग्राहक सेवा और कार्यक्षमता के सर्वोत्तम मानदंडों को पूरा किए जाने की संभावना है और जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या दो या तीन सर्वोत्तम स्वीकार्य प्रस्तावों तक सीमित होगी।
- दो आवेदकों को 'सिद्धान्त रूप में' अनुमोदन प्रदान करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जनवरी, 2002 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों के लिए नए आवेदन मंगाने पर उस तारीख से तीन वर्ष के बाद और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण की आगे समीक्षा करने के बाद विचार करेगा। एक बैंक ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

राजकोषीय जिम्मेदारी संबंधी विधि

2662. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन राज्यों ने राजकोषीय दायित्व कानून बनाया और लागू किया है और उन्होंने उसे किस तारीख से लागू किया है;

(ख) किन राज्यों ने शून्य राजस्व-घाटा प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है और उनके द्वारा अभी तक कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व घाटा अनुपात के लिए कोई सतत सीमा तय की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को राज्य घरेलू उत्पादों को संकल्पना और उनके माप के संबंध में खामियों की जानकारी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) खामियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (छ) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित राज्यों में राजकोषीय दायित्व विधान को अधिनियमित कर दिया है: (1) कर्नाटक (28 सितम्बर, 2003 से), (2) पंजाब (5 मई, 2003 से) (3) तमिलनाडु (19 मई, 2003 से) (4) केरल (17 सितम्बर, 2003 से)।

(ख) राजस्व घाटे के बारे में निर्धारित लक्ष्यों से संबद्ध राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

मद/राज्य	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	पंजाब
राजस्व घाटा	वर्ष 2006 तक शून्य	वर्ष 2007 तक शून्य	राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात वर्ष 2007 तक 5 प्रतिशत से नीचे	राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटा कम से कम 5 प्रतिशतांक तक घटाना जब तक कि राजस्व संतुलन प्राप्त नहीं कर लिया जाता।

(ग) और (घ) राज्य राजकोषीय सुविधा (2000-01 से 2004-05) के अंतर्गत, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे वर्ष 1999-2000 की समाप्ति के बाद वर्ष 2000-2001 के प्रारंभ से वार्षिक तौर पर कुल राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में अपने राजस्व घाटे में 5 प्रतिशतांक तक सुधार लाएं। विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों के संबंध में लक्षित सुधार को वर्ष 2002-2003 के भावी प्रभाव से 2 प्रतिशतांक तक संशोधित किया गया है।

(ङ) से (छ) सरकार राज्य घरेलू उत्पाद के मापन के संबंध में समय-समय पर गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों का अनुसरण करती है। क्षेत्रीय लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार, राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने हेतु आय सृजित दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

[हिन्दी]

एलआईसी में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

2663. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम में कई कर्मचारी वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अस्सी के दशक, नब्बे के दशक और वर्ष 2002 से 2003 के दौरान कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अब तक कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह नीति किस तिथि को तैयार की गई थी; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि जब कभी भी आकस्मिक जरूरतें पड़ती हैं तो व्यक्तियों को दिहाड़ी/तदर्थ/अस्थायी आधार पर कार्य पर लगाया जाता है। उनकी सेवाएं दैनिक कार्य पूरा होने के तत्काल पश्चात् समाप्त हो जाती हैं।

(ख) निगम के लिए कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगियों की वास्तविक संख्या किसी विशेष समय पर कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप घटती-बढ़ती रहती है। अत: यह संख्या अस्थिर प्रकृति की होती है, इसलिए वास्तविक संख्या निश्चित नहीं की जा सकती।

(ग) भारतीय जीवन निगम (कर्मचारी) विनियम, 1960, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48(2)(गग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम माने जाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियम, 1960 का विनियम 8 निम्न प्रकार है:-

8(1) इन विनियमों में किसी भी बात के समाविष्ट होते हुए भी कोई भी प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक (कार्मिक), अंचल प्रबंधक अथवा मंडल प्रबंधक अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अंतर्गत अस्थायी आधार पर श्रेणी-3 और श्रेणी-4 में कर्मचारी नियोजित कर सकता है।

8(2) उप विनियम (1) के अंतर्गत नियुक्त कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से नियुक्त किए जाने मात्र से ही निगम की सेवा में समाविष्ट किए जाने के लिए और किसी पद पर भर्ती के लिए अपना दावा पेश करने का अधिकारी नहीं होगा। अत: इस प्रकार के दैनिक वेतन भोगियों को नियमित नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बैंक में धोखाधड़ी

2664. डा. बी.बी. रमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्पोरेशन बैंक की करोल बाग शाखा से सितम्बर, 2003 के प्रथम सप्ताह में बड़ी धनराशि रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब पाई गई;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई जांच का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान बैंक धोखाधड़ी के ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें बैंकों के कर्मचारी संलिप्त पाये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता चला है और कितने बैंक कर्मचारियों को दोषी पाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) कारपोरेशन बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 2.9.2003 को जब महिपालपुर स्थित उनकी बैंक शाखा को धन के विप्रेषण की व्यवस्था की जा रही थी, तो 20 लाख रुपए वाली एक नकदी पेटिका गायब पाई गई। बैंक ने उसी दिन करोल बाग पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करवायी थी। बैंक ने इस संबंध में एक विभागीय जांच भी शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी के कुछ मामलों में अपने कर्मचारियों के शामिल होने की सूचना दी है। धोखाधड़ी से संबंधित वर्तमान सूचना प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी के मामलों की संख्या से संबंधित सूचना एकत्रित करने की अनुमति नहीं देती है जिसमें बैंक कर्मचारी लिप्त थे। तथापि, वर्ष 2002 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 119 कर्मचारियों को दोषी ठहराया है, 1491 कर्मचारियों को भारी/छोटा दंड दिया है, जिनमें से 424 कर्मचारियों को धोखाधड़ी के मामलों में उनके शामिल होने के कारण बर्खास्त/सेवा मुक्त/निष्कासित कर दिया गया था।

आईसीआईसीआई बैंक की शेयरधारिता

2665. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आईसीआईसीआई बैंक की साउथ इंडियन बैंक और फेडरल बैंक में आज की तिथि में कितनी शेयरधारिता है;

(ख) क्या आईसीआईसीआई बैंक ने इस शेयरधारिता को बेचने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकार का आईसीआईसीआई की शेयरधारिता खरीदने के लिए इंडियन बैंक/फेडरल बैंक का प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) आईसीआईसीआई बैंक ने अगस्त 2003 के दौरान फेडरल बैंक लि. के 2,00,000 शेयरों को बेचा था। बैंकों ने विगत एक वर्ष में साउथ इंडियन बैंक का कोई भी शेयर नहीं बेचा है। 19 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार, आईसीआईसीआई बैंक लि. की फेडरल बैंक लि. में 20.40 प्रतिशत (45,32,400 इक्विटी शेयर) एवं साउथ इंडियन बैंक लि. में 11.40 प्रतिशत शेयर धारिता (40,73,350 इक्विटी शेयर) हैं। आईसीआईसीआई बैंक के अनुसार ये निवेश वित्तीय निवेश होने के कारण, शेयरों की बिक्री/खरीद से संबंधित किसी प्रकार का निर्णय बैंक की निवेश समिति/निदेशक मंडल द्वारा लिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों हेतु बीमा और विपणन योजनाएं

2666. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हथकरघा बुनकरों के लिए बीमा योजना आरंभ करने का है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें उक्त योजना में योगदान करेंगी;

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है और बुनकरों को उपर्युक्त योजना से कितना लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं;

(ङ) विपणन/क्रय किन-किन राज्यों में खोले जाएंगे और हथकरघा क्षेत्र के सम्मुख उपस्थित समस्याओं के निवारण और विद्यमान योजनाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार अपने प्रयासों में कितनी सफल रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी हां, भारत सरकार का बुनकर बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव है जो हथकरघा बुनकरों के नेचुरल एवं आकस्मिक मृत्यु के मामले में व्यापक बीमा कवरेज दिलवाने के उद्देश्य से जनश्री बीमा योजना एवं समूह बीमा योजना संबंधी एड एक संयोजन के रूप में है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा योजना के सहयोग से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है।

जनश्री बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम, भारतीय जीवन बीमा निगम, केन्द्रीय सरकार एवं बुनकरों तथा समूह बीमा योजना संबंधी एड प्रिमियम के मामले में भारत सरकार एवं बुनकरों के बीच बराबर-बराबर शेयर किया जाता है।

बुनकर बीमा योजना के तहत निधियन पैटर्न एवं लाभ का विवरण नीचे दिया गया है-

मद	लाभ (आश्वासित राशि)		प्रीमियम/अंशदान	
जनश्री बीमा योजना	नेचुरल मृत्यु	रु. 20000/-	जी.बी.नि. का अंशदान	रु. 100/-
	दुर्घटना के कारण मृत्यु	रु. 50,000/-	बुनकरों का अंशदान	रु. 40/-
	दुर्घटना के कारण कुल स्थायी अपंगता	रु. 50,000/-	भारत सरकार का अंशदान	रु. 60/-
	दुर्घटना में 2 आंखें या 2 अंग या 1 आंख और 1 अंग की क्षति	रु. 50,000/-	कुल प्रीमियम	रु. 200/-
	दुर्घटना में 1 आंख या 1 अंग की क्षति	रु. 25,000/-		
समूह बीमा योजना संबंधी एड	नेचुरल तथा आकस्मिक मृत्यु के लिए	रु. 30,000/-	बुनकरों का अंशदान	रु. 90/-
			भारत सरकार का अंशदान	रु. 90/-
			कुल प्रीमियम	रु. 180/-
बुनकर बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना + समूह बीमा योजना संबंधी एड)	नेचुरल मृत्यु	रु. 50,000/-	जी.बी.नि. का अंशदान	रु. 100/-
	आकस्मिक मृत्यु	रु. 80,000/-	बुनकरों का अंशदान	रु. 130/-
			भारत सरकार का अंशदान	रु. 150/-
			कुल प्रीमियम	रु. 380/-

अतिरिक्त लाभ

जनश्री बीमा योजना के तहत अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी जो इसके अंतर्गत शामिल होंगे। प्रति तिमाही में प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 300 रु. की छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को अधिकतम चार वर्ष के लिए दी जाएगी जो 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे हों या जब तक वे 12वीं कक्षा पूर्ण करते हों, इनमें से जो भी पहले हो।

(घ) बुनकरों, डिजाइनरों एवं रंगरेजों को प्रशिक्षण देने के लिए, जो हथकरघा उद्योग से संबंधित बुनाई तकनीक, डिजाइन विकास एवं रंगाई तकनीक में लगे हुए हैं, उनके लिए पूरे देश में 24 बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान उक्त योजना के तहत 5550 बुनकरों ने प्रशिक्षण में भाग लिया था। वर्ष

2003-04 के दौरान बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा 6000 बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए मंजूरी दी गई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक लाख बुनकरों के कौशल उन्नयन किए जाने की घोषणा की थी। इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक योजना अर्थात्, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, को दिसम्बर, 2003 में अनुमोदित किया गया है।

(ङ) और (च) सात विपणन परिसर हैदराबाद, इन्दौर, कानपुर, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद एवं नवी मुम्बई में स्थापित किए गए हैं। दो अन्य विपणन परिसर लखनऊ एवं नई दिल्ली में स्थापित करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं। भारत सरकार, हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास एवं हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए पहले से ही विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। वे निम्नवत हैं:-

1. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम
3. मिल गेट कीमत योजना
4. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना
5. कार्यशाला-सह-आवास योजना
6. बुनकर कल्याण योजना
7. हथकरघा निर्यात योजना
8. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

वर्ष 2002-03 में उपर्युक्त योजनाओं के तहत भारत सरकार द्वारा 130.83 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। उपर्युक्त योजनाओं के लिए बजट 2003-2004 में 156.77 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

[अनुवाद]

सेवाकर अपवंचन

2667. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त दिल्ली को ड्यूसाफ्ट ओवरसीज प्राइवेट लि. द्वारा करोड़ों रुपए के कर अपवंचन के मामले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राजस्व की वसूली के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ग) क्या आनलाइन सूचना और पुनर्प्राप्ति सेवाओं में लगी कुछ अन्य कम्पनियों द्वारा पड़े पैमाने पर सेवा कर अपवंचन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इनकी जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स ड्यूसाफ्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3 करोड़ रुपये के सेवा कर अपवंचन के मामले का पता चला है। पार्टी ने 1,11,36,840 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है।

(ग) से (च) मैसर्स ड्यूसाफ्ट द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित कर दी गई है। आनलाइन सूचना और पुनर्प्राप्ति सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध लगभग 22.34 लाख रुपये की राशि के 5 मामलों का पता चला है।

कर वसूलना

2668. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग एक हजार निजी बैंकिंग कम्पनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की लेखा परीक्षा के दौरान परीक्षण जांच में सांविधिक उपबंधों का पालन न करने की गंभीर अनियमितताओं का पता चला है जिसके परिणामस्वरूप 1,04,177.18 लाख रुपए की कम कर राशि वसूली गई;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनसे कर राशि को वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) 15 मार्च, 2002 को संसद में प्रस्तुत की गयी वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट सं. 12क में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सांविधिक उपबन्धों को लागू करने में असफल रहने के कारण कतिपय अनियमितताओं का उल्लेख किया है जिसके कारण 1587 मामलों में कथित रूप से 1,04,177.18 लाख रुपए का कम शुल्क लगाया गया था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने दिनांक 7.8.1995 के अनुदेश संख्या 1928 के तहत देश में सभी आयकर आयुक्तालयों में कार्य कर रहे कर निर्धारण अधिकारियों को निदेश दिया है कि वे राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों संबंधी सभी मामलों में परिशोधनकारी उपायों सहित निरपवाद रूप से उपचारात्मक कार्रवाई भी अवश्य आरम्भ करें भले ही विभाग द्वारा राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का निपटारा करने के लिए, क्षेत्रीय इकाइयों को अब मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने के अनुदेश दे दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा मामले की और आगे जांच करने एवं मौखिक साक्ष्य हेतु निजी बैंकिंग कम्पनियों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की इस पुनरीक्षा का संसद की लोक लेखा समिति द्वारा चयन किया गया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा राजस्व विभाग द्वारा लोक सभा सचिवालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पहले ही से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है।

[हिन्दी]

लोक अदालतें

2669. श्री सुरेश कुरूप: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में लोक अदालतों को वैकल्पिक विवाद समाधान मंच के रूप में शक्तिशाली बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) लोक अदालतों को वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए मंच के रूप में सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को मुकदमापूर्व सुलह और समझौते के लिए तंत्र का उपबंध करने हेतु 11.06.2002 को विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित किया गया है।

संशोधित अधिनियम परिवहन सेवा, डाक, संचार आदि जैसी लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों की बाबत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए अनुबंध करता है। संशोधित अधिनियम के अधीन, लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित किसी विवाद के किसी पक्षकार को अधिनियम के अधीन स्थापित की जाने वाली स्थायी लोक अदालत में आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। ऐसी स्थायी लोक अदालतों में विषयों का विनिश्चय करने और एक बाध्यकारी पंचाट पारित करने के लिए, जिसे किसी सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाएगा और जो अंतिम होगा, अधिकारिता की शक्तियां निहित की गयी हैं।

[अनुवाद]

वृक्षारोपण कंपनियां

2670. श्री शिवाजी माने:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुत सी कृषि वृक्षारोपण कंपनियां अस्तित्व में आई हैं जो छोटे निवेशकों को सर्वाधिक आकर्षक लाभांश का वचन देकर निवेशकों से भारी धनराशि संग्रहीत कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी कंपनियों सरकार द्वारा पंजीकृत हैं और आज की तिथि तक उनकी जमाराशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इनमें से अधिकांश कंपनियां फर्जी हैं और उनके पोस्ट डेटिड चैक बाऊंस हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी फर्जी कंपनियों से निवेशकों की धनराशि दिलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) संचयी निवेश योजना (सीआईएस) निकायों द्वारा सेबी को दी गई सूचना/सीआईएस निकायों द्वारा पंजीकरण हेतु सेबी को किए गए आवेदन/निवेशकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर सेबी के पास 664 निकायों के संबंध में जानकारी है जिन्होंने प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 3518 करोड़ रुपए जुटाए थे।

(घ) कुल 563 निकायों/उनके संबंधित पदाधिकारियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार में प्रचालन करने से तथा/अथवा पूंजी बाजार में प्रवेश करने से विवर्जित कर दिया गया है। इन मामलों को धोखाधड़ी, धोखा, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन तथा सार्वजनिक निधि के दुर्विनियोजन के स्पष्ट अपराधों के लिए

उनके विरुद्ध सिविल/आपराधिक कार्यवाहियां शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। सेबी ने 206 निकायों तथा उनके निदेशकों के विरुद्ध अपने निवेशकों को पुनर्भुगतान हेतु अपनी संचीय निवेश योजनाओं को परिसमाप्त करने में असफल रहने के लिए आपराधिक अभियोजन शुरू किया है। 51 चूककर्त्ता सीआईएस निकायों के मामले में, सेबी ने पुलिस प्राधिकारियों से उक्त निकायों तथा/अथवा उनके संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया है।

मिलों के आधुनिकीकरण के लिए पैकेज

2671. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश की बुनाई मिलों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ कोई पैकेज घोषित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) देश के बुनाई उद्योगों सहित समग्र वस्त्र और पटसन उद्योगों का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की है जो 1 अप्रैल, 1999 से लागू है। इस योजना में योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर ऋणदात्री एजेंसी द्वारा लगाए गए ब्याज पर 5% बिंदु की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए दिनांक 6.11.2003 से विद्युतकरघा और प्रारंभिक बुनाई मशीनों के लिए अपफ्रंट 20% की पूंजी सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति दी गई है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त सभी सहकारी बैंकों और अन्य वास्तविक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को शामिल कर ऋण नेटवर्क में और विस्तार किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कंपनियों की शाखाएं

2672. श्री बी. वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी निजी जीवन बीमा कंपनियों को ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी बीमा कंपनियां इस संबंध में अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन कंपनियों के विरुद्ध जो अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाई हैं, क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि हमारे देश में कार्यरत निजी जीवन बीमा कंपनियों के लिए ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित करना अनिवार्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आईआरडीए ने नोट किया है कि मेटलाईफ इंश्योरेंस कंपनी तथा एविवा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी नामक दो निजी बीमा कंपनियां इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई हैं। मेटलाईफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सामाजिक क्षेत्र में तथा एविवा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ग्रामीण एवम् सामाजिक दोनों क्षेत्रों संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमियां हैं। आईआरडीए ने आवश्यक अनुदेश जारी करके इन कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान उक्त कमियों को पूरा कर लेने को कहा है।

भारतीय रुपए की क्रय शक्ति

2673. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री मान सिंह पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रुपए की क्रय शक्ति में विगत कुछ वर्षों से लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 में रुपए का औसत मूल्य वर्ष 1991-92 और वर्ष 1997-98 और 2002-2003 में रुपए के औसत मूल्य के मुकाबले कितना था;

(ग) क्या देश के विभिन्न शहरों में रुपए की क्रय शक्ति में पर्याप्त अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2002-2003 में राज्यवार रुपए की क्रय शक्ति कितनी थी; और

(ङ) देश के विभिन्न राज्यों में रुपए की क्रय शक्ति में अन्तर के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रम (रेसीप्रोकल) द्वारा यथा मापित भारतीय रुपए की क्रय शक्ति में कई वर्षों से गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

वर्ष 1980-81 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 1991-92, 1997-98 और 2002-2003 में रुपए का औसत मूल्य निम्नानुसार था:

वर्ष	रुपए का मूल्य (पैसे में)
1991-92	36.99
1997-98	22.13
2002-2003	16.80

(ग) से (ङ) उपभोग की भिन्न पद्धति और राज्यों के मूल्यों में विभिन्नता होने की वजह से राज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में भी अन्तर होने के कारण विभिन्न शहरों और राज्यों में रुपए के मूल्य में अन्तर होता है। (नीचे की सारणी देखें)

वर्ष 2002-03 के दौरान, चुनिंदा केन्द्रों में पैसे में रुपए का मूल्य राज्य-वार निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्र/शहर	पैसे में रुपए के मूल्य (1982 = 100)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	21.12
2.	असम	गुवाहाटी	20.70
3.	बिहार	मुंगेर जमालपुर	22.77
4.	छत्तीसगढ़	भिलाई	23.81
5.	गुजरात	अहमदाबाद	20.84
6.	हरियाणा	फरीदाबाद	20.63
7.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	18.14
8.	झारखण्ड	जमशेदपुर	22.86
9.	कर्नाटक	बंगलौर	21.89
10.	केरल	आलुवई	20.72
11.	मध्य प्रदेश	भोपाल	19.56
12.	महाराष्ट्र	मुम्बई	17.71
13.	उड़ीसा	राउरकेला	23.89
14.	पंजाब	अमृतसर	23.72
15.	राजस्थान	जयपुर	22.44
16.	तमिलनाडु	चेनै	19.27
17.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	21.70
18.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	24.83
19.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	19.42
20.	दिल्ली	दिल्ली	17.97
21.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	19.23
	अखिल भारत		20.76

[हिन्दी]

बैंकों में ओम्बड्समैन

2674. श्री राम टहल चौधरी:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक ग्राहकों की शिकायतों को निपटाने के लिए ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो ओम्बड्समैन को पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने बैंक पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों के बावजूद भी ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान ओम्बड्समैन द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा उस पर की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:

	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
1.	प्राप्त शिकायतें	6978*	7022*	6506*
2.	इनमें से कार्रवाई की जाने योग्य शिकायतें	4246	4618	4374
3.	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3131	3511	3078

*इनमें पिछले वर्ष की लंबित शिकायतें शामिल हैं।

(ग) योजना में भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है अत: भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

(घ) और (ङ) बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्रता से सस्ता समाधान करने के लिए बनी है तथा सामान्यतया बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय द्वारा बिना विलम्ब के शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

आयकर अपीलीय अधिकरण

2675. श्री उत्तमराव पाटील:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में आयकर अपीलीय अधिकरण की और अधिक शाखाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय आई.टी.ए.टी. की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं, और प्रत्येक अधिकरण में कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) अधिकरणों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 9 दिसंबर, 2003 को आयकर अपील अधिकरण की 10 स्थायी न्यायपीठें और 20 अस्थायी न्यायपीठें मंजूर की हैं।

(ग) इस समय देश में 53 न्यायपीठें कार्य कर रही हैं और 1.12.2003 को प्रत्येक न्यायपीठ (अधिकरण) में लंबित मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) ऐसे मामलों, जिनमें एक समान विवाद्यक अंर्तग्रस्त हैं, को समूहबद्ध करने, लघु मामलों और उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/आयकर अपील अधिकरण के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की, बिना बारी शीघ्र सुनवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बार से भी आयकर अपील अधिकरण द्वारा ऐसे सभी मामलों को, जिनकी विषय-वस्तु के संबंध में विनिश्चय किया जा चुका है, शीघ्र सुनवाई के लिए उनकी जानकारी में लाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, तलाशी और अधिग्रहण तथा धारा 263 के अधीन अपीलों को निपटाए जाने में भी पूर्विकता दी जा रही है। एकल आसीन सदस्य द्वारा सुनवाई की जाने वाली अपीलों के लिए धनीय सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने से भी ऐसे लंबित अपीलों की संख्या में कमी का रुख दिखाई दे रहा है। आयकर अधिनियम की धारा 260क के संशोधन से भी लंबित अपीलों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि आयकर अपील अधिकरण को कोई पुनरीक्षित आवेदन नहीं किया जाता है।

एकल न्यायपीठ के समक्ष लंबित मामलों को निपटाने के लिए, ऐसे मामलों को अधिक सदस्यों वाली न्यायपीठों के समक्ष भेजकर, जिनको खंड न्यायपीठ के मामलों के अतिरिक्त ऐसे मामलों को नियमित रूप से निपटाने की शक्ति थी, आवश्यक उपाय किए गए थे। ऐसी न्यायपीठों को, जिनमें ऐसे लंबित मामलों

की संख्या अत्यधिक थी, एस.एम.सी. पावर को निपटाने के लिए 17.03.2003 से 4.4.2003 तक विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए गए थे और इससे ऐसी लंबित अपीलों की संख्या में कमी लाने में सहायता मिली है।

विवरण

क्र.सं.	न्यायपीठें	न्यायपीठों की संख्या	1.12.2003 को लंबित मामले
1	2	3	4
1.	मुंबई	10	37603
2.	पुणे	1	6679
3.	नागपुर	1	1181
4.	पणजी	1	1087
5.	दिल्ली	7	24502
6.	इलाहाबाद	1	2193
7.	लखनऊ	1	5962
8.	जबलपुर	1	1592
9.	आगरा	1	3841
10.	कोलकाता	5	4250
11.	पटना	1	935
12.	कटक	1	2498
13.	गुवाहाटी	1	373
14.	चेन्नई	4	15486
15.	कोचीन	1	1258
16.	अहमदाबाद	3	18433
17.	राजकोट	1	2374
18.	इंदौर	1	5051
19.	हैदराबाद	2	4564
20.	बंगलौर	3	5167
21.	विशाखापट्टनम	1	2946
22.	चंडीगढ़	2	4114
23.	अमृतसर	1	3189
24.	जयपुर	1	5151
25.	जोधपुर	1	5121
	योग	53	165550

आश्रम स्कूल

2676. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आश्रम स्कूलों को विशेषकर उड़ीसा के जनजातीय बहुल क्षेत्रों के आश्रम स्कूलों को उनके आधुनिकीकरण के लिए धन के अभाव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने आश्रम स्कूल खोले गए; और

(घ) आश्रम स्कूलों के विकास के लिए उड़ीसा को कितना धन आबंटित किया?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) "जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों के निर्माण" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आश्रम स्कूल, केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 निधियों की हिस्सेदारी के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत इन स्कूलों के आधुनिकीकरण हेतु वित्त व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय में ऐसे स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए धन की कमी संबंधी उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) साक्षरता दर में वृद्धि प्रत्यक्षत: आश्रम स्कूलों के आधुनिकीकरण से संबद्ध नहीं है। तथापि, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के छात्रावासों और लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण, अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना, कम साक्षरता वाले पाकेटों में लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर, आदर्श आवासीय स्कूल आदि जैसी शिक्षा के क्षेत्र की योजनाओं का वित्तपोषण किया जाता है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

विभिन्न राज्य सरकारों को गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत आश्रम स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1.	आंध्र प्रदेश	0	7	—
2.	असम	0	—	—
3.	गुजरात	0	43	—
4.	हिमाचल प्रदेश	0	—	—
5.	दमन व दीव	0	—	—
6.	केरल	0	—	—
7.	मध्य प्रदेश	0	—	130
8.	मणिपुर	0	—	—
9.	उड़ीसा	0	—	—
10.	राजस्थान	0	—	—
11.	तमिलनाडु	0	—	—
12.	त्रिपुरा	0	1	—
13.	उत्तर प्रदेश	0	—	—
14.	कर्नाटक	0	9	5
15.	महाराष्ट्र	0	—	—
16.	छत्तीसगढ़	0	46	—
	जोड़	0	106	135

विवरण II

वर्ष 1992-93 से 2002-03 के दौरान आश्रम स्कूलों की स्थापना के लिए उड़ीसा को आबंटित धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्मुक्त धनराशि
1	2	3
1.	1992-93	42
2.	1993-94	16.2
3.	1994-95	60
4.	1995-96	70
5.	1996-97	60
6.	1997-98	50
7.	1998-99	40
8.	1999-2000	—
9.	2000-01	—
10.	2001-02	—
11.	2002-03	—
	जोड़	338.2

भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में चोरी

2677. श्री रामजीवन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की गाजियाबाद शाखा में हाल ही में लूट हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डाकुओं द्वारा अनुमानत: कितनी धनराशि की लूट की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस शाखा में वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की समीक्षा कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बैंक में वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 17-18 नवम्बर, 2003 की रात में उनकी माडल टाउन, गाजियाबाद शाखा में डकैती की एक घटना में 81 लाख रुपए की रकम लूटी गई है और गला घोट कर एक गार्ड मारा गया था।

(ग) और (घ) चूंकि शाखा करेंसी चेस्ट वाली शाखा है, इसलिए शाखा की सशस्त्र गार्डों द्वारा चौबीसों घंटे सुरक्षा करने के लिए बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों को संवेदनशील शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने का परामर्श दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

राष्ट्रीय बचत योजना

2678. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जमा योजना के एस.ए.एस. एजेंटों द्वारा निवेशकों से प्राप्त धन को डाकघरों में एक बार ही नगर रूप से जमा कराने की सीमा तय करने की कोई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संबंधित कारकों पर विचार करने के उपरांत वर्तमान व्यवस्था यथेष्ट पायी गयी है।

फटे-पुराने नोट

2679. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकों में आम जनता को दी जाने वाली नोटों की गड्डी में बुरी तरह फटे-पुराने नोटों को लगाया जाना अब भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंक फटे-पुराने नोटों के अपने समस्त स्टाकों को विनिमय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक में भेजने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार बैंकों से, अपने द्वारा प्राप्त नोटों में से जारी किए जाने योग्य और जारी न किए जाने योग्य नोटों की छंटाई करने और आम जनता को केवल साफ सुधरे नोटों को ही जारी करने की अपेक्षा की गई है। कभी-कभी बैंकों द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की गड्डियों में फटे पुराने नोटों को शामिल किए जाने की शिकायतें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त की जाती रही हैं।

(ग) बैंक अपने फटे-पुराने नोटों को विनिमय के लिए अपनी करेंसी चेस्ट शाखाओं के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक में भेजने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार और झारखंड को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता

2680. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और झारखंड को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन देशों ने बिहार और झारखंड को ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है और बिहार तथा झारखंड की ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं जिनके लिए यह प्रयास किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और झारखण्ड में राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा किसी नए वित्तपोषण को मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इराक को चाय का निर्यात

2681. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या इराक को चाय की आपूर्ति रोक दिए जाने से चाय उत्पादकों को अब अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान इराक को चाय के निर्यात के लिए साख-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक इराक को कुल कितनी चाय का निर्यात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) इराक को चाय के पोत लदान में उक्त देश में युद्ध के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ था। इसके परिणामस्वरूप भारतीय चाय के निर्यातों में आई गिरावट से भारतीय चाय उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2003 अर्थात् जनवरी से अक्तूबर, 2003 के दौरान भारत से इराक को 4.15 मिलियम कि.ग्रा. चाय (25.99 करोड़ रुपए मूल्य) का निर्यात हुआ था।

चैरिटेबल सोसाइटी को कम्पनी में बदला जाना

2682. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री रामदास आठवले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1981 में चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में पंजीकृत दिल्ली के एक प्रमुख हार्ट केयर इंस्टीट्यूट को चंडीगढ़ की नान चैरिटेबल कम्पनी को दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या चैरिटेबल सोसाइटी को कम्पनी के रूप में बदल दिए जाने से चैरिटी को दिए जाने वाले चंदे पर मिलने वाली छूट का दुरूपयोग हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो चैरिटेबल सोसाइटी को कम्पनी के हाथों में लिए जाने के समय से राजकोषीय घाटा के संदर्भ में किस सीमा तक कर की अदायगी नहीं की गई है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) मै. एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेन्टर लि. के नाम से एक कम्पनी 30.5.2000 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित की गई थी। संगम ज्ञापन के अनुसार कम्पनी चैरिटेबल कम्पनी नहीं है। कम्पनी ने मै. एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के नाम से 11.11.1999 को संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ में फर्मों तथा सोसायटी के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत सोसायटी का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेन्टर के नाम से एक चैरिटेबल सोसायटी के 1981 में दिल्ली में पंजीकृत करने की सूचना मिली थी।

(ग) और (घ) न्यायाधीन होने के कारण इन मामलों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

फलों का निर्यात/आयात

2683. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में किन-किन फलों का निर्यात और आयात किया जा रहा है;

(ख) इनमें से किन-किन फलों का अधिकतम मात्रा में निर्यात/आयात किया जाता है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 और 2003 के दौरान फलों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और इनके आयात पर कितनी राशि खर्च की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान निर्यात और आयात किए गए फलों की गुणवत्ता और मूल्य संबंधी आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े; खंड-1 (निर्यात) और खंड-2 (आयात) वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में दिए गए हैं, जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

जनजातियों को सुरक्षा

2684. श्री मानसिंह पटेल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की विशेषकर गुजरात के अधिकांश जनजातियां अपनी जीविका के लिए वन उत्पादों पर निर्भर होती हैं;

(ख) क्या कानून की आड़ में वन रक्षकों द्वारा जनजातियों को वन उत्पाद तक पहुंचने से वंचित किया जाता है और इस तरह उनका, विशेषकर महिलाओं का शोषण किया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) जनजातियों की वन उत्पादों तक बेरोटकोक पहुंच को अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सूचित किया है कि गुजरात सहित देश की जनजातियां अपनी जीविका के लिए कुछ हद तक ही वन उत्पादों पर निर्भर हैं। राज्य/केन्द्र शासित सरकारों ने भी ऐसी ही जानकारी दी है।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान, स्थानीय लोगों विशेष रूप से जनजातियों को दिए गए अधिकारों/छूटों पर उनके वास्तविक घरेलू उपयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करते। अधिसंख्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों ने भी इस मंत्रालय को सूचित किया है कि जनजातियों को वन उत्पादों के उपभोग की खुली छूट है और इस संबंध में महिलाओं सहित जनजातियों का किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इंगित किया है कि चूंकि ''वन'' विषय समवर्ती सूची में है इसलिए इस मंत्रालय की भूमिका नीतिगत मुद्दों से ज्यादा संबंधित है जबकि वन के प्रबंधन और संरक्षण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। आदिवासियों के शोषण पर सर्वेक्षण के मामले पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है अत: इस मंत्रालय में न तो कोई डाटा एकत्र किया जाता है और न ही समेकित किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि इस संबंध में उन्होंने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ङ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताई गई स्थिति के आलोक में, प्रश्न नहीं उठता।

ऋण को एकमुश्त चुकता किया जाना

2685. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री रमेश चेन्नितला:
श्री अम्बरीश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने देनदारों के बकाए के एकमुश्त चुकता किए जाने की नीति को अंगीकार और उसे क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तरह चुकता किए जाने की नीति तैयार करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ बैंक उसे चुनिन्दा तरीके से करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को इस संबंध में बैंकवार कितनी शिकायतें मिली; और

(च) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जनवरी, 2003 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दीर्घकालिक अनुपयोज्य आस्तियों के समझौता निपटान के लिए संशोधित मार्गनिर्देश जारी किया है। इन मार्गनिर्देशों में व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में न रखते हुए सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की अनुपयोज्य आस्तियां शामिल होंगी जो 10.00 करोड़ रुपए और उससे कम की बकाया राशि के साथ 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार संदिग्ध अथवा हानि वाली बन गई हैं।

(ग) एक बारगी निपटान योजना के तहत निपटान फार्मूला निम्नांकित है:

(1) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार संदिग्ध अथवा हानि के रूप में वर्गीकृत अनुपयोज्य आस्तियां।

31 मार्च, 2000 के अनुसार संदिग्ध अथवा हानि के रूप में वर्गीकृत अनुपयोज्य आस्तियों के समझौते निपटान से संबंधित संशोधित मार्गनिर्देशों के तहत वसूली जाने वाली न्यूनतम राशि प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की तिथि के अनुसार खाते में बकाया राशि का 100 प्रतिशत अथवा खाते का संदिग्ध अनुपयोज्य आस्तियों के

रूप में वर्गीकृत तिथि के अनुसार बकाया राशि यथास्थिति जो भी पहले हो का 100 प्रतिशत होगी।

(2) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार अवमानक के रूप में वर्गीकृत अनुपयोज्य आस्तियों जो बाद में संदिग्ध अथवा हानि वाली बन गई।

31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार अवमानक के रूप में वर्गीकृत अनुपयोज्य आस्तियां, जो बाद में संदिग्ध अथवा हानि वाली बन चुकी हैं, के संबंध में वसूली जाने वाली न्यूनतम राशि प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की तिथि के अनुसार खाते में बकाया शेष का 100 प्रतिशत अथवा खाते के संदिग्ध अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वगीकृत तिथि के अनुसार राशि यथा स्थिति जो भी पहले हो होगी। साथ ही 1 अप्रैल, 2000 से अंतिम भुगतान की तिथि तक विद्यमान प्राथमिक उधार पर ब्याज भी प्रभारित होगा।

(घ) से (च) सरकार को एकबारगी निपटान योजना के कार्यान्वयन सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के परिचालन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विभिन्न माध्यमों से अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन संदर्भों को संबंधित बैंकों को बैंक की उधार/वसूली नीति में निहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधार

2686. श्री पदमसेन चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकिंग, बीमा और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को शीघ्रता से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सुधार कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) आर्थिक सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और उनको कार्यान्वित करने के लिए नीति उपकरणों की प्रबल परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सुधार के लिए भारी कार्यक्रम का स्पष्ट लक्ष्य सुधार प्रक्रिया को विस्तृत और गहन बनाना तथा अन्य बातों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र पर विशेष बल देना, उपादान बाजारों में लचीलापन लाना, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना के क्षेत्रों में निवेश की गति को तीव्र करना और राजकोषीय समेकन को सुदृढ़ करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार से खरीद

2687. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** केन्द्रीय भंडार से खरीद के बारे में 9 अगस्त, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4136 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना अभी तक एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऋण

2688. श्री कमलनाथ:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री रघुनाथ झा:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण मुहैया कराने के लिए राज्यवार और योजनावार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इनमें क्या लक्ष्य हासिल हुए;

(ख) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया जटिल है और ऋणों की अपर्याप्त राशि मुख्य कारण है; और

(ग) यदि हां, तो ऋण वितरण की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय भण्डारण निगम के साथ संयुक्त उद्यम

2689. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से ऐसे विधान लाने का अनुरोध किया है जिससे पूंजी और प्रौद्योगिकी की रणनीतिक ताकत जुटा कर राज्य भण्डारण निगम न केवल केन्द्रीय भण्डारण निगम के साथ बल्कि किसी अन्य निकाय के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है और इस कानून के कब तक लाए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भांडागर निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करने का सुझाव दिया है ताकि राज्य भंडारण निगम पूंजी और प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण ताकत प्राप्त करने के लिए किसी अन्य निकाय के साथ राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संयुक्त उपक्रम में शामिल हो सकें।

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये सुझावों पर केन्द्रीय भंडारण निगम, सभी राज्य भंडारण निगमों और संबंधित राज्य सरकारों की टिप्पणियां/विचार आमंत्रित किये गये हैं।

अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

2690. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अनुसंधान संस्थानों को ''मानद विश्वविद्यालय'' का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन अनुसंधान संस्थानों की सूची क्या है जिन्हें मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है और उन संस्थानों की सूची क्या है जिन पर विचार किया जाना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान संस्थानों के लिए आवंटित धन का ब्यौरा क्या है और उस अवधि के दौरान उन संस्थानों द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य किए गए;

(घ) इन अनुसंधान संस्थानों में ओ.बी.सी. को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास समूह क, ख और ग में ओ.बी.सी. को प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की विस्तृत रिपोर्टें हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) किसी संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रत्येक मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। वाणिज्य विभाग के अधीन आईआईएफटी एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे इस शर्त के अधीन रहते हुए मई 2002 में ''मानद विश्वविद्यालय'' का दर्जा प्रदान किया गया है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का पालन करेगा।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) आईआईएफटी समस्त संकाय संवर्गों के मामले में खुले बाजार से 100% भरती कर रहा है और उसने अनुभाग अधिकारी, सहायक, वैयक्तिक सहायक के पदों पर सीधी भरती में वृद्धि की है ताकि इन संवर्गों में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुकर बनाया जा सके। अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है: समूह क-1, समूह ख-0, समूह ग-0।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष व्यापार संस्थान को आवंटित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(रुपए)

वर्ष	2000-2001	2001-2002	2002-2003
सहायता अनुदान (योजना)	40,000,000	50,000,000	25,000,000
सहायता अनुदान (गैर-योजना)	25,000,000	30,000,000	31,000,000

उपर्युक्त अवधि के दौरान संस्थान द्वारा निष्पादित मुख्य कार्य/परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

जहां तक प्रशिक्षण का संबंध है संस्थान ने अपने नियमित आधारभूत कार्यक्रम अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर्स कार्यक्रम (एमपीआईपी) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक्सीक्यूटिव मास्टर्स (ईएमआईटी) चलाना जारी रखा। इसके अलावा संस्थान ने अंशकालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (सायंकालीन), नियमित प्रबंधन विकास कार्यक्रम और प्रायोजित प्रबंधन विकास कार्यक्रम चलाए। संस्थान ने अल-धुरायर एकेडमी, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक वर्षीय एक्सीक्यूटिव डिप्लोमा तथा इंस्टीट्यूट आफ फाइनेन्शियल मैनेजमेंट (आईएफएफ), तंजानिया में दो वर्षीय एमपीआईपी तथा एक वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईटी) प्रदान करना जारी रखा।

अपने अनुसंधान कार्य-कलापों के एक भाग के रूप में संस्थान ने उक्त अवधि के दौरान विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं, सेमिनार/कार्यशालाएं चलाई, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

2000-2001

अनुसंधान अध्ययन:

1. भारत को भूटान के निर्यातों पर भारत के व्यापार उदारीकरण के प्रभाव से संबंधित अध्ययन।
2. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) - भारत के चुनिंदा भागीदार देशों की व्यापार नीति की संगतता।
3. चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारों की वांछनीयता।
4. जर्मनी, यूएसए और सऊदी अरब में चुनिंदा हस्तशिल्प हेतु निर्यात विपणन नीति।
5. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर अध्ययन।
6. चुनिंदा देशों (मिस्र, जर्मनी, ईरान, लीबिया और विएतनाम) को लघु क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात पर अध्ययन।
7. दुबई और कुवैत में टेबल एग्स की निर्यात संभावना।
8. पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका (वाना) में भारत की निर्यात संभाव्यता-चुनिंदा वाना देशों का अध्ययन।
9. प्रौद्योगिकी निर्यातों की सूची : भारत से चुनिंदा निर्यातित तथा निर्यात योग्य प्रौद्योगिकियों का संकलन।

सेमिनार/कार्यशालाएं:

1. डब्ल्यूटीओ—छोटे एवं मझोले उद्यमों पर इसका प्रभाव।
2. लुधियाना में कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार।
3. कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार भारत की वार्ता संबंध कार्यसूची।
4. व्यापार एवं निवेश के उदारीकरण के क्षेत्र में वार्ता संबंधी तकनीकें।
5. उत्पत्ति की दृष्टि से परिशोधित खाद्य पर विशेष ध्यान देते हुए जैव प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला।
6. एशिया-प्रशांत देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की जरूरतों पर क्षेत्रीय बैठक।
7. मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के प्रभावों पर सेमिनार।
8. कोलकाता में डब्ल्यूटीओ और भारतीय चमड़ा उद्योग पर कार्यशाला।
9. डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र पर गोल मेज सम्मेलन।

2001-2002

अनुसंधान अध्ययन:

1. मिस्र के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार की वांछनीयता का विश्लेषण।
2. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार।
3. चिली के साथ भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार की वांछनीयता।
4. बैंकाक करार में चीन का शामिल होना।
5. मर्कोसर देशों को भारत के निर्यात की संभावना।
6. भारत से तम्बाकू के निर्यातों के लिए मध्यावधि योजना और अगले पांच वर्षों के लिए कार्यनीतियां।
7. उप सहारा अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार का संवर्धन।
8. मध्य प्रदेश का निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण।
9. त्रिपुरा का निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण।
10. दक्षिण अफ्रीका में भांडागार सुविधा की स्थापना।

11. कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार।

12. अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात से संबंधित दिशा-निर्देश एवं नियम।

13. चुनिंदा उत्पादों के लिए एनआईसी कोड संख्या।

14. चुनिंदा अफ्रीकी देशों में भेषजीय उत्पादों में भारत की निर्यात संभाव्यता।

सेमिनार/कार्यशालाएं:

1. डब्ल्यूटीओ मुद्दों पर कार्यशाला।

2. दोहा में डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय दौर-प्रतिकूल हित तथा राष्ट्रीय एजेंडा।

3. प्रौद्योगिकीय निर्यातों पर संवाद।

4. अंतर्राष्ट्रीय निवेश करारों पर बातचीत हेतु गहन प्रशिक्षण सत्र (अंकटाड)।

2002-2003

अनुसंधान अध्ययन:

1. क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाएं (आरटीए) : भारत के विशेष संदर्भ में उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार करार (नाफ्टा) के विश्लेषण का प्रभाव।

2. निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) और निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) की पियर समीक्षा।

3. भारत और मोरक्को के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार के लाभ के आकलन की वांछनीय का विश्लेषण।

4. झारखंड का निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण।

5. उड़ीसा का निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण।

6. उत्तर प्रदेश राज्य के लिए डब्ल्यूटीओ सुसंगतता योजना।

7. प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन निर्यातों को बढ़ाने के लिए नीतियां एवं प्रोत्साहन: निर्यातकों के परिप्रेक्ष्य में।

8. भारत से प्रौद्योगिकी प्रवण निर्यात : व्यापार शिष्टमण्डलों की रिपोर्टों के आधार पर।

9. इंडिया ओशन रिम देशों (आईओआरसी) में प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की सूची, प्रस्तावित पाठ्यक्रम तथा संरचना।

10. भारतीय वस्त्र एवं कपड़ा क्षेत्र पर यूरोपीय संघ (ईयू) तथा अमरीका (यूएस) की सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (जीएसपी), उद्गमन संबंधी नियमों के प्रभाव।

सेमिनार/कार्यशाला:

1. डब्ल्यूटीओ मामलों पर कार्यशाला।

2. व्यापार सुविधा पर डब्ल्यूटीओ/विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूटीओ) राष्ट्रीय सेमिनार।

3. निवेश करारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों के लिए गहन प्रशिक्षण सत्र।

समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं

2691. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई.टी.डी.पी.) को प्रत्येक राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आई.टी.डी.पी. के अंतर्गत गत तीन वर्षों में राज्य-वार कितना धन आबंटित किया गया;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में गत वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत जनजातियों के विकास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें कितनी सफलता मिली है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जनजातीय कल्याण के उद्देश्य पर आधारित विभिन्न गतिविधियों के समन्वयन के लिए असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एवं दमन व दीव राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यरत समेकित जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) प्रशासनिक संरचनाएं हैं।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से कोई निधियां आबंटित नहीं की हैं। तथापि, आईटीडीपी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और मानीटर करती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र-11(ख) के अंतर्गत राज्यवार उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01 सहायता प्राप्त अनु.ज.जा. परिवारों की संख्या	2001-02 सहायता प्राप्त अनु.ज.जा. परिवारों की संख्या	2002-03 सहायता प्राप्त अनु.ज.जा. परिवारों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	209930	51870	96440
2.	असम	20323	55022	42928
3.	बिहार	12262	5199	5429
4.	गुजरात	125271	107356	96762
5.	हिमाचल प्रदेश	6883	8459	4888
6.	जम्मू व कश्मीर	839	3228	—
7.	कर्नाटक	9757	31625	16589
8.	केरल	1648	1435	1066
9.	मध्य प्रदेश	234481	213979	220299
10.	महाराष्ट्र	84755	48777	53799
11.	मणिपुर	1752	3683	2425
12.	उड़ीसा	44038	73764	75732
13.	राजस्थान	74374	85256	87217
14.	सिक्किम	5099	5015	3979
15.	तमिलनाडु	6773	14824	9870
16.	त्रिपुरा	12017	13905	10616
17.	उत्तर प्रदेश	1869	1133	486
18.	पश्चिम बंगाल	28725	29289	32234
19.	झारखंड	—	—	—
20.	छत्तीसगढ़	—	122	—
21.	उत्तरांचल	—	1106	2415
22.	अंडमान व निकोबार	755	1009	1881
23.	दमन व दीव	690	615	783
	कुल	882241	756671	765838

असम में चाय उद्योग

2692. श्री रमेश चेन्नितला:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या असम के चाय उद्योग को हिंसा की वजह से गहरा आघात लगा है;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों के लोगों विशेषकर बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसा की वजह से चाय उद्योग को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि चाय उद्योग को भारी नुकसान न उठाना पड़े?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) असम के चाय उद्योग को हाल की जातिगत हिंसा के कारण कोई बड़ा आघात नहीं पहुंचा है। उद्योग को ऐसी घटनाओं के कारण उत्पादन में कोई घाटा नहीं हुआ है, हालांकि चाय के संचलन में अस्थाई बाधा पहुंची है।

यह राज्य की कानून एवं व्यवस्था की समस्या है। राज्य सरकार ने जातिगत हिंसा को रोकने और जान तथा माल की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

फेब्रिक्स से राजस्व

2693. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान मिक्स्ड काटन निटिड फेब्रिक्स के प्रसंस्करण और शत प्रतिशत निटिड पोलिएस्टर क्षेत्र से सरकार को कितने राजस्व का अर्जन हुआ; और

(ख) दोनों ही क्षेत्रों को बढ़वा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) विभाग के द्वारा मिश्रित काटन से बुने गये कपड़ों के प्रसंस्करण और शत-प्रतिशत बुने गये पोलीएस्टर क्षेत्र से अर्जित उत्पाद शुल्क के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि सरकार के द्वारा सभी बुने गये कपड़ों पर अर्जित कुल उत्पाद शुल्क राजस्व निम्नानुसार है:-

(1) 2001-2002 : शून्य

(2) 2002-2003 : 15.67 करोड़ रु.

(ख) बजट, 2003 में कपड़ों पर 10% उत्पाद शुल्क की मामूली दर निर्धारित की गई थी। आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बुनाई क्षेत्र के विशिष्ट कपड़ों की मशीनरी और प्रयुक्त पुर्जों पर सीमा शुल्क 25% से कम करके से 5% कर दिया गया था।

राज्य वित्त निगम का पुनर्गठन

2694. श्री चिंतामन वनगा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुप्ता आयोग द्वारा वर्ष 2000-2005 के लिए राजस्व वित्त निगम के कार्यकरण की समीक्षा की गई है और इसके पुनर्गठन की आवश्यकता भी जताई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री जी.पी. गुप्ता के नेतृत्व वाली समिति ने राज्य वित्तीय निगमों (एस एफ सी) के कार्य संचालन की जांच-पड़ताल की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य वित्त निगमों के वित्तीय, परिचालनात्मक एवं संगठनात्मक पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से गुप्ता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का अनुरोध किया था।

(घ) विभिन्न राज्य वित्तीय निगमों को यह रिपोर्ट भेजी गई थी, ताकि परिचालनात्मक एवं संगठनात्मक पुनर्गठन जैसी सिफारिशों जिनमें कोई वित्तीय सहायता अन्तर्ग्रस्त न हो, पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। चूंकि ये राज्य की कंपनियां हैं, अत: राज्य सरकारें राज्य वित्तीय निगमों में मुख्य पणधारी है। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि राज्य वित्तीय निगमों के कार्य निष्पादन और पुनर्पूंजीकरण बढ़ाने के लिए उपाय करने पर विचार करें। राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वित्तीय संस्थाओं से दीर्घावधि पुनर्वित्त प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य वित्तीय निगमों को अपनी

अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली बढ़ानी चाहिए और अपनी वित्तीय क्षमता को पुनर्स्थापित करना चाहिए। राज्य सरकारों को यह सुझाव भी दिया गया है कि गुप्ता समिति की सिफारिशों के अनुसार अपनी संबंधित राज्य वित्तीय निगमों के पुनर्पूंजीकरण पर विचार करें।

तथापि, विभिन्न राज्यों में, राज्य वित्तीय निगमों, विशेषत: लघु उद्योग क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से परामर्श करके हाल ही में राज्य वित्तीय निगमों के पुनरुद्धारण के लिए एक वित्तीय पैकेज बनाया है। इस पैकेज में यह प्रावधान किया गया है कि जिन राज्य वित्तीय निगमों ने संबंधित राज्य सरकारों सहित सिडबी के साथ के साथ समझौता ज्ञापन किया है, वे निम्नलिखित राहत/रियायतों के लिए पात्र होंगे:

(1) बकाया पुनर्वित्त/ऋण सहायता पर ब्याज में 2% वार्षिक की कमी,

(2) सभी भावी पुनर्वित्त/ऋण सहायता के लिए ब्याज दर में 2% की छूट, और

(3) मौजूदा देय राशि की वापसी अदायगी के लिए एक वर्ष का ऋण स्थगन।

भारतीय खाद्य उत्पादों हेतु अमरीकी विनियम

2695. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या अमरीका बायो-टेररिज्म एक्ट के अंतर्गत नये विनियमन बना रहा है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को यू एस एफ डी ए के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या नए विनियमों के तहत भारतीय फर्मों को यू एस एफ डी ए के पास अपने उत्पादों के पंजीकरण हेतु मानव या जीव उपभोग के उत्पादों का विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग अमेरिका में ही करनी होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या इन नए विनियमों का भारत से निर्यात किए जाने वाले बासमती, मसालों और यहां तक कि पैक किए गए खाद्य उत्पादों पर असर पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) अमरीका ने खाद्य सुविधाओं के पंजीकरण के लिए नये विनियम लागू किए हैं जो 2002 के पब्लिक हैल्थ सिक्योरिटी एण्ड बायो टेररिज्म प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस एक्ट (बायो टेररिज्म एक्ट) के पारित होने के पश्चात् 12 दिसम्बर, 2003 से प्रभावी हो गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी घरेलू तथा विदेशी सुविधाओं को अमरीका में अमरीका खाद्य तथा औषधि प्रशासन के पास पंजीकरण कराना अपेक्षित है, जो मानव अथवा पशु उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों का विनिर्माण, प्रसंस्करण पैक, वितरण, प्राप्ति अथवा रख-रखाव करती है।

(ग) और (घ) अमरीका को बासमती, मसाले तथा तत्काल उपभोग हेतु डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों सहित भारतीय उत्पादों के निर्यात पर नए विनियमों के प्रभाव का आकलन करना समयपूर्व होगा।

भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में संशोधन

2696. श्री रामसिंह राठवा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 19 मई, 2003 के माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का अध्ययन किया है जिसमें न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 498-क में उचित संशोधन करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित धाराओं में संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) और (ख) दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को, जो अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन अपराध को शमनीय अपराध बनाने का प्रस्ताव करता है, 22 अगस्त, 2003 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया है।

नोटेरी अधिनियम में संशोधन

2697. श्री वी.एस. शिवकुमार:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य सरकार के आग्रह के आधार पर नोटेरियों की संख्या को बढ़ाकर 375 से 1000 करने

हेतु नोटेरी नियमों में आवश्यक सिफारिश और संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरल राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार के खर्चे पर राजभाषा (विधान) आयोग के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। केरल राज्य के लिए नोटेरियों की अधिकतम संख्या 750 नियत की गई है जिसमें से 375 नोटेरियों को राज्य सरकार और 375 नोटेरियों को केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। केरल राज्य सरकार के, नोटेरियों की संख्या बढ़कर 1,000 करने के अनुरोध की समीक्षा की गई थी और ऐसा करना साध्य नहीं पाया गया था, क्योंकि संपूर्ण देश में एकसमानता बनाए रखने के प्रयोजन से अभी हाल ही में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नोटेरियों की संख्या के लिए कोटा नियत किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

को-आपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज द्वारा नियमों का उल्लंघन

2698. श्री राजनारायण पासी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 20,000 से अधिक सदस्यता वाली अनेक को-आपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटिज सहकारी नियमों और अधिनियम की आड़ में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और आयकर नियमों का उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक भी संबंधित प्राधिकारियों से जानकारी प्राप्त करके इन कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के कार्यकरण की निगरानी करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटियों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई करने के कितने मामले प्रकाश में आये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मणिपुर राज्य के लिए जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत धनराशि

2699. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मणिपुर राज्य की जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई इस प्रकार की धनराशि को संविधान के अनुच्छेद 372(ग) के अनुसार क्षेत्रीय आबंटन पर्वतीय क्षेत्र समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया और उस पर विचार किया गया;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) शीर्षस्थ प्राधिकारी के रूप में इस धनराशि के प्रबंधन के लिए कौन-सी एजेंसी जिम्मेदार है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के दौरान इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मणिपुर सरकार को निम्नलिखित धनराशि निर्मुक्त की गई है:-

(लाख रुपए में)

वर्ष	धनराशि
2000-2001	2052.95
2001-2002	1800.02
2002-2003	2155.78

(ख) मणिपुर राज्य के बारे में संविधान के अंतर्गत संगत अनुच्छेद 371-ग है। मणिपुर राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार धनराशि का क्षेत्रीय/योजना-वार आबंटन जनजातीय विकास विभाग में अनुसूचित जनजातीय कार्य परामर्श बोर्ड द्वारा विचारित तथा अनुमोदित किया गया था न कि पूर्ववर्ती क्षेत्र समिति द्वारा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार का जनजातीय विकास विभाग नोडल विभाग है।

अवक्रय अधिनियम

2700. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1971 में संसद द्वारा पारित और भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अवक्रय अधिनियम को कई दशकों के बीत जाने के बावजूद अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की अधिसूचना हेतु प्रतीक्षारत अन्य केन्द्रीय अधिनियमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे अधिनियमों विशेषकर अवक्रय अधिनियम को बिना किसी विलंब के अधिसूचित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) अवक्रय अधिनियम, 1972 को 1 जून, 1973 से प्रवृत्त करने के लिए 30 अप्रैल, 1973 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके पश्चात्, 31 मई, 1973 को एक अन्य अधिसूचना जारी की गई थी जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 1973 की अधिसूचना को अधिक्रांत किया गया था और अधिनियम को 1 सितंबर, 1973 से प्रवृत्त करने का प्रस्ताव किया गया था। चूंकि अधिनियम को प्रवृत्त किए जाने के विरोध में जनता से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे इसलिए उस समय इस अधिनियम को प्रवृत्त न करने का विनिश्चय किया गया था और तद्नुसार, 31 मई, 1973 की अधिसूचना को विखंडित करने वाली एक अधिसूचना तारीख 30 अगस्त, 1973 की जारी की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंककारी विधि समिति ने निजी संपत्ति सुरक्षा विधि (1977), पर अपनी रिपोर्ट में अधिनियम में कतिपय दूरगामी संशोधनों का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार, 1972 के उक्त अधिनियम का संशोधन करने के लिए 5 मई, 1989 को राज्य सभा में अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989 नामक एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। उक्त विधेयक को गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उक्त समिति ने अवक्रय के संपूर्ण मुद्दे की गहराई से समीक्षा किए जाने की सिफारिश की है। इसके परिणामस्वरूप, उक्त विधेयक को वापिस ले लिया गया था और उक्त विषय-वस्तु को गहन समीक्षा के लिए भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट किया गया था। भारत के विधि आयोग ने अपनी 168वीं रिपोर्ट में उक्त अधिनियम में व्यापक संशोधनों की सिफारिश की है और उक्त रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) संसद के अधिनियमों को, पृथक-पृथक अधिनियमों की विषय-वस्तु से संबंधित भारत सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। तथापि, विधायी विभाग ने संसद के ऐसे 40 अधिनियमों की पहचान की है, जिन्हें भागत: या पूर्णत: प्रवर्तन में नहीं लाया गया है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को, पृथक-पृथक अधिनियमों को प्रवृत्त किए जाने के लिए अपनी प्रशासनिक तैयारी पर निर्भर रहते हुए एक नीति निर्णय लेना होता है। भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए अवक्रय अधिनियम, 1972 को अब प्रवृत्त किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की कोचिंग

2701. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के राज्यवार कितने विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया;

(ख) इस प्रशिक्षण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) गत तीन वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा के पूर्व प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु निर्मुक्त धनराशि की राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/गैर सरकारी संगठन का नाम	2000-01		2001-02		2002-03	
		आवेदकों का नाम	निर्मुक्त धनराशि	आवेदकों का नाम	निर्मुक्त धनराशि	आवेदकों का नाम	निर्मुक्त धनराशि
1.	अंडमान व निकोबार	—	—	30	1,36,500	—	—
2.	कर्नाटक	—	—	40	1,71,375	31	1,34,425
3.	ए.पी. भोज विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश	—	—	90	7,71,750	—	—
4.	दिल्ली शिक्षा केन्द्र, दिल्ली (गै.स.सं.)	—	—	80	7,13,500	65	5,91,000
5.	उड़ीसा	—	—	20	84,000	40	1,61,500
6.	मोतीलाल नेहरू कालेज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	—	—	0	0	15	63,000
7.	गुजरात	—	—	0	0	—	—
8.	चाणक्य अकादमी, दिल्ली	—	—	0	0	30	1,19,000
9.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	—	—	0	0	20	1,54,500
10.	एच.एन. बहुगुना विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश)	—	—	0	0	45	2,67,000
11.	तमिलनाडु	—	—	0	0	2	19,500
12.	असम	—	—	0	0	30	1,12,250
13.	आंध्र प्रदेश	—	—	0	0	46	1,93,225
	जोड़	—	—	260	18,77,125/-	324	18,15,650/-

*यह योजना वर्ष 2000-01 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जनजातीय कार्य मंत्रालय को अंतरित कर दी गई थी। 2000-01 के दौरान विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं थे इसलिए कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की गई।

[हिन्दी]

गैर-योजना स्कीमों के अंतर्गत राज्यों के लिए धनराशि

2702. डा. महेन्द्र सिंह पाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों विशेषकर नवगठित राज्यों की दयनीय वित्तीय स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप युवक-युवतियां बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, के मद्देनजर गैर-योजना स्कीमों के अंतर्गत राज्यों के लिए धनराशि आबंटित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-योजनाओं के अंतर्गत उत्तरांचल को कुछ विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्याज निर्यात का कोटा

2703. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एम एस ए एम बी) को इस वर्ष के आरंभ में प्याज निर्यात के कोटे के केवल 20 प्रतिशत भाग से निपटने की अनुमति प्रदान की गयी है जबकि इसकी क्षमता इससे कहीं अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को एम एस ए एम बी से प्याज निर्यात के कोटे को बढ़ाने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस अनुरोध पर क्या कार्रवाई की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) वर्तमान एग्जिम नीति के अनुसार प्याज का निर्यात मुक्त है और यह भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमि. (नेफेड) और एम एस ए एम बी सहित अन्य राज्य व्यापार उद्यमों (एस टी ई एस) के माध्यम से किया जाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है और प्रत्येक एजेंसी प्याज की किसी भी मात्रा का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र है।

भारतीय जीवन बीमा निगम में उच्च श्रेणी सहायक की परीक्षा

2704. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/एलआईसी को एलआईसी में ''सहायक'' से ''उच्च श्रेणी सहायक'' की पदोन्नति में हुई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) ''सहायक'' से ''उच्च श्रेणी सहायक'' की पदोन्नति में गंभीर किस्म की प्रक्रियागत अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, जीवन बीमा निगम को पदोन्नति न किए जाने के विरुद्ध कर्मचारियों से कुछ सामान्य किस्म के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम को जब भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है, गुणावगुण के आधार पर उसकी जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

डाभोल में विदेशी निवेश

2705. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डाभोल विद्युत कंपनी के साथ प्रस्तावित ठेका समाप्त हो जाने के कारण 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी देयताओं और क्षतिपूर्ति की जानकारी है;

(ख) क्या अतिरिक्त इक्विटी के रूप में विदेशी निवेश की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कंपनी की गतिविधियों के विविधीकरण के लिए अतिरिक्त विदेशी निवेश आकर्षित करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस घाटे/भार को कैसे कम किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) डाभोल विद्युत कंपनी के कारण अब तक भारत सरकार द्वारा कोई देयता वहन नहीं की गई है।

(ख) और (ग) डाभोल विद्युत कंपनी में अतिरिक्त इक्विटी निवेश करने हेतु अथवा उसके क्रियाकलापों के विविधीकरण के लिए भारत सरकार के पास किसी भी विदेशी निवेशक ने किसी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान को चीनी की आपूर्ति

2706. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में चीनी की कितनी आवश्यकता है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार राज्य को कितनी चीनी की आपूर्ति की गयी;

(ख) क्या मांग और आपूर्ति में अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) 1.03.2000 की जनसंख्या के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के मानदण्ड के आधार पर राजस्थान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने हेतु लेवी चीनी के आवंटन निम्नानुसार है-

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	मात्रा (लाख टन में)
2000-2001	1.48
2001-2002	0.98
2002-2003	0.98
2003-2004 (दिसम्बर, 2003 तक)	0.22

लेवी मुक्त चीनी के अंतर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

बीमा व्यवसाय में दलालों और एजेंटों के लिए पारिश्रमिक प्रणाली

2707. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने साधारण बीमा व्यवसाय में दलालों और एजेंटों के लिए पारिश्रमिक प्रणाली पर गौर करने हेतु एक विशेष समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो पालिसी धारकों से एजेंट कमीशन के रूप में पारिश्रमिक के मद्देनजर छूट देने के संबंध में मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ग) मौजूदा मानदंडों की समीक्षा करने के क्या कारण हैं और क्या विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा मानदंडों के अनुसार, सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों से संबंधित प्रत्यक्ष कारोबार के लिए दलाली के एवज में मूल टैरिफ में प्रीमियम पर 5% की दर पर कटौती लागू होती है। एक करोड़ रुपए तथा इससे अधिक चुकता पूंजी वाली कंपनियों तथा 5 लाख रुपए तथा इससे अधिक चुकता पूंजी वाली सहकारी संस्थाओं जैसे अन्य बीमित पक्षों के कारोबार के संबंध में, बीमाकर्त्ता प्रीमियम पर 5% की कटौती प्राप्त करने के लिए सीधे ही अथवा दलालों/मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से कारोबार कर सकते हैं जिसके लिए 5% से 12.5% तक की दलाली स्वीकार्य होती है जो कि चुकता पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है। 5% की कटौती पालिसी में स्पष्टत: दर्शाई जानी अपेक्षित है।

(ग) और (घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए पारिश्रमिक प्रणाली तथा कमीशन के एवज में कटौती की पेशकश जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इस विशेषज्ञ समिति ने 12 दिसम्बर, 2003 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

हाथ से बने कालीनों के लिए कार्य योजना

2708. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने देश में हाथ से बनने वाले कालीनों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाथ से बने कालीनों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे देश का हिस्सा कितना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सी ई पी सी) को वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। यह परिषद कालीन निर्यातकों की एक राष्ट्रीय स्वायत निकाय है जो कि निर्यात में वृद्धि करने के लिए कालीन उद्योग के संवर्धन एवं विकास हेतु विभिन्न उपायों को करने के लिए स्थापित की गई है। ये उपाय हैं: क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन; विदेशों में प्रचार; डिजाइन विकास पर कार्यशालाओं का आयोजन; निर्यात विपणन एवं पैकेजिंग इत्यादि; विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना; विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दलों को स्पानसर करना और नई दिल्ली में प्रतिवर्ष कालीनी एक्सपो (शरद् एवं बसंत) का आयोजन।

सरकार देश में हस्त निर्मित कालीन उद्योग के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। ये योजनाएं हैं: डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; प्रशिक्षण एवं विस्तारण; अनुसंधान एवं विकास और हाल ही में आरम्भ की गई 'बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना' (एएचवीवाई) जिसका उद्देश्य प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं पारस्परिक सहयोग के सिद्धांतों पर चुनिन्दा कारीगर समूहों को व्यावसायिक रूप से व्यवस्थित और आत्मनिर्भर उद्यमियों के रूप में विकसित करते हुए कारीगर समूह का सतत् विकास करना है।

कालीन उद्योग के लिए मानव संसाधन विकास; अनुसंधान और विकास तथा सामान्य सुविधा केन्द्र सेवाओं को मुहैया कराने की दृष्टि से भदोही में एक कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। यू एन डी पी सहायता प्राप्त कालीन परियोजना के अंतर्गत नये डिजाइनों के विकास, औजारों के विकास, लूमों एवं उपस्कर, प्राकृतिक डाइयों का संवर्धन, आईआईसीटी, भदोही को सुदृढ़ करना और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी), नई दिल्ली द्वारा घरेलू/अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए विभिन्न एजेंसियों को सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हस्त निर्मित कालीनों के लिए देश का हिस्सा 18 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न निर्यातकों की समस्याएं

2709. श्री मोहन रावले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न निर्यातक भारतीय खाद्य निगम स्टाक डिलीवरी आदि रेकों की पर्याप्त उपलब्धता में विलम्ब के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता और रेलवे से इनकी ढुलाई हेतु रेकों के लिए क्या कदम उठाये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम उन निर्यातकों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों के स्टाक की पेशकश करता है जो इसके लिए रिलीज आदेश प्राप्त करते हैं।

निर्यात के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई करने हेतु रेलवे रैक उनकी बारी और प्राथमिकता पर पंजीकृत मांग पत्र के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई करने को तरजीह दी जाती है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से स्टाक की सुपुर्दगी करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष आर्थिक पैकेज

2710. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो दशकों से जम्मू और कश्मीर में लगातार होने वाले आतंकवादी हमलों और नियंत्रण रेखा पर मुठभेड़ों से राज्य के आर्थिक संसाधनों और आय स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे जम्मू और कश्मीर का आर्थिक ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और पंजाब की तर्ज पर विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जम्मू और कश्मीर में आर्थिक पुनर्गठन हेतु एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा, जम्मू और कश्मीर में दिनांक 23.5.2002, 19.4.2003 और 29.8.2003 को अपने तीन दौरों के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ''रोजगार, रेल और सड़क विकास, सहायता और सुरक्षा'' के लिए 6000 करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज में अगले दो वर्षों में जम्मू और कश्मीर में कम से कम एक लाख रोजगार और स्वयं-रोजगार अवसरों का सृजन, पर्यटन की पुन:बहाली, विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना, बशौली पुल का निर्माण, कांदी क्षेत्र के लिए पेयजल परियोजना, सामुदायिक सूचना केन्द्रों आदि की स्थापना, जम्मू विश्वविद्यालय के लिए 30 करोड़ रुपए का अनुदान, कांदी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी करना, श्रीनगर से लेह के लिए ट्रांसमीशन लाइन बिछाना, 10 केन्द्रीय विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए का एकमुश्त अनुदान जारी करना आदि शामिल है। इन्हें गैर-योजना सहायता की तरह राज्यों को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तौर पर क्रियान्वित किया जाए।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा असम को तकनीकी सहायता

2711. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने असम की बजटीय और योजना प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने तथा राज्य के वित्त प्रबंधन को सुधारने हेतु असम सरकार के लिए एक मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की तकनीकी सहायता मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत अनुदान की शर्तें क्या हैं तथा मांगी गयी और प्रदान की गई तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इससे वित्त पोषित होने वाली योजनाएं और कार्यक्रम कौन-कौन से हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) तकनीकी सहायता का वित्तपोषण, 100% अनुदान के रूप में, बजट प्रणाली सुधार तथा राजकोषीय प्रबंधन संबंधी क्षमता निर्माण हेतु किया जाएगा। इस तकनीकी सहायता का प्रयोजन असम सरकार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एमटीएफआरपी) के कार्यान्वयन हेतु असम सरकार की क्षमता को सुदृढ़ करना है। तकनीकी सहायता के माध्यम से नीति विश्लेषण को मजबूत बनाया जाएगा तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली में सुधार जाएगा; (1) राज्य के राजकोषीय सुधार तथा राजकोषीय रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने के लिए एक विधायी ढांचा स्थापित करना; (2) राज्य की आयोजना और बजट प्रक्रिया को बेहतर बनाना; (3) राज्य के व्यय प्रबंधन और नियंत्रण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण; (4) राज्य प्रशासन के कार्यात्मक मूल्यांकन की तैयारी में सहायता के माध्यम से सरकारी सेवा व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा इसकी संगठनात्मक पुनर्संरचना और कर्मचारियों की संख्या को उचित स्तर पर रखना तथा कर्मचारी संबंधों और अधिप्राप्ति तथा संवितरण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए ई-गवर्नेंस विकल्पों का पता लगाना तथा उनका संचालन करना।

चीनी विकास कोष

2712. श्री के. येरननायडू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या चीनी विकास कोष अपना उद्देश्य पाने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) आज की तारीख तक चीनी विकास कोष में कितनी जमा राशि बाकी है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चीनी विकास कोष से अल्पावधि ऋण सहित, राज्य-वार जारी की गई ऋण राशि का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) चीनी विकास निधि का उपयोग चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के उपबंधों के अनुसार चीनी उद्योग के विकास की गतिविधियों और उससे संबंधित मामलों तथा उसके प्रासंगिक खर्चों का वित्त पोषण करने के लिए किया जाता है।

(घ) 30.9.2003 की स्थिति के अनुसार लौटाए गए ऋण और उस पर ब्याज की वापसी सहित निधि में शेष राशि 1,57,769.69 लाख रुपये है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चीनी विकास निधि से 2000-01 से आज की तारीख तक रिलीज किए गए ऋण

1. गन्ना विकास ऋण (लाख रुपये में)

क्र.सं.	चीनी मिलों का नाम	वितरित राशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
2000-01		
1.	वारालक्ष्मी शुगर्स, सांकली जिला, श्रीकाकुलम	100.32 3.5.2000

1	2	3
2.	गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि., मेढक	92.214
		31.3.2001
2002-03		
1.	गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि., मेढक	80.96
		26.2.2003
गुजरात 2003-04		
1.	श्री गणेश खांड उद्योग् सहकारी मंडली लि., जिला भरूच	46.575
		3.11.2003
हरियाणा 2001-02		
1.	पिक्काडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लि., जिला करनाल	57.51
		28.3.2002
2002-03		
1.	करनाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि., जिला करनाल	90.00
		21.11.02
2.	सरस्वती चीनी मिल, जिला यमुनानगर	57.59
		26.3.03
2003-04		
1.	पिक्काडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लि., जिला करनाल	54.35
		30.3.2001
कर्नाटक 2000-01		
1.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., नंजानगुड जिला	111.32
		30.3.2001
महाराष्ट्र 2000-01		
1.	श्री आदिनाथ एस.एस.के. लि., जिला सोलापुर	72.72
		12.9.2000
2.	मालेगांव एस.एस.के. लि., जिला पुणे	113.76
		14.11.2000

1	2	3
3.	जवाहर एस.एस.के. लि., जिला कोल्हापुर	101.79
		22.2.2001
2001-02		
1.	संजीवनी तकली एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	108.00
		10.10.2001
2.	सहाकार महर्षि स्वर्गीय बापुरावजी देशमुख एस.एस.के. लि., जिला वर्धा	106.73
		15.1.2002
3.	भीमा शंकर एस.एस.के. लि., जिला पुणे	102.12
		30.3.2002
2002-03		
1.	संजीवनी (तकली) एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	108.00
		7.5.2002
2.	सहाकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल एस.एस.के. लि., जिला सोलापुर	148.50 28.5.2002
3.	विश्वासराव नाइक एस.एस.के. लि., जिला सांगली	95.74
		13.8.2002
4.	मालेगांव एस.एस.के. लि., जिला पुणे	113.76
		17.10.2002
5.	संगमनेर भाग एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	83.745
		25.10.2002
6.	हुतात्मा किसान अहीन एस.एस.के. लि., जिला सांगली	192.28
		28.11.2002
7.	श्री संत तुकाराम एस.एस.के. लि., जिला पुणे	139.50
		2.1.03
8.	दूधगंगा वेदगंगा एस.एस.के. लि., जिला कोल्हापुर	133.75
		6.3.2003
9.	मंजारा एस.एस.के. लि., जिला लातूर	100.75
		10.3.2003

1	2	3
2003-04		
1.	संगमनेर भाग एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	73.395
		23.5.2003
2.	जरानदेश्वर एस.एस.के. लि., जिला सतारा	136.08
		23.5.2003
3.	सहाकार महर्षि एस.एस.के. लि., जिला सोलापुर	148.50
		28.7.2003
4.	संजीवनी (तकली) एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	57.60
		11.9.2003
5.	दयानेश्वर एस.एस.के. लि., तालुक नेवेसा जिला अहमदनगर	63.00
		20.10.2003
मध्य प्रदेश 2003-04		
1.	नवल सिंह एस.एस.के. मर्यादित, जिला खंडवा	63.14
		9.9.2003
पंजाब 2001-02		
1.	राणा शुगर्स लि., जिला अमृतसर	88.83
		23.6.2000
तमिलनाडु 2000-01		
1.	ई.आई.डी. पेरी (ई.) लि., नेलीकुप्पम, जिला साउथ आरकोट	60.46
		17.11.2000
2001-02		
1.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., जिला इरोड	70.31
		31.12.2001
2.	ई.आई.डी. पेरी (ई.) लि., पुगालुर	42.08
		27.3.2002
3.	ई.आई.डी. पेरी (ई.) लि., नेलीकुप्पम, जिला साउथ आरकोट	22.98
		28.3.2002

1	2	3
2002-03		
1.	ई.आई.डी. पेरी (ई.) लि., पेडुकोट्टाई जिला	117.72
		13.3.2003
उत्तर प्रदेश 2000-01		
1.	गोविन्द नगर शुगर्स लि., जिला बस्ती	94.24
		16.6.2000
2.	बजाज हिन्दुस्तान लि., गोलागोरखनाथ यूनिट, जिला लखीमपुर खीरी	34.86
		7.12.2000
2002-03		
1.	शाकुम्बरी शुगर्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि., जिला सहारनपुर	71.055
		2.4.2002
2.	त्रिवेणी इंजीनियरी एंड इंडस्ट्रीज लि., (गंगेश्वर लि.), रामकोला, जिला देवरिया	87.70
		2.4.2002
3.	जे.के. शुगर (ए डाइ. आफ जेके इंड. लि.) जिला बरेली	82.00
		23.10.2002
4.	मोनेट इंडस्ट्रीज लि., जिला मुजफ्फरनगर	115.538
		25.10.02
2. अल्पकालिक ऋण		
हरियाणा 2000-01		
1.	नरायणगढ़ शुगर मिल्स लि., जिला अंबाला	50.00
		22.5.2000
तमिलनाडु 2000-01		
1.	द सलेम कोआपरेटिव शुगर मिल लि., नमाक्कल जिला	49.95
		16.6.2000
उत्तर प्रदेश 2000-01		
1.	सरयू सहकारी चीनी मिल्स लि., जिला लखीमपुर खीरी	46.36
		21.7.2000

1	2		3
3. आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन ऋण			
आंध्र प्रदेश 2001-02			
1.	कोवुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., नेल्लोर	236.855	236.855
		18.10.2001	10.12.2001
2002-03			
1.	चोदावरम कोआपरेटिव शुगर्स लि., विशाखापत्तनम	746.155	746.155
		24.5.2002	15.7.2002
2.	वारालक्ष्मी शुगर्स, जिला श्रीकाकुलम	191.52	191.52
		4.10.2002	28.3.2003
बिहार 2000-01			
1.	ईस्टर्न शुगर इंडस्ट्रीज लि., जिला पूर्वी चंपारन	668.50	668.50
		22.11.2000	23.2.2001
2001-02			
1.	अपर गंगा शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि., (यूनिट भारत शुगर मिल्स) जिला गोपालगंज	484.545 22.11.2001	484.545 22.2.2002
हरियाणा 2000-01			
1.	पिकाडल्ली एग्रो इंडस्ट्रीज लि., यूनिट भादसोन, जिला करनाल	355.61 22.11.2000	
2001-02			
1.	पिकाडल्ली एग्रो इंडस्ट्रीज लि., यूनिट भादसोन, जिला करनाल	355.61 23.7.2001	
कर्नाटक 2001-02			
1.	गोदावरी शुगर मिल्स लि., समीरवाडी, जिला बीजापुर	470.00 31.3.2002	
2002-03			
1.	गोदावरी शुगर मिल्स लि., समीरवाडी, जिला बीजापुर	470.00 12.8.02	

1	2		3
2003-04			
1.	दावनगेरे शुगर को. लि., जिला दावनगेरे	608.84 9.6.2003	
महाराष्ट्र	2000-01		
1.	जवाहर एस.एस.के. हुपारी, जिला कोल्हापुर	1200.00 30.3.2001	
2001-02			
1.	जवाहर एस.एस.के. हुपारी, जिला कोल्हापुर	1200.00 19.4.2001	
2.	इंदापुर एस.एस.के. लि., जिला पुणे	895.70 7.8.2001 (1 और 2)	
3.	तात्यासाहेब कोरे वर्ना एस.एस.के. लि., जिला कोल्हापुर	246.00 21.9.2001	246.00 10.1.2002
4.	क्षत्रपति साहू एस.एस.के. लि., कागल जिला कोल्हापुर	296.02 8.1.2002	296.02 31.3.2002
5.	मुला एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	467.85 28.2.2002	
6.	तेरना शेतकारी एस.एस.के. लि., जिला ओसमानाबाद	898.62 27.12.2001	898.62 26.3.2002
7.	दयानेश्वर एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	366.902 31.3.2002	
2002-03			
1.	मुला एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	467.85 28.5.2002	
2.	रावलगांव शुगर फार्म लि., जिला नासिक	105.80 18.6.2002	
3.	दयानेश्वर एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	446.902 9.9.2002	

1	2		3
4.	श्री विठ्ठल एस.एस.के. लि., वेणुनगर, जिला सोलापुर	393.20 11.7.2002	393.20 23.10.2002
5.	श्री संजीवनी तकली एस.एस.के. लि., सिंगानपुर, जिला अहमदनगर	379.404 24.7.2002	379.404 7.3.2003
6.	श्री सिद्धेश्वर एस.एस.के. लि., जिला सोलापुर	632.2325 27.12.02	
तमिलनाडु 2000-01			
1.	शक्ति शुगर्स लि., शक्तिनगर, जिला इरोड	494.40 30.3.2001	
2001-02			
1.	शक्ति शुगर्स लि., शक्तिनगर, जिला इरोड	494.40 17.5.2001	
2.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि.,	775.39 8.1.2002	
2002-03			
1.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., अलाथुकोम्बई, जिला इरोड	775.39 11.7.2002	
2.	ई.आई.डी. पेरी (इंडिया) लि., पुगुलूर, जिला कारूर	201.71 28.3.2003	
उत्तर प्रदेश 2000-01			
1.	दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज शुगर को. लि., सिवराही, जिला कुशीनगर	1032.718 30.3.2001	
2001-2002			
1.	दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज शुगर को. लि. सिवराही, जिला कुशीनगर	1032.718	
2.	प्रतापुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि.	551.625 28.8.2001	551.625 2.1.2002
3.	घाघरा शुगर लि., जिला लखीमपुर खीरी	485.624 19.2.2002	
4.	मवाना शुगर वर्क्स, जिला मेरठ	381.738 17.1.2003	

1	2		3
2002-03			
1.	घाघरा शुगर लि., जिला लखीमपुर खीरी	485.624 19.6.2002	
2.	रामगढ़ चीनी मिल्स, जिला सीतापुर	672.446	672.446
		26.8.2002	14.1.03
3.	मवाना शुगर वर्क्स, जिला मेरठ	381.738	
		17.1.03	
4.	सिम्भावली शुगर मिल्स लि., जिला गाजियाबाद	486.06	
		28.3.03	
2003-04			
1.	मवाना शुगर वर्क्स, जिला मेरठ	381.738 5.5.2003	
2.	सिम्भावली शुगर मिल्स लि., जिला गाजियाबाद	486.06 24.6.03	

मामलों का निपटान

2713. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक विभिन्न प्राधिकरणों के पास निपटान के लिए लम्बित पड़े मामलों की संख्या और उसमें अंतर्ग्रस्त शुल्क राशि कितनी है;

(ख) उन मामलों के निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नई अनाज निर्यात नीति

2714. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई नई खाद्यान्न निर्यात नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नीति के भंडारण, खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर क्या प्रभाव होंगे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) निर्यात-आयात नीति में सभी निर्यातकों को अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार खाद्यान्नों के निर्यात की बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति है। केन्द्रीय पूल के स्टॉक से निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात करने के लिए अपग्रेडिंग, प्रधूमन, हैंडलिंग आदि के खर्चों को कवर करने हेतु निर्यातकों को कुछ सुपुर्दगी उपरान्त खर्चों की अनुमति दी जाती है। भारतीय खाद्य निगम की अंतरमंत्रालयीय समिति इस संबंध में सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करती हैं।

(ग) मौजूदा नीति का फ्रेमवर्क इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा, कुशलता और निवेश बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

जीवन बीमा निगम में निवेश

2715. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ बीमा योजना से प्राप्त राशि को शेयरों में नहीं लगाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार के निर्देश क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना से प्राप्त प्रीमियम के निवेश के लिए, जीवन बीमा निगम को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमावली में निर्धारित निवेश पद्धति का अनुपालन करना पड़ता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि इस योजना के अंतर्गत उन्होंने अभी इक्विटी में किसी राशि का निवेश नहीं किया है।

चावल की खरीद

2716. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए चावल की पर्याप्त मात्रा में खरीद के लिए धान की लेवी प्रतिशत को बढ़ाकर 50 से 75 प्रतिशत करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य लेवी आदेश के अधीन मिल मालिकों/डीलरों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए लेवी चावल की दी जाने वाली सुपुर्दगी की प्रतिशतता को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया जाए।

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध को केन्द्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। तथापि राज्य सरकार को वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2003-04 के दौरान 50% लेवी के अलावा 1.5 लाख टन लेवी चावल की अतिरिक्त मात्रा सुपुर्द करने की अनुमति दी गई है।

चावल का परिवहन

2717. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उत्तर भारत से आंध्र प्रदेश के लिए चावल के परिवहन हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर संघ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए उत्तर भारत से 70,000 टन रॉ चावल भेजने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिया गया है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का चावल भेजने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करे।

जीवन बीमा निगम के कार्यालयों को उन्नत बनाना

2718. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने मौजूदा प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा अपने सभी मौजूदा कार्यालयों में पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए देश भर में ऐसा करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में इसकी समापन की समय-सीमा के साथ-साथ इसमें निवेश की जा रही राशि कितनी है; और

(घ) उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण करने के पश्चात् उन्होंने 1609 शाखाओं का नेटवर्क तैयार कर लिया है और 1847 शाखाएं ''वाइड एरिया नेटवर्क'' पर कार्यरत हैं। सभी शाखाओं में ''लाईनेक्स'' प्रणाली से ''लाईनेक्स एमएफ कोबोल'' प्रणाली पर प्रत्यावर्तन का कार्य भी पूरा हो चुका है। इन्फोसेंटर्स और सूचना बूथो को खोलने के अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम इन्टरनेट के जरिये भुगतान, प्रीमियम संग्रहण बूथ आदि जैसे वैकल्पिक प्रीमियम भुगतान माध्यमों की सुविधा भी प्रदान कर रहा है।

(ग) शाखा कार्यालयों की साज सज्जा का कार्य प्रति शाखा 25 लाख रुपए की औसत अनुमानित लागत पर किया जा रहा है और कारपोरेट कार्यालय की साज सज्जा की लागत लगभग 1500 लाख रुपए है जिसे अप्रैल, 2004 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि ग्राहकों को उत्तम सेवाएं मुहैया कराने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में कम्प्यूटरीकरण, वाइड एरिया नेटवर्क, ग्रीन चेनल सुविधा, एकल खिड़की प्रणाली और प्रीमियमों का इलैक्ट्रानिक विधि से भुगतान आदि शामिल हैं।

जापान से सहायता

2719. श्री अम्बरीश: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जापानी अंतर्राष्ट्रीय को-आपरेटिव एजेंसी के अंतर्गत जापान से प्राप्त वित्तीय सहायता से आधुनिक उपचार, अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने तथा चिकित्सा शिक्षा का उन्नत मानक प्रदान करने हेतु संघ सरकार को एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) वित्तीय सहायता के लिए जापान सरकार से प्रस्ताव को स्वीकृत कराने हेतु संघ सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 28.5.2001 को जापान सरकार के समक्ष बंगलौर मेडिकल कालेज और उससे संबद्ध अध्यापन अस्पतालों के लिए मातृ और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नामक एक प्रस्ताव रखा गया था। जापान सरकार के प्रत्युत्तर हेतु इसका परिशीलन किया जा रहा है।

आर्थिक कार्य विभाग में कर्नाटक सरकार का इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान में सुविधाओं में सुधार नामक एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस परियोजना को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का समर्थन हाल ही में प्राप्त हुआ है।

जापान को साफ्टवेयर का निर्यात

2720. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान को इंडियन साफ्टवेयर के निर्यात में गति लाने के लिए इंडिया इंक ने जापानी प्राधिकारियों के साथ आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार से कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जटिल कर ढांचा इसकी समस्याओं में से एक है तथा क्या उन्होंने कर कानून तथा कर संधि को बदलने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यह मामला उठाया गया है और जापान के साथ हस्ताक्षरित डीटीएसी (दोहरा कराधान वंचन अभिसमय) के उपबंधों के अंतर्गत भारत और जापान के सक्षम प्राधिकारियों के बीच इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

सार्वजनिक परिसरों के संबंध में दिशा-निर्देश

2721. श्री अजित कुमार पांजा:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम, बैंक आदि जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बोर्ड में सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा वाले लोगों से खाली करना) अधिनियम, 1971 के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए, कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत फरवरी, 1992 और 1 जनवरी, 2001 के दिशा-निर्देश के अनुपालन तथा लागू करने हेतु इसे अपनाना जरूरी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के दिशा-निर्देश पर जीवन बीमा निगम के बोर्ड में चर्चा हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) लोक उद्यम विभाग के दि. 8.4.1991 के कार्यालय ज्ञापन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि वे कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, उक्त दिशा निर्देशों को अपनाएं अथवा नहीं। भारतीय जीवन बीमा निगम को कहा गया है कि वे अपने सम्पदा संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए ऐसे व्यापक दिशानिर्देश तैयार करें जो सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों और माननीय उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुरूप हों।

कंपनियों की परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रास

2722. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कंपनियों की परिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास के संबंध में उनका तदनुसार स्टैंडर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परिसम्पत्तियों की प्रमुखता वाली कंपनियों तथा बी.आई.एफ.आर. की अग्रसर कंपनियों पर इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कंपनियों पर इसके प्रभाव को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई सी ए आई) ने उन परिसम्पत्तियों के नुकसान पर लेखा मानक (सं. ए एस 28) जारी किए हैं जो बड़े उपक्रमों के लिए दिनांक 01.04.2004 को या इसके बाद तथा कतिपय अन्य उपक्रमों के लिए दिनांक 01.04.2006/01.04.2008 को या इसके बाद आरंभ हुए लेखा अवधियों के संबंध में प्रभावी हुई हैं। इस मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दर्शाई गई परिसम्पत्तियों की कीमत वापिस ली जाने योग्य राशि के लगभग है।

(ग) और (घ) आई सी ए आई द्वारा मुद्दे पर किसी विशेष अध्ययन का आदेश नहीं दिया गया है। फिर भी, लेखा मापदंडों को आई सी ए आई के लेखा मापदंड बोर्ड (ए एस बी) द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, जिनमें उद्योग संघों और अन्य पणधारकों जैसे महानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) आई डी बी आई, सी बी डी टी और सेबी से प्रतिनिधि होते हैं। लेखा मानकों को उनके परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

मुम्बई समाशोधन योजना का कल्याण परिसर तक विस्तार

2723. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वित्त मंत्री** मुम्बई समाशोधन योजना का कल्याण परिसर तक विस्तार के बारे में 21 जुलाई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 715 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई बैंकर्स क्लीयरिंग हाऊस के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) समिति द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। मुम्बई बैंकर्स क्लीयरिंग हाउस के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति ने 19 दिसम्बर, 2002 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।

(ग) और (घ) इस समिति ने टिटवाला के लिए दुतरफा समाशोधन, उरान के लिए इकतरफा समाशोधन तथा खोपाली के लिए पूर्व यथा स्थिति (इकतरफा समाशोधन) को बनाए रखने की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन सिफारिशों को लागू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को ऋण

2724. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में गठित नायक समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में लघु उद्योग के लिए संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और अन्य संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन उपगर्वनर श्री पी.आर. नायक की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में एक समिति गठित की थी। समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सिफारिशें की:

1. सम्पूर्ण लघु उद्योग क्षेत्र के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की गणना।
2. कार्यशील पूंजी कुशलता से प्रयोग करने वाले ग्रामीण एवं अत्यंत छोटे एककों को अधिमान्यता देना।
3. लघु उद्योग एककों की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की गणना 1 करोड़ रु. तक की ऋण सीमाओं के लिए एकक के अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20% के सरलीकृत तरीके के आधार पर करना।
4. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उच्च लघु उद्योग के ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट या समर्पित शाखाएं खोलना, जहां पंजीकृत लघु उद्योग एककों की सघनता 1000 से 2000 के बीच हो।
5. कच्चे माल/विशिष्ट लागत में वृद्धि वाले अप्रत्याशित आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करना।
6. बैंकों के लिए एक ही स्थान पर योजना को पूरी तरह से अपनाना।
7. रुग्ण लघु उद्योग एककों के वर्गीकरण के लिए संशोधित परिभाषा।
8. संभावित रूप से अर्थक्षम के रूप में पहचान किए गये रुग्ण लघु उद्योगों के लिए प्रभावी पुनर्वास पैकेज।

(ग) नायक समिति की उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 1995-96 के संघीय बजट में सात प्वाइन्ट कार्य योजना की घोषणा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे संबंधित नायक समिति की सिफारिशें भी कार्यान्वित की। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय भी शुरू किए गए हैं;

1. कार्यशील पूंजी ऋण को बढ़ाकर (वार्षिक अनुमानित आवर्त के न्यूनतम 20% आधार पर परिकलित) 5 करोड़ रुपये तक करना।
2. बैंकों को यह सुनिश्चित करना कि लघु उद्योग क्षेत्र को उधार दी गई उनकी कुल निधियों का कम से कम 40% उन एककों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 लाख रु. तक हो और 20% उन एककों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 लाख रु. और 25 लाख रु. के बीच हो जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों का 60% अत्यंत लघु क्षेत्र के छोटे एककों को दिया गया है।
3. बैंकों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशिष्ट लघु उद्योग शाखा खोलने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को लघु उद्योग क्षेत्र को अपनी अग्रिम राशि का 60% या अधिक देने वाली सामान्य शाखाओं को विशिष्ट लघु उद्योग शाखाओं के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दे दी गई है।
4. बैंकों को संमिश्र ऋण सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की सलाह दी गई थी।
5. लघु उद्योग एककों के पिछले अच्छे कार्य निष्पादन रिकार्ड एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने के लिए सभी लघु उद्योग उधारखातों के लिए छूट सीमा को विद्यमान 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना।
6. बैंकों को सलाह दी गई है कि 25,000/- रुपये तक के ऋणों के लिए आवेदन पत्र 2 सप्ताह के भीतर तथा अधिक राशि के लिए आवेदनपत्र 4 सप्ताह के भीतर निपटाए जाएं बशर्ते ऋण आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो तथा इनके साथ जांच सूची लगी हो।
7. लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता की घटना रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 2002 में संशोधित दिशानिर्देशों का एक पूर्ण सेट जारी किया है; तथा
8. बैंकों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि शाखा स्तर के पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए तथा लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति रवैये में बदलाव लाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं।

[अनुवाद]

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश

2725. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार के बहुत से कार्यालयों में पांचवें वेतन आयोग की अनेक सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों को 24 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद भी द्वितीय वित्तीय वृद्धि नहीं दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विसंगतियों को दूर करने तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) पांचवें वेतन आयोग की स्वीकृत कुछ सिफारिशों को पूर्व-निर्धारित शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही कार्यान्वित किया जा सकता है। केन्द्र सरकार के सम्बद्ध कार्यालय कभी-कभी इस किस्म के मामलों को स्पष्टीकरण के लिए नोडल मंत्रालय को भेजते रहते हैं।

(ग) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वृद्धि कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करती है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वृद्धि के लिए कर्मचारियों को इन शर्तों को पूरा करना अपेक्षित होता है। इस स्कीम के लिए नोडल विभाग होने के नाते कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से ऐसा कोई भी संदर्भ/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह बताया गया हो कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम को केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मौलिक अधिकार

2726. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा अंत:स्थापित शिक्षा के अधिकार से संबंधित भारत के संविधान का अनुच्छेद 21क, 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। तथापि, कार्य तथा स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास योजनाओं की समीक्षा

2727. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रियान्वित की जा रही विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) दसवीं योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विशिष्ट समीक्षा नहीं की गई है। इन योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा योजना की मध्यावधि में की गई समीक्षा के दौरान की जाएगी।

अनु. जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नीति

2728. श्री रतन लाल कटारिया:
श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री अनंत नायक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में अनु. जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश मामलों में इन श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारी संख्या की तुलना में कम है;

(घ) यदि हां, तो समूह-वार, उसका ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) रोजगार के अवसरों तथा प्रोन्नति के संदर्भ में इन श्रेणियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए नौकरियों के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इन श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण किया है। अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए क्रमश: 15%, 7.5% और 27% का आरक्षण दिया जा रहा है। जहां कहीं राज्य-वार आधार पर सीधी भर्ती की जाती है, वहां संबंधित राज्यों में आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी को आरक्षण दिया जाता है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्टों की वार्षिक समीक्षा के अनुसार, कुछ मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का निर्धारित प्रतिशत पूरा कर दिया गया था, जबकि अन्य मामलों में अभी भी कुछ कमी है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का वर्ग-वार प्रतिनिधित्व संलग्न विवरण में दिया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में कमी के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) घाटा उठा रहे कुछ बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कुछ समय के लिए नए रिक्त पदों को न भरने का प्रावधान किया गया है।

(2) कई राज्यों में पर्याप्त अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का उपलब्ध न होना।

(3) विशिष्ट पदों के लिए आरक्षित वर्ग के उपयुक्त अभ्यर्थी पाने में कठिनाई होना।

(4) आरक्षित वर्ग के कुछ चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति होने पर रिपोर्ट न करना।

(5) सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सितम्बर, 1993 से ही शुरू किया गया था और आरक्षण के प्रयोजक से अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की गणना सितम्बर, 1993 के बाद ही की गई थी।

(6) इन्दिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिरोपित अग्रनीत आरक्षण सहित किसी भी वर्ष में आरक्षण के आधार पर भरे जाने वाले पदों की संख्या पर 50% की उच्चतम सीमा।

(ङ) 1997 तक बैंकों ने पूर्व में भरे गए पदों को छंटाई करने के लिए विशेष अभियान चलाया था। सितम्बर, 1997 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी एंड टी) ने निर्देश जारी किया था कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्था सहित एक वर्ष में आरक्षण के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या को समाप्त कर दिया गया है। डी ओ पी एंड टी ने बाद में अपने निर्देशों को संशोधित किया कि आरक्षित रिक्त पदों को भरे जाने की 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा केवल उन आरक्षित रिक्त पदों पर लागू होगी जो पद चालू वर्ष में रिक्त हुए हैं तथा पूर्व वर्षों के अ.जा./अ.ज.जा. के लिए न भरे गए अग्रनीत आरक्षित पदों को इससे भिन्न तथा अलग समूह के रूप में माना जाएगा और इस उच्चतम सीमा के अध्यधीन नहीं होगा। इसे ध्यान में रखते हुए बैंकों को सलाह दी गई है कि वे न भरे गए पदों को भरने के लिए संगठित प्रयास करें।

विवरण

वर्ग	कर्मचारियों की कुल सं.	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
अधिकारी	219639	32346	11581	3819
लिपिक	372186	59411	18229	11026
अधीनस्थ कर्मचारी	149523	38328	9333	8943

उपभोक्ता क्लब

2729. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सरकार से उपभोक्ता क्लब स्थापित करने के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोक्ता क्लब स्थापित करने हेतु कर्नाटक में पहचाने गए शिक्षा संस्थानों की संख्या कितनी है; और

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। 14.7.2003 को कर्नाटक सरकार से उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में स्कूली बच्चों में जागरूकता पैदा करने और उनमें उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की भावना भरकर युवाओं को एकजुट करने के लिए स्कूलों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना करने की हाल ही में बनाई गई स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया गया है। स्कीम के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता क्लब के लिए 10,000/- रुपए की धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) उपभोक्ता क्लबों की स्थापना के लिए अनुदान मंजूर करने के लिए कर्नाटक सरकार अथवा कर्नाटक के किसी शिक्षण संस्थान से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपभोक्ता क्लबों की स्थापना के लिए अभी तक किसी भी संस्थान को कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया है।

बैंकों के स्टाक धारकों को लाभांश

2730. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री प्रबोध पण्डा:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अंतरिम लाभांश का भुगतान करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अंतरिम लाभांश के रूप में कितनी धनराशि जुटाने की संभावना है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को किन कारणों से अंतरिम लाभांश का भुगतान करने को कहा गया है;

(ङ) गत वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कितने लाभांश का भुगतान किया; और

(च) वर्ष 2002-03 के दौरान इन बैंकों द्वारा अपनी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की स्थिति में सुधार के बावजूद कम लाभांश घोषित करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क), (ख) और (घ) सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों के अच्छे कार्य निष्पादन तथा सितम्बर, 2003 को समाप्त उनके अर्द्धवार्षिक निवल लाभ में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बैंकों से कहा गया था कि वे दिसम्बर, 2003 को समाप्त तिमाही के खातों को अंतिम रूप देने पर अथवा उसके पूर्व अंतरिम लाभांश के भुगतान पर विचार करें।

(ग) सरकार को भुगतान किए जाने के पश्चात् ही राशि की जानकारी होगी।

(ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 2001-02 के 630.65 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2002-03 में 830.87 करोड़ रुपए की राशि लाभांश के रूप में दी है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ

2731. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ने विभिन्न राज्यों से प्रमुख गैर-राष्ट्रीयकृत लघु वन उत्पादों की खरीद हेतु योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में खरीद केन्द्रों की सूची तैयार कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्यों विशेषकर कर्नाटक को कोई वित्तीय सहायता भी दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) ट्राइफेड के संशोधित उप-नियमों के अनुसार इस संगठन का मुख्य उद्देश्य स्वावलम्बन तथा आपसी सहयोग के माध्यम से जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करना है। सौंपे गए दायित्वों के अनुसार इस संगठन की गतिविधियां जनजातीय उत्पादों का विपणन विकास से संबंधित हैं न कि व्यापार से।

(ङ) और (च) राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम को सहायता-अनुदान योजना के अंतर्गत राज्यों को लघु वन उत्पादों के प्रापण हेतु निधियां, निर्मुक्त की जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, इस अवधि में कर्नाटक को कोई निधियां निर्मुक्त नहीं की गई।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001-2002	वर्ष 2002-2003
1.	आंध्र प्रदेश	150.00	520.00	480.00
2.	गुजरात	150.00	—	—
3.	केरल	—	—	225.00
4.	मेघालय	—	47.00	100.00
5.	उड़ीसा	192.00	200.00	400.00
6.	राजस्थान	—	251.61	119.37
7.	महाराष्ट्र	350.00	200.00	—
8.	त्रिपुरा	—	62.06	122.00
9.	पश्चिम बंगाल	—	—	53.63

यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का दौरा

2732. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने नई दिल्ली का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके साथ कोई व्यापार संबंधी वार्ता की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने 29 नवम्बर, 2003 को नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत का दौरा किया था।

(ख) से (घ) सम्मेलन के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश के संवर्धन और बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया गया था। व्यापार तथा विकास कार्यक्रम (टी आई डी पी) के लिए वित्त

पोषण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा सीमाशुल्क सहयोग करार पर आद्याक्षर किए गए थे।

गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित निधियां

2733. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार विशेषकर झारखंड और बिहार में सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित तथा स्वीकृत की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य विशेषकर झारखंड और बिहार में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निष्पादित परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी करने का कोई सरकारी प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) संबंधित क्षेत्र स्तर और राज्य स्तर के एजेंसियां और केन्द्र सरकार के स्तर पर मुख्यालय इन परियोजनाओं की मानीटरिंग करते हैं। अनुदान किस्तों में जारी किया जाता है। दूसरी ओर बाद की किस्त तभी जारी की जाती हैं जब पूर्व में जारी की गई राशि के व्यय की प्रगति जांच के बाद संतोषजनक पाई गई हो।

विवरण

गैर-सरकारी संगठनों को संस्वीकृत/रिलीज की गयी राज्य-वार निधि

(लाख रु. में)

हस्तशिल्प क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 15 दिस., 03 तक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	16.44	38.78	32.24	38.82	126.28
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप	0.73	2.76	0	0	3.49
3.	अरुणाचल प्रदेश	25.15	1.73	19.88	25.25	72.01
4.	असम	54.60	98.32	53.82	60.82	267.56
5.	बिहार	6.79	14.30	3.44	2.91	27.44
6.	छत्तीसगढ़	0	47.84	12.90	11.30	72.04
7.	दिल्ली	88.17	116.66	227.22	122.09	554.14
8.	गोवा	1.24	0.98	0	0	2.22
9.	गुजरात	31.47	45.84	33.42	19.03	129.76
10.	हरियाणा	5.87	25.35	32.69	13.24	77.15
11.	हिमाचल प्रदेश	29.61	65.27	51.58	53.08	199.54
12.	जम्मू व कश्मीर	23.76	36.88	132.87	17.97	211.48

1	2	3	4	5	6	7
13.	झारखंड	0	2.72	18.38	8.76	29.86
14.	कर्नाटक	11.99	21.49	11.76	35.33	80.57
15.	केरल	8.64	10.66	37.46	19.84	76.60
16.	मध्य प्रदेश	43.82	84.92	89.55	25.60	243.89
17.	महाराष्ट्र	33.48	34.87	28.55	73.75	170.65
18.	मणिपुर	45.06	33.56	26.52	28.69	133.83
19.	मेघालय	6.29	5.69	16.59	7.93	36.50
20.	मिजोरम	17.17	2.34	0	13.80	33.31
21.	नागालैंड	69.02	16.45	42.83	23.94	152.24
22.	उड़ीसा	47.70	34.37	77.73	12.22	172.02
23.	पंजाब	10.93	82.50	20.35	91.03	204.81
24.	पांडिचेरी	0	0.85	0.84	0	1.69
25.	राजस्थान	23.44	40.19	53.09	66.50	183.22
26.	सिक्किम	0.90	0.34	2.75	0	3.99
27.	तमिलनाडु	17.77	35.71	18.72	20.33	92.53
28.	त्रिपुरा	19.93	32.05	13.96	17.71	83.65
29.	उत्तर प्रदेश	378.15	636.97	423.06	78.36	1516.54
30.	उत्तरांचल	6.98	44.98	21.45	10.42	83.83
31.	पश्चिम बंगाल	34.33	54.20	57.34	55.75	201.62
	कुल	1059.43	1669.57	1560.99	954.47	5244.46

बाबा साहेब अम्बेडकर विकास योजना के तहत संस्वीकृत राज्य-वार परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2001-02 के दौरान संस्वीकृत परियोजना	वर्ष 2002-03 के दौरान संस्वीकृत परियोजना	वर्ष 2003-04 के दौरान संस्वीकृत परियोजना (नव. 03 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6	—	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	1	1

1	2	3	4	5
3.	असम	16	—	1
4.	बिहार	1*	6	—
5.	छत्तीसगढ़	7	—	1
6.	दिल्ली	3	4	1
7.	गोवा	—	—	—
8.	गुजरात	9	1	3
9.	हरियाणा	5	1	1
10.	हिमाचल प्रदेश	11	2	2
11.	जम्मू व कश्मीर	6	4	—
12.	झारखंड	2	5	1
13.	कर्नाटक	2	3	3***
14.	केरल	8	—	9****
15.	मध्य प्रदेश	16	2	3
16.	महाराष्ट्र	5	—	1
17.	मणिपुर	2	—	—
18.	मेघालय	2	—	—
19.	मिजोरम	2	—	—
20.	नागालैंड	6	—	—
21.	उड़ीसा	16**	8	2
22.	पांडिचेरी	1	—	—
23.	पंजाब	3	1	—
24.	राजस्थान	11	2	—
25.	सिक्किम	—	1	—
26.	तमिलनाडु	11	—	—
27.	त्रिपुरा	12	1	1
28.	उत्तर प्रदेश	25	2	5
29.	उत्तरांचल	5	2	1
30.	पश्चिम बंगाल	22	1	—
	कुल	222	42	38

* 2002-03 में पुनः अभिपुष्ट।

** 2002-03 में पुनः अभिपुष्ट की गयी 3 परियोजनाएं।

*** एक राज्य निगम शामिल है।

**** छह राज्य निगम शामिल है।

अक्तूबर, 1999 से 31 अक्तूबर, 2003 तक, सीसीएफ-1 के अधीन जिन गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी गयी, उनका राज्य-वार वितरण

पटसन क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	सहाय्यित गैर-सरकारी संगठन की सं.	शामिल लाभार्थी	राशि लाख रु. में
1.	आंध्र प्रदेश	15	490	18.68
2.	असम	9	400	12.68
3.	बिहार	6	260	8.75
4.	दिल्ली	3	85	4.73
5.	गुजरात	3	380	5.01
6.	हरियाणा	3	120	5.29
7.	हिमाचल प्रदेश	4	120	6.56
8.	जम्मू व कश्मीर	3	75	4.30
9.	झारखंड	4	115	5.73
10.	कर्नाटक	2	80	3.29
11.	केरल	2	60	3.00
12.	मध्य प्रदेश	6	195	7.55
13.	महाराष्ट्र	7	185	8.92
14.	मिजोरम	1	20	1.00
15.	उड़ीसा	12	390	16.14
16.	राजस्थान	6	155	9.71
17.	त्रिपुरा	2	105	2.62
18.	तमिलनाडु	4	40	5.18
19.	उत्तर प्रदेश	4	217	6.82
20.	उत्तरांचल	1	30	1.43
21.	पश्चिम बंगाल	22	645	30.20
	कुल	119	4167	167.59

रेशम उत्पादन क्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी) की स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत, रेशम उत्पादन परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिहार और झारखंड राज्य में तसर और एरी कृषि के विकास के लिए 2003-04 से शुरू होने वाले वर्ष से 4 वर्षों की अवधि के लिए गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजनाओं की लागत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रु. में)

राज्य	कुल लागत	भारत सरकार का अंश		आभार्थी अंशदान	ऋण
		एमआरडी	सीएसबी		
बिहार	14.41	6.23	2.09	2.89	3.20
झारखंड	28.28	11.82	4.55	6.67	5.24

अवसंरचना विकास वित्त निगम (आई.डी.एफ.सी.)

2734. श्रीमती प्रभा राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवसंरचना विकास वित्त निगम (आई.डी.एफ.सी.) ने यह प्रस्ताव रखा है कि एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति रजिस्टर बनाया जाए जिसमें सरकार के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध किया जाए ताकि सरकारी और निजी भागीदारी द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई परियोजनाओं में सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता वाली परियोजनाएं

2735. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा परियोजना-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से अभी तक निष्पादित किए गए कार्य का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	भागीदारी राज्य का नाम	हस्ताक्षर/समापन की तारीख	सहायता-राशि	31.10.2003 को संचयी संवितरण
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	महाराष्ट्र	14.01.1999/ 31.03.2005	116.9 अमरीकी डालर (आईडीए)	43.71
2.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	केन्द्रीय परियोजना	22.06.1998/ 31.12.2004	100.00 अमरीकी डालर (आईडीए) 96.8 अमरीकी डालर (आईबीआरडी)	124.098

1	2	3	4	5	6
3.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता (जलस्वराज्य परि.)	महाराष्ट्र	30.09.03/ 31.03.2009	181.00 अमरीकी डालर (आईडीए)	0.0
4.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना	केन्द्रीय परियोजना	05.08.2002/ 31.12.2008	79.00 अमरीकी डालर (आईडीए) 463.00 अमरीकी डालर (आईबीआरडी)	41.248
5.	मुंबई मल जल निपटान परियोजना	केन्द्रीय परियोजना	28.12.1995/ 31.12.2003	112.783 अमरीकी डालर (आईबीआरडी) 25.000 (आईडीए)	128.509
6.	जलविज्ञान परियोजना	महाराष्ट्र सहित बहु-राज्यीय	22.09.1995/ 31.12.2003	122.4 (आईडीए)	93.26

आईबीआरडी- अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक
आईडीए- अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की व्यपगत पालिसियां

2736. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलआईसी ने व्यपगत पालिसियों के गौण बाजार कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो व्यपगत पालिसियों की संख्या कितनी है और उनका प्रीमियम मूल्य क्या है;

(ग) क्या नई पालिसियों की अपेक्षा व्यपगत पालिसियां अधिक धन वापसी के कारण अधिक आकर्षक हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि विगत में उनके द्वारा जारी की गयी योजनाओं में से कुछ के अंतर्गत प्रतिलाभ अधिक हो सकते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जूट प्रौद्योगिकी मिशन

2737. डा. रमेश चन्द तोमर:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 400 करोड़ रुपए वाले एक जूट प्रौद्योगिकी मिशन की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो पहचान की गई रुग्ण-जूट मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जूट मिलों को आधुनिक बनाने हेतु योजनाएं बनाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) सरकार ने राज्य सभा को 11.12.2002 को सूचित किया है कि "सरकार एक पटसन प्रौद्योगिकी मिशन" (जे.टी.एम.) शुरू करने पर विचार कर रही है।

(ख) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए योजना आयोग के अनुमोदनार्थ लंबित हैं, और यह 458.34 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पटसन

क्षेत्र के समग्र विकास के लिए है, इसे चार लघु मिशनों के माध्यम से लागू किया जाएगा:-

(करोड़ रुपए में)

लघु मिशन	उद्देश्य	कार्यकारी मंत्रालय	प्रस्तावित परिव्यय
लघु मिशन-1	कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को सुदृढ़ करना	कृषि मंत्रालय	20.39
लघु मिशन-2	कच्ची पटसन का विकास/विस्तार एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण	कृषि मंत्रालय	19.79
लघु मिशन-3	कच्ची पटसन के लिए कुशल बाजार संबंधों का विकास करना	वस्त्र मंत्रालय	155.26
लघु मिशन-4	पटसन उद्योग को आधुनिक बनाना, प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत करना, उत्पादकता में सुधार करना, विविधीकृत करना एवं मानव संसाधन का विकास करना	वस्त्र मंत्रालय	262.90
	कुल		458.34

(ग) और (घ) जी, हां। पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जे एम डी सी), जो वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक सांविधिक निकाय है, ने जुलाई, 2002 से "पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जे एम डी सी प्रोत्साहन योजना" शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी पटसन मिलों द्वारा सितंबर, 2003 तक खरीदी गई मशीनरी/उपकरण की लागत की 15 प्रतिशत तक सर्वत्र प्रतिबंधित थी। हालांकि, कम से कम 3 महीनों के लिए उपकर के भुगतान के बाद अपर्याप्त पटसन प्रसंस्करण सुविधाओं वाले पटसन उत्पादक क्षेत्रों से संबंधित नए स्थानों में नई आधुनिक पटसन मिलों की स्थापना के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 19 सितंबर, 2003 से 20 प्रतिशत कर दी गई है।

[हिन्दी]

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संबंधी कृतक बल

2738. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में उत्पादित और आयातित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानदण्डों का आंकलन करने के लिए एक कृतक बल का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) ऐसा कोई कृतक बल बनाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 23वीं बैठक (16 जुलाई, 2003) की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित विचारणीय विषयों के साथ खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यदल गठित किया है:

(1) उत्पादित/विनिर्मित/आयातित और बाजार में उपलब्ध कराए गए विभिन्न खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता आदि के संबंध में उपभोक्ताओं के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं का पता लगाना।

(2) निवारक तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।

भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कार्यदल के अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य संबंधित सरकारी विभागों, वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग संघों और गैर-सरकारी संगठनों से हैं। निदेशक (खाद्य और कृषि), भारतीय मानक ब्यूरो दल के सदस्य सचिव हैं।

(ग) कार्यदल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सरकारी व्यय

2739. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सरकारी व्यय को कम करने हेतु शुरू किए गए/अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सरकार का आकार कम करने हेतु हटाए गए सरकारी कर्मचारियों का प्रतिशत और प्राप्त परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अभी तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) गैर-योजना, गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करना सरकार का अनवरत प्रयास रहा है। इस संदर्भ में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं, जिनमें पदों के सृजन पर रोक, स्वीकृत पदों की संख्या में कटौती, रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबंध, कार्यालय व्यय में कमी, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेशी यात्रा तथा आतिथ्य/स्वागत-सत्कार व्यय पर प्रतिबंध, एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा पर प्रतिबंध, कार्यालय/आवासीय दूरभाषों पर निःशुल्क कालों की संख्या में प्रतिबंध आदि शामिल हैं।

(ख) से (ङ) व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 16,900 पदों को समाप्त किया जा चुका है। कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय ने सीधी भर्ती को वार्षिक सीधी भर्ती रिक्तियों के 1/3 तक प्रतिबंधित करने के निदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी किए, बशर्ते यह संख्या किसी कार्यालय विशेष की कुल पद संख्या के एक प्रतिशत से ज्यादा न हो। पिछले तीन वर्षों के दौरान करीब 51,000 पद समाप्ति के लिए चिन्हित किए गए हैं।

वर्ष	समाप्ति के लिए चिन्हित पदों की संख्या
2000-01	16,331
2001-02	27,693
2002-03	7,027

कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन

2740. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी कार्य विभाग द्वारा वर्तमान नियमों और विनियमों का तथाकथित उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) इनमें से कितने मामलों की जांच की गई और इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से कितने मामलों की जांच पूरी कर ली गई है और उनके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) विभाग कंपनी अधिनियम की धारा 209क के अंतर्गत निरीक्षण या धारा 235/237 के अंतर्गत जांच करता है, यदि किसी कंपनी द्वारा की गई अनियमितता पाई जाती है। यदाकदा निरीक्षण करने के भी आदेश किए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में आदेशित निरीक्षणों/जांचों की संख्या निम्न प्रकार हैं-

वर्ष	आदेशित निरीक्षणों की संख्या	आदेशित जांचों की संख्या
2000-01	270	शून्य
2001-02	190	8
2002-03	37	4

(ख) और (ग) हो सकता है कि किए जाने वाले निरीक्षण/जांचे उसी वर्ष पूरी न हो, अत: संदर्भाधीन वर्ष के दौरान उन मामलों के निरीक्षणों/जांचों के संबंध में जांच के परिणाम बता पाना संभव नहीं हो। तथापि, पिछले वर्ष आदेशित निरीक्षणों/जांचों के परिणाम वर्तमान वर्ष के दौरान तैयार होते रहते हैं। विभाग भी यदा-कदा आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए लेखों तथा दस्तावेजों की तकनीकी जांच करता रहता है। पूरी की गई जांचों/निरीक्षणों तथा वार्षिक विवरणियों की यदा-कदा की गई जांच के फलस्वरूप पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए अभियोजनों के बारे में स्थिति निम्न प्रकार हैं-

वर्ष	आरंभ किए गए अभियोजन
2000-01	9187
2001-02	8334
2002-03	9154

यह आवश्यक नहीं है कि उसी वर्ष आरंभ किए गए अभियोजन उसी वर्ष समाप्त हो जाएं, लेकिन पहले से आरंभ किए गए अभियोजन समाप्त हो सकते हैं। इस प्रकार पिछले 3 वर्षों के दौरान निपटाए गए अभियोजनों की संख्या निम्न प्रकार हैं-

वर्ष	निपटाए गए अभियोजनों की संख्या
2000-01	9615
2001-02	5658
2002-03	5467

दृष्टांतस्वरूप, अभियोजनों का परिणाम निम्न प्रकार हैं-

वर्ष	दोष सिद्धि	दोष मुक्त	माफी	किया गया जुर्माना (रुपयों में)
2000-01	2119	3757	3739	44,06,205
2001-02	2430	356	1629	42,67,676
2002-03	2804	441	866	59,53,475

आदिवासी क्षेत्र में नक्सलवादी गतिविधियां

2741. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियों के कारण अशांति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सामाजिक अशांति के कारणों का कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां, देश के आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियों के कारण अशांति है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के सीमा क्षेत्रों में जनजातियों का शोषण और नक्सलवादी आंदोलन की सक्रियता एक सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण पर एक अध्ययन शुरू किया गया है। इस अध्ययन की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(घ) गृह मंत्रालय की सूचना के अनुसार नक्सलवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नक्सलवाद का सामना करने के लिए सरकार की रणनीति

(1) वामपंथी उग्रवाद के आतंक से निपटने के लिए विशेष संख्या में सीआरपीएफ बटालियनों को चिन्हित किया गया है। उन्हें दीर्घावधि के आधार पर तैनात किया जाएगा और उनकी तैनाती के लिए राज्य प्रचालनात्मक योजना उपलब्ध कराएंगे। सीआरपीएफ यूनिटें इन क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई गतिविधियां भी शुरू करेंगी।

(2) राज्यों से नक्सलियों के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध दलों को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।

(3) वामपंथी ठिकानों की गैर-कानूनी गतिविधियों और कुकृत्यों को उजागर करने और सबसे निचले स्तर तक सरकार की कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने हेतु राज्य प्रचार-बोध कार्यक्रमों को शुरू करेंगे।

(4) आसूचना आधारित अंतर-राज्य समन्वयक नक्सलवादी रोधक संक्रियाओं को चलाने हेतु विहित जिला स्तर तथा पुलिस स्टेशन स्तर पर एक संस्थागत तंत्र होगा।

(5) राज्य नक्सलवादी समस्या के प्रतिरोध हेतु कार्रवाई सुसज्जित तथा पूर्ण-प्रशिक्षित त्वरित कार्रवाई दलों का गठन करेंगे।

(6) राज्यों से आईआर बटालियनें तैयार रखने और उन्हें नक्सलवादी प्रतिरोधी आपरेशनों में लगाने का अनुरोध किया गया।

(7) विस्फोटक सामग्री तथा बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए राज्य एक प्रतिरोधी नीति निरूपति करेंगे।

(8) एसआरई योजना की समीक्षा की जाएगी ताकि इस समस्या से निपटने के लिए इसे और प्रभावी बनाया जा सके।

(9) वामपंथी उग्रवादियों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही निधियों के पथ तथा प्रवाह का पता लगाने तथा इसे रोकने के लिए राज्यों द्वारा उपाय किए जाएंगे।

(10) राज्यों द्वारा वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में 'जन-अदालतों' को रोकने के प्रभावी प्रतिरोधात्मक उपाय किए जाएंगे। इसमें प्रभावी लोक शिकायत निवारण प्रणाली भी शामिल होगी।

(11) आसूचना ब्यूरो के सहयोग से राज्यों द्वारा यथाशीघ्र अंतर-राज्य आसूचना समर्थन दलों की स्थापना की जाएगी।

(12) राज्यों द्वारा राज्य तंत्र के अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य पदाधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी।

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2742. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों में यूको बैंक की कितनी शाखाएं स्थापित की गई;

(ख) क्या यूको बैंक ने उड़ीसा में किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और यूको बैंकों द्वारा उड़ीसा में कितने किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) जारी किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) यूको बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान देशभर में 7 शाखाओं को खोला है किन्तु उड़ीसा राज्य में कोई भी शाखा नहीं खुली है।

(ख) से (घ) यूको बैंक ने उड़ीसा राज्य में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों नामत: बालासोर ग्राम्य बैंक एवं कटक ग्राम्य बैंक को प्रायोजित किया है तथा उड़ीसा में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने परिचालन क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान 2,04,997 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

पदोन्नति नीति

2743. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को अनुच्छेद 16 (4क) के संवैधानिक संशोधन और दिनांक 21 जनवरी, 2002 के कार्मिक विभाग के परवर्ती कार्यालय ज्ञापन सं. 20011/1/2001-स्था. (डी) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उक्त परिपत्र को 30 जनवरी, 1997 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रूस से बिना तराशे हुए हीरों का आयात

2744. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि रूस के वाल्दिवास्टाक के पास पर्याप्त मात्रा में बिना तराशे हुए हीरे हैं जिनका मूल्यवर्धित निर्यात हेतु भारत में आयात किया जा सकता है और उन पर पालिश की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् से परामर्श करने हेतु कोई पहल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) रूस विश्व में बिना तराशे हुए हीरों का एक अग्रणी उत्पादक है। रूस का लगभग 80 प्रतिशत उत्पादन साखा गणराज्य में उनकी खानों से आता है। रूस और भारत के बीच बिना तराशे हुए प्राकृतिक हीरों और मूल्यवान धातुओं के व्यापार के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक आशय प्रोटोकाल पर अक्तूबर, 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। बिना तराशे हुए हीरों के आयात के लिए भारत की ओर से एम एम टी सी लि. को मुख्य एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया है। बिना तराशे हुए हीरों की रूसी राज्य आगार (डिपोजिटरी) गोखरन से बिना तराशे हुए हीरों की खरीद के लिए एम एम टी सी और रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् (जी जे ई पी सी) के संयुक्त शिष्टमंडल द्वारा मास्को में अनेक साइटिंग आयोजित

किए गए हैं। तथापि, गोखरन ने यह संकेत दिया है कि उसके पास निर्यात के लिए बिना तराशे हुए हीरे सीमित मात्राओं में ही उपलब्ध हैं और वह भी शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। यह मालूम हुआ है कि रूस का अग्रणी हीरा उत्पादक अलरोसा नीलामियों के जरिए अलग-अलग कंपनियों को बिना तराशे हुए हीरों की बिक्री करता है। भारतीय कंपनियां व्यक्तिगत आधार पर ऐसी नीलामियों में भाग ले सकती हैं और आपसी लाभ के आधार पर अलरोसा के साथ वाणिज्यिक सौदा तय करने का प्रयास कर सकती हैं।

गाखा और वाल्दिवास्टाक में कुछ स्थानीय हीरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ये स्थानीय प्रसंस्करण संयंत्र हैं और अलरोसा तथा गोखरन से कच्चे हीरों की आपूर्ति प्राप्त करते हैं।

एम एम टी सी ने सूचित किया है कि गोखरन के साथ अब तक 591,916.83 अमरीकी डालर के मूल्य के 5037.59 कैरेट बिना तराशे हुए हीरों के एक ठेके को सम्पन्न किया गया है और भारत में प्रसंस्करण के लिए बिना तराशे हुए हीरे प्राप्त हो चुके हैं।

सेबी हेतु ओमबड्समैन

2745. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी का विचार निवेशकों की शिकायतों के समाधान हेतु हाल ही में एक 'ओमबड्समैन स्कीम' बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंजों सहित सभी स्टाक एक्सचेंजों में 'ओमबड्समैन' स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) मध्यवर्तियों और सूचीकृत कंपनियों के विरुद्ध निवेशकों की शिकायतों का आपसी सहमति से अथवा न्यायनिर्णयन द्वारा समाधान करने हेतु ओमबड्समैन का कार्यालय स्थापित करने की व्यवस्था करने के लिए दिनांक 21 अगस्त, 2003 को सेबी (ओमबड्समैन) विनियम, 2003 अधिसूचित किए गए हैं।

(ग) और (घ) स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के बीच अथवा इनमें से सदस्य और निवेशक के बीच विवादों के निपटान के प्रयोजनार्थ स्टॉक एक्सचेंजों में प्रवृत्त विवाचन प्रक्रम प्रवृत्त रहेगा और इसे ओमबड्समैन के कार्यालय द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा।

संदिग्ध हाऊसिंग वित्त कंपनियां

2746. श्री रामटहल चौधरी:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संदिग्ध विश्वसनीयता वाली कई हाऊसिंग वित्त कंपनियां कार्य कर रही है और लोगों को दोखा दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो वे कंपनियां कौन सी हैं और ये कहां अवस्थित हैं; और

(घ) इन कंपनियों द्वारा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) ने सूचित किया है कि ऐसी कोई कंपनी कार्य नहीं कर रही है न हीं ऐसा कोई उदाहरण राष्ट्रीय आवास बैंक की जानकारी में लाया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नाबार्ड के माध्यम से ऋण

2747. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में अब तक विकास परियोजनाओं हेतु उड़ीसा को वित्तीय संस्थाओं और नाबार्ड द्वारा कितनी सहायता दी गई है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में यह सहायता बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों से धन

2748. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने यह घोषणा की है कि 30 सितम्बर, 2003 तक भारत में किया गया कुल निवल विदेशी निवेश 72,965 करोड़ रुपए था;

(ख) यदि हां, तो 1 अक्तूबर, 2003 से 30 अक्तूबर, 2003 के दौरान भारत में निवेशित धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों से आए इस धन की अचानक निकासी से बाजार अस्थिर होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सेबी का विचार अनियंत्रित सट्टेबाजी को रोकने हेतु कोई ''लाक-इन'' नियम लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सेबी द्वारा प्रस्तावित इन ''लाक-इन'' नियमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार दिनांक 30 सितम्बर, 2003 तक कुल निवल विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश 77,404.3 करोड़ रुपए था।

(ख) सेबी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 1 अक्तूबर, 2003 से 30 अक्तूबर, 2003 के दौरान निवल विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश 6,722.8 करोड़ रुपए था।

(ग) चालू वर्ष के लिए एफआईआई इक्विटी कारोबार का नकदी खंड में सदृश बाजार कारोबार की तुलना में किया गया एक अध्ययन यह निर्दिष्ट करता है कि सदृश बाजार कारोबार की प्रतिशतता के रूप में एफआईआई कारोबार 4.2 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत के बीच है। यह निर्दिष्ट करता है कि बाजार गतिविधि में वृद्धि को केवल एफआईआई पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सरकार को सेबी से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

पूर्वोत्तर राज्यों में ऋण जमा अनुपात

2749. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अन्य भागों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में ऋण जमा अनुपात कम है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में ऋण जमा अनुपात में सुधार करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान देश की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में जमा, ऋण और ऋण जमा अनुपात कितना है और इस क्षेत्र में कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र का राज्यवार हिस्सा कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के ऋण जमा (सीडी) अनुपात की संबंधित राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति और भारतीय रिजर्व की तिमाही बैठकों में लगातार समीक्षा की जा रही है। संबंधित बैंकों को इन राज्यों में जमा, ऋण एवं ऋण जमा अनुपात में सुधार करने की लगातार सलाह दी जा रही है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना दिनांक 27.6.2003 तक की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के लिए ऋण, जमा एवं ऋण जमा अनुपात का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	जमाराशियां	ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	2016142	581259	28.8
2.	सिक्किम	102785	18268	17.8
3.	अखिल भारत	129599309	73922638	57.0

अत: दो वर्षों के दौरान देश की तुलना में इस क्षेत्र के लिए कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंश के राज्यवार आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं।

सड़क परियोजना हेतु विश्व बैंक की सहायता

2750. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक देश में सड़क परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण भारत में सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण में वृद्धि करने का इच्छुक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। विश्व बैंक, भारत सरकार तथा राज्यों के साथ सड़क परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए इच्छुक है। अभी हाल ही में, दिनांक 14.10.2003 को विश्व बैंक ने इलाहाबाद बाइपास परियोजना के लिए 240 मिलियन अमरीकी डालर राशि का ऋण अनुमोदित किया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विश्व बैंक सड़क क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं के लिए पहले ही लगभग 600 मिलियन अमरीकी डालर राशि की सहायता हेतु वनचबद्धता कर चुका है।

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

2751. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित हथकरघा उत्पादों की राज्यवार और उत्पाद-वार मात्रा कितनी है;

(ख) संबंधित अवधि के दौरान हथकरघा उत्पादों के निर्यात की उत्पाद-वार मात्रा कितनी है; और

(ग) हथकरघा क्षेत्र के संरक्षण हेतु हाल में क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित हथकरघा उत्पादों की मात्रा निम्नवत् है:

2000-01	7506.00 मिलियन वर्ग मीटर
2001-02	7585.00 मिलियन वर्ग मीटर
2002-03	5980.00 मिलियन वर्ग मीटर

हथकरघा उद्योग के अत्यन्त विकेन्द्रीकृत किस्म होने के कारण, राज्यवार/उत्पादवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हथकरघा उत्पादों के निर्यात की मात्रा निम्नवत है:-

(कि.ग्रा. लाख में)

	फैब्रिक्स	मेड-अप्स	कुल
2000-01	222.96	934.70	1157.66
2001-02	251.09	832.39	1083.48
2002-03	447.43	923.98	1371.41

(ग) 10वीं योजना के दौरान हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय ने हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास एवं संरक्षण हेतु निम्नलिखित योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किया है:-

1. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम।
3. मिल गेट कीमत योजना।
4. दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
5. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
6. बुनकर कल्याण योजना।
7. हथकरघा निर्यात योजना।
8. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।
9. हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।
10. बुनकर बीमा योजना।
11. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण योजना।

बांग्लादेश से तस्करी

2752. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में बांग्लादेश और भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों के बीच व्यापार के संबंध में इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन के सहयोग से साउथ एशिया इन्टरप्राइजेज डेवलपमेंट फैसिलिटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह रहस्योद्घटित हुआ है कि एक वर्ष के दौरान किए गए 342 करोड़ रुपये के व्यापार में से केवल 52 प्रतिशत ही वैध तरीके से हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण से यह भी रहस्योद्घटित होता है कि शेष वस्तुओं की तस्करी सीमाओं के जरिए की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा-शुल्क जांच चौकी को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) ऐसे सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क प्राधिकारियों से सम्पर्क नहीं किया गया था।

(ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश के बीच 25 सीमा शुल्क गृह और पर्याप्त निवारक संगठन पहले से ही उपलब्ध है।

आंध्र प्रदेश हेतु विश्व बैंक ऋण

2753. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने ग्रामीण जलापूर्ति के लिए आंध्र प्रदेश रूरल पावर्टी रीडक्शन प्रोजेक्ट हेतु विश्व बैंक से ऋण घटक प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पेयजल से संबंधित कोई योजना शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार को राज्य में पेयजल हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विश्व बैंक से सहायता के लिए नवम्बर, 2003 में आंध्र प्रदेश सरकार से "एकीकृत ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय सफाई" नामक एक परियोजना प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग को प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों/ क्रियाविधियों का अनुसरण करने हेतु लौटा दिया गया है।

शोध संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

2754. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख शोध संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय बनाने अथवा दर्जा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त शोध संस्थानों की सूची क्या है और किन संस्थानों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान शोध संस्थानों को आबंटित धन का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान संस्थानों की प्रमुख परियोजनाएं अथवा किए गए कार्य कौन से हैं;

(घ) इन शोध संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास समूह क, ख और ग में अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में विभिन्न शोध संस्थानों से प्राप्त विस्तृत रिपोर्टें हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एम. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं। मंत्रालय ने किसी भी अनुसंधान संस्थान को मानद गए विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया है अथवा देने पर विचार नहीं कर रहा है।

(ग) मंत्रालय के अधीन कोई अनुसंधान संस्थान नहीं है। तथापि, यह निम्नलिखित वस्त्र अनुसंधान संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

(1) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (अटिरा), अहमदाबाद

(2) बंबई वस्त्र अनुसंधान संघ (बिटरा), मुंबई

(3) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (सिटरा), कोयम्बटूर

(4) उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा), गाजियाबाद

(5) सिंथेटिक और आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ (ससमीरा), मुंबई

(6) मानव-निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंतरा), सूरत

(7) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजीरा), कोलकाता

(8) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए), थाणे

ये वस्त्र अनुसंधान संघ, वस्त्र उद्योग द्वारा प्रोन्नत निजी निकाय हैं जिनकी स्थापना अनुसंधान कार्य करने और उद्योग को परामर्श, परीक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान आदि सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। उनकी आय के मुख्य स्रोतों में, सदस्य मिलों से अंशदान, प्रदत्त सेवाओं से शुल्क और सरकारी अनुदान शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान इन वस्त्र अनुसंधान संघों को आबंटित की गई निधियां नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

वर्ष	निधियों का आबंटन (लाख रुपयों में)
2000-01	1727
2001-02	1923
2002-03 (संशोधित प्राक्कलन)	2347

इस अवधि के दौरान इन वस्त्र अनुसंधान संघों ने मुख्यत: जिनिंग, कताई, बुनाई, रासायनिक और रसायनिक प्रौद्योगिकी, पर्यावरण अभियांत्रिकी, ऊर्जा संरक्षण, मशीनरी विकास, इलेक्ट्रोनिक्स और आसूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में वाणिज्यिक उपयोग की संभावना वाली परियोजनाएं शुरू की हैं।

(घ) से (च) ये वस्त्र अनुसंधान संघ सोसायटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी हैं और इन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा अनुसंधान कार्य करने के लिए सरकार से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। ये संघ, कर्मचारियों को नियुक्त करने, उनकी सेवा शर्तों आदि सहित सरकार के किसी भी प्रकार के नियंत्रण में नहीं हैं और ये किसी भी अन्य गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की तरह पूर्णत: स्वायत्तता प्राप्त हैं। प्रत्येक वस्त्र अनुसंधान संघ की अधिशासी परिषद (अथवा प्रबंधन समिति) होती है जिसमें उसके उपनियमों के अनुसार उसके सदस्यों द्वारा चयनित उद्योग प्रतिनिधि शामिल होते हैं। परिषद के सदस्य, अपने में से ही एक को अनुसंधान संघ का अध्यक्ष चुनते हैं। परिषद निदेशक/मुख्य कार्यपालक नियुक्त करती है। अध्यक्ष वस्त्र अनुसंधान संघ का समग्र प्रभारी होता है। वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वस्त्र आयुक्त, प्रशासन परिषद में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वस्त्र अनुसंधान संघों के अनुसंधान-कार्यक्रमों के लिए आवर्ती व्यय और अनावर्ती व्यय के रूप में दी गई निधियों का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।

बैंकों में कर्मचारियों की कमी

2755. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन बैंक में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार बैंक में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की रिक्ति संबंधी स्थिति क्या है; और

(ग) उन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा आऊटसोर्सिंग पर लगाई गई शर्तें

2756. श्री नरेश पुगलिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत में आऊटसोर्सिंग के दुष्परिणामों से बचने के लिए भारत से प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क अवरोधों को कम करने और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संरक्षण करने और देश में और अमरीकी वस्तुओं की आवक की अनुमति देने के लिए कहा है जैसाकि दिनांक 21 नवम्बर, 2003 के 'दी स्टेटसमैन' में "यू एस वार्नस इंडिया आफ अनदर बैकलैश" शीर्षक से प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं। सरकार को इस संबंध में अमरीका से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ को चावल का निर्यात

2757. श्री कमलनाथ: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देशों को निर्यातित खाद्यान्नों, विशेषकर बासमती चावल की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या उक्त देशों के कुछ प्रतिबंधों के कारण उन देशों को होने वाले निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत सरकार ने इस मामले को उन देशों की सरकार के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके क्या परिणाम निकले?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देशों को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये बासमती चावल की मात्रा निम्नानुसार है-

(लाख टन में)

वर्ष	बासमती चावल के निर्यात की मात्रा	
	यूरोपीय संघ	संयुक्त राज्य अमरीका
2000-01	1.71	0.36
2001-02	1.00	0.27
2002-03 (पी)	1.23	0.30

यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमरीका को अन्य खाद्यान्नों अर्थात् गैर-बासमती चावल और गेहूं का कोई उल्लेखनीय निर्यात नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

रज्जुमार्ग परियोजना हेतु सीमा शुल्क में छूट

2758. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की रज्जुमार्ग परियोजना हेतु उपकरणों के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क से पूरी छूट प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) संघ सरकार को तिरूपति से तिरूमाला तक फेरी तीर्थयात्रियों के लिए एरियल रोपवे सिस्टम के आयातित उपकरणों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) इस वर्ष के बजट में एरियल पैसेंजर रोपवे परियोजनाओं पर सीमा शुल्क को 5% तक कम किया गया है।

राष्ट्रीय सम विकास योजना

2759. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सम विकास योजना हेतु पहचान किए गए जिलों की संख्या कितनी है;

(ख) विकास के प्रथम चरण हेतु पहचान किए गए जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शेष अविकसित जिलों को कब तक सम्मिलित किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) 132

(ख) प्रथम चरण के 25 जिलों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान 41 और जिलों को शामिल किया गया है। शेष जिलों को अगले वर्ष से कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

विवरण

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत पिछड़ा जिला उपक्रमण के पहले चरण के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. अदिलाबाद
		2. वारंगल
2.	छत्तीसगढ़	3. बस्तर
		4. दंतेवाड़ा

1	2	3
3.	गुजरात	5. डंग्स
4.	झारखंड	6. लोहारडग्गा
		7. गुमला
		8. सिमडेगा
5.	कर्नाटक	9. गुलबर्ग
6.	केरल	10. पलाक्कड
7.	मध्य प्रदेश	11. बरवानी
		12. मांडला
		13. पश्चिमी निमाड़ (खारगौन)
8.	महाराष्ट्र	14. गड़चिरौली
		15. भंडारा
9.	राजस्थान	16. बांसवाड़ा
		17. डूंगरपुर
10.	तमिलनाडु	18. तिरूवन्नामलाई
11.	उत्तर प्रदेश	19. सोनभद्रा
		20. रायबरेली
		21. उन्नाव
		22. सीतापुर
		23. हरदोई
12.	पश्चिम बंगाल	24. पुर्रूलिया
		25. जलपाईगुड़ी

[हिन्दी]

बैंकों में पांच दिवसीय सप्ताह

2760. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1 जनवरी, 2004 से बैंकों में सप्ताह में छह कार्य दिवसों की विद्यमान संख्या को सप्ताह में पांच कार्य दिवस करने का है और बैंकों में कार्य के समय में भी बढ़ोत्तरी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुपारी के आयात पर रोक

2761. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश व्यापार महानिदेशक ने कुछ सुपारी निर्यातकों को आयात शुल्क लगाए बिना अग्रिम लाइसेंस के रूप में सुपारी आयात करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेश व्यापार महानिदेशक के इस निर्णय से बाजार में सुपारी के मूल्य में तीव्र गिरावट आयी है, जिससे केरल में फसल उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सुपारी उत्पादकों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) घरेलू स्थितियों के कारण सुपारी की कीमत में वर्षों से गिरावट का रूख मालूम हुआ है। सीमा शुल्क पहले ही 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

संबंधित उत्पादों के निर्यात के लिए वस्तुओं के शून्य शुल्क आयातों की अनुमति देने के लिए अग्रिम लाइसेंस प्रदान करना एक स्थापित नीति है। संबंधित निर्यात उत्पादों के लिए जिन उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जा रही है, उनका सामान्य तौर पर घरेलू कीमतों के साथ कोई सह-संबंध नहीं होना चाहिए। तदनुसार, सुपारी के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी किए गए हैं।

इस संबंध में, केरल सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था। अग्रिम लाइसेंसों के प्रयोजन को स्पष्ट कर दिए जाने के कारण लाइसेंस जारी करने की इस स्कीम को बंद करने का विचार नहीं है।

सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2762. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थाइलैंड के पर्यटकों के समूह ने अपनी बोध गया यात्रा के दौरान गया विमानपत्तन के सीमा शुल्क अधिकारियों के मनमाने व्यवहार के विरुद्ध शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) कोई औपचारिक अथवा लिखित शिकायत विमानपत्तन निदेशक, पर्यटन कार्यालय, गया अथवा सीमा शुल्क द्वारा दर्ज नहीं की गई है। यद्यपि घटना प्रेस के एक समाचार मद में प्रकाशित हुई थी। इस आधार पर जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 16.11.2003 को फुकेट एयरलाइन्स के द्वारा ग्रुप में गया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर 115 यात्री पहुंचे थे। ग्रुप के एक लीडर ने इस बात की जिद की थी कि उनके सामान की बिना जांच किए सीमा शुल्क की निकासी दी जाये। जब यह बात नहीं मानी गई तो वह व्यक्ति व्यक्तिगत आक्षेप लगाने लगा।

दिनांक 22 नवम्बर, 2003 को रवानगी के समय यह मालूम पड़ा कि ग्रुप के लीडर ने पहले से ही मीडिया के कुछ सदस्यों को आमंत्रित कर रखा था तथा जब सीमा शुल्क वाले सामान चेक करना चाहते थे तभी उसने ऐसा माहौल बना दिया जिसके फलस्वरूप जोशीले शब्दों का आदान-प्रदान हुआ। उक्त मामला तत्काल विमानपत्तन के प्रभारी सहायक आयुक्त की जानकारी में लाया गया जिन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया।

सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, गया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को ऐसी घटनाओं से युक्तिपूर्वक निपटने और यह सुनिश्चित करने की राय दी गई है कि सीमा शुल्क विधि को सही ढंग से लागू करने के साथ-साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ शालीनता बरती जाये।

निर्यात हेतु वित्तीय पैकेज

2763. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निर्यात के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय पैकेज अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे पैकेज के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(घ) वर्तमान में विश्व व्यापार में निर्यात का हिस्सा कितना है; और

(ङ) सरकार द्वारा बढ़ते विश्व बाजार में भारत के हिस्से को बढ़ाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने सतत आधार पर भारत के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु बाजार पहुंच पहल (एम ए आई) स्कीम का अनुमोदन किया है। यह स्कीम विशिष्ट बाजार के लिए विशिष्ट नीति तैयार करने और बाजार अध्ययन/सर्वेक्षण के जरिए विशिष्ट उत्पाद हेतु उत्पाद लक्षित-देश लक्षित पहुंच के आधार पर तैयार की गई है।

इस स्कीम के अनुसार निम्नलिखित घटकों के लिए राज्य सरकारों/निर्यात संवर्धन परिषदों/पंजीकृत व्यापार संवर्धन संगठनों/ निर्यातकों को सहायता दी जानी है:-

(1) विपणन अध्ययन।

(2) विपणन परियोजनाएं जिनमें शो रूप, वेयर हाऊस सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय विभागीय स्टोरों में प्रदर्शन, प्रचार अभियान और ब्रांड संवर्धन, व्यापार मेलों में भाग लेना, बी एस एम एस आदि, विदेश अनुसंधान और उत्पाद विकास और परियोजना के लक्षित देशों से प्रतिष्ठित क्रेताओं आदि की वापसी यात्राएं आदि शामिल हो सकते हैं।

(3) राज्यों के निर्यात संभावना सर्वेक्षण।

(4) भेषज, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि रसायनों के लिए विदेशों में उत्पाद पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रभार।

(5) इंजीनियरी उत्पादों के लिए परीक्षण प्रभार।

(6) ऐसे ही कार्यकलापों के लिए कुटीर और हस्तशिल्प इकाईयों और वास्तविक प्रदर्शनी के लिए वेबसाइट विकास हेतु।

(7) विदेशों में विपणन के लिए औद्योगिक समूहों की मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के लिए।

(8) डब्ल्यू टी ओ से संबंधित मामलों का अध्ययन।

(घ) कैलेण्डर वर्ष 2002 के लिए अन्य वस्तुओं के विश्व निर्यातकों में भारत का हिस्सा 0.8 प्रतिशत था।

(ङ) केन्द्रीय बजट 2003-04 और एग्जिम नीति 2003-04 के जरिए अनेक कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की गई हैं। एग्जिम नीति 2003-04 में सेवा निर्यातों पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड), 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयों (ई ओ यू) को सुदृढ़ करने आदि के लिए नीतियां तैयार की गई हैं। फोकस सी आई एस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। निर्यात उत्पादन के लिए प्रयुक्त निविष्टियों के आयात के लिए शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों को सुदृढ़ किया गया है। निर्यात संवर्धन सरकार का एक सतत प्रयास होने के कारण निर्यात कार्य निष्पादन पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।

सेब का निर्यात

2764. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य एजेन्सियों के माध्यम से सेब के निर्यात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान सेब निर्यात हेतु प्रत्येक एजेंसी को एजेंसी-वार कितनी मात्रा में निर्यात की अनुमति दी गई और कितना सेब जारी किया गया है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से सेब निर्यात की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) वर्तमान एक्जिम नीति के अंतर्गत सेब का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आई.एस.आई. मार्किंग

2765. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या उपभोक्ता उत्पादों के लिए आई.एस.आई. मार्क की आवश्यकता चयनात्मक (सेलेक्टिव) है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में निगरानी हेतु पर्याप्त सुविधाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन स्कीम जिसके तहत विनिर्माताओं को आई.एस.आई. चिह्न का प्रयोग करने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, का स्वरूप मूल रूप से स्वैच्छिक है। कोई भी विनिर्माता जो प्रमाणित भारतीय मानक के अनुसार उत्पाद बनाने में सक्षम हैं, आई.एस.आई. चिह्न का प्रयोग करने के लिए लाइसेंस लेने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को आवेदन कर सकता है। तथापि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में सरकार किसी भी उत्पाद को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के तहत लाने पर विचार कर सकती है। अब तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के जरिए पैकशुदा पेयजल, पैकशुदा प्राकृतिक खनिज जल, सीमेंट, खाद्य और खाद्य योजकों, एल पी जी सिलेण्डरों आदि जैसे 118 उत्पादों को अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो अपनी परीक्षण और निरीक्षण तथा निगरानी स्कीम के जरिए यह सुनिश्चित करता है कि उसके सभी लाइसेंसधारी संगत मानकों में निर्धारित विभिन्न गुणवत्ता विनिर्देशनों का अनुपालन करें। भारतीय मानक ब्यूरो का भारत में 8 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है जो वर्तमान में प्रमाणाधीन अधिकांश उत्पादों का परीक्षण कर सकती हैं। इसके अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो ने नमूनों की जांच की अपेक्षा को पूरा करने के लिए 100 से अधिक बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है। इन प्रयोगशालाओं

को या तो राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) द्वारा प्रत्यायित किया गया है या उन्हें सीधे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आई एस ओ 17025 के अनुसार मूल्यांकित किया गया है।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों के रिक्त पद

2766. डा. बलिराम: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने पद रिक्त हैं और ये पद कब से रिक्त हैं;

(ख) इन पदों को भरने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) न्यायादीशों के सभी रिक्त पदों को कब तक भर लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) 30 नवंबर, 2003 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 29 पद रिक्त थे।

28 अक्तूबर, 1998 की उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसरण में किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव चलाने का उत्तरदायित्व उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का है। तथापि, सरकार समय-समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को, जिनके अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी हैं, विद्यमान रिक्तियों तथा आगामी 6 मास के दौरान संभावति रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव चलाने हेतु कहती रही है।

[अनुवाद]

दूध पाउडर का आयात

2767. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूध पाउडर और दुग्ध उत्पादों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक देश में कितने दूध पाउडर और अन्य दुग्ध उत्पादों का आयात किया गया है; और

(ग) इन वस्तुओं के आयात करने के क्या विशिष्ट कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जुलाई, 03 तक पिछले 3 वर्ष के दौरान आयातित दुग्ध पाउडर और अन्य दुग्ध उत्पादों की मात्रा (नवीनतम उपलब्ध) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित भारत के मासिक विदेश व्यापार आंकड़े: खण्ड II (आयात) वार्षिक अंक में दिए गए हैं जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) भारत आयातों पर प्रतिबंधों को क्रमिक रूप से हटाने की सुसंगत नीति का 1991 से पालन कर रहा है। इस प्रक्रिया में कुछ दुग्ध और दुग्ध उत्पादों पर से आयात प्रतिबंध हटा भी दिए गए हैं। तथापि, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णत: दृढ़ निश्चयी है कि आयातों से घरेलू उत्पादकों को कोई गंभीर क्षति न पहुंचे। इस कार्य के लिए सरकार ने गैट के अनुच्छेद XXVIII के अंतर्गत 15 प्रतिशत की रियायती शुल्क दर पर इन उत्पादों की 10,000 मी. टन मात्रा की अनुमति देने के प्रावधान के साथ दुग्ध पाउडर पर वर्तमान 0 प्रतिशत बाध्यकारी दर से 60 प्रतिशत के लिए सफलतापूर्वक समझौता कर लिया है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

2768. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने बी.के. गोयनका द्वारा नियंत्रित कंपनी वेलसपुन गुजरात स्टाही रोदेर्न लिमिटेड की अपनी शेयरधारिता के 21.75 प्रतिशत के बराबर के 3.03 करोड़ इक्विटी शेयरों को बेचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके शेयर किस मूल्य पर बेचे गए थे;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने कुछ अन्य कंपनियों के शेयरों की भी बिक्री की है या बिक्री करने का प्रस्ताव है ताकि उनको दिए गए ऋणों की वसूली की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। आईएफसीआई लि. ने राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के स्क्रीन आधारित गौण बाजार कार्यों के जरिए 27.05 प्रति शेयर की कीमत पर शेयर बेचे हैं।

(ग) और (घ) चूक वाले ऋणों को इक्विटी में बदल दिया जाता है और कुछ मामलों में ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन ऋण करारों के प्रतिज्ञा पत्रों की शर्तों के अनुसार किया जाता है। निवेश पोर्टफोलियो से कड़े वाणिज्यिक विचार विमर्श के आधार पर शेयर बेचे जाते हैं। 2002-03 के दौरान परिवर्तन करने से प्राप्त इक्विटी शेयरों की बिक्री की राशि 12.09 करोड़ रु. थी। चालू वर्ष के दौरान दिनांक 30.9.2003 तक परिवर्तन करने से प्राप्त इक्विटी शेयर की बिक्री राशि 5.87 करोड़ रु. थी।

आर.बी.आई. के बांड

2769. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर.बी.आई. बांड्स हेतु इलेक्ट्रोनिक, स्वचालित प्रणाली का प्रयोग करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार मुम्बई में प्रायोगिक परियोजना के रूप में आर.बी.आई. बांड्स का परिवर्तन डिमैट में प्रमाणपत्र के रूप में शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो डिमैट सुविधाओं के लाभ क्या हैं; और

(घ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों तथा एजेंसी बैंकों द्वारा राहत बांडों में निवेश करने के संबंध में इलेक्ट्रोनिक प्रपत्र में बांड बही खाता खोलने की सुविधा डिमैट सुविधाओं के बढ़ते लाभों को दृष्टि में रखते हुए 3 मई, 1999 से प्रारंभ की जा चुकी है।

विश्व चाय सम्मेलन

2770. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गुवाहाटी में विश्व चाय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय चाय उद्योग द्वारा सम्मेलन में चाय उत्पादन और निर्यात हेतु क्या प्रस्ताव किए गए थे; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों के पास राज्य सरकारों की बकाया राशि

2771. श्री के. येरननायडू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास विभिन्न राज्य सरकारों के पक्ष में बड़ी मात्रा में बकाया धनराशि पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारें ऐसे देयों के भुगतान न होने के कारण गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इन बकाया देयों के भुगतान हेतु कारगर पहले हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी बैंकों के बोर्ड

2772. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ छोटे गैर-सरकारी बैंकों के बोर्ड को भंग किए जाने की मांग के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान भंग किए गए बोर्डों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र के छोटे बैंकों के बोर्डों को विघटित किये जाने के संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं और गुणवत्ता के आधार पर उन पर विचार किया जाता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 2003-04 के दौरान अभी तक गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक के बोर्ड को विघटित नहीं किया है।

विशिष्ट वाणिज्यिक न्यायालय

2773. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग उच्च न्यायालयों में विशिष्ट वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना करने की अवधारणा पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लोगों को शीघ्रतापूर्वक न्याय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) भारत के विधि आयोग ने स्वविवेक से, विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक मामलों के त्वरित निपटान प्रक्रिया के माध्यम से शीघ्र निपटारे के लिए ''उच्च न्यायालयों में त्वरित निपटान, वाणिज्यिक खंड का गठन'' विषय का अध्ययन करना आरंभ कर दिया है।

कृषि क्षेत्र में विकास दर

2774. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छी विकास दर दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि विकास दर में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि विकास दर में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने चालू वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में उपादान लागत पर, स्थिर मूल्यों पर विकास दर गत वर्ष की तुलनीय अवधि के दौरान 5.3 प्रतिशत की तुलना में 5.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है।

(ग) से (ङ) चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान गत वर्ष की तुलनीय अवधि के दौरान 2.7 प्रतिशत की तुलना में 1.7 प्रतिशत पर अनुमानित कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र की विकास दर मानसून-पूर्व की अवधि से संबंधित है जिस पर वर्ष 2002 के दौरान खराब मानसून के परिणामस्वरूप निरन्तर नमी के दबाव का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। वर्ष 2003 के दौरान अच्छे मानसून का वर्ष 2003-04 में विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है। वर्ष 2003-04 के बजट में यथा प्रस्तावित कृषि संबंधी हाल ही के कुछ महत्वपूर्ण उपायों में ड्रिप और छिड़काव सिंचाई के तहत क्षेत्र में विस्तार करना, उच्च प्रौद्योगिकीय बागवानी और प्रिसिजियन फार्मिंग संबंधी एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू करना, कृषि संबंधी ऋणों की ब्याज दर में कमी करना आदि शामिल हैं।

अफीम का प्रसंस्करण

2775. श्री अम्बरीश:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री वाई.वी. राव:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में अफीम उत्पादन की राज्यवार मात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने अफीम प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र की भागीदारिता को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार देश में भेषज इकाइयों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रसंस्कृत अफीम का आयात कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो प्रसंस्कृत अफीम के आयात पर सरकार द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया;

(च) क्या भेषज उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए देश में अफीम का प्रसंस्करण करने के लिए विधायी संशोधन की आवश्यकता है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या दशकों पूर्व स्थापित सभी सरकारी अफीम और अल्कालाइड फैक्ट्रियों का उचित रूप से उन्नयन किया गया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क)

(90 सैल्सियस पर मीट्रिक टन में मात्रा)

राज्य	वित्त वर्ष			
	2000-01	2001-2002	2002-2003	2003-2004
मध्य प्रदेश	497.577	216.028	364.589	209.413
उत्तर प्रदेश	274.843	163.566	64.003	28.663
राजस्थान	543.507	393.891	390.874	262.731
योग	1315.927	773.485	819.466	500.807

(ख) और (ग) सरकार ने उपयुक्त लाइसेंस के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में अफीम अल्कालायड/एक्टिव फार्मास्यूटिकल संघटकों के उत्पादन की अनुमति देने का निर्णय लिया है ताकि घरेलू खपत और निर्यात के लिए कोडीन फास्फेट/अफीम अल्कालायड अन्य निम्नवर्ती उत्पादों के विनिर्माण और घरेलू अफीम के उपयोग को बढ़ाया जा सके।

(घ) कुछेक अफीम अल्कालायडों जैसे कि कोडीन फास्फेट का आयात सरकारी अफीम और अल्कालायड वर्क्स द्वारा देश में फार्मास्युटिकल यूनिटों की मांगों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(ङ) गत 3 वर्षों के दौरान कोडीन फास्फेट की खरीद पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है:-

वर्ष	राशि अमेरिकन डालर में
1999-2000	70,55,000
2000-2001	65,90,000
2001-2002	44,10,000
2002-2003	38,15,000

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) अफीम अल्कालायड एक्टिव फार्मास्यूटिकल संघटकों और अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए सरकारी अफीम और अल्कालायड वर्क्स, नीमच और गाजीपुर के उत्पादन सुविधाओं को बढ़ाने और उन्नयन हेतु एक कार्य योजना लागू की जा रही है।

(ञ) उपर्युक्त (ज) एवं (झ) के देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दाभोल पावर कार्पोरेशन के लिए ऋण

2776. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाभोल पावर कारपोरेशन द्वारा निष्पादित की जा रही 2,184 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजना के निर्माण के लिए विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने ऋण प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं और उनके द्वारा अलग-अलग कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(ग) उक्त परियोजना के लिए ऋण देने वाले विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं और उनके द्वारा अलग-अलग कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) लिए गए कुल ऋण में से कितनी राशि का ऋण लौटाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीतिरिवाजों के अनुसार और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों एवं लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

करेंसी नोट को स्टेपल करना

2777. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को करेंसी नोट को स्टेपल करने पर प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंकों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या ये दिशा-निर्देश विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू होंगे;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से डिजिटल प्रदर्शन प्रणाली वाली करेंसी गणक मशीन अधिष्ठापित करने का अनुरोध किया हैं;

(ङ) यदि हां, तो बैंकों की विभिन्न शाखाओं में ऐसी मशीनों के अधिष्ठापन की अनुमानित लागत कितनी है; और

(च) इन मशीनों को कब तक अधिष्ठापित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को नए/प्रचालनीय/अप्रचालनीय नोट पैकेटों को स्टेपल करना बंद करके उसके स्थान पर नोट पैकेटों को कागज की फीता बांधकर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

(घ) ग्राहकों द्वारा पैकटों की गिनती को आसान बनाने के लिए बैंकों को अपने काउण्टरों पर दोहरे प्रदर्शन वाली नोट गणन मशीनें संस्थापित करने की सलाह दी गई है।

(ङ) नोट गणन मशीनों की लागत मशीन में मौजूद गुणों को देखते हुए 5000 रुपए से शुरू होती है।

(च) बैंक नोट गणन मशीनें संस्थापित करने के लिए पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं।

परिवहन क्षेत्र में निवेश

2778. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के परिवहन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 बिलियन डालर के निवेश का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में विश्व बैंक द्वारा भारत में परिवहन क्षेत्र में कुल कितना निवेश किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ परामर्श करके वर्ष 2004-2008 की अवधि के लिए आगामी कंट्री असिस्टेंस स्ट्रेटजी (सीएएस) के दौरान सहायता की मात्रा को बढ़ाने के लिए परिवहन क्षेत्र को एक प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है।

(ख) परिवहन क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा निवेश की कुल मात्रा इस क्षेत्र से संबंधित संभावित प्रस्तावों के अंतिम निर्धारण पर निर्भर करेगी।

काली मिर्च का आयात

2779. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप वर्ष 2001-2002 से 2002-2003 के दौरान श्रीलंका से काली मिर्च का आयात कई गुना बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आयातों से घरेलू काली मिर्च उद्योग पर विपरती प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने रियायती शुल्क के अंतर्गत काली मिर्च के आयात को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं या करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) पिछले वर्ष की तुलना में 2002-03 के दौरान काली मिर्च के आयात में केवल श्रीलंका से ही नहीं बल्कि वैश्विक आयातों में भी निम्न प्रकार से वृद्धि हुई है:-

वर्ष	श्रीलंका से आयात		वैश्विक आयात	
	मात्रा (टन)	मूल्य लाख रु.	मात्रा (टन)	मूल्य लाख रु.
2000-2001	1759.00	2790.66	6024.75	6001.68
2001-2002	1240.54	1605.08	6328.16	5636.27
2002-2003	6373.61	5888.10	15750.00	12521.43

स्रोत : मसाला बोर्ड

(ग) से (ङ) भारत में काली मिर्च का सकल उत्पादन और इसके निर्यात निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	भारत में काली मिर्च का कुल उत्पादन	भारत से निर्यात (मात्रा टन में)
2000-2001	63670	19250
2001-2002	50800	24000
2002-2003	80000*	20000

स्रोत : मसाला बोर्ड
*वर्ष 2002 के लिए अनुमान

उपर्युक्त से यह स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि काली मिर्च के सकल निर्यात भारत में काली मिर्च के सकल वैश्विक आयातों से बहुत अधिक हैं। इसके अलावा, वर्ष 2002-03 के दौरान श्रीलंका से काली मिर्च के आयात भारत में काली मिर्च के सकल उत्पादन के केवल 8% हैं इसलिए अंतिम रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि काली मिर्च के घरेलू उद्योग पर इन आयातों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

भारतीय आर्थिक मंच सम्मेलन

2780. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में भारतीय आर्थिक मंच सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा किन मुद्दों पर चर्चा की गयी; और

(ग) इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां। भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन 23 से 25 नवम्बर, 2003 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार, अंतर्राष्ट्रीय/विश्व राजनीति से जुड़े मुद्दों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), कारपोरेट अभिशासन और क्षेत्रीय सिफारिशों पर विचार किया है और इनके संबंध में सिफारिशें की हैं।

अग्रिम जमानत का दुरुपयोग

2781. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अग्रिम जमानत के प्रावधानों के दुरुपयोग के अनेक मामले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मलिमथ पेनल ने इस संबंध में न्यायालयों की शक्तियों को कम करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (घ) मलिमथ समिति ने यह उल्लेख किया है कि कोई सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि उसकी मामले की सुनवाई करने की अधिकारिता है या नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन जमानत मंजूर करने के लिए सशक्त है। इसके अतिरिक्त, विधि, अपराध की गंभीरता के होते हुए भी लोक अभियोजक को सुने जाने की अपेक्षा नहीं करती है। यह कहा गया है कि इस उपबंध का समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा प्राय: दुरुपयोग किया गया है और यह प्रस्ताव किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की अग्रिम जमानत से संबंधित धारा 438 का इस प्रकार संशोधन किया जाए कि ऐसी शक्ति का लोक अभियोजक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मलिमथ समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों को उनकी टीका-टिप्पणियों के लिए भेज दी गई है। दांडिक विधि, संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। अत:, मलिमथ समिति की सिफारिशों के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दंड संहिता, 1860 में संशोधन राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के अभिमत पर निर्भर करेगा और इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

राजस्व अर्जन

2782. श्री हरिभाई चौधरी:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुमानों से अधिक व्यय होने पर राजस्व अर्जन को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के आम बजट प्रस्तुत होने के बाद राजस्व अर्जन को बढ़ाने के लिए अपनाए गए नए तरीकों/ अपनाए जाने वाले तरीकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए सरकार की पहल से देश की आम जनता कितनी प्रभावित होगी और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार का प्रयास सदैव अपने व्यय को बजटीय अनुमानों के अंतर्गत रखना रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त आयकर अधिकारी

2783. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर तथा सीमा शुल्क विभाग के कितने कर्मचारी तथा अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में रंगे हाथों पकड़े गए हैं;

(ख) उनसे जब्त वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त में से कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चल रहे हैं और उनकी स्थिति क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध की गयी प्रारंभिक विभागीय कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) पिछले वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयकर के 23 अधिकारियों तथा सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 13 अधिकारियों के विरुद्ध 25 भ्रष्टाचार (ट्रेप के मामले) के मामले दर्ज किए गए हैं।

(ख) सभी 25 मामले या तो जांच के अधीन हैं अथवा उन पर अभी मुकदमा चलाया जाना है। अत: मुकदमे की समाप्ति से पूर्व अथवा न्यायालय से विशिष्ट आदेश आए बिना अभियुक्तों से किसी मद की जब्ती किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न्यायालय में 22 मामलों में 31 अधिकारियों को आरोप-पत्र दिया गया है और उन पर मुकदमा चल रहा है।

(घ) 1 मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 3 अधिकारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्हें संबंधित विभाग को भेजा गया है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ मुक्त व्यापार संधि का प्रभाव

2784. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को तैयार किए बिना दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय उद्योग से परामर्श किए बिना समझौते पर किस कारण हस्ताक्षर किए गए;

(ग) क्या सरकार को इन समझौतों के विरुद्ध भारतीय उद्योग से अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) व्यापक आर्थिक सहयोग के लिए भारत और आसियान के बीच दूसरे आसियान भारत शिखर सम्मेलन, बाली, इंडोनेशिया में 8 अक्तूबर, 2003 को एक ढांचागत करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी प्रकार, भारत और थाईलैंड के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने के लिए 9 अक्तूबर, 2003 को बैंकाक, थाईलैण्ड में एक ढांचागत करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन ढांचागत करारों में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश में मुक्त व्यापार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान शामिल हैं और इनमें आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया

है। इसके अलावा, इन करारों में शीघ्र फलदायी कार्यक्रम/स्कीम (ई एच पी/ई एच एस) शामिल हैं जिनके अंतर्गत मदों की एक सहमत आम सूची पर टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान किया जाएगा। इन मदों को विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करके और पक्षकारों के बीच बातचीत करके अन्तिम रूप दिया गया था।

(ग) और (घ) सरकार को विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें न केवल कुछेक मदों को हटा देने से संबंधित सुझाव शामिल हैं बल्कि ई एच पी/ई एच एस सूचियों में मदों को शामिल करने के भी सुझाव शामिल हैं। ई एच पी/ई एच एस मदों के निर्यातों पर भारतीय निर्यातकों को समान टैरिफ रियायतें उपलब्ध हैं इसलिए भारतीय निर्यातक थाईलैंड और अन्य आसियान देशों को एक अधिमानी आधार पर निर्यात कर सकते हैं। इन करारों का उद्देश्य हमारी लुक ईस्ट नीति के अनुरूप हमारे दक्षिण-पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ हमारे व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना है।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

2785. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में हस्तशिल्प वस्तुओं में निर्यात की सम्भावना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य से हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गयीं और 2003-2004 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा राज्य सहित देश से हथकरघा एवं हस्तशिल्प मदों के निर्यात संवर्धन के लिए उठाये गए कदमों में ये शामिल हैं: विदेशों में महत्वपूर्ण बाजारों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन; प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना; लूमों का उन्नयन और बुनाई, रंगाई इत्यादि जैसी विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में तकनीकी जानकारी प्रदान करना; उत्पाद की रेंजों का विकास एवं विविधता; हथकरगा निर्यात संवर्धन परिषद और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के मार्फत विपणन आसूचना और व्यापार सूचना का प्रचार-प्रसार करना; ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक स्कीम/ ड्यूटी ड्राबैक स्कीम इत्यादि जैसी विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत निर्यातकों को प्रवर्तनों की उपलब्धता; निर्यात-योग्य उत्पादों के विकास एवं उसके प्रचार और विपणन हेतु हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात स्कीमों के तहत मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता; क्रेताओं को हस्तशिल्प/हथकरघा उत्पादों के संबंध में अद्यतन सूचना प्रदान करने हेतु बहुल अंतरालों पर वेबसाइट को अपडेट करना; विपणन संवर्धन कार्यकलापों के लिए एम डी ए स्कीम के अंतर्गत हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् को सहायता; और नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला एवं कालीन एक्सपो का आयोजन।

(ग) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान देश की प्राप्त उपलब्धियां और वर्ष 2003-2004 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	हथकरघा मदों का निर्यात	हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात	कुल
1.	2000-2001	2127.44	9270.50	11397.94
2.	2001-2002	2064.94	9205.63	11270.57
3.	2002-2003	2633.27	10933.67	13566.94

वर्ष 2003-2004 के लिए हथकरघा एवं हस्तशिल्प के निर्यात हेतु क्रमश: 2666.04 करोड़ रुपये और 11204 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन का क्रियान्वयन

2786. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को अनुच्छेद 16(4क) में संविधान संशोधन और तत्पश्चात् कार्मिक विभाग के दिनांक 21 जनवरी, 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/2001- स्थापना (डी) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने 30 जनवरी, 1997 से भूतलक्षी प्रभाव से उस परिपत्र का क्रियान्वयन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्पाद शुल्क अपवंचन

2787. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके उत्पाद शुल्क अपवंचन को सरकार ने 500 करोड़ रु. से अधिक का पाया है और इन कंपनियों द्वारा अपील दायर किए जाने के कारण न्यायिक जांच के अधीन है;

(ख) देश के राजस्व जुटाने के बड़े उद्देश्य में यथाशीघ्र इन मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा विधिक पक्ष के तौर पर शीघ्रताकारी प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा शुल्क विभाग या वित्त मंत्रालय का कोई शीर्ष अधिकारी लिप्त पाया गया है जिन्होंने वित्त मंत्रालय से अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् इन कंपनियों में सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में नौकरी कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) उन कंपनियों का ब्यौरा निम्नानुसार है, जिनके विरुद्ध 500 करोड़ रु. और उससे अधिक के उत्पाद शुल्क अपवंचन की पुष्टि की गई थी और कंपनियों द्वारा दायर अपील के कारण उक्त आदेश की न्यायिक संवीक्षा की जा रही है।

(1) मैसर्स आई.टी.सी. लि.

(2) मैसर्स भारतीय गैस प्राधिकरण लि.

(ख) सरकार विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों के पास लंबित अपीलों के त्वरित निपटान के लिए सभी वैधानिक उपाय करती है। उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की दिन प्रतिदिन की निगरानी के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत विधिक कार्य निदेशालय स्थापित किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने किन्हीं शीर्ष कार्मिकों जिन्होंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड अथवा वित्त मंत्रालय में सेवा की थी और जो उपर्युक्त मामलों में लिप्त पाए गए है, को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उक्त कंपनियों में सलाहकारों अथवा परामर्शदाताओं के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के अंतर्गत यथा अपेक्षित मंजूरी प्रदान नहीं की है।

जनजातीय महिलाओं के लिए योजनाएं

2788. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय महिलाओं के लिए ''आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना'' नामक कोई विशेष योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा राज्यवार कितनी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया;

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी जनजातीय महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

(ङ) क्या जनजातीय महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में इस योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, हां। विशेष रूप से पात्र अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक की लागत वाली आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा ''आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना'' प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत प्रवर्तक के अंशदान का आग्रह नहीं किया जाता। राज्य स्तरीय चैनेलाइजिंग अभिकरणों से 2% वार्षिक दर से ब्याज वसूला जाता है और राज्य स्तरीय चैनेलाइजिंग अभिकरण महिला लाभग्राहियों से अधिकतम 4% वार्षिक ब्याज वसूल सकते हैं। इस योजना में उपयुक्त विलंबन काल सहित पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि 10 वर्ष है।

(ग) और (घ) यह योजना अप्रैल, 2002 में शुरू की गई थी। स्वीकृत परियोजनाओं आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। योजना आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से सहायता प्राप्त योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ, जनजातीय महिलाओं पर "आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना" के प्रभाव का मूल्यांकन भी किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 2002-2003

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृति			
		परियोजनाओं की संख्या	एनएसटीएफडीसी का हिस्सा	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण
1.	आंध्र प्रदेश	1	29.00	100	—
2.	जम्मू व कश्मीर	1	1.90	5	—
3.	महाराष्ट्र	8	214.00	800	149.75
4.	मध्य प्रदेश	1	15.00	300	—
5.	राजस्थान	1	34.00	100	13.26
6.	त्रिपुरा	2	8.00	20	8.00
7.	पश्चिम बंगाल	8	233.00	2000	233.00
	कुल	22	624.00	3325	404.01

वर्ष 2003-2004 (30.11.2003 तक)

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृति			
		परियोजनाओं की संख्या	एनएसटीएफडीसी का हिस्सा	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण
1.	महाराष्ट्र	1	7.50	150	—
2.	राजस्थान	1	26.25	70	1.50
3.	त्रिपुरा	1	3.50	10	3.50
4.	पश्चिम बंगाल	4	94.50	960	54.50
	कुल	7	131.75	1190	59.50

मांस का निर्यात

2789. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान मांस तथा मांस उत्पादों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यह लक्ष्य कितना प्राप्त किया गया है;

(ग) इसमें पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु का हिस्सा कितना है;

(घ) मांस निर्यातकों को सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ङ) मांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) चूंकि निर्यात बाह्य कारकों समेत अनेक कारकों पर निर्भर होते हैं इसलिए इनके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं और न ही किए जा सकते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यात निम्नानुसार रहे हैं:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु.)
2000-01	1469
2001-02	1193
2002-03	1377

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कोलकाता

(ग) निर्यात संबंधी राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) विभिन्न स्कीमों का प्रचालन करता है जिनके अंतर्गत रीफर वैन की खरीद, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के कार्यान्वयन, इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना हेतु निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नये बाजार खोलने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं।

स्पिंडल क्षमता का विस्तार

2790. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार इस बात पर जोर देती है कि वस्त्र इकाइयां यदि अपनी वर्तमान स्पिंडल क्षमता का विस्तार करना चाहती हैं तो उन्हें मैचिंग डाउन स्ट्रीम क्षमता स्थापित करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तैयार किए गए इन मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी शर्तों पर वस्त्र उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ये वस्त्र क्षेत्र के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय मानकों में सुधार लाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत कताई क्षेत्रों के लिए कुछ विशिष्ट पात्रता शर्तें हैं। इसमें नये एककों अथवा किसी मौजूदा एकक में क्षमता का विस्तार करने की अनुमति तभी दी जायेगी जब यार्न की प्रोसेसिंग अथवा प्रारंभिक बुनाई और/अथवा बुनाई/निटिंग और/अथवा सिलाई के धागे का विनिर्माण करने के लिए अनुप्रवाह समान क्षमता में निवेश किया गया हो जो कि साथ-साथ संस्थापित की जाएं; जो बशर्ते कि मौजूदा कताई एकक अपनी क्षमता को 12,000 अथवा अधिक तकुओं तक लेकिन 25,000 से अनधिक बढ़ाए, उनको 50% तक बढ़ाई गई क्षमता के अनुरूप निचले स्तर तक अनुज्ञेय विनिर्माण क्षमता की स्थापना करनी होगी।

(ग) सरकार को 12,000 और 25,000 तकुओं के बीच की कताई क्षमता वाले एककों के मामले में 100% अथवा 50% तक की डाउन स्ट्रीम क्षमता की संस्थापना करने की शर्त के बिना मौजूदा कताई मिलों में नई कताई क्षमता की स्थापना करने की अनुमति देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। साउथ इण्डियन मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए), कोयम्बटूर ने दिनांक 10 फरवरी, 2003 के अपने पत्र में इस संशोधन के प्रति अपनी आपत्ति यह कहते हुए जताई की है कि प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा और इससे पहले से विद्यमान मांग और आपूर्ति के बीच असमानता और बढ़ेगी।

(घ) और (ङ) अहमदाबाद टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा) को कहा गया है कि वह प्रस्ताव का अध्ययन करे ताकि सरकार इस संबंध में निर्णय ले सके।

केन्द्र सरकार/पूर्वोत्तर राज्यों की देनदारियां

2791. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार और पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों और सिक्किम की वर्षवार बकाया देनदारियां का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार की आंतरिक और बाह्य दोनों देनदारियां जिनकी वर्ष 1998-99 तक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कम रहने की प्रवृत्ति थी, उसके बाद बढ़ना शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी देनदारियों में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) संघ सरकार की कुल बकाया देयताएं वर्ष 2000-2001 के 11,68,541 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2002-03 (संशोधित अनुमान) में 15,61,876 करोड़ रुपए हो गयी। इसी अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम की राज्य सरकारों की बकाया देयताएं 19,860 करोड़ रुपए से बढ़कर 26,238 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में संघ सरकार की विदेशी देयताओं में वर्ष 1991-92 से लगातार कमी आयी है। तथापि, वर्ष 1996-97 से घरेलू देयताओं में वृद्धि हो रही है।

(ग) चूंकि ऋण-भिन्न प्राप्तियों की वृद्धि की तुलना में व्यय में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है, अत: सरकार की देयताओं में वृद्धि हुई है। सरकार विकासेतर व्यय में मामूली वृद्धि तथा अपनी प्राप्तियों में वृद्धि के लिए व्यापक रणनीति अपना रही है।

आईडीबीआई में वित्तीय संकट

2792. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) गत कुछ वर्षों से वित्तीय संकट से जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) आईडीबीआई द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं;

(घ) आईडीबीआई से ऋण ले चुकी जाली और बंद हो चुकी कंपनियों की राज्यवार संख्या क्या है जिनकी वजह से आईडीबीआई वित्तीय संकट से जूझ रहा है; और

(ङ) बकाया ऋणों की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आज की स्थिति के अनुसार कोई हानि नहीं हुई है। तथापि, विकास बैंकिंग विधि में बाधा उत्पन्न हो गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपोषित राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण निधि (दीर्घकालीन परिचालन) से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए रियायती निधियों के प्रवाह में कमी आ गयी। वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (प्रथम नरसिम्हम समिति 1991) की सिफारिशों के अनुरूप, सांविधिक चलनिधि अनुपात बांडों को जारी करने के लिए विकास वित्तीय संस्था के लिए कोटे के आबंटन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। निधियों की अपेक्षाकृत कम लागत के साथ बैंकों की बढ़ी हुई भूमिका के कारण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परिचालन मार्जिन पर भी दबाव पड़ा।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अनुपयोज्य आस्तियों की बढ़ती हुई घटना को कम करने के लिए उपाय किए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विद्यमान उच्च लागत देनदारियों के समयपूर्व भुगतान/पुनर्निधारण के द्वारा तथा खुदरा संसाधन जुटाने में चयनात्मक दृष्टिकोण के द्वारा सम्पूर्ण आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संगठित प्रयास शुरू किया है। औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) विधेयक आईडीबीआई के उपक्रम को बनाई जाने वाली कंपनी में अंतरित करने एवं इसे निहित करने की व्यवस्था करने तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत करने के लिए आईडीबीआई को बैंकिंग कारबार निष्पादित करने में समर्थ करेगा तथा आईडीबीआई के परिचालनों को दीर्घकालिक धारणीयता प्रदान करेगा।

(घ) और (ङ) आईडीबीआई ने जाली कंपनियों को सहायता मंजूर नहीं की है। आईडीबीआई, अन्य बातों के साथ-साथ, सहायता मंजूर करने से पूर्व प्रवर्तकों के पूर्ववृत्त की गहन जांच करता है। तथापि, इसके द्वारा सहायता प्राप्त कुछ कंपनियां विभिन्न पर्यावरणीय, उद्योग एवं इकाई विशेष कारणों के कारण बाद में बंद हो गई हैं। अनुपयोज्य आस्तियों की समस्या से निबटने के लिए आईडीबीआई वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और ऋण वसूली अधिकरणों/न्यायालयों का सहारा ले रहा है। आईडीबीआई द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों के स्टाक को कम करने के लिए की गई अन्य पहलों में बातचीत से तय/एकबारगी निपटान (ओटीएस) के माध्यम से देयराशियों की

वसूली, कारपोरेट ऋण पुनर्निर्धारण (सीडीआर) तंत्र के तहत कारपोरेट ऋणों का पुनर्निर्धारण और ऋण वसूली के लिए अधिक संकेन्द्रित प्रयास शामिल हैं।

बैंकों के माध्यम से लघु उद्योग इकाइयों को ऋण

2793. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कर्नाटक में स्थापित शाखाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन शाखाओं द्वारा इस राज्य में लघु उद्योग इकाइयों को ऋण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) 30 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में वाणिज्यिक बैंकों (सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों) की 3645 शाखाएं हैं।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि लघु उद्योग क्षेत्र को उधार दी गई उनकी कुल निधियों का कम से कम 40% उन एककों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 लाख रु. तक हो और 20% उन एककों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 लाख रु. और 25 लाख रु. के बीच हो। इस प्रकार, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों का 60% अत्यंत लघु क्षेत्र के छोटे एककों को दिया जाना चाहिए।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा घोषित वर्ष 2003-04 की मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधि पुनरीक्षा में बैंकों को सलाह दी गई है कि लघु उद्योग एककों के कार्यनिष्पादन के पिछले अच्छे रिकार्ड और वित्तीय स्थिति के अनुसार ऋणों की सम्पार्श्विक अपेक्षा के संवितरण की सीमा 15 लाख रु. के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 25 लाख रु. कर दी जाए।

(3) बैंकों से कहा गया है कि संमिश्र ऋण सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रु. कर दी जाए।

(4) बैंकों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशिष्ट लघु उद्योग शाखा खोलने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को लघु उद्योग क्षेत्र को अपनी अग्रिम राशि का 60% या अधिक देने वाली सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशिष्ट लघु उद्योग शाखाओं के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दे दी गई है, ताकि उन्हें इस सम्पूर्ण क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए और अधिक विशिष्ट लघु उद्योग शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके।

(5) सिडबी द्वारा लघु उद्योग के लिए नई ऋण गारंटी योजना शुरू करना। इस योजना के तहत 25 लाख रु. तक के समपार्श्विक मुक्त ऋणों को गारंटी के लिए शामिल किया जाता है।

(6) भारतीय रिजर्व बैंक की स्थायी सलाहकार समिति की बैठकों में लिए गये निर्णयों के अनुसार बैंकों को सलाह दी गई है कि वे लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिम राशि के लिए पिछले वर्ष की उपलब्धि और शुद्ध बैंक ऋण की वृद्धि में समग्र प्रवृत्ति के अनुसार स्वयं निर्धारित लक्ष्य बनाएं।

(7) माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2003-04 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को पहले ही सलाह दी है कि प्रतिभूत अग्रिम राशि के लिए अपनी मूल उधार दर (पीएलआर) के 2% अधिक और नीचे का ब्याज दर विस्तार अपनाएं। अलग-अलग बैंक अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेंगे। बैंकों से यह भी कहा गया है कि ऋणों के लिए 50,000/- रु. तक, 50,000/- एवं 2,00,000/- रु. के बीच और 2,00,000/- रु. से अधिक के ऋणों हेतु ब्याज दर के तीन स्तर बनाने की जांच करें।

बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी सभी नीतिगत उपायों/निर्देशों का अनुपालन करें।

[हिन्दी]

आभूषण निर्यातकों को सहायता

2794. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या केन्द्र सरकार रत्न और आभूषण निर्यातकों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन निर्यातकों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता की राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के आभूषण निर्यातकों ने इस वर्ष के दौरान मंत्रालय से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) इस समय सरकार विपणन विकास सहायता (एम डी ए) योजना के अंतर्गत रत्न एवं आभूषण के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उक्त सहायता सामान्य देशों और एम डी ए कोड में विनिर्दिष्ट फोकस क्षेत्रों अर्थात् लैटिन अमरीकी देशों (एल ए सी), अफ्रीका और सी आई एस क्षेत्र के फोकस देशों ने व्यापार मेले/प्रदर्शनी/क्रेता-विक्रेता बैठकों (वी एस एम)/व्यापार शिष्टमंडलों में भागीदारी तथा विदेशों में प्रचार के लिए प्रदान की जाती है। उक्त सहायता हवाई मार्ग, यूरो रेल इत्यादि से इकनामी एक्सकर्सन क्लास के भाड़े में किए गए यात्रा व्यय पर वैध एस एस आई पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाले निर्यातकों के लिए 90% की दर से तथा व्यापारी निर्यातक सहित अन्य के लिए 75% की दर से अनुमत्य होगी जो विदेशों में निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी) आदि के नेतृत्व वाले व्यापार शिष्टमंडलों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में प्रत्येक भागीदारी के लिए अधिकतम 60,000 रु. प्रति दौरा (फोकस क्षेत्रों के लिए 90,000 रु.) होगी। उक्त सहायता वायु मार्ग द्वारा यात्रा व्यय और/अथवा निर्मित सुसज्जित स्टाल, बिजली प्रभारों और जल प्रभारों पर विदेशों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु एस एस आई निर्यातकों के लिए 90% की दर से और व्यापारी निर्यातक सहित अन्य के लिए 75% की दर से भी अनुमत्य होगी जिसकी अधिकतम राशि प्रति भागीदारी 1,10,000 रु. (फोकस क्षेत्रों के लिए 1,40,000 रु.) होगी। पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में चार करोड़ रु. अथवा उससे कम का निर्यात कारोबार करने वाले निर्यातक ऊपर निर्धारित मात्रा तक एम डी ए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि जिस निर्यातक का पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में चार करोड़ रु. से अधिक का कारोबार होगा वह प्रतिशत आधार पर उत्पादों के प्रदर्शन हेतु निर्मित सुसज्जित स्टालों के प्रभारों और एम डी ए कोड में यथा उल्लिखित अधिकतम वित्तीय सीमाओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/परिषद् द्वारा प्रायोजित बी एस एम में दो बार केवल भाग लेने के लिए एम डी ए सहायता का लाभ उठाने का पात्र होगा। एम डी ए सहायता संबंधित ई पी सी/बोर्ड आदि के जरिए प्रतिपूर्ति के आधार पर निर्यातकों को प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् (जी जे ई पी सी) मुम्बई, जो कि व्यापार का एक प्रतिनिधि निकाय है, को सदस्य निर्यातकों के अनुमोदित कार्यकलापों के लिए उनमें वितरित करने हेतु जारी की गई एम डी ए निधियां निम्नानुसार हैं।

वर्ष	जारी की गई एम डी ए निधियां
2000-2001	55,000 रु./-
2001-2002	42,00,000 रु./-
2002-2003	2,48,25,000 रु./-

चूंकि एम डी ए निधियां निर्यात संवर्धन परिषदों को जारी की जाती है इसलिए राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) से (च) जी जे ई पी सी के अनुसार वित्त वर्ष 2003-04 के लिए पश्चिम बंगाल के तीन निर्यातकों ने व्यापार मेले/प्रदर्शनी के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन किया था। तथापि जी जे ई पी सी को इस वर्ष के दौरान सदस्य निर्यातकों को उनकी अनुमोदित कार्यकलापों के लिए उनमें वितरण हेतु अब तक कोई एम डी ए निधि जारी नहीं की गई है।

[अनुवाद]

केरल उच्च न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण

2795. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल के अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालय के कम्प्यूटरीकरण के परियोजना प्रस्ताव हेतु यथासंभव अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाने का है जैसा कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने प्रस्ताव किया है और केरल सरकार ने इसकी सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) और (ख) केरल उच्च न्यायालय ने प्रस्ताव भेजे हैं, जिनके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण भी है।

राज्यों की राजधानियों या उस स्थान के, जहां उच्च न्यायालय स्थित हैं, नगर न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव समीक्षाधीन है। यह एक आरंभिक अग्रणी परियोजना होगी। इस समय अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं हेतु निधियां

2796. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष और गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं हेतु ऋण, वित्तीय सहायता और अनुदान सहायता देने के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2002-03 और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को दी गई अनुदान सहायता और ऋण का परियोजनावार और योजनावार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय योजना सहायता के अंतर्गत स्कीमों के लिए विशेष श्रेणी प्राप्त और अन्य राज्यों के लिए ऋण अनुदान अनुपात को विवरण I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा विवरण II के रूप में दिया गया है।

विवरण I

केन्द्रीय योजना सहायता के अंतर्गत स्कीमों के लिए विशेष/गैर विशेष श्रेणी राज्यों के लिए ऋण अनुदान अनुपात

क्र.सं.	राज्य योजना स्कीम	विशेष श्रेणी राज्य		गैर-विशेष श्रेणी राज्य	
		ऋण (%)	अनुदान (%)	ऋण (%)	अनुदान (%)
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	10	90	70	30
2.	विशेष योजना सहायता	10	90	70	30
3.	विशेष केन्द्रीय सहायता	10	90	70	30
4.	स्लम विकास स्कीम	10	90	70	30
5.	पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	10	90	10	90
6.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	—	100	—	100
7.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	10	90	70	30
8.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	100	—	100	—
9.	प्रधानमंत्री ग्राम्योदय योजना	10	90	70	30
10.	त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम*	10	90	50	50
11.	ग्रामीण विद्युतीकरण	100	—	100	—
12.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	—	100	—	100
13.	शहरी सुधार सहायता निधि	—	100	—	100
14.	राष्ट्रीय सम विकास योजना	—	100	—	100
15.	अन्य परियोजनाएं	10	90	70	30

*ए.पी.डी.आर.पी. के प्रोत्साहन घटक के मामले में सभी राज्यों को शत प्रतिशत अनुदान।

विवरण II

राज्य योजना स्कीमों के लिए राज्यों को उपलब्ध कराए गए ऋण और अनुदान

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	स्कीम	2002-03				2003-04 (अब तक)			
		सभी राज्य		महाराष्ट्र		सभी राज्य		महाराष्ट्र	
		ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	8994.60	9020.49	429.98	184.28	8077.71	8054.82	436.80	187.20
2.	विशेष योजना सहायता	78.30	704.70	0.00	0.00	74.15	667.35	0.00	0.00
3.	विशेष केन्द्रीय सहायता	76.94	692.48	0.00	0.00	86.94	782.50	0.00	0.00
4.	स्लम विकास स्कीम	208.45	101.06	38.50	16.50	137.08	66.39	28.86	12.36
5.	पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	15.89	143.22	2.09	18.82	8.72	78.48	1.05	9.48
6.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	140.26	0.00	0.00
7.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5315.92	2961.95	258.68	119.15	4001.24	2076.76	181.68	78.77
8.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	3061.70	0.00	133.13	0.00	701.92	0.00	60.00	0.00
9.	प्रधानमंत्री ग्राम्योदय योजना	1333.36	1285.32	76.42	32.75	614.34	545.83	38.21	16.38
10.	त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम*	662.26	1367.01	69.24	207.13	105.98	541.47	15.00	15.00
11.	ग्रामीण विद्युतीकरण	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	0.00	653.23	0.00	49.33	0.00	442.41	0.00	36.99
13.	शहरी सुधार सहायता निधि	—	—	—	—	—	102.86	0.00	35.93
14.	राष्ट्रीय सम विकास योजना	0.00	200.18	0.00	0.00	0.00	308.03	0.00	15.00
15.	अन्य परियोजनाएं	652.62	829.54	39.21	16.80	254.61	212.03	0.00	0.00

संगमरमर आयात नीति

2797. श्री अजित कुमार पांजा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगमरमर के भारतीय उद्यमी सरकार की कच्चे संगमरमर के ब्लाकों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की वर्तमान नीति के चलते उभरे गम्भीर व्यापारिक संकट से उभरने हेतु अपना व्यवसाय स्थल बदलकर श्रीलंका में स्थापित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उद्यमियों के इस कार्य से संबंधित रोजगार के अवसर श्रीलंका को जा रहे हैं और देश को भारी राजस्व घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देशी संगमरमर उद्योग को बचाने हेतु इस नीति की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई जानकारी नहीं आयी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश को विश्व बैंक से ऋण

2798. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विश्व बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है;

(ख) इन ऋणों से चलायी जाने वाली योजनाओं का परियोजनावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ऋणों पर कुल कितना ब्याज आकलित हुआ है;

(घ) क्या प्रदान किए गए ऋण की कोई पुनर्भुगतान प्रक्रिया शुरू हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि का पुनर्भुगतान हो चुका है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना नामक एक बहु राज्यीय परियोजना जिसका वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है तथा जिसमें हिमाचल प्रदेश भी एक भागीदार राज्य है, पर चालू दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के पहले चरण में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कुछ चुनींदा इंजीनियरी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का विचार है। इस परियोजना के लिए धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रणाली के अनुसार जारी की जाती है। इस समस्त परियोजना के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर राशि के आईडीए ऋण में से अक्तूबर, 2003 तक 6.17 मिलियन अमरीकी डालर की राशि उपयोग में लाई जा चुकी है।

राज्यों को निधियां

2799. श्री बसुदेव आचार्य:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों हेतु उनकी वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण हेतु ऋण लागतों को कम करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो विचार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्यों को राष्ट्रीय लघु निवेश कोष की शेष राशि से अपनी वार्ता के आधार पर तय ऋणों के रूप में निधियां प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या ये ऋण उन ऋण दरों से काफी कम ऋण दरों पर प्राप्त होंगे जिन पर राज्य जीवन बीमा निगम और हुडको जैसे संस्थानों से संविदा करके प्राप्त करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह निर्णय राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में किस हद तक मददगार साबित हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रिक्त पद

2800. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2003 के अनुसार विधि और न्याय मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों में रिक्त पदों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक के आरक्षित कोष

2801. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक आरक्षित कोष के रूप में अपनी नकदी के अधिकांश भाग को अन्य भारतीय बैंकों के बजाय विदेशी बैंकों में रखता आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों के पास जमा करेंसी और जमाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपने आरक्षित कोष जमा करने हेतु विदेशी बैंकों को वरीयता दिए जाने तथा ऐसी जमाओं से होने वाले लाभों से भारतीय बैंकों को वंचित रखने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक 20% से कुछ अधिक की अपनी विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का निवेश अल्पावधि जमाराशियों के रूप में बैंकों के पास अन्तर्राष्ट्रीय निपटानों के लिए, विदेशी सेंट्रल बैंकों तथा इसके साथ-साथ विदेशी वाणिज्यिक बैंकों में करता है। इस प्रयोजन के लिए पहचाने गए विदेशी वाणिज्यिक बैंकों का उच्च ऋण निर्धारण होता है तथा उनका किसी प्रकार की चूक का कोई इतिहास नहीं होता है।

(ग) वर्तमान में प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का भारतीय बैंकों सहित किसी घरेलू कंपनी में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह किसी भुगतान संतुलन से संबंधित कठिनाई के समय चलनिधि की अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि से विवेकपूर्ण भी समझा जाता है। क्योंकि ऐसी स्थितियों में भारतीय बैंक में विदेशी मुद्रा चलनिधि समाप्त हो जाएगी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तब उनके पास रखी गई किसी जमाराशि को चुकाना/पूर्व भुगतान करना कठिन हो जाएगा।

निवेशकों के संरक्षण हेतु निधियों का उपयोग

2802. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के लिए निवेशकों के संरक्षण हेतु निर्धारित निधि का उपयोग किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आज तक का ब्यौरा क्या है;

(ग) अप्रयुक्त रह गयी शेष निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत की संचित निधि में प्राप्त दावा रहित लाभांश इत्यादि धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निधि के अंतर्गत क्या उपाय/क्रियाकलाप किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि की स्थापना 01.10.2001 को हुई थी। तब से अभी तक का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	आबंटित (रु.)	उपयोग हुआ (रु.)	उपयोग नहीं हुआ (रु.)
2001-02	57 लाख	3 लाख	54 लाख
2002-03	3.02 करोड़	1.87 करोड़	1.15 करोड़
2003-04	3 करोड़	20.16 लाख (आज की तारीख तक)	-

(घ) ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	राशि (रु.)
2001-02	29.38 करोड़
2002-03	108.37 करोड़

(ङ) निवेशक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता सेमीनारों, प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया, कम्प्यूटर वेबसाइट के आयोजन के माध्यम से प्रदान की गई है। गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है जो सफलतापूर्वक निवेशकों के समूहों की ओर से कानूनी मामलों में हिस्सा लेते हैं। उन संगठनों को भी सहायता उपलब्ध है जो निवेशक संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी गतिविधियां चला रहे हैं।

बहुपक्षीय ऋण

2803. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने कुछ बहुपक्षीय ऋणों का भुगतान तय समय-सीमा से पहले ही कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक भारत पर कुल कितना ऋण बोझ है और उस पर कितना ब्याज देय है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऋण बोझ को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) अपनी विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन नीति के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2002-03 में विश्व बैंक और एशियाई

विकास बैंक को देय 2.9 बिलियन अमरीकी डालर की राशि की अधिक लागत वाले ऋणों की अदायगी परिपक्वता से पहले कर दी है। 2003-04 के दौरान अब तक विश्व बैंक के उच्च लागत करेंसी पूल वाले ऋणों की राशि की 1.4 बिलियन अमरीकी डालर की समय पूर्व अदायगी कर दी गयी है।

(ग) जून, 2003 के अंत में कुल विदेशी ऋण 109.6 बिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 2002-03 में कुल ऋण शोधन 14.0 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें मूलधन के रूप में 10.1 बिलियन अमरीकी डालर और ब्याज अदायगी के रूप में 3.9 बिलियन अमरीकी डालर शामिल था।

(घ) भारत सरकार एक विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन नीति का पालन कर रही है जिसके परिणामस्वरूप मुख्य ऋण संकेतकों ने समनुरूप सुधार दर्शाया है। सकल घरेलू उत्पादन अनुपात का कुल विदेशी ऋण जो वर्ष 1991-92 में 38.7 प्रतिशत था वह वर्ष 2002-03 में घटकर 20.0 प्रतिशत हो गया है।

सोने की हाल मार्किंग

2804. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 में ''द हाल मार्किंग स्कीम आफ गोल्ड ज्वैलरी'' आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना हेतु अब तक उत्साह की कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों को इस योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु कहा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक इस योजना पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। स्वर्णाभूषण खरीदते समय उपभोक्ताओं को ठगे जाने से बचाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत अप्रैल, 2000 में स्वर्णाभूषणों के लिए हाल मार्किंग स्कीम शुरू की गई थी। यह स्कीम स्वैच्छिक स्वरूप की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम उपभोक्ता उसके द्वारा खरीदे जाने वाले स्वर्णाभूषणों की शुद्धता के बारे में आश्वस्त हो और शुद्धता के विधिक मानकों को कायम रखने में विनिमता का मार्गदर्शन किया जा सके।

(ग) से (ङ) इस स्कीम के प्रति उत्साह की कमी देश में हालमार्किंग केंद्रों की उपलब्धता के संबंध में अपर्याप्त आधार ढांचे और लोगों में जागरूकता की कमी के कारण है। भारतीय मानक ब्यूरो इस समय इस स्कीम को केवल स्वैच्छिक आधार पर चला रहा है। स्कीम को लोकप्रिय बनाने के प्रयास देश के सभी राज्यों में कार्य कर रहे भारतीय मानक ब्यूरो के 5 क्षेत्रीय और 19 शाखा कार्यालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एक समुचित कार्य योजना के जरिए किए जाते हैं। अब तक राज्य सरकार से इस स्कीम को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष रूप से नहीं कहा गया है।

बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2805. श्री प्रबोध पण्डा:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
डा. रमेश चन्द तोमर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार ने विदेशी बैंकों द्वारा अनुषंगी बैंक स्थापित करना सरल बनाने और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निवेश आमंत्रित करने हेतु बैंकिंग कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के लिए सैद्धान्तिक रूप से एक निर्णय लिया है। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं और उसके बाद कार्यकारी अनुदेश जारी किये जाने की आशा है।

(ग) इसका राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्वामित्व नियंत्रण और विनियमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विश्व आर्थिक मंच से गठजोड़

2806. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या नीति को पटलते हुए सरकार ने वार्षिक भारतीय आर्थिक शिखर वार्ता का समर्थन करने हेतु विश्व आर्थिक मंच और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ गठजोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गठजोड़ से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार की देश के आर्थिक व वाणिज्यिक हित की उन्नति के लिए वैश्विक निवेशकों व्यवसाय और सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखने की सुसंगत नीति है। समझौता ज्ञापन, आर्थिक प्रगति के लिए भारत की छवि तथा उसके प्रति अवधारणा का संवर्धन करने की दृष्टि से विश्व आर्थिक मंच, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के बीच भागीदारी का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ब्रिटेन के साथ वस्त्र व्यापार

2807. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ब्रिटेन ने वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 में एक संयुक्त बैठक करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे ब्रिटेन को भारत के सिले-सिलाए वस्त्रों और हस्तशिल्प के निर्यात में कितनी बढ़ोत्तरी होगी?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज का प्रबंधन

2808. श्री के. येरननायडू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज के प्रबंधन में कमियों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) देश में स्टाक एक्सचेंजों के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड क्या कदम उठा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कोलकाता स्टाक एक्सचेंज का निरीक्षण किया तथा एक्सचेंज की जोखिम प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली में अनेक कमियां पाई। कोलकाता स्टाक एक्सचेंज की समिति एक्सचेंज एवं निवेशकों के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ थी। समिति के कार्यकरण ने समिति के सदस्यों में भी अनिश्चितता एवं अस्पष्टता का तथा निवेशकों के बीच असुरक्षा का सृजन किया था। साथ ही, एक्सचेंज की वित्तीय स्थिति अत्यंत कमजोर पाई गई। स्थिति को देखते हुए समिति के कार्यकरण में आगे और ह्रास को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी।

इसलिए, सेबी ने 4 दिसम्बर, 2003 को एक वर्ष की अवधि के लिए कोलकाता स्टाक एक्सचेंज की समिति का अधिक्रमण कर दिया है और इस समिति की सभी शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्त्तव्यों का निष्पादन करने के लिए श्री तुषार कांति दास, आईएएस (सेवानिवृत्त) को इस एक्सचेंज के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है।

(ग) सेबी ने प्रचालनात्मक बाजार और प्रणालीगत जोखिमों को समाप्त करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों में सामान्य कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रमुख उपाय किए हैं:

(1) जनवरी, 2002 में यह विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी किए कि स्टाक एक्सचेंजों का कोई दलाल सदस्य किसी एक्सचेंज का पदाधिकारी नहीं होगा अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजांची आदि का पद धारण नहीं करेगा।

(2) एक्सचेंजों को सलाह दी कि समयबद्ध विवाचन प्रक्रियाएं अपनाएं।

(3) एक्सचेंजों को निगमीकरण और अपरस्परीकरण (डीम्यूचुअलाइजेशन) की स्कीम प्रस्तुत करने की सलाह

दी गई है। इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में संशोधन हेतु 19 अगस्त, 2003 को संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है और वर्तमान में वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

(4) स्टाक एक्सचेंजों को सलाह दी है कि किसी दलाल निदेशक को स्टाक एक्सचेंज की तरफ से किसी चैक पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी बैंक खाते के प्रचालन के लिए अधिकृत नहीं किया जाए।

(5) अक्तूबर, 2002 में आदर्श उप-विधियां जारी की गई हैं जो सभी एक्सचेंजों पर प्रयोज्य होंगी।

(6) कम अवधि के निपटान चक्रमों की शुरूआत की है।

(7) स्टाक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों के साथ साप्ताहिक निगरानी बैठकों का आयोजन शुरू किया है।

आयकर रिटर्न भरना

2809. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इलेक्ट्रानिक रूप से आयकर रिटर्न भरना आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आयकर विभाग ने यह प्रणाली किन शहरों में आरंभ की है; और

(ग) आयकर रिटर्न को इलेक्ट्रानिक रूप से भरना सभी प्रमुख शहरों में कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) सरकार ने ''इलेक्ट्रानिक माध्यम से आयकर विवरणी दायर करने संबंधी योजना, 2003'' को 25 जुलाई, 2003 से आरंभ किया है।

(ख) यह योजना मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में आरंभ की गई है।

(ग) सरकार इस योजना के क्षेत्र का विस्तार करने तथा इसमें और अधिक शहरों को शामिल करने का विचार रखती है।

डाभोल विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय संस्थान का ऋण

2810. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने डाभोल विद्युत परियोजना को दिए गए बड़े ऋणों को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत न करने के लिए वित्तीय संस्थानों की आलोचना की है;

(ख) किन-किन बैंकों और वित्तीय संस्थानों की यह आलोचना की गई है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों द्वारा पारदर्शिता बनाए रखने और अपनी वित्तीय स्थिति की सही घोषणा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चूककर्त्ता वित्तीय संस्थानों पर क्या जुर्माना किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) बड़े ऋणों के वर्गीकरणों की वास्तविकता की वित्तीय संस्थाओं के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के समय जांच की जाती है। केवल दो वित्तीय संस्थाओं ने डाभोल विद्युत परियोजना को ऋण प्रदान किए हैं। दोनों मामलों में वार्षिक वित्तीय निरीक्षण को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनकी प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों में किए गए प्रकटीकरणों के स्वरूप एवं तरीके में पर्याप्त भिन्नता को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च, 2001 में वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड शुरू किए गए थे, ताकि उनके द्वारा अपनाई गई प्रकटीकरण प्रथाओं में एकरूपता लाई जा सके और उनके कार्यों की पारदर्शिता की मात्रा में सुधार लाया जा सके। ऐसे प्रकटीकरणों, जो वित्तीय वर्ष 2000-01 से प्रभावी हुए और जिनमें बाद में वृद्धि की गई थी, को ''लेखा संबंधी टिप्पणियों'' का भाग बनाया जाना अपेक्षित है, ताकि सूचना को अधिप्रमाणित करने में लेखा परीक्षक सक्षम हो सके। ये प्रकटीकरण न्यूनतम हैं और यदि कोई वित्तीय संस्थान कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण करना चाहती है, तो उसे ऐसा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विधिवत सूचित किया जाएगा। ये प्रकटीकरण पूंजी, आस्ति की गुणवत्ता और ऋण के संकेन्द्रण, चल निधि, परिचालन परिणामों, प्रावधानों में उतार-चढ़ाव, पुनर्निर्धारित खातों वायदा दर करारों, ब्याज दरों की अदला-बदली और ब्याज दरों के व्युत्पन्नों से संबंधित हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योजनाएं

2811. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में वस्त्र उद्योग के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी राशि संवितरित की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): पूर्वोत्तर राज्यों में क्रियान्वित की जा रही वस्त्र-आधारित प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम हथकरघा, रेशम उत्पादन और हस्तशिल्प क्षेत्र में है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01 से 2002-03 के दौरान इन क्षेत्रों में संवितरित योजनागत निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01 से 2002-03 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में वस्त्र के लिए योजनागत संवितरण का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
I. हथकरघा क्षेत्र				
1.	अरुणाचल प्रदेश	181.89	486.55	66.92
2.	असम	616.68	940.59	1131.92
3.	मणिपुर	374.13	6.00	608.57
4.	मेघालय	30.18	12.46	19.73
5.	मिजोरम	11.25	9.00	53.98
6.	नागालैंड	264.92	377.20	163.88
7.	त्रिपुरा	82.10	10.32	27.35
8.	सिक्किम	7.47	3.99	2.97
	कुल	1568.62	1846.11	2075.32
II. रेशम उत्पादन क्षेत्र				
1.	अरुणाचल प्रदेश	11.25	12.03	2.67
2.	असम	206.03	164.87	119.03
3.	मणिपुर	0.07	0.00	0.00
4.	मेघालय	13.87	72.98	33.11
5.	मिजोरम	12.90	39.27	84.49
6.	नागालैंड	10.32	22.82	2.49
7.	त्रिपुरा	31.29	45.42	36.56
8.	सिक्किम	5.65	3.25	15.48
	कुल	291.38	360.64	293.83

1	2	3	4	5
III. हस्तशिल्प क्षेत्र				
1.	अरुणाचल प्रदेश	24.45	197.84	13.65
2.	असम	129.95	133.60	212.36
3.	मणिपुर	73.62	34.55	40.21
4.	मेघालय	44.92	4.42	16.60
5.	मिजोरम	19.62	20.42	17.67
6.	नागालैंड	99.11	63.55	127.78
7.	त्रिपुरा	41.03	46.60	31.41
8.	सिक्किम	14.45	10.81	0.00
	कुल	447.15	511.79	459.68

*उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) की केन्द्र-प्रायोजित योजना के तहत राज्यवार संवितरण के आंकड़े।

शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं संबंधी केंद्र का उपयोग

2812. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए पी ई डी ए का विचार "शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं संबंधी केन्द्र" के उपयोग के संबंध में अध्ययन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) अखबारों में विज्ञापनों तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की वेबसाइट के जरिए परामर्शदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं तथा उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

हथकरघा प्रदर्शनियां/मेले

2813. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व में, विशेषकर अमरीका और खाड़ी देशों में हथकरघा प्रदर्शनियां आयोजित करने हेतु योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को वूलमार्क के पैटर्न पर हथकरघे के लिए एक ब्रान्ड विकसित करने का सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एच.ई.पी.सी.), हथकरघा निगमों और शीर्षस्थ समितियों का संघ (आकाश) एवं हस्तशिल्प एवं भारतीय हथकरघा निर्यात निगम लि. (एच.एच.ई.सी.) जैसी एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के अलावा एच.ई.पी.सी. भी देश में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन कर रहा है, जो भारतीय हथकरघा के लिए संभावित बाजार है। भारतीय हथकरघा निर्यातक, हाल के वर्षों में निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नियमित भाग ले रहे हैं।

1. हेमटेक्सटिल मेला, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी।
2. टेक्स-स्टाईल्स इंडिया मेला, नई दिल्ली।

3. होम फर्निशिंग मेला (बी.एस.एम.) जापान।

4. टेक्सटाइल्स डी इन्टीरियर प्रीमियर (टीआईपी), बूसेल्स, बेल्जियम।

5. हेमटेक्सटिल इंडिया मेला, नई दिल्ली।

इन कार्यक्रमों के अलावा, एच.ई.पी.सी. भी कनाडा, यू.एस.ए., आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि जैसे देशों में भी क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन कर रहा है। परिषद का 2004 में इटली (मिलान) और ग्रीस (एथेन्स) एवं स्कैंडिनेवियन देशों में केवल टेक्सटाइल शो के आयोजन करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2004-05 के दौरान विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के तहत परिषद का अक्तूबर, 2004 के दौरान न्यूयार्क होम टेक्स्टाइल शो में भाग लेने का प्रस्ताव है। एच.ई.पी.सी. भी गल्फ देशों में, विशेषकर यू.ए.ई. तथा सऊदी अरब में भी होम फर्निशिंग के संवर्धन की संभावना की खोज कर रहा है। परिषद का आगामी वर्ष में इस क्षेत्र में किसी एक अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में हिस्सा लेने का प्रस्ताव है, यदि बाजार होम फर्निसिंग के लिए वादा करती है।

(ग) और (घ) भारतीय हथकरघों के ब्रांड के विकास के लिए हाल ही में हथकरघा के प्रभारी राज्य सचिवों एवं निदेशकों की बैठक में एक सुझाव उभरकर सामने आये है। अभी वह विचारणीय अवस्था में है।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम के काल सेंटर

2814. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा निगम की सेवाओं से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए देश में और अधिक काल सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख में देश में स्थानवार इनफो सेंटर नामक कितने काल सेंटर कार्य का रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि देश में और अधिक काल सेंटर खोलने की उनकी अभी कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हमारे देश में इन्फो सेंटर्स के नाम से कार्यरत इन काल सेंटरों की संख्या इस समय 8 है तथा ये मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चैन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, अहमदाबाद तथा पुणे में स्थित हैं।

वस्त्र निर्यातक समूह

2815. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र निर्यातकों को चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षेस देशों के वस्त्र निर्यातक समूह का जनवरी, 2005 से पोस्ट कोटा रेजिम की प्रतिस्पर्द्धा का मिलकर सामना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) भारत के अपैरल निर्यातक, कोटा की चरण-बद्ध रूप से समाप्ति, मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने और शुल्क कम किए जाने के परिणामस्वरूप उदारीकृत व्यापार व्यवस्था में चीन सहित हमारे पड़ोसी देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं।

(ख) वस्त्र मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार उद्योग को उभरती हुई प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नलिखित हैं-

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। इसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को भी बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गयी है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(4) फैब्रिक उत्पादन को प्रतियोगी बनाने के लिए शटलरहित करघों पर सीमा शुल्क को 15% से घटा कर 5% कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग विशेष रूप से अपैरल की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं सृजित की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की पारिस्थितिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवाने में सक्षम हो सकें।

(7) सरकार ने विकास संभावित केंद्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए अपैरल पार्क निर्यात योजना नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

(9) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें सिलेसिलाए परिधानों सहित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संवर्धनात्मक उपाय कर रही है।

नए सिक्के जारी करना

2816. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मूल्यों के नए सिक्के जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सिक्के जारी करना इन मूल्यों के नोट जारी करने की तुलना में कितना किफायती होगा; और

(ग) विभिन्न मूल्यों के नए सिक्के प्रचालन हेतु कब तक उपलब्ध कराने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श में सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को शक्तियां देना

2817. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को शेयर बाजार में आंतरिक व्यापार को रोकने के लिए और अधिक कर्मचारी और प्रौद्योगिकीय सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक लागू होने की संभावना है और इस पर कितना खर्च होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) कौशलों और तकनीकी सुविधाओं का उन्नयन सेबी का एक सतत् क्रियाकलाप है तथा इसके एक भाग के रूप में सेबी ने वित्तीय तथा बाजारों में संभावी आंतरिक व्यापार हेराफेरी/उल्लंघनों का पता लगाने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी लाने के लिए प्रतिष्ठित अभिकरणों की सहायता ली है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित प्रतिभूतियां

2818. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भातरीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित प्रतिभूतियों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वृद्धि से भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार संबंधी संचालन प्रभावित होंगे और देश में नकदी की उपलब्धता में कमी आएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका समाज के उन विभिन्न भागों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिन्हें धन की आवश्यकता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां, सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निजी तौर पर प्रतिभूतियों के आवंटन के जरिए निर्दिष्ट विदेशी ऋणों के पूर्व अदायगी के लिए समकक्ष रुपया संसाधनों को जुटाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में नकदी प्रबंधन हेतु अपनी मौद्रिक नीति के भाग के रूप में मुक्त बाजार प्रचालनों के लिए अपने पोर्टफोलियों में प्रतिभूतियों का उपयोग करता है, ऐसे प्रचालन समग्र स्तर पर नकदी पर प्रभाव डालते हैं तथा निधियों की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था में इन प्रचालनों का उपयोग होता है।

श्रीलंका के साथ नया समझौता

2819. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और श्रीलंका द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो नए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए समझौते में उद्योग, सेवाओं और विनिवेश के नए खंडों को सम्मिलित किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप व्यापार में कितनी वृद्धि होगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। भारत और श्रीलंका के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सी ई पी ए) करने का प्रस्ताव है।

(ख) सी ई पी ए के ब्यौरों पर अभी दोनों देशों द्वारा विचार-विमर्श किया जाना है।

(ग) इस संबंध में, दोनों देशों की सरकारों द्वारा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच जून, 2002 के महीने में हुई बैठक के अनुसरण में एक संयुक्त अध्ययन दल (जे एस जी) का गठन किया गया था। जे एस जी ने अब 20 अक्तूबर, 2003 को नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट दोनों प्रधानमंत्रियों को सौप दी है। जे एस जी ने यह सिफारिश की है कि सी ई पी ए के तहत नकारात्मक सूची के अंतर्गत मदों की संख्या कम करने, सीमा शुल्क प्रक्रिया को सुमेलित करने, मानकीकृत व्यापार सुविधा जैसे मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा, सी ई पी ए में सेवा व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग भी शामिल होंगे।

(घ) ब्यौरों पर अभी विचार-विमर्श किया जाना है।

(ङ) जे एस जी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत का हिस्सा श्रीलंका के कुल निर्यात का 3.6% बनता है। इसे वर्ष 2008 तक बढ़ाकर 10% तक करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। दूसरी ओर, श्रीलंका को भारत से कुल निर्यात, श्रीलंका के आयातों का केवल 14% है जिसे वर्ष 2008 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। यह इस अनुमान पर आधारित है कि भारत तथा श्रीलंका को किया जाने वाला वैश्विक निर्यात 10-12% की दर से बढ़ेगा तथा दोनों देशों के बीच व्यापार उस दर का चार गुना बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश के लिए इसी प्रकार के लक्ष्य रखे जा सकते हैं क्योंकि अनुकूल वातावरण में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। प्रमुख सेवा क्षेत्र उद्योगों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे देश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2008 तक पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित करता है।

ग्लोबल कम्पीटीटिवनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान

2820. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई वर्ष 2003-04 की ग्लोबल कम्पीटीटिवनेस रिपोर्ट में तीन स्थान नीचे खिसककर 56वें स्थान पर आ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई वर्ष 2003-04 की ग्लोबल कम्पीटीटिवनेस रिपोर्ट में विकास कम्पीटीटिवनेस के आधार पर वर्ष 2002-03 की रिपोर्ट में 80 देशों में 54वें स्थान की तुलना में 102 देशों में भारत का

56वां स्थान है। इसका स्थान खिसककर नीचे आने का मुख्य कारण रिपोर्ट में अधिक देशों को शामिल किया जाना है।

इंडोनेशिया के साथ व्यापार समझौता

2821. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच हस्ताक्षर किए गए विभिन्न व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान समझौते के अंतर्गत इंडोनेशिया को निर्यात किए गए तथा वहां से आयात किए गए सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में विचाराधीन भारत-इंडोनेशिया व्यापार विस्तार प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडोनेशिया के साथ किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) इंडोनेशिया को निर्यातित प्रमुख वस्तुएं हैं:- पेट्रोलियम उत्पाद, चावल, गेहूं, प्राथमिक और अर्द्ध-परिष्कृत लोहा एवं इस्पात, रंजक एवं कोर तार रसायन, तेल खाद्य, मशीनरी एवं उपकरण, अकार्बनिक/कार्बनिक, कृषि-रसायन, विविध प्रसंस्कृत मदें तथा मूंगफली।

इण्डोनेशिया से आयातित प्रमुख मदें हैं:-

वनस्पति तेल (खाद्य), कोयला, कोक एवं ब्रिकेट्स, धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन, कार्बनिक/अकार्बनिक रसायन, काजू गिरी, लुग्दी, अपशिष्ट कागज तथा इलेक्ट्रानिक वस्तुएं।

(ग) इण्डोनेशिया के साथ व्यापार का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। इण्डोनेशिया जैसे मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना सरकार का सतत प्रयास रहा है। इस दिशा में उठाए गए कदमों में दोनों पक्षों के व्यापारिक अधिकारियों के बीच बैठकें, व्यापारिक शिष्टमंडलों के बीच विचार-विनिमय, मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल हैं।

वित्तीय विनियमन संबंधी स्थायी तकनीकी समिति

2822. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय विनियमन संबंधी स्थायी तकनीकी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की संरचना संबंधी ब्यौरा और विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक देने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20.11.2003 को वित्तीय विनियमन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति नियुक्त की है। संघटन एवं विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) प्रारम्भ में यह समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से दो वर्ष के लिए कार्य करेगी।

विवरण

वित्तीय विनियमन पर स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति

वित्तीय विनियमन संबंधी स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति का संघटन एवं विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:

अध्यक्ष

1. श्रीमती के.जी. उदेशी,
   उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

सदस्य

1. श्री ए.के. पुरवार, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई
2. श्री एस.एस. कोहली,
   अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली
3. श्री ए.के. बत्रा,
   सदस्य, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई
4. श्री एम. दामोदरन,
   कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुंबई
5. डा. पी.जे. नायक,
   प्रबंध निदेशक, यूटीआई बैंक लिमिटेड, मुंबई
6. श्री नियाल एस.के. बूकर,
   मुख्य कार्यपालक अधिकारी-भारत, एचएसबीसी, मुंबई

7. श्री एम.जी. भिडे,
निदेशक, सीआरआईएसआईएल, मुंबई

8. डा. एन.एल. मित्रा,
उप कुलपति, नैशनल ला युनिवर्सिटी, जोधपुर

9. श्री जी.के. रमन,
निदेशक, सुन्दरम फाइनेंस लिमिटेड, चेन्नै

10. श्री एच.एन. सिनोर,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सचिव, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

सचिव

1. श्री सी.आर. मुरलीधरन,
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

2. श्री ए.के. मिश्रा,
महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

स्थायी आमंत्रित

1. श्री वेपा कामेसम,
उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

2. डा. राकेश मोहन,
उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

3. श्रीमती श्यामला गोपीनाथ,
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

समिति, विशेष आमंत्रिती के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को शामिल कर सकती है।

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(क) वर्तमान विनियामक प्रणाली का, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके सरलीकरण और तर्कसम्मत बनाने, विशेषकर सुस्पष्ट तथा असंदिग्ध विनियामक निर्देशों की ओर बढ़ने तथा आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों में वृद्धि करने में रिजर्व बैंक की सहायता की दृष्टि से समीक्षा करना;

(ख) विवेकपूर्ण मानदंडों पर वर्तमान विनियामक व्यवहारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित बैंकों एवं गैर-बैंकों के विवेकशील मानदंडों पर विचार करना तथा उन्हें भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्य प्रणालियों के साथ क्रमिक रूप से एक सीध में लाने के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ग) वित्तीय सेवा उद्योग के साथ मिश्रित कारोबार की सामने आ रही विविधताओं के आलोक में विनियामक ढांचे में समय-समय पर आवश्यक परिवर्तनों पर परामर्श देना;

(घ) अन्य विनियामकों के निर्देशों की सीध में वित्तीय सेवा क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के लिए विनियामक और विवेकपूर्ण मानदंडों के विश्लेषण, जो भी उचित हो, सुसंगत बनाने में सहायता करना;

(ङ) बैंकिंग तथा वित्तीय बाजारों की गतिविधियों के लिए समुचित विनियामक प्रतिक्रियाओं का पता लगाना;

(च) बासेल II मानदंडों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकिंग संस्थाओं द्वारा किये गये उपायों को रेखांकित करना;

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में कंपनी गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाना; और

(ज) वित्तीय क्षेत्र के विनियमन से संबद्ध कोई अन्य विशिष्ट मामला, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसे भेजा गया हो अथवा समिति द्वारा उचित पाया गया हो, पर परामर्श देना।

वस्त्रों का निर्यात

2823. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्रों और सिले-सिलाए वस्त्रों का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) इसका वैश्विक बाजार में प्रतिशत कितना है;

(ग) अन्य दक्षिण एशियाई देशों में वस्त्र निर्यात का हिस्सा कितना है; और

(घ) वैश्विक बाजार में वस्त्र निर्यात में किस देश का हिस्सा अधिकतम है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र एवं क्लोदिंग का निर्यात निम्नलिखित रहा है:-

	2000-01	2001-02	2002-03
कुल वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात	12037.6	10764.7	11842.2

(ख) और (ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के आंकड़ों के अनुसार कुल वैश्विक वस्त्र एवं क्लोदिंग में भारत और अन्य प्रमुख दक्षिण एशियाई देशों का प्रतिशत हिस्सा निम्नलिखित है:-

2001 में प्रतिशत हिस्सा

देश	वस्त्र	क्लोदिंग
भारत	3.66	2.83
पाकिस्तान	3.08	1.10
बांग्लादेश	0.32	2.20
श्रीलंका	0.14	1.26
नेपाल	0.11	0.08

(घ) विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वस्त्र एवं क्लोदिंग व्यापार में इस समय चीन का अधिकतम हिस्सा है।

देश का चालू खाता

2824. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के चालू खाते ने अप्रैल-जून, 2003 की अवधि के दौरान 1.2 बिलियन डालर का घाटा दर्ज किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की इसी अवधि के ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते ने अप्रैल-जून, 2002 में 410 मिलियन अमरीकी डालर के अधिशेष की तुलना में अप्रैल-जून, 2003 के दौरान 1204 मिलियन अमरीकी डालर का घाटा दर्ज किया है। लगातार छह तिमाहियों में अधिशेष में रहने के बाद चालू खाता मुख्य रूप से आयातों में हुई जोरदार वृद्धि जो घरेलू आर्थिक गतिविधि में तेजी को दर्शाती है, के कारण घाटे में बदल गया है।

खाद्यान्नों का आबंटन

2825. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय तथा मिड-डे-मील योजना के लिए खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें आबंटित खाद्यान्नों को नहीं उठा पाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों को उठाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) और (ख) जी, नहीं, तथापि सरकार ने 50 लाख गरीबी रेखा से नीचे के अतिरिक्त परिवारों को कवर करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त अंत्योदय परिवारों की पहचान करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये थे। जिन राज्य सरकारों ने अतिरिक्त अंत्योदय परिवारों की पहचान कर ली है उन्हें अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किये गये हैं।

(ग) और (घ) 2002-03 और 2003-04 (अप्रैल-अक्तूबर, 2003) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अंत्योदय सहित) और मध्याहन भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन और उठान के राज्यवार योजनावार ब्यौरे बताने वाला विवरण संलग्न है।

राज्यों द्वारा किया जाने वाला खाद्यान्नों का उठान खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य और खुल बाजार मूल्य के बीच समानता, खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और आहार आदतों आदि जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) जी, हां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन एक माह अग्रिम में द्विमासिक आधार पर किया जाता है। द्विमासिक आवंटन के आखिरी दिन समाप्त होने वाली 90 दिन की अवधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन का उठान करने के लिए दी जाती है।

मध्याहन भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन 10 शैक्षिक महीनों के लिए वार्षिक रूप से किया जाता है। राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को खाद्यान्नों का मासिक उठान करने का परामर्श दिया जाता है जिसमें एक माह में कुल आवंटन के 10वें भाग से अधिक मात्रा का उठान नहीं किया जा सकता है।

विवरण

2002-03 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अंत्योदय अन्न योजना सहित) और मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों का राज्यवार आवंटन और उठान के ब्यौरे

2002-03 (लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन					उठान				
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	म.भो.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	म.भो.यो.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	14.448	22.667	2.616	39.731	2.237	14.413	3.501	2.346	20.261	1.848
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.351	0.737	0.063	1.152	0.050	0.321	0.412	0.057	0.790	0.008
3.	असम	6.823	9.581	1.182	17.586	0.917	5.295	4.159	1.049	10.503	0.436
4.	बिहार	22.442	22.915	4.200	49.557	2.429	4.383	0.035	3.339	7.758	1.328
5.	छत्तीसगढ़	5.797	10.458	1.207	17.462	0.746	0.828	0.049	0.047	0.924	0.003
6.	दिल्ली	1.583	11.029	0.134	12.747	0.202	1.304	1.450	0.116	2.870	0.038
7.	गोवा	0.129	1.198	0.031	1.358	0.021	0.065	0.066	0.023	0.154	0.000
8.	गुजरात	7.627	28.584	1.365	37.576	0.652	3.937	0.296	1.155	5.389	0.271
9.	हरियाणा	2.609	11.488	0.470	14.567	0.461	1.822	0.435	0.429	2.687	0.429
10.	हिमाचल प्रदेश	1.709	3.593	0.331	5.633	0.192	1.415	0.219	0.326	1.960	0.188
11.	जम्मू एवं कश्मीर	2.281	4.250	0.474	7.005	0.247	2.091	2.567	0.322	4.981	0.005
12.	झारखण्ड	8.147	2.163	1.539	11.849	0.518	2.261	0.037	1.097	3.395	0.163
13.	कर्नाटक	11.139	20.706	2.004	33.849	1.536	10.953	5.595	1.799	18.347	1.171
14.	केरल	5.526	18.089	1.000	24.615	0.471	3.236	1.745	0.995	5.976	0.471
15.	मध्य प्रदेश	12.743	27.655	2.656	43.054	2.107	9.854	0.295	2.516	12.665	1.862
16.	महाराष्ट्र	23.236	50.136	4.207	77.579	2.979	13.839	0.207	3.637	17.682	2.516
17.	मणिपुर	0.439	0.475	0.107	1.021	0.086	0.383	0.098	0.110	0.591	0.080
18.	मेघालय	0.651	0.441	0.118	1.209	0.130	0.608	0.127	0.109	0.844	0.126
19.	मिजोरम	0.243	0.481	0.044	0.768	0.028	0.243	0.467	0.044	0.754	0.023
20.	नागालैण्ड	0.441	0.735	0.079	1.256	0.048	0.453	0.241	0.080	0.773	0.048
21.	उड़ीसा	14.844	12.851	2.123	29.818	1.238	3.620	0.628	1.817	6.066	1.050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	पंजाब	1.664	16.330	0.301	18.295	0.486	0.882	0.105	0.152	1.139	0.361
23.	राजस्थान	8.040	30.026	1.565	39.631	1.540	6.365	1.470	1.491	9.327	1.414
24.	सिक्किम	0.154	0.392	0.028	0.574	0.023	0.151	0.082	0.029	0.262	0.022
25.	तमिलनाडु	17.519	38.420	2.905	58.843	1.080	13.167	0.213	2.876	16.256	0.788
26.	त्रिपुरा	1.049	1.817	0.190	3.056	0.138	1.006	0.272	0.188	1.466	0.101
27.	उत्तर प्रदेश	36.885	78.408	6.854	122.147	4.457	23.664	0.172	6.958	30.794	4.101
28.	उत्तरांचल	1.618	4.319	0.321	6.258	0.247	0.962	0.059	0.192	1.214	0.139
29.	पश्चिम बंगाल	17.028	42.468	3.078	62.573	2.929	7.427	2.787	2.036	12.250	2.178
30.	अंड. व निकोबार द्वीप समूह	0.074	0.364	0.018	0.456	0.011	0.030	0.198	0.000	0.228	0.009
31.	चंडीगढ़	0.087	0.792	0.009	0.888	0.013	0.014	0.001	0.009	0.024	0.004
32.	दादर एवं नगर हवेली	0.055	0.071	0.012	0.139	0.008	0.028	0.013	0.009	0.050	0.004
33.	दमन एवं दीव	0.014	0.100	0.003	0.117	0.003	0.003	0.001	0.002	0.006	0.002
34.	लक्षद्वीप	0.004	0.052	0.002	0.057	0.000	0.000	0.027	0.000	0.027	0.000
35.	पांडिचेरी	0.313	0.509	0.039	0.860	0.013	0.108	0.007	0.031	0.146	0.012
	जोड़	227.711	474.300	41.275	743.286	28.241	135.132	28.037	35.387	198.557	21.202

2003-04 (अप्रैल-अक्तूबर, 2003) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अंत्योदय अन्न योजना सहित) और मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों का राज्यवार आवंटन और उठान के ब्यौरे

2003-04 (लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन					उठान				
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	म.भो.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	म.भो.यो.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	8.210	13.223	1.744	23.177	1.783	7.954	2.530	1.738	12.223	0.604
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.205	0.350	0.037	0.592	0.055	0.186	0.338	0.034	0.558	0.003
3.	असम	3.980	3.872	0.690	8.541	0.971	3.693	1.744	0.633	6.070	0.360
4.	बिहार	12.945	13.367	2.450	28.762	2.453	3.169	0.007	2.106	5.282	0.801
5.	छत्तीसगढ़	3.281	6.101	0.805	10.186	0.566	0.565	0.021	0.023	0.610	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	दिल्ली	0.924	5.813	0.078	6.815	0.217	0.967	1.242	0.074	2.283	0.013
7.	गोवा	0.075	0.690	0.018	0.783	0.013	0.044	0.016	0.015	0.074	0.005
8.	गुजरात	4.398	16.261	0.796	21.455	0.601	2.503	0.090	0.314	2.907	0.159
9.	हरियाणा	1.555	5.916	0.276	7.747	0.459	1.224	0.022	0.264	1.510	0.167
10.	हिमाचल प्रदेश	1.351	2.035	0.193	3.579	0.185	1.211	0.231	0.199	1.641	0.082
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1.526	2.574	0.277	4.377	0.247	1.460	1.593	0.277	3.330	0.000
12.	झारखण्ड	4.845	1.262	0.898	7.004	0.518	1.578	0.035	0.749	2.362	0.074
13.	कर्नाटक	6.491	12.079	1.175	19.745	1.459	6.290	4.454	1.073	11.817	0.488
14.	केरल	3.223	10.552	0.584	14.359	0.433	2.361	0.903	0.585	3.849	0.217
15.	मध्य प्रदेश	7.276	14.790	1.707	23.772	1.658	5.118	0.021	1.466	6.605	0.614
16.	महाराष्ट्र	13.554	27.422	2.454	43.430	2.236	9.093	0.038	2.201	11.332	1.030
17.	मणिपुर	0.256	0.277	0.063	0.595	0.089	0.222	0.120	0.057	0.399	0.038
18.	मेघालय	0.379	0.263	0.069	0.711	0.103	0.440	0.123	0.080	0.642	0.052
19.	मिजोरम	0.140	0.242	0.028	0.409	0.019	0.142	0.284	0.026	0.452	0.007
20.	नागालैण्ड	0.254	0.437	0.050	0.741	0 052	0.262	0.408	0.049	0.720	0.020
21.	उड़ीसा	8.659	6.741	1.239	16.638	1.238	4.220	0.853	1.235	6.307	0.443
22.	पंजाब	0.971	8.594	0.176	9.740	0.455	0.651	0.046	0.099	0.796	0.066
23.	राजस्थान	4.690	16.122	0.913	21.725	1.701	3.456	0.048	0.839	4.343	0.669
24.	सिक्किम	0.088	0.151	0.019	0.257	0.015	0.088	0.087	0.018	0.193	0.007
25.	तमिलनाडु	10.164	22.097	1.750	34.010	1.106	9.146	0.969	1.776	11.892	0.328
26.	त्रिपुरा	0.612	1.046	0.111	1.768	0.091	0.573	0.257	0.087	0.917	0.044
27.	उत्तर प्रदेश	22.153	37.884	4.011	64.048	4.912	8.711	0.026	2.908	11.645	1.447
28.	उत्तरांचल	1.033	1.946	0.187	3.166	0.236	0.519	0.047	0.095	0.661	0.079
29.	पश्चिम बंगाल	9.933	23.854	1.795	35.582	2.894	5.672	2.376	1.221	9.269	1.268
30.	अंड. व निकोबार द्वीप समूह	0.043	0.212	0.011	0.266	0.007	0.031	0.090	0.018	0.139	0.002
31.	चंडीगढ़	0.051	0.441	0.005	0.497	0.010	0.007	0.000	0.005	0.012	0.000
32.	दादर एवं नगर हवेली	0.032	0.042	0.007	0.081	0.007	0.020	0.007	0.004	0.031	0.001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	दमन एवं दीव	0.008	0.055	0.001	0.065	0.003	0.005	0.001	0.001	0.007	0.001
34.	लक्षद्वीप	0.002	0.022	0.001	0.025	0.000	0.000	0.004	0.000	0.004	0.000
35.	पांडिचेरी	0.180	0.077	0.025	0.282	0.0013	0.094	0.004	0.020	0.118	0.005
	जोड़	133.488	256.804	24.639	414.931	26.802	81.675	19.034	20.290	120.999	9.094

टिप्पणी: मध्याह्न भोजन योजना के अधीन आवंटन के आंकड़े सम्पूर्ण वर्ष 2003-04 के लिए हैं।

[हिन्दी]

उद्योगों के विरुद्ध उत्पाद शुल्क मामले

2826. श्री महेश्वर सिंह:
श्री अशोक अर्गल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन सभी मामलों में जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) उत्पाद शुल्केय माल का विनिर्माण कर रहे उद्योगों के विरुद्ध उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों द्वारा दर्ज किए जाते हैं। किसी विशेष समय लंबित जांच पड़ताल, कारण बताओ नोटिस जारी करना, लंबित न्यायनिर्णयन जैसे विभिन्न स्तरों पर होते हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान कुल 5139 मामले जिनमें 4347.79 करोड़ रु. के शुल्क अपवंचन की राशि अंतर्ग्रस्त थी, दर्ज किए गए थे। इसी अवधि के दौरान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मामले तथा जारी कारण बताओ नोटिसों की संख्या क्रमश: 435 और 504 थी।

[अनुवाद]

तंबाकू की बिक्री

2827. श्री शशि कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य में किसानों पर अर्थदंड लगाये बिना उत्पादित सारे तंबाकू की बिक्री की मंजूर का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया है और इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव किया है कि फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू के अपंजीकृत उपजकर्त्ताओं को सामान्य सेवा प्रभारों के भुगतान पर अपने उत्पाद का विपणन करने की अनुमति प्रदान की जाए।

(ख) से (घ) सभी संगत कारकों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने वर्ष 2003-04 के मौसम के दौरान कर्नाटक में पंजीकृत उपजकर्त्ताओं द्वारा उत्पादित अतिरिक्त एफ सी वी तंबाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनधिकृत एफ सी वी तंबाकू के विपणन पर 1.50 करोड़ रुपए प्रति कि.ग्रा. तथा बिक्री आय के एक प्रतिशत का अत्यंत मामूली अर्थदण्ड लगाया है।

प्याज निर्यात के लिए जर्मनी के साथ समझौता ज्ञापन

2828. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्कफेड ने प्याज के निर्यात के लिए एक जर्मनी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्क-हार्ट पोटैटोज (इंडिया) लि. (एम एच पी आई एल), चंडीगढ़, पंजाब, जो मार्कफेड, पंजाब की एक सहायक कंपनी है, ने वर्ष 2004 के दौरान प्याज के निर्यात के लिए जर्मनी की दो कंपनियों के साथ एक करार किया है।

जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2829. श्री अमर रायप्रधान: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने की सिफारिश का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा पश्चिमी बंगाल सरकार, दोनों ने ही जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने की सिफारिश की है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने, अंतरिम उपाय के रूप में, इस सर्किट न्यायापीठ को जलपाईगुड़ी शहर और बाईपास (एस.एच.-12ए) के चौराहे पर अवस्थित मौजा खरारिया में ''असम मोर'' में पहचान की गई भूमि पर एक स्थायी भवन का संनिर्माण किए जाने तक, जलपाईगुड़ी जिला परिषद् डाक बंगले में, जिसकी मरम्मत की जा रही है, स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी

2830. श्री महबूब जाहेदी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेंट्रल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड में अपनी हिस्सेदारी वापस लेने की अनुमति देने के भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्ताव से सहमत थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

फास्ट ट्रैक कोर्ट

2831. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री आर.एल. जालप्पा:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू करने हेतु अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2003 निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में पहले कुल कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना बनाई गई थी;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ङ) इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने तारीख 3.11.2003 के आदेश में राज्यों को 31 दिसंबर, 2003 तक शेष त्वरित निपटान न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का निदेश दिया है। व्यतिक्रम की दशा में यह इन राज्यों को केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान को वापिस करने के लिए कहे जाने पर विचार कर सकेगा।

(ग) प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाने वाले त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या को दर्शित करने वाला एक विवरण I संलग्न है।

(घ) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य को जारी की गई राशि को दर्शित करने वाला विवरण II संलग्न है।

(ङ) उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई अंतिम तारीख को अनुपालन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को संसूचित कर दिया गया है।

विवरण I

क्रम सं.	राज्य का नाम	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किए गए न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	20
4.	बिहार	183
5.	छत्तीसगढ़	31
6.	गोवा	5
7.	गुजरात	166
8.	हरियाणा	36
9.	हिमाचल प्रदेश	9
10.	जम्मू-कश्मीर	12
11.	झारखंड	89
12.	कर्नाटक	93
13.	केरल	37
14.	मध्य प्रदेश	85
15.	महाराष्ट्र	187
16.	मणिपुर	3
17.	मेघालय	3
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैंड	3
20.	उड़ीसा	72
21.	पंजाब	29
22.	राजस्थान	83
23.	सिक्किम	3
24.	तमिलनाडु	49
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तरांचल	45
27.	उत्तर प्रदेश	242
28.	पश्चिम बंगाल	152
	योग	1734

विवरण II

क्रम सं.	राज्य का नाम	त्वरित न्यायालयों के गठन के लिए जारी की गई रकम (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2,250.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.69
3.	असम	530.10
4.	बिहार	4,766.40
5.	छत्तीसगढ़	791.10
6.	गोवा	125.10
7.	गुजरात	1,939.41
8.	हरियाणा	422.31
9.	हिमाचल प्रदेश	27.15
10.	जम्मू-कश्मीर	300.60
11.	झारखंड	2,319.30
12.	कर्नाटक	2,431.80
13.	केरल	465.95
14.	मध्य प्रदेश	2,223.90
15.	महाराष्ट्र	2,175.10
16.	मणिपुर	40.22
17.	मेघालय	90.00

1	2	3
18.	मिजोरम	90.00
19.	नागालैंड	54.90
20.	उड़ीसा	1,866.60
21.	पंजाब	746.10
22.	राजस्थान	2,166.30
23.	सिक्किम	10.06
24.	तमिलनाडु	1,151.90
25.	त्रिपुरा	73.80
26.	उत्तरांचल	1,173.60
27.	उत्तर प्रदेश	6,319.80
28.	पश्चिम बंगाल	1,331.48
	योग	35,935.67

आयकर विभाग में रिक्तियां

2832. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्रीय उत्पाद और आयकर विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार रिक्तियों का राज्य/जोन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तेल की बिक्री

2833. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों की खुदरा खुली बिक्री पर रोक लगा दी है और नए टिनों में पैक किए गए खाद्य तेल की खुदरा बिक्री का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खुदरा खुली बिक्री करने वालों और उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) सरकार ने खाद्य तेल पैकिंग (नियमन) आदेश, 1998 प्राख्यापित किया है ताकि उपभोक्ताओं को पैकेजों में सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता के खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। एक बार उपयोग में लाए गए टिन और प्लास्टिक कंटेनरों का पैकिंग हेतु दोबारा उपयोग नहीं किया जाता है।

राज्य सरकार को विशिष्ट परिस्थितियों और विशिष्ट अवधि के लिए इस आदेश के उपबंधों से किसी भी खाद्य तेल को छूट देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए चावल

2834. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बीच वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे की दर पर चावल जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता को पूरा करने और मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने हेतु इन प्रत्येक राज्यों को कितनी मात्रा में चावल की आपूर्ति की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 2002-03 और 2003-04 के सूखे के लिए सूखा प्रभावित राज्यों द्वारा मांगे गए और उन्हें मुफ्त आवंटित खाद्यान्नों के राज्यवार ब्यौरे विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2002-03 के सूखे के लिए मांगे गए खाद्यान्नों की मात्रा और उनके किए गए आवंटन की मात्रा

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	मांगी गई मात्रा 2002-03	आंवटित की गई मात्रा 2002-03	आंवटित की गई मात्रा 2003-04	आवंटित की गई कुल मात्रा
1.	आंध्र प्रदेश	40.00	20.00	12.20	32.20
2.	छत्तीसगढ़	12.60	3.29	2.38	5.67
3.	गुजरात	1.95	1.48	1.58	3.06
4.	हरियाणा	9.72	0.25	—	0.25
5.	हिमाचल प्रदेश*	0.19	0.10	—	0.10
6.	झारखण्ड	—	0.40	—	0.40
7.	कर्नाटक	11.09	5.30	1.90	7.20
8.	केरल	1.00	0.52	—	0.52
9.	मध्य प्रदेश	9.61	4.17	4.74	8.91
10.	महाराष्ट्र	2.00	1.16	1.16	2.32
11.	उड़ीसा	14.19	4.00	5.22	9.22
12.	राजस्थान	56.00	18.98	13.06	32.04
13.	तमिलनाडु	9.00	1.25	3.75	5.00
14.	उत्तर प्रदेश	20.00	2.00	—	2.00
15.	उत्तरांचल	—	0.50	—	0.50
	जोड़	187.35	63.40	44.34	107.74

*उपर्युक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार को 2002-03 के दौरान सूखा प्रभावित परिवारों के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दर पर 75,000 टन खाद्यान्न भी आवंटित किए गए हैं।

विवरण II

वर्ष 2003-04 के सूखे के लिए मांगे गए खाद्यान्नों की मात्रा और उनके किए गए आवंटन की मात्रा

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	मांगी गई मात्रा	आवंटित की गई मात्रा
1.	आंध्र प्रदेश	15.00	1.00
2.	कर्नाटक	9.90	3.30
3.	महाराष्ट्र	2.00	0.50
	जोड़	26.90	4.80

मुम्बई का विकास

2835. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने व्यापार औद्योगिक विकास तथा बैंक ऋण के संबंध में मुम्बई के सतत विकास हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अवसंरचनात्मक और अन्य विकास हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुम्बई शहर के विकास हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने अगले चार वर्षों में 6000/- करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है। इस ज्ञापन में उन कतिपय प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा है, जिनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा 12,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आवास, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्रों में कार्य शुरू करने की योजना है। भारत सरकार ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित कार्य-बल में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से प्रतिनिधि नामित किए हैं। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार को 2002-03 तक मुम्बई महानगर में अवसंरचनात्मक विकास हेतु 190.44 करोड़ रुपए का केन्द्रीय शेयर जारी किया गया है तथा मौजूदा वर्ष हेतु 29.12 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जो कि 2002-03 में जारी की गई अनुदान राशि के उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र के मिलने पर और उतनी ही राशि राज्य के शेयर के रूप में उपलब्ध होने पर जारी की जाएगी।

मौलिक कर्त्तव्यों को लागू करने के लिए कानून

2836. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों के अनुपालन के लिए एक कानून बनाने का निर्देश केन्द्र सरकार को दिया है; जैसा कि जस्टिस वर्मा समिति द्वारा सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा देश के नागरिकों को मूल कर्त्तव्यों की शिक्षा देने के संबंध में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भेजे गए पत्र को रिट याचिका माना गया था। याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया था और भारत के नागरिकों को मूल कर्त्तव्यों की शिक्षा देने संबंधी सुझावों को कार्यरूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1998 में न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने 11 जनवरी, 2000 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों से संबंधित विभागों और अनेक स्वायत्त संगठनों को परिचालित किया गया है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 2001 में यह संप्रेक्षण किया था कि अनुच्छेद 51क में यथापरिभाषित मूल कर्त्तव्य मूल अधिकारों की तरह न्यायालय की रिट द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2003(6) में रिपोर्ट किए गए श्री रंगनाथ मिश्र बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार पूर्वोक्त आयोग/समिति की सिफारिशों पर ध्यान देगी, हम श्री के. परासरन की इस बात से सहमत हैं कि केंद्रीय सरकार द्वारा उन पर इनके सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए और तद्नुसार हम उसे ऐसा करने और साथ ही यथासंभवशीघ्र उन्हें लागू करने के लिए उपयुक्त उपाय करने का भी निदेश देते हैं।"

अधिकांश मंत्रालयों/संगठनों ने सिफारिशों को लागू किए जाने के लिए स्वीकार कर लिया है। तथापि, मूल कर्त्तव्यों के प्रति नागरिकों को सुग्राही बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

यूटीआई में द्विभाषी प्रपत्र

2837. डा. महेन्द्र सिंह पाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूटीआई में परिपत्र/प्रपत्र द्विभाषी रूप में जारी नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के दिल्ली स्थित कार्यालय के प्रभारी ने एक वरिष्ठ नागरिक को केवल अंग्रेजी में पत्राचार करने की बात कही है, न कि हिन्दी में; और

(घ) यदि हां, तो आधिकारिक नियमों के उल्लंघन और सरकारी कर्त्तव्यों में लापरवाही को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (सूटी), जो आश्वासित प्रतिफल योजनाओं के प्रबंधन करता है, प्रत्यक्ष रूप से केवल अपने निधि प्रबंधन कार्य का संचालन करता है। अत: सूटी द्वारा बहुत कम परिपत्र जारी किए जाते हैं। कड़ा अनुपालन

सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को पुन: अनुदेश जारी किए गए हैं तथा एक वरिष्ठ पदाधिकारी को संपूर्ण अनुपालन का अनुवीक्षण करने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई घटना सूटी की जानकारी में नहीं लाई गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलें

2838. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में एन टी सी मिलों में कई कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनायी है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में वी आर एस अपनाने वाले कर्मचारियों की मिलवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में उन एनटीसी मिलों का पुनरुद्धार करने का है जो बंद/रुग्ण हो गयी हैं; और

(घ) इन मिलों पर अगले दो वर्षों के दौरान कितना निवेश किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। जिन कर्मचारियों को एन.टी.सी. (गुजरात) में मिल-वार वी आर एस दी गई है, उनकी संख्या संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

(ग) और (घ) बी आई एफ आर ने 2 अर्थक्षम मिलों के पुनरुद्धार और 9 गैर-अर्थक्षम मिलों को बंद किए जाने को शामिल करते हुए एन.टी.सी. (गुजरात) लि. के लिए पुनर्वासन योजना अनुमोदित कर दी है। एन.टी.सी. (गुजरात) की 2 अर्थक्षम मिलों के पुनरुद्धार के लिए कुल प्रस्तावित निवेश 64.25 करोड़ रु. है।

विवरण

मिल का नाम	वी.आर.एस. दी गई कर्मचारियों की संख्या
1	2
राजकोट मिल्स	307
पेटलाड मिल्स	374
न्यू मानेकचौक टैक्सटाइल्स	777
विरंगम टैक्सटाइल मिल्स	729
महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स	725
राजनगर-2	467
अहमदाबाद जूपीटर	751
हिमाद्री	490

कपास का निर्यात

2839. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री रामदास आठवले:
श्री कमल नाथ:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कताई इकाइयों ने छह महीनों के लिए कपास निर्यात कोटा में कटौती के माध्यम से तेजी से बढ़ती कपास की कीमतों से राहत की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन भारी मात्रा में भारतीय कपास का आयात कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या फसल न होने के कारण चीन से आयात में भारी बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ङ) घरेलू कपास की कीमतों में हाल की वृद्धि ने हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। कपास निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालांकि सरकार जैसे और जब आवश्यक समझे, उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर कड़ी नजर रख रही है।

(ग) और (घ) चालू कपास मौसम के दौरान चीन द्वारा कपास का आयात, 1.2 मिलियन मीट्रिक टन किए जाने का अनुमान है जिसमें से 60% संयुक्त राज्य अमरीका से आयात किए जाने की संभावना है। भारतीय कपास का चीनी आयात बहुत

नगण्य है। वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान चीन में कपास का उत्पादन, खपत और आयात नीचे दिए गए हैं: -

(मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष (अगस्त-सितंबर)	2001-02	2002-03	2003-04
उत्पादन	5.32	4.92	5.00
खपत	5.70	6.40	6.50
आयात	0.10	0.69	1.20

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति।

(ङ) सूती यार्न (हैंक और कोन दोनों) की कीमतें पिछले वर्ष की कीमतों के स्तर से ऊपर चल रही हैं। पिछले वर्ष की कीमतों के स्तर की तुलना में कपास और सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि होना एक वैश्विक परिस्थिति है और यह मात्र भारत तक ही सीमित नहीं है और इसीलिए इसका आज के विश्व बाजार में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। कपास की कीमतों ने, नवंबर 2003 के प्रथम सप्ताह में पहुंचे उसके शीर्ष स्तर से अब नीचे गिरने की प्रवृत्ति दर्शाई है और फसल की आवक बढ़ने से इसके स्थिर होने की संभावना है। स्थिति अभी भी बढ़ रही है और इसका यदि कोई प्रभाव पड़ना होगा तो वह अभी सामने आना है।

चीन के साथ व्यापार समझौता

2840. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान भारत का चीन के साथ व्यापार किस हद तक बढ़ा है;

(ख) क्या प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान चीन के साथ हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों से दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या उस देश के साथ हस्ताक्षर किए गए सभी व्यापार समझौतों को कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो सभी समझौतों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त समझौते के परिणामस्वरूप आगामी वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार किस हद तक बढ़ने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) अप्रैल-जुलाई, 2003-04 के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में भारत-चीन व्यापार निम्नानुसार रहा है:-

	अप्रैल-जुलाई(मिलियन अमरीकी डालर)		
	2002-03	2003-04	% वृद्धि
निर्यात	469.94	616.18	31.12
आयात	802.45	1119.57	39.59
कुल	1272.39	1735.75	36.41

(स्रोत: डी जी सी आई एण्ड एस)

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) जून 2003 में प्रधानमंत्री की चीन की यात्रा के दौरान व्यापार से संबंधित निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे:-

(1) सीमा व्यापार के विस्तार से संबंधित एक ज्ञापन

(2) भारत से चीन को आमों के निर्यात हेतु पादप स्वच्छता संबंधी अपेक्षाओं का एक प्रोटोकाल

(3) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के विस्तार में दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावना की जांच करने के लिए अधिकारियों एवं अर्थशास्त्रियों के एक कम्पैक्ट संयुक्त अध्ययन दल (जे एस जी) के गठन सहित संबंधों एवं व्यापक सहयोग हेतु सिद्धांतों से संबंधित एक घोषणा-पत्र

सीमा व्यापार से संबंधित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तथापि अभी तक कोई अंतिम तारीख निर्धारित नहीं की गई है। पादप स्वच्छता संबंधी अपेक्षाओं के प्रोटोकाल का कार्यान्वयन किया जा चुका है। संयुक्त अध्ययन दल को गठित करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(च) यद्यपि प्रधानमंत्री की चीन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करारों के परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में व्यापार में वृद्धि का आकलन करना संभव नहीं है तथापि ऐसी आशा की जाती है कि द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि होगी और वह शीघ्र ही 10 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच जाएगा।

रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें

2841. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सब्जियों, फलों, अण्डों, खाद्य-वस्तुओं, कपड़ा और विद्युत जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो कीमतों में इस वृद्धि का मुद्रास्फीति की दर पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) कीमतों में वृद्धि को रोकने तथा मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) दिनांक 29.11.2003 को समाप्त सप्ताह के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर 5.25 प्रतिशत (पिछले वर्ष के तदनुरूप सप्ताह में 3.40 प्रतिशत की तुलना में) थी और यह साप्ताहिक आधार पर मानिटर की गई 30 अनिवार्य जिंसों के लिए 1.71 प्रतिशत (पिछले वर्ष के तदनुरूप सप्ताह में 3.34 प्रतिशत की तुलना में) थी। इन अवधियों में उल्लिखित मदों के लिए मुद्रास्फीति दर, नीचे दी गयी है:

जिसें	वार्षिक मुद्रास्फीति दर (29 नवम्बर को समाप्त सप्ताह)	
	2002-03	2003-04
सभी जिंसें	3.40	5.25
खाद्यान्न	2.38	-0.80
सब्जियां	-23.04	18.96
फल	2.94	4.26
अंडे, मांस एवं मछली	3.69	-2.04
अंडे	9.72	-6.89
विद्युत	3.57	4.07
चीनी, खांडसारी और गुड़	-11.78	10.56
खाद्य तेल	28.33	7.79
लट्ठा	0.68	5.55
धोती, साड़ियां और महीन कपड़े	0.77	2.77

(ग) हाल के वर्षों में सरकार की मुद्रास्फीति विरोधी नीतियों में मौद्रिक एवं राजकोषीय अनुशासन, अनिवार्य जिंसों के लिए मांग एवं आपूर्ति के कारगर प्रबंधन और उदार आयातों के जरिये कच्ची सामग्रियां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजूबत बनाना आदि शामिल हैं। सरकार के पर्याप्त खाद्यान्न स्टाक ने सुखद आपूर्ति स्थिति को सुनिश्चित किया है तथा वर्ष 2002 के दौरान सूखे से घरेलू उत्पादों में हुई कमी के बावजूद खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर बनाये रखने में मदद की है। इस साल के अच्छे मानसून से वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है।

भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) की ट्रांसशिपमेंट नीति

2842. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एस सी आई विशेषकर उत्तर प्रदेश की ट्रांसशिपमेंट नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस ट्रांसशिपमेंट नीति को उत्तर प्रदेश में हाल ही में एफ सी आई के वर्तमान वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा बदल दिया गया है जिसके फलस्वरूप सरकार के राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में ट्रांसशिपमेंट की पूर्व नीति को बहाल रखने के निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज की तारीख के अनुसार इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जब कभी रेलवे लाइन के गेज में परिवर्तन होता है, तब केवल कुछ स्थानों को छोड़कर, जहां भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की ट्रांसशिपमेंट करता है, सामान्यत: रेलवे द्वारा यह कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा कोई ट्रांसशिपमेंट नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1998 में पहचान किए गए गोंडा स्थित ट्रांसशिपमेंट केंद्र को बदला नहीं गया है और चूंकि इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए वहां अब तक कोई ट्रांसशिपमेंट नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों की पदोन्नति

2843. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय को अनुच्छेद 16(4क) के संवैधानिक संशोधन और दिनांक 21 जनवरी, 2002 के कार्मिक विभाग के परवर्ती कार्यालय ज्ञापन सं. 20011/1/2001-स्था. (डी) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उक्त परिपत्र को 30 जनवरी, 1997 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक ऋणों का जान-बूझ कर चूक करने वाले व्यक्ति

2844. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से जान बूझ कर की गई चूक के मामलों का पता लगाने के लिए तीन महाप्रबंधकों/उप महाप्रबंधकों वाली एक समिति बनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में जानबूझकर की गई चूक के मामलों का पता लगाने में अधिक वास्तविकता देने, उधार लेने वाले व्यक्ति को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेने का कार्य उच्चाधिकारियों की समिति को सौंपा जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इस निर्णय को कहां तक क्रियान्वित किया है; और

(घ) यह किस हद तक सहायक हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के 20 फरवरी, 1999 को जारी पहले के निर्देशों के अनुसार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से जानबूझकर चूक के मामलों का पता लगाने के लिए तीन महाप्रबंधकों/उप महाप्रबंधकों वाली समिति गठित करने की अपेक्षा की गई थी। 29 जुलाई, 2003 को इन निर्देशों में संशोधन किया गया था और बैंकों एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं को सलाह दी गई थी कि भविष्य में जान बूझकर चूक करने वालों के रूप में, उधारकर्त्ता का वर्गीकरण करने के निर्णय उच्च कार्यकर्त्ताओं की समिति को सौंपा जाए जिसके अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक हों और संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार उसमें दो महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक शामिल हों।

(ग) और (घ) बैंक/वित्तीय संस्थाएं उपर्युक्त निर्देशों को कार्यान्वित कर रही हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य जानबूझ कर चूक करने वालों का पता लगाने के मामले में काफी पर्याप्त रूप से उच्च स्तर तक सामूहिक एवं निष्पक्ष निर्णय लेना है।

कर्मचारियों की प्रोन्नति

2845. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनुच्छेद 16(4-क) में संवैधानिक संशोधन और तत्पश्चात् दिनांक 21 जनवरी, 2002 के डी.ओ.पी. कार्यालय ज्ञापन सं. 20011/1/2001-स्था. की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने 30 जनवरी, 1997 से भूतलक्षी प्रभाव से उक्त परिपत्र को क्रियान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करना

2846. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्यमियों को लाइसेंस क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए उनके आवेदन पर ही औद्योगिक लाइसेंस देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कदम से रणनीतिक क्षेत्रों यथा रक्षोन्मुखी उत्पादन, परमाणु ऊर्जा और रेयर अर्थस आदि के क्षेत्र में परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन किस सीमा तक सुनिश्चित हो सकेगा;

(ग) क्या यह प्रक्रिया केवल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के विनिर्माण पर भी लागू होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 10 अक्तूबर, 2003 के प्रैस नोट सं. 4 (2003 श्रृंखला) के तहत, आशय पत्र (एल.ओ.आई.) चरण को हटा कर, उन मदों के लिए ही प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति दी है जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से आरक्षित नहीं हैं। इसका अभिप्राय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कार्य को शीघ्रता से करना है। नवंबर, 2003 तक विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए 12 लाइसेंस जारी किये गये हैं।

(ग) और (घ) यह प्रक्रिया, गैर-लघु औद्योगिक उपक्रम द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में अनन्य रूप से आरक्षित मदों के विनिर्माण पर, लागू नहीं होती है। ऐसे मामलों में, गैर-लघु औद्योगिक उपक्रम को जारी किये गये आशय-पत्र को तभी औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जाता है जब उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत निर्यात करने की वैधानिक प्रतिबद्धता की जाती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी (अधिमानी आबंटन) नियम, 2003 जो 4 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 922(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी (स्वेट इक्विटी शेयर्स का जारी किया जाना) नियम, 2003 जो 4 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 923(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 29 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 774(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8443/2003]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 785(अ) जो 6 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कतिपय कंपनियों को निधि के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8444/2003]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) (एक) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8445/2003]

(3) (एक) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8446/2003]

(5) (एक) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8447/2003]

(7) (एक) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8448/2003]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): महोदय, मैं श्री अरुण जेटली की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8449/2003]

(2) (एक) बार काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बार काउंसिल आफ इडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8450/2003]

(3) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फार अलटरनेटिव डिस्प्युट रेज्युलुशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल सेंटर फार अलटरनेटिव डिस्प्युट रेज्युलूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8451/2003]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8452/2003]

(2) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8453/2003]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकासस निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8454/2003]

(4) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8455/2003]

(5) (एक) सेंट्रल वूल डेवलपमैंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8456/2003]

(6) (एक) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलोर के वर्ष 2002-2030 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलोर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलोर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8457/2003]

(7) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8458/2003]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय भाण्डागार निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8459/2003]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8460/2003]

(2) (एक) क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8461/2003]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8462/2003]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1364 (अ) जो 27 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा कासबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जगतपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट, जिला कटक को अखबारी कागज उत्पादक मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8463/2003]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8464/2003]

(3) (एक) नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8465/2003]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत चीनी (2002-2003 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 2003 जो 25 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 681(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8466/2003]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8467/2003]

(ख) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8468/2003]

(ग) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8469/2003]

(घ) (एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इनफारमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इनफारमेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8470/2003]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8471/2003]

(3) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8472/2003]

(4) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8473/2003]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन:

(एक) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8474/2003]

(दो) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8475/2003]

(तीन) औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8476/2003]

(चार) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8477/2003]

(पांच) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8478/2003]

(छह) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8479/2003]

(सात) बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगूसराय

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8480/2003]

(आठ) भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8481/2003]

(नौ) भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8482/2003]

(दस) भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8483/2003]

(ग्यारह) बोलांगिर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलांगिर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8484/2003]

(बारह) कछार ग्रामीण बैंक, सिल्चर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8485/2003]

(तेरह) काबेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8486/2003]

(चौदह) चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतिहारी

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8487/2003]

(पन्द्रह) चंद्रपुर-गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक, चंद्रपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8488/2003]

(सोलह) छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8489/2003]

(सत्रह) चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8490/2003]

(अठारह) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8491/2003]

(उन्नीस) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गौंडा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8492/2003]

(बीस) देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8493/2003]

(इक्कीस) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8494/2003]

(बाईस) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8495/2003]

(तेईस) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीम बैंक, इटावा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8496/2003]

(चौबीस) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8497/2003]

(पच्चीस) गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8498/2003]

(छब्बीस) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8499/2003]

(सत्ताईस) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजमुंदरी

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8500/2003]

(अट्ठाइस) गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8501/2003]

(उनतीस) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8502/2003]

(तीस) गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, गुरदासपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8503/2003]

(इकतीस) ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8504/2003]

(बत्तीस) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8505/2003]

(तैंतीस) हिंडन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8506/2003]

(चौंतीस) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8507/2003]

(पैंतीस) इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8508/2003]

(छत्तीस) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8509/2003]

(सैंतीस) जम्मू रूरल बैंक, जम्मू

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8510/2003]

(अड़तीस) जमुना ग्रामीण बैंक, जम्मू

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8511/2003]

(उनतालीस) झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झबुआ

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8512/2003]

(चालीस) का बैंक नोंग्क्यन्डोंग री खासी जैंतिया, शिलांग

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8513/2003]

(इकतालीस) काकतिया ग्रामीण बैंक, वारंगल

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8514/2003]

(बयालीस) कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक, गुडीवडा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8515/2003]

(तेतालीस) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8516/2003]

(चवालीस) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8517/2003]

(पैंतालीस) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8518/2003]

(छियालिस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8519/2003]

(सैंतालीस) लखिमी गांवलिया बैंक, गोलाघाट

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8520/2003]

(अड़तालीस) लांग्पी देहांगी रूरल बैंक, कारबी अंगलॉग

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8521/2003]

(उनचास) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8522/2003]

(पचास) मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8523/2003]

(इकावन) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8524/2003]

(बावन) मराठावाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड़

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8525/2003]

(तिरपन) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8526/2003]

(चौवन) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8527/2003]

(पचपन) मिजोरम रूरल बैंक, आइजल

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8528/2003]

(छप्पन) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8529/2003]

(सत्तावन) नाडिया ग्रामीण बैंक, नाडिया

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8530/2003]

(अट्ठावन) नगालैंड रूरल बैंक, कोहिमा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8531/2003]

(उनसठ) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8532/2003]

(साठ) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8533/2003]

(इकसठ) नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलोर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8534/2003]

(बासठ) नार्थ मालावार ग्रामीण बैंक, कन्नुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8535/2003]

(तिरसठ) मगध ग्रामीण बैंक, गया

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8536/2003]

(चौंसठ) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पलामू

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8537/2003]

(पैंसठ) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8538/2003]

(छियासठ) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लोर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8539/2003]

(सड़सठ) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8540/2003]

(अड़सठ) रत्नागिरि सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरि

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8541/2003]

(उन्नहत्तर) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुडप्पा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8542/2003]

(सत्तर) सहयाद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8543/2003]

(इकहत्तर) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8544/2003]

(बहत्तर) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूबनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8545/2003]

(तिहत्तर) शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशियारपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8546/2003]

(चौहत्तर) श्री अनंत ग्रामीण बैंक, अनंतपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8547/2003]

(पचहत्तर) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8548/2003]

(छिहत्तर) स्रावस्ती ग्रामीण बैंक, बहराइच

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8549/2003]

(सतहत्तर) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8550/2003]

(अठहत्तर) ठाणे ग्रामीम बैंक, ठाणे

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8551/2003]

(उन्नासी) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8552/2003]

(अस्सी) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8553/2003]

(इक्यासी) विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8554/2003]

(बयासी) विश्वेस्वरैया ग्रामीण बैंक, मंडया

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8555/2003]

(तिरासी) वर्धमान ग्रामीण बैंक, वर्धमान

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8556/2003]

(चौरासी) फरीदकोट-भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8557/2003]

(पच्चासी) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8558/2003]

(छियासी) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जैपोर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8559/2003]

(सतासी) कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज-कच्छ

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8560/2003]

(अठासी) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, बीरभूम

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8561/2003]

(नवासी) पाण्डयन ग्राम बैंक, विरुधुनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8562/2003]

(नब्बे) प्राग ज्योतिष गावंलिया बैंक, नलवाड़ी

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8563/2003]

(इक्यानवे) संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8564/2003]

(बानवे) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8565/2003]

(तिरानवे) शेखावती ग्रामीण बैंक, सीकर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8566/2003]

(चौरानवे) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8567/2003]

(पचानवे) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपोर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8568/2003]

(छियानवे) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8569/2003]

(सतानवे) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8570/2003]

(अठानवे) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पासीघाट

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8571/2003]

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) विजया बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 5 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 175 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8572/2003]

(दो) इंडियन ओवरसीज बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 27 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसीसी/आईआरसी/1/2003-04 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8573/2003]

(तीन) यूको बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 5 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एलएडब्ल्यू/1004/2003 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8574/2003]

(चार) इलाहाबाद बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 28 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या रेफ सामान्य खाता सं. 3229 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8575/2003]

(पांच) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2002 जो 26 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एडमिन./एफ-49/775 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8576/2003]

(छह) यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2002 जो 12 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/19 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8577/2003]

(सात) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2003 जो 28 जून, 2003

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/पीआरएस/आईआरपी/2003-2004/212 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8578/2003]

(आठ) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम (संशोधन) विनियम, 2003 जो 26 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/1/2003 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8579/2003]

(नौ) विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2002 जो 19 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर:पीए एण्ड पीडी:केआरएस:1854:03 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8580/2003]

(दस) इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन) विनियम, 2003 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरसी/47 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 17 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या एसआरसी/47 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सख्या एल.टी. 8581/2003]

(ग्यारह) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 8 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 45 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में मद संख्या (पांच से नौ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8582/2003]

(4) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि (संशोधन) विनियम, 2003 जो 25 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या रेफ डीईबीसी संख्या 1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8583/2003]

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नागार्जुन ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा विनियम (संशोधित) 2001 जो 22 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/मिस/32/02 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8584/2003]

(दो) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 19 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/एस.22/पर एफ.मिस/340 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8585/2003]

(तीन) मिजोरम ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2003 जो 19 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी-21/193 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8586/2003]

(चार) नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 25 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./एसटीएफ/2001-02/518 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8587/2003]

(पांच) एटा ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 1 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईजीबी/सीएचएस/एमेस/1401/01/02/वीसीएम में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8588/2003]

(छह) बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 23 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या रेफ. सं. 17/पर./27 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8589/2003]

(सात) प्रथमा बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 (संशोधित) जो 31 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीबीएचओ/पीडी/2246/2001 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8590/2003]

(आठ) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना (एम.पी.) (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 14 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या के/एचओ/पर्स/2003-04/734/1759 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8591/2003]

(नौ) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 13 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरआरवी/एचक्यू/पीआरएस/27/03-04/955 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8592/2003]

(दस) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 17 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ.पी.डी. 2003/112 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8593/2003]

(ग्यारह) फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 18 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 106 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8594/2003]

(बारह) अधिसूचना संख्या एचओ/पर्स/29/2105 जो 9 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 6 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 106 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(7) उपर्युक्त (6) में मद संख्या (एक से सात और ग्यारह से बारह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8595/2003]

(8) सीमा-शुल्क, अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 665(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8596/2003]

(दो) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2003 जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 666(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8597/2003]

(तीन) विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रियाएं) (संसोधन) विनियम, 2003 जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 667(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8598/2003]

(चार) सा.का.नि. 669(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 113/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8599/2003]

(पांच) सा.का.नि. 670(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 114/2003/सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8600/2003]

(छह) सा.का.नि. 671(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 115/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8601/2003]

(सात) सा.का.नि. 809(अ) जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8602/2003]

(आठ) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2003 जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 810(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8603/2003]

(नौ) विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रियाएं) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 811(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8604/2003]

(दस) सा.का.नि. 813(अ) जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 20033 की अधिसूचना संख्या 113/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8605/2003]

(ग्यारह) सा.का.नि. 815(अ) जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 115/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8606/2003]

(बारह) सा.का.नि. 693(अ) जो 27 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या 55/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8607/2003]

(तेरह) सा.का.नि. 727(अ) जो 10 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या 55/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8608/2003]

(चौदह) सा.का.नि. 814(अ) जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 114/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8609/2003]

(पन्द्रह) का.आ. 1316(अ) जो 14 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8610/2003]

(सोलह) का.आ. 1350(अ) जो 24 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ. 1351(अ) जो 24 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के

लिए विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8611/2003]

(अठारह) सा.का.नि. 920(अ) जो 2 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8612/2003]

(उन्नीस) सा.का.नि. 938(अ) जो 10 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8613/2003]

(बीस) सा.का.नि. 916(अ) जो 29 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 113/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 917(अ) जो 29 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 114/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 918(अ) जो 29 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 115/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2003 जो 29 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 913(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 29 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 914(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 924(अ) जो 4 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8614/2003]

(9) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8615/2003]

(10) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ पटियाला और स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8616/2003]

(11) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8617/2003]

(12) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) इलाहाबाद बैंक का वर्ष 2002-2003 का कार्यकरण और कार्यकलापों संबधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8618/2003]

(दो) बैंक आफ महाराष्ट्र का वर्ष 2002-2003 का कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8619/2003]

(तीन) केनरा बैंक का वर्ष 2002-2003 का कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8620/2003]

(चार) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया का वर्ष 2002-2003 का कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8621/2003]

(पांच) देना बैंक का वर्ष 2002-2003 का कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8622/2003]

(छह) इंडियन बैंक का वर्ष 2002-2003 का कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8623/2003]

(सात) इंडियन ओवरसीज बैंक का वर्ष 2002-2003 का कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8624/2003]

(आठ) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का वर्ष 2002-2003 का कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8625/2003]

(नौ) यूको बैंक का वर्ष 2002-2003 का कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8626/2003]

(दस) पंजाब एंड सिंध बैंक का वर्ष 2002-2003 का कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8627/2003]

(13) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8628/2003]

(14) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 और 23 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8629/2003]

(15) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2003 जो 28 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 696(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8630/2003]

(16) 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8631/2003]

(17) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (केन्द्रीय सरकार को अपील) नियम 2003 जो 26 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 268 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8632/2003]

(18) रुग्ण औद्योगिक (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2003 जो 13 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 484(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2003 जो 28 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 844(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8633/2003]

(19) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 48क के अन्तर्गत राज्य वित्तीय निगम (केन्द्रीय सरकार को अपील) नियम, 2003 जो 26 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 267 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8634/2003]

(20) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के अन्तर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 850(अ) जो 29 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 40/2001-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 851(अ) जो 29 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 42/2001-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 859(अ) जो 3 नवम्बर के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8635/2003]

(21) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 915(अ) जो 29 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 798(अ) जो 8 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद में मुरादाबाद विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 764(अ) जो 25 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राजस्थान राज्य के जोधपुर में बोरानंदा विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 765(अ) जो 25 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में साल्ट लेक, कोलकाता के मणिकंचन विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 686(अ) जो 26 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 687(अ) जो 26 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राजस्थान राज्य में जयपुर के सीतापुरा विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 762(अ) जो 25 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रमों के द्वारा निकासित और 23 जुलाई, 1996 से 28 फरवरी, 1997 तक की अवधि के दौरान भारत में बेचे जाने के लिए अनुमत्य कॉटन वेस्ट को छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क माल के मूल्य का अवधारण) संशोधन नियम, 2003 जो 5 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 632(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 668(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 812(अ) जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या 68/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8636/2003]

(22) वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 133 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 663(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 43/2003-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 807(अ) जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या 43/2003-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 664(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 43/2003-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 808(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 43/2003-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8637/2003]

(23) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 797(अ) जो 8 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 2/2001-आईएटीटी में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8638/2003]

(24) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 897(अ) जो 20 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय ऐसी करादेय सेवाओं को, जिनकी बाबत संदाय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त किया गया हो परंतु उसे भारत से उसके बाहर नहीं भेजा गया हो, छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8639/2003]

(25) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 475(अ) जो 11 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय अधिसूचना में उल्लिखित चार नए मन:प्रभावी पदार्थों को उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल करना है तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 1 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 621(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8640/2003]

(26) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अंतर्गत विदेश यात्रा कर (संशोधन) नियम, 2003 जो 13 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.

802(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8641/2003]

(27) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 939(अ) जो 10 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 23/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 921(अ) जो 3 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जर्मनी और कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसलफाइट पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8642/2003]

(28) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11खख और 11घघ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 736(अ) जो 12 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ब्याज दर को छह प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 737(अ) जो 12 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ब्याज दर को पन्द्रह प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8643/2003]

(29) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8644/2003]

(30) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8645/2003]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8646/2003]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक—
सभा पटल पर रखा गया

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(1) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि लोक सभा द्वारा 2 मई, 2003 को हुई बैठक में यथापारित विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2003 को राज्य सभा ने 17 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है:

खण्ड 2—धारा 7 का संशोधन

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए अर्थात्:-

'(ii) खंड (ख) में, "जो परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे" शब्दों कोष्ठकों और आंकड़े के स्थान पर जो "प्रथमत: उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

2. कि पृष्ठ 1,-पंक्ति 11, कोष्ठक और रोमन अंक "(ii)" के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक "(iii)" प्रतिस्थापित किया जाएं।

3. कि पृष्ठ 1,-पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(iv) खंड (ङ) में "परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले" शब्दों के स्थान पर "प्रथमत: उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(v) खंड (च) में "परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले" शब्दों के स्थान पर "प्रथमत: उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात इस उपधारा के अधीन गठित परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

4. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में, कोष्ठक और रोमन अंक "(ii)" के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक "(iv)" प्रतिस्थापित किए जाएं।

5. पृष्ठ 2, पंक्ति 6 में, कोष्ठक और रोमन अंक "(iv)" के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक "(vii)" प्रतिस्थापित किया जाए।

6. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 8 में, कोष्ठक और रोमन अंक "(v)" के स्थान पर कोष्ठक और रोमन अंक "(viii)" प्रतिस्थापित किए जाएं।

खण्ड 3—धारा 15 का संशोधन

7. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 12-13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1) परिषद का एक महानिदेशक होगा जो धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन परिषद के गठित किए जाने के पूर्व, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद द्वारा और तत्पश्चात् धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन गठित किसी परिषद की अवधि के दौरान उस परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(1क) उपधारा (10 के अधीन महानिदेशक की प्रत्येक नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम दो नामों के पैनल में से की जाएगी।"

8. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 14, कोष्ठक, अंक और अक्षर "(1क)" के स्थान पर कोष्ठक, अंक और अक्षर "(1ख)" प्रतिस्थापित किये जाएं।

9. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 15, कोष्ठक, अंक और अक्षर "(1ख)" के स्थान पर कोष्ठक, अंक और अक्षर "(1ग)" प्रतिस्थापित किये जाएं।

"अत:, मैं राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में यह विधेयक इस अनुरोध के साथ वापस कर रहा हूं कि इन संशोधनों पर लोक सभा की सहमति इस सभा को सूचित की जाए।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 18 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 दिसम्बर को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) विधेयक को बिना किसी संशोधन के भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसरण में पारित किया।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये आतंकवाद निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा वापस किए गए विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2003 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे राजस्थान के झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्रीमती वसुन्धरा राजे का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने का 15 दिसम्बर, 2003 का एक पत्र मिला है।

मुझे मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य कुमारी उमा भारती का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने का 18 दिसम्बर, 2003 का एक पत्र मिला है।

मैंने इन त्यागपत्रों को 18 दिसम्बर, 2003 से स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई सैंतीसवीं और अड़तीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03$^{3}/_{4}$ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(एक) ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) एयर इंडिया लिमिटेड-निदेशक मंडल का पुनर्गठन के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन; और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड-पाइपलाइन के निर्माण पर निष्फल व्यय के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अड़तालीसवां से इक्यावनवां अध्ययन दौरा प्रतिवेदन व की-गई-कार्रवाई

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित अध्ययन दौरा प्रतिवेदनों/की गई कार्रवाई संबंधी विवरण की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में अड़तालीसवां अध्ययन दौरा प्रतिवेदन;

(2) राइट्स लिमिटेड के बारे में उनचासवां अध्ययन दौरा प्रतिवेदन;

(3) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में पचासवां अध्ययन दौरा प्रतिवेदन;

(4) मिश्र धातु निगम लिमिटेड के बारे में इक्यावनवां अध्ययन दौरा प्रतिवेदन; और

(5) एयर इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के सातवें (की-गई-कार्रवाई) प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{4}$ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

108वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, मैं असम राइफल्स विधेयक, 2003 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी

समिति के 108वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

118वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. बिक्रम सरकार (पंसकुरा): महोदय, मैं डल-नगीन झील, श्रीनगर के लिए संरक्षण एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 118वें प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं बाद में मद संख्या 19 लूंगा क्योंकि मंत्री महोदय राज्य सभा में गए हुए हैं। अब हम मद संख्या 20 लेंगे।

अपराह्न 12.05 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पश्चिम बंगाल विशेषत: मुर्शिदाबाद और मालदा में नदियों के तटों पर लगातार हो रहे भूक्षरण से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं जल संसाधन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें:

> "पश्चिम बंगाल विशेषकर मुर्शिदाबाद और माल्दा में नदियों के किनारे पर निरन्तर होने वाले कटाव से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम।"

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): महोदय, श्री पी.आर. दासमुंशी, संसद सदस्य ने पश्चिम बंगाल, विशेषकर मुर्शिदाबाद और माल्दा में नदियों के किनारों पर होने वाले कटाव के मुद्दे को उठाया है।

महोदय, नदी द्वारा होने वाले कटाव सहित बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का अन्वेषण आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्य सरकारों को समय-समय पर सहायता देती रहती है।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1972 में गठित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी.एफ.सी.सी.) ने गंगा बेसिन, पश्चिम बंगाल भी जिसका एक हिस्सा है, की 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंधन के वास्ते व्यापक योजनाएं तैयार की थीं। इन योजनाओं को इनमें दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया था।

महोदय, कटाव की समस्या से निपटने के लिए योजना आयोग, भारत सरकार ने श्री जी.आर. केस्कर, तत्कालीन सदस्य (आरएम), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में वर्ष 1996 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसने विभिन्न अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय सुझाए थे। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 से कार्य प्रारम्भ किया और उन्होंने इस संबंध में लगभग 78.57 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल राज्य को 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि स्वीकृत की थी ताकि यह वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान शीर्ष प्राथमिकता वाली स्कीमों को शुरू कर सके। फरक्का बैराज परियोजना प्राधिकरण (एफ.बी.पी.ए.) ने भी फरक्का बैराज के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह दोनों पर कटावरोधी कार्यों के लिए नौवीं योजना से 30.00 करोड़ रुपये व्यय किये हैं।

महोदय, भारत सरकार ने पूर्व में दिसम्बर, 1999 के दौरान पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में गंगा नदी पर गंभीर कटाव स्थलों का दौरा करने के लिए श्री जी.एम. मूर्ति, तत्कालीन अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी.एफ.सी.सी.) के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल की तैनाती की थी। इस दल ने गंभीर स्थलों/पहुंचों की पहचान की और प्राथमिकता के आधार पर कटावरोधी उपाय किए जाने की सिफारिश की। इस समिति की सिफारिश पर जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की गई थी जो जनवरी, 2001 से प्रचालन में है। पश्चिम बंगाल के लिए 30.00 करोड़ रुपये के केन्द्रीय हिस्से में से कुल 27.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही और निधि जारी की जाएगी। महोदय, मैं पुन: दोहराता हूं कि निधियों को जारी करना राज्य सरकार से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कटाव की गंभीरता और इससे जुड़ी समस्याओं के मद्देनजर भारत सरकार ने विद्यमान निर्माणाधीन स्कीम को पूरा करने के पश्चात 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी उपरोक्त स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया है और इस कार्य के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसमें पश्चिम बंगाल से भी एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर दूसरी केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की गई है जिसमें गंगा, भगीरथी, महानन्दा और अन्य नदियों से संबंधित गंभीर कटावरोधी कार्य प्रारंभ करने के लिए पश्चिम बंगाल के लिए 51.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त समिति का मानना है कि उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन के साथ-साथ, केस्कर समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, पंचनन्दपुर के निकट बैराज के प्रतिप्रवाह गंगा के बायें तट पर कटाव की समस्या के संबंध में जुलाई/अगस्त, 2003 में केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला (सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.) द्वारा मॉडल अध्ययन कराए गए थे। रिपोर्ट आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को भेजी जा चुकी है।

मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की वर्ष 2003-04 की वार्षिक योजना के लिए, योजना आयोग ने प्राथमिकता वाली स्कीमों के लिए एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य को 30.00 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की है। राज्य सरकार ने इसमें से 20.00 करोड़ रुपये का आबंटन गंगा/पद्मा नदी पर कटाव नियंत्रण कार्यों के लिए किया है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुना है। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि कई माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार बताये जाने के बाद भी जल संसाधन मंत्रालय पश्चिम बंगाल में नदियों द्वारा होने वाले भूमि कटाव की अवधारणा को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार गंगा घाटी (बेसिन) में बाढ़ प्रबंधन और भूमि कटाव प्रबंधन का कार्य गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया जाता है जो कि सही बात नहीं है। जब यह अवधारणा सामने आयी थी तब गंगा और भगीरथी की कुछ ही सहायक नदियों द्वारा ऐसा होता था। लेकिन अब पूरा नक्शा ही बदल गया है। राजमहल के आगे यदि आप 30 किलोमीटर और जायें तो दो नदियां जुड़ती हुई मिलेंगी इनमें से एक गंगा की सहायक नदी है और दूसरी बिहार की फुलवारा नदी से आती है। वहां पर भारी तबाही हो रही है। मैंने जब भी यह प्रश्न उठाया है, सरकार ने इस पर पुस्तकों में वर्णित स्थिति पर ही विचार किया है इसीलिए उन्होंने गंगा बाढ़ नियंत्रण के बारे में ही कहा है। लेकिन सरकार यह नहीं समझती कि वहां महानन्दा डिवीजन भी है जिससे इसी तरह पूरे क्षेत्र में कटाव हो रहा है। इसके लिए एक भी पैसे के आबंटन का आदेश या सलाह नहीं दी गयी है *...(व्यवधान)*

पिछले चार वर्षों के दौरान उसी मंत्रालय और उसी मंत्री द्वारा कम से कम 12 बार हस्तक्षेप किया गया है। इस पर कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना भी दी गई है परन्तु इसका जवाब वही रहा है।

महोदय, पिछली बार आपकी उपस्थिति में इस पर विचार-विमर्श हुआ था। मंत्री और श्री सोमनाथ चटर्जी दोनों ही सभा में उपस्थित थे। मंत्रीजी ने तभी कहा था कि यदि भूमि कटाव के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो उस पर विचार किया जाएगा। तीन दिनों के भीतर मैंने जिला प्रशासन द्वारा उचित रूप से सत्यापित प्रस्ताव भेजे। मैंने इसकी एक प्रति आपको भी दी थी। उनका जवाब था कि यदि इस प्रस्ताव की लागत 3 करोड़ से अधिक होगी तो इसकी जांच उनके द्वारा की जाएगी और अगर यह लागत 3 करोड़ रुपये से कम होगी तो हमें इसके लिए राज्य सरकारों के पास जाना होगा। फिर हमसे इस संबंध में प्रस्ताव मांगने का औचित्य क्या रह जाता है?

अब मैं योजना आयोग के श्री के.सी. पंत द्वारा दिये गये जवाब को उद्धृत करना चाहूंगा:

> ''मैंने पाया कि 18 योजनाओं की लागत 3 करोड़ रुपये से कम है। इन योजनाओं में से दो योजनाओं की लागत 6.64 लाख रुपए से अधिक है। प्रत्येक योजना के लिए प्रौद्योगिकी-आर्थिक सर्वेक्षण और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता है। योजना आयोग द्वारा निवेश संबंधी स्वीकृति भी आवश्यक है।''

योजना आयोग ने फिर से गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के बारे में जिक्र करने की गलती की है। मैं बार-बार इसके लिए प्रयास करता रहा हूं। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अंतर्गत 'भागीरथी' नदी मुर्शिदाबाद जिला और राजमहल तक मालदा जिले का कुछ भाग आता है। इसके आगे महानन्दा है जहां से यह तबाही हो रही है। माननीय मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि वे अपने सचिवालय से इसके बारे में पता लगाएं। पांचानन्दपुर गंगा बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत आता है। रतुआ, बिलाइमारी और महानन्दतोला, जहां 90 गांव बह गये, महानन्दा के अंतर्गत आता है। चूंकि वे गांव महानन्दा के अंतर्गत आते हैं, अत: उनके लिए कुछ नहीं किया जाता।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

मुर्शिदाबाद में, मंत्रीजी के दौरे और आश्वासन के बावजूद, भूमि कटाव अनवरत रूप से जारी है। भूमि कटाव रुलियन शहर, शमशेरगंज प्रखण्ड, लालगोला प्रखण्ड, रानीगंज प्रखण्ड और जालांगी प्रखण्ड में भी हो रहा है। भूमि कटाव गंगा नदी के किनारों और वरमपुर, नवादीप तथा चन्द्रपुर में भी हो रहा है।

अब मैं तीन स्थानों के बारे में बात करूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन स्थानों पर भूमि कटाव की स्थिति काफी गंभीर है लेकिन इसके बारे में मूर्ति समिति या केसकर समिति ने अपने प्रतिवेदनों में कुछ नहीं कहा है। दिनाजपुर, दिनाजपुर के गोलपुकार प्रखण्ड के अंतर्गत पांचानन्दपुर, माणिकचक, बिलाईभारी, मालदा के महानन्दटोला, एटाहा में नागर पर, एकट्रेई व मटियारी को महानन्दा से खतरा है परन्तु इस बारे में केसकर समिति और मूर्ति समिति के प्रतिवेदनों में कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि वे समझते हैं कि नदी से भूमि कटाव का मतलब केवल फरक्का तक गंगा और पाधा से होने वाला भूमि कटाव ही है।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, अब आप अपना प्रश्न रखिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, अब मैं प्रश्न उठा रहा हूं। क्या मंत्री जी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के साथ हुए परामर्शों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करेगी? भूमि कटाव को रोकने के लिए वास्तव में क्या दीर्घकालिक व अल्पकालिक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी लागत 30 करोड़ या 50 करोड़ से कम नहीं बल्कि इससे अधिक होगी। क्या वे दसवीं योजना के पहले दो वर्षों में इसके प्रथम चरण का कार्यान्वयन करने वाले हैं?

क्या वे इसके लिए एक कार्यबल का गठन करेंगे? उनके अधिकारियों को राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श करना चाहिए। पंचायतों, जिला परिषदों और लोक प्रतिनिधियों को वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कोई कार्यबल मालदा और मुर्शिदाबाद की जिला परिषदों और विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों जैसे लोकप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके भूमि-कटाव के नए क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई अस्थायी योजना सामने लायेगा? मैंने मंत्री जी को इसके लिए आमंत्रित किया था परन्तु उन्हें वहां जाने का समय ही नहीं मिला। उन्हें यह जानकर दुख होगा कि रतुआ, बिलाईमारी और महानन्दटोला जैसे स्थानों पर फुलवारा और गंगा दोनों तरफ से भूमि कटाव कर रही है।

मैं प्रधानमंत्री जी के पास भी गया था। रामायणपुर, जियारुद्दीनटोला और अजीज टोला जैसे स्थान एक के बाद एक भूमि कटाव से प्रभावित होते गये। गांवों में मस्जिद, मन्दिर और मैदान थे। परन्तु दस दिनों के भीतर वे सब पानी में डूब गये। वहां ऐसा हो रहा है और उनके पास लोगों के पुनर्वास की कोई योजना नहीं है।

अत:, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे अधिकारियों पर निर्भर किये बिना व्यक्तिगत रूप से कम से कम भूमि कटाव के क्षेत्रों का दौरा करें और जिला परिषदों व लोक प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करें ताकि तदर्थ योजना पर विचार किया जा सके।

अंतत:, मैं एक और प्रश्न उठाना चाहूंगा। भारत के कुछ भागों में जहां नदी से कटाव की समस्या है, वहीं आपदा प्रबंधन भी है। क्या वे लोक प्रतिनिधियों द्वारा इस बारे में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कोई तदर्थ आकस्मिक निधि प्रदान करेंगे? वे इसे व्यय नहीं करेंगे। इसे समर्थन के लिए आप संबंधित जिले के पास भेजेंगे। अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। अब लोक प्रतिनिधि इसके शिकार हो रहे हैं। मैं सरकार से इस मामले को गम्भीरता से लेने का आग्रह करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय सदस्यों को यह बात बताने दें आज की कार्यवाही में काफी मुद्दे हैं। यदि आज की कार्यवाही पूरी करनी है तो इस विशेष बहस पर प्रश्न उठाने या स्पष्टीकरण देने की अनुमति नहीं दे पाऊंगा। अतएव, कृपया इस पर जोर न दे क्योंकि यह सम्भव नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं नियमों के अनुसार कार्य कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हर रोज ऐसा नहीं किया जा सकता। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाएगी जिनके नाम यहां है और किसी को नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हर दिन मैं कैसे इजाजत दे सकता हूं? कोई एक दिन ऐसा बताइए जब आपको चर्चा नहीं चाहिए?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। केवल दो या तीन सदस्य बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: देखिए, मैं सचमुच कहता हूं कि मैं आपको इजाजत देता हूं लेकिन मेरी बात भी सुनिए। मैं केवल दो-तीन मैम्बर्स को इजाजत दे सकता हूं, सभी को नहीं दूंगा। लेकिन वे केवल प्रश्न ही पूछेंगे। भाषण करें तो मैं आपको रोक दूंगा। कृपया चेयर से कोआपरेट करिए।

...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): हमने आपको लिखकर भी दिया था।

अध्यक्ष महोदय: लिखकर सभी ने दिया था।

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): महोदय, मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में भूमि कटाव हो रहा है। यह भारत सरकार या राज्य सरकार को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी की बात ध्यानपूर्वक सुनी है। उन्होंने जोर देकर यह बताया है कि राज्य सरकारों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही और निधियां जारी की जाएंगी। यह ऐसा मामला नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल विशेषकर मुर्शिदाबाद, मालदा, नाडिया, पश्चिमी दिनाजपुर और आठ अन्य जिलों के लिए उचित और समय पर निधियां जारी करना बहुत आवश्यक है। अत:, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा उचित निधियां प्रदान करने का कोई निर्णय लिया गया है *...(व्यवधान)* पुनर्वास का प्रश्न भी बहुत आवश्यक है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: नहीं केवल प्रश्न पूछिए। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। मेरी कर्टसी का आप डिसएडवांटेज लेते हैं, यह ठीक नहीं है। अधीर चौधरी जी, केवल प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केवल दो मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं।

पहले तो, मुर्शिदाबाद जिले के गांव फाजिलपुर में दो नदियों के बीच की दूरी, जिसमें एक ओर भागीरथी है, दूसरी ओर गंगा और पदमा हैं, तेजी से घट रही हैं। वर्ष 1970 में यह *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: स्टोरी नहीं बतानी है, केवल प्रश्न पूछना है। अगर आप ऐसा करेंगे,

[अनुवाद]

मैं आपको रोककर अगले सदस्य को अनुमति दूंगा। कृपया इसका लाभ न उठायें। यदि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते तो आप किसी अन्य नियम के अधीन इस मामले को उठा सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य ने मुर्शिदाबाद जिले में भूमि कटाव रोधी योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय निधि जारी नहीं की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई व्यापक उपाय करेगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: हमें भी एक मिनट दे दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी सदस्यों को मौका नहीं दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चौधरी, आप अनुचित लाभ ले रहे थे इसीलिए मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी।

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, माननीय संसद सदस्य, श्री दासमुंशी ने बताया *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यहां 20 संसद सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं प्रत्येक को अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अधीर रंजन जी का अगला प्रश्न रिकार्ड में नहीं जाएगा। *...(व्यवधान)**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार के अंदर बक्सर और राजमहल तक गंगा नदी का कटाव हो रहा है। जिसमें खासकर महनार और मोहिउद्दीन नगर के कई गांव कटकर गंगा नदी में चले गए हैं। महनार और मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में सड़क कट रही है। सरकार उसे बचाने और उनके पुनर्वास के लिए कौन सी कार्रवाई करने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन चरण सेठी: यह कालिंग अटेंशन वैस्ट बंगाल के बारे में है और ये बिहार के बारे में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक कह रहे हैं। यह बिहार का विषय नहीं है। मैं आपकी दिक्कत समझता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कोआपरेट करें, आगे का बिजनेस भी बहुत जरूरी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी को उत्तर देने दें।

[अनुवाद]

आज बहुत-सा कार्य किया जाना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मेरी रिक्वेस्ट है, अब आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

मैं 'शून्य काल' शुरू नहीं करने जा रहा हूं और जैसाकि आप सभी समझते हैं आज मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा।

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, माननीय संसद सदस्य, श्री दासमुंशी ने टिप्पणी की है कि गंगा नदी के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा किसी अन्य नदी में भू-अपरदन-रोधी कार्य आरंभ नहीं किया गया है।

मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा और मैं अपने वक्तव्य में यह पहले ही बता चुका हूं कि वशिष्ठ समिति में महानंदा बेसिन को सम्मिलित किया जा चुका है। हाल ही में हमने श्री वशिष्ट, सदस्य, सी.डब्ल्यू.सी. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उन्होने महानंदा व उन कुछ अन्य क्षेत्रों का दौरा किया है जहां तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है और महानंदा नदी में भू-अपरदन-रोधी कार्य हेतु लगभग 2.49 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

इसी प्रकार, भागीरथी नदी में भी भू-अपरदन रोधी कार्य हेतु बहुत से उपाय किए गए हैं। महानंदा तथा अन्य नदियों को हाल ही में श्री वशिष्ठ, सदस्य, सी.डब्ल्यू.सी. की अध्यक्षता में गठित समिति के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। गत कई वर्षों के दौरान हम पश्चिम बंगाल राज्य को भू-अपरदन-रोधी कार्यों के लिए 161 करोड़ रुपये उपलब्ध करा चुके हैं। इसने वर्ष 1996-97 तक हमने पश्चिम बंगाल राज्य को 161 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।

जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है कि परंपरा यह रही है कि हम राज्य सरकार को पैसा देते हैं और राज्य सरकार को उस कार्य को निष्पादित करना होता है। जब तक वे समय पर कार्य को निष्पादित कर उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र हमें नहीं दे देते तब तक हमारे मंत्रालय के लिए उन्हें धन उपलब्ध कराना जारी करना कठिन होगा। हम अपनी ओर से सब कुछ नहीं कर सकते। जहां तक पंचनंदपुर का संबंध है, मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत एक संगठन सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. को राजमहल क्षेत्र में गंगा नदी की सफाई के अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। अब सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. पुणे में वास्तविक मॉडल अध्ययन कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को पहला और दूसरा प्रतिवेदन पहले ही सौंपा जा चुका है और आगे भी अध्ययन किया जा रहा है।

महोदय, जहां तक श्री हसन द्वारा पूछे गए प्रश्न का संबंध है तो महोदय, जब मैं लोक सभा में इस विषय विशेष पर एक बहस का उत्तर दे रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि हम किस

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रकार कदम उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को कुल 161 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं और केसकर समिति ने जो सिफारिश की थी उसके अनुसार हम पहले ही पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार तथा अन्य राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल आदि के पक्ष में कार्य कर चुके हैं।

महोदय, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। जल भराव, निकासी तथा भू-अपरदन के कार्य राज्य की सूची में हैं। जब तक वे हमें ब्यौरा नहीं देते व प्रस्ताव हमारे पास नहीं भेजते तब तक हम वहां जाकर उस स्थान का दौरा करके स्वयं वह कार्य नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने प्रस्ताव दिया था। मैंने सरकार द्वारा प्रमाणित विस्तृत प्रस्ताव आपको भेजा था।

श्री अर्जुन चरण सेठी: दासमुंशी जी, हम राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज चुके हैं। राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेजना है। जब तक वे यह प्रस्ताव नहीं भेजते तब तक हम इस प्रस्ताव पर विचार करके उसे कार्यान्वित करने हेतु जिला प्रशासन के साथ चर्चा नहीं कर सकते। महोदय, यह स्थिति है।

अपराह्न 12.28 बजे

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक— वापस लिया गया

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अगली मद पर जाता हूं, मद संख्या 21, श्री अरुण शौरी।

...(व्यवधान)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

मेरे वक्तव्य में, जो पहले ही परिचालित किया जा चुका है, एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है। अंतिम पंक्ति में अंतिम से तीसरा शब्द 'निरसन' है। इसे 'इसके स्थान पर ..... किया जाये' होना चाहिए। यह गलती से टाइप किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दो माननीय संसद सदस्यों ने इस विषय पर बोलने के लिए मेरी अनुमति मांगी है। एक हैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी तथा दूसरे हैं श्री पवन कुमार बंसल। अत: इन दोनों को बोलने की अनुमति दी जाएगी। यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप भी इनके बाद बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज कोई 'शून्य-काल' नहीं होगा।

श्री अरुण शौरी: महोदय, तब मैं अपने विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वे इसे वापस लेने से पहले बोलना चाहेंगे और मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, संसद की विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नियम पुस्तिका तथा संविधान दोनों में बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है।

महोदय, नियम पुस्तिका में भी बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। मैं नियम पुस्तिका के स्थायी समितियों के कार्यकरण के संबंध में पृष्ठ संख्या 123 का उल्लेख करूंगा। नियम 331ङ के पैरा (ख) में लिखा है: स्थायी समिति "संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करेगी जो सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, समिति को सौंपे गए हैं"

महोदय, स्थायी समितियां संसद का भाग हैं। जब एक विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जाता है और उसे आरंभ में एक स्थायी समिति को अग्रेषित कर दिया जाता है तो जब तक उसे वापस नहीं ले लिया जाता तब तक वह सभा की संपत्ति तो होता ही है बल्कि जब तक वह स्थायी समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर देती तब तक वह उस समिति की भी सम्पत्ति होता है।

संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के बारे में उल्लेख है ...*(व्यवधान)* संविधान के अनुच्छेद 123 में लिखा है: जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, उस समय को छोड़कर यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों।"

हम यह जानते हैं कि और राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद द्वारा परामर्श दिया जाता है। महोदय, मेरा प्रश्न यह है। इस तथ्य के बावजूद कि यह विधेयक अगस्त, 2003 में पुर:स्थापित हुआ था व इसे स्थायी समिति को अग्रेषित किया गया था और स्थायी समिति, अपने विचार-विमर्श के कारण, अभी तक संसद में अपना

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाई है, सरकार राष्ट्रपति जी को यह परामर्श देने में असफल रही कि यह विधेयक पुर:स्थापित होने के बाद स्थायी समिति को अग्रेषित किया गया था।

मंत्रिपरिषद की असफलता या अज्ञानता के कारण राष्ट्रपति ने अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपयोग किया जिस पर हमने अपनी अस्वीकृति की सूचना दी थी। अब, अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री जी इस बात के प्रति पूर्णतया संतुष्ट होने के बाद आज इस विधेयक को वापस लेने हेतु आए हैं कि संसदीय प्राधिकार की मंत्रिपरिषद द्वारा उपेक्षा की गई है क्योंकि जब एक विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है तो वह स्थायी समिति के हाथों में आई एक सम्पत्ति है और वह समिति आपके विवेकाधीन कार्य करती है। इसलिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सरकार की ओर से अनुच्छेद 74 के अन्तर्गत उसकी संसद के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का पूर्णतया निर्वहन करने का स्पष्ट आश्वासन दें कि वह भविष्य में किसी भी ऐसे विधेयक के बारे में, संसद के पूर्ण स्वामित्व के अधिकार के संबंध में राष्ट्रपति जी को अंधेरे में रखकर कोई परामर्श नहीं देंगे और वे इस प्रकार से एक गलत मार्ग का अनुसरण करके कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे। मैं मंत्री जी से इस सभा में संसद तथा स्थायी समिति के अखंड व समुचित अधिकारों की रक्षा हेतु यह आश्वासन दिए जाने की मांग करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह केवल सरकार के कार्य करने के उदासीन रवैये को दर्शाता है। जैसाकि हमारे माननीय संसद सदस्य, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, ने अभी इंगित किया है, मैं इसके लिए उन्हीं तिथियों का उल्लेख करूंगा। जैसाकि हम जानते हैं कि भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, जो कि विश्वव्यापी सेवा बाध्यताओं के परिप्रेक्ष्य में एक स्वागतयोग्य उद्देश्य को पूरा करने हेतु गत सत्र में 4 अगस्त को पुर:स्थापित किया गया था। 21 अगस्त को उस सत्र का समापन हो गया था। उन दिनों, सरकार ने उस मामले पर चर्चा करने हेतु उसे सूची में सम्मिलित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उस सत्र के पश्चात लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई तथा यह विधेयक 15 सितम्बर को स्थायी समिति को अग्रेषित कर दिया गया और उस स्थायी समिति को बहुत कम समय दिया गया था।

उस स्थायी समिति को इस सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन संसद में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था अर्थात किसी भी प्रकार से वह प्रतिवेदन, उस पर एक विस्तृत चर्चा के बाद इस माह की 5 तारीख तक इस सभा में आ जाना चाहिए था। वह इस सत्र के पहले सप्ताह का अंतिम दिन था। आज 19 तारीख है। इस समय तक हम स्थायी समिति के उस प्रतिवेदन पर चर्चा करके उसे पारित कर सकते थे। लेकिन इस सरकार ने यह किया है क्योंकि शायद बाएं हाथ को यह नहीं पता कि दायां हाथ क्या कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: बायां हाथ कौन है व दायां हाथ कौन है?

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): भा.जपा. दोहरी जबान से बोलती है।

श्री पवन कुमार बंसल: वह प्रासंगिक मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय है।

आज हमसे इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगी गयी है। वह अध्यादेश जो इस संसद के सत्रावकाश की अवधि के दौरान प्रख्यापित किया गया था, उसे इसी सभा में चर्चा हेतु पुन: सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। आज के बाद, शायद, सोमवार को यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं यही जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, हमारे समक्ष जो विधान है उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि यह अध्यादेश व्यपगत हो जाएगा और पुन: इस संसद के सत्रावसान के दौरान एक और अध्यादेश जारी हो जाएगा। इस तरह से यह सरकार काम करती है ...*(व्यवधान)*

मैं यह कहना चाहता हूं कि समग्र प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर समिति स्वयं विचार कर रही थी, निधि की सुरक्षा के बारे में था। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। बल्कि हम तो इसके समर्थक हैं। लेकिन आप धनराशि का प्रबंधन किस तरह करते हैं? क्या यह भारत की संचित निधि का भाग बन जाता है अथवा नहीं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आपने इस पर चर्चा करने और तत्कालीन संसद को सूचित करने हेतु समिति को भेजा था।

नि:संदेह, यह आवर्ती है लेकिन मैं ऐसा इस पर अधिक ध्यान देने के लिए कह रहा हूं। इस तथ्य के बावजूद कि मामला समिति के समक्ष है, इसे वापस ले लिया गया है और संसद को ऐसी स्थिति में रखा जा रहा है जहां मामले पर पुन: चर्चा नहीं होगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह विधानमंडल को 'रबड़ स्टैंप' बनाने का एक और तरीका है।

सभा में यह मामला विचाराधीन है। स्थायी समिति इस सभा का अभिन्न अंग है। इस विधेयक से संबंधी मामला पहले से ही

यहां विचाराधीन है। यह समिति के विचाराधीन है। जब यह मामला समिति के विचाराधीन है तो इस विषय पर अध्यादेश जारी करना सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। जब यह मामला सभा के विचाराधीन है तो सरकार को अध्यादेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। जब सभा उसी विधेयक पर विचार कर रही है और समिति सभा में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु उन्हें एकत्र कर रही है तो कार्यपालिका को यह करने का प्राधिकार कहां से है? संविधान में अध्यादेश जारी करने हेतु सरकार को प्राधिकृत करने वाला कोई उपबंध नहीं है। मैं यह समझ नहीं पाता हूं। जब मामला समिति को सौंपा गया था और सभा उस विधेयक पर निर्णय लिए बिना स्थगित हो गई थी तो अध्यादेश जारी किया गया था। यहां यह ऐसा मामला है जिससे सभा ने पहले ही विधेयक का संज्ञान ले लिया है और इस पर विचार कर रही है। इस तरह, सरकार ने जो कुछ किया है वह अत्यधिक गैर-कानूनी और अनियमित है। मेरा मत है कि जब सभा विधेयक पर विचार कर रही है और स्थायी समिति में यह विचाराधीन है तो उन्हें अध्यादेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: दूसरा तथ्य यह है कि चूंकि राष्ट्रपति ने अध्यादेश प्रख्यापित किया है। भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है। इस अध्यादेश को हटाने हेतु यदि एक नया विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है तो मैं समझ सकता हूं लेकिन मैं 'निरस्त' शब्द का प्रयोग समझ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने 'निरस्त' शब्द का प्रयोग किया है। अध्यादेश को निरस्त करने हेतु उन्हें किसने प्राधिकृत किया है?

अध्यक्ष महोदय: वह इसका उत्तर देंगे। यह बात माननीय मंत्री आपको स्पष्ट करेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उन्हें 'निरस्त' के स्थान पर 'के स्थान पर' शब्द कहना चाहिए। 'के स्थान पर' यहां पर उचित शब्द है।

श्री अरुण शौरी: मुझे आपके निदेश का पूर्वानुमान हो गया और 'के स्थान पर' शब्द को स्वीकार कर लिया था। यह गलती से टाइप हो गया था।

श्री बंसल, जहां तक मुझे याद है, स्थिति यह नहीं है कि विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया गया था। पिछले सत्र में लगातार पांच दिन तक इस पर चर्चा करने के लिए इसे सूचीबद्ध किया गया था लेकिन सभा को पता है कि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि विधेयक को विचार के लिए नहीं लिया जा सका। इस सभा में हम भी इस बात से सहमत हैं और परामर्शदात्री समिति में यह अक्सर कहा जाता रहा है कि हम गांवों में टेलीफोन व्यवस्था में तेजी से सुधार चाहते हैं। जैसाकि श्री पासवान जानते हैं कि इसका तरीका है कि एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष बनाए जाए। अप्रैल 2002 से ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था के लिए निजी संचालकों से कुल समायोजित सकल राजस्व का पांच प्रतिशत एकत्रित किया जा रहा है। इसे चालू करने हेतु एक कोष बनाया जाना चाहिए। आशा थी कि यह पहले हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि क्या 1885 के अधिनियम को संशोधित करने हेतु यह विधेयक का अंग बन सकता है। विधेयक पुर:स्थापित हुआ था और इस पर पांच दिन चर्चा करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

स्थायी समिति हमसे पुरजोर आग्रह कर रही है कि इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु इस विधेयक में शीघ्रता से काम करें। ऐसा स्थायी समिति की थोड़ी सी भी अवमानना करने के इरादे से नहीं है अपितु स्थायी समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है और इन मामलों में तेजी लाने हेतु इसके अनुरोध के अनुसरण में यह किया गया है। यद्यपि सभी इस बात से सहमत हैं कि हमने राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करने हेतु अनुरोध किया था लेकिन फिर भी यह विधेयक पिछले सत्र में पारित नहीं किया जा सका।

हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है कि अध्यादेश का स्थान लेने के लिए यह विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी है और जैसे ही अध्यक्ष इसे कार्य सूची में डालेंगे, हम विधेयक पुर:स्थापित कर देंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: शब्द क्या था?

श्री अरुण शौरी: यह 'के स्थान पर' है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: तो आप इसे स्वीकार करते हैं?

श्री अरुण शौरी: नि:संदेह, मैं इसे स्वीकार करता हूं। आप जो भी कहते हैं, मैं हमेशा उसे मानता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसका अर्थ है कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है ...*(व्यवधान)* वह कितनी ढिलाई से कार्य कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत गंभीर मामला है। मैंने इस मुद्दे पर बैठक की थी। वह इस संबंध में बहुत गंभीर हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: 'निरस्त' और 'प्रतिस्थापन' का कार्य बिलकुल अलग है। शब्द 'निरस्त' है। वह केवल 'के स्थान पर' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में जाने बिना वह यहां आ रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय और मैं, दोनों ही आपसे सहमत हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या वह यह मांग कर रहे हैं कि मंत्री के स्थान पर अन्य मंत्री लाया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या यह आपकी मांग है?

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं उन्हें यह बताने के लिए कोर्स करूंगा कि इस तरह के मामलों में किस तरह से कार्यवाही की जाए ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मैं सदन को आश्वस्त करता हूं मैं इसे कोर्स को अच्छी तरह से करूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अरुण शौरी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय तार अधिनियम में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण शौरी: मैं विधेयक वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): महोदय, 'शून्य काल' महत्वपूर्ण है। यहां बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं मद संख्या 29 पर आता हूं।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि 'जीरो आवर' महत्वपूर्ण है इसलिए हम हर दिन जीरो आवर लेने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश में जिस विषय की चर्चा शुरू है, उसको भी कुछ समय देना है। इस विषय पर चर्चा करना जरूरी है इसलिए 'जीरो आवर' आज हमने सस्पैन्ड किया है और आगे का जो बिजनैस है, वह नियम 193 के अधीन चर्चा है। हम चर्चा शुरू करते हैं। श्री किरीट सोमैया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सोमवार को मैं 'जीरो आवर' लूंगा। आप फिर नोटिस दीजिए, सोमवार को आ जाएगा। सोमवार को नोटिस जरूर दें।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): जेपीसी के एक्शन टेकन रिपोर्ट पर 193 में चर्चा होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह भी होगी। बीएसी में समय डिसाइड होगा।

कुंवर अखिलेश सिंह: आखिर जेपीसी की चर्चा क्यों टल रही है? वह भी महत्वपूर्ण चर्चा थी और कल भी लिस्ट ऑफ बिजनैस में लगी थी।

अध्यक्ष महोदय: उसको कोई भी टालना नहीं चाहता है। मैंने 1 बजे बीएसी की मीटिंग बुलाई है। उसमें समय तय किया जाएगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, 377 नहीं हुए तो उनको ले करवा दें।

अध्यक्ष महोदय: चर्चा के बाद ले करवा देंगे।

अपराह्न 12.42 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

हाल ही में हुआ स्टैम्प पेपर घोटाला

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि न सिर्फ महाराष्ट्र

या कर्नाटक, बल्कि पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने वाली इस चर्चा को सदन में उपस्थित करने का आपने हमें मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, 300, 3000 या 30000, किसी को पता नहीं है। सिर्फ दो व्यक्ति जानते हैं कि यह 300 है, 3000 है या 30000 है। एक तेलगी जानता है और दूसरा ऊपर वाला जानता है कि यह जो स्कैम है, यह कितने हजार करोड़ रुपये का है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पोत परिवहन मंत्री जी सभा में इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने सदस्यों को आपके कक्ष में मिलने की सलाह दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: आज पूरा देश इस बात से चिन्तित है कि इतने हजारों करोड़ रुपये का स्टैम्प पेपर का स्कैम होने के पश्चात आगे हम क्या करेंगे। देश यह जानना चाहता है कि यह कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। सारा देश यह भी जानना चाहता है कि यह किसने लिया, किसके सहारे किया, किसके कहने पर किया।

माननीय अध्यक्ष जी, आप भी मुम्बई के हैं और मैं भी मुम्बई का हूं। मुम्बई में हम कभी-कभी चौपाटी घूमने जाते हैं और चौपाटी आप में से भी काफी लोग गए होंगे। मुम्बई की चौपाटी बड़ी प्रसिद्ध है। वहां भेल-पूरी वाला होता है, पानी पूरी वाला होता है। वहां से कोई जाता है तो वह कहता है कि आइए साहब, भेल पूरी खाइए, पानी पूरी खाइए। वह अपना धंधा करता है और ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता है। 32 हजार करोड़ रुपये के स्टैम्प पेपर बेचे गए। आज भी कितने हजार करोड़ रुपये के फर्जी स्टैम्प पेपर मार्केट में है, यह पता नहीं। क्या यह सिर्फ तेलगी ने अकेले किया? क्या वह चौपाटी पर खड़ा था या दिल्ली के कनाट प्लेस में खड़ा था या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ा था या कोलकाता में खड़ा था या आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में खड़ा था?

महोदय, क्या वह पंजाब में खड़ा था? तेलगी के स्टाम्प पेपर हर जगह पाए गए। क्या तेलगी अकेला बेचता था कि 100 रुपए का स्टाम्प पेपर 50 रुपए में ले लो या 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर 500 रुपए में ले लो। यह असली माल है। कोई पूछेगा नहीं, कोई चिन्ता मत करो, पुलिस मेरे साथ है, ले लो, ले लो।

[अनुवाद]

तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाले को विभिन्न प्राधिकारणों द्वारा जिस तरह से निपटाया गया है मुझे इससे आश्चर्य और दुख हुआ है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैंने महाराष्ट्र सरकार से 15 बार विनती की कि कम से कम पहले यह तो ढूंढो कि कितने करोड़ का लॉस हुआ है, क्रिमिनल आस्पैक्ट बाद में देखेंगे।

[अनुवाद]

देश आपसे पूछ रहा है और यह बताने की मांग कर रहा है कि यह कैसे हुआ। हमारे यहां कुछ दिनों से देश को डिस-स्टैबिलाइज करने का जो षडयंत्र चल रहा है, यह कहीं उसका हिस्सा तो नहीं है? आपने सदन में अनेक बार प्रश्न भी पूछने की अनुमति दी जिसमें अनेक बार पूछा गया है कि देश में फेक करेंसी सर्कुलेशन में आ रही है, वह कहां से आ रही है। इस बारे में भी अनेक बार चर्चा हई है कि यह बार्डर क्रास कर के हिनदुस्तान में आती है और आ रही है। अनेक वर्षों से इस देश के आर्थिक सैक्टर में, इंडस्ट्रियल सैक्टर में, बिजनैस मार्केट में, इस बात की चिन्ता है कि हम देश में एक क्रास बार्डर टैररिज्म भुगत रहे हैं, लेकिन एक दूसरा टैररिज्म हिन्दुस्तान में आने का प्रयत्न कर रहा है और वह है इकनौमिक टैररिज्म। इस देश की आर्थिक व्यवस्था को डांवाडोल करने, डी-स्टेबिलाइज करने का प्रयत्न हो रहा है। क्या यह तेलगी स्टाम्प कांड, उसका अंग तो नहीं है? यदि ऐसा होगा, तो हमारे देश के आम आदमी का, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। छोटे शहरों, में गांवों में लोग 5, 10, 50 और 100 रुपए के नोट को कांपते हाथों से लेकर, उसे चार-चार बार देखेंगे कि यह असली है या नकली। जो लोग एग्रीमेंट कराने जा रहे हैं और स्टाम्प पेपर खरीदेंगे, वे सोचेंगे कि स्टाम्प पेपर असली हैं या नकली। देश की करैंसी और अर्थव्यवस्था पर यह कुठाराघात है।

अद्यक्ष महोदय, अनेक बार, यहां चिन्ता प्रकट की गई है कि इस प्रकार से प्लांड षडयंत्र इस देश में चल रहा है जिसके अन्तर्गत कभी फेक करेंसी, कभी फेक स्टाम्प पेपर, कभी कैपीटल मार्केट में घोटालों का नंबर लगा। इस प्रकार से अनेकों बार देश को संकट में डालने का प्रयास किया जाता रहा है। मैं आपके माध्यम से देश की आम जनता की चिन्ता को माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचाना और व्यक्त करना चाहता हूं। इसे जो पोलिटिकल एंगल से देखना चाहते हैं, वे देखें, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसे आर्थिक एंगल से भी देखें और इसे गंभीरता से लें। जो भी मंत्री, जो भी पालीटिशियन, इसमें

[श्री किरीट सोमैया]

इन्वाल्व हों, उनको सजा दो, उन्हें मत छोड़ो क्योंकि यह इतना सीमित मामला नहीं है। उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। आप जानते हैं कि तेलगी के बारे में जब इंटरैक्शन हुआ, मुम्बई हाईकोर्ट में स्पेशल इनवैस्टीगेशन टीम ने रिपोर्ट सबमिट की, इसमें कहीं बताया गया है कि उसमें एक पैराग्राफ है ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, तेलगी ने जो स्टाम्प बनाए, वह भट्टा मशीन, यशवन्त सिन्हा जी के समय में तेलगी के हाथ बेची गई। यह भेद भी तो खोलिए। इस भेद को आप नहीं खोल रहे हैं। यह विषय हमें मूव करना था, लेकिन यह उनके द्वारा मूव किया गया है। तेलगी के पास श्री यशवन्त सिन्हा जी के समय में मशीन गई। मशीन और रोशनाई कहां से आई, किस मंत्री की चिट्ठी पर मशीन किसे बेची गई, यह भेद भी तो सदन में खोलिए। सदन को गुमराह मत कीजिए। वह असली भेद है, जो आप खोल नहीं रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी मुझे अपने आप पर दया आती है कि कहां तो यह 32 हजार करोड़ रुपए का स्कैम और कहां हम इतने छोटे लैवल पर बात करते हैं कि मशीन कहां से आई, स्याही कहां से आई और मशीन कब बेची गई। मैंने कहा कि बिना नैटवर्क के यह नहीं हो सकता था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, भारत बैंक नोट पेपर 7,000 डालर प्रति टन के हिसाब से खरीद रहा है जबकि विश्व के कई भागों में यह 5,000 डालर प्रति टन के हिसाब से उपलब्ध है। मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: यह लिखा गया है कि अब्दुल करीम के संबंध 'सिमी' के एक एक्टीविस्ट्स से हैं।

[अनुवाद]

कलकत्ता के संचालक कौन है, श्री रशीद। वह पश्चिम बंगाल का क्षेत्रीय संचालक है और तेलगी ने उसके लिए धन का प्रबन्ध किया था।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिलसिला सिर्फ यहीं नहीं रुकता है, यह भी कहा गया है, कहीं पर इस प्रकार की रिपोर्ट भी है। मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कोई कहता है कि 10 हजार करोड़ रुपए का मामला है, कोई कहता है कि 20 हजार करोड़ रुपए का मामला है और कोई कहता है कि यह 30 हजार करोड़ रुपए का मामला है और यह देश में दो साल, तीन साल या चार साल से चल रहा होगा। इतना पैसा यदि किसी एक व्यक्ति के पास आता है।

[अनुवाद]

यदि वह अकेला इसका कार्यसंचालन कर रहा था, तो इतना पैसा कहां गया? यह पैसा कहां गया, क्या हमारी यह ढूंढने की जिम्मेदारी नहीं है? मैं आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिल कर इस दृष्टिकोण से जांच करे। हमें मालूम होना चाहिए कि क्या यह मुम्बई पुलिस थी, एस.आई.टी. थी। कर्नाटक पुलिस थी या सी.बी.आई. जो कि इस मालमे में शामिल थी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

30,000 करोड़ रुपये कहां गए, यह पैसा किसके हाथ में गया, किस प्रकार से गया, कहां गया और इसका उपयोग कहां हुआ?

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर): महोदय, मैं एक मिनट के लिए बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री किरीट सोमैया, क्या आप इनको बोलने का मौका दे हैं?

श्री आर.एल. जालप्पा: श्री सोमैया, कृपया मुझे एक मिनट बोलने दें। महोदय, 12 जुलाई, 2002 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री जी को एक पत्र लिखा था। परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये सब बातें पार्टी के उपनेता द्वारा बता दी जाएंगी, जब वह इस पर बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: आपके द्वारा विपक्ष के नेतागण और यहां जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उन्हें बताना चाहता हूं कि आज पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। देश को लग रहा है कि यहां एक ऊंचाई पर चर्चा होगी। मैंने कहा कि कोई पोलिटिशयंस, ब्यूरोक्रेट, पुलिस या हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें सजा दें।

महोदय, मैं इसलिए इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह 60,000 करोड़ रुपए जो जेनरेट होते हैं। यह काफी बड़ी निधि है। यह पैसा कहां गया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि यह राशि 60,000 करोड़ रुपए थी।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, मैं कहीं एक जगह पढ़ रहा था कि क्या यह पैसा फिल्मों में लगाया गया, सिमी की एक्टीविटीज में लगाया गया या रिअल एस्टेट परचेज करने के लिए लगाया गया? यह भी मेंशन हुआ है कि यह पैसा हवाला से विदेश भेजा गया। मुझे इसके बारे में पूरा पता नहीं है परन्तु हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यह पैसा अगर ब्लेक में जेनरेट हुआ है, क्योंकि यह पैसा अधिकारिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। तो यह ब्लेक का पैसा किस के हाथ में जाएगा, इस पैसे का उपयोग कहां हो सकता है और किस प्रकार से हो सकता है? मैं जब अखबार में पढ़ता था या टीवी पर देखता था तो मुझे दर्द होता था, तेलगी को एचआईवी एड्स हुआ पाया गया और उसके आरोप पुलिस के ऊपर हो रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन तेलगी के एडवोकेट या किसी ने ऐसा आरोप लगाया है। टीवी पर आया कि तेलगी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के लॉक-अप में था। वहां पुलिस ने उसे एचआईवी इंजेक्शन इंजेक्ट किया, इसका मतलब है कि हम एक खलनायक को नायक बना रहे हैं। और फिर मानवीय हत्या की बात चल जाती है। उसके बाद दो-चार बातें आए-दिन छपती रहती हैं। फिर हम बोलते हैं कि क्या हुआ? पुलिस अधिकारी और उस आथोरिटी सेजवाब मांगते हैं तो पांच दिन के बाद जवाब आ जाता है कि जिस दिन उसे पकड़ा था, उसकी मेडीकल जांच हुई थी, कि गिरफ्तार किये जाने से पूर्व ही वह एड्स ग्रस्त था।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि हम इस विषय को इतना नीचे न लाएं। यह पैसा कहां गया, यह ढूंढना पड़ेगा। मैं दिल्ली का एक उदाहरण दे रहा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि दिल्ली शहर में पांच फेक स्टेंप पेपर के संबंध में केसेस रजिस्टर हुए और आठ बैंक अकाउंट पाए गए। इस विशेष खाते के संबंध में, मैं बताना चाहूंगा कि एक बार में 2 करोड़ रुपये निकाले गये थे। दिल्ली में ही नहीं, मैंने जब पूरी तरह जानने का प्रयत्न किया तो मुझे पता चला कि आंध्र प्रदेश में छः-सात केस, कोलकाता, मध्य प्रदेश, पूरे देश में 17 राज्यों में ऐसे मामले दर्ज हुए थे।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले एक काम यह करना चाहए और देश को पता चलना चाहिए कि टोटल फेक स्टेंप पेपर स्केम के मामले में देश भर में कितने केसेस कहां रजिस्टर हुए और कितने केसेस पाए गए?

[अनुवाद]

ताकि हम इसके बारे में जान पायें और इसे समझ पायें। मैं बताना चाहता हूं कि यह घटना कई राज्यों में हुई और उसके लिए किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष राजनीतिक दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अगर इतनी जगहों पर फेक स्टेंप पेपर केस रजिस्टर हुए हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि यह मामला बहुत फैला हुआ है, मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके बाजार का नेटवर्क क्या होगा। अगर सरकार को भी व्यवस्था निर्मित करनी है, अपने आफिशियल लीगल स्टेंप पेपर बेचने हैं तो भी कितना बड़ा नेटवर्क तैयार करना पड़ता है और यह व्यक्ति दो नम्बर के स्टेंप पेपर बेचता रहा है, 40,000 करोड़ रुपए या 60,000 करोड़ रुपए कमाता है, मैं इसकी गंभीरता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और सरकार से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि

[अनुवाद]

ऐसा लगता है कि बहुत सी जांच एजेंसियां इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि किन लोगों ने तेलगी की सहायता की, कर रहा है या सहायता करने की कोशिश की। यह किया जाना चाहिए जो बेनीफिशियरी है, इसके ऊपर भी हमें इन्वेस्टिंग एजेंसी को कहना पड़ेगा। हां, इन्वेस्टिंग एजेंसी ऑटोनोमस होनी चाहिए, उन्हें इसकी शक्ति प्राप्त है। विधायिका के साथ-साथ आम आदमी का भी यह कर्त्तव्य है कि आप इन्वेस्टीगेशन कर रहे हो तो इस साइड में भी इन्वेस्टीगेशन करो कि यह जो नेटवर्क चल रहा था, उसमें कौन-कौन इन्वोल्व्ड थे। मैं वापस आना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात की, इस प्रकार की बात में नहीं जाना चाहता कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्या हुआ, लेकिन जब मैंने अरेस्टेड पीपल्स की लिस्ट देखी तो उसमें से 95 प्रतिशत लोग वे हैं जो तेलगी की सहायता कर रहे थे। उस कारण से वे पकड़े गये। लेकिन इतना बड़ा नेक्सस था तो उसके जो पार्ट्स थे, उनको कोई टच करेगा कि नहीं, वास्तव में हमें उस पर और ध्यान देना चाहिए था इसके साथ ही हमें और राजस्व घाटा न हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। रेवेन्यू लॉस कितना हुआ, यह एक बात है। लेकिन साथ में दूसरी बात यह भी है कि फरदर रेनेव्यू लॉस कैसे रोका जाये। मैं किसी बड़े अधिकारी के साथ था, वह एक अधिकारी थे। जब उस बड़े अधकारी के साथ मैं चर्चा करने गया तो उन्होंने मुझसे कहा, मि. किरीट सोमैया, तुम्हारा खत मुझे दो दिन पहले मिला, ''मैंने अपने चार सहकर्मियों से इसके ब्योरे का अध्ययन करने को कहा'' फिर उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया, मुझे वह किस्सा बहुत अच्छा लगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको इसमें कितना समय और लगेगा। एक बजे कार्यमंत्रा समिति की बैठक है और इसके अधिकतर नेता अभी यहीं हैं।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मुझे केवल 15 मिनट और चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात आगे कहें।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: उन विशेष अधिकारी ने मुझे बताया कि मि. किरीट सोमैया, तुम्हारे कहने के बाद मैं जरा डिटेल में गया,

[अनुवाद]

उसने एक बहुत विकसित देश का नाम लिया और उन्होंने कहा कि उस डवलप्ड कंट्री की जो करंसी थी, ऐसा पाया गया, जब उनकी इंटेलीजेंस एजेंसी के ध्यान में आया कि हांगकांग और सिंगापुर या वहीं कहीं पर उसका इन्फ्लो बहुत बढ़ गया है, उस आसूचना टीम को उन देशों में भेजा गया। फिर वहां जाने के बाद पता चला कि यह इन्फ्लो ताइवान से आ रहा है। वे ताइवान गये तो उनका पता चला कि ताइवान में पर्टिकुलर देश की करंसी की फोर्ज्ड प्रिंटिंग प्रैस है। उस प्रिंटिंग प्रैस की जो मशीनरी थी, क्योंकि उस पर्टिकुलर देश की करंसी जापान में छपती थी, और वहां की प्रिंटिंग प्रैस की कुछ मशीनरी ताइवान के जो भी गेंग लीडर्स थे, उन्होंने लेकर इस प्रकार से किया।

[अनुवाद]

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सरकार ने तभी 'आपरेशन साल्वेशन' शुरू किया। मुझे इसकी चिन्ता है। मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि हमने इस क्षति के नियंत्रण हेतु क्या प्रक्रिया शुरू की जो कि

[हिन्दी]

सबसे पहला काम, जहां आग लगती है तो आग किसके कारण लगी, वह किसने लगाई, उसमें क्रिमिनल एंगल तो देखना चाहिए, लेकिन हम आपरेशन साल्वेशन स्टार्ट करते हैं कि जो लोग फंस गये हैं, माल रह गया है, जो डाक्यूमेंट्स हैं, पहले उनको निकालने का प्रयत्न करना चाहिए।

[अनुवाद]

मैं राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार से अपील करूंगा कि हमें 'आपरेशन साल्वेशन' पर भी ध्यान देना चाहिए। उसने उस कंट्री का नाम नहीं दिया कि उस कंट्री की जो करेंसी थी। तत्काल उस देश के सेन्ट्रल बैंक ने उसी समय घोषणा की कि वे उस विशेष राशि की मुद्रा वापिस ले रहे हैं।

[हिन्दी]

उसमें क्या होता है कि पार्टिकुलर डिनोमिनेशन की करंसी विथड्रा होती है तो जिसके पास 700, एक हजार, 10 हजार रुपये होंगे तो वह बैंक में जाएगा और चेंज कर लेगा, लेकिन जिसके पास 50 करोड़ रुपये की फोर्ज्ड करंसी होगी तो वह नहीं जाएगा। यह इसका तरीका है, इसीलिए मैं यह अपील करूंगा। आज भी कितने प्रकार के बोगस स्टाम्प पेपर मार्केट में चल रहे हैं, इसे कोई नहीं जानता, इसे किस तरह रोका जाये और किस तरह प्रतिस्थापित किया जाए इसके बारे में कुछ त्वरित कदम उठाये जाने चाहिए। कुछ राज्यों ने कुछ कदम उठाये हैं लेकिन और कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा। महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस बारे में शीघ्र कोई शुरुआत करे, राज्य सरकारों से समन्वय करके दो दल नियुक्त करे। जो कि इस रेवेन्यु लॉस को कैसे स्टाप किया जाए, उसके लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बैठा दिया जाए, जो 5-10 दिन में जानकारी दे कि हमें क्या स्टैप्स लेने हैं। अन्य समूह इस बात का अध्ययन करे

अपराह्न 1.00 बजे

कि इसके लिए क्या सुरक्षोपाय किये जाने चाहिए। इतना करेक्शन है। यह स्टाम्प एक्ट 1890 का है। 1890 का जो स्टाम्प एक्ट है वह आब्सोलिट है। अब डिमेट, धन का इलैक्ट्रानिक हस्तांतरण और ऐसे अन्य आधुनिक तरीके आ गये हैं। विदेशों में किस प्रकार से गवर्नमैंट के ट्रांजेक्शन्स हैं, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन प्रौसैस है, इसके बारे में स्टडी करने की जरूरत है। मुझे आनंद होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बीच में एनाउंसमैंट की थी कि वे डीमेट को लागू करना चाहते हैं। यह भी एक मेथेड हो सकता है कि किस प्रकार से करना चाहिए। स्टेट के साथ कोआर्डिनेट करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुम्बई में एक शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया है-तेलगी।

अपराह्न 1.01 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

तेलगी के बदले वहां के लोग बोलते हैं कि तेल और घी यानी तेलगी के कारण कुछ अथॉरिटी आफिसर्स को तेल मिल गया तथा तेलगी और उसकी टीम को घी मिल गया। इसके साथ जो दूसरा वाक्य है, वह बहुत निचली भाषा का है। तेलगी के साथ वालों को तेल मिल गया और तेलगी को घी मिल गया। लेकिन सरकार के नसीब में चना ही है। कितना रेवेन्यू लॉस हुआ, इसके बारे में मुझे एक फिगर मिली है। जिस दिन से कहीं एक पर्टिकुलर गवर्नमैंट ने तेलगी के सामने एक्शन लिया, न्यू करैक्शन स्टार्ट किये, तो एक साल में रेवन्यू बढ़कर 750 करोड़ रुपये हो गया। इसका मतलब यह है कि फेक पेपर कितने सप्लाई किये होंगे। मुझे पता है, आज लोग मुझे आकर बताते हैं कि उसके एजेंट मार्केटिंग नेटवर्क में थे। तेलगी 50 परसेंट डिस्काउंट में किसी मेजर आपरेटर को देता था तो वह आपरेटर अपने नीचे 40 परसेंट, उसके नीचे 30 परसेंट पर देता था। अल्टीमेटली जो खरीदार था, अगर लम सम हो, यदि आप 50 लाख रुपये का स्टम्प पेपर खरीदोगे तो तुम्हें 20 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और यदि 10 लाख रुपये का स्टांप पेपर खरीदोगे तो 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब आफिशियल कमीशन सिर्फ एक परसेंट है। लेकिन कभी लोग सोचते नहीं थे क्योंकि 10 परसेंट डिस्काउंट मिलता था, 20 परसेंट डिस्काउंट मिलता था। मैं यह भी एक अपील करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

लाभार्थी कौन है? इस घोटाले के जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके अलावा जिन्होंने इस समानांतर प्रणाली से भारी मात्रा में स्टैम्प पेपर खरीदे उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए। उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। अगर आपको 10, 20, 25 या 40 परसेंट डिस्काउंट मिलता है तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि यह बोगस हो सकता है, फर्जी हो सकता है या चोरी का माल हो सकता है। मैं एक बार फिर से वित्त मंत्री जी की इस चिन्ता को महत्व देता हूं। उन्होंने कह दिया कि जो भी स्टांप पेपर मार्केट में थे, उसके आधार पर जो भी एग्रीमेंट होंगे, वे वैलिड रहेंगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज जो व्यक्ति मुम्बई में बैठा है या दिल्ली में बैठा है, उस बेचारे ने यदि साढ़े चार लाख रुपये का लोन लेकर अपना घर खरीदा है, फ्लैट खरीदा है तो उसको यह चिंता है कि कहीं वह एग्रीमैंट फर्जी हुआ तो मेरा क्या होगा?

मैं आदरणीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि वे यह बात पुन: स्पष्ट करेंगे तो हिन्दुस्तान के आम आदमी को इससे काफी राहत मिलेगी। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि वेरीयस स्टेट गवर्नमैंट ने क्या-क्या इनीशियेटिव लिये हैं तथा उनसे आपको क्या जानकारी आयी है? अगर उसमें पुलिस इन्वाल्व है तो आप उसकी भी जानकारी दें। अगर आपके पास यह जानकारी आयी है कि इसमें कोई मिनिस्टर इन्वाल्व है तब उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए चगाहे वह मिनिस्टर गुजरात का हो या कर्नाटक का हो। इसकी जानकारी भी सदन के सामने आनी चाहिए।

आप कर्नाटक की बात कर रहे थे। मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता था लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इनोसेंट आदमी को कर्नाटक ही नहीं,

[अनुवाद]

एक दूसरे राज्य में एक सरकारी अधिकारी ने यह वक्तव्य दिया था कि फर्जी स्टैम्प पेपर पर किया गया कोई भी समझौता वैध नहीं माना जाएगा।

[हिन्दी]

उसके कारण लोगों में चिंता है। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह पैसा बड़े-बड़े सैक्टर में गया है, क्या वह लेपटॉप परचेजेज में गया है या फिल्म लाइन में गया है? कितने बोगस बैंक एकाउंट पाये गये। मैं आपके द्वारा यह भी विनती करना चाहूंगा कि इसका जो क्रिमिनल एंगल है, उनसे सिविल और रेवन्यू लॉस के बारे में सी.ए.जी. की मदद लेनी चाहिए, एकाउंटेंट-जनरल की मदद लेनी चाहिए।

हमें राज्य सरकारों के रिवैन्यू डिपार्टमैंट से कहना चाहिए कि आप गत साल के रिवैन्यू जनरेशन की स्टडी कीजिए। अगर 1991, 1992 या 1994 में आपका इतना रिवैन्यू था,

[अनुवाद]

विशेषकर इस किस्म के उपाय से पता लगाइये कि आपकी राजस्व की सामान्य वृद्धि कितनी है। वृद्धि के आंकड़ों को जमा करके यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह इस तरह के स्टैम्प पेपरों की बिक्री से प्राप्त राजस्व के समतुल्य है।

[हिन्दी]

मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ राज्यों के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि इसमें भयावह अंतर है। इसमें काफी फर्क है। नासिक सिक्युरिटी प्रैस के उस पर्टीकुलर राज्य सरकार ने अगर 200 करोड़ रुपये के स्टैम्प पेपर परचेज किए जबकि उनका ऐग्रीमैंट रजिस्ट्रेशन 1200 करोड़ रुपये का हुआ था। इसमें हजारों करोड़ रुपयों का अन्तर है। मैं रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प पेपर को थोड़ा ईजी लैंग्वेज में कहना चाहूंगा।

[श्री किरीट सोमैया]

[अनुवाद]

मान लीजिए मैंने मुम्बई में एक आवासीय फ्लैट खरीदा तो मुझे 20,000 रुपये के स्टैम्प पेपर कलक्टर कार्यालय या उसके एजेन्ट के माध्यम से खरीदने होंगे। तब मुझे पंजीयक के कार्यालय में जाकर अपने अनुबंध को पंजीकृत कराना पड़ेगा।

[हिन्दी]

अगर मेरा 4-5 लाख रुपये का फ्लैट है, उसके ऊपर अगर 5 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी लगती है तो मुझे एस.पी.सी. के पास जाना पड़ेगा या उसके एजैंट के थ्रू संपर्क करूं। अगर पांच लाख रुपए के ऊपर 25 हजार रुपये के स्टैम्प पेपर दूंगा तभी वे रजिस्टर करेंगे। हमें एक ही काम करना चाहिए कि पूरे देश में पांच या दस शहरों का चयन किया जाए। कितने रियल ऐस्टेट के ट्रांजैक्शन्स रजिस्टर्ड हुए हैं और उसकी तुलना में उस पर्टीकुलर डीनोमीनेशन के स्टैम्प पेपर, स्टैम्प ऑफिस में उतनी सेल हुई है या नहीं। यह जांच करना आसान होगा। अत: मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए ए.जी और सी.ए.जी. को आग्रह किया जाए कि वे दस साल का रिवैन्यू जनरेशन निकाले। उमसें कितना शार्टफाल हुआ।

[अनुवाद]

क्योंकि वर्तमान में कोई नहीं जानता कि कितना राजस्व घाटा हुआ है। मैं एक और बात भी बताना चाहूंगा। हां, सभी जांच एजेंसियों ने इस पर बल दिया है—जैसा कि मैंने आपको बताया—कि जो लोग सरकारी तंत्र में थे और उसकी सहायता कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इसके साथ ही क्या कुछ बिजनेस पीपल थे, कुछ इंडस्ट्री वाले थे, यह भी जानना पड़ेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमें यह भी पता चला है कि इसमें बड़े-बड़े, बहुत बड़े नहीं, बिजनेस पीपल इन्वॉल्व थे। उनका टोटल एसैट 3-4 साल में सौ टाइम्स बढ़ गया। जब उनके पास इतना पैसा आ गया तब उसकी जांच किये जाने की आवश्यकता है।

मैं आपके ध्यान में एक अन्य बात भी लाना चाहता हूं। आज लोगों का पुलिस व्यवस्था से विश्वास हट गया है। मुम्बई देश के स्काटलैंड यार्ड के रूप में जाना जाता है। आज मुम्बई का पुलिस कमिश्नर जेल में है, मुम्बई का ज्वाइंट कमिश्नर जेल में है, महाराष्ट्र के डीजी की इन्क्वारी और इन्वैस्टीगेशन हो रही है। आज अगर वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, मुलुन्द पुलिस स्टेशन में जाएं या चौपाटी पुलिस स्टेशन में चले जाएं तो लोगों को विश्वास नहीं है कि वहां पुलिस कैसी होगी। पुलिस स्टेशन के अन्दर के पुलिस इंस्पैक्टर को यह पता नहीं है कि पास बैठा हुआ सब इंस्पैक्टर कहीं तेलगी मामले में तो नहीं फंसा हुआ है। पूरी व्यवस्था ही चरमरा गयी है। हमें इसके लिए भी प्रयत्न करना होगा कि इस व्यवस्था को किस प्रकार सुधारा जाए। मैं यह भी विनती करना चाहूंगा कि हमें थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा जैसे मैंने कहा, मैंने महाराष्ट्र सरकार को 15 बार विनती की कि आप एजी, सीएजी से बात करें, रिवैन्यू लॉस स्टौप करें। उसके लिए कलैक्टिव एक्शन लें

[अनुवाद]

लेकिन मुझे महाराष्ट्र सरकार का कोई जवाब नहीं मिला। मैं महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने उन्हें ज्ञापन भेजा था। उन्होंने इसे स्वीकार करके इसका जवाब दिया। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के स्टैम्प पेपर, वैसे यह केवल स्टैम्प पेपर या राजस्व स्टैम्प तक सीमित नहीं है। अब पता चला है कि फ्रेंकिंग मशीन भी नकली है।

[हिन्दी]

फ्रैंकिंग मशीन जो फोर्ज्ड है, वह डुप्लीकेट पाई गई। मेरी प्रार्थना है कि हमें इन टोटैलिटी इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

मैं एक बार पुन: प्रार्थना करूंगा कि आप डीमैट की बात करें लेकिन डीमैट करते समय, वह भी ओवर बर्डन नहीं हो जाती, उस पर भी विचार करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

न्यासियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह एक तकनीकी मामला है। लेकिन हमें दो या तीन अलग-अलग एजेंसियां गठित करनी होंगी। डीमैट बहुत अच्छा कदम है। उसे करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए एन.एस.बी.एल. ही एकमात्र एजेंसी है।

[हिन्दी]

मैं आपका ध्यान एक और बात के प्रति आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे सामने कुछ आंकड़े आए कि कहां-कहां यह स्कैम पहुंचा है। यह कहा गया कि

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में यह 2,000 करोड़ रुपये है, दिल्ली में 214 करोड़ रुपये, कर्नाटक में 205 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश में 19.70 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

ऐसे कितने केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं? मैं 2002 से पहले पंजीकृत हुए मामलों की बात कर रहा हूं। ये वो आंकड़े हैं और इसके पश्चात् पूरी चेन इस प्रकार की शुरू हुई थी। विशाखापट्टनम से लेकर कहां-कहां तक गई है। लेकिन आज हमें यह भी वातावरण बनाना पड़ेगा और यह भी कमिटमेंट देना पड़ेगा कि इस स्कैम के अंदर हम कैसे जाएंगे? आज हमारे महाराष्ट्र में अगर विपक्ष के नेता को एक पत्र पुलिस ऑफिसर का उपस्थित करते हैं, कोई श्री कामथ का पत्र उपस्थित करते हैं, उन्होंने उसकी एक कॉपी मेरे पास भेजी और वह कामथ, एस.आई.टी. द्वारा कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं। वह कामथ राज्यपाल को पत्र लिखता है और वह पत्र राज्यपाल तक पहुंचता ही नहीं है। विपक्ष को उसकी कापी मिलती है और विपक्ष के नेता उस पत्र की कापी राज्यपाल को भेजते हैं। जब राज्यपाल महोदय को पता चलता है कि मेरे नाम से किसी पुलिस ऑफिसर ने तेलगी स्कैम में पत्र लिखा है। आज राज्यपाल महोदय ने उसकी इंक्वायरी और इंवेस्टीगेशन का ऑर्डर दिया है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि श्री किरीट सोमैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके द्वारा दिये गये सभी तर्क बहुत अच्छे हैं और आखिरी बिन्दु के अलावा कोई भी उससे असहमत नहीं होगा। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वे उसमें राज्यपाल को शामिल करना चाहेंगे। यदि वे इसमें राज्यपाल को शामिल करना चाहते हैं तो सभा में कोई सदस्य उसके पक्ष में बोलेगा और कुछ सदस्य उसके विरुद्ध बोलेंगे।

श्री किरीट सोमैया: मैं उन्हें इस बहस में शामिल करना नहीं चाहता लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि यहां मुख्य मुद्दा क्या है। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। किसने पत्र लिखा और किसको?

आज दूसरा विषय चक्र आरम्भ हो रहा है। मैं उस मुद्दे पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

आज दूसरा विषय चक्र आरम्भ हुआ है। एक आरोपी दूसरे दस लोगों के नाम दे रहा है और फिर हम कहां जाएंगे? उसमें फिर राजनीतिज्ञों का नाम भी आ जाता है। दूसरे पुलिस अधिकारी कहते हैं कि मुझे अरैस्ट किया तो उसको क्यों नहीं किया? उसने इसको मोबाइल पर फोन किया था। उसने उसको इतने पैसे देने के लिए कहा था। मैं उस मुद्दे को यहां उठाना चाहता हूं। अगर इसी प्रकार से इंक्वायरी और इंवेस्टीगेशन चलती रहेगी तो कहां से कहां हम पहुंचेंगे और उसके लिए इस इंवेस्टीगेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मेरा आग्रह है कि जो केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका या प्रार्थना की है, इसमें समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। अगर कहीं कोई कोर्ट करती है, सीबीआई करे, कोई बोलता है कि मत करो। मैं सभी कोर्ट्स को सम्मान से देखता हूं लेकिन इंवेस्टीगेटिव और करैक्टिव मैजर्स के लिए इस प्रकार की सूचना आती रहेगी तो सीबीआई को भी इसमें इंवाल्व होना पड़ेगा। यह केवल सी.बी.आई. द्वारा किया गया है या राज्य पुलिस की सहायता से सी.बी.आई. ने किया है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इसमें इन दोनों को इंवॉल्व करना पड़ेगा कि यह किस प्रकार से काम हो रहा है। अगर बॉर्डर में भी यह घोटाला क्रॉस हो रहा है तो इसकी भी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। मैंने जानबूझकर किसी के नाम नहीं लिए। मैं नाम नहीं लूंगा। इसमें साझेदारी की एक विशेष फर्म पांडिचेरी से संचालित हो रही थी। सात सौ करोड़ रुपया उसके पास अचानक आ गया। इस पहलू की भी जांच की जानी चाहिए। इस पत्र में ये सब बातें लिखी हैं। उनकी तरफ भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैंने कुछ और सुझाव किये थे। मैंने सभी सरकारों के पास सुझाव दिये थे। इसमें हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बड़े-बड़े एजेंट और इंक्लूडिंग जो बड़ी कॉरपोरेट में खरीददारी हुई है, हमें पहले राजस्व विभाग से पूछना पड़ेगा। यह देखना पड़ेगा कि बल्क कस्टमर कौन हैं? मैं एजेन्ट के बारे में बात कर रहा हूं: अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, अगर उसको महीने में तीन करोड़ के स्टैम्प पेपर्स या एडीसिव स्टैम्प्स लगते हैं तो हमें वहां जाकर देखना पड़ेगा और उसके ऊपर कांसन्ट्रेट करना पड़ेगा। जब हम इंक्वायरी करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इस प्रकार के बल्क कस्टमर ने स्टॉम्प कहां से लिये थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ऑफिशियल्स ने 10-20 प्रतिशत कमीशन के लालच में वे जानबूझकर या अनजाने में, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेलगी विपणन नेटवर्क के अंग बन गए। यह वास्तविकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि एस.आई.टी. के पास जो जानकारी और सूचना है, उस चीज को लोगों के सामने शेयर करना चाहिए। मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। 5-10 सैम्पल केसेज लेने चाहिए और उन सैम्पल पर फुल-फ्लैज्ड कांसट्रेट करना चाहिए। उस कान्सन्ट्रेट के आधार पर मैं समझता हूं कि

[अनुवाद]

आप और कुछ भी कर सकेंगे।

सभापति महोदय: श्री सोमैया, आपने 35 मिनट ले लिये हैं।

श्री किरीट सोमैया: मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। मैं अब बस अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं अपनी इस बात के बाद अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। ऐसा कहते हैं कि हमें इससे सबक लेना चाहिए क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसे बहुत से घोटाले हो चुके हैं। लेकिन हमने इन घोटालों से सबक लिया और अपनी प्रणाली को सही एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। एक अखबार ने बहुत सुन्दर एडिटोरियल लिखा है। उसमें लिखा है: 'बुरे से अच्छा।' हमें सबक लेना चाहिए। हमें अपनी प्रणाली को सुधार कर सही करना है। हमें इस बात पर एकजुट होना चाहिए।

[हिन्दी]

देश भर में इस पर्टिकुलर स्टाम्प पेपर स्कैम, एडहैसिव स्कैम और फ्रैंकिंग मशीन में जो सिस्टम है, उसमें सुधार लाना होगा। आज एक अब्दुल करीम तेलगी पकड़ा गया है। चाहे उसके पीछे सिमी हो या कोई दूसरा संगठन हो लेकिन देश में इस प्रकार के, करेंसी नोट के विकल्प के रूप में अनेक प्रकार के मोड़ हैं, जिन पर हमें ध्यान देना होगा। हम खास तौर पर इस स्टाम्प पेपर स्कैम को रोकेंगे, कोरैक्टिव मैजर्स लेंगे लेकिन इस प्रकार के दूसरे डॉक्यूमैंट्स कहीं शुरू न हो जाएं, यह देखना होगा। वित्त मंत्री और शौरी जी ने मिल कर स्मॉल सेविंग्स और पोस्टल सेविंग्स में वैसा सिस्टम प्रारम्भ किया जो कुछ साल पहले सिक्योरिटी मार्किट में प्रारम्भ किया था। पहले कोई भी डिविडैंड या रिफंड आता था तो बीच में चैक चोरी हो जाता था। शेयर ट्रांसफर करके भेजते थे तो वे चोरी हो जाते थे। सरकार ने डीमैट प्रणाली और इलैक्ट्रानिक हस्तांतरण प्रणाली प्रारम्भ की है। आपने पोस्टल सेविंग में भी इसे शुरू किया। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। आपने मुम्बई में पायलट प्रोजैक्ट लॉच किया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र में भी इसकी शुरुआत की। अत: जो कुछ हुआ है, हमें उससे सबक लेना चाहिए। हमें बुरे से अच्छे की तरफ जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम किस प्रकार की नई व्यवस्था निर्माण करेंगे जिनसे ऐसे घोटालों को राका जा सके। 21वीं सदी में आज हमारे पास इनफर्मेशन टैक्नॉलोजी की एथॉरिटी है। हम इसके द्वारा एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करें। यही प्रार्थना करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि श्री किरीट सोमैया ने एक बहुत ही संतुलित भाषण दिया है। मैं इस विषय पर मैंने भी यही बात कही होती और यदि मैं यह कहकर बैठ जाऊं कि मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, तो भी मेरा भाषण पूरा हो जायेगा। उन्होंने बहुत ही उत्तरदायी और संतुलित ढंग से अपनी बात कही है। इस बारे में प्रतिपक्ष की ओर से मैं कुछ बिन्दुओं पर अपनी राय व्यक्त करना चाहूंगा।

पहली बात यह है कि देश में यह इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि हम सब इससे चिन्तित हैं। हमारा दृष्टिकोण यह है कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए, तथ्यों को प्रकाश में लाया जाना चाहिए तथा इस घोटाले में शामिल व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। तथ्यों को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को बचाने की भी कोई जरूरत नहीं है। यदि सरकार इस अपराध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करती है तो हम सब बहुत खुश होंगे। सोमैया ने यह ठीक ही कहा है कि इस तरह के मामले जब जनता के सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई कुछ इस ढंग से होती है कि कुछ लोगों को इसमें निरर्थक शामिल कर लिया जाता है और उनके विरुद्ध जांच शुरू हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सरकारी कर्मचारी हो या कोई राजनेता हो, किसी को जानबूझ कर फंसाया नहीं जाना चाहिए। साथ ही, इस दिशा में पुरजोर प्रयास होने चाहिए कि इस तरह के अपराध के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है और उसे कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।

महोदय, यह एक बहुत बड़ा मामला है, और एक अच्छा वकील होने के नाते आप जानते हैं कि यदि न्यायालय में इस मामले पर बहस होती, तो इसमें घंटों की बात तो जाने दीजिए, दिन और महीने भी लग जाते हैं। लेकिन इस सभा में इतने विस्तार से चर्चा करना संभव न हीं है। हमें सीमित समय में अपने विचार रखने होंगे। श्री किरीट सोमैया ने अपनी बात कह दी है। मैं भी इस बारे में संक्षेप में अपनी बात कहूंगा ताकि सभा के दूसरे इच्छुक सदस्य भी अपने विचार रख सकें।

इस घोटाले की जड़ें पूरे देश में फैली हैं अभी तक इस घोटाले की चपेट में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा कुछ अन्य राज्य आ चुके हैं। इस घोटाले में ये राज्य शामिल नहीं हैं लेकिन यह कुछ अन्य राज्यों में भी फैला है। इस तरह यह घोटाला पूरे देश में व्याप्त है। इसलिए हमें इसमें सावधानी बरतनी होगी कि जांच कार्य इस तरह से आगे बढ़े कि इससे संबंधित तथ्यों को न्यायालय और उचित प्राधिकारों के संज्ञान में लाया जा सके ताकि घोटाले में संलिप्त लोगों को दण्डित किया जा सके।

आमतौर पर, मीडिया में कर्नाटक, महाराष्ट्र और यदाकदा आंध्र प्रदेश के नाम का ही उल्लेख हो रहा है। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि कर्नाटक में क्या हुआ है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्या हुआ है इसकी मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा।

दूसरे राज्यों की तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है और इस बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दूसरे सभी राज्यों की जानकारी रखने की कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं है।

कर्नाटक में क्या हुआ? यह मामला सन 2000 में प्रकाश में आया और तभी जांच शुरू हुई। अब, जैसाकि मुझे बताया गया है कर्नाटक ने इस बारे में 10 आरोप-पत्र दाखिल किए हैं और 54 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तेलगी, अक्सर जिसका नाम लिया जाता है, वह कर्नाटक के एक गांव का रहने वाला है। यह कहा जाता है कि वह मुंबई में रहता था। जब इस मामले में उसका नाम आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया लेकिन वह बच निकला। बाद में उसे कर्नाटक पुलिस द्वारा राजस्थान के अजमेर शहर में गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक पुलिस ने देश का कोना-कोना छान मारा है। वह महाराष्ट्र, कोलकाता, आंध्र प्रदेश और कई दूसरे स्थानों पर गयी है और वहां से सूचनाएं एकत्र की हैं। कर्नाटक पुलिस के पास बहुत बहुमूल्य जानकारी है। यह जानकारी बेचे गये नकली स्टाम्प पेपरों के बारे में हैं। यह सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा प्रेस से संबंधित है। एकत्रित की गयी सूचना करेंसी नोटों के बारे में भी है। यह सूचना उन निजी कंपनियों, सरकारी कंपनियों और सरकारी उद्यमों के बारे में है जिन्होंने नकली स्टाम्प पेपर खरीदे हैं और उन्हें प्रयोग किया है। यह सूचना इस घोटाले में शामिल अधिकारियों के बारे में है। इसलिए कर्नाटक सरकार ने इस बारे में सभी आवश्यक और संभव कदम उठाये हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इस मामले की सच्चाई क्या है। अब ये मामले न्यायालय के समक्ष हैं और न्यायालय उन पर सुनवाई कर रहा है। इसकी जांच के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है। यह विशेष दल में मामले की जांच कर रहा है। इसके लिए एक विशेष न्यायालय का भी गठन किया गया है। एक चरण पर तो सरकार यह भी सोच रही थी कि इस मामले की सीबीआई और कर्नाटक सरकार द्वारा भी जांच की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सीबीआई के पास पहले से ही बहुत अधिक कार्य है, और सीबीआई के लिए भी यह बड़ा मुश्किल होगा कि वह इस मामले की जांच के लिए विभिन्न राज्यों में भटकती फिरे और इस बारे में सूचना एकत्र करने के लिए उसे केवल राज्यों की राजधानी में ही नहीं अपितु उन सभी जनपदों और तालुकों में भी जाना होगा जहां स्टाम्प पेपर बेचे जाते हैं। सीबीआई के लिए यह संभव नहीं था कि वह सभी राज्यों, जनपदों, तालुकों तथा जांच रिपोर्ट में उल्लिखित दूसरे स्थानों पर जाकर जांच करती। इसीलिए, शायद यह ठीक ही है कि सीबीआई ने शुरुआत में यह कह दिया था कि उसके पास कार्यभार बहुत अधिक है और उसके लिए इस मामले की जांच करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए विशेष दल ने इस मामले में अपना जांच कार्य जारी रखा है और अभी भी वह जांच कर रहा है। शायद जांच दल ने इस बारे में काफी सूचनाएं एकत्रित कर ली हैं और अब यह मामला न्यायालय में है और न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा। जहां तक कर्नाटक सरकार द्वारा की जा रही जांच का प्रश्न है मुझे इस वषय पर इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में क्या किया है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे 2002 में जांच शुरू कर दी थी और उसने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। उसने लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ पैसा और नकली स्टांप पेपर भी जब्त किये हैं। इस तरह, उन्होंने जांच पहले ही शुरू कर दी थी। यह मामला महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में चल रहा है और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने यह इच्छा व्यक्त की है कि इसकी जांच का कार्य कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए, और इसीलिए, एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, उसमें अधिकारियों की नियुक्ति की गयी और उन्हें पूरे मामले की जांच का दायित्व सौंपा गया।

श्री किरीट सोमैया ने यह ठीक ही कहा है कि जब बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगते हैं तब हमें बहुत दुख होता है और लोगों का विश्वास पुलिस से उठता है। यह इस मुद्दे का बहुत ही दु:खद पहलू है। लेकिन इस मुद्दे का एक सुखद पहलू भी है। स्वयं पुलिस अधिकारी ही इस मामले की जांच कर रहे हैं और वे अपने सहयोगियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। यह इस मालमे का सुखद पहलू है। जीवन के सभी क्षेत्रों में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हम बुरे लोगों का साथ नहीं दे सकते लेकिन हमें निश्चित रूप से अच्छे लोगों का समर्थन करना होगा। इस समय देश की जनता पुलिस व्यवस्था की आलोचना कर रही है। लेकिन साथ ही, कुछ पुलिस अधिकारियों ने बड़े अच्छे ढंग से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया है, इसलिए हमें इस बात की भी प्रशंसा करनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच की है और यह मामला न्यायालय के पास भेज दिया गया है। अब जब यह मामला महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में है, इसे फिर से तूल दी जा रही है कि इसे सीबीआई के पास भेजा जाये कि नहीं। और ऐसा लगता है कि सीबीआई ने भी न्यायालय में यही कहा है कि विशेष जांच दल सही ढंग से कार्य कर रहा है और इसे सीबीआई को सौंपे जाने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस चरण पर यह आवश्यक नहीं है कि महाराष्ट्र में विशेष जांच दल द्वारा की जा रही जांच के विरुद्ध कोई आदेश दिया जाये और यह कि विशेष जांच दल को अपना कार्य जारी रखना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों को लगा कि यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार का रुख यह है कि यदि इस मामले

[श्री शिवराज वि. पाटील]

की जांच विशेष दल द्वारा होनी है, तो इसे विशेष दल द्वारा ही होने दिया जाये और यदि इसे सीबीआई को सौंपा जाना है और सीबीआई द्वारा इसकी जांच की जानी है तो महाराष्ट्र सरकार को इसकी अनुमति देने की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अपराह्न 1.28 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

न्यायालय में भी इस आशय का आवेदन किया गया है कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए, यदि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना है और ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह मामला अब उच्चतम न्यायालय में लंबित है और इसीलिए जब तक इस मामले पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता, उच्च न्यायालय को इस पर निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में जो अंतिम निर्णय दिया जायेगा, निश्चित तौर पर वह उच्च न्यायालय और महाराष्ट्र सरकार के लिए बाध्यकारी होगा। इसलिए, इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार का रुख यही है कि इस मामले की पूरी तरह जांच हो। इस घोटाले में प्राइवेट लोग, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिज्ञ या कोई और भी शामिल हो सकता है। अत: इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए।

पक्ष यह है कि कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। हम किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार अन्य किसी सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार से आरोप नहीं लगा रही है। जहां तक मेरी जानकारी है अन्य सरकारें भी महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रही है। मैंने किसी अन्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध कही गयी कोई आपत्तिजनक बात नहीं पायी है। यह बात महाराष्ट्र के संबंध में कही गई है।

एक और बात है जिसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा प्रेस से संबंधित है। मैं नहीं जानता कि क्या यह जांच तेलगी, उसके गैंग, कुछ सीमा तक पुलिस अधिकारियों और कुछ अन्य लोगों तक सीमित हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रेस के अधिकारियों के पास भी गये थे। कुछ जांच भी की गयी थी। मेरे विचार से हमें इस मामले में किसी पर आरोप लगाये बिना इस पहलू की भी जांच करनी चाहिए। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रेस में कोई अधिकारी कुछ भी गलत कर रहा है तो इसके लिए हम ऊपर से नीचे तक सम्पूर्ण तन्त्र को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। यह करना भी गलत कार्य होगा। इससे वास्तव में जो व्यक्ति आपराधिक कार्य कर रहा है, उसका बचाव होगा। जब ऐसा होगा तो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसकी बजाय ध्यान उस व्यक्ति की ओर होगा जो वास्तव में इससे जुड़ा नहीं है या उसका इससे दूर का संबध है या अनजाने में उसने कुछ किया होगा। उस पर भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रेस में क्या हुआ इसकी जांच जिम्मेदार ढंग से की जानी चाहिए। कम से कम, हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर हम यहां इस मंच से किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं जो कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से वर्णित नहीं है। हम अत्यंत जिम्मेदार निर्णय लेना चाहते हैं।

श्री सोमैयाजी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसके बारे में हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। इसकी जांच अत्यंत सावधानीपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए और अपराधियों का पता लगाया जाए। परन्तु यही सब कुछ नहीं है। यह कौन कर रहा है, वह यह क्यों कर रहा है, उसने कितनी धनराशि जमा की है, उस धन का प्रयोग किस प्रकार किया गया, वह धन कहां गया, क्या वह उसके पास है, या वह उसके गैंग के किसी अन्य व्यक्ति के पास है, क्या यह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कुछ लोगों के पास है, क्या यह ऐसे किसी व्यक्ति के पास है जो इसे देश से बाहर ले गया है, इन सब पहलुओं की जांच ध्यानपूर्वक होनी चाहिए। इसका महत्व उसी में निहित है। यह इसी पर निर्भर करता है कि क्या किया जाना है। हमें उस मामले का निपटारा कैसे करना चाहिए। इन्होंने निश्चित तौर पर बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं।

महोदय, मैं कुछ बातें पढ़ने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। यह कुछ लम्बी है परन्तु मैं आपकी अनुमति चाहता हूं क्योंकि वे बहुत विचारपूर्ण ढंग से बनायी गयी है। यदि भारत सरकार के लिए इन मामलों की जांच उचित ढंग से करवाने या एहतियाती कार्रवाई किये जाने या इस प्रकार की घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकना संभव हो तो यह अत्यंत लाभदायक रहेगा।

क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है यह किसी भी अन्य बात से अधिक महत्वपूर्ण है। जांच पुलिस द्वारा की जायेगी। यह मामला न्यायालय में दायर किया जायेगा और यह उसके द्वारा सुना जायेगा। परन्तु तब, इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें कार्यपालिका स्तर पर कुछ कार्रवाई करनी होगी। हमें उस पहलू पर विचार करना चाहिए। क्या किया जा सकता है?

जहां तक जांच का संबंध है, यह सुझाव दिया गया है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा चल रही जांच पर पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए केन्द्रीय और राज्य पुलिस के अधिकारियों तथा अन्य एजेंसियों सहित एक प्रभावी आसूचना/निगरानी नेटवर्क की स्थापना की जाये। राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। केन्द्रीय पुलिस भी है। परन्तु उनमें समन्वय चाहिए। इसलिए, यह सुझाव दिया गया

है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा चल रही जांच के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए केन्द्रीय और राज्य पुलिस के अधिकारियों तथा अन्य एजेंसियों सहित एक प्रभावी आसूचना नेटवर्क की स्थापना की जाये। आसूचना और सूचना के आदान-प्रदान के लिए आवधिक बैठकें और अन्य प्रणालियों की स्थापना की जानी चाहिए। इनका विस्तार संपूर्ण देश में हो। यह मात्र एक राज्य में नहीं हुआ है। एक ही राज्य में भी यह मात्र राज्य की राजधानी में नहीं हुआ है। परन्तु यह तालुकाओं और जिलों तथा अन्य कई जगहों पर भी हुआ है। इसलिए सूचना का आवधिक आदान-प्रदान होना चाहिए। भारतीय सुरक्षा प्रेस के मामलों का भी विस्तृत अध्ययन करवाया जाये। इस अध्ययन में मानव संसाधनों का चयन और सभी स्तरों पर दैनिक कार्यों को करने वाले सभी प्रकार के अधिकारियों को भी शामिल करना चाहिए। संदेहास्पद व्यक्तियों को तुरंत बाहर कर देना चाहिए। अनुशासन लागू किये जाने की आवश्यकता है। भारतीय सुरक्षा प्रेस के कार्य के प्रत्येक पहलू की निगरानी आसूचना ब्यूरो जैसी अन्य एजेंसियों और उच्च-स्तरीय नौकरशाहों द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय द्वारा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त अवसंरचना के साथ मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद बनाया जाना भी आवश्यक है।

सुरक्षा प्रेस में अनुपयोगी भण्डार मदों की खरीद और निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किये जाने की आवश्यकता है। भारतीय सुरक्षा प्रेस और एसपीपी द्वारा निजी एजेंसियों से कच्चे माल की खरीद पर उचित नियंत्रण और संतुलन होना चाहिए। नासिक, हैदराबाद और अन्य स्थानों की प्रेसों द्वारा खरीदे गए कच्चा माल को उन्हें नहीं देना चाहिए। जिनके पास नकली स्टाम्प्स हों। कम्प्यूटरीकरण द्वारा सभी स्तरों पर आवधिक स्टॉक का सत्यापन और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किये जाने की आवश्यकता है।

प्रत्येक सुरक्षा दस्तावेज की विलक्षणता गोपनीय रखनी चाहिए। सभी सुरक्षा दस्तावेजों में अलग प्रकार की विशेषताओं को प्रारम्भ करना चाहिए जिससे कि नकली या दूसरी प्रतिलिपि बनाना संभव न हो।

संदेहास्पद या शंकास्पद सुरक्षा दस्तावेज की जांच और अपनी राय देने के लिए प्रत्येक न्यायपालिका प्रयोगशाला में जीईक्यूडी की तरह के विशेषज्ञ नियुक्त किये जाने चाहिए। वर्तमान में, भारतीय सुरक्षा प्रेस के सिवाय कहीं भी विशेषज्ञ नहीं हैं। कार्यरत विशेषज्ञ अपनी राय मात्र अनुभव के आधार पर देते हैं।

वर्तमान में एक नकली स्टाम्प को मूल स्टाम्प से भिन्न करने वाली बहुत कम बातें या मापदण्ड हैं। शंकास्पद और सही सुरक्षा दस्तावेज के बीच अस्पष्टता और तुलना के बिन्दुओं की कमी को भी प्रकाशित नहीं किया गया है।

आम आदमी की सहायता के लिए विशिष्ट चिह्न स्तर, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और सुरक्षा प्रेस में विशेषज्ञों को तैयार किये जाने और इसे व्यवहार में लाये जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, सुरक्षा दस्तावेज की आपूर्ति के संबंध में भारत सुरक्षा प्रेस की जिम्मेदारी केवल ऐसे दस्तावेजों के विनिर्माण और विनिर्माण की लागत वसूल करने तक ही सीमित है। फर्जी स्टाम्पों की बिक्री से हुए राजस्व घाटे का प्रभाव संबंधित राज्य सरकारों पर ही पड़ता है। राज्य सरकारें भारत सुरक्षा प्रेस द्वारा विनिर्मित सुरक्षा दस्तावेजों के लिए वैकल्पिक या कोई अन्य तरीके अपना सकती हैं। यह समुचित होगा कि सभी न्यायिक/गैर-न्यायिक स्टाम्पों व स्टाम्प पेपरों का प्रयोग सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर इसका कम्प्यूटरीकृत संस्करण लिया जा सकता है जिसमें केन्द्रीकृत सर्वर के नेटवर्क में स्टाम्प पेपरों की क्रमानुसार प्रविष्टि की जाए। इसकी विशेषता का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि कोई भी स्टाम्प पेपर की संख्या की प्रविष्टि से उसकी मौलिकता की जांच कर सके।

भुगतान पृष्ठांकन और उसकी विशिष्ट तरह की छपाई की जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण आवश्यक है। इस कार्य में लगी एजेंसियों की बहुसंख्या को भी कम किया जाना चाहिए।

सुरक्षा कागजों की निर्माण प्रक्रिया के दौरान उसमें निहित गूढ़ डैन्डी रोल मार्क के ब्लाकों को इंडियन सिक्यूरिटी प्रैस (भारत सुरक्षा प्रेस) की सम्पत्ति समझा जाना चाहिए और इसे सुरक्षा कागजों की छपाई के लिए उपलब्ध कराने की सुविधा के साथ हिफाजत में रखा जाना चाहिए। इन ब्लाकों का दुरुपयोग रोकने के लिए इनका आवधिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह सत्यापित करना भी आवश्यक है कि पिछले सात वर्षों के दौरान इन डैन्डी रोल ब्लाकों का निरीक्षण भारत सुरक्षा प्रेस के अधिकारियों द्वारा कितनी बार किया गया। इसकी भी प्रबल सम्भावना है कि आपराधिक समूह इन ब्लाकों को कब्जे में लेकर फर्जी स्टेम्पों की छपाई के कार्य में लग गए हों।

राजस्व संबंधी स्टाम्पों की बिक्री से होने वाले राजस्व अर्जन का आकलन राज्य सरकारों द्वारा कभी भी नहीं किया गया राजस्व संबंधी स्टाम्पों का प्रयोग बीमा कम्पनियों, वाणिज्यिक बैंकों, औद्योगिक घरानों, निगमित घरानों और व्यापारिक घरानों द्वारा किया जाता है जिन पर राज्य सरकारों का कोई प्राधिकार या संबंध नहीं होता। राज्य सरकार को राजस्व स्टाम्पों के प्रयोक्ताओं के बीच यह जागृति पैदा करनी चाहिए कि वे इन्हें निजी स्रोतों से नहीं खरीद सकते। इन एजेंसियों को स्वीकृति के अनुसार पृथक रूप से स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कर एकत्रित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए जिसे आवधिक रूप से राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए। सामान्यतया ऐसा देखा गया है कि राजस्व मुहरों और राजस्व स्टाम्पों की तुलना में स्टाम्प पेपरों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। चिपकाने वाले विशिष्ट स्टाम्पों, राजस्व स्टाम्पों, डाक टिकटों, न्यायालय फीस की मुहरों और न्यायिक स्टाम्प पेपरों की सुरक्षा

[श्री शिवराज वि. पाटील]

संबंधी विशिष्टाओं, विनिर्माण, वितरण और बिक्री को महत्व दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि इन विविध स्टाम्पों को बनाकर गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाने के काफी अवसर हैं। जांच द्वारा नियंत्रण बनाये रखने के तंत्र में फेरबदल की आवश्यकता है।

एक रुपये मूल्य वर्ग के नोट सहित सभी करेंसी नोटों पर क्रमांक दिया जाता है लेकिन स्टाम्प पेपरों के मामले में केवल दस हजार रुपये से अधिक मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर ही क्रमांक दिया जाता है। अधिक मूल्य के राजस्व स्टाम्पों सहित सभी स्टाम्प पेपरों पर क्रमांक दिया जाना चाहिए।

जैसेकि एक आपराधिक गैंग पूरे देश में इस कार्य को फैलाने में सफल हुआ है अत: आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्कंधों द्वारा समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि अपराधियों के इस कार्य संचालन के इस गूढ़ तरीके को समझा जा सके। उनके इस कार्य को ध्वस्त करने के लिए जांच और अभियोजन कार्य पूरी तैयारी से किये जाने की आवश्यकता है।

ये कुछ सुझाव हैं जो मैंने इस सभा और कार्यपालिका के सामने रखे हैं। वे इनका अध्ययन कर सकते हैं। हम सरकार द्वारा किये गये एक कार्य की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने घोषणा की है कि जिन्होंने फर्जी स्टाम्प पेपरों का प्रयोग किया है, उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। यह सरकार द्वारा उठाया गया एक सही कदम है।

मेरा दूसरा सुझाव, जैसाकि श्री किरीट सोमैया ने भी कहा है कि इसमें लगी निधि का भी पता लगाया जाना चाहिए। क्या यह निधि 2000 करोड़ रुपये है, 3,000 करोड़ रुपये, 32,000 करोड़ रुपये, 40,000 करोड़ रुपये या 60,000 करोड़ रुपये है। यह एक कठिन कार्य है, फिर भी किसी को तो इस कार्य में लगना पड़ेगा और पता लगाना होगा कि इसमें कितना धन लगा है और वह धन कहां गया। यह काफी बड़ी राशि है और इसे आसानी से नहीं छिपाया जाता। यह धन कहां गया? इसका पता लगाया जाना चाहिए और इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

यह देश की सभी सरकारों, भारत सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्राधिकरणां, पुलिस एवम अन्य प्राधिकरणों, का उत्तरदायित्व है। उन्हें अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करना होगा।

अंत में, मैं केवल यह आग्रह करना चाहूंगा कि हमें किसी भी अपराधी को बिना दंडित किये साफ-साफ बचने नहीं देना है और इसके साथ ही इस घटना से एक दूसरे पर दोषारोपण करके राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि हम सही हैं तो परिणाम भी अच्छा होगा और यदि हम सही नहीं होंगे तो सब एक दूसरे पर कीचड़ फेंकेंगे और इसका कोई फायदा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय: मेरा उन सभी माननीय सदस्यों, जिन्हें अभी यहां बोलना है, से यह आग्रह है कि वे केवल 10 मिनट का समय लें क्योंकि हमें हर हालत में यह बहस तीन बजे तक समाप्त करनी है। माननीय मंत्री जी इसका जवाब देने के लिए अपराह्न 2.45 बजे खड़े होंगे और माननीय मंत्रीजी इसमें 15 मिनट का समय लेंगे। तीन बजे यह बहस समाप्त हो जाएगी। अत:, प्रत्येक सदस्य को दस मिनट का समय दिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय, थैंक्यू वैरी मच। इस हाउस की एक ऐसी परम्परा बन गई है कि हर सैशन में एक-दो स्कैम या भ्रष्टाचार पर चर्चा करना, हमारा दुखदाई कर्त्तव्य बन गया है और इसकी अनुमति देने के लिए आपको भी मजबूर होना पड़ता है। यह हमारे देश की नीति, नैतिकता, आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन के लिए बहुत ही गम्भीर विषय बन गया है।

हम सबको मिल कर विचार करना पड़ेगा कि इस अपराध को किस तरह दूर किया जा सकता है, जो हमारे हर क्षेत्र को, जिन्दगी के हर पहलू को कलुषित एवं भ्रष्ट कर रहा है। इसके खिलाफ किस तरह लड़ाई लड़ी जा सकती है, यह सोचना बहुत जरूरी है।

महोदय, जैसा मैंने बताया कि जो फेक स्टेंप का इस्तेमाल किया गया, हिन्दुस्तान के 72 शहर और कम से कम 18 प्रांतों में इनका इस्तेमाल किया गया, जो रूरल एरिया तक बेचे गए। आपने खुद बोला कि 60,000 करोड़ रुपये की खबर आई है। एक समानान्तर अर्थव्यवस्था हमारे देश में बन गई है, जो हमारे देश के सिक्योरिटी या विकास के हर पहलू को बहुत खतरे में डाल सकती है। यह बहुत षडयंत्रपूर्ण घटना है। इसमें अपराधी, राजनेता, दलाल, रियल ऐस्टेट का मालिक, प्रोपर्टी इंश्योरेंस का एजेंट, गवर्नमैंट और पुलिस आफिसर तथा लॉयर्स भी शामिल हैं। समाज के हर पहलू के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, जो इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। पिछले कई साल से यह अपराध कैंसर की तरह चल रहा था और हमें अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा था। हमारे प्रशासन और सरकार की नजर से बचाकर ऐसा काम हुआ, उनकी नजर में नहीं आया, यह भी बड़ी चिन्ता की बात है। हमारे अंदर-अंदर बीमारी बढ़ती जा रही है और किसी को पता भी नहीं चलता है। इसका कारण यह भी है कि स्टाम्प्स का शार्टेज है। यह हमारी सरकार को देखना चाहिए था, देश में स्टांप की जितनी जरूरत है, उसके प्रोड्यूस करने में कमी रही। अंदर ही अंदर कोई साजिश रची गई है, इसलिए कम प्रोड्यूस करवाया और वह जो कमी है उसे पूरा करने के लिए ये दो नम्बरी कारोबार शुरू किया गया। उसके पीछे क्या साजिश

है, इसे भी देखना जरूरी है। यह जिस तरह से रचा गया, कैसे एक आदमी ने इसका कारोबार शुरू किया। नासिक में जो नैशनल सिक्योरिटी प्रैस है, यह सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। उस प्रैस के कर्मचारियों और आफिसर्स के साथ सांठ-गांठ की और उसके बाद जिस मशीन से छापा जाता है, पहले उसने यह डिक्लेयर करवाया कि यह काम के काबिल नहीं है। उसके बाद उसे बेचने का जो तरीका है, उसे डिसमेंटल करके, तोड़-फोड़ करके लोहे के भाव पर उसे बेचा जा सकता था, मगर ऐसा नहीं करके, पूरी मशीन उसे बेची गयी और वह उस मशीन को ले गया। उसने उसी मशीन से, उसी तरीके से ओरिजनल स्टाम्प की तरह उसे छापने का काम किया। उसके बाद धीरे-धीरे पूरे हिन्दुस्तान में इस व्यापार को फैलाया गया। यह भी बड़ी चिन्ता की बात है। किस तरह हमारा सरकारी प्रशासन, सरकारी प्रैस और सरकारी दफ्तर इसके साथ जुड़े रहे हैं। ये सब बातें भी आई हैं कि जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, कोई मंत्री उसके लिए चिट्ठी भेज रहा है कि उसके केस को ठीक से देखा जाये, उसे प्रोटेक्शन दिया गया। ऐसा भी आरोप आया है कि जो राजनेता गिरफ्तार हुए, जो एक जेल में अभी भी है। हमारे एक कर्नाटक के टीडीपी एमएलए उसमें हैं, उसके अलावा महाराष्ट्र के अनिल गोटे भी हैं। यह बोला जाता है कि इन सब लोगों के बहुत ऊपर तक संबंध रहे हैं। श्री गोटे बोल रहे है कि एक बड़ी पार्टी के राज्य सभापति के साथ भी इनका संबंध है। इसके पीछे बड़े-बड़े लोग हैं। इसलिए इतना बड़ा आपराधिक आपरेशन हो सका। इसके पीछे बहुत बड़ी मदद न होती तो यह सब काम करना छोटे-मोटे लोगों के लिए सम्भव नहीं होता। जो परिस्थिति है, इसकी सही ढंग से छानबीन होनी चाहिए, इस पर सही विचार होना चाहिए कि किस तरह ऐसी साजिश रची गई थी, किस-किस जगह पर कौन-कौन लोग इसमें इन्वोल्व हुए थे। जिस तरह पुलिस में बार-बार केस दर्ज किये गये, दर्जनों केस रजिस्टर हुए पर पुलिस ने उन केसेज को इन्वेस्टीगेट नहीं किया, अपराधी को नहीं पकड़ा, इसके भी बहुत से उदाहरण अखबारों में छापे गये हैं।

यह जो सारी घटना है, इसके पीछे एक बहुत वैल कनेक्टेड पूरे देश के पैमाने पर जो साजिश है, इस साजिश को निकालना और इसे जनता के सामने लाना भी एक बहुत जरूरी काम है। जैसा आपने बताया कि इस परिस्थिति में जो ऐसा घोटाला हुआ, जो पूरे देश में इस तरह फैल गया और जिसने पिछले 10 सालों में हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी एक बड़ा नुकसान पहुंचाया, ऐसे बेड़े घोटाले की ठीक ढंग से जांच होनी चाहिए, इसके लिए मेरा एक सुझाव होगा।

इस परिस्थिति में पहले तो इसकी प्रोपर इन्क्वायरी होनी चाहिए, यह अखबारों में आया है कि एस.आई.टी. जो बनाई गई थी, जो काम कर रही थी, उस एस.आई.टी. के बारे में यह बताया जा रहा है कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इस केस के दायरे को न बढ़ायें और जो दो-चार लोग पकड़े गये हैं, उनके ऊपर ही किसी तरह केस करके मामले को खत्म कर दे। इसके दायरे को न बढ़ायें, ऐसा दबाव एस.आई.टी. के ऊपर हो रहा है, ऐसे आरोप भी पेपर में आ रहे हैं, इसे भी देखने की जरूरत है कि क्यों और कौन लोग इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं ताकि उनका नाम बाहर न आ जाये, इसे छिपाने के लिए इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इसे देखना भी इन्क्वायरी का एक पहलू होना चाहिए। इस पर शिवराज जी ने बहुत से सुझाव दिये हैं, वे सारे सुझाव इन्क्वायरी करने का एक आधार हो सकता है। इसके हर पहलू पर सही ढंग से इन्क्वायरी होनी चाहिए और मजबूती के साथ इस इनक्वायरी को किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरा देश इसके साथ जुड़ा हुआ है।

इसमें किसी एक स्टेट द्वारा इन्क्वायरी करना सम्भव नहीं होगा, इसलिए किसी सैण्ट्रल एजेंसी को ही इनक्वायरी करनी पड़ेगी। अगर एक स्टेट में इन्क्वायरी होगी और हर स्टेट अलग-अलग इन्क्वायरी करेगा तो इसका कोआर्डीनेशन कौन करेगा। इसलिए प्रोपर इन्क्वायरी पूरे देश के लिए करना और किसी सैण्ट्रल खुफिया एजेंसी को इसके साथ जोड़कर इस घोटाले को बाहर निकालना बहुत जरूरी है।

मेरा दूसरा सुझाव है कि ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन हो गये, वह 32 हजार करोड़ रुपये के हों या सात हजार करोड़ रुपये के हों, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसकी तो इनक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि उसका सारा रिकार्ड फेक रजिस्ट्रेशन पेपर्स के आधार पर है, उसे कैसे निकाला जाये, वह काम किस तरह हो और निकाला गया तो जिन लोगों ने खर्च करके रजिस्ट्रेशन कराया, अगर उसे निकाल देंगे, उसको खारिज कर देंगे तो दोबारा खर्च कौन देगा। मेरे बस दो-तीन ही सुझाव हैं। इसमें यह भी देखना है कि सरकार को भी इस बात में सही सिद्धान्त का पालन करना चाहिए।

तीसरी बात है कि पनिशमेंट तो होना ही चाहिए, जो लोग अपराधी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने से ही यह मामला खत्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में हमें फूलप्रूफ सिस्टम भी तैयार करना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को इतना फूलप्रूफ किया जाना चाहिए, हमारी प्रैस की सिक्योरिटी भी इतनी फूलप्रूफ की जानी चाहिए, इतने चैक्स एंड बेलेंस होने चाहिए, इस अनुभव के आधार पर यह सब व्यवस्था ऐसा करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा घटने का कोई मौका न आये।

मेरा चौथा सुझाव है कि 60 हजार करोड़ रुपया कहां गया, इतना पैसा किस अपराध में गया, किस तरह खतरे में आया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उस पैसे का पता लगाकर उसे

[श्री हन्नान मोल्लाह]

भी किसी तरह निकाला जाये, यह भी इन्क्वायरी का एक पहलू होना चाहिए। सिक्योरिटी प्रैस भी जहां-जहां रहेगी, उसका भविष्य में जो कार्यक्रम होगा, उसके काम को भी बहुत सही तरीके से करवाना चाहिए।

पूरे देश के पैमाने पर सही इन्क्वायरी हो, अपराधियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसा काम न हो, किस तरह इसे रोका जाये, इसका इन्तजाम किया जाये, यही मेरा सुझाव है।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, देश के सबसे बड़े 32 हजार करोड़ रुपये के तेलगी घोटाले पर मैं शिव सेना की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले दस वर्षों से देश के 72 शहरों और 18 राज्यों में यह स्कैम फलता-फूलता रहा है। अभी सारे सदस्यों ने यही पूछा कि सरकार को इसकी इंक्वायरी करने में इतना लम्बा समय क्यों लगा? इस बारे में उनको पहले खबर लगनी चाहिए थी, लेकिन उनको इसकी कोई खबर नहीं मिली। इस मामले में 177 लोग गिरफ्तार हुए हैं तथा हाल में अभी कुछ और लोग भी पकड़े गये हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ बड़े-बड़े राजनेता और पदाधिकारियों का भी अरैस्ट होना अभी बाकी है।

श्री अब्दुल करीम तेलगी ने अपने देश की 32 हजार करोड़ रुपये की राजस्व निधि का नुकसान किया है। उसके वकील ने बंगलौर में कहा कि यह घोटाला 32 हजार करोड़ रुपये का न होकर 60 हजार करोड़ रुपये का है। इसका मतलब यह है हमारे देश की 62 हजार करोड़ रुपये की राजस्व निधि का नुकसान हुआ है। अब उसके किसके साथ ताल्लुकात थे, उसने पैसा किधर भेजा, उसके साथ कौन से अधिकारी मिले हुए थे, इस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई में तो एस.आई.टी. इसकी जांच कर रही है। हाई कोर्ट ने भी एस.आई.टी. की डिमांड की थी लेकिन वहां विपक्ष के सारे सदस्यों ने यह मांग की कि सी.बी.आई. को इसकी जांच करनी चाहिए।

महाराष्ट्र शासन के जो अधिकारी हैं, वे सोचते थे कि एस.आई.टी. तो अपनी ही है इसलिए कभी भी हम उनसे कहकर फेर बदल कर सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट ने शासन को आदेश दिया कि इसकी जो भी रिपोर्ट होगी, वह उनके पास आनी चाहिए। उसके तुरंत बाद पता चला कि वहां एक-एक करके आफिसर अरैस्ट हो रहे हैं। श्री रंजीत शर्मा, कमिश्नर पुलिस तथा अन्य पुलिस वालों की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी सी.बी.आई. से होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने सी.एम., डी.सी.एम. को नोटिस दिया कि यह किस तरह से होगा तो वे एकदम चुप हो गये। महाराष्ट्र के मंत्रियों में घबराहट है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है?

महाराष्ट्र में लगभग 2200 करोड़ के नकली स्टांप पेपर बरामद हुए। आंध्र प्रदेश में 70 करोड़ रुपये के स्टांप पेपर्स बरामद हुए 205 करोड़ रुपये के कर्नाटक में तथा यू.पी. में 5 हजार करोड़ रुपये के नकली स्टांप पेपर्स बरामद हुए। इसी तरह दिल्ली में भी पकड़े गये। मेरा मानना है कि यहां जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए।

अब यह स्टाम्प पेपर कहां बने? नासिक में जो गवर्नमैंट सिक्योरिटी प्रैस है, उसका आफिसर श्री गंगा प्रसाद 1974 से वहां कार्यरत है। उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है। यह भी देखने वाली बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि पुरानी मशीन क्यों बेची गयी? क्या पुरानी मशीन बेचते समय आपने सैंट्रल गवर्नमैंट से अनुमति ली थी? वह भी नहीं ली। होम सैक्रेट्री ने जब दो बार इंक्वायरी की, तब उन्होंने पुरानी मशीन का उल्लेख किया था। अब रेलवे के कुछ लोगों ने भी 100 बार कम्पलेंट की है कि स्टाम्प पेपर के बंडल के बंडल जा रहे हैं लेकिन उनकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि श्री अब्दुल करीम तेलगी के संबंध दाउद इब्राहिम के साथ-साथ कई और लोगों के साथ हों। कई माननीय सदस्यों ने पूछा था कि क्या यह पैसा आतंकवादियों के लिए यूज होना था? इस बारे में कई अखबारों में आया है। माननीय आडवाणी जी ने कहा था कि इसमें विदेशी हाथ ज्यादा है। श्री अब्दुल करीम तेलगी ने ब्यूरोक्रेसी के साथ अच्छे संबंध बनाये हुए थे। उसे 1994 में इस चीज का लाइसेंस दिया गया। वह लाइसेंस तत्कालीन राजस्व मंत्री ने दिया था।

अपराह्न 2.00 बजे

तभी से इसकी शुरुआत हुई। बाद में उसने कई ऐसे फर्जी लाइसैंस बनाकर यह काम चालू किाय। इसका मतलब साफ है कि ब्यूरोक्रेसी उसके साथ थी। जांच होने के बाद कुछ ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के लिए सत्ता पक्ष के कुछ मंत्री भी उसमें सहयोगी बने, यह भी बहुत दुखभरी बात जनता के सामने आ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि उसने महाराष्ट्र में शुरुआत की, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली तक ऐसे 18 राज्यों में वह पहुंचा और उसने राजस्व का करोड़ों रुपये का नुकसान किया। हाई कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी इन्वैस्टीगेशन कर रही है, लेकिन आज वहां की परिस्थिति इतनी खराब हो रही है कि मकोका के अंदर कैद जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने कुछ पत्र भी वहां के महामहिम राज्यपाल को दिए। वे काफी गंभीर पात्र हैं। मैं आपको सब कुछ नहीं बताना चाहता लेकिन उसमें से कुछ-कुछ बताऊंगा। वहां के एक दो नम्बर के मंत्री डीसीएम ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह दो नम्बर के मंत्री क्या होता है।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे: वहां के उप मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप किया गया और उनके भतीजे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: क्या आप इसका उत्तरदायित्व लेते हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

ऐसे नाम लेना ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)* कोई भी कुछ भी बोल दे, यह ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: ठीक है। एक मंत्री के भतीजे ने कैसे-कैसे लोगों को बचाया, यह भी उसमें दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: यह ठीक नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: वह पत्र इतना महत्वपूर्ण है जो ऐरोडा जेल से महाहिम राज्यपाल को गया था। उसमें लिखा है-

[अनुवाद]

मुझे डी.सी.एम. के आदेश से निलम्बित किया गया था क्योंकि उन्होंने तेलगी को पूर्ण सुरक्षा देने का वायदा किया था और मैंने उन्हें 830 करोड़ रुपये की हानि करायी।

[हिन्दी]

830 करोड़ का लॉस हुआ। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इस पेपर की जिम्मेदारी ले रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे: वह लैटर सब जगह प्रस्तुत हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: अगर आप यहां किसी व्यक्ति के खिलाफ कह रहे हैं तो आपके खिलाफ वहां कोई बोल सकता है। आप ऐसा क्यों करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: उनको एक मंत्री के भतीजे ने बचा लिया। मैं यह तो बोल सकता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बोल सकते हैं या नहीं, यह प्रश्न मुझसे पूछिए, उनसे क्यों पूछते हैं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, मुझे क्षमा करें। पी.एस.आई. माने, जो तेलगी को गोवा ले गये थे, को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वह भी डी.सी.एम. के व्यक्ति हैं।

[हिन्दी]

मतलब ऐसे कई लोगों को वहां के डीसीएम ने बचाया, कई लोगों को तेलगी के लिए सपोर्ट किया है। मैं यह कहूंगा कि पत्र के आधार पर जो रिपोर्ट आ रही है, वहां के डीसीएम तो तुरंत निलंबित किया जाए, अरैस्ट किया जाए। *...(व्यवधान)* मुझे अभी बहुत बोलना है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैने हरेक को दस-दस मिनट दिए हैं। मंत्री जी ने उत्तर भी देना है।

श्री चन्द्रकांत खैरे: उनके भतीजे को भी जल्दी से जल्दी अरैस्ट करके इस बड़े कांड की जांच होनी चाहिए। उनमें बहुत कुछ लिखा है। मैं सब नहीं पढ़ूंगा लेकिन कहना चाहूंगा कि जो कुछ चल रहा है, उससे राजस्व का नुकसान हुआ है। अगर शुरुआत में ही कर्मचारी, अधिकारी और उनको बचाने वाले मंत्री या जी भी लोग रहे हैं, अगर वे तेलगी का साथ नहीं देते तो करोड़ों रुपये का घपला, करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान नहीं होता। जिस समय तेलगी को अरैस्ट किया गया तो उसे फाइव स्टार होटल में रखा गया था। उसे 85 दिन तक अरैस्ट रखा गया। उसे उसके घर में भी रखा गया। उसके बाद भिवंडी में जब साढ़े आठ सौ करोड़ के तेलगी के बनावटी स्टैम्प पेपर मिले, इसके बावजूद एफआईआर में उसका नाम नहीं डाला गया था। 350 करोड़ का जो मुद्रा घोटाला हो रहा है, इसे बचाने का क्या प्रयत्न उस समय के अधिकारी और डीसीएम ने किया था? यह मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोग, जब राणे साहब और मुंडे साहब की सरकार बनाने की कोशिश चल रही थी, उस समय जो भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के एम.एल.ए. बंगलौर गये थे, उनका पूरा खर्च तेलगी के भाई ने किया था। यह अखबार में न्यूज आई थी।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, हमें इस पर आपत्ति है। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: हमारे पास भी अन्य लोगों के नाम हैं *...(व्यवधान)* आप कोई दोषारोपण *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: यह सही है कि नहीं, यह तो वे देखेंगे *...(व्यवधान)* तेलगी अरैस्ट होने के बाद मोका में उसको क्यों लेट किया गया था।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उनका प्वाइंट आफ आर्डर है। चन्द्रकान्त जी बैठिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, माननीय सदस्य श्री किरीट सोमैया पूरी जिम्मेदारी से बोलें। मेरे यह मित्र भी जिम्मेदारी से बोलने में सक्षम हैं। यदि वे किसी के विरुद्ध दोषारोपण करते हैं तो उस बारे में तथ्य और आंकड़ों से प्रमाणित करना पड़ेगा। *...(व्यवधान)* अन्यथा, यदि आप कहें कि अखबार में ऐसी खबर छपी थी, तो वह अनुमत्य नहीं है। सभा में अखबार में छपी खबरों का संदर्भ देने की अनुमति नहीं है। जो आप समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं वह सही है तो उसकी अनुमति है। यदि आप समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं वह सही है और आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत में जाने दें। अन्यथा इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री शिवराज पाटील की बात से पूरी तरह सहमत हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: दूसरी बात करिए। यह बात छोड़कर दूसरी बात करिए।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे: यह सारे देश में चल रहा है और न्यूज पेपर में रोज आ रहा है। जो हम बता रहे हैं, वह हम लोग आधार से भी कह रहे हैं। सारी जनता को मालूम है। *...(व्यवधान)* क्या यहां सदस्यों को यह मालूम नहीं हो सकता? *...(व्यवधान)* मैं यह कहूंगा कि तेलगी को जिसने बचाया, वहां की पूरी महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका समय हो गया है। अब समाप्त करिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे: वहां होम मिनिस्ट्री के कारण से यह सब हुआ। वहां डी.सी.एम. को मंत्री जी को सस्पेंड करना चाहिए। *...(व्यवधान)* तेलगी की औरत और उसकी लड़की के पास कई स्टैंप पेपर मिले लेकिन उनके नाम एफ.आई.आर. में नहीं आए। ये सारी बातें दुनिया के साने आ रही हैं और वहां की सरकार तेलगी को बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रही है, यह ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)* समाज सेवक अन्ना हजारे अगर कोर्ट में नहीं जाते तो तेलगी का अफरोज रजाक जैसे बीच में छूट गया था, वैसे ही इसका भी छूट जाता। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जो भी करेंसी प्रैस में वहां के अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से यह काम चालू हुआ, जो काम तेलगी ने किया, सारे देश को 7000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान किया और उनके साथ-साथ जो-जो भी अधिकारी लोग होंगे, जो-जो भी राजनीतिज्ञ लोग होंगे, उन सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से मांग करता हूं और किरीट सोमैया जी और शिवराज जी ने कहा कि जो भी पेपर्स आए थे, उसके ऊपर किसी के जो भी एग्रीमेंट हुए होंगे, उनको भी कानूनी समझें। ऐसी विनती करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह एक अंतर-राज्यीय षडयंत्र है। षडयंत्र एक चलती हुई ट्रेन के समान है। लेकिन इस षडयंत्र का कोई आदि अंत होना चाहिए। इस षडयंत्र के पीछे कौन है। इसके पीछे किसका हाथ है।

महोदय, इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई द्वारा जांच कराये जाने का अनुरोध किया था, और इसके लिए उसने न्यायालय में भी अपील की थी। विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1947 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार केन्द्र सरकार को किसी मामले की सीबीआई जांच की अनुमति प्रदान करने के लिए पत्र लिखती है, तो केन्द्र सरकार को इसकी अनुमति देनी होती है। इसके लिए न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं होती।

महाराष्ट्र सरकार को इस चरण पर न्यायालय जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। आमतौर पर विशेष पुलिस स्थापना के अधिकार क्षेत्र पर राज्य द्वारा अमल नहीं किया जाता था। ऐसा हमारे संघीय ढांचे को यथावत् बनाये रखने के लिए किया गया था। इसलिए, पदासीन होते समय महाराष्ट्र सरकार को इस बारे में सहमति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन विशिष्ट मामलों में वे सहमति प्रदान कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि महाराष्ट्र सरकार ने विशिष्ट पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत तुरंत सीबीआई जांच कराने की अनुमति क्यों नहीं प्रदान की? मैं कानून की दृष्टि से बात कर रहा हूं।

इस तरह के षडयंत्र में 100 से अधिक लोग शामिल होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नकली नोटों की छपाई के लिए भी 20 से 30 लोगों की आवश्यकता होती है जिसमें रंग मिश्रित करने के लिए सुनार की, बल्कि निर्माता की, मुद्रक की, वित्त पोषण और वितरक तथा कई दूसरे लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने अधिक लोग शामिल होंगे। केवल तेलगी का ही नाम बार-बार लोगों के सामने आ रहा है। इसमें इस अपराध करने के पहले, अपराध करने के समय तथा अपराध करने के बाद किन-किन की आवश्यकता हुई उसका उल्लेख नहीं हो रहा है।

हमें यह बात पता चलनी चाहिए कि इसमें वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज हुए हैं या नहीं तथा कहीं वास्तविक षडयंत्रकारियों को मात्र अपराधी के रूप में तो नहीं दर्शाया गया है। इस पहलू पर जांच की जानी चाहिए और यह मामला अभी तो न्यायालय के समक्ष ही है। इस मामले पर मैंने यहां पर दोनों पक्षों के विचार सुने हैं। इसीलिए मै भी थोड़ा हिचकिचा रहा हूं क्योंकि यह मामला न्यायालय में लंबित है। इसमें निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और न ही निर्दोष लोगों को फंसाया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के मामले में आरोप-पत्र दाखिल करने के पहले समग्र पहलुओं की जांच होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में, कम से कम अभी आरोप-पत्र दाखिल नहीं हुआ है और यह मामला अभी भी जांचाधीन है। इसलिए सीबीआई द्वारा इस मामले की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए।

उपनेता ने सभा को यह बताया है कि इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच किये जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका लंबित है। इसीलिए मैंने कहा है कि यदि केन्द्र सरकार सहमति देती है, तो उच्चतम न्यायालय के पास सीबीआई जांच कराने के आदेश देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता है। यदि केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय में जाती है और यह कहती है कि ''हम सहमति दे रहे हैं'' या महाराष्ट्र सरकार यह कहती है कि ''हम केन्द्र की सहमति ले रहे हैं'' तो यह मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। उच्चतम न्यायालय उनके अनुरोध को ठुकरा नहीं सकता। केवल उन मामलों में जहां सीबीआई जांच के आदेश में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच कोई मतभेद होता है केवल तभी न्यायालय कोई भूमिका निभा सकता है।

अब, कम से कम महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय में जा सकती है और कह सकती है कि ''हम सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं। कृपया सीबीआई जांच के आदेश करने में की हमारी मदद करें। तो फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा।

यहां पर एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं कर रहा है कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें इस तरह की कागजों की जरूरत ही न रहे और हमें स्टांप पेपर खरीदने की आवश्यकता ही न पड़े। हम राज्य कोषागार में देय राशि का भुगतान करेंगे और हमारे दस्तावेजों का पंजीकरण करा सकते हैं अथवा हम स्टांप पेपर वगैरह पर चिपकाने वाले स्टांप चिपका सकते हैं। हमें इसी तरह के उपाय करने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहरायी न जा सकें। इस तरह के दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए किस तरह कम से कम कागजी कार्रवाई हो इस बारे में सुझाव दिये जा सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, देश में घोटाले पर घोटाले निकल रहे हैं। इससे देश में बड़ा भारी अविश्वास का वातावरण बन रहा है। लगता है हम अंधकार में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रकाश की किरण भी दिखाई देती है। वह इस तरह से दिखाई देती है कि घोटाले तो हो रहे हैं, उजागर भी हो रहे हैं और कुछ लोग भी पकड़े जा रहे हैं। यह अच्छा लक्षण है। लेकिन जहां देखा जाये, वहीं घोटाला है। स्टाम्प पेपर वाले घोटाले में पहले हमने सुना कि 2000 करोड़ रुपये का घोटाला है, फिर सुनने में आया कि नहीं 32,000 करोड़ रुपये का घोटाला है और अब उससे भी आगे का सुनने को मिल रहा है। यह भी पता चला है कि यह घोटाला 19 राज्यों में और 85 शहरों में फैला हुआ था। सरकार को पता नहीं है कि कितने दस्तावेज इन जाली स्टाम्प पेपर्स पर किए गए हैं और अब क्या किया जाए।

मैं मंत्री जी से स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जब यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, तब इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक की 12 मशीनें जो सही काम कर रही थीं, उनको खराब बताकर तेलगी के हाथ में बेच दिया गया? हां या न में बताएं। क्या वह त्रुटिपूर्ण और खराब मशीन नहीं थी? उसमें जो डिजाइन होता था और रोशनाई होती थी, इन सब के

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

साथ उसे बेच दिया। 12 मशीनों में से दो मशीनें बरामद हुई और दस मिल नहीं पायी हैं। क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के एक मंत्री ने पत्र लिखा, पैरवी की, सिफारिश की और तब उसे बेचा गया। तेलगी रेलवे स्टेशन में फल और सब्जी बेचता था। वह हर्षद मेहता जैसे साधारण परिवार का आदमी था। हर्षद मेहता के बाद तेलगी का नाम सामने आया। वह कर्नाटक के बेलगांव का रहने वाला था। उसे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के अफसर जो वहां कारोबार कर रहे थे, उनसे लाभ था। गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की बात कही गई लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इसकी सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे क्योंकि किसी दूसरी एजेंसी से जांच चल रही है लेकिन बाद में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सीबीआई से जांच करायेंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है इसलिए इसकी सीबीआई से जांच नहीं करायी जा सकती है। ऐसी हमें अखबारों से जानकारी मिली है। तेलगी और उसके परिवार वालों को बचाने का काम किया गया। इस मामले में 60-62 गिरफ्तारियां भी हुई हैं।

आज किरीट सौमैया जी ने यह सवाल उठाया। जो गलत काम करके चला जाता है तो एफआईआर दर्ज की जाती है। वैसे ही हमारी तरफ से यह काम होना चाहिए था लेकिन उसे सत्ता पक्ष के लोगों ने उठाया। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। यह मामला पहले उनको उठाना चाहिए था। उन्होंने नहीं उठाया तो हमें पहले यह मामला उठाना चाहिए था। बड़ी विचित्र स्थिति है। सत्ता पक्ष की तरफ से ही यह मामला आ गया और उन्हीं की तरफ से यह बात आई कि घोटाला हो रहा है। इसे देखने की जिम्मेदारी किसकी है? रोज घोटाले हो रहे हैं। ऐसे घोटाले किस के राज में हुए और क्यों हुए? आप अखबारों में ऐसे घोटालों की खबरें देखते होंगे। आज देश भर के मेधावी छात्र परेशान हैं। कुछ लोगों ने प्रैस को ही खरीद लिया। जो प्रेस में तरह-तरह के आईएएस और आईआईटी परीक्षा के क्वैश्चन छपते थे, वहां उन्हें निकाल लिया जाता था। माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को साफ करें कि देश में कई बरसों से जो चर्चा चल रही है कि जाली नोट छप रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? भारत सरकार इस बीमारी को दबाने के लिए षडयंत्रकारियों को बचाने का काम कर रही है। वह कैसे कर रही है, मैं इसका सबूत देना चाहता हूं। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने बृहस्पतिवार को स्टाम्प पेपर घोटाले को गम्भीर मामला बताते हुए कहा कि इसमें उन्हीं लोगों के हाथ होने की आशंका है जो सरहद पार से आतंकवाद के माध्यम से देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में कुछ भी गड़बड़ हो तो कहा जाता है कि यह पाकिस्तान से हो रहा है, इसे आईएसआई कर रहा है। जो असली षडयंत्रकारी लोग हैं, घोटालेबाज लोग हैं, उन्हें बचाने के लिए गृह मंत्री का बयान पर्याप्त है। यहां से मशीनें खरीदी, डिजाइन खराब नहीं किया, डिजाइन सहित उन्हें खरीद लिया, रोशनाई भी उसमें से खरीद ली। मशीन खरीद लिया, कागज निकल गया, डिजाइन है ही, रोशनाई है ही और वह खूब स्टाम्प पेपर छापने लगा। देश में क्या गलत काम हो रहे हैं, यह देखने की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी की है लेकिन वह कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेरारिज्म की तरह बाहर से आ रहा है। वह यहां का षडयंत्रकारी लेकिन कहा जाए कि वह बाहर से हो रहा है, क्या उन्हें बचाने के लिए यह पर्याप्त बात है या नहीं? उन्हें यह बात कहां से पता लगी और उन्होंने इसकी कैसे जांच की, यह देश जानना चाहता है। इस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। यह तो वही बात हुई ''कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना'' इन सब में नौकरशाही पूरी तरह असफल रही है या नहीं? यह वर्तमान व्यवस्था की पूरी विफलता है या नहीं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माननीय सदस्य बताते हैं कि मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा लेकिन उस पर ढिलाई बरती गई। हम काफी समय से इस कांड के बारे में सुनते आ रहे हैं। इस देश में व्यवस्था में कुव्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है जो खराब बात है। इस मामले में सख्ती करने की आवश्यकता है। स्टाम्प पेपर मामला चौपट है, उसमें लेकुना है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसमें कानून बनाने की आवश्यकता है। यह बदलाव कैसे होगा, लोगों में विश्वास कैसे पैदा होगा, सरकार इस पर विचार करे।

अध्यक्ष जी, गांव के लोग स्टाम्प पेपर खरीदने जाते हैं लेकिन वे जानते नहीं कि जो स्टाम्प पेपर खरीदा जा रहा है या जो दस्तावेज बन रहे हैं, वे जाली हैं। वे कैसे समझेंगे? उन गांव वालों में पैनिक हो गया है। इस मामले में भारी अव्यवस्था और अराजकता हो गई है। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी तो सुनने में आया है कि देश के 19 राज्यों में यह घोटाला फैला हुआ है लेकिन हो सकता है कि सारे देश में ही फैला हुआ हो। जाली स्टाम्प पेपर के आधार पर एम.बी.ए. का दाखिला तेलगी ने करवाया, इंजीनियर 60 लाख रुपये में खरीदा, उसे बहाल किया और बहाल करके एजेंट बनाकर देशभर में फैला दिया। देश में भारी बेरोजगारी है, इसलिए जाली स्टाम्प बेचने लगा। देश के लिए चिन्ता की बात है। इस राज्य में घोटाले पर घोटाला हो रहा है। जब से यह सरकार आयी है, घोटाले पर घोटाला हो रहा है और सरकार सभी घोटालों को दबाना चाहती है और अपराधियों को पकड़ना नहीं चाहती। इससे लोगों में अविश्वास की भावना पनप रही है। इसमें ब्यूरोक्रेसी की विफलता है। जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं किया जायेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से इन सब बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अनादि साहू (बेरहामपुर, उड़ीसा): अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि किसी देश के नैतिक मूल्य लोगों के दांतों की

तरह होते हैं, जितना अधिक वे कमजोर होंगे उनको छूने पर उतनी ही अधिक पीड़ा होगी। इस देश में अब यही कुछ हो रहा है।

इस देश में समाज में एक तरह की गिरावट आयी है जिसके कारण हमारे समक्ष कई तरह के घोटाले आ रहे हैं चाहे यह शेयर घोटाला हो या फिर नकली स्टाम्प पेपर घोटाला। नकली स्टांप पेपर घोटाले में मुनाफा बहुत अधिक है और लागत बहुत कम। यह एक ऐसा रैकेट है जिसमें पूंजी न के बराबर लगी है। इसकी शुरुआत 1992-93 में हुई थी और 1994-95 में इसकी शाखाएं पूरे देश में फैल गयीं। इसकी शाखाएं इतनी मजबूत और लम्बी थी कि शीघ्र ही ये पूरे देश में फैल गयी। अब, दस वर्ष के बाद इस देश के 72 कस्बों और 18 राज्यों के लोग इस नकली स्टांप घोटाला में किसी न किसी तरह से शामिल पाये गये हैं।

जैसाकि मैंने कहा कि यदि देश के नैतिक मूल्यों की परख की जानी है तो उन्हें इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं। केवल स्टांप पेपर ही नहीं कुछ दूसरी नकली चीजें बनायी और बेची जा रही है। ये हैं: न्यायिक कोर्ट फीस स्टांप, गैर-न्यायिक स्टांप, राजस्व स्टांप, विशेष एडहेसिव स्टांप, नटरी स्टांप, फॉरेन बिल, ब्रोकर्स नोट्स, बीमा पॉलिसी, शेयर हस्तांतरण, बीमा एजेंसी स्टांप इत्यादि। ये सब नकली बनती हैं और इन्हें असली के रूप में बेचा जाता है। इससे राजकोष में लगभग 32,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक का नुकसान हो चुका है। गत दस वर्षों में इस तरह की बहुत सी बातें हुई हैं और यह विभिन्न तरह की जालसाजी और भ्रष्टाचार के कारण ही संभव हो पाया है। यह इसके सरगना अकेले अब्दुल करीम तेलगी का कारनामा नहीं हो सकता। एक अकेला आदमी सरकार में विभिन्न पदों पर बैठे लोगों, राजनीतिज्ञों और अधिवक्ताओं की सहायता के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। हमने इस घोटाले में अधिवक्ताओं की संलिप्तता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जबकि इसमें वे भी शामिल हैं।

इस तरफ के कार्यकलाप में सीधे तौर पर संपर्क करने की आवश्यकता होती है। इस बारे में कितने लोगों से संपर्क किया गया है।

दूसरी बात है सीधे तौर पर बिक्री किये जाने की। जब नकली स्टांप पेपर की बिक्री होती है तो इनको बेचने वाले व्यक्तियों और संपर्क साधने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण दिया जाता है। इसी तरह तीसरी बात संपर्क साधने की है। चौथी बात है समस्या पैदा करने वाले लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं।

इस तरह के घोटाले में ये चार तरह के लोग शामिल होते हैं। इन सब लोगों को एक मिस्टर वाहिद, एक मिस्टर यादव, एक मिस्टर गोटे, एक मिस्टर रसिक कुलकर्णी, जो अधिवक्ता हैं तथा दास, पटौदी और दिल्ली में रहने वाले कई दूसरे लोगों का समर्थन प्राप्त रहा है।

महोदय, इसीलिए नकली स्टांप पेपर बेचने का इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जा सका। सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता है। इस घोटाले को फलने-फूलने का मौका जिनकी वजह से मिला वे हैं—एएसआई दलीप पांडुरम कामथ, जिसने करोड़ों रुपयों की संपत्ति एकत्रित की है, इंस्पेक्टर पी.आर. देशमुख, एसीपी, मुलानी, डीसीपी सावंत, आई.जी. श्रीधर वागल तथा पुलिस कमिश्नर आर.एस. शर्मा।

यह इतिहास की विडंबना ही है कि इस समय सीबीआई के निदेशक पद पर जहां एक ओर 1968 के बैच का एक अधिकारी है, वहीं दूसरी ओर आईपीएस का 1968 के बैच का एक दूसरा पुलिस अधिकारी आर.एस. शर्मा है। इस घोटाले में संलिप्त होने के कारण जेल में है।

महोदय, यहां पर मैं पुलिस के उपमहानिरीक्षक की प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाने का साहस दिखाया। ये पुलिस के डीआईजी श्री सुबोध जायसवाल थे। उन्होंने पहली बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों की कारगुजारियों की ओर उंगली उठायी।

महोदय, दुर्भाग्य से महाराष्ट्र सरकार ने अपनी प्रशासनिक कार्यों का परित्याग कर दिया और इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जिसके कारण उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।

महोदय, कार्यपालिका ने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। इसी कारण उच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके सभी पहलुओं की जांच के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया।

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनादि साहू: महोदय, कृपया मेरे साथ सहयोग करें। मैं चार मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

महोदय, उच्च न्यायालय ने एक विशेष जांच दल की स्थापना की थी क्योंकि कार्यकारी प्राधिकारी ने अपनी शक्तियां त्याग दी थी। इस पर गौर करना होगा।

अब, महोदय, इस घोटाले का जनक तेलगी, चालबाजी, निर्दयता, ब्लैकमेल और दुकानदारी उसमें दुकानदारी की योग्यता भी थी— के माध्यम से बहुत सा पैसा बनाने में सक्षम हुआ और नासिक स्थित सिक्युरिटी प्रैस में भी सेंध लगा सका और कुछ हद तक

[श्री अनादि साहू]

हैदराबाद स्थित सिक्युरिटी प्रैस में भी सेंध लगाई। हमने हैदराबाद स्थित सिक्युरिटी प्रैस पर ध्यान नहीं दिया है। उसने इन स्थानों तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते बना लिए थे और वह अपने साथियों सहित समाज के एक परजीवी के रूप में सामने आया। अब, हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

चूंकि, मुझे अधिक समय नहीं मिला है, मैं केवल पांच से छह मुद्दे ही रखूंगा। क्या किया जाए? पहले, विभिन्न राज्यों के साक्ष्य एकत्रित करके उनका आपस में मिलान किया जाए। इस कार्य के लिए सी.बी.आई. तथ्यों को एकत्रित करके उनका मिलान करने हेतु उचित प्राधिकारी होगी।

दूसरा मुद्दा अब्दुल करीम तेलगी का सिमी और आई.एस.आई. से संबंध है। समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि कोलकाता में तेलगी सिमी के लोगों के सम्पर्क में आया था। अत: जहां तक विभिन्न एजेंसियों को पैसा देने का संबंध है, सिमी और आईएसआई के बीच के सम्पर्क का पता लगाना पड़ेगा।

अब, इसमें काले धन को सफेद करने का प्रश्न है। वह पैसा कहां गया? उसका पता लगाना पड़ेगा।

इसके बाद नासिक स्थित सिक्युरिटी प्रैस का पुनर्गठन करना है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह देखना पड़ेगा कि किस प्रकार विभिन्न तरीकों से 'डाइयों' के विभिन्न टुकड़ों को निलामी के माध्यम से एक ही व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया।

अगला मुद्दा यह है कि, जहां तक घोटालों का सम्बन्ध है तो कानून व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक हम कानून व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करते तब तक इस प्रकार के घोटाले होते रहेंगे।

परिवहन की भी चूक रहित प्रणाली बनानी पड़ेगी क्योंकि रेल से इनके परिवहन के दौरान इन्हें लूट लिया जाता था। अत: इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को आगे आना पड़ेगा जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा कि यह एक ऐसी बहस है जिसमें इस देश की अर्थव्यवस्था और राजस्व के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा है।

अध्यक्ष महोदय, हम यह जानते हैं कि इस देश में ऐसे बहुत से घोटाले उजागर हुए हैं जिनमें प्रशासन के उच्चाधिकारी तथा राजनैतिक व्यक्ति सम्मिलित थे; और हम बार-बार एक दूसरे के विरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप लगाकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। लेकिन आज मैं स्वयं को ऐसा करने से दूर रखूंगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि जिन दो राज्यों—कर्नाटक और महाराष्ट्र में तेलगी की जांच का कार्य चल रहा है उनमें हमारी सरकारें हैं अपितु ऐसा इसलिए है कि इससे संबंधित इतिहास उन अन्य 16 राज्यों में अन्य 16 सरकारों तथा 72 कस्बों से वर्षों से जुड़ा रहा है जो इस राज्य तथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब यह पूरा मुद्दा प्रकाश में आया तो कांग्रेस अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी ने एक वक्तव्य जारी किया था, मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> "महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जाली स्टाम्प पेपर रैकेट में जांच के सार्वजनिक होने से यह पता लगता है कि यह एक ऐसी आपराधिक कार्यवाही है जिसकी कोई अन्य मिसाल नहीं है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि भविष्य में इस प्रकार के अपराध न हों, इस जांच कार्य को बिना किसी अवरोध के चलने देना चाहिए। इसमें सम्मिलित सभी लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज होने चाहिएं। दोषी लोगों को किसी भी पक्ष की ओर से कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।"

हम, विपक्ष की नेता, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा व्यक्त किए गए इस रुख का समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं सबसे पहले कर्नाटक सरकार को बधाई देना चाहूंगा। कर्नाटक सरकार सबसे पहले इस घोटले की गहराई में गई थी। दिनांक 19 अगस्त, 2000 को बंगलौर शहर की पुलिस ने जाली स्टैम्प पेपर तथा अन्य सामग्री जब्त की और एक मामला दर्ज किया। प्रारंभ में यह सूचना मिली थी कि 12 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इस जब्ती और गिरफ्तारी ने सनसनी फैला दी; कर्नाटक के बेलगांव जिले के खानापुर का रहने वाला तथा अब मुम्बई का स्थायी निवासी, मुख्य अभियुक्त अब्दुल करी मलाला साहेब से लगी फरार था। कुछ और गिरफ्तारियों के पश्चात बंगलौर पुलिस ने 14 नवम्बर, 2000 को 20 आरोपियों के विरुद्ध एक आरोपपत्र दाखिल किया जिसमें तेलगी सहित सात व्यक्तियों को फरार दिखाया गया था। दिनांक 7 नवम्बर, 2003 को बंगलौर शहर की पुलिस ने राजस्थान के अजमेर शहर से तेलगी को गिरफ्तार किया और उसे लाया गया तथा बंगलौर में उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

उसकी गिरफ्तारी से और उत्तेजना फैली तथा उसकी गिरफ्तारी में हुए विलंब ने और विवाद पैदा किया। यह मुद्दा कर्नाटक विधानसभा में बड़े जोर-शोर से उठा तथा अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में कर्नाटक राज्य सरकार ने बंगलौर में एक विशेष जांच दल का गठन किया जिसे एक संख्या विशेष के अन्तर्गत स्टैम्पिट

(एस.टी.ए.एम.पी.आई.टी.) का नाम दिया गया और आगे गिरफ्तारी और जांच का कार्य चल रहा है।

श्री पांडियन ने कहा था कि आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है। बंगलौर की एस.टी.ए.एम.पी.आई.टी. ने लगभग सभी मामलों के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसे पहली बार नवम्बर 2000 में उजागर किया गया था।

यदि मैं गलत नहीं हूं तो 20 जून, 2002 को इंडियन सिक्यूरिटी प्रैस मजदूर संघ, नासिक रोड, जो कि हिन्द मजदूर सभा, न कि कांग्रेस, से सम्बद्ध है, के नेता श्री पी.आर. कुलकर्णी ने तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा स्टैम्प पेपर घोटाले के संबंध में दिए गए वक्तव्य पर एक अनुस्मारक दिया था।

अध्यक्ष महोदय: समय की कमी है। कृपया प्रत्येक बात उद्धृत न करें केवल उसका सार बता दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ठीक है। वित्त मंत्री जी को स्मरण कराते हुए उन्होंने उनसे उनके कर्मचारियों को इसमें आरोपित न करने के लिए कहा था तथा इसकी जांच संसदीय समिति से कराने के लिए कहा था। उन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि वह निलामी कैसे हुई।

महोदय, मैंने आपकी अनुमति मांगी है और यह सूचना दी कि तीन बहुत महत्वपूर्ण पत्राचारों को सभा पटल पर रखूं, पहला है 22 नवम्बर, 2003 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा उप-प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र*, दूसरा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा 11 जुलाई, 2002 को वित्त मंत्री को लिखा गया पत्र**, तीसरा है कर्नाटक के गृह मंत्री द्वारा 16 अप्रैल 2003 को वित्त मंत्री को लिखा गया पत्र***। समय की कमी के कारण, मैं यह चाहूंगा कि इन तीनों पत्रों को सभा पटल पर रख दिया जाए, जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित किया है। वर्तमान वित्त मंत्री जी के पास वे पत्र हैं और वह यह देख सकते हैं कि किस प्रकार कर्नाटक सरकार इस मामले से अकेले ही निपटी और केन्द्र सरकार को इस मामले से अवगत रखा जिससे कि वह समुचित रूप से हस्तक्षेप कर सके और नई सुरक्षा प्रणाली आदि लगा सके।

इसलिए, कर्नाटक सरकार, जिसने सबसे पहले इस मामले को उजागर किया और महाराष्ट्र पुलिस के इस मामले में सम्मिलित होने से बहुत पहले बहुत अच्छा कार्य किया, इस सभा में हम सभी की बधाई की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्व आसूचना और हमारा आसूचना ब्यूरो इस सबसे अनभिज्ञ कैसे रहा? यह कोई नई बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ा रैकेट है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के सम्मुख निम्नलिखित चार बिंदु विचारार्थ रखता हूं। क्या वह इन पर विचार करेंगे?

क्या वह वर्तमान घोटाले को ध्यान में रखते हुए स्टैम्प अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेंगे? दूसरे, क्या वे न केवल स्टैम्प पेपर अपितु करेंसी नोटों की छपाई के संबंध में भी कोई नए सुरक्षा उपाय करेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि कल को यही कार्य करेंसी नोटों के मामले में भी हो सकता है। कौन जानता है कि कहां क्या हो रहा है? भारत की पूरी सिक्यूरिटी प्रैस को एक नई सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है।

वह जितने चाहें उतने विशेषज्ञों से परामर्श कर सकते हैं। संसद परिसर में आतंकवादियों के हमले के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने नई सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु एक समिति का गठन किया था, जो कि मेरे विचार से एक अच्छा कार्य है। वह इस घोटाले के उजागर होने के बाद, राष्ट्रीय सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रैसों, चाहे वे हैदराबाद में हों या नासिक में हों या जहां कहीं भी हों, में उपलब्ध कराए जा सकने वाले अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को अपनाए जाने के संबंध में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से परामर्श करने पर विचार क्यों नहीं कर सकते। तीसरे, करेंसी नोट के मामले में सीरियल नम्बर एवं सीरिज नम्बर होता है। क्या व करेंसी नोट की तरह ही सिक्योरिटी मुद्रण दस्तावेजों जैसे स्टाम्प पेपर के संबंध में ऐसी ही कोई प्रणाली इजाद करेंगे? यदि वह ऐसा करते हैं, तो सरकार को पता चल पायेगा कि 'के' सीरीज केरल को दी गयी है, 'एक्स' और 'वाई' सीरिज बंगाल को दी गई है आदि जिससे कि भविष्य में कुछ होता है, तो सरकार को तुरंत पता चल जायेगा।

मेरा अंतिम सुझाव सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रैस की समग्र सामग्री की नीलामी योजना के बारे में है—चाहे वह स्याही, रंग, उपकरण या फिर मशीनें आदि की हो। किसे नीलाम करना है और किसे प्रिंटिंग प्रैस के अंदर ही नष्ट करना है, इस संबंध में एक रैगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए मैं समझता हूं कि सब कुछ शुरू होता है उपकरणों तथा मशीनों के दुरुपयोग से। कहानी वहीं से शुरु होती है। इसलिए अगर वित्त मंत्री इन सुजावों पर विचार करें तो मुझे खुशी होगी।

श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा दिए गए जवाब में मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सीबीआई जांच का विरोध कोई नहीं कर रहा है। वे श्री अन्ना हजारे की प्रशंसा करते हैं और मैं उनको उद्धृत करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि एसआईटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इसलिए सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं। श्री बाल ठाकरे, जो उनके नेता हैं को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। टेलीविजन पर एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा

---

* [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या ए.टी. 8757/2003]

** [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या ए.टी. 8755/2003]

*** [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या ए.टी. 8756/2003]

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

कि एसआईटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं और अब आप ऐसा कह रहे हैं। यदि हम लोगों को छुपाना है, हमें इस बात का डर है, तो हम सीबीआई नहीं जाते। उसके बाद, वे मुम्बई उच्च न्यायालय गए। कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं। अब मामला उच्चतम न्यायालय में जा रहा है। अब अगर सीबीआई जांच करती भी है, तो इस पर कौन आपत्ति कर रहा है? हम सब भी यही चाहते हैं। लेकिन प्रक्रिया शुरू हुई थी कर्नाटक और महाराष्ट्र से और अगर उच्च न्यायालय और वहां की सरकारें महसूस करती हैं कि सब ठीक हो रहा है, तो आप क्यों महसूस करते हैं, कि इसकी जांच केवल सीबीआई ही कर सकती है? हो सकता सीबीआई पर आपको विश्वास हो किसी अन्य को सीबीआई पर विश्वास न हो। अतः, इस पर न्यायालय को निर्णय देने दीजिए। इस पूरी जांच की हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए।

आइए इस सदन में हम संकल्प लें—चाहे वह नौकरशाही हो, वकील, पुलिस आयुक्त या फिर किसी पक्ष के राजनीतिज्ञ, देश को इस मामले में किसी से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर ये संकल्प लें, तो मैं समझता हूं कि इस मामले में भारत सरकार अच्छा कार्य कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय: अंतिम वक्ता श्रीमती रेणुका चौधरी हैं, उसके बाद माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती रेणुका चौधरी जी, मैं आपको केवल पांच मिनट दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं सभी पत्राचारों को सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अधिप्रमाणित पत्राचारों को आप सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। मुझसे पहले मेरे मित्रों द्वारा तेलगी मामले पर कही गई बातों से मैं इस हद तक संबद्ध होना चाहती थी कि जो कुछ मेरे मित्रों ने कहा है मुझे इन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति चिंतित होने के नाते आज इस मामले पर विचार करना चाहिए कि देश में जो कुछ चल रहा है, तेलगी मामला उसका छोटा सा अंश मात्र है। इस घोटाले में अंतर्ग्रस्त धन के खुलासे का अभी तक कोई अधिकारिक विश्लेषण नहीं हुआ है। संभवत: इसमें राष्ट्रीय बजट आवंटन से भी कहीं अधिक राशि अन्तर्ग्रस्त है।

महोदय, इस तरह की सेंध केवल तेलगी द्वारा ही नहीं की गई बल्कि सभी सेक्युरिटी पेपर द्वारा भी की गई है। जिन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है वे हैं—स्टाम्प पेपर, पासपोर्ट तथा नोटों की प्रिंटिंग। आज भारत में जाली करेंसी के चलन की समस्या पहले से ज्यादा है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा और न ही इस पर विचार किया जा रहा और न ही जांच की जा रही है। अत:, मैं अपने साथियों और मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि वे पूर्वोपाय के रूप में सक्रिय (प्रोएक्टिव) हों ताकि देश में तेलगी जैसी दूसरी घटना न होने पाये जिस पर हम बाद में कार्यवाही करते रहें।

मैं इस बात से अवगत हूं कि भारत में करेंसी नोट में बदलाव आने वाला है, जिसमें सिक्योरिटी विशेषताएं शामिल होगी ताकि देश सुरक्षित रह सके। इन जाली नोटों का न केवल सीमा पर ही पता लगाया जाना चाहिए बल्कि पुलिस, रक्षा तथा उत्प्रवास क्षेत्रों में भी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि हस्तचालित उपकरणों से जाली करेंसी की पहचान की जा सके।

इन सबको देखते हुए अगर भारत में करेंसी प्रिंटिंग के इतिहास पर नजर डाली जाये तो हम पायेंगे कि अप्रचलित तकनीक प्रयोग में लाई जाती रही है, जो आज भी अपनायी जा रही है। पोर्टल कम्पनी जो भारत में काली सूची में थी बाद में हम उनकी प्रौद्योगिकी और मशीनरी खरीदने के पक्ष में हो गए। यह बड़े रहस्य की बात है कि इसे बदला गया फिर स्वीकार किया गया और आज भी अपनाया जा रहा है। महोदय, इसी के साथ ही बड़े और महत्वपूर्ण देशों द्वारा त्यागी गयी अप्रचलित प्रौद्योगिकी भारत में खपायी जा रही है। अभी भी, करेंसी नोटों के लिए कागज, जो सूत और रेशे से बना होता, भारत उनसे 7000 रुपए की दर से खरीदता है जबकि अनेक देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह 5000 रुपए से भी कम की दर से उपलब्ध है। विशेषताएं बदलने के लिए स्थायी कदम उठाने से पहले इन विसंगतियों और बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, अगर आप इन सब मामलों पर ध्यान देंगे, तो पायेंगे कि अगर आपके पास निपुणता नहीं है, जो हमारे पास नहीं है, केवल अस्थायी नौकरशाहों का समूह है, जिन्हें भेज दिया जाता है, उन्हें किसी विषय पर ध्यान केन्द्रित करने नहीं दिया जाता और केवल सिक्योरिटी कर्मी हैं जो तात्कालिक निर्णय लेते हैं कि कितनी करेंसी छापनी है और क्या-क्या विशेषताएं रखनी हैं, को पूरी सूचना नहीं होती। हमें विकसित देशों, जैसे अमेरिका, जापान,

यूरोपीय संघ, ब्रिटेन का पालन करना होगा। इन सब बातों पर विचार किए बिना हम क्यों ताइवान और अन्य देशों द्वारा उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं जिसने यहां जाली करेंसी की घुसपैठ भारत के समान है? महोदय, सबसे ज्यादा विकसित स्विटजरलैंड (फ्रैंक) ही ऐसा देश है जो सिक्योरिटी विशेषताएं अपना रहा है। जालसाजों को यहां दुखदायी अनुभव होता है। कोई भी राष्ट्र सिक्योरिटी विशेषताओं को छोड़ नहीं सकता। वे उसमें वृद्धि करते रहते हैं ...*(व्यवधान)*

मुझे और भी अनेक महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मेरी एक और चिंता है। पाकिस्तान ने मिल माडर्नाइजेशन की स्थापना की है, जो विंडो-थ्रेड प्रौद्योगिकी प्रिंट करेगी। जैसाकि आप जानते हैं, पाकिस्तान में विंडो-ग्रेड प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जाता। अत: इस क्षेत्र में हमें पाकिस्तान से शिक्षा लेनी होगी ताकि हम सुरक्षित रह सकें।

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान इस विषय पर अपनी जो चिंताएं व्यक्त की हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चिंताएं देश की आर्थिक सुरक्षा से संबंधित हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। नकली स्टांप पेपर घोटाला का उदाहरण देकर उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। लेकिन मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के पहले शुरुआत में ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक इस स्टांप पेपर घोटाले का प्रश्न है, नि:संदेह यह एक बहुत बड़ी प्रणालीगत विफलता है। हमने मंत्रालय में इस बात की जांच की है आखिर गलती कहां हुई और ये सब कैसे हुआ। चूंकि यह सब प्रणालीगत विफलता के कारण हुआ है, इसलिए हम गलती पर होंगे यदि हम इस बात को स्वीकार कर आगे नहीं बढ़ते कि प्रणालीगत विफलता के कारण ही ये सब घटनाएं घटित हुई हैं।

इस स्थिति की यही जटिलता है। इस बारे में एक अधिनियम है-स्टांप पेपर अधिनियम में जो वास्तव में 19वीं सदी का अधिनियम है। यह अधिनियम अब भी चला आ रहा है। हमारे यहां दो सिक्योरिटी प्रेस हैं। इसमें एक तो अंग्रेजों के जमाने की है। नासिक प्रेस 1924 है और हैदराबाद प्रेस 1982 में अस्तित्व में आयी थी। वित्त मंत्रालय का इन सिक्योरिटी प्रेसों पर प्रशासनिक नियंत्रण है और इन सिक्योरिटी प्रेसों का जो भी उत्पाद होता है वह संबद्ध राज्यों को जाता है। राज्य सरकारों को इस बात की पूरी छूट है कि वे अपने स्वयं के स्टांप पेपर बनाये इससे देश में एक स्थिति विशेष हो गई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस स्थिति से निपटने का यह सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन वास्तविकता यही है।

अब मैं संक्षेप में इससे संबंधित घटनाक्रम का उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसका विस्तार से अध्ययन किया है। इससे संबंधित एक व्यवस्था विद्यमान है और स्पष्टत: इस व्यवस्था में ही चूक और कमियां हैं जिनकी वजह से पुरानी और उपयोग में लायी जा चुकी मशीनरी की बिक्री अथवा विस्थापना कतिपय विनियमनों, नियमों आदि द्वारा शासित होती है। लेकिन स्पष्टरूप से इस बारे में एक प्रणालीगत विफलता रही है। इस बारे में क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी मैं निश्चित तौर पर माननीय सदस्यों को दूंगा। 5 मार्च, 1998 अर्थात् राजग सरकार के सत्ता में आने के पूर्व, एक मशीन को पुराना कहकर बेचा जा चुका था। दो मशीनों को 1 अप्रैल, 1998 को राजग सरकार के सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद ही बेचा गया। हम इस सभा को जो जानकारी दे रहे हैं वह हमारी उस विस्तृत और विश्लेषात्मक जांच पर आधारित है जिसे इस घटना के पता चलते ही आरम्भ कर दिया गया था। मैं इस मुद्दे पर दोषसिद्ध होने तक न तो कोई निर्णय देना चाहता हूं और न ही किसी व्यक्ति को दोषी मानकर उसकी भर्त्सना करना चाहता हूं। मैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूं, जो मेरी समझ से इस मामले में अपराधी हैं। प्रथम दृष्टया मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि जिसे पुरानी मशीन कहा जाता है उन पुरानी मशीनों से बेचते समय, पुरानी मशीनों को बेचने में और उन्हें प्रमाणित करने में जो सावधानी बरतनी चाहिए और इसके लिए तथा सिक्योरिटी प्रेस की डाई को नष्ट करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि साइफर वगैरह बाहर न चले जाये। प्रेस कर्मचारियों द्वारा जो सावधानियां बरती जानी चाहिए थीं, मार्च 1998 और अप्रैल, 1998 के महीनों में इन पुरानी मशीनों को बेचते समय वे सावधानियां नहीं बरती गयी। इस मामले में यही सच्चाई है। यदि इस मामले में उक्त सावधानियां बरती गयी होती तो ऐसा न होता। मैंने पूरी गंभीरता से इस वाद-विवाद में भाग लिया है और यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। मैं पूरी गंभीरता के साथ इस विषय पर सारी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि इस बारे में जो कुछ घटा है हमें उसका समाधान तलाशना होगा ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

महोदय, उसके बाद क्या हुआ। वर्ष 1998 और 2000 के बीच, इन मशीनों के क्रेता, इस घोटाले का आरोपी ही मशीनों का क्रेता है, की भूमिका शुरू हुई। इस मामले में अभी भी जांच चल रही है कि उसने इन मशीनों को कैसे खरीदा, किसके माध्यम से खरीदा और इस मामले में किस तरह का लेनदेन हुआ। मैं इस सब पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसमें से कुछ बातें न्यायालय के विचाराधीन हैं और कुछ की अभी भी जांच हो रही है। उस पर मैं यदि यहां कुछ बोलता हूं तो उसे भारत सरकार का वक्तव्य मान लिया जायेगा। इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): क्या ये मशीनें केवल स्टांप पेपरों की छपाई के लिए ही थी?

श्री जसवंत सिंह: जी, हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी: तब तो इनकी बिक्री केवल स्क्रैप के लिए थी। इसे एक मशीन या उपकरण के रूप में कैसे बेचा जा सकता था।

श्री जसवंत सिंह: ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टांप पेपर छाप रही थीं।

श्रीमती रेणूका चौधरी: तब तो नकली नोट भी छापे जा सकते थे।

श्री जसवंत सिंह: ऐसा नहीं हो सकता था। जब मशीनें पुरानी हो जाती हैं और उनकी डाई घिस जाती है, तो मशीनों को बदलना जरूरी हो जाता है। स्टांप पेपर या करेंसी नोट छापने के बारे में मुझे कोई विशेषज्ञता तो है नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप तेलगी के सलाहकार हो।

श्री जसवंत सिंह: मैं यहां पर स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि मार्च से अप्रैल, 1998 के बीच जब नयी सरकार सत्तासीन हुई, तब क्या-क्या घटनाएं घटित हुईं। जिन लोगों ने इन मशीनों को खरीदा था उन्हें इन मशीनों को स्थापित करने और इनको चलाने वाले कर्मचारियों को भर्ती करने में बहुत ही थोड़ा समय लगा। यह सब तो जांच का विषय है। वास्तव में, सेवानिवृत्ति के बाद सिक्योरिटी प्रेसों के कई र्कचारी वहीं रहते थे। वे वहां क्यों न रहते? ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें वहां रहने से रोके। इस तरह, वहां उसमें कुछ लोगों की भर्ती हुई। अब, यह पुन: जांच का विषय है।

नवम्बर, 2000 में, सिक्योरिटी प्रेस की उत्पादन नियोजन से संबंधित पहली औपचारिक रिपोर्ट में, यह बताया गया कि स्टांप पेपर के मामले में कहीं न कहीं कोई संभावित जालसाजी हो सकती है। तथापि, उस समय तक इस बारे में किसी संगठित अपराध अथवा सिक्योरिटी प्रेस अधिकारियों की संलिप्तता के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे। इसे भी प्रणालीगत विफलता कहा जा सकता है। स्टांप पेपरों की विशिष्टताओं में सुधार लाने तथा कमियों को दूर करने के लिए तब सरकार ने गैर-न्यायिक स्टांप पेपरों से संबंधित एक कार्यदल का गठन किया। स्टांप पेपरों में जालसाजी से संबंधित जानकारी नवम्बर, 2000 में प्राप्त हुई और फरवरी, 2001 में इस उद्देश्य से एक कार्यदल की स्थापना की गयी कि इस बारे में वास्तव में क्या हो रहा है और उसका समाधान क्या है।

महोदय, मैं जुलाई, 2002 के आरम्भ में वित्त मंत्री बना। 11 जुलाई, 2002 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस बारे में मुझे एक पत्र लिखा। मैं तब इस मंत्रालय में नया ही था। अपने पत्र में उन्होंने सुझाव दिया था कि शुरुआत में सिक्योरिटी प्रेस अधिकारियों के बीच सांठगांठ थी जो मामला लगता था अब ऐसा लगता है कि यह एक बहुत बड़ा रैकिट। मैंने साधारण ढंग से उस पत्र के प्राप्ति संबंधी सूचना दे दी क्योंकि तब तक मुझे इस बात की पर्याप्त जानकारी नहीं थी कि वास्तव में क्या हुआ है या यह मामला कितना जटिल है। अगस्त, 2002 में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा कही गयी बातों की आंतरिक जांच के बाद तथा स्थिति की जटिलता को देखते हुए-जैसाकि हमारे पास जांच से संबधित सुविधाएं नहीं होती। वित्त मंत्रालय ने तुरन्त गुप्तचर एजेंसियों को सतर्क कर दिया। हमने इस बारे में गृह मंत्रालय से भी सहायता ली। हमने वित्त मंत्रालय की अपनी दूसरी आर्थिक गुप्तचर इकाइयों को भी सतर्क कर दिया तथा सिक्योरिटी प्रेस पर निगरानी तंत्र को काफी कड़ा कर दिया गया। सेक्योरिटी प्रेस पर सीआईएसएफ की तैनाती कर वहां की बाहरी सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया। यहां आप यह कह सकते हैं कि पहले सीआईएसएफ को क्यों नहीं तैनात किया गया। यह एक उचित प्रश्न है। ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सब चीजें ठीक ठाक चल रही थीं। और सीआईएसएफ भी यह कह रही थी कि उसके पास कार्यभार बहुत अधिक है और उनके पास सुरक्षा बल पर्याप्त संख्या में नहीं है।

दिसंबर, 2002 में, मुझे वित्त मंत्रालय की एक समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें नई तकनीकी विशेषताओं को शुरू करने संबंधी सिफारिश की गयी थी। इस मामले में दिसम्बर से पत्राचार हो रहा था और मार्च, 2003 में, मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों को एक औपचारिक-पत्र लिखा जिसमें यह अनुरोध किया गया कि जालसाजी में संलिप्त भारतीय सिक्योरिटी प्रेस अधिकारियों के नामों की जानकारी वित्त मंत्रालय को दी जाये ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की जा सके। तब तक हमारे पास दोषी अधिकारियों के नाम नहीं थे। फरवरी, 2003 में मैंने कार्यदल की तकनीकी रिपोर्ट को भी स्वीकृति दे दी जिसे तैयार किया गया था। नये स्टांप पेपर आंध्र प्रदेश में भेजे जा रहे थे और मेरा यह वायदा है कि अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं से युक्त नये स्टांप पेपरों की पूरे देश में जुलाई, 2004 तक आपूर्ति होने लगेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जनवरी में मुझे इस आशय का एक पत्र लिखा कि ऐसा-ऐसा हो रहा है इसलिए वह चाहते हैं कि स्टांप पेपरों में अतिरिक्त विशिष्टताएं जोड़ी जायें। फरवरी, 2003 में सभी राज्य राजस्व सचिवों को सतर्क कर दिया गया और अप्रैल, 2003 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा दूसरे राज्यों के सचिवों को इस विषय की विकरालता के प्रति सजग कर दिया गया और उनसे यह अनुरोध किया गया कि उनके

पास स्टांप पेपरों का जो भंडार है वे उसे सत्यापित करें क्योंकि सिक्योरिटी प्रेस द्वारा छापे गये स्टांप पेपर राज्य सरकारों को उनकी जरूरत के मुताबिक सौंपे जाते थे।

इस बारे में वित्त मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की, मैं उसकी जानकारी आप सबको देना चाहूंगा। इन सब बातों के साथ-साथ हमने कराधान विभाग को भी सचेत कर दिया। मुझे आपको यह जानकारी देते हुए कुछ हिचकिचाहट होती है क्योंकि मैं वित्त मंत्रालय में हूं। यहां तक कि एक व्यक्ति के रूप में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष महोदय, मैं अभी एक टिप्पणी करना चाहूंगा और उसके बाद आप अपना उत्तर जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 2.57 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा के कार्य के बारे में

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न 3.00 बजे से आरम्भ होना था। लेकिन चूंकि इस समय एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, मुझे कुछ टिप्पणियां करनी हैं और उसके बाद मंत्री महोदय आप उत्तर पूरा करेंगे।

आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह सिफारिश की गयी थी कि स्टांप पेपर घोटाले के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा पूरी होने के बाद तीन विधेयकों नामत: (1) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2003; (दो) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2003; तथा (तीन) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जा सकता है और गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य इन विधेयकों के निपटान के बाद लिया जा सकता है। आधे घंटे की चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद हो सकती है।

मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, कृपया हमें गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा मंत्री जी के उत्तर के बाद करायी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसी के अनुरूप अपना प्रबंध किया है। मुझे अपराह्न 4.45 बजे विमान पकड़ना है।

अध्यक्ष महोदय: आप जा सकते हैं, लेकिन कार्यवाही जारी रहेगी।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय मेरा विधेयक व्यपगत हो जायेगा। मैं यहां अपने विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए आया हूं। मुझे विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के उत्तर के बाद आप विधेयक पुर:स्थापित कर सकते हैं।

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मुझे विश्व व्यापार संगठन के बारे में एक वक्तव्य देना है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके अतिरिक्त विधि मंत्री भी एक वक्तव्य देंगे और मैंने उन्हें इसकी अनुमति दे दी है।

अपराह्न 3.00 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा—*जारी*

हाल ही में हुआ स्टाम्प पेपर घोटाला

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): इस बारे में आयकर और राजस्व विभागों द्वारा क्या कार्रवाई की गयी, माननीय सदस्यों को इसकी सूचना देने के पहले मैं इतना अनुरोध और करना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय में होने के नाते कुछ बातों को गोपनीय रखना दायित्व बनता है और इस बारे में आरोपियों को भी कुछ विशेषाधिकारों और गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिए, जब तक उन सबके कार्य गैर-कानूनी साबित नहीं हो जाते और चूंकि अभी जांच चल रही है, इसलिए मैं केवल मोटे तौर पर यह बता सकता हूं कि इस बारे में शक किस पर है। लेकिन इन सब बातों को विस्तार से बताने के पहले मैं इसमें दो-एक बातें और जोड़ना चाहता हूं।

स्टांप पेपर घोटाले की गंभीरता वास्तव में तब उतनी गंभीर नहीं दीख पड़ी थी। जब कर्नाटक पुलिस ने अगस्त, 2000 में अब्दुल करीम तेलगी के विरुद्ध मामले दर्ज किये थे। मैं यहां पर माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि इस घोटाले के संबंध में अब तक कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली तथा चंडीगढ़ में कुल 74 मामले दर्ज किये गये हैं। चूंकि स्टांप पेपरों के बारे में यहां विस्तार से चर्चा की गयी है इसलिए मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि जांच अधिकारियों द्वारा इस मामले में कितने रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त

[श्री जसवंत सिंह]

की गयी है और इस बारे में वित्त मंत्रालय का क्या आंकलन किया है। इससे इस बारे में जो तरह-तरह की अटकलबाजियां लगायी जा रही हैं उनका अंत हो सकेगा।

अभी तक इस मामले में कुल 3376 करोड़ रुपये के नकली स्टांप पेपर जब्त किये गये हैं। हमने कुल इतने रुपये मूल्य के ही स्टांप पेपर जब्त किये हैं। इस बारे में जो दूसरे आंकड़े दिये जा रहे हैं, वे सब तब तक अटकलबाजी ही कहे जायेंगे जब तक उनके समर्थन में पुख्ता प्रमाण न मिल जायें। मैं उसका उत्तरदायित्व ले रहा हूं ...*(व्यवधान)* मुझे उसका उत्तरदायित्व लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस बारे में कोई निराधार अटकलबाजी नहीं करना चाहता क्योंकि इससे इस मुद्दे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

इन 74 मामलों में से, 15 मामले अकेले अब्दुल करीम तेलगी से संबंधित हैं जिसके अपार्टमेंट से 3365 करोड़ रुपये मूल्य के स्टांप पेपर पकड़े गये। इन सभी राज्यों से अब तक इन मामलों में 364 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अब क्या हुआ है इसके विपरीत अगस्त, 2000 के पूर्व के नौ वर्षों में नकली स्टांप पेपर से संबंधित 50 मामले दर्ज किये गये और 135 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस समय 22 करोड़ रुपये मूल्य के ही नकली स्टांप पेपर पकड़े गये थे। मैंने सोचा कि मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दूं। इसके अलावा, जहां तक राजस्व का संबंध है, मैं शीघ्र ही उन कदमों का भी खुलासा करूंगा जो मैंने इसके लिए उठाये हैं।

राजस्व प्राधिकारियों ने इन मामलों के अलावा उन व्यक्तियों के विरुद्ध नौ मामले दर्ज किये हैं जो तेलगी ग्रुप से, स्वयं तेलगी से, उसके परिवार के सदस्यों से अथवा उसके सहयोगियों से संबद्ध थे। इन सभी मामलों को बंगलौर स्थित प्रमुख आयकर आयुक्त के अधीन केन्द्रीकृत किया गया है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): क्या इसका हिसाब लगाया गया है कि कुल कितने राजस्व का नुकसान हुआ?

श्री जसवन्त सिंह: मैं राजस्व के नुकसान के बारे में भी आपको बताऊंगा। राजस्व का नुकसान केन्द्र सरकार को उतना नहीं हुआ है जितना यह संबद्ध राज्य सरकार को हुआ है। इस जांच के बाद वास्तव में यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि उनके राज्यों में कितने रुपये मूल्य के नकली स्टांप पेपर बेचे गये हैं इसकी विस्तार से जांच करे और वे इस बात से केन्द्र सरकार को भी अवगत करायें कि उनके अनुमान से कितने रुपये का नुकसान हुआ है। कितने रुपये मूल्य के नकली स्टांप पेपर पकड़े गये थे मैंने उसकी जानकारी आप सबको दी है। उदाहरण के लिए लेकिन इसमें चंडीगढ़ को कितना नुकसान हुआ है, मैं यह तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ या दिल्ली हमें यह जानकारी नहीं देता कि उन्हें कितने रुपये का नुकसान हुआ है।

इस तरह, इस मामले में केन्द्र सरकार को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना राज्य सरकारों को/इसके अलावा, विभाग ने, साधारण कार्यवाही के तहत श्री अब्दुल करीम तेलगी की 46 अचल संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मैं इन संपत्तियों का विस्तृत ब्यौरा नहीं देना चाहता। ये संपत्तियां बंगलौर, बेलगाम तथा मुंबई में हैं। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य क्या है हमने इस बारे में कुछ आंकलन किये हैं। इनके कई बैंक खाते भी पाये गये हैं। यहां हमें यह सावधानी बरतनी होगी कि इस मामले में आरोपी होने के बावजूद श्री तेलगी को बैंक गोपनीयता का दूसरे भारतीय नागरिकों की भांति तब तक अधिकार प्राप्त है, जब तक वह इस मामले में दोषी सिद्ध नहीं हो जाते। इस तरह बड़ी संख्या में बैंक खाते पकड़े गये हैं और इन बैंक खातों की कुल संपत्ति श्री तेलगी की आय के विदित स्रोतों के अनुपात में कहीं अधिक है।

इस मामले की आयकर महानिदेशालय द्वारा भी जांच की जा रही है। जैसाकि श्री शिवराज पाटील ने कहा है कि महानिदेशालय के अधिकारी संबद्ध प्राधिकारियों के साथ सामञ्जस्य बिठाकर कार्य कर रहे हैं। हमने उन्हें स्थानीय प्राधिकारियों और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बिठाकर कार्य करने के निदेश दिये हैं। इस तरह, हम इस सीमा तक उनके साथ हैं।

महोदय, इस बारे में किये गये अतिरिक्त सुरक्षोपायों पर प्रकाश डालने के पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले की सीबीआई जांच इसलिए आवश्यक हो गयी है क्योंकि इस घोटाले से कई राज्य प्रभावित हैं और पूरी जांच दिशाविहीन सी हो गयी है। यह इस मामले में दूसरी तत्संबद्ध कानूनी परेशानी है, जिसे मैं अच्छी तरह नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इतनी कानूनी जानकारी नहीं है। शायद विधि मंत्री इस मामले को बेहतर ढंग से समझा सकें। उदाहरण के लिए, यदि इस आरोपी तेलगी पर एक अदालत में मुकदमा चलाया जाता है अथवा कर्नाटक में एक आरोप के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाता है तो उस पर उसी आरोप या उसी तरह के आरोप के तहत दूसरी जगह मुकदमा चलाना मुश्किल हो जायेगा और तब इसी आधार पर एक केन्द्रीकृत जांच की मांग करना तर्कसंगत हो जायेगा और इस घोटाले के सभी प्रमुख आरोपी, इसके बाद, दोहरी अदालती कार्यवाही से बच जायेंगे। यह बहुत गंभीर मामला है इसलिए सरकार इस बारे में पूरी तरह सचेत है कि वह इस दोहरे जंजाल में न फंसे। सीबीआई जांच के पीछे यही तर्क था।

माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष जांच दल को मामले की जांच करने दी जाये। हमने इस बारे में महाराष्ट्र

सरकार से सूचना मांगी है। जिस तरह कर्नाटक सरकार ने अपने विशेष जांच दल के निष्कर्षों से हमें अवगत कराया है, दुर्भाग्य से महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक अपने विशेष जांच दल के निष्कर्षों से हमें अवगत नहीं कराया। जहां तक मेरी जानकारी है महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यदि किसी घटना के दो मामले दर्ज होते हैं तो उसमें दोहरी अदालती कार्यवाही का सिद्धान्त लागू होगा और अदालत को दो मामलों में फैसला सुनाना होता है। यदि किसी एक मामले में निर्णय सुना दिया जाता है तो दूसरा मामला अपने आप महत्वहीन हो जाता है। लेकिन सीबीआई अथवा राज्य पुलिस द्वारा इस तरह समन्वय बिठाकर जांच की जा सकती है कि आरोप--पत्र दाखिल करने के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्र किया जा सकता है और उसका प्रयोग किया जा सकता है तथा आरोप-पत्र दाखिल किया जा सकता है। यह हुई एक बात।

दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत विशेष जांच दल गठित किया गया है। इसलिए, जानकारी उनके पास है और संभवतया वह विशेष जांच दल के पास है। जहां तक मुझे जानकारी है इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है और इसी वजह से आपको जानकारी नहीं है। यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो या केन्द्र सरकार के अधीन अन्य किसी जांच प्राधिकरण को दी जा सकती है।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। हम पहले ही समयाभाव में चल रहे हैं। हमें काफी कार्य समाप्त करना है।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, यदि षडयन्त्र स्थल पर ही अर्थात जहां पहले अपराध का षडयन्त्र रचा गया था, आरोप-पत्र दर्ज करवाया जाता तो दोहरे खतरे का प्रश्न नहीं उठता।

सामान्यतया रेलगाड़ी एक गन्तव्य से दूसरे गन्तव्य के लिए प्रारम्भ होती है। षडयन्त्र चलती रेलगाड़ी के समान है। इसलिए इस प्रकार पहला गन्तव्य स्थान लिया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी को प्रत्येक पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास समय कम है। मैं जितना जल्दी संभव हो कार्यवाही पूरी करना चाहता हूं।

श्रीमती रेणूका चौधरी: कानून के अनुसार उन्हें सूचित करना चाहिए था कि उनके बैंक खाते में अनुचित धन जमा करवाया जा रहा है।

अपराह्न 3.11 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री जसवन्त सिंह: मुझे जो कुछ जानकारी थी मैंने बता दी है। मैं दोहरे खतरे में पड़ना नहीं चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मैं दो वकीलों के दोहरे पाटों में नहीं फंसना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: अभियोग के लिए एक केन्द्रीकृत एजेंसी होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों में अभियोग के लिए विभिन्न एजेंसियां नहीं हो सकती हैं। एक अभियोग के लिए, आरोप का एक ही पैटर्न हो ...*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह: वे जो कर रहे हैं उससे जब तक महाराष्ट्र सरकार संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: हमारा पक्ष यह है। यदि यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करवाना है तो इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ही करवाया जाए। यदि आप या न्यायालय यह समझता है कि विशेष जांच दल अपना कार्य ठीक कर रहा है, तो उसे करने दिया जाए। हमें यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को देने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह: यह ठीक है। वित्त मंत्रालय इस विषय पर कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहा है। मैं भी माननीय श्री शिवराज पाटील को लिये गये उद्धरण से अवगत कराना चाहता हूं। जब तक बिल्ली चूहे को नहीं पकड़ लेती है मैं उसके रंग में रुचि नहीं लेता हूं कि वह सफेद बिल्ली है या काली बिल्ली है। इसलिए, जब तक हमें जांच की जानकारी दी जाती है और हम यथासंभव दोषी को सजा दे सकते हैं तब तक यह हमारे लिए पूर्णतया निष्पक्ष बात है कि इसकी जांच कौन कर रहा है। परन्तु अभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो स्टाम्प पेपरों से संबंधित सात मामलों की जांच कर रहा है और वे उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, हमने वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भारतीय सुरक्षा प्रेस के अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने और उचित कार्यवाही करने का सुझाव भी दिया है और यदि वित्त मंत्रालय का कोई भी सदस्य इस संबंध में किसी भी प्रकार से इसमें शामिल है तो उसकी भी जांच करें।

मैं एक मिनट में सुरक्षा की विशेषतायें बताता हूं। अब यहां एक प्रश्न उठता है। मैं इसे स्पष्ट रूप से बताता हूं—सम्पूर्ण देश

[श्री जसवंत सिंह]

के नागरिक कृपया आश्वस्त रहें कि यदि वे स्टाम्प पेपर पर किसी दस्तावेज के तौर पर कार्य निष्पादित करने के अनजाने में शिकार हुए हैं जो कि बाद में सही दस्तावेज नहीं पाया गया है तो उनके लेन-देन को अवैध नहीं माना जायेगा। हम उस लेन-देन की वैधता को बनाये रखेंगे। हम इसके सभी पहलुओं की कानूनी जांच कर रहे हैं ताकि बाद में कोई कानूनी कमी न रह जाए। यदि आवश्यक हुआ तो इस संबंध में हम उचित संवैधानिक तरीकों के साथ सभा में भी आयेंगे। परन्तु नागरिकों को इस संबंध में पूर्णतया आश्वस्त रहना चाहिए।

अब, दोषी के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है और अतिरिक्त सुरक्षा का ब्यौरा क्या है? मैं सभी संबंधित अधिकारियों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। परन्तु जैसे ही मुझे जानकारी मिली इस मशीनरी की बिक्री का सौदा करने वाले तीनों अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित कर दिया था। वास्तव में मैंने एक अधिकारी की बर्खास्तगी की सिफारिश की थी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। संविधान के एक भाग के रूप में कुछ समर्थ प्रावधानों के अंतर्गत मैंने कुछ माननीय सदस्यों को बताया कि कुछ महीनों पहले मैंने उस अधिकारी को निलम्बित करने की सिफारिश की थी। एक प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि उसे निलम्बित किया जाए। निलम्बन की यह पूरी प्रक्रिया नौकरशाही ढंग से इतनी सुस्त हैं कि मैं अभी भी उसका निलम्बन प्राप्त करने में असमर्थ हूं। इसका वित्त मंत्रालय से कोई लेना-देना नहीं है। इसका किसी विशेष मंत्रालय से कोई लेना-देना नहीं है। मैं स्पष्टतया स्वीकार करता हूं कि यह इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, कार्यकाल संबंधी सुरक्षा है। जो सिविल सेवा ने अपने विरुद्ध बनायी है। परन्तु यदि निलंबन का आदेश दिया जाता है तो फिर इसे सचिवों की समिति में अनुमति के लिए ले जाना पड़ेगा। मुझे इसे सम्बोधित करना होगा। मैं इस उत्तर से निराश हूं कि यह निलम्बन अभी तक नहीं हुआ है। यह असंतोषजनक है।

काफी अधिकारी निलम्बित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, मैं माननीय श्री शिवराज पाटील को बधाई देता हूं जिन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा के उपायों पर कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये हैं जो 2002 में मेरी जानकारी में आने के तुरंत बाद मैंने शारीरिक सुरक्षा से लेकर छंटाई और अधिकारियों की निगरानी, सुरक्षा करने, व्यवस्था, मशीनरी की सुरक्षा, प्रेस की सुरक्षा के बारे में और सुरक्षा की सत्यनिष्ठता के अतिरिक्त उपायों का पूरा सैट प्रारम्भ किया था।

मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ सकते हैं कि प्रारम्भ किये गये सभी अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का पूरा ब्यौरा यदि मैं आपको नहीं बता पाऊंगा तो ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं वह सब आपको बताना नहीं चाहता हूं बल्कि ऐसा इसलिए है कि यदि सभी सुरक्षा उपायों की जानकारी मैं आपको दे दूंगा तब मैं स्वयं शायद वहां प्रारम्भ की जा रही सुरक्षा से अप्रत्यक्षत: समझौता कर लूंगा।

मैं एक और अतिरिक्त बिन्दु पर बोलना चाहूंगा। अनेक राज्य सरकारों ने इस संबंध में कदम उठाये हैं। कर्नाटक सरकार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए हैं। मैंने कल ही प्रशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सरकार न केवल इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए दृढ़ संकल्प है बल्कि इस समस्या का स्थायी हल ढूंढने के लिए भी दृढ़ संकल्प है।

महोदय, माननीय सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाये हैं,

[हिन्दी]

आपने कहा कि जाली नोट बहुत हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): मैंने भी कहा है।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: माननीय श्रीमती रेणूका चौधरी ने भी कहा है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि इस पद पर आने के बाद ही मैंने समस्या का अनुमान लगाया कि सभी देशों की करेंसी में कुछ हद तक जाली करेंसी की सम्भावना रहती है। अगर हम कहते रहेंगे कि भारत में जाली करेंसी नियंत्रण से बाहर है तो वास्तव में हम अपनी करेंसी की अनिश्चितता प्रकट करने में बढ़ोत्तरी ही करेंगे।

मैं श्रीमती रेणूका चौधरी और माननीय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे। मैं अब इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता कि करेंसी प्रिंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसके सुरक्षा उपायों का निर्णय कौन लेता है, आदि। हालांकि, ये सभी करेंसी यंत्र के भाग हैं। लेकिन जाली करेंसी के पहलू से हम सब अवगत हैं। ऐसा परिमाण बताना या संख्या बताना भूल होगी जो विद्यमान ही नहीं है।

ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सदन या दूसरे सदन में कही गयी किसी भी बात का प्रभाव देश में कई गुणा पड़ता है। जबकि किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात का इतना प्रभाव नहीं होता। उनके द्वारा जतायी गयी चिंता की मैं सराहना करता हूं। हम भी उसमें शामिल हैं, अगर कोई गलती हुई है, तो हम उसे सुधारने के लिए कटिबद्ध हैं। इस दिशा में हम अपना कार्य जारी रखेंगे और इस संबंध में अगर कोई सुझाव हों तो हम उसका स्वागत करेंगे।

मैं बहुत आभारी हूं कि इस मामले पर चर्चा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। काफी लंबे समय से इस विषय पर लोगों में बेचैनी देखी गई थी। जहां तक मैं तथ्यों को स्पष्ट कर सकता था। मैंने स्पष्ट कर दिया है, और अंत में मैं कहूंगा कि यह सरकार बिना किसी डर या पक्षपात के दृढ़ संकल्प है क्योंकि मैंने भगवान के नाम पर शपथ ली है। अत: बिना किसी डर के या पक्ष किए इस मामले में हम किसी से नहीं डरते। इस बीमारी को हम खत्म करना चाहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसा न हो। इस संबंध में अनेक कदम उठाए जाएंगे। हम राज्य सरकारों का सहयोग चाहते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम उन्हें पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

अपराह्न 3.20 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 22, नियम 377 के अधीन मामले। आज की सूची में सम्मिलित नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखे माने जाए।

(एक) गोंडा-बहराइच रेल लाइन को तिकूनिया लखीमपुर बार्डर तक बढ़ाये जाने और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धनराशि जमा किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पद्मसेन चौधरी (बहराइच): अध्यक्ष महोदय, गोंडा और बहराइच के बीच आमान परिवर्तन 7 जून, 2002 को माननीय रेल मंत्री जी ने किया था। आमान परिवर्तन के परिणामस्वरूप गोंडा और बहराइच के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की यात्रा सुखमय होगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस लाइन का विस्तार तिकूनिया, लखीमपुर बार्डर तक किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजनार्थ इस वर्ष वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। सरकार को गोंडा और लखीमपुर से दिल्ली तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए भी गाड़ियां चलानी चाहिए, जिसमें यहां से दिल्ली तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को अन्य दूर-दूर स्थानों पर गाड़ी पकड़ने की असुविधा से बचाया जा सके। आशा है, सरकार इस बारे में यथाशीघ्र कार्यवाही करेगी।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(दो) हीराखंड एक्सप्रेस का मार्ग उड़ीसा में जगदलपुर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): हीराखण्ड एक्सप्रेस भुवनेश्वर से शुरू होकर कोरापुट, उड़ीसा तक जाती है। उड़ीसा में कोरापुट, जयपोर और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर शहरों में जाने वाले बहुत से लोग इस ट्रेन से लाभ उठाते हैं। चूंकि इस ट्रेन का समापन कोरापुट तक ही है, जयपोर और जगदलपुर जाने वाले लोगों को बस की सुविधा लेनी पड़ती है। बोइलाडीला खानों में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के लोग कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर से और उड़ीसा के कोटपाड से सामान के क्रय-विक्रय के लिए कोरापुर और विजयनगरम लगातार जाते रहते हैं।

अत: मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि हीराखंड एक्सप्रैस को उड़ीसा में जगदलपुर तक बढ़ाया जाए।

(तीन) दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत फलुकनामा और गडवाल के बीच रेल लाइन को दोहरा किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): फलूकनामा-गडवाल रेल लाईन दक्षिण मध्य रेलवे की हैदराबाद डिवीजन की महत्वपूर्ण और व्यस्त रेल लाईन है। वर्तमान में इस रेलमार्ग पर 10 जोड़ी पैसेंजर रेलगाड़ियां और 3 जोड़ी सप्ताह में दो बार चलने वाली रेलगाड़ियां चलती हैं, इसके अलावा इस ट्रैक पर अनेक मालगाड़ियां भी चलती हैं। इस सेक्शन पर दोहरी लाईन न होने की वजह से गम्भीर समस्या हो जाती है क्योंकि एक ही लाईन होने की वजह से यातायात की भीड़भाड़ हो जाती है।

इसके अतिरिक्त अन्य दो लाइनें, गडवाल-रायचूर और मुनीराबाद-महबूबनगर भी इस लाईन को व्यस्त कर देती है। साथ ही मैकरल-महबूबनगर एक अन्य रेल परियोजना भी स्वीकृति के लिए विचाराधीन है। इससे यातायात में भारी-भीड़ और जाम लगने की सम्भावना है अगर वर्तमान की एक ही लाइन उपयोग होती रही तो।

मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे फलूकनामा और गडवाल के बीच दोहरी रेल लाईन के निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र शुरू कराएं ताकि आने वाली यातायात की भीड़-भाड़ को कम किया जा सके।

(चार) मध्य प्रदेश के शाजापुर में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, शाजापुर, मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग मेरे द्वारा और अन्य नागरिकों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। शाजापुर जिला मुख्यालय होकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 3 (आगरा-मुम्बई मार्ग) पर स्थित है तथा रेलवे स्टेशन भी है। यहां आयकर एवं अन्य केन्द्रीय विभागों के कार्यालय हैं। यहां केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु जिला प्रशासन भवन व भूमि आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है तथा कलैक्टर, शाजापुर ने इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को पत्र भी लिखा है। मैं भी सांसद निधि से इस कार्य हेतु पचास लाख रुपये देने के लिए तैयार हूं। मैंने इस संबंध में पूर्व में भी लिखा है। मैं सरकार से पुन: मांग करता हूं कि शाजापुर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(पांच) मध्य प्रदेश में सिवनी जिले में वी.टी.एस. क्षमता बढ़ाए जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर मुरई और खावसा बार्डर पर मोबाइल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भारत संचार निगम की सेलुलर मोबाइल सेवा प्रारंभ हुई है। जिसकी वी.टी.एस. की क्षमता कम होने के कारण उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इस मशीन की क्षमता अभी 1300 कनैक्शनों की है, जो जिले की मांग को देखते हुए काफी कम है। वी.टी.एस. की क्षमता को बढ़ाकर दुगुना करने की आवश्यकता है। सिवनी से होकर रा.रा. मार्ग 7 गुजरता है, जो उत्तर-दक्षिण कारीडोर में परिवर्तित हो चुका है। सिवनी-नागपुर राजमार्ग पर कुरई तथा खवासा बार्डर पर भी अभी तक मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जनहित में शीघ्र ही सिवनी नगर की वी.टी.एस. क्षमता बढ़ाने तथा रा.रा. मार्ग 7 के कुरई तथा खवासा बार्डर पर मोबाइल सेवा प्रारंभ करने का कष्ट करे।

(छह) ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाए जाने और नाबार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक को स्वायत्तता दिए जाने की आवश्यकता

श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी (धार): अध्यक्ष महोदय, देश की पूर्व प्रधान मंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण अंचलों में 196 ग्रामीण बैंकों की 14500 शाखाएं स्थापित की गयी। देश के 511 जनपदों में ग्रामीण बैंकिंग की सुविधा इन ग्रामीण बैंकों द्वारा मुहैया करायी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की बैंकिंग सेवाओं में इन ग्रामीण बैंकों द्वारा अकेले 40 प्रतिशत की भागीदारी की जा रही है। तमाम शासकीय प्राथमिकता की योजनाओं में ऋण वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, कृषि ऋण वितरण के साथ-साथ सभी सरकारी गैर-सरकारी कर्मियों को वेतन भत्ते इत्यादि जैसे कार्य केवल इन ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड एवं स्वयं सहायता समूहों में 50 फीसदी भागीदारी अकेले ग्रामीण बैंकों की है। गांव में सीमित बैंकिंग संभावनाओं एवं प्राथमिकता क्षेत्र में बैंकिंग के बावजूद भी लाभ कमाने वाली ग्रामीण बैंकों की संख्या व धनराशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा है कि ग्रामीण बैंक अब घाटे से उबर चुके हैं और शीघ्र ही अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। एक तरफ सरकार इन्हें अपार संभावना वाली बैंक मानती है और वहीं दूसरी तरफ इन बैंकों में अपनी 50 फीसदी की हिस्सेदारी को बेचने का प्रयास भी कर रही है। इस आशय का एक प्रस्ताव भारतीय बैंक संघ को वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है।

मेरी सरकार से मांग है कि ग्रामीण बैंकों को मजबूत आधार देते हुए भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, जो नाबार्ड के अधीन है, उसे पूर्ण स्वायत्तशासी बैंकिंग संस्थान बनाने का प्रावधान किया जाये।

(सात) कर्नाटक में भयंकर सूखे की समस्या का सामना करने के लिए उचित उपाय किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर): कर्नाटक के कई जिलों के किसान पिछले कुछ वर्षों से भीषण सूखे के कारण मुसीबत में दिन गुजार रहे हैं। केन्द्रीय दल सूखे से प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं और नुकसान का जायजा लेकर सूखे से राहत के लिए निधियां स्वीकृत कर रहे हैं। लेकिन किसानों को हुए नुकसान और उन्हें वास्तव में दी गई राहत में बहुत अंतर है। लगातार सूखे के कारण किसानों की वित्तीय स्थिति बदतर होती जा रही है।

जब तक किसानों को स्थायी उपाय जैसे विभिन्न किस्मों की फसल उगाने की सुविधा, अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं, बीज, उर्वरकों, कृषि उपकरणों की खरीद आदि पर राजसहायता मुहैया नहीं की जायेगी। तब तक किसानों की वित्तीय स्थिति बदतर बनी रहेगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि राज्य में किसानों को दिए गए

अल्प अवधि के ऋणों को दीर्घावधि ऋणों में बदला जाए और छोटे और मझौले किसानों को दिए गए ऋणों को माफ किया जाए। केन्द्रीय सरकार द्वारा भी किसानों को पर्याप्त निधियों का आबंटन किया जाना चाहिए ताकि किसान विभिन्न किस्मों की फसल उगा सकें।

(आठ) स्टरलाइट इंडस्ट्रीज द्वारा बाल्को के शेयरों की खरीद के संबंध में समझौते को रद्द किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. चरणदास महंत (जांजगीर): अध्यक्ष महोदय, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा केन्द्र सरकार के उपक्रम बालको के विनिवेश की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। आर्थिक रूप से अकेले सक्षम नहीं होने के बाद भी स्टरलाइट कंपनी ने बालको के 51 प्रतिशत शेयर सिर्फ 551 करोड़ रुपये में खरीद लिये। लॉक इन पीडियड 4 मार्च, 2004 होने के बावजूद अब वित्तीय कारणों से स्टारलाइट के शेयर मोरिशस की एक विदेशी कम्पनी टिवन स्टार होल्डिंग्स को काफी मुनाफे में बेच रहे हैं। स्टरलाइट के 55 प्रतिशत शेयर टिवन स्टार ने पहले ही खरीद लिये हैं और प्रस्तावित शेष 20 प्रतिशत के लिए उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से अनुमति मांगी है और इसके बाद धीरे से बालको का प्रबंधन अप्रत्यक्ष रूप से एक विदेशी कम्पनी के हाथों में चले जाने का खतरा भी है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि स्टरलाइट को बेचे गये बालको के 51 प्रतिशत शेयर के एग्रीमेंट को रद्द कर सरकार पुन: बालको का अधिग्रहण करे और शेयरों के क्रय-विक्रय पर विदेशी निवेश में हुई अनियमितताओं की भी सूक्ष्म जांच करायी जाये। क्योंकि स्टरलाइट बालको को बेचने की फिराक में है।

(नौ) नाबार्ड को प्रमुख शेयर होल्डिंग सहित शीर्षस्थ संस्था के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनरुद्धार और पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. मोहन (मदुरै): गत 27 वर्षों में ग्रामीण ऋण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं साबित हुई हैं। इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनरुज्जीवित और पुनर्गठित करना जरूरी है।

यदि इस समय पृथक राष्ट्रीय बैंक का गठन व्यावहारिक नहीं जान पड़ता है, तो नाबार्ड को एक शीर्ष बैंक की भूमिका अदा करने के लिए कहा जा सकता है। नाबार्ड सबसे अधिक शेयर लेकर या अन्यथा ऐसा कर सकता है। नाबार्ड प्रायोजक बैंकों के 63 करोड़ रुपये के शेयर खरीद सकता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संबद्ध संस्था के रूप में अपना सकता है। प्रायोजक बैंकों द्वारा प्रदान की गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त शेयर पूंजी योगदान को निधि दायित्व के रूप में लिया जा सकता है और नाबार्ड के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इसका चरणबद्ध ढंग से भुगतान किया जा सकता है। संचित लाभ और रिजर्व फंड अथवा प्रदत्त अतिरिक्त शेयर पूंजी जमाराशि से भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संचित नुकसान की आसानी से भरपाई की जा सकती है।

किसी राज्य अथवा क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक केन्द्रीय एजेंसी के तहत इस तरह के समामेलन से प्रतिसहायता तथा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय 'मनी मार्केट' में प्रवेश को सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा इससे संपूर्ण ऋण और ग्रामीण अवसंरचना की देखरेख की जा सकेगी। किसी भी हालत में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों के साथ एकीकृत नहीं किया जाना चाहिए तथा संपूर्ण ग्रामीण ऋण को कारपोरेट बैंकरों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

(दस) दलितों के विरुद्ध जाति आधारित भेदभाव और अत्याचारों को रोकने के लिए कानून के वर्तमान उपबंधों को और कठोर बनाए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगरकुरनूल): यद्यपि भारत के संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत हो गया, लेकिन यह अब भी पूरी तरह व्याप्त है और खतरनाक ढंग से बढ़ती जा रही है। देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मैं हाल के कुछ मर्मस्पर्शी उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे पता चलता है कि किस तरह आजादी के 56 वर्षों बाद भी इस स्वतंत्र देश में दलितों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर जिला के एकलेरा गांव में ऊंची जाति के लोगों ने एक दलित की बारात में जा रहे लोगों को महज इसलिए लाठी-डंडों से पीटा क्योंकि दूल्हा घोड़ी पर चढ़ कर जा रहा था। यह घटना मई, 2003 में घटित हुई। एक अन्य घटना में भुवनेश्वर के निकट नुआगांव में अनुसूचित जाति के दो लड़कों को उनके नियोक्ता द्वारा कथित रूप से इसलिए नग्न घुमाया गया क्योंकि उन्होंने अपने बकाया पैसों की मांग की थी। उनके उत्पीड़न का यहीं पर अन्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि उन्हें आधा किलोमीटर तक घुटनों के बल चलाया गया और जब उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो उन्हें पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। यह घटना जून, 2003 में घटित हुई। दलितों पर अत्याचारों का अंत यहीं पर नहीं होता। उत्तर प्रदेश के

[डा. मन्दा जगन्नाथ]

मऊ जिला के एक गांव में जमीन के झगड़े को लेकर कुछ ठाकुरों ने दलितों पर गोली चला दी जिससे 70 दलित घायल हो गये। इनमें से 7 लोगों की हालत गंभीर है। हाल में जातिवाद के इस दानव ने कुरनूल जिला के व्यापिली में भी अपना घिनौना चेहरा दिखाया है। यहां दलितों पर तब आक्रमण किया गया जब वे गणेश की मूर्ति को जल में विसर्जित करने के लिए एक शोभायात्रा में जा रहे थे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह दलितों के विरुद्ध जाति के आधार पर भेदभाव और अत्याचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी और कठोरतम कार्यवाही करने का आदेश दे।

(ग्यारह) महाराष्ट्र के मुदखेड और आदिलाबाद के बीच पुराने रेलवे ट्रैक को बदले जाने और मुदखेड और केवट के बीच आमान परिवर्तन कार्य को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने (हिंगोली): अध्यक्ष महोदय, मुदखेड एवं आदिलाबाद के बीच रेलवे लाइन पर गैज परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें मिट्टी भरने का कार्य चल रहा है एवं विस्तार कार्य हो रहा है, परन्तु अभी तक ट्रैक पुराना है, जिसके कारण यहां पर कभी रेलवे दुर्घटना हो सकती है। इस संबंध में स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र व्यवहार भी किया है। अत: वर्तमान समय में जो पुराना ट्रैक है, उसे तुरंत बदला जाये। साथ ही साथ मुदखेड से केवट के बीच गैज परिवर्तन का जो कार्य फर्स्ट फैज में चल रहा है, उसे प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाये।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(बारह) तमिलनाडु में तंजावुर-तिरुवरूर-नागर रेल लाइन आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): विश्वप्रसिद्ध तंजावूर का विशाल मंदिर, वेलंकन्नी चर्च तथा नागर दरगाह तंजावूर, तिरूवरूर तथा नागपट्टिनम जिलों में है। यहां धर्म, जाति और राज्य से ऊपर उठकर पूरे वर्ष भारत के कोने-कोने से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। इन तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उक्त जनपदों के लोग और स्वयं मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने रेल मंत्रालय से बार-बार यह अनुरोध किया है कि वह त्रिची-तंजावूर-तिरुवरूर-नागूर के बीच की रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दे। इस तरह के कई बार-बार अनुरोधों के बाद तत्कालीन रेल मंत्री ने अपने 1993 के बजट में यह घोषणा की थी कि त्रिची-तंजावूर-तिरुवरूर-नागर के बीच रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जायेगा। परिणामस्वरूप त्रिची-तंजावूर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन इसके शेष भाग अर्थात् तंजावूर-तिरुवरूर-नागर के बीच की रेलवे लाइन में 10 वर्ष बीत जाने के बाद में आमान परिवर्तन का कार्य शुरू नहीं हुआ है।

अत:, मेरा भारत सरकार से, विशेषकर माननीय रेल मंत्री से तंजावूर, तिरुवरूर तथा नागपट्टिनम जिला के लोगों की ओर से यह अनुरोध है कि वे इस परियोजना को पुन: कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक निधियां आवंटित करें तथा परियोजना को इसी वर्ष पूरा करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करें।

(तेरह) खुर्दा और बोलंगीर को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत और खुर्दा से भुवनेश्वर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपरिपुल का निर्माण शुरु किए जाने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): बाढ़ और लगातार बारिश के कारण उड़ीसा राज्य की सड़कों की दशा बहुत अधिक खराब है तथा खुर्दा से बोलानगीर, वाया नयागढ़ और दसपल्ला, को जोड़ने वाला एकमात्र राजमार्ग बहुत अधिक उबड़-खाबड़ है। इसलिए मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वह इस कार्य के लिए तुरन्त और अधिक धनराशि आवंटित करें। इसके अलावा, जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए खुर्दा-बोलनगीर राज्य राजमार्ग को तुरन्त राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये। यही एक मात्र ऐसी सड़क होगी जो उड़ीसा के पश्चिमी और पूर्वी भागों को आपस में जोड़ेगी।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे स्थानीय लोगों की मदद के लिए तुरन्त इसकी घोषणा करें। खुर्दा से भुवनेश्वर के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपरिपुल के निर्माण कार्य में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है। अत: इस दिशा में तुरन्त कार्य शुरू किया जाये। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बढ़ते यातायात को सुचारू रखने के लिए खण्डगिरि, फायर स्टेशन छाक, सीपीआर छाक तथा वाणी बिहार पर तुरन्त ऊपरी पुलों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं

को ध्यान में रखते हुए खुर्दा जिले में तांगी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पारागमन पुल का निर्माण किया जाना चाहिए।

(चौदह) महाराष्ट्र के सतारा जिले की कराड़ तहसील में कृष्णा नदी पर खोडशी बांध के निर्माण को जल्द पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास पाटील (कराड़): महाराष्ट्र के सतारा जिला की कराड़ तहसील में कृष्णा नदी के ऊपर खोडशी बांध को पूरा किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि यह कई वर्षों से अधूरा पड़ा है। इस बांध के निर्माण को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से निधियां उपलब्ध करायी जा सकती हैं। इस बांध के बन जाने से कृष्णा नदी के तट पर रहने वाले किसानों को काफी लाभ होगा।

खोडशी बांध कृष्णा नदी पर 1920 में ब्रिटिश रेजीमेंट द्वारा बनाया गया था। साथ ही उन्होंने 20 किलोमीटर लंबी एक नहर भी बनायी थी।

महाराष्ट्र सरकार ने वर्तमान पत्थर की चिनाई से बने बांध से नीचे की ओर 100 मीटर की दूरी पर नये बांध निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह प्रस्ताव किया गया था कि नये बांध के बन जाने पर पुराने बांध को तोड़ दिया जायेगा।

इस नये बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया था लेकिन आधा बनने के बाद इसे रोक दिया गया।

इस समय नदी क्षेत्र पूरी तरह गाद से अटा पड़ा है और बांध की क्षमता आधी रह गयी है जिससे कृषकों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है।

कृषकों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह अत्यधिक आवश्यक है कि केन्द्र सरकार बांध के शेष भाग का एआईबीपी के माध्यम से निर्माण कराने के लिए तुरन्त हस्तक्षेप करे।

(पन्द्रह) बंद उद्योगों की भूमि का अंतरण दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को किए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता

श्री भानसिंह भौरा (भटिंडा): माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका के प्रत्युत्तर में अपने 10.5.1996 के निर्णय में यह आदेश दिया था कि जोखिम भरे और खतरनाक उद्योगों को बंद कर दिया जाये। इसने यह आदेश भी दिया कि इन उद्योगों को 68 प्रतिशत भूमि की 57 प्रतिशत भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को सौंप दी जाये। लेकिन न तो किसी औद्योगिक इकाई ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को अनुपालन किया और न ही डीडीए ने इस दिशा में कोई कदम उठाया।

इतना ही नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 28.4.2000 के आदेश में पुन: इस बात को कहा कि स्वतंत्र भारत मिल तथा बिड़ला मिल जैसी बड़े मिलों सहित बंद किये गये विभिन्न उद्योगों की भूमि को अपने हाथ में लेना डीडीए की जिम्मेदारी बनती है। यहां तक कि 1.3.2001 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में भी आदेश पारित किया कि विभिन्न उद्योग अपनी भूमि डीडीए को सौंप दें अथवा डीडीए द्वारा उनकी भूमि को कब्जे में ले लिया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विभिन्न आदेशों के बावजूद इन उद्योगों द्वारा न तो डीडीए को भूमि हस्तांतरित की गयी और न ही डीडीए ने भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए कोई कार्यवाही की। इसी बीच बंद किये गये उद्योगों ने डीडीए को जमीन सौंपने के बजाय तीसरे पक्ष को जमीन बेंचनी शुरू कर दी विशेषरूप से अनिवासी भारतीय आधारित पक्षों को। कई स्थानों पर निजी पक्षकारों ने मोटी हर्जाना राशि लेकर दिल्ली मेट्रो रेलवे को भूमि अधिग्रहीत करने की अनुमति दे दी और इस तरह उन्होंने काफी मुनाफा कमाया।

इसलिए, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और इस संबंध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पूरे मामले की जांच करायी जाये और सत्य को सामने लाया जाये।

अपराह्न 3.22 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कानकुन मैक्सिको में आयोजित विश्व व्यापार संगठन का पांचवां मंत्री स्तरीय सम्मेलन

उपाध्यक्ष महोदय: मद सं. 19, श्री अरुण जेटली द्वारा वक्तव्य।

[अनुवाद]

विधि और न्याय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, 10-14 सितम्बर, 2003 के दौरान कानकुन, मैक्सिको में आयोजित डब्ल्यूटीओ के पांचवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की कार्रवाइयों पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मंत्रिस्तरीय वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी जा रही है।

[श्री अरुण जेटली]

कानकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन दोहा घोषणा-पत्र द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ताओं में हुई प्रगति का जायदा लेने तथा कृषि, गैर-कृषि उत्पादों के लिए टैरिफ वार्ताओं, विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार एवं कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में वार्ताओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में यह भी तय किया जाना था कि क्या ''स्पष्ट आम राय'' द्वारा सहमत रूपरेखाओं के आधार पर सिंगापुर मुद्दों पर वार्ताएं शुरू की जाएं अथवा नहीं।

सम्मेलन की तैयारी में सरकार ने सभी प्रमुख हितबद्ध पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किये थे और तदनुसार अपनी वार्ता नीति तैयार की थी। यह नीति हमारे व्यापारिक हितों, विकास संबंधी चिंताओं तथा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार करके प्राप्त किए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। हम फलदायी परिणाम हेतु वार्ताओं में सक्रियतापूर्वक भाग लेने की इच्छा से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कानकुन गए थे।

14 सितम्बर, 2003 को कानकुन में समाप्त हुए सम्मेलन में सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। कानकुन में कोई निर्णय न लिए जाने का एक महत्वपूर्ण कारण अनेक विवादास्पद मुद्दों पर सभी सदस्यों की चिंताओं को ध्यान में रखकर आम राय तैयार करने के बारे में पटल पर रखे गए प्रस्तावों का अक्षम रहना था। सम्मेलन का समापन एक ऐसे मंत्रिस्तरीय वक्तव्य के साथ हुआ जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि दोहा अधिदेश के तहत वार्ताओं के समापन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों को सक्षम बनाने हेतु प्रमुख क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने की जरूरत है।

कानकुन के घटनाक्रम हमारे लिए निराशाजनक रहे हैं। हम एक ऐसी उपयुक्त, प्रभावी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति इच्छुक हैं जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए संस्थागत आधार उपलब्ध होगा और जिससे सभी देश लाभान्वित होंगे। किसी व्यापार व्यवस्था में भारत जैसे विकासशील देश के लिए अभिभावी प्राथमिकता और प्रतिफल उसके आर्थिक विकास हेतु ऐसी किसी व्यवस्था के प्रभाव में निहित है। विकास पर दिए जाने वाले इस जोर से डब्ल्यूटीओ में व्यापार संबंधी किसी नियम और प्रस्ताव पर हमारा दृष्टिकोण निर्धारित होता है। प्रमुख मुद्दों पर कानकुन में हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय हित द्वारा निर्देशित था।

कृषि के क्षेत्र में हमारी इच्छा यह सुनिश्चित करने की थी कि समूचे विश्व में कृषि बाजारों को जैसी अत्यधिक विकृतियों से मुक्त किया जाए जिन्हें व्यापक सब्सिडी प्रदान करके उत्पन्न किया गया है। इन विकृतियों से कृषि विकास का एक साधन बनने की अपनी संभावना को पूरा करने में विफल हुई है। ऐसी विकृतियों द्वारा उत्पन्न आय संबंधी असमानताएं अब भी विद्यमान है। समानता, न्याय एवं निष्पक्षता के हित में यह अनिवार्य है कि कृषि में व्याप्त विकृतियों को धीरे-धीरे समाप्त किया जाए। अत: विकासशील देशों में कृषि बाजार पहुंच को अन्यत्र बाजार विकृतियों में कमी करके उचित ढंग से सुव्यवस्थित करना होगा। साथ-ही-साथ हम जीविकोपार्जन करने वाले उन लाखों किसानों के हितों का संरक्षण करना चाहते हैं जो अपनी आजीविका के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर हैं। अत: एक ऐसी संक्रमणकालीन अवधि, जिसमें विशेष रक्षोपाय तंत्रों के उपयोग और विशेष उत्पादों के संरक्षण के जरिए प्रभावित किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा सके, के साथ कृषि क्षेत्र में विकृतियों में कमी की तुलना में बाजार पहुंच के प्रति सुस्पष्ट दृष्टिकोण तैयार करना होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में वास्तविकता के अनुरूप दुर्वह बाजार पहुंच संबंधी वचनबद्धताओं की हमसे आशा करना अनुचित था। दूसरी ओर कानकुन में प्रस्तावित कृषि संबधी रूपरेखाओं के मसौदे में इन चिंताओं का पूरा-पूरा ध्यान नहीं रखा गया था और इसमें सततगामी विकृतियों की पूरी-पूरी संभावना बनी रहेगी। हमारे पास इन रूपरेखाओं का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

जहां तक गैर-कृषि उत्पादों में टैरिफ वार्ताओं का संबंध है सभी सदस्यों की चिंताओं को ध्यान में रखकर वार्ताओं में पर्याप्त आम राय हासिल की जा सकती है।

जहां तक सिंगापुर मुद्दों का संबंध है, खासकर उन क्षेत्रों, जिनमें इन नए मुद्दों और विकास के बीच अन्योन्य क्रिया अज्ञात है, में हमारे आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए बहुपक्षीय नियम बनाने के प्रश्न का समाधान करना होगा। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को सभी सिंगापुर मुद्दों के लिए रूपरेखाओं के बारे में एक निर्णय लेना पड़ा तथापि ऐसा स्पष्ट आम राय द्वारा किया जाना था। विचार-विमर्श से स्पष्ट तौर पर यह पता चला कि न केवल इस आम राय का अभाव था बल्कि अधिकांश विकासशील देशों ने यह भी महसूस किया कि इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण की प्रक्रिया विधिवत चलानी होगी। अनेक तत्वों पर स्पष्टीकरण के अभाव में डब्ल्यूटीओ के अधिकांश सदस्यों ने इन मुद्दों पर वार्ताओं की शुरुआत को अस्वीकार कर दिया था और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने की मांग की थी।

इस बात की चिंताएं भी व्यक्त की गई थीं कि निवेश संबंधी खर्चे से विकासशील देशों के लिए उनके विकास संबंधी लक्ष्यों के प्रति एफडीआई के उपयोग हेतु नीति बनाने में बाधा आएगी। इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि ऐसे किसी ढांचे से एफडीआई का प्रवाह अधिक होगा और न ही प्रदर्शित किए गए किसी ढांचे की कोई जरूरत थी। प्रतिस्पर्धा नीति के संबंध में प्रतिस्पर्धा

प्राधिकारियों की स्वतंत्रता के उल्लंघन का मुद्दा असंतोषजनक था। सरकारी खरीद में पारदर्शिता संबंधी ढांचे के लाभ भी स्पष्ट नहीं थे। इसके बावजूद पटल पर रखे गए प्रस्तावों में कुछ क्षेत्रों में वार्ताएं शुरू करने का सुझाव दिया गया था। तथापि स्पष्ट आम राय के अभाव में वार्ताओं की शुरुआत असंभव थी।

भारत इस बात से भी असंतुष्ट था कि बकाया कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इन मुद्दों में उरुग्वे दौर के करार से उत्पन्न असंतुलनों और प्राथमिकता के आधार पर उनका निवारण किए जाने का उल्लेख किया गया था ताकि उरुग्वे दौर द्वारा उत्पन्न असंतुलनों को समाप्त किया जा सके। विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार से संबंधित मुद्दों के बारे में भारत ने यह महसूस किया कि मुद्दों के समाधान हेतु पर्याप्त तात्कालिकता प्रदर्शित नहीं की जा रही थी।

हमारे दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा है कि विकासशील देश वार्ता प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। विगत समय, जब उन पर भाग न लेने का आरोप लगाया गया था, के विपरीत विकासशील देशों के एक बड़े समूह द्वारा भाग लिया जाना एक स्वागत योग्य घटना है। इस प्रक्रिया में न केवल विकासशील देश भागीदार बने हैं बल्कि उन्होंने अन्य सहयोगी देशों से ऐसे गठबंधन तैयार करने के लिए सम्पर्क भी किया है जिन्हें सम्मेलन के दौरान और उसके बाद तैयार किया गया है। कृषि संबधी जी-20 और सिंगापुर मुद्दों संबंधी जी-16 से इन मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करने के प्रति विकासशील देशों की मंशा परिलक्षित होती है

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन एक मंत्रिस्तरीय वक्तव्य के साथ समाप्त हुआ जिमसें यह स्वीकार किया गया था कि कुछ प्रमुख क्षेत्रों में और अधिक कार्य किए जाने की जरूरत है ताकि डब्ल्यूटीओ सदस्य देश दोहा अधिदेश के तहत वार्ताएं पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। मंत्रिस्तरीय वक्तव्य में अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे तात्कालिकता और प्रयोजन की नई अवधारणा के साथ तथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वक्तव्य किए गए समस्त विचारों को पूर्णत: ध्यान में रखते हुए बकाया मुद्दों पर कार्य जारी रखें। डब्ल्यूटीओ महापरिषद के अध्यक्ष से महानिदेशक के साथ घनिष्ठ समन्वय से कार्य करते हुए यह कहा गया है कि वे इस कार्य का समन्वय करें और वार्ताओं के सफल एवं समय पर समापन हेतु 15 दिसम्बर, 2003 से पूर्व वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर महापरिषद की एक बैठक बुलाएं।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि वार्ताएं लम्बी चलने वाली प्रक्रिया है। हम वार्ताओं में रचनात्मक ढंग से भाग लेते आ रहे हैं और हम इस बात के प्रति आशान्वित हैं कि कानकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रगति के अभाव के बावजूद आने वाले सप्ताहों में प्रगति करना संभव होगा। कृषि उक्त वार्ताओं के केन्द्र में रही है। सिंगापुर मुद्दों पर हमारी संवेदनशीलता को भी समझने की जरूरत है। हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं कि "विकास" दोहा कार्यसूची के केन्द्र में स्थित है जैसाकि डब्ल्यूटीओ के दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अधिदेशित किया गया है।

भारत के लिए बहुपक्षीय प्रक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारा विश्वास है कि नियम आधारित व्यापार प्रणाली से राष्ट्रों के बीच व्यापारिक संबंधों के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी, पूर्वानुमेय, सुरक्षित एवं सतत् धारणीय वातावरण उपलब्ध होता है। हम यह मांग करते आ रहे हैं कि उक्त प्रणाली निष्पक्ष-हमारे विकासपरक लक्ष्यों के प्रति, हमारी आर्थिक जरूरतों के प्रति, हमारी आर्थिक तथा सामाजिक वास्तविकता के प्रति और हमारी आशाओं के प्रति निष्पक्ष हो। बहुपक्षीय प्रणाली को हमारा समर्थन जारी है और हम जिनेवा में आगामी वार्ता प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। हम मिलकर काम करने और आदान-प्रदान की प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक हैं ताकि पारस्परिक रूप से स्वीकार्य परिणाम निकाले जा सकें। जहां तक मांगों के संबंध में समझदारी और समायोजन की दिशा में आगे कार्रवाई किए जाने का संबध है, हमारी एकमात्र इच्छा यह है कि विचार-विमर्श अधिक समझदारी और संवेदनशील ढंग से किए जाएं ताकि व्यापार उदारीकरण से वस्तुत: विकास का फल प्राप्त हो सके।

अपराह्न 3.30 बजे

भारतीय तार (संशोधन) संख्यांक 2 विधेयक*-पुर:स्थापित

पुर:स्थापन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अरुण शौरी को भारतीय तार (संशोधन सं. 2) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने हेतु सभा की अनुमति के लिए बुलाऊं उसके पहले मुझे सभा को यह सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष ने श्री अरुण शौरी द्वारा लिखित 19 दिसम्बर, 2003 का एक पत्र प्राप्त किया है जिसमें यह सूचना दी गयी है कि विधेयक की विषय वस्तु से अवगत कराये जाने पर राष्ट्रपति ने विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (1) और (3) के अंतर्गत पुर:स्थापित किये जाने और उस पर विचार किये जाने की सिफारिश की है।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 2, दिनांक 19.12.2003 में प्रकाशित।

[उपाध्यक्ष महोदय]

अब श्री अरुण शौरी जी विधेयक पुर:स्थापित करने हेतु सभा की अनुमति संबंधी प्रस्ताव रखेंगे।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने हेतु पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण शौरी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री जी सभा पटल पर एक व्याख्यात्मक विवरण रखेंगे।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें जिस एक महत्वपूर्ण संशोधन का सुझाव दिया गया था वह यह था कि 'निरसन' के स्थान पर 'प्रतिस्थापन' शब्द रखा जाये।

अब मैं इसका संक्षिप्त इतिहास बताता हूं। इस बारे में एक विवरण हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में परिचालित किया जा रहा है।

सार्वभौम सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी सार्वभौम सेवा दायित्व निधि की स्थापना के लिए 4 अगस्त, 2003 को लोक सभा में भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय यदि विवरण काफी लंबा है तो आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं सभा पटल पर एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) रखता हूं जिसमें भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 की सं. 7) द्वारा तत्काल विधायन के कारणों को दर्शाया गया है।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.33 बजे

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक–*पारित*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, सभा वाणिज्य पोत परिवहन पर विचार हेतु आगे की चर्चा जारी रखेगी। अभी श्री मधुसूदन मिस्त्री बोल रहे थे। वे दो मिनट और बोल सकते हैं। उसके बाद माननीय मंत्री जी संक्षेप में उत्तर देंगे ताकि हम दो या तीन और छोटे-छोटे विधेयकों पर विचार कर सकें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे मद सं. 39 के बारे में एक विधेयक पुर:स्थापित करना है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर बाद में विचार होगा।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, केवल एक विधेयक को पुर: स्थापित करने की बात है और इसमें केवल एक मिनट लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: एक मिनट की बात नहीं है। बात प्रक्रियागत परेशानी की है। अब हमने एक दूसरी कार्य मद को ले लिया है।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, कल जब यह वाद-विवाद अपने अंतिम चरण में था तब इसे रोक दिया गया था और आज मैं इस बारे में सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। वास्तव में, मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहता हूं।

जैसाकि मैंने कल कहा था, इस विधेयक को इतने विलम्ब से कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठनों के सम्मेलन को मान्यता देने के बाद पेश करने पर मेरे मित्रों ने जो चिंताएं व्यक्त की है मैं उनसे सहमत हूं।

अब सभी पोतों तथा तेल टैंकरों के लिए यह अनिवार्य दिख पड़ता है कि जब वे भारतीय तट से दूर जायें तो वे इसके लिए भारत सरकार से अनुमति और प्रमाण पत्र लें। मैं जिसके बारे में सबसे अधिक चिंतित हूं वह है भारत का संपूर्ण समुद्री तट और विशेषकर गुजरात का तट। दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे राज्य

में समुद्री तट बहुत बड़ा है। पोत-भंजन (शिप ब्रेकिंग) हेतु आने वाले पानी के जहाजों के मामले में हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे हम ऐसबेसटास, सीसा आदि जैसे विषैले पदार्थों के प्रवेश को रोक सकें। अत: सरकार द्वारा गुजरात के तटों और उनके आसपास रहने वाले लोगों तथा श्रमिकों को प्रदूषक और खतरनाक पदार्थों से बचाने हेतु क्या उपाय किये जाने का विचार है?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को जो निदेश दिए हैं उन्हें ध्यान में रखा गया है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जब कोई पोत खरीदा जाता है तब उससे कोई प्रमाणपत्र लिया जाएगा?

एक अन्य बात यह है कि मैं उनका ध्यान नाविकों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं नौवहन विभाग का बजट देख रहा था, (सीमैन वैलफेयर फंड) नाविक कल्याण कोष के लिए केवल 14 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए दो अधिकारी है जिन्हें वास्तव में किन्हीं अन्य विभागों में स्थानान्तरित व समाहित कर दिया जाएगा। ये अधिकारी केवल चेन्नै में तैनात हैं।

तीसरे, मैं उनका ध्यान भारतीय नौवहन निगम व आन्तरिक जलमार्ग प्राधिकरण (इंटरनल वायरवेस अथारिटी) की ओर आकर्षित करूंगा जो कि वास्तव में विभिन्न अन्य पत्तनों, विशेषकर गुजरात में जहां कि नर्मदा, ताप्ती, मादी आदि जैसी बड़ी नदियां हैं, को विकसित करते हैं। अहमदाबाद को समुद्रतट के रूप में विकसित किया जा सकता है। दो सौ वर्ष पूर्व कैम्बे एक चमकता हुआ समुद्रतट था। गाद निकालने का कार्य क्यों नहीं हो रहा है तथा जलमार्ग प्राधिकरण विकसित क्यों नहीं हुआ है?

गोगा से सूरत तक जलमार्ग से चार घंटे की यात्रा है परन्तु यदि आप स्थल मार्ग से सूरत जाते हैं तो इसमें लगभग छह से आठ घंटे लगेंगे। ऐसी ही स्थिति मुम्बई से द्वारका, द्वारका से कोचीन तथा कोचीन से मंगलौर जाने के मामले में है। विभाग इन मार्गों को विकसित क्यों नहीं कर रहा है? यह एक रहस्य बना हुआ है। परन्तु, फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे कृपया गुजरात के समुद्र तटों को प्रदूषित होने से तथा समुद्रतट पर मैनग्रोव को नष्ट होने से रोकें।

इन्हीं कुछ राज्यों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री जी का संक्षिप्त और सुमधुर उत्तर।

...(व्यवधान)

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मुझसे बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए कहा गया है, अपना भाषण बहुत छोटा रखने को कहा गया है, मैं एक काम करूंगा। मैं आपके माध्यम से सभा के प्रति और विशेषरूप से श्री रमेश चेन्नितला, श्री मधुसूदन मिस्त्री, श्री सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री वरकला राधाकृष्णन, श्री सिमरनजीत सिंह मान, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि इस सभा में उपस्थित नहीं हैं श्री अनादि साहू, श्री पी.एस. गढ़वी, और निश्चित रूप से श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा रचनात्मक सुझाव, आशीर्वाद तथा इस विधेयक को समर्थन देने के लिए उनकी प्रशंसा तथा आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अनुमति *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: विचारार्थ हेतु ....

...(व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: महोदय, यह मेरे लिए नयी बात है। कम से कम मैं ईमानदार होने के नाते *...(व्यवधान)* यह मेरा पहला विधेयक है जिसे मैं इस सभा में पुर:स्थापित कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि पूरी सभा मुझे प्यार करती है और मैं भी इस सभा से इतना ही प्यार करता हूं।

अब, मैं इस सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि, राज्य सभा द्वारा यथापारित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 6 तक विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़े गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, मंत्री जी यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.40 बजे

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 24 और 25 को एक साथ लेंगे। श्री प्रियरंजन दासमुंशी वैधानिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 नवम्बर, 2003 को प्रख्यापित भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 की संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।''

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का क्या हुआ? कृपया मुझे अनुमति दें। यह केवल एक औपचारिकता है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इन दो-तीन मदों के पश्चात मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय यब यहां कोई नहीं रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: सभी यहां होंगे।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, आप हमें अनुमति दें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति मांगी है।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: मैं नियम 193 के अधीन चर्चा के पश्चात अपने विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति ले चुका हूं। इसमें केवल एक मिनट लगेगा। यह औपचारिकता का प्रश्न नहीं है *...(व्यवधान)* सभी गैर-सरकारी सदस्य जा चुके हैं। मुझे जाना है। यदि हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य नहीं ले सकते तो यहां प्रतीक्षा करने का क्या उपयोग है? *...(व्यवधान)* मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को अपनी असुविधा के बारे में बता चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, हमने इसी के आधार पर अपनी यात्रा की रूपरेखा तय की है। अब आपने अकस्मात् बोल दिया कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य बाद में लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: यह अकस्मात नहीं कहा गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी ओर से ही इस बारे में पूरी सभा की सहमति ली थी।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: अब तक तो मैं इसे पेश कर चुका होता। मैंने माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति ले ली है *...(व्यवधान)* मुझे माननीय अध्यक्ष की अनुमति मिल गयी है। कृपया मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन इससे मुझे परेशानी होगी। प्रक्रिया के अनुसार जब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार किया जायेगा मैं आपको इसे पेश करने की अनुमति दे दूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन: इस विधेयक पर उस विधेयक के बाद विचार किया जा सकता है। मुझे केवल पांच मिनट लगेंगे *...(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, इसे थोड़ा पहले किया जाना चाहिए था। हमें यहां गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को भी करना है। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय बार-बार बदलता रहता है। सभा में क्या हो रहा है? हमें भी कहीं जाना है। हम यहां अपराह्न 3.30 बजे से विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए बैठे हैं। और आप अचानक इसके समय में परिवर्तन कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: कृपया हमें अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय: यह अकस्मात् नहीं है। कार्यमंत्रणा समिति में भी यही निर्णय लिया गया था। उस निर्णय को यहां सभा में पढ़कर भी सुनाया गया था।

श्री रमेश चेन्नितला: यह समय गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निर्धारित है। हमें इस मुद्दे को उठाने का पूरा अधिकार है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था और इस बार माननीय अध्यक्ष ने सभा की सहमति भी ली थी।

श्री पी.एच. पांडियन: मैं और श्री रमेश चेन्नितला यहां अपने विधेयकों को पुर:स्थापित करने हेतु अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं?

श्री रमेश चेन्नितला: मैं भी यहां सभा में इसी कार्य के लिए बैठा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, आप हमें विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। यहां हम दो लोग विधेयकों को पेश करने के लिए बैठे हैं। हमें इसके लिए बहुत कम समय लगेगा ...*(व्यवधान)* सभी सदस्य चले गये हैं क्योंकि उनका कार्य पूरा हो चुका है। हम यहां सभा का कार्य करने के लिए हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन हम जैसे ही इस कार्य को पूरा कर लेंगे आपको विधेयक पेश करने की अनुमति दे देंगे। हम इस पर आने ही वाले हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, क्या आप चाहते हैं कि मैं हवाईअड्डे पर हांफते-भागते पहुंचूं। आप मुझे वहां शांति से जाने दें ...*(व्यवधान)* अन्यथा मुझे हांफते-भागते वहां जाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन आपका विधेयक व्यपगत नहीं होगा।

श्री पी.एच. पांडियन: मान लीजिए लोक सभा भंग हो जाती है, तब क्या होगा? मुझे और कोई चिंता नहीं है। लेकिन यदि लोक सभा भंग हो जाती है तो यह विधेयक व्यपगत हो जायेगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं लगता कि लोक सभा भंग हो जायेगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): लोक सभा भंग नहीं होगी ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। वरना आज तक मैं आपकी बात मानता आया हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब तक तो हम इन दोनों विधेयकों को पारित कर चुके होते।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं निरनुमोदन मामलों में अधिक समय देने के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन मैं इसे गहराई से महसूस करता हूं कि सरकार इस बारे में सीधे अध्यादेश लाने से बच सकती थी। अध्यादेश अति आवश्यक मामलों में ही लाये जाने चाहिए। सरकार द्वारा इस बारे में जो व्याख्यात्मक टिप्पण दिया गया है वह इसके औचित्य को सिद्ध नहीं करता। विधेयक को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पेश किया जाना चाहिए था। मैं यही चाहता हूं कि सरकार भविष्य में सामान्य प्रक्रिया के तहत ही विधेयकों को पेश करें और इस तरह अध्यादेश के माध्यम से विधेयक लाने से परहेज करे। यह कार्य एक तरह से संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग और राष्ट्रपति को गलत सलाह देना है ...*(व्यवधान)* इस तरह के कार्यों को सामान्य और दैनिक ढंग से सभा में पेश किया जा सकता है। इसीलिए इस बारे में मेरा तर्क यह है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 नवम्बर, 2003 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मुझे एक निवेदन करना है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: वह भी उनमें से एक हैं जिन्होंने सांविधिक संकल्प हेतु सूचना दी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं समझता हूं कि विधि विभाग ने इस मामले में अपनी राय नहीं दी हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब यहां श्री दासमुंशी उपस्थित हैं तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने सूचना दी है पर दासमुंशी जी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने सांविधिक संकल्प पेश किया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस बारे में मुझे एक बात कहनी है मुझे उसकी अनुमति दी जाये। यह वैधानिक प्रश्न है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी द्वारा दो-एक वाक्यों में अपनी बात समाप्त करने के बाद आप बोल सकते हैं। यही प्रक्रिया है। आप तो इसे जानते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे माननीय मंत्री जी से एक साधारण सा प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये। मैं केवल इतना ही चाहता हूं और कुछ नहीं। मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन जी आप निरर्थक ही सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। सांविधिक संकल्प श्री दासमुंशी द्वारा पेश किया गया है। माननीय मंत्री जी ने विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप मुझे अनुमति दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी एक दो वाक्यों में अपनी बात समाप्त कर लेंगी। उसके बाद आपको बोलने का अवसर मिलेगा। यही प्रक्रिया है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं विधि व्यवस्था के संबंध में बोलना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, प्रश्न यह है कि सरकार 'चिकित्सीय संस्थान' के स्थान पर 'चिकित्सा महाविद्यालय' शब्द लाना चाहती है। विधि विभाग की जानकारी में सभा में इस विधेयक पर चर्चा हुई थी। वे इसके लिए सहमत हो गये हैं।

क्या पहले विधि विभाग इस मामले में सो रहा था और अब अचानक उनकी समझ में यह बात आ गयी है कि इसमें 'चिकित्सा संस्थान' शब्द उपयुक्त नहीं होगा और इसके लिए 'चिकित्सा महाविद्यालय' शब्द प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस मामले में विधि विभाग पहले क्या कर रहा था? एक शब्द को सही करने की आड़ में संवैधानिक उपबंध का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किसी अध्यादेश को जारी करने के संबंध में संवैधानिक उपबंध का प्रयोग किसी शब्द को सही करने के उद्देश्य से किया जाता है। क्या यहां इसकी अनुमति दी जा सकती है। यह केवल एक साधारण शब्द के बारे में है, और ऐसा विधि विभाग की अक्षमता के कारण है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वह विधि मंत्री की असक्षमता का उल्लेख कर रहे हैं। इसलिए इनकी मांग यह है कि प्रधान मंत्री जी विधि मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा दें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह एक साधारण सा शब्द है जिसे वे संशोधित करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 123 की शरण ली है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप प्रश्न पूछ चुके हैं। अब मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब मेरी समझ में आया है कि यदि उच्चतम न्यायालय इस मामले में कोई निर्णय दे दे तो और उसी के परिणामस्वरूप सरकार इस मामले में अध्यादेश लाने पर पुनर्विचार कर रही है। लेकिन इस मामले में तो स्वयं विधि विभाग ने राय दी है। क्या पहले वे सो रहे थे?

वे अचानक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि केवल एक शब्द बदलना पड़ेगा और इस कार्य हेतु वे एक अध्यादेश जारी करने के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह भूतपूर्व *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन। मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कुछ भी किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी किया जा सकता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: एक शब्द को ठीक करने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करे।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: एक शब्द को ठीक करने के लिए अध्यादेश जारी किया जा रहा है। यह बहुत हास्यास्पद है।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से जब आप कोशिश कर रहे हैं।

..(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या यह संसद है? मेरे लिए यहां होना बहुत हास्यास्पद है *..(व्यवधान)* वे एक अध्यादेश जारी करने हेतु संवैधानिक प्रावधान का उपयोग कर रहे हैं *..(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसी उद्देश्य हेतु यह विधेयक लाया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष जी, समय की कमी है, इसलिए इस बिल के लिए मैं कोई विस्तृत भूमिका नहीं बांधना चाहूंगी, संक्षेप में माननीय सदस्य की बात का उत्तर देना चाहूंगी। राधाकृष्णन जी ने जो बात रखी है और दासमुंशी जी ने भी बिल के कांटेट पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इसे एक अध्यदेश के द्वारा लाया गया। अगर राधाकृष्णन जी मेरा पहला वाक्य सुन लेते तो शायद उन्हें यह कहने की आवश्यकता न पड़ती। यह एक बहुत छोटा सा संशोधन है, जो अंजाने में हो गई चूक के सुधार के लिए लाया गया है। राधाकृष्णन जी ने कहा-''विधि मंत्रालय निष्क्रिय था। वे उस समय क्यों नहीं सक्रिय हुए, उन्होंने उस समय इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया?''

[हिन्दी]

महोदय, बड़े-बड़े से लेजिस्लेटिव ड्राफ्टमैन से भी बहुत बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह धारा 12 का मिसयूस नहीं है। *..(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: लेकिन इस गलती को एक अध्यादेश के माध्यम से ठीक किया जा रहा है *..(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं आपको वही बता रही हूं। धारा 123 इसलिए बनी है कि जब आवश्यकता पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जाए। यह एक छोटा सा संशोधन है और वह भी एमसीआई एक्ट में नहीं, आईएमसीसी एक्ट में रखा है। आपने स्वयं कहा कि जब दोनों सदनों ने बिल पारित किया, उस समय ''मेडीकल इंस्टीट्यूशन'' शब्द लिखा गया था। हमने जब नियम बनाने के लिए विधि विभाग को भेजा तो उन्होंने कहा कि मेडीकल इंस्टीट्यूशन की परिभाषा में केवल वे संस्थान आते हैं, जो डिग्री या डिप्लोमा देते हैं, इसलिए मेडीकल कालेज इसमें कवर नहीं होता, आप मेडीकल कालेज शब्द लाइए। अब सवाल यह है कि हम संशोधन क्यों लाए, हमारे पास 123 एप्लीकेशंस पैंडिंग थी-70 एप्लीकेशंस नये कालेज कोलने के लिए पैंडिंग थी। वे हमसे बार-बार कह रहे थे कि हम कोर्ट में जाएंगे, वह अननेसेसरी लिटिगेशन होता। इतना सा एक शब्द बदलना था, अगर वह शब्द बदला जाता तो उन एप्लीकेशंस को हम प्रोसेस कर सकते थे, अन्यथा हम इंतजार करते। केवल उस डिले को, जो विलम्ब हो रहा था, लोग बार-बार कह रहे थे, उन्हें एक ह्रासमेंट थी, उसे खत्म करने के लिए हमने अध्यादेश का सहारा लिया।

महोदय, बिल में कोई बड़ा संशोधन नहीं है, केवल दो संशोधन हैं-एक मेडीकल कालेज शब्द ला रहे हैं और दूसरा जो मौजूदा कालेज हैं वे भी उस स्टैंडर्ड पर आ सकें, इसके लिए उन्हें तीन वर्ष की अवधि दे रहे हैं। यह छोटा सा संशोधन है। लॉ मिनिस्ट्री ने इसे कंकर किया है और राज्य सभा ने पारित किया है। मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने इसे रखती हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, यह एक बहुत सरल विधेयक है और इस संशोधन का विरोध करने हेतु इसमें कुछ नहीं है। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी के सामने केवल एक प्रश्न रखना चाहूंगा। जैसाकि आप जानते हैं हाल ही में भारतीय चिकित्सा पत्रिकाओं में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था कि एलोपैथिक पद्धति के चिकित्सक आयुर्वेदिक औषधियां नहीं लिख सकते और यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें सजा मिलेगी। अब, विश्व भर में आयुर्वेद की यह समेकित पद्धति अन्य पद्धतियों के द्वारा अधिकाधिक उपयोग में लाई जा रही है। इस पर कुछ भ्रम है। क्या मंत्री जी की इस पर कोई राय है क्योंकि इससे चिकित्सकों के सम्मुख ये बातें स्पष्ट दी जाएगी? दूसरे, पश्चिम बंगाल में दो मेडीकल कॉलेज, एक एस.एस.के. मेडिकल हॉस्पीटल और दूसरा मिदनापुर मेडिकल कालेज, खोले जाने के आवेदन चिकित्सा परिषद के पास लंबित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं ताकि पश्चिम बंगाल में दो मेडिकल कालेज खोले जाने की अनुमति शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह मुख्यत: बड़ी संख्या में उभर रहे घटिया

[श्री रमेश चेन्नितला]

स्तर के महाविद्यालयों पर रोक लगाने हेतु लाया गया है, जो कि एक गंभीर समस्या है।

आयुर्वेद एक ऐसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग देश के कोने-कोने में किया जाता है। यह हमारी संस्कृति और विरासत का एक हिस्सा है। पुराणों और महाकाव्यों में भी आयुर्वेदिक पद्धति के प्रभाव की प्रशंसा की गई है। मेरे राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बहुत प्रसिद्ध है तथा बड़े पैमाने पर उसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद एक उपचार करने वाली चिकित्सा है और पंचकर्म जड़ी-बूटियों की पांच किस्मों के उपयोग द्वारा शोधन करने की चिकित्सा है। केरल राज्य में ये दोनों विधियां बहुत अच्छी तरह से विकसित हुई है।

आजकल, पंचकर्म और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों, दोनों का ही बड़े पैमाने पर देश के विभिन्न हिस्सों में दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं इस मूलभूत मुद्दे पर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त करता हूं। मेरे विचार से माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस पहलू को बहुत गंभीरता से लेंगी। लगभग पूरे देश में पांच-सितारा और तीन सितारा होटलों में हम इस बात को प्रदर्शित करते हुए बोर्ड देख सकते हैं यहां पंचकर्म उपचार उपलब्ध है, आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा मालिश केन्द्र यहां उपलब्ध हैं। यह एक प्रकार की अभद्रता और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का दुरुपयोग है। इसके संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सी शिकायतें आ रही हैं।

वास्तव में कोई व्यक्ति साढ़े पांच वर्ष का अध्ययन पूरा करने के बाद ही आयुर्वेदिक चिकित्सक बन सकता है। यह पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। आजकल, हम यह देख सकते हैं कि लोग तीन महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की संस्थाएं खोल रहे हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि सरकार को इस प्रकार की संस्थाओं व कार्यों को रोकने सहित कुकुरमुत्तों की भांति उग आई इन संस्थाओं पर रोक लगाने हेतु पहल करनी चाहिए।

इस विधेयक के अनुसार संस्थाएं मेडिकल कालेजों में परिवर्तित हो जाएंगी। इन कालेजों में भेषज गुण विज्ञान विषय होना चाहिए; इनमें एक औषध उद्यान होना चाहिए। यदि किसी आयुर्वेदिक कालेज में भेषज गुणविज्ञान नहीं पढ़ाया जाता और वहां औषध उद्यान नहीं है तो ऐसी स्थिति में देश में किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति को आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। औषधियों के निर्माण से संबंधित ज्ञान का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ शव-विच्छेदन तथा शरीर-रचना विज्ञान की प्रयोगशाला की सुविधाएं होना भी आवश्यक है।

मैं यह बात रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि हम जहां भी जाते हैं वहां इन संस्थाओं में इन सुविधाओं का अभाव है। यह एलोपैथी की भांति ही एक गंभीर अध्ययन है। यह अध्ययन की एक गंभीर शाखा है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, अभी तक मैंने केवल दो मिनट का समय लिया है। मैं कोई अप्रासंगिक बातें नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी के सम्मुख बहुत प्रासंगिक मुद्दे रख रहा हूं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

महोदय, व्याख्याताओं (लेक्चरर) की बात है तो इन महाविद्यालयों में उचित डिग्रीधारकों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी के सामने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं वह केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) पंजीकरण के बारे में है। किसी भी आयुर्वेदिक उपचार के लिए सी.जी.एच.एस. पंजीकरण नहीं है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी आयुर्वेदिक उपचार कराता है तो उसे कोई प्रतिपूर्ति नहीं मिलती। यदि केन्द्र सरकार का कोई कर्मचारी या यहां तक की संसद सदस्य भी आयुर्वेदिक उपचार कराता है तो उसे कोई प्रतिपूर्ति नहीं मिलती। अत: आयुर्वेदिक उपचार हेतु सी.जी.एच.एस. पंजीकरण की सुविधा होनी चाहिए।

महोदय, चूंकि आप मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए जोर दे रहे हैं मैं दो और बिंदुओं के बारे में बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं। पहला, कोस्टाकल आयुर्वेदशाला सर्वाधिक लोकप्रिय वैधशाला है मेरा अनुरोध है कि इसे मानद विश्वविद्यालय बना दिया जाना चाहिए। दूसरे, त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जिसमें 500 बिस्तर हैं तथा पूजापुरा में पंचकर्म संस्थान, जो कि एक विख्यात संस्थान है, को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। इन दोनों को एक साथ मिलाया जा सकता है। हम उन्हें एक विश्वविद्यालय बना सकते हैं।

महोदय, इसके बाद केरल में आयुर्वेद की गुणवत्ता को बनाए रखा जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं उभर रही हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह: यहां तक की औषधियां भी बहुत महंगी हैं। सरकार को उन पर कुछ राजसहायता देनी चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला: हां, मैं इस मुद्दे को भी ले रहा हूं।

इन संस्थाओं को कुछ अनुदान दिया जाना चाहिए जिससे कि वे सस्ते मूल्यों पर औषधियां दे सकें।

तत्पश्चात आयुर्वेद का शोषण पूर्णतया बंद किया जाना चाहिए। इसी के साथ यूनानी और सिद्ध पद्धति की औषधियों को धातुमय औषधियों के रूप में भी जाना जाता है। अत: धातुओं का शुद्धिकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, इन सभी पहलुओं अर्थात समुचित महाविद्यालय, लोकप्रिय बनाना, गुणवत्ता नियंत्रण आदि पर ध्यान देना होगा।

महोदय, दुर्भाग्यवश हमारी सरकार आयुर्वेदिक पद्धति को महत्व प्रदान नहीं कर रही है जबकि यह एक प्राकृतिक पद्धति है तथा हमारी सांस्कृतिक विरासत से पूर्णतया जुड़ी हुई है। इससे भी बढ़कर यह पद्धति एलोपैथी से श्रेष्ठ है क्योंकि आयुर्वेद में कोई इतर प्रभाव नहीं होते जबकि एलोपैथी इतर-प्रभावों से भरी पड़ी है। उदाहरण के लिए, आयुर्वेद में नवजीवन प्रदान करने की प्रक्रिया है जबकि एलोपैथी में नहीं है। इसी प्रकार आयुर्वेद में दमा, आधा सीसी (माइग्रेन) कमर का दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज है। लेकिन हमें केवल इस पद्धति को विकसित करना पड़ेगा। सरकार को इस चिकित्सा पद्धति के विकास पर विशेष जोर देना चाहिए।

यहां कोट्टाकल आयुर्वेदशाला जैसी कई विख्यात संस्थाएं हैं। यहां दिल्ली में एक आयुर्वेदिक केन्द्र है। सफदरजंग इन्क्लेव में बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। अत: सरकार को ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। सरकार को इस चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने हेतु आगे आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री जी।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दे। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया केवल एक प्रश्न ही पूछें।

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि इस संशोधन विधेयक में हम फार्मेसी कालेज को कहां रखेंगे। वर्तमान में यह एआईसीटीई के अंतर्गत आता है। यह औषधि से संबद्ध है। अत: मेरा अनुरोध है कि फार्मेसी कालेज को एआईसीटीई के नियंत्रण से हटा देना चाहिए और इसे भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और इसके लिए एक अलग से फार्मेसी परिषद बनायी जानी चाहिए। वास्तव में, प्रशासनिक नियंत्रण तथा शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में यह आपस में विरोधाभासी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से उनके उत्तर के दौरान यह जानना चाहूंगी कि क्या फार्मेसी कालेज को एआईसीटीई के अंतर्गत रखा जायेगा या फिर उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद के अंतर्गत रखा जायेगा। यदि इन्हें एआईसीटीई के अंतर्गत रखा जाता है तो क्या सरकार इसे एमसीआई के अंतर्गत लाने हेतु कदम उठायेगी ताकि उस पर और उसके उत्पादों पर एमसीआई का नियंत्रण रह सके।

अब मैं अपने दूसरे प्रश्न पर आती हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

यह बात मैं माननीय मंत्री जी के सूचनार्थ बता रही हूं। फार्माडाटकाम ने 1 अगस्त, 2003 को ''मुम्बई ब्लड बैंकस रेट्स वर्स्ट इन इंडिया' शीर्षक के अंतर्गत यह बताया है कि केन्द्र सरकार से निदेश न होने के कारण राज्य रक्ताधान परिषद इस स्थिति में नहीं है कि वह इसका उल्लंघन करने वालों पर आरोप लगा सके। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार इस बारे में संबद्ध अस्पताल मैं अस्पताल के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहती को निदेश देगी ताकि रक्तधान के समय एचआईवी-एड्स की घटनाओं को रोका जा सके।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि दो सामान्य संशोधन हैं जिनके बारे में माननीय मंत्री महोदया ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है। मुझे बहुत विस्तार से इसलिए नहीं कहना है कि क्योंकि समय का अभाव है और उसको मैं जानता हूं। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को लेकर तथा फार्मेसी कालेज को लेकर जितने भी मामले यहां उठाए गए हैं, यदि आप एक समेकित बिल लाने का प्रयास करेंगी तो निश्चित रूप से वह स्वागत योग्य होगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, शायद हमारे कुछ सांसद साथियों को यह मिथ्या धारणा है कि यह संशोधन एमसीआई एक्ट में आ रहे हैं। मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि यह संशोधन एमसीआई एक्ट के संशोधन नहीं हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह ने जो दो विषय रखे, वे दोनों इससे संबंधित नहीं हैं। *..(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: वे दूसरे मंत्री से संबंधित हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उन्हें आप प्रश्न काल में पूछ लीजिए। पहले तो वैसे ही समय कम है और दूसरे, जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वे इस बिल से संबंधित ही नहीं हैं। एमआईसी एक्ट में एमआईसी ने वैस्ट बंगाल कालेज का क्या किया, यह मैं आपको कॉरीडर में बता दूंगी बजाए इसके कि इस बिल के संदर्भ में आप मुझसे पूछें या आप कहें कि एलोपैथिक डाक्टर्स को आयुर्वेदिक दवा लिखने का अधिकार नहीं है। अभी तक मैं यह सुनती थी कि आयुर्वेदिक डाक्टर्स को एलोपैथिक दवा लिखने का अधिकार नहीं है। इन प्रश्नों का समाधान हम अलग से कर सकते हैं। यह बिल्कुल इस बिल से संबंधित नहीं है।

सरोजा जी कह रही हैं कि ब्लड बैंक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एचआईवी एड्स-ये आईएमएमसी आयुर्वेदिक कालेजेज से संबंधित बिल पर संशोधन हैं। उसमें यह प्रश्न कहां से आ गया। ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: महोदया, मैंने यह नहीं कहा कि मैंने यहां जो मुद्दे उठाये हैं वे विधेयक से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: हम कह रहे हैं कि समय कम है लेकिन यहां वे प्रश्न उठाए गए जो बिल से संबंधित बिल्कुल नहीं हैं। इन सबका जवाब मैं अलग से दे दूंगी।

जो प्रश्न श्री चेन्नितला ने उठाए हैं, वे बिल से संबंधित हैं। मैं दोनों के बारे में जवाब देना चाहूंगी। आपने जो एक बात कही कि मशरूमिंग ग्रोथ-जो इसका मूल अर्थ है जिसका संशोधन हमने किया था, वह इस मशरूमिंग ग्रोथ को रोकने के लिए ही किया था। आपने कहा कि बिना स्तर के सब-स्टैन्डर्ड कालेजेज खुल रहे हैं। उन सब-स्टैन्डर्ड कालेजेस का स्तर बढ़ाने के लिए ही संशोधन किया था। एक बार यह बिल लागू हो जाए, जो 28 जनवरी, 2003 को लागू हुआ, उसके नियम बनाने में यह अड़चन आ गई। एक बार नियमों के साथ यह एक्ट लागू हो जाए तो मशरूमिंग ग्रोथ भी रुकेगी क्योंकि अब केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक हो गया है। केवल सीसीआईएम के द्वारा यह अनुमति नहीं दी जा सकती। आपकी सारी चिन्ताओं का समाधान, इस संशोधन के बाद, यह मूल एक्ट करेगा जो अब आर्डीनेंस के साथ लागू हो ही गया है। जब आप बिल पारित कर देंगे तो यह नियमों के साथ लागू हो जाएगा।

आपके कुछ सुझाव भी थे। उन सारे सुझावों का समाधान हम लोग करेंगे। आपने जो बहुत अच्छे सुझाव दिए, हम उनका समावेश करेंगे। फार्माकोलोजी का सवाल सरोजा जी ने उठाया। मैं उनको बताना चाहूंगी कि अलग से, लॉ फार्माकोलोजी में इसे रैगुलेट करने के लिए, फार्मासिस्ट को, हम लोग आयुष के तहत ला रहे हैं। इस अलग कानून के तहत हम इस समस्या का समाधान भी कर देंगे।

पांडेय जी ने इसका समर्थन ही किया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमने जो दोनों संशोधन किए हैं, ये दोनों संशोधन उन नियमों को बनाने के लिए हैं। एक बार वे नियम बन जाएंगे और यह एक्ट लागू हो जाएगा तो आप स्वयं देखेंगे कि बहुत दिनों से रुकी पड़ी समस्या का सार्थक समाधान होगा।

इस चीज के साथ मैं वापिस अपने सांसद साथियों से अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री रमेश चेन्नितला: मेरे ख्याल से सीजीएचएस का मामला आप ही कर सकती हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: वह हमारे पास है। अभी हमारे सीजीएचएस में आयुर्वेदिक डिस्पैंसरीज भी हैं लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि जो जिस तरह की दवा लेना चाहे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, उसकी रीएम्बर्समैंट होनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 नवम्बर, 2003 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश (2003 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.06 बजे

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरे वरिष्ठतम सहयोगी श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए। इस बिल में थोड़ी सी टैक्नीकल और वैधानिक समस्या खड़ी हुई थी। जब उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का गठन हुआ तो विधान परिषद से 9 सदस्यों को उत्तरांचल में जाना था। 9 सदस्यों के जाने के बजाए एक सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद शास्त्री जी का चार तारीख को कार्यकाल समाप्त हो गया था, उनकी जगह दूसरा सदस्य आ गया था तो उत्तरांचल में 8 सदस्य गये। इससे 99 सदस्य के बदले उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सौ सदस्य रहे तो यह टैक्नीकल परिस्थिति पैदा हुई। इससे मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि अभी वर्तमान समय में सौ सदस्य होने के कारण यह बिल लाया गया है। छोटा सा संशोधन है ताकि पिछले समय में जो भी वैधानिक और अवैधानिक कार्य परिषद में किये गये हैं, वे माने जाए, वे अमान्य न हों।

[अनुवाद]

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या एक प्रश्न पूछ सकते हैं? क्या समर्थन नहीं कर रहे हैं?

श्री हरिन पाठक: आपकी ही वहां सरकार है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): हम समर्थन कर रहे हैं। प्रार्थना भी कर रहे हैं नहीं तो सुषमा जी कहेंगी कि मैं विषयान्तर कर रहा हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा काम इस संसद ने किया कि राज्य सभा के लिए खुला मतदान हुआ करेगा। विधान परिषद का चुनाव भी जिस तरह से होता है और उसमें जिस तरह के लोग चुनकर जाते हैं, मैं समझता हूं कि जिस दल का एक भी विधायक नहीं है, वे लोग राज्य सभा और विधान परिषद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार से मांग करना चाहूंगा कि राज्य सभा के लिए हमने चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ की है, अगर विधान परिषद के लिए सरकार अविलम्ब खुले मतदान की व्यवस्था कर दे तो बड़ी कृपा होगी। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस संबंध में घोषणा करें।

श्री हरिन पाठक: जो माननीय सदस्य ने बात कही है, उनकी भावना की कद्र करते हुए मैं माननीय कानून मंत्री जी को उनकी भावना से अवगत करा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री हरिन पाठक: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.10 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-*पुर:स्थापित*

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 17 दिसम्बर, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 38वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 17 दिसम्बर, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 38वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधेयकों को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री ए.जी. रामुलू-उपस्थित नहीं

डा. एस. जगतरक्षकन-उपस्थित नहीं

श्री विजय संकेश्वर-उपस्थित नहीं

अपराह्न 4.12 बजे

(एक) संविधान संशोधन विधेयक* (नए अनुच्छेद 371डक का अन्त:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 19.12.2003 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य-उपस्थित नहीं।

श्री चन्द्रकांत खैरे-उपस्थित नहीं।

अपराह्न 4.14 बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 103 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.एच. पांडियन-उपस्थित नहीं।

प्रो. आई.जी. सनदी-उपस्थित नहीं।

अब, सभा मद संख्या 41 लेती है। श्री कोडीकुनील सुरेश अपना भाषण जारी रख सकते हैं क्योंकि पिछली बार वे ही भाषण देने खड़े थे।

अपराह्न 4.15 बजे

केरल उच्च न्यायालय (तिरुअनन्तपुरम में एक स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक-*वापस लिया गया*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): महोदय, मैं, तिरुअनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना के लिए

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प का प्रस्ताव रखने का अवसर देने के लिए इस सभा का अत्यंत आभारी हूं। केरल के लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है, विशेषकर दक्षिण जिलों के निवासियों के लिए क्योंकि वे काफी समय से तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना की मांग करते रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो केरल के लोगों का बहुत समय से संजोया सपना सच हो जाएगा। इस वर्तमान विधेयक को सभा द्वारा विचार किये जाने और पारित किये जाने के लिए प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए मैं एक बार फिर से इस सभा का धन्यवाद करता हूं।

तिरुअनन्तपुरम देश के सबसे अधिक शिक्षित राज्य केरल की राजधानी है। तिरुअनन्तपुरम तत्कालीन रियासत त्रावनकोर राज्य का प्रमुख स्थल था। त्रावणकोर और कोचीन दोनों रियासतों के 1949 में त्रावणकोर-कोचीन संघ राज्य के रूप में विलय होने तक त्रावणकोर उच्च न्यायालय तिरुवनन्तपुरम में ही स्थित था। 1954 में त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन किया गया और यह महसूस किया गया कि तिरुवनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना किया जाना अत्यंत आवश्यक है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने तक त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय पीठ तिरुअनन्तपुरम में थी। उसके बाद से देश में तिरुवनन्तपुरम ही किसी राज्य की ऐसी राजधानी है, जहां कोई उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की पीठ नहीं है।

दक्षिणी क्षेत्रों और जिलों और केरल राज्य के लोगों ने तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ की पुन: स्थापना के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। केरल उच्च न्यायालय के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्रयासों के परिणामस्वरूप तिरुवनन्तपुरम में एक पीठ की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गयी जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के खंड 51(3) के अधीन केरल के राज्यपाल की स्वीकृति से मामला दाखिल करने की शक्ति के बिना वहां मामलों की सुनवाई कर सके। ऐसी व्यवस्था वर्ष 1958 तक जारी रही। केरल के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने तिरुवनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की एकल और डिवीजन पीठ के पास सुनवाई के लिए मामलों को भेजने की प्रथा को समाप्त किया।

महोदय, तिरुअनन्तपुरम की बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अभियोजन पक्ष की ओर से विभिन्न प्राधिकारियों को तिरुवनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना के लिए सरकारी स्तर पर आवश्यक कदम उठाने के लिए अभ्यावेदन दिये। बार एसोसिएशन ने महामहिम भारत के राष्ट्रपति, राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री सिकन्दर बख्त, वर्तमान में महामहिम केरल के राज्यपाल और तत्कालीन विधि मंत्री श्री रमाकान्त खलप और विभिन्न अन्य सरकारी प्राधिकारियों को 1995 में अभ्यावेदन दिया था। तभी से तिरुवनन्तपुरम की बार एसोसिएशन लगातार न्यायपालिका, केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठा रही है।

1958 में केरल विधानसभा में केन्द्र सरकार से तिरुअनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना का आग्रह करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। तत्पश्चात 1972 में, तिरुवनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय स्थायी पीठ की स्थापना की मांग संबंधी गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प के प्रत्युत्तर में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक आश्वासन भी दिया था कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। 1995 में केरल सरकार ने एक घोषणा की थी कि तिरुवनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जायेंगे।

महोदय, तत्पश्चात 1999 में भारत सरकार ने केरल सरकार से तिरुअनंतपुरम में पीठ की स्थापना के संबंध में केरल के मुख्य न्यायाधीश के विचार जानने और यह स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया कि क्या जसवंत सिंह आयोग के प्रतिवेदन में बतायी गयी आवश्यकताओं को तिरुवनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना के मामले में संतोषजनक तरीके से पूरा कर लिया गया है।

किसी राज्य के उच्च न्यायालय के स्थल से दूर उसकी पीठ की स्थापना का कार्य भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तैयार उचित प्रस्ताव पर और जसवंत सिंह आयोग के प्रतिवेदन के अनुरूप किया जाता है। यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है तो वह कार्रवाई कर सकती है और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पीठ स्थापित की जा सकती है।

न्यायाधीश सुब्रमण्यम पोट्टी ने केरल के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य करते हुए राज्य सरकार को सूचित किया था कि तिरुवनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित किये जाने पर केरल उच्च न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। न्यायाधीश मलिमथ, न्यायाधीश ओमप्रकाश, न्यायाधीश उदय प्रताप सिंह सहित अन्य भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने तिरुवनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की थी। न्यायाधीश ओमप्रकाश ने 9.11.1998 की अपनी तिरुवनन्तपुरम की यात्रा के दौरान राजधानी में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की आवश्यकता की स्पष्ट रूप से घोषणा की थी।

महोदय, केरल सरकार द्वारा 24 नवम्बर, 2003 को आयोजित सांसदों के सम्मेलन में राज्य के सांसदों को वितरित टिप्पण और कार्यसूची में केरल सरकार के गृह मंत्रालय तिरुवनन्तपुरम में उच्च

[श्री कोडीकुनील सुरेश]

न्यायालय की पीठ प्रारम्भ करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। कार्यसूची टिप्पण के पृष्ठ 24 और 25 में तिरुवनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित किये जाने के कारणों का उल्लेख किया गया है।

अपराह्न 4.21 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य की राजधानी तिरुवनन्तपुरम से 220 किलोमीटर दूर कोच्ची में स्थित हैं। तिरुवनन्तपुरम में स्थायी पीठ की स्थापना से केरल उच्च न्यायालय की क्षमता में वृद्धि होगी और इससे उच्च न्यायालय के बकाया कार्य को निपटाने में मदद मिलेगी। प्रत्येक वर्ष राजस्व वसूली राजस्व एकत्रण, वाणिज्यिक कर और सेवा मामलों संबधी हजारों मामले केरल उच्च न्यायालय में दायर किये जाते हैं। केरल सरकार के अधीनस्थ विभिन्न सरकारी कार्यालयों के अधिकांश मुख्यालय तिरुवनन्तपुरम में स्थित हैं। उच्च न्यायालय के राज्य की राजधानी से दूर स्थित होने के कारण सरकार और याचिकादाताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मैं इसके लिए केरल सरकार द्वारा व्यय धनराशि के आंकड़े बताना चाहता हूं। वर्ष 1999-2000 में खर्च व्यय 58.9 लाख रुपये था और 2000-01 में यह 58.32 लाख रुपये था। मुख्य व्यय 'सरकारी अधिकारियों को देय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता' की मद पर हुआ था। इस स्थिति की सूचना केरल के मुख्य न्यायाधीश को दी गई और यह अनुरोध किया गया था कि तिरुवनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना पर उच्च न्यायालय के विचार राज्य सरकार को भेजे जाएं।

सभापति महोदय इस संबंध में केरल के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ स्पष्टीकरण जानने चाहे थे जैसेकि क्या तिरुवनन्तपुर में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना से केरल सरकार द्वारा कोच्ची स्थित उच्च न्यायालय में मामलों के संबध में प्रति वर्ष किये जा रहे व्यय में कमी होगी या नहीं । मुख्य न्यायाधीश ने आगे पूछा था कि, ''क्या इससे सरकार के लिए तिरुवनन्तपुरम में महाअधिवक्ता के कार्यालय और उच्च न्यायालय के लिए नवनिर्माण करना आवश्यक नहीं हो जायेगा''? इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न थे जैसे, ''क्या इससे आधारभूत ढांचे की स्थापना और संस्थापना का परिहार्य अतिरिक्त खर्च नहीं होगा?

राज्य सरकार ने इस मामले पर राज्य के मुख्य सचिव द्वारा 6.3.2003 को की गयी बैठक में चर्चा की थी और इसमें प्रधान सचिव (गृह), प्रधान सचिव (वित्त) और सचिव (विधि) ने भी भाग लिया था। बैठक में इस विषय के सभी पहलुओं पर चर्चा की गयी थी और उन्होंने तिरुअनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना का समर्थन किया था।

महोदय, केरल के मुख्यमंत्री ने दिनांक 16.5.2003 के अधिशासित पत्र संख्या 56623/एसएसए/98 के द्वारा केरल के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया कि पीठ स्थापित होने पर तिरुअनन्तपुरम में नये उच्च न्यायालय और महाअधिवक्ता का काार्यलय स्थापित करने की आवश्यक भवन अवसंरचना उपलब्ध है। पत्र में आगे स्पष्ट किया गया है कि तिरुवनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना से राज्य सरकार पर कोई असहनीय वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को होने वाले लाभ उसे होने वाले खर्चे से अधिक हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की राजधानी को कई ज्यादा लाभ हैं। तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित होने से मामलों पर अधिक सक्रिय ध्यान दिया जा सकेगा। विशेषकर राज्य के वित्तीय मामलों में ऐसा हो सकेगा और उच्च न्यायालय के आदेशों की शीघ्र अनुपालना और न्यायिक प्रणाली और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय हो सकेगा। इसलिए राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया था कि इस मामले पर उच्च न्यायालय के विचारों को व्यक्त करें ताकि यह विषय भारत सरकार के विधि मंत्रालय के समक्ष रखा जा सके।

महोदय, केरल सरकार का अनुमान है कि तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ न होने की वजह से प्रत्येक वर्ष राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों के बीच तिरुअनन्तपुरम एकमात्र राज्य की राजधानी है जहां उच्च न्यायालय की कोई पीठ नहीं हैं। जिसके क्षेत्राधिकार में सारा राज्य आता हो। तिरुअनन्तपुरम में सभी तरह का आवश्यक आधारभूत ढांचा है और शहर में उच्च न्यायालय की पीठ को प्रारम्भ करने संबंधी जसवंत सिंह समिति की रिपोर्ट की शर्तें पूरी होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि सभी मापदण्डों को पूरा किया जाए। यदि परिस्थितियों की पूर्णता और क्षेत्र विशेष की परिस्थितियां पीठ की स्थापना के अनुकूल है तो इतना ही पर्याप्त है। जैसाकि समझा गया है कि विद्यमान प्रबल स्थितियां तिरुअनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना के पक्ष में हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय विधि मंत्री और विधि और न्याय राज्य मंत्री राजधानी तिरुअनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना के पक्ष में हैं। परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कार्रवाई शुरू नहीं की गयी हैं।

मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस विधेयक पर विचार करे और इसे पारित करे। मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना

के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठायें जिससे कि केरल के लोगों का दीर्घायामी स्वप्न साकार हो सके। यह मेरा अनुरोध है। आज विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री पी.सी. थामस यहां हैं। मैं आशा करता हूं कि वह इस संबंध में अनुकूल और सकारात्मक उत्तर देंगे। हम उनके इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि तिरुअनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं श्री के. सुरेश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। केरल की जनता की लम्बे समय से मांग कर रही है कि तिरुअनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हो।

इस संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रयोजन के लिए आंदोलन भी हुए थे। अनेक कानून विशेषज्ञों ने भी तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के लिए उस आंदोलन में भाग लिया तथा गिरफ्तारियां दी थी। मैंने भी उस आंदोलन में बहुत पहले भाग लिया था। आंदोलन लगभग तीन दशक पहले शुरु हुआ लेकिन अभी तक न राज्य सरकार न ही केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही की है। जहां तक मुझे पता है, केन्द्र सरकार की यह नीति है कि आम आदमी के लिए न्याय सस्ता किया जाए। इस संबंध में बंगलौर में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना का प्रस्ताव है जो दक्षिण भारत की जनता के लिए सुविधाजनक होगा। इसी तरह यह बिलकुल ठीक और उचित है कि तिरुअनन्तपुरम में खंडपीठ है। यदि यह यहां हो तो दक्षिण केरल में चार जिलों को इसका फायदा होगा। इतना ही नहीं, केरल सरकार ने केन्द्र सरकार और उच्च न्यायालय को भी बताया है कि उन्हें खण्डपीठ की स्थापना से फायदा होगा क्योंकि लगभग सभी जनहित संबंधी मुकदमे अब देश का कानून है और वह यहां दायर होगी। प्रत्येक मामले में जनहित संबंधी मुकदमे यहां होंगे। अनेक पहलुओं में जनहित याचिकाएं भी उच्च न्यायालय के समक्ष होंगी। आदेश आवेदन दायर होंगे। बार-बार संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी मामलों में सरकार पक्षकार होगी। सरकार को प्रति-शपथपत्र दायर करना होगा और नागरिकों के अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध स्वयं का बचाव करना होगा।

स्वाभाविक रूप से, लगभग सभी आदेश आवेदनों में सरकार एक आवश्यक पक्षकार है। सरकार और उसके तंत्र को अपने सभी दस्तावेजों के साथ तिरुअनन्तपुरम से 225 मील दूर उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। इसमें शुल्कादि के रूप में राजकोष से बड़ी राशि खर्च होगी। नि:संदेह, शुल्क तिरुअनन्तपुरम में भी दिया जा सकेगा। लेकिन वर्तमान मुख्यालय कोचीन में सरकारी मामलों के संचालन के लिए प्रतिवर्ष यात्रा खर्च, परिवहन खर्च और अन्य खर्चे करोड़ों रुपये में होंगे। इसलिए यदि तिरुअनन्तपुरम में एक खण्डपीठ होती है तो यह जनहित और राजकोषीय हित में भी होगा। उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित लगभग सभी लंबित रिट आवेदनों का निपटान तिरुअनन्तपुरम में किया जा सकता है। सरकार के लिए थोड़ी देर हेतु उपस्थित होना आसान हो जाएगा, सरकार के लिए ध्यान देना सरल हो जाएगा तथा सरकारी अधिवक्ताओं और महाअधिवक्ताओं को जब कभी बुलाया जाएगा, तो उनके लिए उपस्थित होना सरल होगा। इस तरह से राजकोष से अधिक खर्च किए बिना इसकी स्थापना की जा सकती है। इसलिए सरकार भी इस प्रस्ताव के संबंध में डांवाडोल है क्योंकि इससे सरकार द्वारा मुकदमे के रूप में खर्च कम होगा। यह एक बात है।

दूसरा, प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में राज्य की दो भुजाओं अर्थात् कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध होना चाहिए। दिल्ली में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है। यहां संसद और केन्द्रीय कार्यपालिका है। दोनों में सतत संबंध है। इससे सरल न्याय व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इसी तरह, यदि तिरुअनन्तपुरम में खंडपीठ स्थापित होती है तो जहां तक राज्य का संबंध है, न्याय सरलता से मिल सकेगा। इसके अलावा, सरकार को भी अपने मुख्यालय के अति निकट खंडपीठ होने से बहुत अधिक फायदा होगा। यह बहुत आवश्यक है। न्यायपालिका के लिए भी कार्यपालिका से निकटता न्याय व्यवस्था में बहुत अधिक सहायक होगी। इसलिए, इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए खंडपीठ की स्थापना की जानी चाहिए। कोई भी इस प्रयोजन को थोड़ा सा भी झुठला नहीं सकता है।

इस मामले में, मैं यह बताना चाहता हूं कि केरल सरकार ने भी तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए बहुत निश्चित कदम उठाए हैं। यह कोई नई बात नहीं है। तिरुअनन्तपुरम में एक खण्डपीठ की स्थापना की गई है। कुछ समय तक इसमें काम चला। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने अपनी कल्पना के कारण उस खण्डपीठ की दायर करने संबंधी शक्तियां वापस ले ली थी और इसलिए यहां काम बंद हो गया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी गलत आदेश के कारण कि तिरुअनन्तपुरम खण्डपीठ के समक्ष कोई मामले दायर न किए जाए। इसने कार्य करना बंद कर दिया। इसका कुल परिणाम यह निकला कि खण्डपीठ ने दायर करने संबंधी शक्तियों के बिना कार्य नहीं किया। इसलिए, यह एक नई खण्डपीठ की स्थापना नहीं है। यह मात्र तिरुअनन्तपुरम में खण्डपीठ की पुनर्स्थापना नहीं है। वस्तुत:, हम नई खण्डपीठ के लिए नहीं कह रहे हैं। हम खण्डपीठ की पुनर्स्थापन के बारे

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

में कह रहे हैं जो उच्च न्यायालय का मुख्यालय कोचीन में स्थानांतरित होने के बाद भी कुछ समय के लिए तिरुअनन्तपुरम में कार्य कर रही थी। इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय का ग्रंथालय है क्योंकि उच्च न्यायालय वहां 150 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहा था। इस तरह तिरुअनन्तपुरम उच्च न्यायालय की 150 वर्षों की परम्परा थी।

कोचीन और ट्रावनकोर की पूर्व प्रांतों के एकीकरण के बाद ही तिरुअनन्तपुरम में राजधानी बनाने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिपूरक उपाय के रूप में कोच्ची में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन यह सही निर्णय नहीं था। अब एक पूर्ण उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए तिरुअनन्तपुरम में सभी आधारभूत ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

दूसरा, इस बात का ध्यान रखा जाए कि केरल की विधानसभा ने तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया था। इस तरह, कार्यपालिका इस पक्ष में है, विधानमंडल पक्ष में है और कई बार न्यायपालिका भी पक्ष में थी लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। मौजूदा स्थिति यह है कि मैंने कई बार केन्द्र सरकार के विधि मंत्री को पत्र लिखे और उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि सरकार, केरल के मुख्यमंत्री से उत्तर प्राप्त होते ही केरल उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री के अनुमोदन से इस पर विचार करेगी। यह होने वाला नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? या तो केन्द्र सरकार पहल करे और खण्डपीठ की स्थापना करे अथवा वह राज्य सरकार पर दबाव डालें कि केरल के मुख्य न्यायाधीश की राय प्राप्त करने के पश्चात् मामले में तेजी लाएं। मामले में आगे और विलंब नहीं होना चाहिए। श्री रामजेठमलानी और श्री अरुण जेटली ने मुझे लिखा है कि वह तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए सहमत हैं लेकिन प्रक्रिया नियमों के अनुसार वह केरल के मुख्य न्यायाधीश से एक निश्चित उत्तर चाहते हैं। विधि मंत्री द्वारा दिए गए लिखित उत्तर से जहां तक मुझे पता चला है, मामला ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि केन्द्र सरकार को मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री के उत्तर की प्रतीक्षा है। यदि उत्तर उपलब्ध होता है तो वह निर्णय ले सकते हैं और यदि नहीं तो उन्हें याद दिलाना चाहिए, उत्तर प्राप्त करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि केरल सरकार की लम्बे समय से संजोई हुई इच्छा पूरी हो जाए।

तत्पश्चात्, न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में भी केन्द्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं। अब देशभर में फास्ट ट्रैक न्यायालय उपलब्ध है। लेकिन दुर्भाग्य से, यह केरल राज्य में मौजूद नहीं है। इसलिए, और विलंब किए बिना यहां फस्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाए और इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार को इनकी त्वरित स्थापना के लिए केरल सरकार को हर संभव सहायता देनी चाहिए।

महोदय, जनता में पारिवारिक न्यायालय बहुत लोकप्रिय है लेकिन पारिवारिक न्यायालय को कोई भवन नहीं है। वे किसी किराये के भवन में कार्य कर रहे हैं और अधिवक्ताओं के लिए वहां जाकर प्रैक्टिस करना बहुत कठिन है। इसके अलावा, पारिवारिक न्यायालय इस मायने में भी बहुत लोकप्रिय हैं कि वहां पारिवारिक परामर्श भी होगा और निर्णय बिना किसी विलंब के होगा।

केरल में कुछ ही पारिवारिक न्यायालय हैं। इसीलिए, पारिवारिक न्यायालयों की संख्या मौजूदा संख्या से अधिक की जानी चाहिए तथा प्रत्येक जिले में दो या तीन पारिवारिक न्यायालय होने चाहिए ताकि मानवीय संबंधों को उचित रूप से कायम रखा जा सके। अत:, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना तथा पारिवारिक न्यायालयों की संख्या बढ़ाने हेतु केरल सरकार को सहायता दे। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री आवश्यक पहल करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह बिना किसी विलंब हो जाए।

महोदय, मैं न्यायिक प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में एक अन्य मामला उठाना चाहूंगा। जहां तक केरल का संबंध है वहां न्यायिक प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया जाना वरीयता सूची में निचले स्थान पर है और कम्प्यूटरीकरण समय की मांग है। केरल में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बहुत विकसित स्थिति में है। अत: इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर केरल में न्यायिक प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकृत करने का अनुरोध करता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ये तीन चीजें उपलब्ध कराने के अनुरोध का विचार किया जाना चाहिए: (एक) फास्ट ट्रैक त्वरित निपटान न्यायालय, (दो) परिवार न्यायालयों की संख्या में वृद्धि; (तीन) न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण जिससे कि मामलों का त्वरित गति से निपटान हो सके। इस प्रकार त्वरित गति से न्याय होने का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य हेतु केरल राज्य को अविलम्ब आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अंत में, मैं पुन: इस बात को दोहराता हूं कि त्रिवेन्द्रम में पीठ की स्थापना भी अविलम्ब की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, अपने मित्र श्री कोडीकुनील सुरेश द्वारा पुर:स्थापित इस संकल्प का दृढ़ता से समर्थन करता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं हमारे माननीय साथी, श्री कोडीकुनील सुरेश द्वारा पुर:स्थापित इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। केरल के लोगों की बहुत

लंबे समय से यह मांग थी। मेरे विचार से दो दशकों से अधिक समय तक हम इस पर तर्क-वितर्क करते रहे हैं। केरल की राज्य सरकार भी इस मांग पर जोर दे रही है। केरल सरकार ने बारंबार माननीय विधि और न्याय मंत्री के सम्मुख इस मामले पर नोट दिया है। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी केरल राज्य में एक नई पीठ की स्थापना किए जाने पर सकारात्मक सुझाव तथा सहमति प्रकट की थी।

श्री अरुण जेटली ने उच्च न्यायालय की नई पीठ स्थापित किए जाने के संबंध में, अतारांकित प्रश्न संख्या 2541 का उत्तर देते हुए कहा था:

> ''वर्तमान में भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं। इन उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या संलग्न अनुलग्नक में दी गई है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार द्वारा मुख्य शहर से इतर उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना किए जाने के संबध में भेजे गए सम्पूर्ण प्रस्ताव के प्राप्त होने के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।''

उन्होंने उच्च न्यायालयों की पीठों की स्थापना हेतु दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों का सुझाव दिया है। हाल ही में मदुरै में एक खण्डपीठ की स्थापना की गई है। दूसरा प्रस्ताव पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक पीठ की स्थापना का है। उन्हें आवास तथा अवसंरचना संबंधी अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)* अत: इनके उत्तर से यह बहुत स्पष्ट है। वर्तमान सरकार नई पीठों की स्थापना के प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं है।

जसवंत सिंह आयोग ने वर्ष 1985 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। यदि आप नई पीठों की स्थापना की मांगों के इतिहास पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि क्या-क्या सुझाव तथा तर्क दिए गए थे। इस पर बहुत सी चर्चाएं हुई हैं।

चौथे विधि आयोग का प्रतिवेदन ही अपने-आप में रुढ़िवादी विचार का था। वे देश के विभिन्न भागों में पीठों की स्थापना के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि एक ही राज्य में इतनी अधिक पीठों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इसके लिए बहुत से कारण बताए हैं। उनका कहना था कि केवल एक उच्च न्यायालय होना चाहिए और उस न्यायालय को ठंडे दिमाग से उन मामलों की सुनवाई एक ही स्थान पर करनी चाहिए जिससे कि प्रभावपूर्ण तरीके से निर्णय लिये जा सकें। चौथे विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में 14 या 15 से अधिक कारण दिए हैं। लेकिन विख्यात कानूनविदों ने इस विचार के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया था। उन्होंने इस संबंध में कुछ बहुमूल्य सुझाव दिए थे। चौथे विधि आयोग ने नई पीठों की स्थापना के विरुद्ध कम से कम 14 टिप्पणियां की है। लेकिन विख्यात अधिवक्ताओं, जैसे न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति वेंकटरमैया, न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति सिंघल, न्यायमूर्ति के.एन. सेठ और न्यायमूर्ति के.एन. दयाल, ने इसके विरोध में अपने विचार व्यक्त किए थे। बहुत से विख्यात कानूनविदों ने इस तर्क के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त की है। न्यायपालिका में यह एक रुढ़िवादी विचारधारा है। समय बदल चुका है। लोगों की आकांक्षाएं बदल रही हैं। विधिक वातावरण बदल रहा है।

केरल उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। यह केवल केरल उच्च न्यायालय का ही मामला नहीं है अपितु बहुत से उच्च न्यायालयों में बहुत से मामले लंबित है। केरल में 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार 17,107 आपराधिक और 3,93,972 दीवानी मामले लंबित हैं। यदि आप मामले पर गौर करें तो पाएंगे कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। महोदय, न्याय में देरी अन्याय के समान है। बहुत से मामले लंबित हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अत: लोगों में कुंठा घर कर रही है।

महोदय, मैं एक उदाहरण दूंगा। इटली जैसे देश में माफिया तेजी से उभर रहा है। लोग माफिया का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इटली में माफिया बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वहां के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ सकारात्मक है क्योंकि लोग कहते हैं कि यदि आप माफिया के पास जाते हैं तो वे एक सप्ताह के भीतर आपकी शिकायत दूर कर देंगे। यह न्यायिक प्रणाली में लोगों के घटते विश्वास का एक उदाहरण है। यह अराजकता की ओर ले जाता है। आज के समय की मांग मामलों का शीघ्रता से निपटारा है। यह आज के समय की मांग है। दुर्भाग्यवश हमारे उच्च न्यायालयों में मामले लंबित हैं। लोग कुंठित हैं और वे बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

महोदय, भारत के विधि आयोग के चौथे प्रतिवेदन का सार यह है, उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है, 'राज्यों के विभिन्न भागों में पीठ थी। उदाहरण के लिए पंजाब उच्च न्यायालय, जिसकी एक पीठ दिल्ली में है, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिसकी सुनवाई जोधपुर और जयपुर में होती है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसकी लखनऊ में है, त्रावणकोर, कोच्ची उच्च न्यायालय की पीठ त्रिवेंद्रम तथा इरनाकुलम में है और मध्य भारत का उच्च न्यायालय- उस समय इसे मध्य भारत कहा जाता था-की सुनवाई ग्वालियर और इंदौर में होती है। महोदय, यह कोई नई परंपरा नहीं है, यह कोई नई मांग नहीं है। पहले भी, जब यह केरल में त्रावणकोर, कोच्ची में था तब त्रिवेन्द्रम और इरनाकुलम में सुनवाई होती थी। उस समय, इसे एक वास्तविक मांग के रूप में स्वीकार किया गया था। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और लोग असंख्य कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

[श्री रमेश चेन्नितला]

महोदय, विभिन्न और अलग-अलग मतों पर गहन विचार करने के पश्चात जसवंत सिंह महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है, 'अनुभव यह बताता है कि विधि आयोग और उच्च न्यायालय की बकाया मामलों संबंधी समिति द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएं सतही हैं। उन्होंने यह कहा है। उन्होंने इन सब ब्यौरों का अध्ययन किया है। उन्होंने इसके गुणावगुणों का मूल्यांकन किया और कहा कि राज्यों के विभिन्न भागों में नई पीठों की स्थापना करना एक स्वागतयोग्य कदम है।''

जैसाकि श्री सुरेश ने ठीक ही इंगित किया है, केरल सरकार केन्द्र सरकार को पहले ही लिख चुकी है कि इन सब पहलुओं पर ध्यान देकर बहुत से व्ययों में कटौती की जा सकती है। सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्तों की मद में लाखों रुपये व्यय किये जाते हैं। इस मद में बहुत बड़ी राशि व्यय की जाती है। सरकार के अधिकांश मामले भी विलंबित होते हैं क्योंकि उन्हें कोच्ची जाना पड़ता है, उन्हें 250 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है और कोच्ची स्थित न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है।

माननीय मंत्री जी स्वयं एक विद्वान अधिवक्ता हैं। वे थोडपुजा में वकालत करते थे। वे हमारे अच्छे अधिवक्ताओं में से एक हैं। अत: वे इन सब पहलुओं से परिचित हैं। केरल सरकार सभी प्रकार की ढांचागत सुविधाएं तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने को तैयार है। संसद सदस्यों के पिछले सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री जी ने सरकार की स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि केरल सरकार त्रिवेन्द्रम में एक पीठ स्थापित करना चाहती है और वह सारी सहायता तथा सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सरकार द्वारा सारी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

महोदय, जसवंत सिंह आयोग है जिसने इन सभी विचारों का अध्ययन किया था और विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्त मतों की जांच की थी। ''इसलिए, उच्च न्यायालय की उपर्युक्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों के मद्देनजर कुछ क्षेत्रों के लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य के ग्रामीण स्थानों पर उच्च न्यायालय की स्वतंत्र पीठों की स्थापना संविधान के विरुद्ध नहीं होगी। इसलिए ग्रामीण स्थानों पर उच्च न्यायालय की पीठों के गठन की अवैधता पर विरोधियों द्वारा उठायी गयी आपत्ति व्यर्थ है जो कि कुल मिलाकर हमारे द्वारा सुझावित मापदण्डों के लिए संतोषजनक है।'' इसलिए वे विभिन्न पक्षों द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित की जानी वाली खण्डपीठों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर रहे हैं। महोदय, यहां इस पर केरल के लोगों की महत्वपूर्ण और वास्तविक मांग के तौर पर विचार किया जाए। यह राजनीतिक मामला नहीं है। हमारे राज्य की प्रत्येक राजनीतिक दल इस मत की सुन रहा है और वे इस समुचित मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

हम सौभाग्यशाली हैं कि विधि और न्याय मंत्री हमारे राज्य से हैं। वह हमारे बीच है। हालांकि वे हमारी ओर से निर्वाचित है, अब वे दूसरी ओर हैं। मेरे विचार से, वे केरल राज्य को न्याय प्रदान करेंगे। वे केरल के लोगों की अपेक्षाओं के साथ न्याय करेंगे। हम निश्चित तौर पर इनकी ओर से सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं ताकि केरल के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूर्ण हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि राजधानी तिरुवनन्तपुरम में स्थायी उच्चतम न्यायालय होने का अत्यंत वैध कारण है।

महोदय, मैं केरल राज्य के अन्य मित्रों द्वारा दी गयी दलीलों को ही कमोबेश जोड़ना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय का महत्व अब बहुत बढ़ गया है क्योंकि 1980 में सेवा मामलों, कराधान, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गयी थी। काफी प्रशासनिक अधिकरण बनाये गये थे और अर्द्ध न्यायिक अधिकरण गठित किये गये थे। परन्तु एक दशक में ही हम पाते हैं कि यह उच्च न्यायालयों की भांति लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता था। इसलिए अब, भारत सरकार यह करने के लिए एक विधेयक ला रही हैं कि यदि राज्य सरकार कोई प्रशासनिक अधिकरण नहीं चाहती है तो वह उसे किसी भी समय समाप्त कर सकती हैं। ऐसी स्थिति हैं। इसका कारण है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश तथा सेवानिवृत्त नौकरशाह आम आदमी या नौकरीपेशा आदमी या अन्य कोई जो न्यायालय के समान उनकी सहायता चाहता है उसकी शिकायत दूर नहीं कर सकते हैं।

निसन्देह न्यायालय की प्रक्रियाएं अत्यन्त धीमी और लम्बी है परन्तु उन्हें उचित प्रक्रिया द्वारा छोटा किया जा सकता है परन्तु इसके साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश की शक्ति किसी प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश से कहीं अधिक होती हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जाए और न्यायपालिका को और गति प्रदान की जानी चाहिए।

जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अत्यंत आसानी से उच्च न्यायालय से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के काफी मामले लंबित हैं। प्रत्येक दिन कुछ प्राधिकरणों द्वारा जानबूझकर और अनजाने में नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता

है। उच्च न्यायालयों में जाकर सस्ती प्रक्रियाओं द्वारा इस प्रकार के मामलों का निपटारा किया जा सकता है।

परन्तु, अब दूरी भी एक मापदण्ड हैं। हम ई-वाणिज्य और ई-प्रशासन के युग में है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या का निपटारा चाहता है, तो इसे निपटारा करने के स्थान के नजदीक होना चाहिए जहां शिकायत निवारण संस्थान उसकी पहुंच में हो। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को नये सिरे से सोचना चाहिए।

अब, वे 21वीं सदी में काफी नये अधिकरण बना रहे हैं। वे दूरभाष नियामक प्राधिकरण और पेट्रोलियम नियामक प्राधिकरण बनाने के लिए कई कानून ला रहे हैं। वे कई अन्य नियामक प्राधिकरण भी बना रहे हैं। कमोबेश, वे कार्यकारी और न्यायिक दोनों कार्य कर रहे हैं। इसका एक दिन यही परिणाम निकलेगा यह उपयोगी नहीं है। परन्तु एक चीज उपयोगी है और वह है न्यायिक व्यवस्था विशेषकर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय आम आदमी का कानूनी औपचारिकताओं द्वारा यथाशीघ्र यथासंभव निपटारा करने के लिए उपयोगी है।

एकमात्र चीज हम यह पाते हैं कि सबसे बड़ा वादी सरकार ही है। इसकी वजह यह है कि सरकारी मशीनरी समस्याओं का शीघ्र निपटारा कर पाती हैं। इस वजह से वे न्यायपालिका में जाते हैं। यहां तक कि जब हम संसद में संशोधन पारित कर रहे हैं तभी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पर भी दस्तक ही दी जा रही है और हम उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करते है क्योंकि वे भिन्न ढंग से विचार करते हैं जो कि लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसलिए हमें कम से कम राज्य स्तर पर तुरंत एक उच्च न्यायालय की आवश्यकता है।

मैंने अपने राज्य तमिलनाडु में भी एक शिकायत प्राप्त की है। पहले ही वहां एक निर्मित भवन है। मदुरई में उच्च न्यायालय की खंडपीठ का कार्य प्रारंभ करने के लिए 50 करोड़ रु. से अधिक निवेश किये गये थे और भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है।

मद्रास उच्च न्यायालय पहले ही अपनी सहमति दे चुका है। एकमात्र बात यह है कि भारत सरकार और कार्यपालिका को संसद में यह कहते हुए संकल्प प्रस्तुत करना होगा कि मदुरई में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ होनी चाहिए। यह पिछले एक वर्ष से लम्बित है। हालांकि तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश इस बारे में भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय को पहले ही लिख चुके हैं। राज्य प्रशासन भी इसके लिए तैयार है। यदि इस भवन में उच्च न्यायालय की खंडपीठ प्रारम्भ हो जाती, जो कि एक वर्ष पूर्व ही बन गया है और खुल गया है तो लाखों लोगों की शिकायतों का निपटारा हो जाता और उनकी कई समस्यायें निपट जाती। यह भी एक सामाजिक दायित्व है। यह राज्य का दायित्व है और इसे किया जाना है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं मात्र यह कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में विशेषकर चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ भी बनायी जानी चाहिए जोकि न्यायिक दृष्टि से अत्यंत प्रसिद्ध स्थान हैं क्योंकि जब ब्रिटिश लोगों ने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पर शासन किया था उस समय चार्टर्ड उच्च न्यायालयों के लिए यह एक स्थान था। इसलिए, उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ भी बनायी जानी चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला: आप पहले ही मदुरई में एक खंडपीठ प्राप्त कर चुके हैं। वहां पहले ही एक खंडपीठ है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: मैं इसके लिए कह रहा हूं। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि दक्षिणी राज्यों को उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में अत्यंत सहायक होगी। दिल्ली तक न आने, काफी धन खर्च न करने और कई दिनों तक इन्तजार न करने से काफी शिकायतें निपटायी जा सकती हैं।

एक नये मंत्रीजी आये हैं। वह भी सांसद बनने से पूर्व वकालत कर रहे थे। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जी भी वकालत कर रहे थे। वे विशेषकर इस संदर्भ में लोगों की समस्याएं जानते हैं। न्याय पाने की पीड़ा को वित्तीय, शारीरिक, मानसिक और समयबद्धता से मुक्त करना चाहिए। एक उचित शिकायत निवारण मशीनरी का गठन किया जाना चाहिए। पूरे भारत में खंडपीठों की स्थापना के लिए तिरुवनन्तपुरम और मदुरई में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना एक चीज है बात है और दक्षिणी राज्यों में, विशेषकर चेन्नई में, उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ भी होनी चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री वी.एस. शिवकुमार (तिरुअनन्तपुरम): महोदय, इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं, तिरुअनन्तपुरम राजधानी में केरल उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना करने के लिए श्री कोडीकुनील सुरेश द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। तिरुअनन्तपुरम ही भारत में ऐसी राजधानी है जहां कोई भी उच्च न्यायालय खंडपीठ कार्य नहीं कर रही है। पूर्व ट्रावनकोर उच्च न्यायालय 31.10.1956 तक तिरुअनन्तपुरम में कार्य कर रहा था। एक अधिसूचना द्वारा इसे एर्णाकुलम में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वर्ष 1958 में प्रथम केरल विधानसभा ने तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना करने के लिए सर्वसम्मति से

[श्री वी.एस. शिवकुमार]

एक संकल्प स्वीकृत किया। वर्ष 1971 में, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने केरल विधानसभा को आश्वासन दिया था कि तिरुअनन्तपुरम में खंडपीठ स्थापित की जाएगी। वर्ष 1996 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को वही प्रस्ताव भेजा था। यह प्रस्ताव केरल के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात् कतिपय स्पष्टीकरणों, कि क्या तिरुअनन्तपुरम जसवन्त सिंह आयोग द्वारा अनुशंसित मानदण्डों से संतुष्ट है, के साथ पुन: प्रस्तुत किये जाने के लिए वापस भेजा गया। यह नोट किया जाए कि तिरुअनन्तपुरम श्री जसवंत सिंह आयोग द्वारा अनुशंसित मानदण्डों के पूर्णत: अनुरूप है।

मैं तथा केरल के दक्षिणी भाग से अनेक माननीय संसद सदस्य लोक सभा में कई बार यह मुद्दा उठाते रहे हैं। माननीय विधि मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि यदि तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय खण्डपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव केरल के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रस्तुत किया जाएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। केरल के माननीय मुख्य मंत्री ने केरल के माननीय मुख्य न्यायाधीश को अनुकूल स्थिति के बारे में बताया था और उनसे अनुरोध किया था कि वह तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना पर अपने विचार बताएं ताकि मामले पर भारत सरकार के विधि मंत्रालय से बातचीत की जा सके।

इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तिरुअनन्तपुरम में महाअधिवक्ता के कार्यालय और उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना पर वित्तीय वचनबद्धता के बारे में कतिपय स्पष्टीकरण मांगे। केरल के माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 16.5.2003 के अपने अर्द्ध-शासकीय पत्र से केरल के माननीय मुख्य न्यायाधीश को बताया कि केरल सरकार उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाएं स्थापित करने के लिए राज्य पर कोई अत्यधिक वित्तीय भार नहीं डालेगी और राज्य सरकार को हो रहे लाभ, व्यय की तुलना में अधिक होगा, लाभ अधिक होंगे और मामलों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का शीघ्रता से अनुपालन होगा तथा न्यायपालिका और सरकार आदि के बीच बेहतर समन्वय होगा। केरल के माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे इस मामले पर उच्च न्यायालय के विचार प्रेषित करने का भी अनुरोध किया ताकि वह मामले को भारत सरकार के साथ उठा सकें।

यह पता चला है कि मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना तमिलनाडु में मदुरै में तथा मध्य प्रदेश तथा उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है। हाल ही में हुई ये दो घटनाएं तिरुअनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ की मांग को और सुदृढ़ करती है।

यह नोट करना अप्रासंगिक है कि एर्णाकुलम में उच्च न्यायालय में मामलों की पैरवी करने के लिए राज्य के राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। केरल में उच्च न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों के अतिरिक्त पद स्वीकृत करने संबंधी भारत सरकार के हाल के निर्णय की पृष्ठभूमि में तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना अधिक प्रासंगिक हो जाती है।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि केरल सरकार की प्रशासनिक आवश्यकता और केरल के दक्षिणी जिलों की जनता की लम्बे समय से संजोयी अभिलाषा पूरी करने की दृष्टि से माननीय मंत्री केरल की राजधानी तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाए।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): महोदय, माननीय सदस्य श्री कोडीकुनील सुरेश जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, तथा अन्य माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है कि तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। इसके मुख्य पहलू इस पर हो रहा व्यय तथा सरकारी सचिवालय की तिरुअनन्तपुरम से निकटता है। अन्य पहलुओं में इस समय केरल में स्थित उच्च न्यायालय से दूरी तथा मुकदमे लड़ने वालों को उस स्थान पर पहुंचने में होने वाली कठिनाई शामिल है।

उपरोक्त उल्लिखित इन पहलुओं पर यदि जसवंत सिंह आयोग के अनुसार भी विचार किया जाए तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है, जिनका उल्लेख अनेक बार हुआ है।

संविधान का अनुच्छेद 242 प्रासंगिक अनुच्छेद है जो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है और इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 215 में विशेषरूप से यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। इसका अर्थ यह है कि अनेक पहलुओं के संबंध में उच्च न्यायालय की अपनी प्रक्रिया होगी तथा इस संबंध में भी कि मामलों की सुनवाई कहां होगी और खंडपीठों की स्थापना कहां होगी। ये सभी बातें उस अनुच्छेद के अधीन आ सकती हैं। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक संगत अधिनियम था जिनकी धारा 51(क) खण्ड (दो) राज्य के विभिन्न भागों में उच्च न्यायालयों अथवा खण्डपीठों की स्थापना के संबंध में संगत धारा थी। यहां उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी था और यह 24.7.2000 को दिया गया था जब कर्नाटक बार माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उच्च न्यायालय यह निर्णय करने हेतु सर्वोत्तम तंत्र है कि क्या उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान के बाहर खंडपीठ होना

आवश्यक और व्यवहार्य है। यह ऐसा मामला है जिस पर विभिन्न वक्ताओं ने भी यहां विचार व्यक्त किए हैं। यह सच है कि केरल सरकार ने 1995 और 1999 को अपने पत्रों तथा मुख्य मंत्री के माध्यम से सरकार का यह मत व्यक्त किया कि त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना की जानी चाहिए। भारत सरकार ने उस समय यह कहते हुए लिखित प्रत्युत्तर दिया था कि प्रस्ताव उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सहमति से आना चाहिए। जैसाकि बताया गया है इस बीच कुछ प्रश्न भी थे लेकिन यह सच है कि इस संबंध में अभी एक पूर्ण प्रस्ताव आना है। वस्तुतः, भारत सरकार खण्डपीठ की स्थापना के विरुद्ध नहीं है। यह भी सच है कि कुछ राज्यों में कुछ खण्डपीठों की स्थापना की गई है, जिनका उल्लेख किया गया है। मूल उच्च न्यायालय की खंडपीठों के बाद भी उच्च न्यायालय का स्थान विशेष में है। यदि इस संबंध में प्रस्ताव आता है तो मौजूदा सरकार उसके रास्ते में नहीं आएगी।

केरल का होने के नाते, मैं केरल के दक्षिणी भाग में उन जिलों के अनेक लोगों की आकांक्षाओं के बारे में जानता हूं। यह आकांक्षा बहुत लम्बे से है। लेकिन दुर्भाग्यवश, पूर्ण प्रस्ताव नहीं बनाया जा सका। अब हम किसी भी तरह इस संबंध में विधान पारित नहीं कर सकते हैं जबकि संवैधानिक उपबंध यहां है और इस संबंध में अन्य न्यायिक उद्घोषणाएं भी मौजूद हैं। इस तरह, इस मामले में भी उचित प्रक्रिया अपनाना राज्य, संबंधित सरकार तथा जनता के हित में होगा। हम आशा करते हैं कि केरल सरकार अपेक्षित उचित परामर्श से समुचित प्रस्ताव लाएगी ...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश: प्रस्ताव पहले ही आ चुका है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: सरकार की ओर से प्रस्ताव आया है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। प्रस्ताव को मुख्य न्यायाधीश का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यह समस्या है। सभी वक्ताओं द्वारा यहां यह कहा गया है ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विधि मंत्रालय ने केरल के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए भेजे गए पत्र का उत्तर का दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: उसका उत्तर दे दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश: आपका वक्तव्य प्रतिकूल ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: विधि विभाग द्वारा 10 दिसम्बर को केरल के माननीय मुख्य न्यायाधीश को ये तथ्य बताते हुए एक पत्र भेजा गया था।

उस प्रस्ताव की प्रतीक्षा हो रही है। माननीय संसद सदस्यों ने भी यही कहा है। मैं यह कहूंगा और यह आश्वासन दूंगा कि यदि मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रस्ताव आता है तो भारत सरकार उसके आड़े नहीं आएगी और सभी संभव कदम उठायेगी और मेरे विचार से सरकार इस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार कर सकती है। मैंने मंत्रालय में भी अन्य लोगों से चर्चा की है। यह तथ्य है कि इस पर विचार हो सकता है। मेरे विचार से उस सीमा तक एक सकारात्मक आश्वासन दिया जा सकता है लेकिन उस सीमा तक आश्वासन नहीं दिया जायेगा कि इस समय केरल राज्य के त्रावणकोर में एक उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना की जा सकती है क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं, जिनका मैं उल्लेख भी कर चुका हूं।

जहां तक उन पहलुओं का संबंध है, जिनका मैंने उल्लेख किया है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा। माननीय संसद सदस्य श्री वरकला राधाकृष्णन भी उनके बारे में बता चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कुटुम्ब न्यायालयों का क्या हुआ?

श्री पी.सी. थामस: हां, आपने उसके बारे में कहा है और अन्य लोगों ने भी न्यायपालिका से संबंधित पहलुओं के बारे में कहा है। केरल में त्वरित न्यायालयों (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की स्थापना की गई है। लेकिन अभी भी कुछ और न्यायालय स्थापित किये जा सकते हैं। केरल में लगभग 11 और न्यायालय स्थापित किये जा सकते हैं और केन्द्र केरल को इसके लिए धन प्रदान करने को तैयार है। मेरे मित्र श्री राधाकृष्णन ने कुटुम्ब न्यायालयों का उल्लेख किया है। यह सत्य है कि केरल में अभी केवल नौ जिलों में ही कुटुम्ब न्यायालय हैं। अन्य पांच जिलों में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के संबंध में मैंने स्वयं रुचि ली है कि वहां से यदि कोई प्रस्ताव आता है और हम उसके लिए भी किसी प्रस्ताव के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें इन पांच जिलों में भी उन न्यायालयों के स्थापित हो सकने की पूरी आशा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप उन्हें सभी जिलों में स्थापित कीजिए।

श्री पी.सी. थामस: यदि उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार कुछ और कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव भेजती है तो हम कुछ और कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं तथा भारत सरकार ऐसे प्रत्येक न्यायालय की स्थापना हेतु 10 लाख रुपये तथा उसके आवर्ती व्ययों के लिए 5 लाख रुपये प्रदान करेगी।

राज्य को सामान्य सहायता देने के बारे में भी एक बिंदु का उल्लेख किया गया था। मैं इस स्थिति में यह घोषणा भी कर

[श्री पी.सी. थामस]

सकता हूं कि चालू वित्त वर्ष के दौरान केरल के लिए उच्च न्यायालय सहित न्यायिक सुविधाओं हेतु अवसंरचना के विकास के लिए 284.88 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। 149.44 लाख रुपये की पहली किश्त राज्य सरकार को जारी की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 8.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इरनाकुलम स्थित न्यायालय के कम्प्यूटरीकरण- इस बात का भी उल्लेख किया गया था–का भी एक प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव परीक्षाधीन है।

मेरा ऐसा विचार है कि जैसाकि चर्चा की गई है तथा जैसाकि माननीय संसद सदस्यों ने भी कहा है, यदि शीघ्रतापूर्वक उच्च न्यायालय की सहमति से ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना भी की जा सकती है। हम इसे भी देखेंगे।

श्री कोडीकुनील सुरेश: आपने पहले भी यही उत्तर दिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: कुछ हुआ भी नहीं है। जैसाकि आपने कहा है यही समस्या है कुछ अन्य पहलुओं का भी उल्लेख किया गया था। इन चीजों की भी पुन: जांच करनी पड़ेगी जहां हमें उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त करने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: केन्द्र सरकार स्वयं से यह वादा कर सकती है कि न्यायपालिका से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात वह इसे करेगी। आप यह कह सकते हैं कि ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: मैंने यही कहा है। मैंने यह भी कहा है कि यदि आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। मुझे आशा है कि अतिशीघ्र एक प्रस्ताव प्राप्त होगा।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के बारे में क्या हुआ?

श्री पी.सी. थामस: मदुरै स्थित न्यायपीठ के बारे में, उच्च न्यायालय की इमारत का निर्माण हो रहा है और मुझे बताया गया है कि वह कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। हम अवसंरचना के बारे में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें पत्र में यह लिखना पड़ेगा कि वह कार्य संतोषजनक रूप से हुआ है। यदि यह हो जाता है तो मेरे विचार से यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा।

मेरे विचार से, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय संसद सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस समय इस आश्वासन के आधार पर इस विधेयक पर जोर न दें क्योंकि इस समय अधिकतम यही आश्वासन दिया जा सकता है।

श्री कोडीकुनील सुरेश: सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा। श्री वरकला राधाकृष्णन तिरुअनंतपुरम बार के अग्रणी अधिवक्ताओं में से एक हैं। उन्होंने इस चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त किए हैं। वास्तव में, वे उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने पूर्व में कई आंदोलनों में हमारा नेतृत्व किया था।

श्री रमेश चेन्नितला: एक अच्छे अधिवक्ता, परन्तु इनके पास कोई मामला नहीं है।

श्री कोडीकुनील सुरेश: एक अच्छे अधिवक्ता, परंतु इनके पास कोई मामला नहीं–महोदय, ये श्री रमेश चेन्नितला के विचार हैं न कि मेरे। अत: मैं श्री वरकला राधाकृष्णन को धन्यवाद देता हूं।

मैं श्री रमेश चेन्नितला, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया, को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कहीं और तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने की आवश्यकता के पक्ष में तर्क दिए।

मैं श्री ई.एम.एस. नाच्चीयपन को भी बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने भी इस बहस के दौरान अपने विचार रखे। श्री वी.एस. शिवकुमार तिरुअनंतपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हैं और इन्होंने तिरुअनंतपुरम व इसके आसपास के जिलों के लोगों की भावनाओं को यहां अभिव्यक्त किया।

श्री पी.सी. थामस, माननीय मंत्री जी केरल में लोगों के सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं उनसे पूर्णतया अवगत हैं। वे न्यायपालिका के बारे में भी जानते हैं क्योंकि वे थोडुपुजा बार में एक अग्रणी अधिवक्ता, जैसा कि श्री रमेश चेन्नितला ने उल्लेख किया। अत: वे त्रावणकोर क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं। हमें आशा है कि माननीय मंत्री जी शीघ्रतापूर्वक इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और तिरुअनंतपुरम में उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करेंगे। मुझे आशा है कि चूंकि वे त्रावणकोर और तिरुअनंतपुरम क्षेत्र के लोगों की भावनाओं से अवगत हैं अत: वे इस मामले में पहल करेंगे।

मैं विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी.सी. थामस से पुन: अनुरोध करूंगा कि वे तिरुअनंतपुरम में उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना हेतु तत्काल कदम उठाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय मंत्री जी द्वारा इस सम्मानित सदन में दिए गए आश्वासन के पश्चात, मैं अपने इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

मैं केरल के तिरुअनंतपुरम में उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना हेतु लाए गए इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि तिरुअनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कोडीकुनील सुरेश: महोदय, मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं।

अपराह्न 5.18 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक– *सभा पटल पर रखे गए*

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 18 दिसम्बर 2003 को हुई अपनी बैठक में यथापारित नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2000 भी सभा पटल पर रखता हूं।

सायं 7.10 बजे

वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक (भाग-2 इत्यादि का संशोधन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 42 लेते हैं।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2000 आवश्यकता आधारित विधेयक है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगी कि वे मेरे तमाम बिन्दुओं और बहस के दौरान यहां माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करते हुए विधेयक लाएं। मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक पारित नहीं होगा। अन्यथा इस विधेयक की संवेदनशीलता, महत्व और आवश्यकता को समझते हुए यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए।

महोदय, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। अब तक 22 वर्ष बीत चुके हैं। मेरे संशोधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरी 18 वर्षों की सरकारी सेवा और 12 वर्षों के राजनीतिक जीवन के व्यावहारिक अनुभव से जुड़े हैं। इस अधिनियम की वजह से मैं जरूरतमंद लोगों को अपनी सेवायें देने में समर्थन नहीं हूं। यह बाधा उत्पन्न कराना है। वनों के बिना आदिवासी विकास नहीं हो सकता और आदिवासी लोगों के सहयोग के बिना वनों का विकास भी नहीं हो सकता। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ने पूर्णतया आदिवासी लोगों के कल्याण को अनदेखा किया है। भाग 2 के मेरे संशोधन में यह बताया गया है:

"किसी राज्य में इस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी राज्य या अन्य प्राधिकारी, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसा निदेश देने वाला आदेश नहीं बना सकेगा कि "आरक्षित वन" की अभिव्यक्ति के अर्थ के अन्दर उस राज्य विशेष में इस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत कोई भी आरक्षित वन आरक्षित वन ही माना जायेगा तथा वन भूमि या उसके किसी भी भाग को वनेतर प्रयोजनों हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा।"

माननीय सदस्यों के हितार्थ, मैं बताना चाहता हूं कि 'वनेतर प्रयोग' का क्या अर्थ है। "वनेतर प्रयोजन' का तात्पर्य है,

[डा. वी. सरोजा]

"निजी स्वामित्व वाले वनों सहित वन भूमि के अन्य वनेतर प्रयोजन हेतु भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। वनेतर प्रयोजनों में चाय, कहवा मसालें, रबड़, ताड़, अन्य बागबानी और औषधीय पादप की कृषि भी शामिल होगी।"

महोदय, इससे आदिवासी लोगों और वन उत्पादनों पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि यह राज्य की वन संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य और विकासात्मक क्रियाकलापों के उद्देश्य में भी बाधक है। यह मात्र व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की समस्या है। भारत अभी भी विकासशील देश है और मेरी राय है और यह बात मैं संदर्भ से हटकर नहीं कह रही हूं, कि उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में यह अधिनियम विकासात्मक क्रियाकलापों को शुरू करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इस अधिनियम के दुष्प्रभावों के कारण और गरीबों और दबे कुचलों के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने वाले आम विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार से स्वीकृति लेने की बोझिल प्रक्रिया में भी यह अधिनियम बाधक साबित हो रहा है।

मैं यहां यह बताना चाहती हूं कि यहां उपस्थित माननीय सदस्यों में से अधिकांश अनुभवी सदस्य है-उन्होंने इस अधिनियम के दुष्प्रभावों का अनुभव किया होगा। मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में भी शामिल करवाना चाहती हूं ताकि यह दिखाया जा सके कि किस सीमा तक यह अधिनियम बाधक साबित हो रहा है। मुझे मेरे राज्य से एक उदाहरण उद्धरित करने की अनुमति दी जाए। वहां परम्मिकुलम-अजियार परियोजना नामक एक जल विद्युत परियोजना है, जोकि एक वृहद परियोजना है। उस परियोजना के प्राधिकारी वन और पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यह अधिनियम बाधा उत्पन्न कर रहा है। आप कह सकते हैं कि हमें यह स्वीकृतियां लेनी होगी। इसमें देरी क्यों हो रही है? मैं कहना चाहती हूं कि भारत सरकार से स्वीकृतियां प्राप्त करना सरल प्रक्रिया नहीं है। उसके कई नियम और विनियम हैं। यदि कोई वन भूमि 'वनेतर प्रयोजनों' के लिए प्रयोग की जानी है तो उसके भी कई नियम हैं। पीने के पानी की सुविधा, सड़कें बिछाने या दैनिक प्रयोग की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी हमें स्थानीय क्षेत्र के वन रेंज अधिकारी को आवेदन करना पड़ता है। फिर हमें जिला वन अधिकारी के पास जाना पड़ता है जिला वन अधिकारी से वह प्रस्ताव राज्य सरकार के प्रधान वन संरक्षक के पास भी जाना चाहिए।

तब, उसे भारत सरकार के पास जाना होता है। यह मात्र लघु विकास गतिविधियों के लिए है।

इन सब कार्यों में काफी समय लग जाता है और वास्तव में लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है जोकि उन्हें मिलना चाहिए।

महोदय, बड़ी परियोजनाओं के लिए, यदि किसी के पास एक एकड़ से कम भूमि है, तो उसे भारत सरकार से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु ऐसा नहीं है कि सभी परियोजनाओं के लिए कम भूमि की आवश्यकता होती है। कई बड़ी परियोजनाएं भी होती हैं।

परियोजनाओं की स्वीकृति के दो चरण होते हैं। प्रथम चरण में परियोजनाएं राज्य सरकार से भारत सरकार के पास जाती है और वे निर्देश जारी करते हैं। इसके अतिरिक्त एक वैकल्पिक तन्त्र भी था। जब कभी हम वन भूमि लेना चाहते थे, हमें ठीक उतनी भूमि वनरोपण के लिए देनी पड़ती थी। तभी पहले स्वीकृति दी जाती थी। परन्तु अब उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के बाद सरकार द्वारा निवल मूल्य निर्धारित किया जाएगा और राज्य सरकारों द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। इसलिए, हमें भारत सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तब, स्वीकृति का दूसरा चरण भी है।

यदि ऐसा नियम है, तो क्या आपका यह विचार नहीं है कि इस नियम को बदले जाने की आवश्यकता है? यह अधिनियम लोगों के कल्याण के लिए बिना किसी बाधा के उचित समय पर संसाधन जुटाने के लिए है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

मेरे प्रारम्भिक भाषण की इन कुछ लाइनों के साथ, मैं अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देती हूं। माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिये जाने के बाद मैं अपनी राय दूंगी।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): माननीय सभापति महोदय, नए माहौल में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है क्योंकि राज्य सरकार, जिला पंचायत और पंचायत स्तर पर भी काफी जटिलताएं थी।

पहले, हमने वर्ष 1927 में वन अधिनियम बनाया था। तत्पश्चात् हमने पुन: अधिनियम बनाया और यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 था। हमें इस तथ्य के कारण इस अधिनियम को बनाना पड़ा क्योंकि स्थानीय लोग बड़ी संख्या में वृक्षों और वनों की कटाई

कर रहे थे तथा कतिपय वर्गों द्वारा वन सम्पदा की चोरी की जा रही थी। उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, वन और प्राकृतिक सम्पदा की संरक्षक और महान नेता, जिनकी परवरिश भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी, ने प्रकृति के प्रति लगाव और वन संरक्षण के कारण यह विशेष अधिनियम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया।

यह अधिनियम बहुत सरल अधिनियम है। यह दो पृष्ठों में समा सकता है। इससे पहले इसे पूर्णरूपेण अधिनियम नहीं किया गया था और उस समय इसे अधिनियमित करने की आवश्यकता थी क्योंकि देशभर में वन नष्ट हो रहे थे, स्थानीय लोग वनों का संरक्षण नहीं कर रहे थे। वन सम्पदा की चोरी की जा रही थी और राज्य सरकारें इनके संरक्षण हेतु संरक्षकों की सहायता नहीं कर रही थी। तदनन्तर, सभी राज्य सरकारों ने जब कभी आदिवासियों का पुनर्वास करना चाहा अथवा उनके दरवाजों, घरों और सड़कों पर बिजली प्रदान करनी चाही, उन्हें भारत सरकार से अनुमति की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह, अनेक आदिवासी क्षेत्रों और वनों में आदिवासी लोगों की बनावटें थीं जहां उन्हें अपने आप निर्माण कार्य करना पड़ा।

पहले, उनके घर, शिशुशाला स्थल, स्कूल और अस्पताल पर्यावरण के अनुकूल थे। लेकिन बाद में जब आधुनिकता आई, वे ऐसी सामग्री लाए जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं थी, लेकिन इसके साथ ही अन्य लोगों ने भी इसे स्वीकार किया क्योंकि वह सामग्री उस समय की आवश्यकता थी ताकि लोग आधुनिक हो सके।

आदिवासी आदतों में परिवर्तन आया, वे शिक्षित होना चाहते थे, वे स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि में जाना चाहते थे। वे भारत सरकार और राज्य सरकार का अंग बनना चाहते थे। वे सरकारी नौकरियां चाहते थे, वे पेशेवर अथवा व्यावसायिक व्यक्ति बनना चाहते थे। इसलिए वे वनों में आधुनिकता ले आए। वे वनों के भीतर आधुनिकता चाहते थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां उचित सड़कों, पक्की सड़कों की आवश्यकता है। इसके साथ अन्य सभी सुविधाएं भी जुड़ गई।

उस समय वे भारत सरकार की अनुमति चाहते थे, प्रक्रिया बहुत लम्बी थी। उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जाना पड़ता था। इसलिए उत्तरवर्ती सरकारों ने क्षेत्रीय कार्यालय बनाए ताकि उस स्तर पर ही क्षेत्रीय आवश्यकता पूरी हो जाए। यहां, भारत का संचालन करना बहुत जटिल हो गया। दिल्ली में बैठकर, कोई भी वनों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकता है। इस तरह, देश की विचारधारा बदल गई है।

राजीव गांधी की पंचायती राज उद्घोषणाओं के पश्चात् आम जनता, वनों अथवा गांवों में रहने वाले आदिवासियों के अधिकार बढ़े हैं, वे कर्त्तव्य परायण हो गए। इस तरह वनों की रक्षा करना उनका कर्त्तव्य है, संविधान संशोधन के द्वारा वनों की रक्षा के अधिकार पंचायतों अथवा ग्राम सभा में स्थानीय लोगों को दिये गये थे। ग्राम सभा को वन सम्पदा की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें लाभ भी मिलना चाहिए।

माननीय मंत्री श्री टी.आर. बालू ने अपने कार्यकाल के दौरान जैव-विविधता विधेयक प्रस्तुत किया था; यह एक नए युग का आरंभ है। अधिनियम में ही ग्राम सभा को अधिक शक्तियां दी गई थी; ग्राम सभा के लोग उपलब्ध जैव विविधता का लाभ ले सकते हैं। औषधीय पादपों का निर्यात करके विदेशों को भेज सकते हैं; उन्हें आर्थिक लाभ मिल सकता है; वे अपना लाभ ग्राम सभाओं के साथ बांट सकते हैं। जैव विविधता अधिनियम के अधिनियम का सार यह था जिसकी सभी वर्गों के लोगों ने सराहना की।

जब यह मामला है तो स्थानीय लोगों की पूरी मांग बदल गई है और वनों की रक्षा का अधिकार अब उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल गया है। क्या अभी भी हमारे हाथ में शक्तियां होनी चाहिए? क्या हमें संविधान संशोधन और राज्य विधानमंडलों में बनाए गए अनुवर्ती अधिनियम के अनुसार शक्तियां प्रदान करनी चाहिए। हमारे सामने यह प्रश्न है।

अनेक मुख्यमंत्रियों ने तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर दिया है जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों के हितों की रक्षा हेतु सहायता और समन्वय की मांग की है। एक पत्र मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह द्वारा भेजा गया था। उन्होंने लम्बा-चौड़ा पत्र दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि किस तरह स्थानीय लोग कतिपय अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में पूछ रहे हैं और इसके साथ ही, वन अधिनियम मौजूदा उद्देश्य को किस तरह पूरा नहीं कर पा रहा है।

हम, संसद सदस्यों ने पिछले तीन वर्षों से जब कभी अवसर मिला हमने अवसर का लाभ उठाया और सरकार से मांग की कि वह जनता, निकटवर्ती गांवों में रहने वाले आदिवासी लोगों और पंचायतों आदि की सभी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक पूर्ण वन संरक्षण अधिनियम लाए। इस पहलू की जांच की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री श्री टी.आर. बालू इस बात पर ध्यान देंगे।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): वह किस तारीख का पत्र है?

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: 16 अगस्त, 2000, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए अनुरोध से काफी पहले। मैं तो कहूंगा

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

यह उचित समय है। पर्यावरण जागरुक समाज को जनता को अधिकार देते हुए एक स्पष्ट, आवश्यक अधिनियम लाना चाहिए। कानून में कम विनियम, कम पर्यवेक्षण होना चाहिए लेकिन लाभार्थियों पर अधिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी हमारी आवश्यकता बन चुकी सड़कें बनाने हेतु, हमें इधर-उधर जाना पड़ता है और अंत में हमें बताया जाता है कि गांवों को जोड़ने वाली सड़क वन क्षेत्र से होकर नहीं गुजर सकती है। इसकी जांच की जानी चाहिए। मैं राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं। भारत का नागरिक होने के नाते मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं। जब कभी क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आते हैं, वे अपने-अपने क्षेत्रों की मांग भूल जाते हैं। राज्य में ये लोग कहते हैं कि शक्ति केन्द्र सरकार में केन्द्रित है और उन्हें अधिक शक्ति, अधिक स्वायत्तता और अधिक अधिकारों की आवश्यकता है लेकिन जैसे ही वे राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रिमंडल का अंग बनते हैं, वे राज्य के बारे में भूल जाते हैं। नि:संदेह, उनको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य रखना होगा। मैं तो कहूंगा कि जब कभी स्थानीय लोगों की मांग आती है और यदि यह उनके लिए अच्छा है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: आप सामान्य टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। आपको प्रश्न पूछने चाहिएं ताकि मैं उन्हें नोट कर सकूं और अंत में उनका उत्तर दे सकूं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: स्थानीय लोगों की मांगों और आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु केन्द्र को राज्य की सहायता करनी चाहिए। हमने देखा है कि किस तरह केरल के अनेक संसद सदस्य तिरुअनन्तपरम में उच्च न्यायालय की मांग करते रहे हैं। प्रत्येक राज्य में यह भावना होनी चाहिए और सभी राज्यों को भारत सरकार से लाभ मिलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: मैं सदस्य से वन संरक्षण अधिनियम पर बोलने का अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)* यह विधेयक के दायरे में नहीं है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: कृपया सहयोग दीजिए। मैं एक के बाद एक मुद्दे पर आ रहा हूं ताकि आप भावुक न हों। मैं विधेयक के दायरे में ही बोल रहा हूं। मंत्री महोदय बहुत अधिक भावुक हैं और मैं पहले उनकी भावनाओं को शांत करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया विधेयक पर आइए। यह विधेयक के दायरे में नहीं है। आप मंत्री महोदय को सुझाव नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: मैं अब यह कहूंगा कि कुछ लोग 'मरीना बीच' के समीप राज्य की राजधानी के नए सचिवालय भवन को स्वीकार नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: यह चर्चा से किस तरह से संबद्ध है? ...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: मुझे इस तरह से टोका नहीं जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप विषय से हट रहे हैं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: मैं अपनी अगली बात पर आ रहा हूं। यदि मैं नियमों के भीतर नहीं हूं तो आप मेरे भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल सकते हैं लेकिन मुझे तर्क देते हुए इस तरह से न रोका जाए।

सभापति महोदय: आपके तर्क चर्चा के लिए प्रासंगिक होने चाहिए।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: महोदय, यह पूर्णत: प्रासंगिक हैं। आप इसे स्वीकार करेंगे।

तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय मंत्री को राज्य के हित की रक्षा करनी चाहिए।

सभापति महोदय: वह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं न कि तमिलनाडु का। वह तमिलनाडु के हैं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: महोदय, वह दक्षिण चेन्नई से निर्वाचित हुए हैं।

श्री टी.आर. बालू: माननीय सदस्य विषय-वस्तु के भीतर कुछ भी चर्चा कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: माननीय मंत्री को जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। 8.00 बजे एक और उड़ान है। वह उस विमान से जा सकते हैं। मैं विषय पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय: समय कम है। अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा के दौरान भी आप सदस्यों को रोक रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सरकारी कार्य शीघ्र पूरा करने की आपकी बात समझ सकते हैं। यदि मैं सीमा के भीतर नहीं हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं। मैं सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा।

माननीय मंत्री ने कतिपय विनियमों का उदाहरण देते हुए जैसे समुद्रतट के 500 मीटर के भीतर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, भवन निर्माण रुकवाने की कृपा की थी। इसे समय सीमा के अंदर होना चाहिए। इसीलिए, इसे रोका गया था। तदोपरांत, राज्य सरकार सचिवालय को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने हेतु आगे आई। उसे भी वन संरक्षण अधिनियम के तहत रोका गया था।

श्री टी.आर. बालू: यह वन संरक्षण अधिनियम हेतु प्रासंगिक नहीं है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: जब लोगों की ओर से किसी स्थान विशेष में विद्युत उत्पादन या बिजली को गांवों तक ले जाने या सड़कों को गांवों तक ले जाने या अस्पतालों अथवा विद्यालयों को स्थापित करने की मांग उठती है तो यह अधिनियम उनमें बाधा नहीं बनता है। हमें उन्हें ऐसा वातावरण निर्मित करने में सहायता देनी चाहिए जिससे कि हम वन्य सम्पदा की भी रक्षा कर सकें। वन्य सम्पदा को हटाया नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ लोगों की मांग भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इस विधान विशेष के बारे में विचार करने का अनुरोध करता हूं जो कि बहुत लंबा नहीं है। यह कुछ पहलुओं पर केन्द्रित हो सकता है। यह पूर्ण कानून नहीं बन सकता। इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में अगले सत्र में एक विधेयक लेकर आएं। मैं उनसे मुख्यमंत्रियों तथा राज्यों के वन मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करने का भी अनुरोध करूंगा।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, वे अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सचिवालय के निर्माण कार्य का यह मामला इस विधेयक से किस प्रकार जुड़ा है। उन्होंने इस विधेयक के बारे में कुछ नहीं कहा है ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): आपको इतना व्यग्र नहीं होना चाहिए।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में भी उतना ही उत्साह प्रदर्शित करें जितना उन्होंने जैव-विविधता अधिनियम के मामले में प्रदर्शित किया था। मैं उनसे पुन: अनुरोध करूंगा कि वे सभी संबंधित मंत्रालयों तथा सभी मुख्यमंत्रियों व राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक आयोजित करें। मैं उनसे यह अनुरोध भी करूंगा कि वे एक ऐसा नया विधान लाएं जिससे वन्य सम्पदा के संरक्षण के साथ आदिवासियों तथा आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की भी रक्षा हो सके। उन्हें वे सारी सामाजिक सुविधाएं तथा दायित्व भी दिए जाएं जिनकी गारंटी भारत के संविधान में दी गई है।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, डा. वी. सरोजा द्वारा रखे गये वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक में मूलत: तीन प्रावधान किए गए हैं। इसका पहला प्रावधान यह है कि यदि अधिग्रहीत भूमि का उपयोग सड़कों, पेयजल योजनाओं, टेलीग्राफ या टेलीफोन की लाइनें डालने या आम जनता के लाभ की किसी विकास योजना के लिए किया जाना है तो केन्द्र सरकार वन काटने की अनुमति देने से इन्कार नहीं करेगी। इसका दूसरा प्रावधान यह है कि यदि पहले प्रावधान में दिए गए कार्यों के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि नब्बे हैक्टेयर या उससे कम है तो केन्द्र सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरे, वह यह चाहती हैं कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना को केन्द्र सरकार के पास उसकी अनुमति के लिए भेजे जाने पर केन्द्र सरकार एक महीने की समयावधि के अन्दर-अन्दर इसका निपटारा करे।

महोदय, मैं इनसे पूर्णतया सहमत हूं कि बहुत से मामलों में किसी विकास कार्य की स्वीकृति पाने में बहुत लंबा समय लग रहा है। कई बार यह समय असाधारण रूप से बहुत लंबा होता है और इसके लिए संसद सदस्यों या किसी अन्य जन-प्रतिनिधि को उस परियोजना को स्वीकृति कराने हेतु हस्तक्षेप करना पड़ता है। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि अधिकांशत: स्वीकृति देने में विलम्ब होता है। यहां तक कि पेयजल योजना या सड़क बिछाने अथवा तार या टेलीफोन की लाइन डालने हेतु स्वीकृति पाने में भी विलम्ब होता है।

मैं यह नहीं चाहता कि स्वीकृति देने में इतना विलम्ब हो। यही बात मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न लाइनों के माध्यम से जल निकासी के मामले में भी हुई। मैंने धनराशि का भुगतान कर दिया था परन्तु स्वीकृति न मिलने के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। मुझे वह धनराशि वापस लेनी पड़ी और मुझे वह परियोजना किसी अन्य स्थान पर कार्यान्वित करनी पड़ी। अत: मैं डा. वी. सरोजा से पूर्णतया सहमत हूं कि ऐसे कार्यों के लिए सरकार को स्वीकृति को रोके नहीं रखना चाहिए।

महोदय, माननीय मंत्री जी इससे सहमत होंगे कि एक सरकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यही कर सकती है कि वह लोगों को एक अच्छा शासन प्रदान करे। यही एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी एक दल को बारंबार सत्ता में लाती है। 'अच्छा शासन' कारक के अलावा ऐसा और कोई मुद्दा नहीं हैं जो किसी सरकार को बार-बार मत दिलाए। अत: मैं डा. वी. सरोजा के इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं कि स्वीकृति देने का कार्य समयबद्ध होना चाहिए। एक ऐसी समय-सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए जिसके अंदर-अंदर केन्द्र सरकार को स्वीकृति दे देनी चाहिए।

[श्री खारबेल स्वाइं]

लेकिन इन्होंने भूमि के क्षेत्रफाल के संबंध में जो प्रस्ताव रखा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। उनका कहना था कि यदि भूमि का क्षेत्रफल 90 एकड़ या उससे कम है तो उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जाना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं। श्री नाच्चीयपन और डा. सरोजा ने वन संरक्षण अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। अब, यदि कोई यूरोप के देशों का दौरा करता है तो वह विमान-यात्रा के दौरान यह पाएगा कि वहां हर जगह वन ही वन हैं। जब व्यक्ति विमान से वहां उतरता है और वास्तव में उन वनों को देखता है तो उसे पता लगता है कि वे प्राकृतिक वन नहीं हैं अपितु मानवीय प्रयास से लगाए गए वन हैं। यूरोपीय देशों की सरकारें इस बात का ध्यान रखती हैं कि वहां हर जगह वन हों।

महोदय, हर समय यह कहा जाता है कि लोगों का अस्तित्व बना रहे इसके लिए हमें सड़कें चाहिएं, हमें विकास चाहिए, हमें पेयजल की सुविधाएं इत्यादि सभी चीजें चाहिएं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि यदि वनस्पतियां और जंतु समूह न रहें तो क्या मानवता का अस्तित्व बचा रहेगा? हम अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का संसार छोड़ कर जाना चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए केवल रेगिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या हम यह चाहते हैं कि वे एक ऐसे संसार में रहे जहां न वृक्ष हों, न पशु-पक्षी हों और न ही नदियां हों? क्या हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसा संसार छोड़ कर जाना चाहते हैं?

महोदय, अस्तित्व कायम रखने के लिए एक देश को 33 प्रतिशत वन क्षेत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन उड़ीसा जैसे राज्य में, जो आदिवासी बहुल जनसंख्या के कारण वनों से भरा होना चाहिए, मैं आपको यह बता सकता हूं कि वहां केवल 19 प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक वन क्षेत्र है। वहां आदिवासियों का प्रतिशत 22 है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या को भी उसमें जोड़ दें तो यह उड़ीसा की कुल जनसंख्या का 42 प्रतिशत हो जाता है। कागजों पर यह दिखाया जाता है कि राज्य में 32 प्रतिशत वन क्षेत्र है लेकिन यदि आप वहां वास्तविक सत्यापन करें तो आप पाएंगे कि वहां 19 प्रतिशत से कम वन क्षेत्र है। अधिकांशत: हम यह तर्क देते रहते हैं कि ये आदिवासी लोग कहां जाएंगे। यह आदिवासियों के हित में है कि उन्हें वनों के अन्दर ही रहने दिया जाए और वृक्षों को काटने दिया जाए। क्या यह एक व्यवस्थित तर्क है? आदिवासी पहले वनों में क्यों रहते थे? वे वन क्षेत्र में इसलिए रहते थे क्योंकि वे पूर्णतया गरीब थे और वनों से बाहर रहने के लिए उनके पास भूमि नहीं थी। लेकिन क्या आज भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं? क्या यह आवश्यक और बाध्यकारी है कि आदिवासी केवल वनों में ही रहें? उन्हें वनों में ही क्यों रहने दिया जाना चाहिए? मेरा तर्क यह है। यदि सरकार वन क्षेत्र से बाहर भूमि उपलब्ध कराने को तैयार है तो उसे भूमि उपलब्ध करानी चाहिए। वनों को किसी भी प्रकार के आवास से पूर्णतया मुक्त कराना चाहिए। अन्यथा पेड़-पौधे व जीन-जन्तु नहीं बचेंगे। यदि आज आप पूरे संसार को देखें तो आप पाएंगे कि आज विकसित देशों में वन भूमि नष्ट नहीं हो रही है अपितु वह केवल तीसरी दुनिया के देशों और बहुत कम विकसित देशों, जैसे अफ्रीका, लातिन अमरीका और एशिया के अन्य गरीब देशों में नष्ट हो रही है। ये गरीब लोग ही हैं जो विकास के नाम पर वृक्षों तथा वनस्पति व जंतु समूह को पूर्णतया नष्ट कर रहे हैं। इस विशेष बिंदु को समझना पड़ेगा।

श्री नाच्चीयपन ने तटीय विनियामक जोन के संबंध में एक बिंदु उठाया है। तटीय विनियामक जोन में यह प्रावधान है कि उच्च ज्वार-भाटा जोन के 500 मीटर की परिधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। लेकिन यदि आप राज्यों के तटीय क्षेत्रों, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में जाएं तो आप पाएंगे कि वहां झींगा पालन का कार्य धन कमाने का एक बड़ा साधन बन गया है। मैं नहीं जानता कि इसे कृषि (फार्मिंग) क्यों कहते हैं। वे कहते हैं कि यह कृषि (फार्मिंग) है। यह किस प्रकार की कृषि (फार्मिंग) है? झींगा पालन किस प्रकार की खेती है? विश्वभर में केवल यही एक ऐसा कार्य है जो आपके पैसे को तीन महीने में ही चार गुना कर देता है। राजनीतिज्ञों के सभी रिश्तेदार, उच्चाधिकारी और व्यवसायी केवल शीघ्रता से धन अर्जित करने हेतु झींगा पालन के इस कार्य में लगे हुए हैं। यह तो विनाश है। इसने धान की फसल और अन्य फसलों को दुनिया भर में पूर्णतया नष्ट कर दिया है। इसने थाइलैंड और फिलीपीन्स में तटीय जोनों को पूर्णतया बर्बाद कर दिया है और अब यह भारत को भी बर्बाद करने जा रहा है। इसका विष पेयजल के स्रोतों तक बहुत गहराई में पहुंच जाता है। जिन राज्यों का मैंने अभी उल्लेख किया है उनमें से अधिकांश के तटीय क्षेत्रों का पेयजल विषाक्त हो चुका है। कुछ गांवों में वे टैंकरों के माध्यम से गांवों के बाहर से पेयजल ला रहे हैं। इस नियम का कड़ाई से पालन क्यों नहीं हो रहा है?

[अनुवाद]

मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तटीय विनियामक क्षेत्र संबंधी नियमों को लागू किया जाए।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए कुछ और समय दें। मैं मात्र सात या आठ मिनट बोला हूं। यदि यह आज समाप्त न हो तो इसे अगले दिन भी लिया जा सकता है।

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिए मात्र दो घन्टे आवंटित किये गये है और अभी अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं इस समय व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे आज ही उत्तर देना होगा क्योंकि मैं माननीय सदस्यों का उत्तर दिये बिना नहीं जा सकता हूं। इसके अलावा, अगले शुक्रवार को सत्र भी नहीं है। यदि मैं आज उत्तर नहीं दूंगा, तो आज इस पर चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप आज मुझे उत्तर देने की अनुमति देंगे, तो चर्चा जारी रहेगी। अन्यथा, इसका कोई उपयोग नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न 4.15 बजे प्रारम्भ हुआ था। इसलिए, अभी पर्याप्त समय है।

सभापति महोदय: श्री चेन्नितला जी, अब समय नहीं है।

श्री टी.आर. बालू: चर्चा आज ही पूरी होने दे। इसमें कोई समस्या नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: समय सीमित है। अभी छह और माननीय सदस्यों को बोलना है और अभी उत्तर भी दिया जाना चाहिए। उसके बाद आधे घन्टे की चर्चा भी है।

श्री खारबेल स्वाइं: आंधे घन्टे की चर्चा का प्रारम्भकर्त्ता अभी यहां नहीं है। कोई नहीं जानता कि वे आयेंगे या नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): वे आयेंगे।

श्री टी.आर. बालू: मेरे विचार से इसे आज ही समाप्त करना ठीक रहेगा ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, कृपया मुझे बताए कि कितने मिनटों में मुझे अपना भाषण समाप्त करना चाहिए। क्या मैं दो मिनट और ले सकता हूं? मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कर दीजिए।

श्री खारबेल स्वाइं: मैं समाप्त कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा: महोदय, मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। मेरे विचार से माननीय मंत्री जी इस विधेयक को बहुत हल्का-फुल्का समझ रहे है। मेरे विचार से सभापति महोदय भी इस विधेयक को हल्का-फुल्का मान रहे हैं। यह मेरी राय है। यदि आप इस विधेयक पर चर्चा नहीं करना चाहते है तो यह अलग बात है। मेरे विचार से इस विधेयक का अपना महत्व है। यद्यपि यह कानून विधान का बहुत छोटा भाग है, फिर भी इसका दूरगामी प्रभाव होगा। इसका निश्चय ही प्रभाव होगा। ऐसा नहीं है कि यह वन संरक्षण अधिनियम केवल एक लाइन का है। इस मामले में क्या माननीय मंत्री जी मुझे यह आश्वासन देंगे कि क्या वे उन सभी परियोजनाओं को स्वीकृति देंगे जिनके बारे में मैंने अभी बताया है। यदि वे ऐसा करते हैं, तो मैं अपना विधेयक वापिस ले लूंगी।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी आपकी सभी बातों का उत्तर देंगे।

डा. वी. सरोजा: मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूं।

सभापति महोदय: आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये है। कृपया बैठ जाइए।

श्री टी.आर. बालू: मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रत्येक बिन्दु का उत्तर देने के लिए यहां हूं ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: क्या हम कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए बहस कर रहे हैं? क्या उन्हें कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति से संतोष हो जायेगा? ...*(व्यवधान)* कुल मिलाकर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: समय अत्यंत सीमित है। माननीय सदस्यों को समय का ध्यान रखना होगा। अभी और छह सदस्यों को बोलना है। इसलिए कृपया इसका ध्यान रखें।

श्री खारबेल स्वाइं: मैं इसे दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

मुद्दे पर आते हुए, मेरा सुझाव यह है कि विश्व की सुरक्षा के लिए वनों के संरक्षण, वनस्पति और जन्तुओं के संरक्षण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि कोई वृक्ष काटा जाता है, तो उसके स्थान पर अन्य जगह वनरोपण करके वृक्ष लगाये जा सकते हैं। मेरा यह भी कहना है कि इन नियमों को कड़ाई से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। नियम पहले ही बने हुए है। विकास के नाम पर छूट नहीं दी जानी चाहिए।

मुझे दो और सुझाव देने है। मैंने कहा है कि मैं दो मिनट और लूंगा।

सरकार उन लोगों को क्या प्रोत्साहन दे रही है जो वन-रोपण करते है? मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है। यदि कोई भी सांसद वनरोपण परियोजना के लिए एमपीएलएडीएस से कुछ निधि देने का प्रयत्न करता है तो किसी भी अन्य केन्द्र-प्रायोजित परियोजना

[श्री खारबेल स्वाइं]

की तरह केन्द्र को पचास प्रतिशत राशि देनी चाहिए। एमपीएलएडीएस से सदस्य द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि दी जा सकती है। इसलिए, यह भी मेरा एक सुझाव है।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक चीज कार्यान्वित करें। यूरोप और अमेरिका में वृक्ष काटने के नियम है। एक वृक्ष को काटने या एक जानवर को मारने की सजा एक आदमी को मारने से अधिक कड़ी है। यह नियम भारत में भी अपनाये जाने चाहिए जिससे कि भारत लम्बे समय तक अस्तित्व में रह सकें। अन्यथा भारत अगले 100 या 200 वर्षों में समाप्त हो जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

प्रारम्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि डा. सरोजा जो विधेयक लायी है उसमें कुछ अच्छे प्रस्ताव उचित ढंग से रखे गये हैं। शेक्सपियर के नाटक द मर्चेन्ट आफ वेनिस में पोर्शिया न्यायालय से कहती है कि शर्त के अनुसार एंटोनिया बिना एक बूंद भी खून किराये शाइलोक के मांस का पाउंड ले सकता है। वास्तव में यह लगभग असंभव है परन्तु बुद्धि अत्यंत कुशाग्र होती है।

सायं 6.00 बजे

महोदय, हम सबसे सहमत है कि प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के बिना सभ्यता विकसित नहीं हो सकती है और ऐसा वर्षों तक होता रहा है। परन्तु हमारा आधुनिक दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ सामाजिक आवश्यकताओं का तालमेल कर सकें।

जीने के लिए हमें वायु चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें स्वस्थ पर्यावरण चाहिए और इसके अलावा भारत एक ऐसा देश है जो कि अपनी जैव-विविधता और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। हमारी लगभग 40 प्रतिशत ऊर्जा वनों और प्राकृतिक संसाधनों से आती है और हम लगभग चारे का 30 प्रतिशत प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते है।

विधेयक की प्रस्तावक, डा. सरोजा ने वनों के संरक्षण के विरुद्ध बहस नहीं की। उनकी दलील को तोड़ा-मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जिसके लिए दलील की है वह ग्रामीण निर्धन और दबे-कुचले लोगों की विकासात्मक आवश्यकताओं को दबाने या उसके मार्ग में रोड़े अटकाने के लिए नहीं है।

महोदय, औपनिवेशिक शक्ति अर्थात् अंग्रेजों ने जानबूझकर कच्चे माल और हमारे देश की अन्य खनिज-सम्पदा को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों और वनों को नष्ट किया था। अब, हम वह बोझ झेल रहे है। अब भी हम पर औपनिवेशिक दबाव है और प्रबंधन का बोझ भी हम पर है।

जहां तक वन प्रबंधन की बात है, हमें एक प्रभावी प्रबंधन विधि की खोज करनी चाहिए। वन प्रबंधन में कई जटिलताएं है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि अतिक्रमणकारी कौन है? क्या वे एक परिभाषा में बता सकते हैं कि फलां-फलां अतिक्रमणकारी है? नहीं। विधायी श्रेणियां और प्रबंधन श्रेणियां है। विधायी क्षेत्रों में हम राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्यों इत्यादि को शामिल कर सकते है। प्रबंधन क्षेत्रों में हम प्रमुख वन क्षेत्र बफर क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, एलिफैन्ट रिजर्व आदि को शामिल कर सकते है। जहां तक वन प्रबंधन का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि समन्वय की अत्यंत आवश्यकता है।

महोदय, भारत दो समृद्ध जैव-विविधता वाले क्षेत्रों के साथ विश्व के 12 वृहद जैव-विविधता वाले देशों में से एक है। कभी-कभी उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है जिससे पर्यावरणवादी प्रसन्न होते है, परन्तु ठीक उसी समय उसी निर्णय से आदिवासी लोगों की आजीविका खतरे में भी पड़ सकती है। इससे उनकी आजीविका भी अचानक समाप्त हो सकती है क्योंकि अभी भी आदिवासी लोगों की बड़ी संख्या अपनी आजीविका वनों से चला रही है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 64 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी लोगों की है और वे अपनी रोजी वनों से कमाते है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर का मामला लें। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था जिसकी वजह से कोई वृक्ष नहीं काट सकता है। यह बिल्कुल ठीक है। यह पर्यावरण के लिए अच्छा है। परन्तु इससे आदिवासी जनता अचानक समाप्त हो जायेगी। अब वे क्या कर रहे हैं? इन आदिवासी लोगों ने वृक्षों से खालें उतारनी शुरू कर दी है। वे कृषि से अन्य क्षेत्रों में चले गये है। स्वाभाविक रूप से इस घटना से वनों के संरक्षण को हानि होगी।

भारत में 5.87 लाख गांवों में से लगभग 1.70 लाख से अधिक गांवों में वन भूमि के उपयोगकर्त्ता हैं। वे वनों में और उनके आस-पास रहते है। अब वे लोग वास्तव में वनों की विभिन्न श्रेणियों की सीमा बंदी के कारण भयंकर परेशानी में है। हम कह सकते हैं कि उनके लिए जगह बनाने के लिए आदिवासी लोगों को गांवों से खदेड़ा जा रहा है। यह अमेरिका नहीं है। अमेरिका में 83 प्रतिशत से अधिक लोग शहरों में रहते है। उस देश की शहरी जनसंख्या 83 प्रतिशत से अधिक पहुंच गयी है। यहां भारत में ऐसा कुछ नहीं है बल्कि यह एक स्वप्न है। वर्तमान में हम सपनों की दुनिया में नहीं रह सकते हैं।

केन्द्र सरकार ने एक प्रारूप अधिसूचना द्वारा निदेश दिया था कि कोई भी औद्योगिक परियोजना, वाणिज्यिक परियोजना या आवासीय परियोजना जो कि 50,000 लीटर से अधिक जल-मल उत्सर्जित करती है उसे केन्द्र सरकार की अनुमति के कार्य क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि पूरा देश विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अधीन शासित है। जहां तक विकेन्द्रीकरण का संबंध है, क्या इस तरह की अधिसूचना को राज्य सरकार के विहित विधायी प्राधिकार का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा? सभी जानते हैं कि इस अधिसूचना द्वारा विहित इस तरह की स्वीकृति में अत्यधिक विलंब होता है। जहां तक विकास का संबंध है, धीमी गति और विलंबकारी पद्धतियां सदैव इस क्षेत्र की प्रगति में बाधा पहुंचाती है। अत:, इस तरह का प्रारूप ऐसे सरलतम तरीके से तैयार किया जाना चाहिए कि इससे राज्य सरकार के प्राधिकार का किसी प्रकार से अतिक्रमण न हो। उच्चतम न्यायालय में गोडा बर्मन मामले में अनेक जटिलताएं उत्पन्न हुई थी जिनका बहुत युक्तिसंगत तरीके से समाधान किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1980 से पूर्व तथा वर्ष 1980 के पश्चात् कालिक वर्गीकरण के आधार पर वन में रहने वालों की पहचान की गई है। वनों की अनेक श्रेणियां हैं जैसे आरक्षित वन, ग्राम वन, बफर जोन, सीमांकन, सीमांकन रहित वन आदि। हम सभी वन संरक्षण के लिए अनुरोध कर रहे हैं। इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता। हम सभी इसके साथ हैं क्योंकि विश्वभर में यह सिद्ध हो गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन के कारण समस्त मानवता विभिन्न प्रकार की बीमारियों को झेल रही है।

महोदय, भारत में वनों में 41 प्रतिशत गिरावट आई है। हम 'ग्रीन हाउस' प्रभाव के बारे में जानते हैं; वन कार्बन और कार्बन धुएं को सोखने में मदद करता है।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, ठीक है। अत:, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को इतनी धृष्ठता से अस्वीकार न करें। उनके प्रस्ताव और विचार पर विचार किया जाना चाहिए ताकि हम राज्य सरकारों की चिंता के प्रति युक्तिसंगत दृष्टिकोण अपना सकें क्योंकि सभी राज्य सरकारें अनेक प्रकार के भेदभाव के कारण नुकसान उठा रही हैं। कई बार केन्द्र सरकार स्वेच्छा से भी ऐसा करती है।

***श्री के.के. कलिअप्पन** (गोबिचेट्टिपालयम): माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए सभापति को धन्यवाद देता हूं। मेरी सम्माननीय सहयोगी डा. बी. सरोजा द्वारा इस सम्माननीय सभा में प्रस्तुत संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं, जिसका उद्देश्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में और संशोधन करना है। महोदय, यह सच है कि हमें वन जैसी प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण हेतु कदम उठाने चाहिए। हमें उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरतनी चाहिए कि वनों की रक्षा का हमारा उत्साह विकास परियोजनाओं को प्रभावित करके हमारी जनता को इसके लाभ से वंचित न करे।

महोदय, तमिलनाडु डा. पुराची ताल्एवी अम्मा के गतिशील नेतृत्व के अधीन लोगों के कल्याण के लिए अनेक विकास परियोजनाएं बना रहा है और उन्हें क्रियान्वित कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से वन अधिनियम तमिलनाडु के दूरस्थ गांवों में कल्याण योजनाओं और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संघ सरकार और राज्य सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है। उन लोगों की सेवा करना हमारा कर्त्तव्य है जिन्होंने हमें चुना है। जहां तक हमारे नेता का संबंध है उनका दृष्टिकोण है कि जन सेवा ईश्वर की सेवा जैसी है। जहां तक हमारी सरकार और पार्टी का संबंध है, चाहे वह मुख्य मंत्री हों अथवा अन्य मंत्री हों, धर्मपरायणता के बाद जन सेवा आती है। इस बात पर हमारी संस्थापक नेता डा. पुराची ताल्एवी ने ध्यान दिया था। हमारे स्वर्गीय नेता पिरेरीगनार अन्ना ने सभी राज्यों को स्वायत्तता सहित केन्द्र में संघीय ढांचा स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया था। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। मौजूदा केन्द्र सरकार और प्रभावी वन मंत्री सभी शक्तियां अपने पास रखना चाहते हैं और इस तरह तमिलनाडु में विकास कार्य में बाधाएं डाल कर इसे अवरुद्ध कर रहे हैं।

हमारी चहेती नेता डा. पुराची ताल्एवी अम्मा द्वारा प्रस्तुत अनेक सुविचारित योजनाओं को केन्द्र के हाथों बाधाओं का सामना करना पड़ता है। केन्द्र में मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि ये योजनाएं और परियोजनाएं तमिलनाडु की जनता के लाभ तथा जन हित के लिए लाई गई है। लेकिन इसे भुला दिया गया और मैं संबंधित केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी पुन: जांच करें ताकि जनहित में किए जाने वाले विकास कार्य में कोई बाधा न डाली जाए। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि केरल सरकार, महाराष्ट्र और राजस्थान तथा अंडमान के प्रशासन ने भी वन संरक्षण के नाम पर मात्र अड़चने पैदा करने की बजाय विकास कार्य को अधिक प्राथमिकता देने के संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा व्यक्त गंभीर चिंता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है।

यद्यपि दोनों सरकारें समान लोगों द्वारा निर्वाचित होती हैं लेकिन इन लोगों के लिए बनी विकास परियोजनाएं केन्द्र की ईर्ष्या

---

*मूलत: तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री के.के. कलिअप्पन]

के कारण बाधित होती हैं। हमारी नेता डा. पुराची ताल्एपी अम्मा, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने अपने पत्रों के माध्यम से केन्द्र को समझाना चाहा लेकिन केन्द्र ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। केन्द्र में मंत्री महोदय तमिलनाडु की जनता को हुए नुकसान को अनदेखा करके अपने तरीके से काम कर रहे हैं।

मैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र गोबिचेट्टिपालयम की स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी बड़ा वन क्षेत्र है। वहां पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र में अनेक गांव और उप गांव हैं। मुझे यह आशंका है कि वन संरक्षण अधिनियम के नाम पर दुरूपयोग और धांधली होती है। दूरस्थ गांवों को जोड़ने हेतु ग्रामीण सड़कों का निर्माण नहीं किया जा सका है। इस तरह जन उपयोगी सेवाओं को उन गांवों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह असुविधा उत्पन्न न करे तथा सुविचारित विकास परियोजनाओं को न रोके।

नीलगिरि में स्थित पैकारा पन विद्युत परियोजना विद्युत का उत्पादन करती है, वहां जरूरतमंद गांवों तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत रहित उप ग्रामों तक विद्युत पारेषण की समस्या है। वन अधिनियम के नाम पर पारेषण लाइन बिछाना स्थगित कर दिया गया है। किसी भी संविधि अथवा अधिनियम का उद्देश्य जनता की सहायता करना और उसके हितों को पूरा करना होना चाहिए और किसी भी कानून का विकास परियोजनाओं के बीच आने वाले स्वार्थी लोगों द्वारा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बनाई गई हैं। तालावड़ी, कादम्बुर और कुन्डूर नाटक्बालायम-अंतिचूर तथा बरगूर क्षेत्रों में है। तालावड़ी पंचायत में 60 हजार से अधिक लोग हैं। अंतिचूर पंचायत में 2 लाख से अधिक लोग हैं। जहां तक कादाम्बुर का संबंध है, यहां 4 पंचायते हैं। अंतिचूर और बरगूर में दूर-दूर तक फैले क्षेत्र में अनेक गांव और उप गांव हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या 2 लाख है और इससे अधिक लोग वन संरक्षण अधिनियम के अति उत्साही और कठोर क्रियान्वयन के कारण आवश्यक वस्तुओं से वंचित है।

मैं केन्द्र सरकार और विशेषरूप से उसके वन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह विकास कार्यक्रमों के बीच में न आए। यह वन संरक्षण अधिनियम तमिलनाडु में अनेक पिछड़े गांवों की प्रगति और विकास को अवरुद्ध कर रहा है। जहां तक केन्द्रीय वन मंत्री का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि वन संरक्षण के नाम पर वह अति उत्साही होकर तमिलनाडु सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण योजनाओं को बाधित कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि तटीय क्षेत्र और समुद्र तट इस अधिनियम की परिधि में किस तरह आते हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा व्यक्त चिंता पर 6 अथवा 7 राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त समर्थन के बावजूद केन्द्र 'मरीना बीच', जिसे विश्व के सबसे बड़े समुद्र तट में से एक समझा जाता है, के सौन्दर्यीकरण जैसी कतिपय अविलम्बनीय अपेक्षित जन उपयोगी योजनाओं के बीच में न आने की आवश्यकता को अनदेखा करना चाहता है। यहां पर्यटकों की संभावना बढ़ाने हेतु इस विस्तृत क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण और विकास की मांग की गई है। लेकिन केन्द्रीय अधिनियम के नाम पर अड़चने डाली जाती हैं। मुझे लगता है कि केन्द्रीय मंत्री पक्षपात कर रहे हैं और मैं नहीं जानता कि वह क्यों सुविचारित योजनाओं में बाधा पहुंचाना चाहते हैं। राज्य में मंत्री वन समाप्त नहीं करना चाहते हैं। वे हमारे पवित्र कानूनों को बदनाम अथवा अपवित्र नहीं करना चाहते है लेकिन फिर भी अनेक पिछड़े गांवों को विकास सुविधाओं और क्रियाकलापों के अभाव में रहना पड़ता है।

मैं केन्द्रीय वन मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इतनी अधिक बाधाएं न डालें और मैं उनसे तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के लिए परियोजनाओं और योजनाओं संबंधी प्रस्तावों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का भी अनुरोध करूंगा। मैं स्पष्टरूप से कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, हमारे हृदय की देवी और जनप्रिय डा. पुरात्ची ताल्एवी अम्मा द्वारा प्रस्तुत अनेक विकास योजनाओं में समस्याएं बढ़ाना और रूकावटें डालना बंद करना चाहिए। डा. वी. सरोजा द्वारा प्रस्तुत विधेयक को एक बार समर्थन देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं मेरे माननीय सहयोगी डा. वी. सरोजा द्वारा पुर:स्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं।

यद्यपि मैं विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं लेकिन मैं जोरदार ढंग से कहना चाहता हूं कि हमारे देश की वन सम्पदा का संरक्षण किया जाना चाहिए। महोदय, इसका संरक्षण एक विकल्प नहीं अपितु अनिवार्यता है और एक बेहतर विश्व में रहने के लिए हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, पौष्टिक भोजन, स्वस्थ वातावरण और हमारे चारों तरफ हरियाली की आवश्यकता है।

महोदय, यदि इस तरह का अधिनियम अस्तित्व में नहीं होता तो क्या स्थिति होती? प्रतिवर्ष वन क्षेत्र तेजो से कम हो रहा है। मूलत:, वन विषय समवर्ती सूची के अधीन है। वन संरक्षण प्रत्येक सरकार का मुख्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है। दुर्भाग्य से, यह वन क्षेत्र कम हो रहा है क्योंकि हम इस पहलू को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

महोदय, जैसाकि श्री सुदर्शन नाच्चीयपन ने सही कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के बारे में बहुत सावधान थी। इसके बाद श्री राजीव गांधी ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया था और अधिनियम बनाया था जो बहुत कठोर है। अब हर कोई इस अधिनियम में

संशोधन करने के लिए कह रहा है। यदि आप अधिनियम में संशोधन करते है तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि वन क्षेत्र में जबरदस्त गिरावट आएगी। बाघ परियोजनाओं तथा अन्य क्षेत्रों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के लिए धन्यवाद क्योंकि इसके अधीन वन भूमि का वनेतर प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध है। यद्यपि, हम संसद सदस्य सड़कों, निर्माण प्रयोजनों तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए और अधिक वन भूमि की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार तथा मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण यह कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है।

जहां तक हमारे पर्यावरण, हमारी विरासत और संस्कृति के संरक्षण का संबंध है, वन सम्पदा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमें इस कारण से बहुत सावधान रहना चाहिए। वन, आर्थिक पर्यावरणीय व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वन, अनेक समान और सेवाएं मुख्यत: पृथ्वी में जीने के लिए जीवन सहायता प्रणाली प्रदान करती है।

सायं 6.22 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

माननीय मंत्री श्री टी.आर. बालू जानते है कि हमारा विश्व के बढ़ते हुए तापमान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण बदल रहा है। विश्व में काफी दूरगामी बदलाव हो रहे हैं विशेषरूप से तापमान विश्व समुदाय की मुख्य चिंताओं में से एक है। ऐसा पर्यावरणीय स्थिति के ह्रास के कारण है जिसे हम आज अनुभव कर रहे हैं। हम 'ग्रीन हाउस' प्रभाव तथा अन्य बातों के बारे में बात कर रहे हैं। वन संसाधनों का बढ़ता हुआ भण्डार 470 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह समेकित वन संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान लाए। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दसवीं योजना में वन विकास और वन प्रबंधन के पहलुओं को प्रमुखता देने का प्रस्ताव किया गया है। यद्यपि हम 'ग्रीन विंग इंडिया कार्यक्रम पर अधिक बल दे रहे हैं तो हमें परिणामों का भी मूल्यांकन करना होगा। अनेक कार्यक्रम पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जापानी सरकार भी और सहायता दे रही हैं। विश्व बैंक तथा अन्य सभी संगठन भी वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए और सहायता दे रहे हैं। हमें क्या परिणाम मिल रहा है? इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

यहां कतिपय सकारात्मक परिणाम आए हैं। दिल्ली शहर के लिए कुछ अच्छी खबर है। विश्व पर्यावरण दिवस को घोषणा की गई थी कि दिल्ली पहले से अधिक स्वच्छ और हरी भरी हुई है। यद्यपि शहर के समग्र वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है यहां पूर्व दिल्ली और उत्तर-पश्चिम दिल्ली जैसे कुछ भाग है जहां पेड़-पौधों के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। अन्य स्थानों में इन सतत कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही, मेरे विचार से हमें वनों में कमी तथा पेड़ों की कटाई पर कड़ा रूख अपनाना चाहिए।

केरल एक राज्य है जहां हम इस मुद्दे के संबंध में काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आपको केरल के वयानाड जिले में मुतांगा में हुए आदिवासियों के आंदोलन के बारे में पता है। यह घटना हाल ही में हुई है लेकिन इसने पूरे विश्व का ध्यान खींचा है।

आदिवासियों का आंदोलन भूमि के लिए था और फरवरी माह में इसने हिंसक रूप ले लिया। वन संरक्षण अधिनियम ने केरल सरकार को आदिवासियों को भूमि आवंटित करने से रोका। मूल मुद्दा यह है कि ये लोग जो कि वन का अभिन्न अंग है, वन उत्पाद का उपयोग नहीं कर पाते हैं। वे वास्तविक वन पुत्र हैं। वे वन के वास्तविक निवासी हैं लेकिन उन्हें वन उत्पाद से होने वाले लाभ लेने से रोका जाता है। सरकार के विरुद्ध यही मुख्य शिकायत है।

अन्य पहलू यह है कि भूमि इन लोगों में वितरित नहीं की गई थी। केरल सरकार ने इन आदिवासियों को और वन भूमि के आबंटन के लिए केन्द्र सरकार से बातचीत की थी। हाल ही में, सरकार ने भूमि के वितरण के प्रयोजन के लिए अरालम फार्म को देने का निर्णय लिया है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। घने वन देने की बजाय इस तरह की फार्म भूमि अदिवासियों को वितरित की जा सकती है।

डा. सरोजा इन क्षेत्रों में कतिपय निर्माण कार्यों के बारे में बता रही थीं। मूल रूप से सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए माननीय मंत्री सबरीमाला तीर्थयात्रियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानते हैं। हम सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए और वन भूमि आबंटित करने के इस मुद्दे को बार-बार उठाते रहे हैं। हाल ही में वहां आग लगी थी क्योंकि तीर्थयात्रियों के लिए पर्याप्त भूमि तथा उचित आवास सुविधा नहीं थी। हम बहुत अधिक वन भूमि की मांग नहीं कर रहे हैं। हम तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग के लिए अनुज्ञेय भूमि के लिए कह रहे हैं। संसद सदस्य होने के नाते हम भी उत्तरदायी है।

एक तीन सदस्यीय समिति अर्थात् श्री ओ. राजगोपाल, श्री फ्रांसिस जार्ज तथा मैंने इस क्षेत्र का दौरा किया। हमने घने वन और बाघ परियोजना देखी है। हमने वास्तव में इन क्षेत्रों में किसी

[श्री रमेश चेन्नितला]

भी तरह के निर्माण पर आपत्ति की थी लेकिन इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों से आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को पेयजल तथा अन्य संबद्ध सुविधाओं की अनुमति दी जानी चाहिए। पर्यावरणीय अनुमूल दृष्टिकोण होना चाहिए और निर्माण कार्यों में कमी आनी चाहिए। हम वनों में अधिकाधिक निर्माण कार्यों की अनुमति नहीं दे सकते हैं लेकिन इसके साथ ही जब हम इन वनों का संरक्षण कर रहे हैं तो हमें आदिवासियों, उनकी सामाजिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बारे में सोचना चाहिए। अन्यथा ऐसी हिंसक घटनाएं होंगी।

मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि जब कभी मांग होती है, वह इस पर विचार करते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभी उन्हें बधाई देते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: उनकी अपनी सीमाएं हैं। आज हमारे पास उच्चतम न्यायालय के निर्देश है। यदि वह कड़ा कदम नहीं उठाते तो वन भूमि नहीं होती। हर कोई वन भूमि के लिए कह रहा है। जैसाकि श्री खारबेल स्वाइं ने सही कहा है कि यदि ऐसी सभी मांगों को पूरा कर दिया जाता तो वन भूमि मरूस्थल बन गई होती। हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते है। इसके साथ ही, एक युक्तिसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए।

हमारा देश वन और जैव-विविधता में समृद्ध है क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत पूर्णत: वनों और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसलिए हमें अपनी सोच में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हमें अपने भावी पीढ़ियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मेरे विचार से श्री टी.आर. बालू माननीय मंत्री ने पिछले चार वर्षों से इस विषय पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है।

सबरीमाला तीर्थयात्रियों के संबंध में जब भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी ने एक बैठक बुलाई तो उन्होंने पार्किंग और पेयजल प्रयोजनों के लिए अनुमति दी। उन्होंने केवल चार मंजिला इमारतों का निर्माण करने पर आपत्ति की थी। हम भी इससे सहमत नहीं थे। आदिवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उचित व्यवस्था प्रदान करने के हेतु हमें सड़के बनानी होगी। हम इस बात से सहमत हो सकते हैं लेकिन हम व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग में वनों से गुजर कर जाने वाली सड़क-निर्माण के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं। इसकी क्या आवश्यकता है? पहले कुछ क्षेत्रों में वन थे लेकिन अब वन भी नहीं है। वे क्षेत्र अब वहां कस्बे और शहर बन गए हैं लेकिन रिकार्ड में इन्हें वन बताया गया है। हमें उनके बारे में सोचना होगा। उदाहरण के लिए मन्नार और ठेक्कडे शहर लें। ये वन हैं। ये अब शहर बन गए हैं। एक बार इन लोगों ने इन क्षेत्रों का अतिक्रमण किया और वे वहां रह रहे हैं। वहां काफी व्यवसायिक क्रियाकलाप और भवन निर्माण हो रहा है। वे सभी शहर और कस्बे बन गए है तथा इन्हें वन भूमि नहीं समझा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही हमें वन भूमि का संरक्षण करना है। मेरे विचार से माननीय मंत्री ने बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है।

श्री सुदर्शन नाच्चीयपन और मेरे अन्य सभी सहयोगी कह रहे थे कि सभा में एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। मेरे विचार में हम जो भी विधेयक तैयार कर रहे हैं, उसे बहुत कठोर होना चाहिए। आपको इस पहलू में बहुत सावधान होना चाहिए अन्यथा हमारे देश में वन भूमि उपलब्ध नहीं रहेगी क्योंकि हर कोई वन भूमि का अतिक्रमण करने का इच्छुक है। कोई भी अधिक वन क्षेत्र होने का इच्छुक नहीं है।

यहां अनेक कार्यक्रम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये कार्यक्रम चल रहे या नहीं। अभिलेख में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनेक कार्यक्रम में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मैं निजी वन संबंधी पहल चाहे वह हो रही है या नहीं-के बारे में जानना चाहता हूं। इस पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं तथा बाह्य सहायता भी मिल रही है। यहां वन क्षेत्र बढ़ाने हेतु वृक्षारोपण और अन्य कार्यक्रम है। लेकिन इसका क्या परिणाम निकला? इसलिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को मूल्यांकन करना चाहिए। इन सभी पहलुओं पर पर्यावरण और वन मंत्रालय, समस्त सभा तथा समस्त देश द्वारा उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। इसलिए, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए और हमें जल्दबाजी से कार्य नहीं करना चाहिए। मैं, मेरे सहयोगी श्री सुदर्शन नाच्चीयपन के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। श्री टी.आर. बालू एक केन्द्रीय मंत्री हैं। नि:संदेह, जब वह केन्द्रीय मंत्री हैं तो उन्हें देश को समग्र रूप में देखना चाहिए न कि द्रमुक नेता के रूप में, न ही राज्य नेता के रूप में अपितु समग्र देश के रूप में। जब माननीय मंत्री विभाग विशेष के प्रभारी हैं तो उन्हें विभाग का कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए और उन्हें राष्ट्र का कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। इस तरह प्राकृतिक सम्पदा की रक्षा की जानी चाहिए। यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है। यदि केन्द्र सरकार उदार होगी तो मुझे डर है कि हमारे देश में कम वन क्षेत्र होगा और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकार होगा।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या-गावित (नन्दुरबार): उपाध्यक्ष महोदय, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2000, जो डा. वी. सरोजा जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उस पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: गावित जी, आप इस विषय पर भाषण के बजाए क्लैरिफिकेशन के रूप में प्रश्न पूछ लीजिए, तभी मंत्री जी आज चर्चा का जवाब दे पायेंगे।

श्री माणिकराव होडल्या गावित: महोदय, मैं भाषण नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, डा. वी. सरोजा जी ने विधेयक के बारे में विचार दिया है, उसके लिए वन विभाग विचार कर सकता है, लेकिन हमको देश के लिए चिन्ता होनी चाहिए। मैं खुद आदिवासी हूं और सरदार सरोवर प्रोजैक्ट मेरे क्षेत्र गुजरात तथा महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में है। देश में जो सिंचाई योजनाएं बनती हैं, उनमें ज्यादातर वन भूमि जाती है और उसके बदले में वन विभाग को राज्य सरकारों से जमीन मिलती है और मुआवजा भी मिलता है। यह इसलिए मिलता है कि रेवेन्यू डिपार्टमैंट से उन्हें जो कुछ जमीन मिलती है, उनसे वे वन उपजाऊ कर सकें लेकिन वन उपजाऊ करने की तरफ स्थानीय अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उन्हें मुआवजा भी कम मिलता है। आज वन उपजाऊ नहीं हैं। देश में वनों की कटाई हो रही है। वन निर्माण के लिए भारत को जो धन खर्च करना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। सभी वन विभाग के अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम 1980 का ही जिक्र करते हैं लेकिन वन उपजाऊ करने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हम आदिवासी लोग हैं। मुझे दूसरी जगह के बारे में मालूम नहीं है लेकिन महाराष्ट्र में वन संरक्षण समिति बनी है। वहां वनों का संरक्षण लोगों के सहयोग से अच्छी तरह से हो रहा है। ऐसा लोगों की सहायता से हो रहा है। यह बात वन विभाग के अधिकारियों को ठीक नहीं लगती। वह इस बारे में उनकी सहायता नहीं करते। मेरी विनती है कि आप सभी राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक बुलाएं। उन्हें वन संरक्षण अधिनियम और वन उत्पादन के बारे में बताना चाहिए। वन अधिकारी इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, यह मेरा अनुभव रहा है।

आज वन जमीन का अतिक्रमण हो रहा है लेकिन इसमें आदिवासियों का नाम लिया जाता है। हम आदिवासी जरूर हैं और जंगलों के पास रहते हैं। हमारे पास थोड़ी जमीन है। कुछ भड़काने वाले लोग आदिवासियों से पैसा लेकर जमीन के पट्टे बांट देते हैं। इस तरफ वन अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वे वनों में जाते नहीं हैं, इसलिए वन जमीन का अतिक्रमण हो रहा है जो बंद होना चाहिए। हम सब इसी मत के हैं।

आजकल वर्षा अनियमित हो रही है और कहीं-कहीं सूखा पड़ रहा है जिससे पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो रहा है। 33 परसैंट वन होने चाहिए लेकिन आज इतनी संख्या में वन नहीं हैं। हम पहले जंगलों में वन प्राणी देखते थे। अब वहां ऐसा कोई भी दिखायी नहीं देता। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। ये सब वन विभाग के नीचे के अधिकारियों की गलती से हो रहा है। वे कभी वनों में नहीं जाते हैं। वे वनों का प्लांटेशन नहीं देखते हैं। वन संरक्षण समितियां बनी हैं। उसकी वजह से कहीं-कहीं जंगल दिखायी दे रहे हैं। इससे संबंधित अधिनियम बनने से पहले 1972 से 1978 तक जो जमीन का अतिक्रमण हुआ, उसे रैगुलराइज्ड करने के लिए उच्चतम न्यायालय तक केस चल रहा है। कई लोगों को जमीन पट्टे पर देने के लिए उच्चतम न्यायालय ने फैसला भी दिया लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने 1972 से 1978 तक जो जमीन अतिक्रमण की थी, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं आपको महाराष्ट्र की बात कह रहा हूं।

मेरा नन्दुरबार क्षेत्र है जो एक आदिवासी इलाका है। मैं वहां का रहने वाला हूं। आदिवासियों की कुछ भी गलती नहीं थी। मैं बार-बार यही कहूंगा कि वन विभाग के अधिकारियों का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। राज्य सरकार की सिंचाई योजना में जो जमीन जाती है, उसके कम्पनसेशन के लिये जो पैसा मिलता है, वह वन लगाने के लिये खर्च करना चाहिये लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस ओर ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, डा. वी. सरोजा ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है और सड़क, बिजली दे के लिये आग्रह किया है, मैं भी उसकी मांग करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, गैर-सरकारी सदस्यों के लिए ढाई घन्टे का समय आवंटित किया गया था और वह समय सायं 6.40 पर समाप्त होगा। अभी तीन-चार वक्ता और है जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते है। इसलिए इसे अगले सत्र में लिया जा सकता है।

श्री टी.आर. बालू: मुझे इसका उत्तर देना है। मैं हस्तक्षेप करूंगा और तब आप इसे अगले सत्र के लिए स्थगित कर सकते है। अभी मैं सिर्फ हस्तक्षेप करूंगा और मैं अन्तिम उत्तर बाद में दूंगा। मुझे अब हस्तक्षेप करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी परेशानी यह है कि हमें इस गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढाई घन्टे दिये गये है।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं आपसे सहमत हूं। मैं मात्र संक्षिप्त हस्तक्षेप करूंगा और यह मात्र 10 मिनट की बात है। उसके बाद माननीय सदस्य, डा. वी. सरोजा को बोलना है। मैं आज मात्र 10 से 15 मिनट का उत्तर देना चाहता हूं। आप इसके अनुसार समय बढ़ा सकते है। मुझे केवल 10 से 15 मिनट की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप वरिष्ठ सदस्य है और आपको हमारी परेशानियां मालूम होनी चाहिए। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढाई घन्टे का समय दिया गया है। हम इसे बढ़ा नहीं सकते हैं।

श्री टी.आर. बालू: यदि पीठासीन अधिकारी जी इतने सख्त है तो मैं आपके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा और मेरे विचार से ढाई घन्टे का दिया गया समय बीत गया है, आप इसे अगले सत्र तक बढ़ा सकते है। कुल मिलाकर मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं। मंत्री को किसी भी समय हस्तक्षेप का अधिकार है। मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं क्योंकि मुझे किसी भी समय हस्तक्षेप का अधिकार है। उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, कृपया अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करें और आधा घन्टे के लिए और समय बढ़ायें ताकि हम यह कार्य समाप्त कर सकें। अन्यथा, हमें इसे अगले सत्र तक स्थगित करना होगा। कृपया अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करें। अध्यक्षपीठ अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकती है।

श्री टी.आर. बालू: उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय बीत गया है या माननीय सदस्यों द्वारा अप्रासंगिक विषयों पर समय लगाया है मेरा तात्पर्य है कि इनके द्वारा उठाए गए विषयों के अतिरिक्त दूसरे मुद्दे पर समय लगाया गया। मुझे उनका उत्तर देना है। मैं इस बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि कई सदस्य विषय से भटक गये है।

उपाध्यक्ष महोदय: एकमात्र कठिनाई यह है कि इस सभा ने यह तय किया है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढाई घन्टे दिये जाए और यही हमारी कठिनाई है।

श्री टी.आर. बालू: यह अध्यक्षपीठ के विवेकाधिकार का मामला है। अध्यक्षपीठ मुझे इसमें हस्तक्षेप के लिए दस मिनट अथवा पांच मिनट दे सकते है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सभा की अनुमति लेने दे। यह इसे परिपाटी न बनाया जाए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): क्या इनके हस्तक्षेप के बाद हम भाग ले सकते है? हम चर्चा में भाग लेने के लिए यहां तीन घन्टे से ज्यादा समय से बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बाद हमें आधा घन्टे की चर्चा भी करनी है।

श्री भर्तृहरि महताब: मंत्री जी मात्र यह अनुरोध कर रहे हैं कि इन्हें अभी हस्तक्षेप की अनुमति दी जाए और वे बाद में उत्तर देने के लिए तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या हमारे लिए यह कार्य आधे घंटे में पूर्ण करना संभव है? क्या आधे घन्टे का समय बढ़ाने के लिए सभा की स्वीकृति है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी कृपया स्वयं को विषय तक ही सीमित रखें। इसे परिपाटी नहीं बनाना हैं। यह एक अपवाद का मामला है और इसलिए, हमने समय बढ़ाने का निर्णय लिया है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मेरे भाषण का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय: सहमति के अनुसार सायं 6.40 के बाद गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के ठीक बाद हम आधा घन्टे की चर्चा को लेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट शान्त रहिए। सहमति के अनुसार सायं 6.40 के बाद सूची की मद आधा घन्टे की चर्चा को लेंगे। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है और हम इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट शान्त रहिए। आज की कार्यसूची में मद संख्या 46 पर सूचीबद्ध आधे घंटे की चर्चा जो कि श्री नरेश पुगलिया द्वारा उठायी जानी थी अब वह श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा उठायी जायेगी। यह उनकी ओर से आधे घन्टे की चर्चा उठाने के लिए अधिकृत है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री - उपस्थित नहीं है।

अब हम आधे घन्टे और बैठेंगे और इस मद को समाप्त करेंगे।

यह आधा घन्टा इस विधेयक के साथ समायोजित किया जायेगा।

श्री टी.आर. बालू: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं *...(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहती हूं।

श्री टी.आर. बालू: मैं सहमति नहीं दे रहा हूं। वे बार-बार हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं सहमति नहीं दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, सभा ने आपको समय बढ़ाने की अनुमति दी है तो आपको भी सभा पर कुछ दया करनी चाहिए।

अभी श्री महताब, श्री आठवले और श्री राधाकृष्णन जी तीन और वक्ता है। मैं उन सबको एक-एक स्पष्टीकरण पूछने के लिए कहूंगा। उसके बाद, आप उत्तर दे सकते हैं।

अब श्री महताब जी।

श्री भर्तृहरि महताब: उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाषण देने के लिए तैयार था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। समयाभाव के कारण मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

भाषण के दौरान मैं तीन उद्धरण देना चाहता हूं। पहला जोनाथन स्विफ्ट कहा है ''दृष्टि अदृश्टय चीजों को देखने की कला है'' डा. सरोजा और श्री खारबेल स्वाइं और कई अन्य सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कही है।

तीन मुख्य बिन्दु हैं जिन पर डा. सरोजा इस विधेयक को केन्द्रित करना चाहती है। इससे राज्य और केन्द्र दोनों संबंधित है। प्रथम यह है: ''बशर्ते वनों की कटाई के लिए केन्द्रीय सरकार अपना अनुमोदन नहीं रोकेगी यदि अर्जित की जाने वाली वन भूमि लोक विकास के कार्यों जैसे सड़कों का निर्माण, पेयजल योजनाओं, टेलीग्राफ अथवा टेलीफोन लाइनें बिछाने के लिए है।''

दूसरा है:

''यदि वन भूमि नब्बे एकड़, अथवा उससे कम है तो प्रथम परन्तुक के अनुसार उक्त प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।''

तीसरा निर्देशात्मक है। इसमें कहा गया है:

''जब योजना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए भेजी जाती है, तब केन्द्र सरकार द्वारा उसकी प्राप्ति से एक माह के भीतर निपटा दी जानी चाहिए।''

यहां मैं माननीय मंत्री जी और जिस सदस्य ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1980 में प्रथम वन (संरक्षण) अधिनियम अस्तित्व में आया था। यह विश्व परिदृश्य का प्रभाव था परन्तु 1980 से पूर्व हमारे देश में क्या स्थिति थी? संपूर्ण विश्व में क्या हो रहा था। ओजोन परत फट रही थी? उन सभी चीजों की वजह से जागरूकता विकसित हो रही थी। मुझे याद है अस्सी के दशक में जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और मलेशिया देश के जाने माने राष्ट्र प्रमुख महातिर मोहम्मद गुट निरपेक्ष आंदोलन (एन ए एम) के सम्मेलन में थे। तब वन संरक्षण की पश्चिम संकल्पना का मुद्दा उठा था। महातिर मोहम्मद ने उत्तेचित होकर कहा था कि ''यह लोग हमें सिखा रहे हैं जब उन्होंने विश्व के संपूर्ण वन-क्षेत्र को समाप्त कर दिया है और इस शोषण द्वारा वे पश्चिम दुनिया में अमीर बन गये है। और अब वे हमें सिखा रहे हैं कि वनों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है।

इससे हमें यह भी याद आता है कि 1980 में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वजह से सभी प्रमुख देश वन संरक्षण हेतु अधिनियम बनाना चाहते थे। बाद में 1987-88 में दुबारा केन्द्र सरकार ने यह कहते हुए कुछ संशोधन किये कि कुछ उत्पादनों को वनेतर उत्पादक माना जाए। उसका विस्तार किया गया जिसमें चाय कहवा, मसाले, रबड़, ताड़, तेल वाले वृक्ष, बागवानी और औषधीय पादपों को शामिल किया गया। इस प्रकार नष्ट वन क्षेत्र का विकास किया गया था।

बाद में, अत्यंत जाने माने पर्यावरणविद, अनिल अग्रवाल ने कई अच्छे विचार दिये। इनके विचारों ने वाकई हमारी सोच बदल दी। इनके विचारों ने नीतियां बदल दी, परन्तु वे उन व्यवहारों को नहीं बदल पाये जो यहां क्रियान्वित किये जा रहे थे। उदाहरण के लिए उन्होंने हमें समझाया कि अर्थशास्त्री प्राय: निर्धनता के वास्तविक कारण नहीं पता कर पाये। हमें निर्धनता को नकद या धन की कमी की बजाय प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच के अभाव के तौर पर समझने की आवश्यकता है। उन्होंने सकल प्राकृतिक उत्पाद की संकल्पना विकसित की।

मैं अनिल अग्रवाल के बारे में बता रहा था, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया। उन्होंने यह संकल्पना व्यक्त की थी कि पर्यावरण प्रबंधन के अभाव में विकास संभव नहीं हैं। उन्होंने पर्यावरण के प्रबंधन की चर्चा की। वास्तव में, विकास हेतु पर्यावरण को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने हमें वृक्षों और बाघों के अतिरिक्त पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लोग बनाम प्रकृति की बजाय लोग बनाम लोग की ओर दिखाया।

अब, विश्व भर में सतत विकास नामक शब्द चर्चा में है जिसमें कि मानव जाति के सतत विकास के लिए सड़के आती है, बिजली आती है, टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों का प्रावधान है। यह अत्यंत अभद्र शब्द है यह अत्यंत कठिन शब्द भी है क्योंकि कई लोगों के लिए इसका तात्पर्य कई चीजें है।

श्री अग्रवाल ने हमें यह समझाया कि सतत विकास निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है-आप क्या निर्णय लेने जा रहे हैं? प्रत्येक समाज गलतियां करता है। मुद्दा यह है कि ऐसे मार्ग

[श्री भर्तृहरि महताब]

निकाले जाएं जिनसे किसी निर्णय से सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित व्यक्ति आवश्यक परिवर्तन करने में सक्षम हो सकें।

माननीय संसद सदस्य ने यहां सबरीमाला मंदिर का उल्लेख किया है। मैं कई बार केरल गया हूं, मैं वहां बहुत से लोगों से समूहों में मिला हूं। देवस्थानम सबरीमाला की भी हमसे और और मुझसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने बहुत से अभ्यावेदन दिए हैं; उन्होंने उन सब समस्याओं का भी उल्लेख किया है जिनका सामना देश भर से वहां आने वाले तीर्थयात्रियों को करना पड़ता है। वे पूजा-स्थल तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा मार्ग या पहुंच चाहते हैं। लोगों द्वारा वर्ष भर इसका उपयोग होने नहीं जा रहा है। यह बाघ अभ्यारण्य का मुख्य क्षेत्र नहीं है। यह इसके बाहरी क्षेत्र में है, जिसे उपलब्ध कराया जा सकता है। मैंने केरल सरकार के अधिकारियों से भी इस पर चर्चा की है। मैं नहीं जानता कि इसमें इस प्रकार से विलम्ब क्यों हो रहा है।

वर्ष 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के बारे में भी एक उल्लेख हुआ है। कभी, हाल ही में लगभग छह महीने पूर्व, एक अधिकारिक दल, जिसने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भी भाग लिया था-मेरे विचार से वह जिनेवा में ही हुई थी-जहां मौखिक या लिखित रूप में शपथपत्र दिया था। वर्ष 1988 में यह बाध्यकारी किया गया था कि दो योजनावधियों के अंदर-अंदर वन क्षेत्र को बढ़ाकर 33 प्रतिशत किया जाएगा। जैसा कि एक प्रतिवेदन से मुझे ज्ञात हुआ है-वर्ष 1999 में हमारे देश में वन क्षेत्र 19.39 प्रतिशत था।

33 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। मैं यहां माननीय संसद सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र 16.08 प्रतिशत है। हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं-हम सभी विभिन्न राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं-कि यहां जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं वे वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। लेकिन चाहे यह कुछ भी हो, हमें सरकारी अभिलेख में यह आंकड़े मिलते हैं। केरल में वन क्षेत्र 26.56 प्रतिशत; तमिलनाडु में केवल 13.15 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में यह केवल 9.4 प्रतिशत है। उड़ीसा के बारे में यह उल्लेख है कि वहां 30.2 प्रतिशत वन क्षेत्र है जो कि वास्तविक नहीं है। जो परिकल्पना है उसके अनुसार वर्ष 2007 तक अर्थात् दसवीं योजना के समाप्त होने तक हमें 25 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए और वर्ष 2012 तक, अर्थात् ग्यारहवीं योजनावधि तक हमें देश में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: देश के एक चौथाई हिस्से को चार वर्ष में वनाच्छादित कर देने के लक्ष्य से विकास संबंधी आवश्यकताओं का टकराव हो रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि इन चार वर्षों में हमने कितना लक्ष्य हासिल किया है और वे कौन-कौन से राज्य हैं जो इसमें पिछड़ रहे हैं? इसकी आवश्यकता है और यहां तक की संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात को माना है कि वन केवल लकड़ी और गैर-लकड़ी उत्पादों से कहीं अधिक हैं। वे जैव-विविधता, बेहतर जलवायु परिवर्तन तथा पनधाराओं के संरक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। हमारे देश का पांचवा हिस्सा वन भूमि के रूप में है और यह लगभग 600 नदियों तथा उपनदियों का जन्म-स्थान है। यह सम्पर्क साधारण और विनाशकारी है, वन नहीं होंगे तो न पानी होगा और न ही भोजन होगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। हमने समय में आधे घंटे की वृद्धि की है परन्तु मुझे नहीं लगता कि इतने समय में यह समाप्त हो जाएगा। मैंने आपसे संक्षेप में अपनी बात करने को कहा था जिससे कि दो या तीन और सदस्य अपनी बात कह सकें और फिर हम मंत्री जी को भी सुन सकें।

श्री भर्तृहरि महताब: देशभर में लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं? मैं सरकारी अभिलेख के आधार पर कह रहा हूं। मैं इन दो अंतिम दृष्टिकोणों से अपनी बात समाप्त करूंगा जिनमें कहा गया है, ''तर्क में हमेशा आशावादी जीतते हैं'' तथा प्रकृतिक कभी भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ती। श्री टैगोर ने भी यही कहा था। अत: मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आज इस बात की आवश्यकता है कि पर्यावरण को विकास के लिए पुनर्जीवित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि दो या तीन सदस्य केवल कुछ स्पष्टीकरण ही मांगें तभी हम इसे आज समाप्त कर पाएंगे। अन्यथा, मैं मंत्री जी से हस्तक्षेप करने के लिए कहूंगा और इस मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता कि मंत्री जी को क्यों उत्तर देना पड़ेगा और हमें इस चर्चा को आज ही क्यों समाप्त कर देना चाहिए। मंत्री जी केवल हस्तक्षेप करना चाहते हैं और उन्होंने इसी का अनुरोध किया है। वह बाद में इसका उत्तर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं।

श्री टी.आर. बालू: सभी सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अत: श्री आठवले, हम इस बहस को अगली बैठक के लिए स्थगित कर सकते हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और केवल पांच मिनट बोलूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, डा. वी. सरोजा द्वारा सदन में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाला जो बिल प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें जो प्रावधान हैं उनके अनुसार डैवलपमेंट के लिए वन विभाग की ओर से परमीशन नहीं दी जाती है, उसके बारे में गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। इसलिए उन्होंने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि यह जो बिल डा. वी. सरोजा द्वारा लाया गया है, यह उनको बजाय गवर्नमेंट की ओर से आना चाहिए था क्योंकि जितने भी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ट्रायबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन्हें बेसिक फेसिलिटीज भी नहीं मिलती हैं। जो धन में रहते हैं उन्हें धन मिलता है, लेकिन जो वन में रहते हैं, उन्हें फारेस्ट का फायदा नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय: रामदास आठवले जी, आप मुम्बई में रहते हैं, आपको फारैस्ट का फायदा कैसे मिलेगा?

श्री रामदास आठवले: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुम्बई में जरूर रहता हूं, लेकिन मेरा लोक सभा क्षेत्र पंढरपुर है। इसलिए मैं पंढरपुर की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मेरे क्षेत्र में फारेस्ट लैंड बहुत है। वहां कोई बड़े पेड़ भी नहीं हैं, लेकिन वहां भी जमीन एग्रीकल्चर के लिए नहीं मिलती है। उसके लिए हमने बहुत बड़ा आन्दोलन भी किया।

सायं 7.00 बजे

महोदय, हमारी सरकार से अपील है कि जिस जमीन पर फोरेस्ट तैयार नहीं होता है और जो जमीन एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है, ऐसी जमीन ट्राइबल और दलित लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। इसके बारे में आपको कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है और जो भी डेवलपमेंट के लिए, जहां इस तरह के कोई प्रोजैक्ट आते हैं, जहां ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके लिए रोड और वाटर-केनाल की परमीशन हो। इस तरह की गवर्नमेंट ने योजना बनाई है, क्योंकि कानून लोगों के लिए होता है, इसलिए इस कानून में परिवर्तन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। कानून लोगों के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए होता है, इसलिए उसमें परिवर्तन करने के बारे में आपके डिपार्टमेंट में विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए, यह हमारी इसमें सूचना है।

महोदय, ट्राइबल लोगों की जिन्दगी ही पहाड़ों में व्यतीत होती है, इसलिए ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के बारे में भी इस कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार इसमें परिवर्तन करने का विचार करे, यही मेरा सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले, मैं डा. सरोजा को यह विधेयक लाने हेतु धन्यवाद देता हूं। वन संरक्षण अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सी समस्याएं खड़ी कर रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से सयन वन क्षेत्र हैं। वहां बहुत से आदिवासी रहते हैं। वहां आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है। जहां तक अन्य निर्वाचन क्षेत्रों का संबंध हैं वहां तीन तालुक क्षेत्र हैं जो वन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। हम वहां वन अधिनियम के कारण दिन-प्रतिदिन विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

हमारे सदस्य मुख्य समस्या वनों में सड़कों से संबंधित है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बनाया है जो वन क्षेत्र में तारकोल वाली सड़क बनाने की अनुमति नहीं देता। मेरे क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक ने क्षेत्रीय वन संरक्षक को तारकोल की सड़क बनाने हेतु तीन प्रस्ताव अग्रेषित किए हैं। नाबार्ड इन सड़कों का निर्माण करने के लिए तैयार है। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम इस कार्य की अनुमति नहीं देता। प्रत्येक सड़क की लागत 1.5 करोड़ रुपये है। ये सड़के हैं: कोन्नी-काल्लेली से आचनकोइल, अरयानकाबू से रोसेमाला और इलावुपालम से पान्नीमुदडु तक। आदिवासियों के लिए ये सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नाबार्ड इन सड़कों के निर्माण हेतु धन देने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें वन संरक्षण अधिनियम आड़े आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सड़कों को तारकोल से बनाने की अनुमति मिलेगी या नहीं? अन्य वक्ताओं द्वारा अधिकांश अन्य मुद्दे उठाए जा चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: हां, वह बहुत अच्छे मंत्री हैं। आप उन्हें भी लिख सकते हैं।

श्री कोडीकुनील सुरेश: महोदय, मैंने उन्हें बहुत से पत्र लिखे हैं। वे इससे भली-भांति अवगत हैं। मुझे उत्तर भी मिले हैं परन्तु वे सब नकारात्मक उत्तर हैं।

महोदय, मैं पुन: डा. सरोजा को ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं उनके विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। इस विधेयक के पीछे जो उद्देश्य है वह बहुत स्पष्ट है। केन्द्र व राज्यों के संबंधों के बीच में वन संरक्षण अधिनियम को बाधा नहीं बनना चाहिए क्योंकि अक्सर राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु विकास योजनाएं भेजती रहती हैं।

इसके कारण अनावश्यक विलंब होता है। राज्यों के मन में यह आशंका रहती है कि केन्द्र सरकार राजनैतिक कारणों से वन संरक्षण अधिनियम का दुरुपयोग कर रही है। तमिलनाडु की राज्य सरकार पर्यावरण पर केन्द्र सरकार की एक प्रस्तावित अधिसूचना का विरोध कर रही है। हाल ही में समाचार पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें विभिन्न मंत्रियों पर उन्हें प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करके केन्द्र-राज्य संबंधों के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया गया है। निश्चित रूप से हमें वनों की रक्षा करनी पड़ेगी अन्यथा यह जलवायु के लिए विनाशकारी होगा। सरकार को पेड़ों का अंधाधुंध गिराया जाना रोकना चाहिए और हमें भी वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकना चाहिए। हाल ही में समाचार पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि केरल में एक पौधरोपण निगम ने पौध रोपण हेतु 11000 एकड़ जमीन पट्टे पर दी है।

श्री रमेश चेन्नितला: इसे रद्द कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन वह इसका खंडन कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: फिर भी, ऐसा हुआ है। यह हो सकता है कि वह अब रद्द हो गया हो। मैं भी इससे सहमत हूं कि यह रद्द कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से इसके बारे में जानते होंगे। कुछ राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। हमारे राज्य में, एक नई चीज, अब वैनिला की खेती आरंभ हुई है। इसके कारण वन भूमि पर अतिक्रमण भी हुआ है। यह एक बहुत लाभकारी खेती है। लेकिन वैनिला की खेती की आड़ में वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। माननीय मंत्री जी को इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। यह वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास है और वन संरक्षण अधिनियम को इन मामलों में बहुत कड़ा होना चाहिए। इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसी भूमि का उपयोग राज्य सरकारों की परियोजनाओं के विकास, सड़कों के निर्माण और सिंचाई सुविधाओं के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए। एक ओर तो सरकार को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और दूसरी ओर सरकार को इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह सब केन्द्र-राज्य संबंधों के आड़े न आए।

श्री टी.आर. बालू: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं डा. सरोजा, श्री नाच्चीयपन, श्री चौधरी, श्री कलिअप्पन, श्री चेन्नितला, श्री महताब, श्री सुरेश, श्री राधाकृष्णन और सभी अन्य सदस्यों, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया, का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, हम वन संरक्षण से संबंधित मामलों और वन संरक्षण से उत्पन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। 1976 तक यह विषय राज्य की सूची में था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस विषय को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया। एक विषय जो अब तक राज्य के अधिकार क्षेत्र में था, समवर्ती सूची में लाया गया है। क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है। क्या ऐसा नहीं है कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की शक्तियों को आच्छादित करने का अधिकार मिल गया है। क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए? कांग्रेस के सभी सदस्य, जो यहां हैं वे राज्य की शक्तियों को आच्छादित करने, राज्यों की स्वतंत्रता और ऐसे ही अन्य मुद्दों पर मेरी आलोचना कर रहे थे। एक वर्ष पहले श्री मुरासोली मारान इस पद पर थे। वह राज्यों की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। मैं उनका अनुयायी हूं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि क्या यह राज्य सरकार की शक्तियों को आच्छादित करना है या केन्द्र सरकार की शक्तियों को सीमित करना है। मैं यह समझ सकता हूं कि श्री कलिअप्पन, डा. सरोजा, श्री सुरेश, श्री चेन्नितला, श्री महताब और श्री स्वाइं अधिवक्ता नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही ऐसे अधिवक्ता भी है जो श्री राधाकृष्णन और मेरे मित्र श्री नाच्चीअप्पन की भांति बोले हैं। दोनों ही विद्वान अधिवक्ता हैं। उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम के बारे में कुछ भी नहीं बोला, जो कि आज की बहस का विषय है। उन्होंने इस विधेयक के विषय के परे मुद्दों को उठाया है। वे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और 1991 की सी.आर.जेड. अधिसूचना के बारे में बोले हैं। क्या उनका इस प्रकार से बोलना उचित है? यदि श्री नाच्चीअप्पन अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक मुन्नेत्र कषगम (एआईएडीएमके) के अपने मित्रों की सहायता करना चाहते है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इसके साथ ही ए आई ए डी एम के को परेशान करने के लिए उन्हें आज के लिए निर्धारित विषय से परे नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपने विचार केवल वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तक ही सीमित रखने चाहिये। उन्हें 1991 की अधिसूचना के बारे में दखल नहीं देना चाहिये था। उन्हें 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के क्षेत्र में भी दखल नहीं देना चाहिये था?

तमिलनाडु में सचिवालय भवन के निर्माण का मुद्दा उठाया गया। इस मामले पर काफी कुछ कहा गया है। इस बारे में रोज ही समाचार पत्रों में लेख लिखे जा रहे थे और राजनेताओं द्वारा कुछ कहा जा रहा था। मैं यहां इस विषय पर बोलने के लिए

खड़ा नहीं हुआ हूं। केवल तमिलनाडु ही मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है बल्कि सम्पूर्ण भारत ही मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय है। मेरी मानसिकता इतनी तुच्छ क्यों हो? यदि मेरी मानसिकता इतनी तुच्छ होती तो मैं तमिलनाडु की परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं देता। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है पिछले चार वर्षों की अवधि के दौरान मैंने 60 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। *...(व्यवधान)*

श्री के.के. कलिअप्पन*: महोदय, एक संसद सदस्य होने के नाते मुझे भी सभा में बोलने का अधिकार है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये....

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: बहुत सी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है *...(व्यवधान)* 1980 से 1999 तक 6655 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है। 1980 से 1999 तक 6655 परियोजनाओं को वन संबंधी स्वीकृति प्रदान की गयी है। 1980 से 1999 के दौरान प्रतिवर्ष 290 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है। 1999 से 2003 की अवधि के बीच मेरे कार्यालय में 3703 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है। इसका मतलब है प्रतिवर्ष 927 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जबकि मेरे द्वारा यह पद प्राप्त करने से पहले प्रतिवर्ष 290 परियोजनाओं को स्वीकृति मिलती थी।

श्री कोडीकुनील सुरेश: आपने कितनी परियोजनाओं को अस्वीकार किया है?

श्री टी.आर. बालू: इस प्रकार मेरे कार्यकाल की अवधि में परियोजनाओं का वार्षिक औसत 290 से बढ़कर 927 हो गया। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, मेरे द्वारा मंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व 1980 से 1999 के दौरान 265 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी। 1999-2003 के दौरान हमें 79 प्रस्ताव प्राप्त हुए, उसमें से 60 परियोजनाएं स्वीकृत हुई और 19 परियोजनाओं को बंद कर दिया गया या अस्वीकृति किया गया। मैं आपको बताऊंगा कि इन परियोजनाओं को क्यों बंद किया गया। डा. सरोजा अभी बोलने के लिए खड़ी हुई थी। वे बहुत से आरोप लगा रही थी। उन्होंने कहा: ''अब मैं आपको परियोजनाओं के नाम बताऊंगी। क्या आप उन परियोजनाओं को तुरन्त स्वीकृति प्रदान करेंगे?''

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट अपनी सीट पर बैठिए। बहस के लिए बढ़ाया गया समय भी अब समाप्त होने वाला है। क्या सभा इस मामले पर विचार-विमर्श समाप्त होने तक बैठने को तैयार है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। इस मामले पर विचार-विमर्श समाप्त होने तक की अवधि के लिए सभा का समय बढ़ाया जाता है। मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, श्री सुरेश ने पूछा है कि 1999 से 2003 तक कुल कितनी परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए-ये 499 हैं और 3703 परियोजनाएं स्वीकृत हुई। ये पूरे देश की परियोजनाएं हैं 1262 परियोजनाएं अस्वीकृति हुई। केवल 25 परियोजनाएं लम्बित हैं। क्या आपको इसमें मंत्री की कोई गलती लगती है। मैं यहां किसी मुद्दे को लटकाये रखने के लिए नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी मुद्दे को इस तरह से उठाया जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी ओर कोई उंगली उठाये।

माननीय सदस्य वन भूमि और आदिवासी कल्याण के प्रति काफी चिंतित थे। मेरे कार्यकाल में वन भूमि में 1.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2001 के सर्वेक्षण के अनुसार वन भूमि 38,245 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ी है। वर्तमान में कुल वन भूमि 23.03 प्रतिशत है जबकि हमें-जैसा कि श्री मेहता ने भी अभी कहा है-33 प्रतिशत तक के लक्ष्य तक पहुंचना है। 2007 तक, दसवीं योजना के अंत तक हमें 25 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना है। हमें 25 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना है। हम निश्चित तौर पर 25 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। 2012 के अंत तक हमें 33 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना है। हम निश्चित रूप से सही रास्ते पर हैं।

मेरे प्रिय मित्र आदिवासी कल्याण के बारे में चिंतित थे। हम 33 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आजकल, विभिन्न स्थानों पर संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों का काफी संख्या में गठन किया जा रहा है। 60,000 से अधिक वन समितियों का गठन किया जा चुका है। मैं यह आपकी सूचना के लिए बता रहा हूं। बहुत से मित्रों ने आदिवासी कल्याण की बात कही है। केवल अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त वन प्रबन्धन समिति से जुड़े परिवारों की संख्या ही 27.29 लाख है। अनुसूचित जातियों के परिवारों के संबंध में यह संख्या 15.8 लाख है। इसमें शामिल महिलाओं की संख्या 83 लाख है। क्या यह उपलब्धि नहीं है?

अब मैं बताना चाहूंगा कि नौवीं योजना में वन एवम् वन्य जीवन और एफ.डी.ए. के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए 18.72 करोड़ रुपये जारी किये गए जबकि दसवीं योजना, जो कि अभी चल रही है, में हमने अब तक 26 करोड़ रुपये जारी किये हैं। इसमें सौतेला व्यवहार कहां हैं? मैं समझता हूं कि माननीय

---

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

[श्री टी.आर. बालू]

सदस्या डा. सरोजा को इस बारे में गलत सूचना मिली थी। तमिलनाडु मेरा भी राज्य है। मैं भी तमिलनाडु का ही हूं।

महोदया, आपके बोलने से पहले मैं आपको लम्बित परियोजनाओं के नाम बताना चाहूंगा। ये लम्बित क्यों पड़े हैं? श्री कलिअप्पन और डा. सरोजा पाईकारा जल विद्युत परियोजना के अंतिम चरण के बारे में बात कर रहे थे। यह मामला अगस्त, 2003 में वन सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया था। हमने 3.10.03 के पत्र के माध्यम से आवश्यक सूचना मांगी थी परन्तु अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पिछले महीने प्रैस में दिए गए मेरे वक्तव्य के बावजूद, मुझे अब तक तमिलनाडु सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पपनासम जल विद्युत परियोजना के मामले को वन सलाहकार समिति के समक्ष मई 2003 में रखा गया था। इस बारे में 9.5.03 को लिखे पत्र के द्वारा आवश्यक सूचना मांगी गयी थी लेकिन अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उल्लर सरोवर के निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में वन सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया था और 21.2.03 को पाया गया कि राज्य में इसके मुआवजे के रूप में वन रोपण की उपलब्धि संतोषजनक नहीं थी और जब तक इस संबंध में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होती, हम कुछ नहीं कर सकते।

चौथा मामला वडक्कु पचाईयर सरोवर परियोजना का है। जून 2003 में इस प्रस्ताव पर वन सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया। 3.7.03 को इस बारे में आवश्यक सूचना मांगी गयी परन्तु हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसका क्या हल है? मैं यहां कैसे कोई कार्यवाही कर सकता हूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं एक मंत्री के रूप में इन पर कार्य करूं या चूंकि ये परियोजनाएं तमिलनाडु की है अत: इन पर हस्ताक्षर करके उन्हें भेज दूं। तमिलनाडु के गलत सूचना प्राप्त सदस्य और मंत्रीगण मुझसे झगड़ते हैं।

महोदय, मेरे मित्र सुदर्शन नाच्चीयपन नए सचिवालय भवन के निर्माण के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार के एआईएडीएमके का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। इसका वन संरक्षण अधिनियम और आज की बहस के मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। मैंने उच्चतम न्यायालय की सलाह पर उचित कार्यवाही की है और इसका उनके द्वारा बताये इस विशेष मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्हें यह बात समझनी चाहिए। यह अधिसूचना क्या है क्या किसी ने उस अधिसूचना को पढ़ा है। यदि उन्होंने इस अधिसूचना को पढ़ा होता तो वन संरक्षण अधिनियम या भारतीय वन अधिनियम या 1991 की सी.आर.जेड. अधिसूचना का संदर्भ नहीं देते। हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की थी। हमने तमिलनाडु को लक्ष्य करके यह अधिसूचना जारी नहीं की थी महोदय, आप यह अच्छी तरह जानते है कि हमने 60 दिन के नोटिस पर यह अधिसूचना जारी की थी। यहां तक कि अभी भी यह अधिसूचना मसौदा ही है। यह अधिनियम नहीं बना है। मैं अपने राज्य के विरुद्ध गलत कार्य कैसे कर सकता हूं। मैं अपने ऊपर कीचड़ फैकने की अनुमति नहीं दे सकता मैं राजनीतिक आलोचना सहन कर सकता हूं पर कीचड़ उछालना नहीं।

महोदय, श्री सुदर्शन नाच्चीयपन कह रहे थे कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये, श्री अधीर चौधरी ने भी यही बात कही। मैं आपकी अनुमति से इस पत्र में से दो-तीन लाइनें पढ़ना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: किसका पत्र है?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं सभा के नियमों और विनियमों को जानता हूं। पत्र उद्धृत करते समय मैं अपनी सीमाओं के भीतर ही रहूंगा।

महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे मित्र श्री दिग्विजय सिंह के पत्र के बारे में कहा है जो कि हाल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अगस्त, 2000 में एक पत्र लिखा था। लेकिन वर्ष 2001 में उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा। बाद में 21 जुलाई 2001 को उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा। अब आप समझ सकते है कि वे कौन है। वे कहती है:-

> "16 जून, 2001 को कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक में, मैंने अपने सम्बोधन में वन संरक्षण अधिनियम में जल्दबाजी में किये जा रहे संशोधनों से होने वाले खतरों का उल्लेख किया था और मैं यह कहते हुए बल देना चाहती हूं कि कई राज्यों में पर्यावरण, वनों और वन्यजीव संबंधी चिंताओं को अभी भी महत्व दिया जा रहा है।"

मैं आगे उद्धरित नहीं करना चाहता हूं। यह पत्र विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लिखा गया था। विपक्ष की नेता वन संरक्षण के पक्ष में है। प्रधानमंत्री और उनके सहकर्मी भी वन संरक्षण के पक्ष में हैं। तब, विपक्ष के सदस्य, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के सदस्य उसका विरोध कैसे कर सकते हैं। यह कैसे संभव है? ...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: उपाध्यक्ष महोदय, क्या वे एक मिनट के लिए सहमत होंगे?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं सहमत नहीं हूं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: महोदय, पहले उन्हें मेरा भाषण सुनने दे और देखे की क्या में वन संरक्षण के पक्ष में बोल रहा हूं या नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: मैं उन्हें संशोधन लाने का सुझाव देना चाहता हूं। क्या वे संशोधन लाने को तैयार है? ...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: महोदय, उन्होंने मेरा भाषण नहीं समझा है। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैंने उनका भाषण सुना है। शायद वे किसी को शर्मिन्दा करना चाहते है और इसीलिए उन्होंने समर्थन दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: महोदय, उन्हें कार्यवाही वृत्तांत देखने दिया जाए और देखें कि मैंने क्या कहा था ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में जाने बिना यह ऐसे कैसे बोल सकते हैं? यह इस विधेयक की सीमा से बाहर नहीं जा सकते है। वे काफी विद्वान वकील हैं, मेरे जैसे नहीं हैं।

महोदय, डा. सरोजा इस विधेयक के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम के तीन या चार संशोधन लायी हैं और मैं उनके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का उत्तर देना चाहता हूं। इस विधेयक के खंड-2 में कहा गया है:

> ''बशर्ते कि अर्जित की जाने वाली भूमि लोक विकास के कार्यों जैसे सड़कों के निर्माण, पेयजल योजनाओं, टेलीग्राफ अथवा टेलीफोन लाइनें बिछाने अथवा आम जनता के फायदे के लिए किसी अन्य विकास योजना के लिए है तो केन्द्रीय सरकार को अपना अनुमोदन वापिस नहीं लेना चाहिए।''

पेयजल आपूर्ति योजनाओं और टेलीफोन लाइनें इत्यादि बिछाने के लिए 15.10.2005 तक आम अनुमोदन दिया जायेगा। मैं नहीं समझता कि यह संशोधन आवश्यक है। अभी भी, वहां एक आम अनुमोदन है।

दूसरा परियोजना के प्रस्तावों के शीघ्रतम निपटारे के बारे में है। क्षेत्रीय कार्यालयों को पांच हेक्टेयर तक की शक्तियां सौंप दी गयी है। कुल मिलाकर यह संभव नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालयों को पांच हेक्टेयर तक की शक्तियां दे दी गयी हैं और आगे 40 हेक्टेयर तक सिफारिश कर सकते है। केन्द्रीय सरकार इसे निश्चित तौर पर निपटायेगी।

तृतीय संशोधन है:

> ''राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत और केन्द्रीय सरकार को अनुमोदनार्थ भेजी गयी योजनाएं प्राप्ति के एक माह के भीतर निपटा दी जाएंगी।''

पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों के पास 90 दिन तक होते है। केन्द्र सरकार मात्र 60 दिन ले रही है हम इसे 60 दिन में निपटा रहे हैं। इसलिए, समस्या कहां है? जब राज्य सरकार 90 दिन तक जांच कर रही है, तो देरी की संभावना कहां है? जैसे और जब यह प्राप्त की जाती है, हम इन्हें भेज देते है। एक विशेषज्ञ समिति हैं। इस पर समिति जांच करेगी। इसकी जांच भी की जायेगी। हमें निरीक्षण करना होगा। इसलिए कुल मिलाकर 30 दिनों में स्वीकृति देना संभव नहीं होगा।

चौथा संशोधन है:

> ''(एक) केन्द्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में प्रावधानों के लिए नियम बना सकती है।''

यह बहुत अच्छा है। यह ठीक है। जैसा कि हम अभी कर रहे है। राज्य सरकारों के परामर्श के बिना हम कुछ नहीं कर रहे है। हम समय-समय पर वन अधिकारियों और मंत्रियों की बैठकें करते हैं। हम एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं।

मैं सभी बातें बता चुका हूं। यदि अभी भी कुछ बच गया है या कोई भी माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहता है, तो मैं निश्चित तौर पर उत्तर दूंगा। इसके साथ-साथ मुझ पर भी कोई उंगली उठा सकता है।

नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के लिए 3300 करोड़ रु. आवंटित किये गये थे। तमिलनाडु को 1,111 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गयी थी। वह परियोजना के लिए आवंटित राशि का एक तिहाई भाग है। लेकिन उसका क्या हुआ? क्या डा. सरोजा ने मेरे बचाव में आकर कहा कि अब तक सभी परियोजनाएं पूर्णतया ठीक है। परियोजनाएं पूर्ण नहीं हुई है। हमने 12 परियोजनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री के अनुरोध पर एनडीए सरकार ने तमिलनाडु को 1,111 करोड़ रुपये प्रदान किए। परन्तु उन्होंने मात्र 200 करोड़ रु. खर्च किये। अब डा. सरोजा कह रही है: ''मंत्री जी मदद नहीं कर रहे है। मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे है। उन्हें कोई रुचि नहीं है। वे राज्य की स्वायत्तता और उसकी नीतियों का उपहास कर रहे हैं।'' वे सिर्फ निन्दा कर रही है। वह सिर्फ द्वेष पैदा कर रही है। यह अच्छा नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको उससे विधेयक वापिस लेने का अनुरोध करना चाहिए।

श्री टी.आर. बालू: क्या मैं डा. सरोजा से किसी स्पष्टीकरण का अनुरोध कर सकता हूं? अन्यथा, वे विधेयक वापिस ले सकती हैं।

डा. वी. सरोजा: जी नहीं, महोदय, अब उत्तर देने की मेरी बारी है। यह गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय: इसी वजह से मैंने आपको बुलाया है।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से संबंधित है। 1980 तक, लगभग 45 लाख हेक्टेयर वन भूमि बदली जा चुकी थी। इसका मतलब है कि यह 30 वर्षों में किया गया था। 1980 से, अब तक 23 वर्ष बीत चुके हैं। लगभग 8.72 लाख हेक्टेयर वन भूमि वनेतर प्रयोजनों के लिए बदली जा चुकी है। क्या 8.72 लाख हेक्टेयर के बराबर भूमि पर वन रोपण किया गया है?

श्री टी.आर. बालू: वास्तव में, प्रस्तावकों को धनराशि का भुगतान करना होगा। धन-एकत्रण का कार्य मात्र राज्य सरकार ही करेगी। राज्य सरकार धन एकत्र करेगी। राज्य सरकार धन एकत्र करेगी। उसके बाद यदि धनराशि जमा करवाये जाने का प्रमाण पत्र होगा तो हम अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर देंगे। परन्तु इसके साथ-साथ वैकल्पिक वनारोपण कार्य सतोषजनक से संपर्क करेगी। कई कार्यवाइयां की गयी है और निश्चित तौर पर हम यह करेंगे।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केरल में आदिवासियों को वन भूमि दिये जाने के प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री टी.आर. बालू: कहीं कोई समस्या नहीं है। 1980 से पूर्व जिन लोगों के पास उन विशेष वन क्षेत्रों में आजीविका भी, उन्हें आज इस समय भी अनुमति दी गयी है। यदि किसी के पास उस आशय का कलेक्टर का प्रमाण-पत्र हो या विधान सभा या इस सभा से उस आशय का कोई वायदा किया गया हो तो उस पर विचार किया जा सकता है और उन्हें अनुमति दी जायेगी। एकमात्र बात यह है कि उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि 1980 से पूर्व, वन संरक्षण अधिनियम के अस्तित्व में आने से पहले वे वहां रह रहे थे। आज भी में यह देखने को तैयार हूं कि यह विशेष भूमि आदिवासियों को दी गयी है चाहे वे किसी की भी हो। यद्यपि यह अनुमत्य भूमि नहीं है फिर भी हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर सकते हैं। मैंने ऐसा केरल में किया है, मैंने ऐसा मध्य प्रदेश में किया है मैंने ऐसा महाराष्ट्र में किया है। उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि 1980 से पूर्व वे वहां रह रहे थे। भूमि का रिकार्ड भी वहां होना चाहिए। इसके बिना हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: सबरीमाला मामले का क्या हुआ?

श्री टी.आर. बालू: यह एक अभ्यारण्य है और वह भी बाघ अभ्यारण्य। सरकार वन्य जीवन में खलल नहीं डाल सकती।

श्री भर्तृहरि महताब: वह एक प्रमुख क्षेत्र है। सबरीमाला का पूजा-स्थल प्रमुख क्षेत्र से परे है। उस अभ्यारण्य में हमारा एक प्रमुख क्षेत्र है यद्यपि उस अभ्यारण्य में मानवों का प्रवेश पूर्णतया निषेध है। लेकिन यह प्रमुख क्षेत्र से बाहर है और राज्य सरकार ने भी अपने प्रतिवेदन में भी यही कहा है।

श्री रमेश चेन्नितला: वे तीर्थयात्रियों के उपयोग हेतु इसे दे सकते हैं।

श्री टी.आर. बालू: नहीं, वहां सुरक्षा घेरे जैसी एक चीज है। हमने गलियारे के लिए 10 किलोमीटर भूमि प्रदान की है।

श्री भर्तृहरि महताब: वह चार किलोमीटर है।

श्री टी.आर. बालू: वह चाहे जो कुछ भी है मैं सुरक्षा घेरे के वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं जानता। हंम इसकी अनुमति नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि केरल सरकार प्रमुख क्षेत्र से अलग क्षेत्र के लिए आपसे संपर्क करती है तो आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं।

श्री टी.आर. बालू: बहुत से मुख्यमंत्री आकर मेरे सामने इन चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं यदि इसकी तनिक भी संभावना है तो हम निश्चित रूप से इसे करेंगे। यहां तक कि मैं आज या कल भी इसे देखने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं वन संरक्षण अधिनियम के क्षेत्राधिकार से हटकर कुछ नहीं कर सकता। मुझे खेद है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से एक अपील की थी। क्या वे मेरे इस प्रस्ताव के लिए तैयार हैं कि यदि कोई संसद सदस्य वनीकरण के लिए अपने सहयोग के रूप में धन देना चाहता है तो क्या मंत्री जी भी किसी भी अन्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की भांति, शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करने को तैयार होंगे।

श्री टी.आर. बालू: यह एक स्वागतयोग्य संकल्पना है। परन्तु मुझे इस पर विस्तार से चर्चा और इसकी जांच करनी पड़ेगी।

डा. वी. सरोजा: उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय संसद सदस्यों को वन संरक्षण अधिनियम पर अपना भारी सहयोग देने पर बधाई देती हूं। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को नोट करेंगे और वे हड़बड़ी और जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे।

महोदय, मैं आपसे यह भी अनुरोध करती हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है। मेरा नाम लेकर कहा है कि डा. सरोजा कीचड़ उछाल रही हैं, आदि उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है।

श्री टी.आर. बालू: मेरा इस प्रकार का कोई आशय नहीं था। यह मेरी अभिव्यक्ति का एक तरीका मात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसकी जांच करूंगा और यदि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक होगा तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा। यहां तक की माननीय मंत्री जी भी इससे सहमत हैं।

डा. वी. सरोजा: माननीय मंत्री जी ने न केवल तमिलनाडु में अपितु भारत भर में बहुत सी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। मैं इसकी प्रशंसा करती हूं तथा इसके लिए उन्हें बधाई देती हूं। लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या की ओर आते हुए मैं कहूंगी कि जैसा कि माननीय मंत्री जी जानते ही हैं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र, संथामंगलम, एक आदिवासी विधानसभा क्षेत्र की श्रेणी में आता है जहां कोली पहाड़ियां स्थित हैं। वहां मुल्लुकुरूच्ची से कोल्लुमलाई तक एक सड़क बनाए जाने की आवश्यकता है जो 72 चिमरीदार मोड़ों (हेयरपिन बैंड) से होकर गुजरेगी। मैंने जनजातीय विकास विभाग से धन आवंटित करने का अनुरोध किया था और उन्होंने धन आबंटित कर दिया है। यह वर्ष 1998 के दौरान मेरा पहला अनुरोध था। अभी तक भी वह कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। कोली पहाड़ियों के गरीब तथा दबे-कुचले लोगों के प्रति कौन जिम्मेदार है? अब तक उस धनराशि का क्या हो रहा है जो दो-तीन वर्ष पूर्व जमा कराई गई थी? अभी तक वह कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी? मैंने वन संरक्षण अधिनियम का शब्दश: अध्ययन किया है। उसमें पहले और दूसरे चरण की स्वीकृति पाने में बहुत समय लगता है। स्वीकृति देने में यह समस्या है। क्या सरकार इस समयावधि को कम करने हेतु कदम उठाने के लिए आगे आएगी? क्या सरकार राज्य सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों की एक समिति का गठन करेगी? वे एक निर्धारित समयावधि के पश्चात् लगातार निरीक्षण करती रहेगी तथा उन्हें उन सभी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा जिनका पालन होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। फाइल को एक मेज से दूसरी मेज पर ही नहीं घूमते रहना चाहिए; अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने यह कर दिया परन्तु वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि कोल्लुमलाई की सड़क कौन बिछाएगा। यदि यह नहीं होता है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए।

इसी क्षेत्र में एक दूसरी परियोजना जल-विद्युत की है। यह प्रक्रिया से गुजर चुकी है। तत्कालीन, माननीय पर्यावरणीय मंत्री जी ने 4 वर्ष पश्चात् स्वीकृति प्रदान की थी। मैं बहुत प्रसन्न था और मैंने अपने लोगों को बता दिया था कि हमें वह परियोजना मिल चुकी है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय से एक भारी झटका लगा तथा हमें इस परियोजना को आरम्भ करने हेतु 48.50 लाख रुपये का भुगतान और करना पड़ा। आप संबंधित मंत्रालयों के विभागों के साथ बैठकर इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? मुझे यह कहते हुए खेद होता है। मैं रिकार्ड में यह बात कह रही हूं। मैं बारंबार यह कह रही हूं कि मंत्रालयों में आपस में कोई तालमेल नहीं है जिसके कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम, संसद सदस्य, लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। हम लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं। हम यह उत्तर दे सकते हैं कि अब मुझे यह मिल रहा है। कल मैं लोगों से मिलने जा रही हूं। मैं अपने लोगों से क्या कहूंगी? उन 47.58 लाख रुपये की स्वीकृति कौन देगा जिनका भुगतान उपयोगकर्त्ता एजेंसी को करना है? फिर, इसमें कितना समय लगेगा? मैं इस सभा के माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि न केवल इस परियोजना हेतु अपितु अन्य परियोजनाओं के लिए भी एक स्थायी समाधान निकालना चाहिए। उनके मंत्रालय के अंतर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो परियोजनाएं हैं। अभी तक वे शुरू नहीं की गई हैं। इसका कारण यह है कि पहले चरण और दूसरे चरण के लिए स्वीकृति मिलने में विलम्ब का होना है। मंत्रालय को इसे नोट करना चाहिए तथा आपको इस पर आम राय बनानी चाहिए। आपको इस परियोजना को स्वीकृति दे देनी चाहिए।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि इन्होंने अधिकांश परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी हैं। आपस में सम्पर्क का अभाव है। लगभग तीन महीने पहले वन संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई थी। अभी तक नामाक्कल के जिला कलेक्टर को आदेश नहीं मिले हैं। अधिकारी तंत्र के काम करने का यह एक उदाहरण है। जिला कलेक्टर अभी तक इसकी मांग कर रहे हैं। गत रात्रि में भी कलेक्टर ने पूछा था कि: ''महोदय, आपने मुझे बताया था कि आपने प्रैस में यह वक्तव्य जारी कर दिया है कि इस परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। आदेश कहां हैं? मैं इससे कैसे कार्य शुरू कर सकता हूं।''

[डा. वी. सरोजा]

कल रात मैंने कलेक्टर से चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें ये नहीं मिले हैं। मंत्रालय का कार्य इस प्रकार चल रहा है। यह आपकी सूचना के लिए है।

मेरे विधेयक पर आते हैं। इसमें दो मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। पहली बात यह है कि मेरे विधेयक में वनों का संरक्षण सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चीज है। क्या मैंने कभी ऐसा कहा है कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन होना चाहिए? मैंने ऐसा नहीं कहा था। आपको स्वीकृति देनी थी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वनों को काटा जाना चाहिए। लेकिन अधिकांश संसद सदस्यों को यह उत्तर दिया है कि हम वन संरक्षण के प्रति चिंतित नहीं हैं।

जब मैं 1993 में यूरोपीय देशों के दौरे पर गई थी तो वहां हम मध्याह्न भोजन के दौरान चर्चा कर रहे थे तब इटली में एक वाहन चालक ने मुझे बताया कि हम पाप कर रहे हैं क्योंकि लोग पेड़ काट रहे हैं और इसीलिए भगवान ने हमें वर्षा न होने की सजा दी है। इटली में एक वाहन चालक की यह टिप्पणी थी। मैंने इसे आत्मसात कर लिया। मैं पेशे से एक चिकित्सक हूं। मैं न केवल मनुष्यों अपितु जानवरों के स्वास्थ्य के प्रति भी अधिक चिंतित हूं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि मैं वनों के संरक्षण के प्रति चिंतित नहीं हूं? मैं इसकी प्रशंसा करती हूं। मैं आपसे केवल इतना चाहती हूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना तक राजस्व विभाग, वन विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय को आमंत्रित करके 33 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लें। हम यहां हैं। हमें समन्वय करना पड़ेगा। हम लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के हैं। हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना ही पड़ेगा। यहां 33 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। मेरे विधेयक का यही लक्ष्य है।

हमारे पास काफी संपदा है। हमारे सामने बहुत सी समस्याएं भी हैं। अत: उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, यहां एक संयुक्त वन प्रबन्धन समितियां होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी इससे भली-भांति परिचित हैं। आपको भली प्रकार से ज्ञात है कि वर्ष 1991-96 के दौरान हमने तमिलनाडु में स्थानीय जनजातिय लोगों और वन विभाग को सम्मिलित कर ग्राम वन प्रबन्धन समितियों का गठन किया था वहां अभी भी पर्यावरण हितैषी और वन हितैषी समितियां हैं। माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार कहा मानो हम वन संरक्षण के प्रति चिंतित नहीं हैं। हम जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए हैं।

यहां मैं पुन: रिकार्ड में यह बात कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी पर्यावरण स्वीकृति अधिसूचना के मुद्दे के बारे में बता रहे थे। हम अधिसूचना जारी किए जाने के विरुद्ध नहीं हैं *...(व्यवधान)* जब आपने इसके बारे में कहा है तो हमें उत्तर देना पड़ेगा। आपने मुझे यह बताया है।

श्री टी.आर. बालू: इस अधिसूचना का इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है।

डा. वी. सरोजा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इन्होंने उसका उल्लेख किया है। इसीलिए मैं उत्तर दे रही हूं *...(व्यवधान)* नहीं, इन्होंने उल्लेख किया है *...(व्यवधान)* चूंकि इन्होंने उल्लेख किया है, अत: मुझे उत्तर देना है।

श्री टी.आर. बालू: यह अप्रासंगिक है।

डा. वी. सरोजा: जब यह अप्रासंगिक है तो आपने इसका उल्लेख क्यों किया?

श्री टी.आर. बालू: यह केवल आपके कारण किया। आप, संसद सदस्य, ही सभा में सब कुछ लेकर आते हैं। मैंने किसी का उल्लेख नहीं किया।

डा. वी. सरोजा: मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। मैं इस विधेयक को आगे बढ़ा रही हूं। अब उत्तर देने का अवसर मेरा है।

श्री टी.आर. बालू: आपको संसद में समय का उपयोग समुचित रूप से करना पड़ेगा।

डा. वी. सरोजा: नहीं, उत्तर देने हेतु यह मेरा समय है। आपने इसका उल्लेख किया है। यहां तक कि अधिसूचना के बिना ही इन्होंने प्रैस वक्तव्य जारी किया। यह पर्यावरण स्वीकृति संबंधी अधिसूचना के साथ एकमात्र समस्या है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है *...(व्यवधान)* आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आज आप बहुत व्यग्र हैं। आप कुछ भी शांतिपूर्वक नहीं सुन रहे हैं *...(व्यवधान)* चूंकि आपने रिकार्ड में यह बात कही है अत: मैं भी उत्तर दे रही हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ समय बाद मैं भी अशांत हो जाऊंगा।

डा. वी. सरोजा: मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभी सीमाओं और कठिनाइयों का उल्लेख करने के बाद उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है और विधेयक को वापस लेने का अनुरोध किया है।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करूंगा ...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत ध्यान रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप दोनों का बहुत ध्यान रखता हूं।

डा. वी. सरोजा: महोदय, यह राजनैतिक लाभ लेने का मंच नहीं है। यह वह मंच है जहां हम लोगों के हितों के लिए लड़ते हैं।

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने अन्य सभी मुख्यमंत्रियों को केन्द्र-राज्य संबंध के बारे में पत्र लिखा है और यह भी लिखा है कि किस तरह से सौहार्दपूर्ण ढंग से केन्द्र-राज्य संबंध को बनाए रखा जा सकता है ताकि राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित भारत सरकार की योजना का लाभ जनता तक पहुंचे; अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने उस पत्र का उत्तर दिया है। आपकी अनुमति से मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूं और माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: जी नहीं।

डा. वी. सरोजा: मैं इसे सभापटल पर रखती हूं। यह सरकार के विचारार्थ है ...*(व्यवधान)* अथवा यदि आप मुझे समय देते हैं तो मैं पत्र पढ़ लूंगी।

श्री टी.आर. बालू: पत्र किस संबंध है? यह वन संरक्षण के बारे में है? ...*(व्यवधान)* यदि यह इस बारे में नहीं है तो मैं अभी विशेषाधिकार सूचना जारी कर दूंगा ...*(व्यवधान)* यह प्रासंगिक नहीं है, मैं विशेषाधिकार मुद्दा उठाऊंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि वे प्रीवेलेज मोशन मूव करें, आप हाउस को एडजर्न करिये।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: मैं केवल तथ्य बता रही हूं। यह पत्र केन्द्र-राज्य के संबंध के बारे में हैं। इसमें क्या समस्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: ऐसा नहीं है कि कोई भी बेकार पत्र यहां लाया जा सके।

डा. वी. सरोजा: यह बेकार पत्र नहीं है।

श्री टी.आर. बालू: लेकिन यहां केन्द्र-राज्य संबंध का मुद्दा बिलकुल भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. वी. सरोजा, क्या अब आप अपनी बात समाप्त करेंगी?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको बस उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद कहा है जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है और माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर विधेयक वापस लिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य बिल विदड्रा नहीं करेंगे तो इनकनक्लूसिव होगा और अगले सैशन में चला जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: वही तो कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण देना है। इसमें कोई राजनीति नहीं है ...*(व्यवधान)*

माननीय सदस्य की धारणा थी कि अनुमोदन पत्र कलैक्टर को भेजे जाएंगे। हम कलैक्टर को नहीं भेज रहे हैं। हम केवल सचिव को भेज रहे हैं। मेरे विचार से मैंने स्वीकृति के बारे में उन्हें भी पत्र लिखा है। यदि उन्हें प्रति चाहिए तो मैं अपने कार्यालय से उन्हें एक प्रति भेजने के लिए कहूंगा ...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा: माननीय मंत्री की जानकारी के लिए मुझे अभी तक कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि पत्र मुख्य सचिव को दिया गया है और तत्पश्चात् उन्हें इसके बारे में बता दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: उनके बीच इस तरह का सौहार्द बनाया जाना चाहिए।

श्री टी.आर. बालू: चरण-दो स्वीकृति के बाद और जब राज्य में प्रतिपूरक धनराशि जमा हो जाएगी और यदि हमें इस संबंध में पत्र मिलता है तो हम स्वीकृति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से माननीय संसदीय कार्य मंत्री उनके बीच का अंतर पाट सकते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, मैं सुझाव देती हूं कि माननीय मंत्री को व्यक्तिगत रूप से उनके निवास में जाना चाहिए और उन्हें प्रति देनी चाहिए तथा उनके साथ चाय पीनी चाहिए।

श्री टी.आर. बालू: मैं उनके घर जाने और उनके साथ काफी पीने के लिए तैयार हूं लेकिन उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। समस्या यह है। मेरी बहन को अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा।

श्री रमेश चेन्नितला: दोनों को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा।

श्री टी.आर. बालू: वास्तव में, जब मैंने लोक सभा चुनाव लड़े थे, उन्होंने और उनके पति ने मेरे पक्ष में मतदान किया था। वे हमेशा उगते सूर्य चिह्न को मत देंगे। *...(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा: यह तो हद हो गई। क्या माननीय मंत्री आखिरकार यह आश्वासन देंगे कि वे वन संरक्षण अधिनियम में खामियों पर ध्यान देने हेतु एक व्यापक विधेयक लाएंगे?

श्री टी.आर. बालू: महोदया, कृपया अपना विधेयक वापस ले लीजिए।

डा. वी. सरोजा: उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है।

श्री टी.आर. बालू: जी नहीं, मैं यहां पर आश्वासन देने के लिए नहीं हूं। मुझे मुद्दे की जांच करनी है। मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं मुद्दे की जांच करने के बाद ही संशोधन करने वाला विधेयक ला सकता हूं *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह एक आश्वासन है। यह एक आश्वासन है कि वे मुद्दे की जांच करेंगे *...(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा: मैं विधेयक वापस लेती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आश्वासन यह है कि वह वन संरक्षण अधिनियम की बारीकी से जांच करेंगे।

...(व्यवधान)

डा. वी. सरोजा: माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर, मैं विधेयक वापस लेती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बालू ने आश्वासन दिया है कि वह अधिनियम की जांच करेंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अत:, कृपया आप विधेयक वापस ले लें *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदया, कृपया आप विधेयक वापस ले लें *...(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा: महोदया, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: जी नहीं, मैं यहां कोई आश्वासन देने के लिए नहीं हूं। मुझे मुद्दे की जांच करनी है और मुद्दे की जांच के बाद ही मैं यह पता लागने की कोशिश करूंगा *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: 'मैं जांच करूंगा' भी एक आश्वासन है।

श्री टी.आर. बालू: मुझे यह पता लगाना होगा कि यह है अथवा नहीं *...(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: यह भी एक आश्वासन है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आश्वासन यह है कि वह वन (संरक्षण) अधिनियम की गहराई से जांच करेंगे।

...(व्यवधान)

डा. वी. सरोजा: मैं, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर यह विधेयक वापस लेती हूं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अधिनियम की जांच करने का आश्वासन है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सदस्या विधेयक वापस ले सकती हैं।

डा. वी. सरोजा: मैं प्रस्ताव करती हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा: मैं विधेयक वापस लेती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा सोमवार, 22 दिसम्बर, 2003 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.51 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 22 दिसम्बर, 2003/1 पौष, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.38.14/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।